श्रम-विभाग, उत्तर प्रदेश

की

कार्यवाहियों की वार्षिक समीक्षा

१६५४

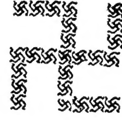
भाग १

और

भाग २



प्राप्ति-स्थान
कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश.
जी० टी० रोड,
कानपुर



मुद्रक :
जॉब प्रिण्टर्स,
इलाहाबाद

सन् १९५४ में श्रम-विभाग, उत्तर प्रदेश
की
वार्षिक कार्यवाहियों की समीक्षा

अनुक्रमणिका

सन् १९५४ में श्रम-विभाग, उत्तर प्रदेश
की
वार्षिक कार्यवाहियों की समीक्षा

अनुक्रमणिका

अध्याय १

उत्तर प्रदेश-भूमि और औद्योगिक साधन

समाज के आर्थिक जीवन पर भौगोलिक कारणों के मौलिक प्रभाव के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रत्यक्ष है कि वे देश के उत्पादन, साधन, लोगों के पेशों और जन-संख्या की सघनता एवं उसके वितरण को निर्धारित करते हैं।

२. भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत के लगभग मध्य में है। उसमें गंगा नदी के मैदान का सारा ऊपरी भाग, जो हिमालय श्रेणी और पूर्वी पंजाब की सीमा से पुरातन विंध्य पठार और बिहार तक फैला हुआ है, सम्मिलित है। वह उत्तर से दक्षिण को ३१°,१८' उत्तरी अक्षांश (टेहरी-गढ़वाल) से दक्षिण में २३°,५२' अक्षांश (मिर्जापुर तक तथा पूर्व से पश्चिम को ८४°,३९' (बलिया) और ७७°,३' देशान्तर (मुजफ्फरनगर) के बीच विस्तृत है। उसकी सीमा उत्तर में हिमालय पर्वत, नेपाल और तिब्बत, दक्षिण में विन्ध्याचल पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश और मध्य भारत, पश्चिम में पूर्वी पंजाब, हिमांचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान तथा पूर्व में बिहार राज्य हैं। राज्य का कुल क्षेत्रफल १,१३,४०९ वर्गमील है, जिसके अनुसार भारत के राज्यों में उसका चतुर्थ स्थान है।

३. इतने विस्तृत भूखण्ड में स्वभावतया अनेक विभिन्नताएँ हैं। प्राकृतिक दृश्य, भूमि तथा वर्षा के आधार पर राज्य को निम्नलिखित भागो में विभाजित कर सकते हैं :—

(क) **पश्चिमी हिमालय** :—यह धुर उत्तर में है और पहाड़ी भाग है। घाटियों में खेती के छोटे-छोटे क्षेत्र पाए जाते हैं, कृषि उत्पादन कम है और जीवन-यापन कठिन है। जनसंख्या की सघनता बहुत कम है और जनता आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं है।

(ख) **हिमालय की तराई** :—यह पर्वत का निचला भाग है। इस खण्ड में भाबर और तराई के नमी तथा दलदलवाले क्षेत्र हैं और हमेशा घने जंगलों तथा लम्बी-लम्बी घास से ढके रहते हैं। जीवन की दशा बड़ी कठिन है। कृषि-उपज तथा जनसंख्या की सघनता बहुत विरल है।

(ग) **गंगा नदी का मैदान**:—हिमालय पर्वत श्रेणी और विन्ध्य पर्वत श्रेणी के ऊँचे-नीचे पहाड़ी पठार के बीच उत्तर प्रदेश का उपजाऊ गंगा का मैदान है, जो सभी प्राचीन सभ्यताओं की क्रीड़ा-भूमि रहा है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का ५० प्रतिशत से अधिक क्षेत्र इसमें आ जाता है। यह भारत में सबसे गहरी मिट्टी का भूभाग है और विश्व के सबसे अधिक उर्वर क्षेत्रों में से है। लोगों की मुख्य जीविका खेती है और जनसंख्या बहुत सघन है।

(घ) यमुना के पार का क्षेत्र :—नीची पहाड़ियाँ और पठार इसमें मध्यभारत का पठार और पूर्वी विंध्याचल सम्मिलित है। यह छोटी झाड़ियों तथा जंगलों से ढकी हुई उन निचली चट्टानों पहाड़ियों से ऊँचा-नीचा है, जो विन्ध्याचल पर्वत से बाहर निकली हुई हैं। भूमि पथरीली और अनुपजाऊ है।

४. निम्नलिखित सूची में उपर्युक्त प्राकृतिक खण्डों के क्षेत्र तथा उनकी जनसंख्या दिखाई गई है :—

क्रमांक	प्राकृतिक खण्ड	क्षेत्रफल वर्गमील में	जनसंख्या	जनसंख्या का घनत्व
(१)	पश्चिमी हिमालय और तराई	१६,४७१	२५,२१,६८७	१३०
(२)	गंगा का मैदान	२१,०५२	१,७८,८६,८०२	८५०
	१ पूर्वी मैदान			
	२ मध्यवर्त्ती मैदान	२२,५०६	१,६१,२६,८६०	७१७
	३ पश्चिमी मैदान	३४,६३७	२,२७,७१,२५२	६५७
(३)	पहाड़ियाँ तथा पठार	१५,७४५	३६,०५,८११	२४८

५. इस क्षेत्र के भौगोलिक दृश्य में ध्यान आकर्षित करनेवाली सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें ६,३२,१५,७४२ व्यक्ति रहते हैं, जिनमें से ३,३०,६८,८६६ पुरुष तथा ३,०१,१६,८७६ स्त्रियाँ हैं। जनसंख्या का घनत्व भूमि, मिट्टी तथा वर्षा की दशा के कारण भिन्न-भिन्न है। निम्नलिखित तालिका से इस राज्य की जनसंख्या और घनत्व का पता चलता है :—

उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या

क्षेत्रफल वर्गमील में	जनसंख्या १० लाख में	सघनता प्रति वर्गमील	ग्राम्य जनसंख्या दस लाख में	प्रतिशत
१,१३,४०६	६३.२	५५७	५४.६	८६.३

क्षेत्रीय वर्गीकरण के अनुसार उत्तर भारत में केवल उत्तर प्रदेश के राज्य में ही भारत की कुल जनसंख्या की १८ प्रतिशत जनसंख्या है। उसकी घनी जनसंख्या का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वह ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, ब्राजील अथवा कनाडा की जनसंख्या से अधिक है। वास्तव में केवल फैजाबाद प्रखण्ड (डिवीजन) की जनसंख्या जो, राज्य के दस राजस्व खण्डों में से एक है, डेनमार्क, लंका, आस्ट्रिया तथा नैपाल जैसे देशों की जनसंख्या से अधिक है और गोरखपुर की जनसंख्या सबसे अधिक है। यह बेल्जियम से भी अधिक है, जो दुनिया का एक सबसे अधिक घना बसा हुआ भाग है।

६. उत्तर प्रदेश के ५१ जिलों में से ६ जिले ऐसे हैं, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या २० लाख या उससे अधिक है। ७ की १५ और २० लाख के बीच, २२ की १० और

१५ लाख के बीच, १३ की ५ और १० लाख के बीच और हिमालय की तराई के ३ जिलों की ५ लाख से कम है। बड़ी जनसंख्यावाले जिले, बस्ती, मेरठ, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और इलाहाबाद हैं। विरल जनसंख्यावाले टेहरी गढ़वाल, देहरादून और नैनीताल के पहाड़ी जिले हैं। सबसे घनी जनसंख्यावाला जिला लखनऊ (१,१५६ व्यक्ति प्रति वर्ग मील) है। इसके पश्चात् बलिया (१,०१०), बनारस (१,००७) और देवरिया (१,००७) का स्थान आता है। सबसे विरल जनसंख्यावाले जिले टेहरी-गढ़वाल (६१ व्यक्ति, प्रति वर्गमील) गढ़वाल (११४), नैनीताल (१२७) और अलमोड़ा (१४१) हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पूर्वी मैदान में और सबसे कम हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग तथा राज्य के दक्षिण की पहाड़ियों और पठारों में है।

७. **जलवायु तथा वर्षा :**—राज्य की जलवायु विभिन्न अक्षांशों के अनुसार एक भौगोलिक खंड से दूसरे खण्ड में भिन्न-भिन्न है। मानसून की विभिन्नताओं का भी जलवायु पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तीन स्पष्ट ऋतुएँ होती हैं।

(क) अक्टूबर से मार्च तक शीत ऋतु,
(ख) अप्रैल से जून तक गर्मी और
(ग) जुलाई से सितम्बर तक वर्षा

८. वर्षा की मात्रा पूर्व में तथा उत्तरी पहाड़ी भागों में ६० इंच से लेकर पश्चिम में २६ इच तक होती हैं।

भूमि और उर्वरता

९. निम्नलिखित तालिका के देखने से राज्य के भूमि के साधनों का पता चलता है। मैदानों की मिट्टी उपजाऊ है। वर्षा और नदियों के द्वारा सिंचाई के साधन उन्हें प्राप्त हैं। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि इस राज्य की तीन चौथाई जनसंख्या की जीविका का मुख्य आधार खेती है।

भूमि के साधन

क्षेत्र	भूमि प्रति व्यक्ति	प्रति पीछे व्यक्ति, भूमि	प्रति व्यक्ति पीछे फसल का क्षेत्र	कुल क्षेत्र का प्रतिशत — सिंचित क्षेत्र	कुल क्षेत्र का प्रतिशत — दो से अधिक फसलो का क्षेत्र	कुल जनसंख्या में गांवों की जनसंख्या का अनुपात	खेती पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत
	एकड़	एकड़	एकड़				
उत्तर प्रदेश	१.१	०.९	०.६	२६.१	२४.२	८६.४	७४.२
भारतवर्ष	२.१	१.४	०.८	१७.८	१८.४	८२.७	७०.०

१०. खेती केवल इस राज्य की ही नहीं वरन भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था का मेरुदण्ड है। अतः खेती की समृद्धि पर आर्थिक समृद्धि निर्भर है। वह एक नियमित

कर्म-परम्परागत जीविका तथा जीवन का अंग बन गयी है। कुल जनसंख्या के ७२.४ प्रतिशत भाग की जीविका का मुख्य साधन खेती अथवा उससे सम्बन्धित कार्यों से है जब कि खेती के अतिरिक्त अन्य उत्पादनों से—जिनमें वस्तु-निर्माण करनेवाले उद्योग भी सम्मिलित हैं, केवल ८.४ प्रतिशत जनसंख्या को ही जीविका देते हैं। खेती की उपज की दो मुख्य बातें फसलों की विभिन्नता तथा अन्य फसलों की अपेक्षा अन्न की फसलों की अत्याधिकता है। राज्य की अन्न की मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, बाजरा और मक्का हैं। मुख्य व्यावसायिक फसलों में गन्ना, अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल और कपास हैं। खरीफ और रबी की दो सुनिश्चित फसलें होती हैं। खरीफ की मुख्य फसलो में चावल, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना और मूंगफली हैं। रबी की मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, अलसी और सरसों हैं। मोटे तौर पर चावल पूर्वी तथा पहाड़ी जिलों में अधिक होता है। गेहूँ गंगा के मैदान की मुख्य उपज है। गन्ना, जो उत्तर प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक उपज समझी जाती है, पश्चिमी भाग के मेरठ प्राखण्ड, मध्य में रुहेलखण्ड एवं लखनऊ प्राखण्ड और पूर्व में गोरखपुर प्राखण्ड में बोया जाता है। यह अनुभव करके कि भूमि की उपज पर्याप्त और सन्तोषजनक नहीं है, सरकार तथा जनता के प्रयत्न उपज बढ़ाने में लगे हैं। सिंचाई के बड़े और छोटे साधनों, ऊसर भूमि तथा परती पड़ी भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषिक्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है।

अन्य साधन

११. वन :—वनों को खेती का पूरक ठीक ही कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जंगल का एक बड़ा क्षेत्र होने से, जो सम्पूर्ण भारत के अन्य क्षेत्र का ११.२ प्रतिशत है, राज्य के लिए बड़ा लाभदायक है। देश की सामान्य आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत वनों के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। जंगल भूमि के रक्षण, मिट्टी के क्षरण की रोक करने, ईंधन औरा चारे की पूर्ति करने तथा प्रकृति के प्रदोषों को सहन करने और इस प्रकार उनके विनाशक प्रभावों से जनता को बचाने में सहायक होते हैं। राष्ट्रीय सरकार ने वन-महोत्सव की योजना—अधिक पेड़ लगाओ—का आन्दोलन बड़े पैमाने पर उठाया था, जो अब एक वार्षिक राष्ट्रीय समारोह बन गया है और उससे वृक्षारोपण को बड़ा प्रोत्साहन मिला है।

१२. पशु-धन, पशु जीव-शक्ति, खाद, दूध, खालों और चमड़े के साधन होने से उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। पशुओं की सबके अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, जहाँ २१५ लाख पशु हैं, जो देश की कुल संख्या के १६ प्रतिशत होते हैं।

१३. खनिज—उत्तर प्रदेश में खनिजो की कमी है। इस मामले में वह पीछे है। महत्वपूर्ण खनिजों के अभाव में राज्य में कुछ उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है; भूमितल की मुख्य उपज कंकड़ है, जो सड़क बनाने के काम में आता है।

१४. **शक्ति**—उत्तर प्रदेश इन बातों में भाग्यशाली है कि उसके पूरे क्षेत्र में कई बड़ी-बड़ी नदियाँ महत्वपूर्ण ढंग से फैली हुई हैं। हिमालय से निकलनेवाली नदियाँ बारहमासी हैं और लोगों की सेवा के लिए सर्वदा उपलब्ध हैं। इस राज्य की नदियाँ, नहरें, और झरनों से सस्ती और पर्याप्त विद्युत्शक्ति प्राप्त की जा सकती है। गंगा नहर के उपयुक्त स्थानों पर कई जल-विद्युत्-केन्द्र स्थापित किये गये हैं। हमारी पंचवर्षीय योजना में जल-विद्युत् केन्द्रों के विकास का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।

पंचवर्षीय योजना में शक्ति और सिंचाई की परियोजनाएँ

मूल्य और लाभ

१९५१–५६ का कुल व्यय लाख रुपयों में	सिंचाई का लाभ हजार एकड़ों में		शक्ति का लाभ हजार किलोवाट में	
	१९५५-५६ तक	पूर्ण होने पर	१९५५-५६ तक	पूर्ण होने पर
५२७४.८	१,३६१	३,१८१	१०६	१२४

१५. परिवहन :—किसी प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में परिवहन की सुविधाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे अधिक विकसित रेलवे का एक जाल-सा है। उत्तरी रेलवे के मुख्य मार्ग मुगलसराय से दिल्ली, मुगलसराय से सहारनपुर और सहारनपुर से दिल्ली तक होकर जाते हैं और राज्य के लगभग सभी महत्वपूर्ण नगरों से गुजरते हैं, जिनमें इलाहाबाद, कानपुर, अलीगढ़, बनारस, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, देहरादून, सहारनपुर और मेरठ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एक छोटी लाइन उत्तरी पूर्वी रेलवे है, जो गंगा तथा हिमालय श्रेणी के बीच के लगभग पूरे प्रदेश की सेवा करती है। केन्द्रीय रेलवे राज्य के दक्षिणी भाग में है और राज्य की मुख्य रेलवे प्रणाली से कानपुर, आगरा, मथुरा और इलाहाबाद में मिलती है। रेलवे के अतिरिक्त राज्य में आवागमन के मुख्य साधनों में सड़क यातायात का विकास और परिवर्धन उत्तर प्रदेशीय राजकीय रोडवेज़ द्वारा किया गया है। इस राज्य में सड़कों का विस्तार अन्य अधिकांश राज्यों की अपेक्षा अधिक है।

उत्तर प्रदेश के नगर-क्षेत्र

१६. यद्यपि राज्य मुख्यतया ग्राम्य क्षेत्रों का है, किन्तु इसकी जनसंख्या का १३.६ भाग कस्बों और शहरों में रहता है। ऐसे १५ नगर हैं, जिनकी जनसंख्या एक लाख या इससे अधिक है। यह राज्य संस्कृति, विद्या और धर्म का पुरातनकाल से केन्द्र रहा है। इसके फलस्वरूप भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा इस राज्य में नगरों और कस्बों की संख्या अधिक है। यहाँ उद्योग और वाणिज्य के विकास के फलस्वरूप बाहरी क्षेत्रों से आकर श्रमिकों की संख्या भी बड़ी मात्रा में एकत्रित हो गई हैं। यहाँ इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि कानपुर, राज्य का सबसे बड़ा नगर है। इसकी जन-संख्या

लगभग ७ लाख है। निम्नलिखित तालिका में उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नगरों और कस्बों की जन-संख्या सन् १६५१ की जनगणना के अनुसार दिखाई गई हैं :—

नगर		जनसंख्या
१.	कानपुर	७,०५,३०३
२.	लखनऊ	४,६६,८६१
३.	आगरा	३,७५,६६५
४.	बनारस	३,५५,७७७
५.	इलाहाबाद	३,३२,२६५
६.	मेरठ	२,३३,१८३
७.	बरेली	२,०८,०८३
८.	मुरादाबाद	१,६१,८५४
६.	सहारनपुर	१,४८,४३५
१०.	देहरादून	१,४४,२१६
११.	अलीगढ़	१,४१,६१८
१२.	रामपुर	१,३४,२७७
१३.	गोरखपुर	१,३२,४३६
१४.	झाँसी	१,२७,३६५
१५.	मथुरा	१,०५,७७३
१६.	शाहजहाँपुर	१,०४,८३५

१७. अंतिम नगर के अतिरिक्त उपर्युक्त सभी अन्य नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हुई है, जो कानपुर और देहरादून में सबसे अधिक है। देहरादून को छोड़कर ऊपर की तालिका में उल्लिखित सभी नगर किंसी न किसी बड़े अथवा छोटे उद्योग के केन्द्र हैं।

औद्योगिक स्थिति

औद्योगिक भारत में इस राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह कई हस्त शिल्पों, कलापूर्ण वस्तुओं और कुटीर उद्योगों का, जो देश के आर्थिक ढांचे का अविभाज्य और महत्वपूर्ण अंग है, परम्परागत केन्द्र समझा जाता है। उल्लेखनीय कुटीर उद्योगों में आगरा के जूते, बनारस और मुरादाबाद के पीतल एवं कलई के कलापूर्ण बर्तन, बनारस का रेशम और जरी, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, फर्रुखाबाद की छींट, लखनऊ और बनारस का हाथीदांत का काम, आगरा का संगमरमर का काम, लखनऊ का बिदार, चिकन और हथकरघे के वस्त्र तथा बनारस एवं मिर्जापुर के गलीचो एवं लाख के उद्योग हैं।

१८. राज्य के महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र (सूती, ऊनी तथा जूट) चीनी, शक्ति और मद्यसार, काँच, चमड़ा, चमड़ा कमाना, तेल, वनस्पति, रोज़िन और तारपीन, कागज और दफ्ती, होज़री, बाबिन, खेती के यंत्र, कोल्ड स्टोरेज, प्लाईवुड, दियासलाई, धातु ढालना, इंजीनियरिंग, यंत्र-निर्माण और सिगरेट के हैं। जहाँ तक चीनी और तेल उद्योगों का सम्बन्ध है, राज्य का स्थान भारत में सर्वोपरि है। बड़े उद्योगों में उसका स्थान बम्बई तथा पश्चिमी बंगाल के पश्चात् आता है। राज्य की अनुपम स्थिति इस बात से है कि यहाँ पर उद्योगों की बड़ी विविधता है, जिससे यह कहा जा सकता है कि यह राज्य भारत का एक लघु प्रतीक है। क्योंकि यहाँ देश के अन्य भागों में पाए जानेवाले लगभग सभी उद्योग विद्यमान हैं।

१९. कानपुर, जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है। अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र हैं—आगरा, लखनऊ, हाथरस, फिरोजाबाद, बनारस, बरेली, रामपुर, मेरठ और गोरखपुर।

२०. राज्य के कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों से जीविका कमानेवाले आत्मनिर्भर व्यक्तियों की संख्या नीचे दी जाती है :-

क्रमसंख्या	उद्योग	नियोजक	कर्मचारी	स्वतन्त्र श्रमिक	योग
१	२	३	४	५	६
१.	बागान उद्योग	४९५	३,०७०	९,७०४	१३,२६९
२.	खान	३२४	९३५	१०,१३३	११,३९२
३.	वनस्पति तेल एवं दुग्ध उत्पादन	२,७१०	८,८६१	७९,७७८	९१,३४९
४.	चीनी उद्योग	२,०३६	४२,८०४	१९,४८३	६४,३२३
५.	तम्बाकू	९२०	४,५४०	९,१४०	१४,६१०
६.	सूती वस्त्र	५,३४९	७७,२९०	१,८४,००६	२,६६,६४५
७.	पहनने के कपड़े (जूतों और तैयार वस्त्र के अतिरिक्त)	५,३६५	१४,३२०	१,२८,३०२	१,४७,९८७
८.	वस्त्र उद्योग (अवर्गीकृत वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त)	१,७४४	१३,२५६	५०,४७७	६५,४७७
९.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएँ और जूते	२,१४९	११,८३४	७१,७४७	८५,७३०
१०.	धातु और रसायन तथा उनके उत्पादन	७,१४०	७०,१५२	१,०९,४७०	१,८६,७६२
११.	कागज और उससे निर्मित वस्तुएँ	१६६	१,८२४	२,३९९	४,३८९
१२.	मुद्रण और उससे सम्बन्धित उद्योग	९४३	१२,२२८	५,१२४	१८,२९५

१	२	३	४	५	६
१३.	भवनो का निर्माण और रक्षण	१,०८६	८,६६७	६८,५३५	७८,२९१
१४.	सड़को, पुलों तथा यातायात के अन्य कार्यों का निर्माण और रक्षण	७१६	९,०९८	६,७४९	१६,५६६
१५	विद्युत् एवं गैस पूर्ति उद्योग	५०	५,८३९	...	५,८८९
१६.	काम और सेवाएँ घरेलू तथा औद्योगिक जल-पूर्ति	३३	२,४७०	...	२,५०३
१७.	वाणिज्य	६८,०३५	८६,५०७	७,५८,०७६	९,१२,६१८
१८.	परिवहन, भांडार और यातायात	६,०३१	१,४३,९२१	१,३४,५१३	२,८४,४६५

२१. निम्नलिखित तालिका में सन् १९३९ से सन् १९५३ तक कारखानों तथा कारखानों में काम करनेवालों की वृद्धि दिखाई गई है :—

जिले के अनुसार चालू कारखानों की संख्या तथा उनमें काम करने वालों की संख्या का दैनिक औसत अनुसूची में दिया गया है।

सन् १९३९ से १९५३ तक कारखानों तथा कारखानों में नियोजन की वृद्धि-निर्देशक तालिका

वर्ष	चालू कारखाने	नियोजित श्रमिकों की संख्या का दैनिक औसत
१९३९	५४६	१,५९,७३८
१९४०	६५४	१,८०,६३४
१९४१	८११	२,२४,३१६
१९४२	९४०	२,३२,५२४
१९४३	८५६	२,५४,८३९
१९४४	९४३	२,७८,२३८
१९४५	९६९	२,७६,४६८
१९४६	९७१	२,५७,१४०
१९४७	९६७	२,४०,३९६
१९४८	१,०४०	२,४२,०८३
१९४९	१,१७८	२,३३,८३७
१९५०	१,२५३	२,३२,६९५
१९५१	१,१७९	२,०२,५१४
१९५२	१,२६४	२,०६,८३२
१९५३	१,३४१	२,०६,७४०

सन् १९५१ से आगे के आँकड़ों में भारत सरकार के प्रतिरक्षा मंत्रालय के नियन्त्रण के अधीन कारखानों के आँकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

२२. जहाँ तक कारखानों में नियोजन का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि सन् १६३६ से १६४४ तक, जब कि वह अपनी चरम सीमा पर था, वृद्धि होती रही है। उसके पश्चात् सन् १६४८ को छोड़कर सन् १६५१ तक प्रति वर्ष कमी होती गयी है। सन् १६४४ के बाद नियोजन की संख्या में निरन्तर कमी इस कारण हुई कि युद्ध सामग्री के उत्पादन से सम्बन्धित कारखानो के काम में ह्रास हुआ तथा उसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर छँटनी हुई। सन् १६४७ में देश के विभाजन, कुछ कच्चे माल की कमी और सामान्य व्यापारिक मन्दी ने भी राज्य के प्रमुख उद्योगों पर प्रभाव डाला। इन्हीं कारणों से सन् १६५१ तक औद्योगिक नियोजन में भी कमी हुई।

सन् १६५२ और १६५३ में सन् १६५१ की अपेक्षा नियोजन में वृद्धि परिलक्षित होने लगी।

२३. निम्नलिखित तालिका में उत्तर प्रदेश में सन् १६३६ से सन् १६५३ तक महिला श्रमिकों की संख्या और कुल श्रमिको की संख्या की तुलना में उनका प्रतिशत दिखाया गया है :—

उत्तर प्रदेश में सन् १९३९ से १९५३ तक महिला श्रमिकों की संख्या तथा कुल श्रमिकों की संख्या में उनका अनुपात

वर्ष	महिला श्रमिकों की कुल संख्या	कुल श्रमिको की संख्या का प्रतिशत
१६३६	४,०८३	३·०
१६४०	४,२७६	२·४
१६४१	४,६५०	२·२
१६४२	४,७००	२·०
१६४३	४,४५४	१.७
१६४४	४,६६७	१·७
१६४५	४,१४६	१·७
१६४६	३,१६४	१·२
१६४७	२,६८६	१·१
१६४८	२,६८६	१·१
१६४६	२,३६४	१.०
१६५०	२,३६७	१·०
१६५१	२,४०६	१·२
१६५२	२,७०७	१·३
१६५३	२,७६५	१.४

२४. उपर्युक्त तालिका से प्रकट है कि राज्य में महिला श्रमिकों की संख्या १६३६ से १६४५ तक की तुलना में काफी घटी है। वास्तव में इस राज्य के बड़े कारखानों में काम

करनेवाली स्त्रियों की संख्या नगण्य सी है और इस राज्य में काम करनेवाले श्रमिकों की कुल संख्या का प्रतिशत पूरे भारतवर्ष के केन्द्रों से बहुत कम है। स्त्रियों के नियोजन में निरन्तर छँटनी के कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) औद्योगिक केन्द्रों के आवास-स्थान में और कमी होना, तथा

(२) राज्य में मातृका हितलाभ-सम्बन्धी नियम, जिनके कारण कारखानों में स्त्रियों के नियोजन में कमी रही।

२५. निम्नलिखित तालिका में उत्तर प्रदेश के कारखानों में काम करनेवाले बालको की संख्या और कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या में उनका अनुपात वर्ष-क्रम से दिखाया गया है :—

उत्तर प्रदेश में सन् १९३९ से सन् १९५३ तक बाल श्रमिकों की सख्या तथा कुल श्रमिकों में उनका अनुपात

वर्ष	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों का प्रतिशत
१९३९	५८६	०.४
१९४०	८८६	०.५
१९४१	१,१९२	०.५
१९४२	१,३६८	०.६
१९४३	१,८६७	०.७
१९४४	९०९	०.८
१९४५	१,०११	०.४
१९४६	८६७	०.३
१९४७	८५६	०.४
१९४८	५१४	०.२
१९४९	३५९	.१५
१९५०	२८१	.१२
१९५१	२२४	.११
१९५२	१३२	.०६
१९५३	३९	.०१९

२६. बाल श्रमिकों के नियोजन में भी उल्लेखनीय कमी हुई है। इसका कारण कुछ तो बाल श्रम सम्बन्धी अधिनियम के विशेष नियमों का अधिक अच्छी तरह पालन कराना और कुछ नियोजकों द्वारा इस श्रेणी के श्रमिकों के बारे में गलत आँकड़े भेजना है। कारखाना अधिनियम, १९४८ को, जिसके अंतर्गत बालकों के नियोजन की आयु १२ वर्ष से बढ़ाकर १४ वर्ष कर दी गई, १९५० से कार्यान्वित किया गया। सन् १९५० और उसके बाद बाल श्रमिकों के नियोजन में विशेष कमी कारखानों में बच्चों के नियोजन के लिए आयु-सीमा को बढ़ाने के कारण हुई है।

अध्याय २

श्रम विभाग की स्थापना, विभाग और कार्य

ब्रिटिश शासन काल में श्रम-सम्बन्धी समस्याओं को शान्ति एवं सुरक्षा की समस्याओं के समान समझा जाता था। उस समय औद्योगिक विवादों को रोकने और निपटाने तथा श्रमिकों और उद्योगों के बीच के अन्य मामलों को भलीभाँति सुनियन्त्रित करने के लिये कोई नियमित सरकारी व्यवस्था न थी। उस समय औद्योगिक कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने एवं उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई विशिष्ट व्यवस्था न थी। सन् १९३७ में लोकप्रिय सरकार की स्थापना के साथ ही साथ सम्पूर्ण स्थिति में एक परिवर्तन हुआ, श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं तथा उनके लिये कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये एक पृथक् श्रम विभाग स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई।

२. लोकप्रिय सरकार की स्थापना के तुरन्त बाद ही मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवादों को निपटाने तथा श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी कार्य करने के लिये सरकार ने एक संगठित संगठन स्थापित किया। पूर्णकालिक श्रम अधिकारी की नियुक्ति की गयी और एक छोटा सा श्रम कार्यालय स्थापित किया गया। सरकार ने सन् १९३७ में कानपुर श्रम जाँच समिति भी नियुक्त की। इस समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद ही कानपुर के समस्त सूती कारखाने में एक आम हड़ताल हुई क्योंकि मिल मालिक जाँच समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिये तैयार न थे। हड़ताल ५० दिन तक चली, जिससे नगर के वाणिज्य तथा औद्योगिक जीवन को गहरा धक्का लगा। फलस्वरूप सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके सत्प्रयत्नों से दोनों पक्षों में समझौता हो गया और हड़ताल वापस ले ली गयी। इस समझौते की एक शर्त एक ज्येष्ठ आई० सी० एस० अधिकारी को श्रमायुक्त तथा संराधन अधिकारी नियुक्त करने की थी। तदनुसार उद्योग विभाग के सचिव श्री एम० सी० खरेघाट, आई० सी० एस० को प्रथम अंशकालिक श्रमायुक्त नियुक्त किया गया।

३. बाद में अनुभव से प्रकट हुआ कि विभिन्न श्रमिक समस्याओं को एक सूत्र में पिरोने, समन्वित तथा सम्बन्धित योजनाओं को कार्यान्वित एव श्रम-सम्बन्धी प्रशासन को समग्ररूप से संगठित करने की नितांत आवश्यकता है। इस हेतु श्रम विभाग के लिये एक पूर्णकालिक श्रमायुक्त की नियुक्ति की शीघ्र ही आवश्यकता अनुभव की गयी। तदनुसार सरकार ने श्री एस० एस० हसन, आई० सी० एस० को सर्वप्रथम पूर्णकालिक श्रमायुक्त तथा श्रम-विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस प्रकार श्रम-सम्बन्धी प्रशासन का केन्द्रीयकरण, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, सम्पन्न हो गया।

४. श्रम विभाग के कार्यकलापों का जो प्रारम्भिक विकास सन् १६३७ से प्रारम्भ हुआ, निरन्तर बढ़ता ही रहा तथा श्रम-सम्बन्धी समस्याओं में जो उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, इससे भी उसका महत्व प्रतिवर्ष अधिकाधिक बढ़ता ही गया। सन् १६४६ में जब से लोकप्रिय सरकार ने दुबारा शासन-भार ग्रहण किया है इस विभाग ने एक महत्व-पूर्ण प्रगति की है। सन् १६४४ के बाद से इस विभाग ने जो प्रगति की है, उसका अनुमान नीचे की तालिका से, जिसमें उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त कार्यालय के गज़टेड अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या दिखाई गयी है, भली भाँति लग जायगा—

कर्मचारियों की संख्या

वर्ष	गज़टेड	नॉन गज़टेड	योग
१६४४	१५	२००	२१५
१६४७	३३	४०७	४१०
१६५२	६६	१,०६५	१,१६१
१६५३	७५	१,१५८	१,२३३
१६५४	७६	१,२७७	१,३५३

५. ऊपर की तालिका से प्रकट होता है कि उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या सन् १६४४ में जहाँ २१५ थी, वहाँ वह सन् १३५४ में १,३५३ हो गयी। वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रगतिशील श्रमनीति के फलस्वरूप ही विभाग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। इसी अवधि में सन् १६४८ में कारखाना अधिनियम पारित एवं कार्यान्वित किया गया। तदनुसार कारखाना निरीक्षण विभाग का कार्यक्षेत्र पहले से अधिक विस्तृत हो गया। कारखाने के निरीक्षकों की संख्या भी बढ़ाई गयी, जिससे कारखानों का निरीक्षण और अधिक ऊँचे स्तर पर हो सके तथा कारखानों में कारखाना अधिनियम का भली भाँति पालन कराया जा सके। स्वतंत्रता-प्राप्ति तथा राज्य में व्याव-सायिक संघों के कार्यकलापों में वृद्धि के कारण श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक होते गए। वे अपनी कठिनाइयों के प्रति समुचित कार्यवाही करने तथा अधिकारों और दावों की माँग करने लगे। सरकार ने औद्योगिक शान्ति के स्थापनार्थ एक प्रगति-शील स्वचालित व्यवस्था का निर्माण किया। इसी व्यवस्था के हेतु कर्मचारियों में वृद्धि की गयी। सूती और चीनी मिलों में समीचीनीकरण (रेशनलाइजेशन) योजनाओं के विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए एक कार्यकुशलता विभाग की स्थापना की गयी।

६. श्रम विभाग के क्रमिक विकास का अनुमान नीचे दिए हुए सन् १६४४-४५ से सन् १६५४-५५ के बजट अनुदानों से लगाया जा सकता है :—

सन् १९४४-४५ से सन् १९५४-५५ तक के बजट अनुदान का लेखा

वर्ष	बजट अनुदान (रुपयों में)
१९४४-४५	३,२५,४००
१९४५-४६	३,६२,८००
१९४६-४७	६,३५,७००
१९४७-४८	६,५२,८००
१९४८-४९	९,६४,८००
१९४९-५०	१८,२६,०००
१९५०-५१	१८,०५,२००
१९५१-५२	२१,४५,२००
१९५२-५३	२३,३२,०००
१९५३-५४	२५,०८,८००
१९५४-५५	२७,६५,४००

७. ऊपर की तालिका से इस बात का पता चलता है कि श्रम विभाग की कार्य-कुशलता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष खर्च में वृद्धि की स्वीकृति देती चली आ रही है।

८. सन् १९४४ में कारखानों एवं ब्वायलरों के मुख्य निरीक्षक के कार्यालय को, जो उस समय तक श्रमायुक्त के अधीन एक उप-कार्यालय था, श्रमायुक्त के कार्यालय में मिला दिया गया।

९. श्रमायुक्त श्रम विभाग के अध्यक्ष हैं और सन् १९४६ के औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के अन्तर्गत "प्रमाणकर्ता अधिकारी" तथा कर्मचारी प्राविडेण्ट फण्ड योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक प्रावीडेण्ट फण्ड कमिश्नर भी हैं। वे उत्तर प्रदेश चीनी तथा चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण तथा विकास निधि अधि-नियम के अन्तर्गत श्रमिक कल्याण आयुक्त भी हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाली योजनाओं का विस्तृत विवरण एक पृथक् अध्याय में दिया गया है।

१०. इस समय श्रमायुक्त के कार्यालय में निम्नलिखित विभाग हैं, जिनमें से प्रत्येक को श्रम समस्याओं से सम्बन्धित प्रशासन का भार पृथक्-पृथक् रूप से सौंपा गया है :—

१. **औद्योगिक सम्बन्ध विभाग** :—यह एक प्रति श्रमायुक्त तथा एक सहायक श्रमायुक्त की देख-रेख में है तथा इसमें कई संराधन अधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम सहायक तथा अन्य कर्मचारी हैं। श्रमायुक्त तथा एक प्रति श्रमायुक्त औद्योगिक विवादों को अभि-निर्णय के लिए भेजने तथा अभिनिर्णायकों के निर्णय देने एवं समझौता बोर्डों द्वारा

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए (अवधि बढ़ाने के निमित्त) क्रमशः सरकार के पदेन संयुक्त सचिव एवं प्रति सचिव हैं।

२. **कारखाना विभाग :**—यह मुख्य कारखाना निरीक्षक के अधीन है। उनकी सहायता के लिए एक प्रति मुख्य कारखाना निरीक्षक तथा २० कारखाना निरीक्षक रहते हैं। इस विभाग के अधीन कारखाना अधिनियम का प्रशासन, वेतन भुगतान अधिनियम, उत्तर प्रदेश मातृका हितलाभ अधिनियम तथा बाल नियोजन अधिनियम का पालन कराने का कार्य है।

३. **दूकान विभाग :**—यह दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान के मुख्य निरीक्षक के अधीन है। मुख्य कारखाना निरीक्षक दूकानों के मुख्य निरीक्षक भी हैं। उनकी सहायता के लिए एक प्रति मुख्य दूकान निरीक्षक तथा १५ दूकान निरीक्षक हैं। यह विभाग उत्तर प्रदेशीय दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम सन् १९४७ के पालन की देख-रेख करता है।

४. **ब्वायलर विभाग :**—यह मुख्य ब्वायलर निरीक्षक तथा ६ ब्वायलर निरीक्षकों के अधीन है। यह विभाग भारतीय ब्वायलर अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत केन्द्रीय ब्वायलर नियमों की देखरेख करता है तथा राज्य में ब्वायलरों का निरीक्षण इस आशय से करता है कि वे ठीक दशा में रखे जाँय और भारतीय ब्वायलर अधिनियम के नियमों के अनुसार ही चलाए जाँय।

५. **हितकारी विभाग :**—यह एक प्रति श्रमायुक्त के अधीन है, जिनकी सहायता एक हितकारी अधिकारी, दो सहायक श्रम हितकारी अधिकारी, कई हितकारी अधीक्षक तथा सहायक हितकारी अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारी करते हैं। यह विभाग राज्य में ४४ श्रम हितकारी केन्द्रों के द्वारा श्रम कल्याण का कार्य करता है। सन् १९५४ में तीन नए श्रम हितकारी केन्द्र खोले गए।

६. **संख्या, अनुसन्धान तथा प्रचार विभाग:**—इनमें से प्रत्येक शाखा एक गज़टेड अधिकारी की देख रेख में है और सबके अधीक्षण तथा समन्वय के लिए एक प्रति श्रमायुक्त हैं। इनके अतिरिक्त एक संख्या ज्येष्ठ अन्वेषक तथा अन्वेषक, संख्या सहायक, संकलन लिपिक तथा अन्य कर्मचारी हैं। श्रम सम्बन्धी आँकड़ों का एकत्रित तथा संकलित करना, जिसमें कानपुर के व्यय-सूचनांक का संकलन करना भी है; श्रमिक सम्बन्धी अनेक समस्याओं पर अनुसंधान करना, जिसमें श्रमिकों के रहन-सहन तथा काम की दशाओं तथा परिवारों के कार्यव्यय की जाँच भी सम्मिलित है; श्रम समस्याओं तथा श्रम कानूनों का सामान्य अध्ययन; श्रम सम्मेलनों से सम्बन्धित कार्य, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का कार्य भी है; दो पत्रिकाओं—मासिक 'लेबर बुलेटिन' तथा साप्ताहिक 'श्रमजीवी'—का प्रकाशन, जिनमें विशेषतया श्रम समस्या के प्रत्येक पहलू पर अधिकृत तथा पूर्ण सूचना रहती है—ये कार्य इस विभाग के अधीन हैं।

७. **व्यावसायिक संघ तथा स्थायी आदेश विभाग**—यह एक प्रति श्रमायुक्त के अधीन है, जो व्यावसायिक संघों के रजिस्ट्रार भी हैं। उनकी सहायता के लिए एक व्यावसायिक संघों के सहायक रजिस्ट्रार, एक व्यावसायिक संघ निरीक्षक और दो सहायक व्यावसायिक संघ निरीक्षक एवं अन्य श्रम निरीक्षक तथा कर्मचारी हैं। इस विभाग का कार्य व्यावसायिक संघों को प्रमाणित करना तथा कारखानों के स्थायी आदेशों को प्रमाणित करना है। यह विभाग भारतीय व्यावसायिक सघ अधिनियम, १६२६ तथा औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १६४६ का पालन कराता है।

८. **न्यूनतम मजदूरी विभाग**—इस विभाग की देख-रेख एक प्रति श्रमायुक्त करते हैं। विभाग में दो शाखाएं हैं—(१) औद्योगिक शाखा तथा (२) कृषि शाखा। औद्योगिक शाखा में सहायक श्रमायुक्त, कई वेतन निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारी हैं। कृषि-सम्बन्धी शाखा एक विशेषाधिकारी के अधीन है। उनकी सहायता के लिए कनिष्ठ वेतन निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारी हैं। इस विभाग का कार्य सन् १६४८ के न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को लागू कराना है।

९. **गृह-निर्माण विभाग**—उत्तर प्रदेशीय चीनी एव चालक मद्यसार श्रम कल्याण एवं विकास निधि अधिनियम के अन्तर्गत श्रमायुक्त श्रम कल्याण आयुक्त हैं। उनकी सहायता के लिए एक इंजीनियर, एक लेखाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी हैं। यह विभाग राज्य के चीनी के कारखानों तथा अन्य उद्योगों के कर्मचारियों के लिए गृह-निर्माण के कार्य का निरीक्षण करता है। यह विभाग औद्योगिक गृह-निर्माण का भी कार्य देखता है।

१०. **कार्यकुशलता विभाग**—यह एक सहायक श्रमायुक्त के अधीन है। इस विभाग का कार्य सामान्यतया सब उद्योगों में किन्तु विशेषतया सूती और चीनी के कारखानों में समीचीनीकरण योजनाओं की जाँच करना तथा औद्योगिक इंजीनियरिंग के दूसरे दृष्टिकोणों का अध्ययन करना है।

११. **लेखा, स्थापना तथा सामान्य प्रशासन विभाग**—यह एक प्रति श्रमायुक्त के अधीन है। उनकी सहायता एक विशेषाधिकारी, एक सहायक लेखाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी करते हैं।

सन् १६५४ में इन विभागों द्वारा किए गए समस्त कार्य-कलापों की संक्षिप्त समीक्षा आगामी अध्यायों में की गयी है।

अध्याय ३

श्रम कानूनों का प्रशासन

कानूनों को प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने के लिये उपर्युक्त व्यवस्था की आवश्यकता प्रत्यक्ष है। कानून चाहे जितना लाभदायक और उच्चाकांक्षी क्यों न हो किन्तु यदि उसके उपयुक्त प्रशासन की उपेक्षा की गई तो वह अपना लक्ष्य पूरा करने में असफल हो जायगा। इस तथ्य को राज्य सरकार ने प्रारम्भ से ही ध्यान में रखा है और श्रम विभाग द्वारा प्रशासित श्रमिक अधिनियमो को कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त और कुशल प्रशासनीय व्यवस्था करने के लिए समय-समय पर कार्यवाही की गई है।

२. निम्नलिखित तालिका से इस राज्य में लागू होनेवाले विभिन्न अधिनियमों और उनको कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासन अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियो का पता चलता है :--

क्रमांक अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियम	प्रशासनीय अधिकारी	अधिनियम के प्रशासन के लिये नियुक्त अन्य कर्मचारी
१. भारतीय कारखाना अधि-नियम १६४८	मुख्य कारखाना निरीक्षक	एक प्रति मुख्य कारखाना निरीक्षक तथा २० निरीक्षक, जिनमें २ चिकित्सा निरीक्षक भी सम्मिलित हैं।
२. वेतन भुगतान अधिनियम १६३६	,,	,,
३. उत्तर प्रदेश मातृका हित-लाभ अधिनियम, १६३८	,,	,,
४. बाल नियोजन अधिनियम, १६३८	,,	,,
५. भारतीय ब्वायलर अधि-नियम, १६२३	मुख्य ब्वायलर निरीक्षक	६ ब्वायलर निरीक्षक
६. उत्तर प्रदेश दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधि-नियम, १६४७	मुख्य दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान निरीक्षक। मुख्य कारखाना निरीक्षक का मुख्य दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान निरीक्षक अधिसूचित किया गया है।	एक प्रति मुख्य दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान निरीक्षक तथा १५ पूर्णकालिक निरीक्षक। १६५३ के अंत में दो और स्थानों की स्वीकृति मिली है।

७. भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम, १९३६	व्यावसायिक संघों के रजिस्ट्रार एक प्रति श्रमायुक्त हैं।	व्यावसायिक संघो के एक सहायक रजिस्ट्रार, एक व्यावसायिक संघ निरीक्षक, दो सहायक व्यावसायिक संघ निरीक्षक
८. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६	स्थायी आदेशों के प्रमाणकर्ता अधिकारी (कानून के अन्तर्गत श्रमायुक्त प्रमाणकर्ता अधिकारी भी हैं)	कानून के प्रशासन में व्यावसायिक संघो के सहायक रजिस्ट्रार प्रमाणकर्त्ता अधिकारी को सहायता करते हैं। प्रमाणित स्थायी आदेशों के पालन की जाँच के लिये दो श्रम निरीक्षक भी हैं। इन निरीक्षकों को इस कार्य के लिये श्रम अधिकारी अधिसूचित किया गया है।
९. न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८	सहायक श्रमायुक्त (न्यूनतम वेतन)	एक सहायक श्रमायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन से सम्बन्धित प्रशासन के अधिकारी हैं। एक विशेष कार्याधिकारी की भी नियुक्ति की गई है, जो कृषि क्षेत्र में अधिनियम के लागू होने की देख-भाल करते हैं। १५ न्यूनतम वेतन निरीक्षक तथा ७ वेतन सहायकों की भी नियुक्ति की जा चुकी है।

सन् १९५४ में विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रशासन

३. निम्नलिखित अनुच्छेदों से सन् १९५४ में विभिन्न अधिनियमों के प्रशासन की प्रगति का ज्ञान होगा।

भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम, १९२६

४. आलोच्य वर्ष में एक प्रति श्रमायुक्त अधिनियम के अंतर्गत व्यावसायिक संघो के रजिस्ट्रार का कार्य करते रहे। उनको अधिनियम के प्रशासन में व्यावसायिक

संघों के एक सहायक रजिस्ट्रार, एक व्यावसायिक संघ निरीक्षक तथा दो सहायक व्यावसायिक संघ निरीक्षकों द्वारा सहायता मिली। व्यावसायिक संघ विभाग के एक पृथक् विभाग के रूप में संगठित किए जाने का कारण द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् व्यावसायिक संघों की संख्या में विशेष वृद्धि का होना है। निम्नलिखित तालिका से ज्ञात होगा कि प्रमाणित व्यावसायिक संघों की संख्या राज्य में प्रति वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ती गई है :—

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रमाणित व्यावसायिक संघों की संख्या	उन संघों की संख्या जिन्होंने वार्षिक विवरण-पत्र भेजे।	प्राप्त विवरण पत्रों के अनुसार वर्ष के अंत में सदस्यता।
१९४५–४६	८१	५२	६०,०३१
१९४६–४७	२११	१२१	१,३६,११५
१९४७–४८	२९५	२१८*	२,२७,५५३
१९४८–४९	४५८	३१४*	२,३५,१५५
१९४९–५०	५३०	३४६†	२,२३,४११
१९५०–५१	५७२	३८१	१,९५,६६६
१९५१–५२	५४२	४१८	२,०७,९२८
१९५२–५३	५८१	४३६	२,३१,३९८

५. उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होगा कि सन् १९५१–५२ के अतिरिक्त जब कि कुछ व्यावसायिक संघों के रजिस्ट्रेशन रद करने के कारण कमी हुई, शेष वर्षों में संघों तथा संघों की सदस्यता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यह भी ज्ञात होगा कि वार्षिक विवरण भेजनेवाले संघों की संख्या में भी नियमित वृद्धि हुई है। ३१ मार्च सन् १९५४ में उत्तर प्रदेश में प्रमाणित व्यावसायिक संघ ६३६ थे। इनमें से ८४ का प्रमाणीकरण सन् १९५२-५३ का वार्षिक विवरण न भेजने के कारण रद भी कर दिया गया था। ३ संघों को इसलिये रद किया गया कि उनका अस्तित्व ही नहीं रहा। २ सघों को व्यावसायिक संघ अधिनियम १९२६ की धारा २८ (१) के अंतर्गत समाप्त किया गया और ४ संघों का प्रमाणीकरण सन् १९५३–५४ के वार्षिक विवरण पत्र न भेजने के कारण समाप्त किया गया। सन् १९५४ में १५० नये व्यावसायिक संघों को प्रमाणित किया गया। इस प्रकार दिसम्बर सन् १९५४ को ६६३ प्रमाणित व्यावसायिक संघ थे।

६. संघों के कार्य से सम्बन्धित शिकायतों और अनियमितताओं की जाँच तथा सामान्य निरीक्षण के सम्बन्धित कार्य की देखभाल व्यावसायिक संघ के निरीक्षकों तथा दो सहायक व्यावसायिक संघ निरीक्षकों ने की। जाँचों का सम्बन्ध कोष के गबन, अनियमित-ताओं, संघों के विघटन तथा संयुक्तीकरण और नये प्रमाणीकरण के विरुद्ध व्यावसायिक

*एक महासंघ के अतिरिक्त † दो महासंघ के अतिरिक्त

संघों के सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा की गई शिकायतों से था। निम्नलिखित तालिका से व्यावसायिक संघों के निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों और जाँचों का पता चलेगा :—

	निरीक्षणों की संख्या	जाँचों की संख्या	योग
व्यावसायिक संघ			
निरीक्षक	८४	३६	१२०
सहायक व्यावसायिक संघ			
निरीक्षक	१५२	३६	१६३
	२३८	७५	३१३

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश), १६४६

७. सन् १६५४ में श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश), १६४६ के अंतर्गत स्थायी आदेशों के प्रमाणकर्त्ता अधिकारी रहे। अधिनियम के प्रशासन में उन्हें व्यावसायिक संघो के सहायक रजिस्ट्रार सहायता देते रहे। राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण समस्त राज्य के लिये अपील सुनने का अधिकारी बना रहा।

८. स्थायी आदेशों के कार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो श्रम निरीक्षक अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणित स्थायी आदेशों के लागू होने के सम्बन्ध में जाँच करते रहे तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, १६४६ के अंतर्गत जाँच तथा चुनाव का कार्य करते रहे। उन्हें उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चीनी के सभी कारखानों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गये स्थायी आदेशों के कार्यान्वित होने की जाँच का काम भी सौंपा गया।

६. १ जनवरी सन् १६५४ की ऐसी औद्योगिक संस्थाओं की संख्या, जिनके स्थायी आदेश प्रमाणित हो चुके थे, ५४२ थी। आलोच्य वर्ष में अधिनियम के अन्तर्गत २४ नई औद्योगिक संस्थाओं के स्थायी आदेश प्रमाणित किये गये। इस प्रकार प्रमाणित स्थायी आदेशवाले कारखानों की कुल संख्या ३१ दिसम्बर सन् १६५४ तक ५६६ हो गई।

१०. कई औद्योगिक संस्थानों ने अपने प्रमाणित स्थायी आदेशों में संशोधन कराने के लिये औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १६४६ के अंतर्गत प्रमाणकर्त्ता अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र भेजे। सन् १६५४ में औद्योगिक नियोजन अधिनियम, १६४६ के अंतर्गत निम्नलिखित औद्योगिक संस्थानों के प्रमाणित स्थायी आदेशों में प्रस्तावित संशोधन प्रमाणित किये गये :—

१.	इम्पीरियल टोबैको कं० आफ इण्डिया लि०सहारनपुर	१८-६-५४
२.	हरनारायण जगन्नाथ स्टील एण्ड आयरन वर्क्स, कानपुर	१-५-५४
३.	अग्रवाल आइरन वर्क्स, आगरा	२५-३-५४
४.	सहारनपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, सहारनपुर	५-६-५४

११. राज्य के चीनी के कारखाने, जिनकी संख्या ६६ है, ऐसे ही औद्योगिक संस्थान हैं, जिन्हें औद्योगिक नियोजन अधिनियम के उपबन्धों से छूट मिली है। इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी आदेशों के स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी चीनी के कारखानों के लिये स्थायी आदेशों की एक सामान्य नियमावली बनाई है और उसे उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३ के अन्तर्गत लागू किया है।

१२. आलोच्य वर्ष में राज्य न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश में अधिनियम की धारा ६ (१) के अन्तर्गत प्रमाणकर्त्ता अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं भेजी गयी। जीवनमल एण्ड कं० कानपुर द्वारा अपील अधिकारी के उक्त संस्थान के स्थायी आदेशो को अन्तिम रूप में प्रमाणित करने के आदेश के विरुद्ध दिये गये 'रिट' आवेदन पत्र को इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने सुना और आदेश किया कि चूँकि इस मामले में कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिये उसे हाईकोर्ट की पूरी बेञ्च के समक्ष रखा जायगा।

१३. अधिनियम राज्य के निम्नलिखित औद्योगिक संस्थानो पर भी लागू रहा, यद्यपि इनमें १०० से कम श्रमिक काम करते रहे :—

१. एम्पलायर्स एसोसियेशन आफ नार्दर्न इण्डिया के सदस्य
२. यू० पी० आयल मिलर्स एसोसियेशन, कानपुर के सदस्य
३. विद्युत् प्रतिष्ठान
४. वाटर वर्क्स
५. काँच उद्योग में लगे कारखाने और
६. वे नियोजक जिन्होंने स्वेच्छा से अधिनियम के स्थायी आदेशों को प्रमाणित किए जाने के लिये प्रार्थना पत्र भेजे।

१४. अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किये गये दो स्थायी आदेश निरीक्षकों ने १८३ औद्योगिक संस्थानो का, जिनमें राज्य के चीनी के कारखाने भी शामिल हैं, यह देखने के लिये निरीक्षण किया कि राज्य की ओर से लागू किए जानेवाले स्थायी आदेशों को समुचित रूप में लागू किया जा रहा है या नहीं।

१५. उन्होने ५ वें ६ वें नियम के अंतर्गत जाँच भी की और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली १९४६ के १० वें नियम के अनुसार श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चुनाव कराये। इनका विवरण निम्न प्रकार है :—

१. ५ वें नियम के अन्तर्गत जाँच	११
२. ६ वें नियम के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण संघों को निश्चय करने के लिये की गई जाँच	२३
३. उन श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चुनाव, जिनके संघ प्रमाणित नहीं थे	१५

१६. प्रमाणित स्थायी आदेशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में व्यावसायिक संघों द्वारा की गई ३ शिकायतों की जाँच भी इन निरीक्षकों द्वारा की गई और दोषी नियोजकों को अविलम्ब हटाने और प्रमाणकर्ता अधिकारी को सूचित करने के आदेश दिए गये। इन आदेशों का तुरन्त पालन किया गया और वर्ष में प्रमाणित स्थायी आदेशों के उल्लंघन के लिये मुकदमा चलाने का कोई भी अवसर नहीं आया। निरीक्षकों ने ३२७ श्रमिकों के स्थायित्व के प्रश्न पर २१ औद्योगिक विवादों की भी जाँच सम्बन्धित औद्योगिक संस्थानों के प्रमाणित स्थायी आदेशों के अनुसार की।

१७. जून ८ और ६ सन् १६५४ को नैनीताल में होनेवाले उत्तर प्रदेशीय चीनी उद्योग त्रिदलीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश पर राज्य सरकार ने एक चीनी उद्योग स्थायी आदेश समिति की नियुक्ति उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ के अंतर्गत चीनी के कारखानों पर सन् १६५१ में लागू होनेवाले स्थायी आदेशों की जाँच करने तथा उनमें आवश्यक परिवर्तन के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिये की है। समिति ने, जिसके अध्यक्ष श्रमायुक्त थे, अपना प्रतिवेदन ३१ दिसम्बर सन् १६५४ को दे दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर विचार कर रही है।

उत्तर प्रदेशीय दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, १९४७

१८. आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, १६४७ राज्य के ३४ नगरों तथा साथ ही उत्तर प्रदेश के समस्त वैकुअम पैन चीनी के कारखानों के उन कर्मचारियों पर लागू रहा, जिन पर १६४८ का कारखाना अधिनियम लागू नहीं है। अधिनियम के नियम इन २८ नगरों में लागू थे :—(१) आगरा (२) इलाहाबाद (३) बरेली (४) बनारस (५) कानपुर (६) लखनऊ (७) मेरठ (८) अलीगढ़ (६) मुरादाबाद (१०) झाँसी (११) गोरखपुर (१२) फैजाबाद (१३) रामपुर (१४) हाथरस (१५) सहारनपुर (१६) गोंडा (१७) फिरोजाबाद (१८) देहरादून (१६) मसूरी (२०) नैनीताल (२१) मथुरा (२२) फतेहगढ़ (२३) फतेहगढ़ (कम फर्रुखाबाद) (२४) हापुड़ (२५) मुजफ्फरनगर (२६) कन्नौज (२७) गाजियाबाद (२८) कायमगंज। शेष ६ कस्बों में अर्थात् (१) मिर्जापुर (२) बुलन्दशहर (३) सीतापुर (४) बदायूं (५) उन्नाव (६) बाराबंकी में अधिनियम अंशतः पृथक्-पृथक् कस्बों की नगर पालिकाओं के प्रशासनीय अधिकारियों द्वारा दूकानों तथा वाणिज्य प्रतिष्ठानों की साप्ताहिक बन्दी तथा अधिनियम की धारा १० और १२ के अंतर्गत कर्मचारियों की साप्ताहिक छुट्टी सम्बन्धी नियमों को लागू किया गया।

१६. अधिनियम के क्षेत्र-विस्तार के लिये कई नगरों द्वारा बारबार माँग की गई। ऐसे कस्बे शाहजहाँपुर, फतेहपुर, हरदोई, पीलीभीत, खुरजा, देवरिया, बहराइच, बस्ती, बलिया, इटावा, लखीमपुर, (खेरी) बलरामपुर (गोंडा), जलेसर (एटा), टूंडला (आगरा) हलद्वानी (नैनीताल), भरथना (इटावा), कांकरखेरा टाउन एरिया, (मेरठ) हैं। चिरगांव, मोठ, मऊ रानी-पुर तथा ललितपुर के बीड़ी उद्योग, झाँसी जिले की ललितपुर तहसील के धौरा स्थान की पत्थर की खदान पर अधिनियम का क्षेत्र विस्तार करने के लिये भी प्रार्थना की गई, जिसे

आर्थिक कठिनाइयो के कारण पूरा नहीं किया जा सका। परन्तु राज्य सरकार राज्य के सभी महत्वपूर्ण और व्यापारिक कस्बों पर, जिनकी जनसंख्या २० हजार या इससे अधिक है, अधिनियम को क्रमशः लागू करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

२०. **निरीक्षण कर्मचारी**—आलोच्य वर्ष में अधिनियम के लागू करने के लिये प्रशासनीय व्यवस्था अथवा कर्मचारियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मुख्य कारखाना निरीक्षक ही दूकानों तथा वाणिज्य प्रतिष्ठानों के मुख्य निरीक्षक का पद सँभाले रहे। उनकी सहायता के लिये एक प्रति मुख्य दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान निरीक्षक तथा १५ पूर्णकालीन निरीक्षक थे। ये कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, बनारस, मुरादाबाद, अलीगढ़, झाँसी, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, और बरेली में नियुक्त थे। देहरादून, मसूरी, नैनीताल, फर्रुखाबाद, फतेगढ़, कन्नौज, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मथुरा, हाथरस, फिराजाबाद के १२ सब डिजीजनल मजिस्ट्रेट तथा गोंडा, हाथरस, सहारनपुर, फिरोजाबाद तथा रामपुर के ५ स्थानीय श्रम निरीक्षक तथा रामपुर के अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी और मिर्जापुर, बुलन्दशहर, सीतापुर, बदायूं, उन्नाव और बाराबंकी की नगरपालिकाओ के प्रशासन अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत दूकानों तथा वाणिज्य प्रतिष्ठानों के पदेन निरीक्षक का कार्य करते रहे।

२१. **निरीक्षण**—विभाग के १५ पूर्णकालिक निरीक्षकों द्वारा किये गये इन निरीक्षणों को संख्या ४५,७७१ थी और राज्य के विभिन्न नगरों में दूकान के प्रति मुख्य निरीक्षक द्वारा किये गए निरीक्षणों की संख्या ८९६ थी। यह कुल संख्या ४६,६६७ हुई। पिछले वर्ष के निरीक्षणों की संख्या ३६,५५० थी। निम्नलिखित तालिका से ज्ञात होगा कि राज्य के विभिन्न नगरों में १५ पूर्णकालिक निरीक्षकों ने कितने निरीक्षण किये :—

क्रमसंख्या	नगर का नाम	निरीक्षकों की संख्या	निरीक्षणों की कुल संख्या
१	२	३	४
१	कानपुर	२	६,२२०
२	आगरा	१	३,०७६
३	अलीगढ़	१	३,००३
४	इलाहाबाद	१	३,६७२
५	बनारस	१	३,२००
६	बरेली	१	३,२०२
७	फैजाबाद	१	३,०१६
८	झाँसी	१	२,६७३
९	गोरखपुर	१	२,८६०
१०	लखनऊ	१	३,५००
११	मेरठ	१	२,७६६

१	२	३	४
१२	मुरादाबाद	१	३,१७६
१३	गाजियाबाद	१	२,७८१
१४	फरुखाबाद	१	२,६२३
		१५	४५,७७१

२२. निम्नलिखित तालिका में पाँच स्थानीय श्रम निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या दी गई है :—

क्रम संख्या	स्थानीय श्रम निरीक्षक की नियुक्ति का स्थान	निरीक्षणों की संख्या
१	फिरोजाबाद	४७१
२	हाथरस	६००
३	सहारनपुर	१,१६५
४	गोंडा	७८१
५	रामपुर	६६१
		४,३०८

२३. इन निरीक्षणों के अतिरिक्त बुलन्दशहर के प्रशासन अधिकारी ने ६२ निरीक्षण किए। सन् १६५४ में निरीक्षणों की कुल संख्या ५१,०६७ थी जब कि इसके पूर्ववर्त्ती वर्ष में यह संख्या ४४,०६३ थी।

२४. निम्नलिखित तालिका में प्रतिवर्ष प्रत्येक पूर्णकालिक निरीक्षण द्वारा किए गये निरीक्षणो तथा उनके औसत का तुलनात्मक विवरण दिया गया है :—

वर्ष	कुल निरीक्षणो की संख्या	प्रति निरीक्षक द्वारा औसत निरीक्षण
१६४८	२५,४३२	१,६५६
१६४६	३२,३४८	२,४८८
१६५०	३६,८७४	२,८३६
१६५१	३६,५७१	३,०४४
१६५२	३६,६८५	३,०५३
१६५३	३८,६४४	२,६७४
१६५४	४५,७७१	३,०५१

२५. **अभियोग**:—आलोच्य वर्ष में विभाग-द्वारा कुल ६३३ अभियोग चलाए गये। पिछले वर्ष इनकी संख्या ७६२ थी। अभियोगों में वृद्धि की संख्या का मुख्य कारण निरीक्षकों द्वारा अधिनियम को पालन कराने का प्रयास था। अभियोग उन्हीं दशाओं में चलाए गए जब कि नियम पालन करने के लिये समझाने-बुझाने के प्रयास विफल हो गये और उल्लंघन बार-बार किए गए।

२६. गत वर्षों से बचे अभियोगों और इस वर्ष चलाए गये अभियोगों का विवरण निम्न प्रकार है :—

(१) वर्ष के अन्त में अभियोगों की संख्या, जिन पर निर्णय किया जाना शेष था	२१५
(२) वर्ष में चलाए गये अभियोगों की संख्या	९३३
योग	१,१४८
(३) निर्णीत अभियोगों की संख्या	९८१
(४) अभियोगों की संख्या, जिनमें दंड दिया गया	९४७
(५) निर्दोष छूटनेवालों की संख्या	१८
(६) वापस किये गये अभियोगों की संख्या	
(७) न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २४९ के अन्तर्गत जमा किए गये अभियोगों की संख्या	१६
(८) जुर्माने की कुल रकम	२१,६३५ रु०
(९) वर्ष की समाप्ति पर निर्णय के लिये शेष अभियोग	१६७

२७. दंड प्राप्त ९४७ अभियोगों में न्यायालयों द्वारा किये गये जुर्माने की रकम २१,६३५ रु० थी। प्रत्येक अभियोगों पीछे औसत से २० रु० जुर्माना हुआ। जुर्माने का औसत पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ अधिक है परन्तु यह अधिकता अधिनियम के अन्तर्गत एक बार से अधिक नियम उल्लंघन करनेवालों पर किए गये अधिक भारी जुर्मानों के कारण है।

२८. अधिनियम के कार्यान्वित होने के पश्चात् चलाए गये मुकदमों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया जा रहा है :—

४

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में विचारार्थ अभियोगों की संख्या	वर्ष में चलाये गये अभियोगों की संख्या	योग	निर्णीत अभियोगो की संख्या	दंडितो की संख्या	निर्दोषों की संख्या	वापस लिये गये अभियोगो की संख्या	न्यायालय द्वारा जमा किये गये अभियोगों की संख्या	कुल जुर्माना	वर्ष के अन्त में निर्णय के लिये शेष अभियोगों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१९४८	—	६६	६६	२३	२१	२	—	—	३४०	४३
१९४९	४३	३३४	३७७	२७२	२५२	११	७	२	४,०१२	१०५
१९५०	१०५	६२२	७२७	५६६	५२९	२५	५	७	७,३०७	१६१
१९५१	१६१	३८०	५४१	४४५	४३३	५	१	६	७,९३१	९६
१९५२	९६	६९३	७८९	५७३	५६२	८	—	३	८,५८९	२१६
१९५३	२१६	७६२	९७८	७६३	७३०	२३	१	९	१४,८३३	२१५
१९५४	२१५	९३३	११४८	९८१	९४७	१८	—	१६	२१,६३५	१६७

२९. **शिकायतें**—विचाराधीन वर्ष में निरीक्षकों को कुल १,७४२ शिकायतें प्राप्त हुईं। पिछले वर्ष इनकी संख्या १,८६६ थी। गत वर्ष से बची १२० शिकायतों को मिलाकर कुल योग १,८६२ हुआ। इनमें से १,७६० पर विचार किया गया और १०२ की सन् १६५४ के अन्त में जाँच हो रही थी। कुल शिकायतों में से ५५ प्रतिशत वेतन न देने, ३१ प्रतिशत गलत ढंग से नौकरी से अलग करने तथा शेष अन्य कारणों से सम्बन्धित हैं।

३०. निम्नलिखित तालिका में कानून के लागू होने के बाद से शिकायतों की प्रगति दिखलाई गई है :—

वर्ष	कुल शिकायतें
१६४८	१,४२०
१६४६	१,८८६
१६५०	१,६३४
१६५१	१,६५७
१६५२	१,७३८
१६५३	१,८६६
१६५४	१,७४२

३१. शिकायतों की संख्या में वृद्धि यह प्रकट करती है कि कर्मचारी धीरे धीरे कानून के अन्तर्गत प्राप्त अपने अधिकारों और लाभों के प्रति जागरूक हो रहे हैं।

३२. **छूट**—सरकार ने दो स्थायी छूटें दीं—(१) बैंकों को अर्धवार्षिक तथा वार्षिक हिसाब के लिए धारा ६, ८, १० और १२ से तथा (२) नैनीताल और मसूरी में होटलों, जलपान-गृहों और हलवाइयों को मौसम के समय धारा ८ तथा १२ से। यह छूट इन अवसरों पर बढ़े हुए काम को पूरा करने के लिए कुछ शर्तों के अधीन दी गई है। सत्रह अस्थायी छूटें भी सरकार ने कर्मचारियों तथा जनता को धार्मिक महत्व के नगरों में कुछ महत्वपूर्ण मेलों और त्योहारों के समय होनेवाली वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दीं।

३३. आलोच्य वर्ष में कानून की धारा ६ और १० के पालन की जाँच करने तथा उल्लंघनकर्ताओं पर शीघ्र निर्णायक अभियोग चलाने के लिये आकस्मिक निरीक्षण अभियानों का प्रबन्ध कानपुर, मथुरा और हाथरस में स्थानीय जिला तथा पुलिस अधिकारियों की सहायता से किया गया। ६२ अभियोगों में १,७४५ रुपये जुर्माना किया गया, जो औसत में २८ रुपया प्रति अभियोग होता है। इससे धारा ६ और १० के पालन में अच्छा प्रभाव पड़ा।

३४. कानून के कड़ाई के साथ पालन कराने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी

अनुभव में आईं। सरकार से उन त्रुटियों को दूर करने के लिए कानून और नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा गया है।

भारतीय ब्वायलर अधिनियम, १९२३

३५. इस कानून का प्रशासन मुख्य ब्वायलर निरीक्षक द्वारा ६ ब्वायलर निरीक्षकों की सहायता द्वारा होता है।

३६. विचाराधीन वर्ष में कुल १,५६३ निरीक्षण विभिन्न प्रकार के समस्त ब्वायलरों (जैसे लंकाशायर, वाटर ट्यूब, बर्टीकिल क्रास ट्यूब, कारनिस, लोकोटाइप, सिलिंड्रिकल, मल्टी ट्यूबुलर तथा मैनन टाइप) के किए गये। पिछले वर्ष इन निरीक्षणों की संख्या १,५६२ थी। १,३५,४११ रुपये की रकम प्रमाणीकरण तथा निरीक्षण शुल्क में प्राप्त हुई।

३७. **प्रमाणीकरण**—विचाराधीन वर्ष में २१ ब्वायलरों को प्रमाणित किया गया।

३८. **ब्वायलर्स का स्थानांतरण**—विभिन्न प्रकार के चौदह ब्वायलर राज्य में लाये गये और १७ अन्य राज्यों को स्थानांतरित किये गये।

३९. **अभियोग**—दो ब्वायलर स्वामियों पर भारतीय ब्वायलर्स अधिनियम, १९२३ के नियमों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप अभियोग चलाये गये।

भारतीय कारखाना अधिनियम, १९४८; वेतन भुगतान अधिनियम, १९३९; उ० प्र० मातृका हितलाभ अधिनियम, १९३८ तथा बाल नियोजन अधिनियम, १९३८

४०. उपर्युक्त सभी अधिनियमों का प्रशासन मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तर प्रदेश द्वारा होता है। इस कार्य में उनकी सहायता एक प्रति मुख्य कारखाना निरीक्षक और २० कारखाना निरीक्षक, जिनमें चिकित्सा निरीक्षक भी सम्मिलित हैं, करते हैं।

४१. कारखाना अधिनियम, १९४८ आलोच्य वर्ष में संशोधित किया गया और संशोधन ७ मई, सन् १९५४ से लागू कर दिये गये हैं।

४२. विचाराधीन वर्ष में १,२४० कारखानों ने अपने लाइसेंस फिर से नये कराये और लाइसेंस प्राप्त कारखानों में ३३ नये कारखानों की वृद्धि हुई। इस प्रकार सन् १९५३ के १,२५७ कारखानों की तुलना में इस वर्ष १,२७३ कारखानों ने लाइसेंस पाये। ४५६ कारखानों को लाइसेन्स नहीं दिये जा सके क्योंकि कुछ औपचारिक नियमों की पूर्ति शेष थी। इनके अतिरिक्त सरकार तथा स्थानीय संस्थाओं के ८२ कारखानों ने, जो अधिनियम के अन्तर्गत आ सकते हैं, लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं दिये। इस मामले को राज्य सरकार के पास भेजा गया है।

४३. उपर्युक्त कानूनों के अन्तर्गत कारखाने के निरीक्षकों द्वारा किए जानेवाले निरीक्षणों की कुल संख्या सन् १९५४ में ८,१३३ थी जब कि वह सन् १९५३ में ७,२८८ थी। ४९२ निरीक्षण बाल नियोजन अधिनियम, १९३८ के नियमों के भी अधीन किये गये।

४४. कुल मिलाकर कारखाने की इमारतों के ८८४ नक्शे, जिनमें इमारत बढ़ाने, बदलने आदि के भी थे, कारखानो के मुख्य निरीक्षक द्वारा प्राप्त किए गये। इनमें ४४ कैंटीन, विश्रामगृहो और शिशु-निवास के लिए थे।

४५. आलोच्य वर्ष में ७९० शिकायतें आईं। इनमें से ४३१ कारखाना अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत, २८९ वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत तथा ७० विभिन्न प्रकार की थी।

४६. कारखानों के विरुद्ध ५९६ अभियोग कारखाना अधिनियम, १९४८, वेतन भुगतान अधिनियम, १९३६ और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमो के अनुसार चलाये गये। इनमें से अब तक २११ अभियोगों का फैसला हो चुका है और इनमें से १८३ अभियोगो में दण्ड दिया गया है। ६६ अभियोग श्रमिकों को निर्धारित तिथि तक वेतन न देने के कारण चलाये गये।

४७. आलोच्य वर्ष में दुर्घटनाओं की कुल संख्या ७,८९१ थी। पिछले वर्ष ७,५६४ थी। इनमें से १४ सांघातिक और ७,८७७ असांघातिक थीं। निम्नांकित तालिका में उत्तरोत्तर वर्षों में दुर्घटनाओं की संख्या दिखाई गई है :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या		
	सांघातिक	असांघातिक	योग
१९४७	३३	५,३६२	५,३९५
१९४८	३६	६,२९०	६,३२६
१९४९	३२	६,७५०	६,७८२
१९५०	३४	७,०७९	७,११३
१९५१	२९	५,९७०	५,९९९
१९५२	३०	७,७३०	७,७६०
१९५३	२६	७,५३८	७,५६४
१९५४	१४	७,८७७	७,८९१

४८. कारखाना हितकारी अधिकारी नियम :—कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा ४९, जिसका सम्बन्ध कारखाना हितकारी अधिनियमों से है, १३४ कारखानो पर लागू है। इनमें से ११२ कारखानों में योग्यता-प्राप्त हितकारी अधिकारियो की नियुक्ति की गई है। शेष २२ कारखानो के मामले अभी विचाराधीन हैं। आलोच्य वर्ष में सरकार ने ५ व्यक्तियो को कारखाना हितकारी अधिकारी नियम, १९४९ के उप नियम ४ में निर्धारित एक या अधिक योग्यताओं से छूट दी।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८

४९. न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ की अनुसूची में कई कामो का उल्लेख

है, जिनके लिये कानून के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारित करना होता है। इस अनुसूची के भाग १ में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक व्यवसाय दिए गये हैं तथा भाग २ में कृषि तथा अन्य सम्बन्धित व्यवसाय शामिल हैं।

निम्नलिखित अनुच्छेद में सन् १९५४ में राज्य में न्यूनतम वेतन अधिनियम के औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में लागू करने का विवरण दिया गया है।

औद्योगिक नियोजन

५०. राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अनुसूचित उद्योगों में न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है :—

(१) चावल, आटा या दाल मिलें।

(२) किसी भी तम्बाकू (बीड़ी बनाने का कार्य भी शामिल है) का काम।

(३) बगीचों का काम, केवल देहरादून जिले में, सिनकोना, रबड़, चाय या कहवा के बाग।

(४) तेल मिलें।

(५) सड़क निर्माण या इमारत निर्माण।

(६) पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने का काम।

(७) लाख निर्माण का काम।

(८) सार्वजनिक मोटर परिवहन।

(९) स्थानीय स्वायत्त संस्थायें।

(१०) खाल कमाने और चमड़े के कारखाने।

५१. सरकार ने गाँव पंचायतों में भी सन् १९५४ में न्यूनतम वेतन महीने में काम के २६ दिनों के लिए २६ रुपया अथवा एक रुपया प्रतिदिन निर्धारित कर दिया है। अलमोड़ा और गढ़वाल जिलों में ऊन का काम करनेवाले, गलीचा बनानेवाले, शाल बुननेवाले तथा बगीचा लगानेवाले संस्थानों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ तथा न्यूनतम वेतन नियम, १९५२ के पालन से प्रारम्भ में मुक्त कर दिया गया था परन्तु इन दोनों प्रकार के व्यवसायों में भी न्यूनतम वेतन को निर्धारित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अभ्रक उद्योग में न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य भर में इस उद्योग में लगे हुए श्रमिकों की संख्या १,००० से अधिक नहीं है।

कानून पालन कराने के लिए कर्मचारी

५२. एक प्रति श्रमायुक्त पर कानून के पालन कराने का समग्र उत्तरदायित्व है। जहाँ तक औद्योगिक व्यवसायों का सम्बन्ध है, उनकी सहायता के लिये एक सहायक श्रमायुक्त तथा १५ पूर्णकालिक निरीक्षक राज्य के २८ महत्वपूर्ण नगरों के अधिकार-क्षेत्र में काम करते हैं। सात पूर्णकालिक वेतन सहायक भी इन निरीक्षकों की सहायता करते हैं। विभाग के अन्य अधिकारी जैसे प्रति श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, विशेष

कार्याधिकारी, प्रादेशिक तथा अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी भी वेतन निरीक्षक घोषित किये जा चुके हैं। समस्त सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेटों तथा जिलाधीशों को भी अपने सम्बन्धित सब डिवीजनों के न्यूनतम वेतन दरों से कम के भुगतानों के मामले की सुनवाई पर निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। विशेष कार्याधिकारी को कानून के कृषि व्यवसायों में पालन कराने को तात्कालिक उत्तरदायित्व दिया गया है।

५३. **निरीक्षण :—**आलोच्य अवधि में उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में नियुक्त वेतन निरीक्षकों ने अनुसूचित व्यवसायों में १५,२६५ निरीक्षण किये। इन निरीक्षकों द्वारा नियम उल्लंघन करनेवाले नियोजकों को ६,०१८ निरीक्षण-विवरण दिए गए। वेतन सहायक भी जनगणना के उद्देश्य से २,५२७ संस्थानों में गये।

५४. आलोच्य अवधि में निरीक्षित अनुसूचित व्यावसायिक संस्थानों की संख्या तथा उनमें काम करनेवालों की संख्या प्रत्येक अनुसूचित नियोजन के लिये अलग अलग नीचे दी गई है :—

अनुसूचित व्यवसाय	सम्बन्धित संस्थानों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या		
		पुरुष	स्त्री	बालक
१. चावल मिलें, आटा या दाल मिलें	१,७६४	३,३२५	१८०	६०
२. तम्बाकू बनाने (बीड़ी बनाने का कार्य भी शामिल है) का काम	२६२	४,६२६	५२५	३६६
३. बगीचों का काम (केवल देहरादून जिले में)	–	–	–	–
४. तेल मिलें	१५७	२,०५१	३२	२२
५. सड़क-निर्माण या इमारत-निर्माण	५६३	८,४७२	६१४	४७१
६. पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने का काम	२३	५८७	३	–
७. लाख का काम				
८. सार्वजनिक मोटर परिवहन	३५०	१,६०२	२	१०
९. चमड़ा कमाने तथा चमड़े का काम	५००	४,७१३		५
१०. स्थानीय स्वायत्त संस्थायें	४५	२३,५६०	१,६५१	३२

निरीक्षकों द्वारा निकाले गये आदेशों का पालन

५५. वर्ष में निरीक्षकों द्वारा पकड़े गये कानून और नियम के उल्लंघनों तथा नियोजकों द्वारा उनके पालन की संख्या निम्न प्रकार है :—

						उल्लंघन	पालन
उत्तर प्रदेश न्यूनतम वेतन नियम १९५२ के							
१.	नियम २१	के	साथ	पठित धारा	१२	२१८	१४७
२.	,, २२	,,	,,		१८ (२)	३,१८८	१,५८०
३.	,, २३	,,	,,		१३ (ब)	२,२१३	७७९
४.	,, २४	,,	,,		१३ (अ)	१,०१२	६०२
५.	,, २६	,,	,,		१८	४,४६६	२,६६६

५६. अभियोगः आलोच्य वर्ष में नियम २६ के साथ पठित धारा १८ के उल्लंघन करनेवाले नियोजकों के विरुद्ध ८ अभियोग चलाये गये। २ नियोजकों पर ५० रु० से १०० रुपये तक जुर्माना किया गया।

कृषि व्यवसाय

५७. इस राज्य में न्यूनतम वेतन दरें न्यूनतम क्षेत्र के सभी १२ जिलों अर्थात् (१) बाँदा (२) हमीरपुर (३) जालौन (४) बाराबंकी (५) फैजाबाद (६) आजमगढ़ (७) बलिया (८) गाजीपुर (९) जौनपुर (१०) सुलतानपुर (११) प्रतापगढ़ और (१२) रायबरेली में ५० एकड़ या उससे अधिक के संगठित फार्मों में, जिनकी संख्या १०६ है, न्यूनतम वेतन दरें लागू की गई हैं। सन् १९५४ में इन फार्मों में और कोई संख्या-वृद्धि नहीं की गई।

५८. पालन करानेवाले कर्मचारी—जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है, निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों के प्रशासन का उत्तरदायित्व विशेष कार्याधिकारी पर है। उनको सहायता देनेवाले ३ कनिष्ठ वेतन निरीक्षक हैं, जो कानपुर, फैजाबाद और प्रतापगढ़ में नियुक्त हैं।

५९. निरीक्षणः—आलोच्य वर्ष में ३ कनिष्ठ वेतन निरीक्षकों ने २०६ और विशेष कार्याधिकारी ने २० निरीक्षण किए। इन निरीक्षणों से ज्ञात हुआ कि कई मामलों में अनियमिततायें की जा रही हैं, परन्तु उसका कारण कानून के जानबूझ कर उल्लंघन करने के प्रयास की अपेक्षा कानून की अनभिज्ञता अधिक प्रतीत होती है।

६०. फार्म स्वामियों के विरुद्ध ५ अभियोग उत्तर प्रदेशीय न्यूनतम वेतन नियम २६ के साथ पठित धारा १८ के अन्तर्गत अर्थात् निर्धारित रजिस्टर न रखने आदि के फलस्वरूप चलाये गये। इन मुकदमों पर सम्बन्धित न्यायालयों में अभी निर्णय होना शेष है।

६१. दिसम्बर २८ सन् १९५४ की सरकारी अधिसूचना संख्या २८६० एल. एल. ३५ (बी) ४३६ (एल. एल) । १९५२ के अनुसार राज्य सरकार ने अलमोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी जिलों को छोड़कर न्यूनतम वेतन क्षेत्र के सभी फार्मों, खेती के कामों और ५० एकड़ या इससे अधिक बड़े फार्मों के लिये सन् १९५४ में न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित कर दी हैं। यह सरकारी आदेश २८ मार्च, १९५५ से न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ की धारा ५ (ब) के अनुसार लागू होगा। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलाधीश से प्रार्थना की गई है कि वह अपने जिले के खेतों की संख्या, जिनका क्षेत्रफल ५० एकड़ से अधिक है, भेज दें।

अध्याय ४

उत्तर प्रदेश में कर्मचारी प्रावीडेण्ट फंड योजना

कामकरों की प्रावीडेण्ट फण्ड योजना भारत सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर सन् १९५२ के अंत में प्रारम्भ की थी। उसे लागू हुये अब दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। सन् १९५४ में योजना के प्रशासन ने संतोषजनक प्रगति की है। योजना का प्रशासन केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय न्यासधारी मण्डल (सेण्ट्रल बोर्ड आफ़ ट्रस्टीज) की सहायता से कर रही है। भविष्य में उसका प्रबन्ध राज्य सरकारों को सौंपे जाने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश में योजना के प्रशासन की प्रगति

२. सन् १९५२ के कर्मचारी प्रावीडेण्ट फण्ड अधिनियम में, जिसके अन्तर्गत योजना बनाई गई है, उन कारखानों को अधिनियम और योजना से मुक्त रखने की व्यवस्था की गई है, जो अपनी स्वयं की प्रावीडेण्ट फण्ड योजना चला रहे हैं और जो सरकारी योजनाओं की व्यवस्थाओं के अनुकूल अथवा उससे अधिक लाभकारी है। सन् १९५३ में ३४ कारखानों ने इस योजना से मुक्त रहने के लिये प्रार्थनापत्र दिये। इनमें से २१ को कर्मचारी प्रावीडेण्ट फण्ड अधिनियम की धारा १७ (१) (अ) के अन्तर्गत अस्थायी तौर पर छूट दी गई। सन् १९५४ में तीन कारखानों–१. मेसर्स अग्रवाल आयरन कम्पनी, आगरा, २. मेसर्स महेश्वरी देवी जूट मिल्स लि०, कानपुर और ३. मेसर्स म्योर मिल्स कं० लि०, कानपुर—को दी गई छूट वापस ले ली गई क्योंकि उन्होंने उन शर्तों का पालन नहीं किया, जिनके अन्तर्गत छूट दी गई थी। महेश्वरी देवी जूट मिल्स की छूट इसलिये वापस ले ली गई कि उसने स्वेच्छा से अपनी योजना को कर्मचारी प्रावीडेण्ट फण्ड की सरकारी योजना को सौंप दिया। सन् १९५४ में केवल एक कारखाने को छूट दी गई। इस प्रकार सन् १९५४ में १९ कारखाने कर्मचारी प्रावीडेण्ट फंड योजना से मुक्त रहे। निम्नलिखित तालिका में सन् १९५३ और ५४ में योजना को माननेवाले तथा छूट पानेवाले कारखाने उद्योगों के अनुसार दिये गये हैं :—

तालिका १

क्रम संख्या	उद्योग	कारखानों की संख्या	चंदा देनेवालों की संख्या	कारखानों की संख्या	चंदा देने-वालों की संख्या
१	२	३	४	५	६
			१९५३		१९५४
१.	सीमेंट	.	.	.	.
२.	सिगरेट	.	.	.	.

१	२	३	४	५	६
३.	विद्युत् यंत्र एवं सामान्य इंजीनियरिंग	४	५४०	५	१,०२२
४.	लोहा और इस्पात	२	५६७	१	५४०
५.	कागज	१	६२२	१	७१६
६.	वस्त्र	१४	२७,१४०	१२	२२,२५३
	योग	२१	२८,८६६	१६	२४,५३१

३. इन अस्थायी रूप से मुक्त किये गये कारखानों में एकत्रित कुल रकम २७,७८,४६३ रुपया ८ आना हुई है, जिसमें से १८,१२,२५० रुपया १५ आना ६ पाई की रकम गवर्नमेंट सिक्योरिटियों में जमा की गई। प्रारम्भ में इन कारखानों को कर्मचारियों के प्रावीडेण्ट फण्ड अधिनियम, १९५२ की धारा १७ (१) (अ) के अंतर्गत अस्थायी तौर पर मुक्त किया गया था। इस बात की बड़ी सावधानी रखी जाती है कि कोई किसी ऐसे कारखाने को स्थायी रूप से मुक्त करने की सिफारिश न की जाय, जो अपनी ही प्रावीडेण्ट फण्ड योजना के उत्तरदायित्वों को निरन्तर निभाने में आर्थिक दृष्टि से सबल नही है।

४. छूट पानेवाले कारखानों के समय-समय पर निरीक्षण के लिये व्यवस्था की गई है और यह प्रयत्न किया जाता है कि ऐसे प्रत्येक कारखाने का ६ महीने में एक बार निरीक्षण कर लिया जाय। इन कारखानों के चंदा देनेवालों के हितों की रक्षा की प्रत्येक सावधानी रखी जाती है और इस बात का प्रबन्ध किया जाता है कि कम्पनी की योजना से उनको मिलनेवाले लाभ की मात्रा यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम कर्मचारियो की बीमा यजना के सदस्यों को प्राप्त होनेवाले लाभ के सामान ही हो।

५. कर्मचारियों की प्रावीडेण्ट फण्ड योजना के अनुच्छेद २७ और २७ अ के अन्तर्गत कम्पनी के प्रावीडेण्ट फण्ड योजनाओ के सदस्य बने रहने के लिये विकल्प से बाहर से होनेवालों की संख्या ३९७ है। इस प्रकार के विकल्प की छूट किसी कर्मचारी को अथवा कर्मचारियों के वर्ग को तभी दी जाती है जब कि कम्पनी की योजना में चंदा-सम्बन्धी व्यवस्था सरकारी अधिनियम तथा योजना के अनुकूल होती है अथवा उससे अधिक लाभकारी होती है। ऐसे कर्मचारी रखनेवाली कम्पनियों के विवरण पत्र भेजने के लिये आदेश दिये जाते हैं, निरीक्षण शुल्क देना पड़ता है और ऐसे चन्दादाताओं के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा १७ (१) (अ) के अन्तर्गत छूट पानेवाले अन्य कारखानों के समान गवर्नमेंट सिक्योरिटियों में रुपया जमा करना पड़ता है।

६. आलोच्य वर्ष में कर्मचारी प्रावीडेण्ट फण्ड योजना के अन्तर्गत आनेवाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई है। जिन कारखानो पर योजना लागू है, उनकी कुल संख्या ९१ थी। पिछले वर्ष यह संख्या ८१ थी। निम्नलिखित तालिका में सन् १९५३ और १९५४ में योजना के अन्तर्गत आनेवाले कारखानो तथा सदस्यों की संख्या उद्योगानुसार दिखाई गई है :—

तालिका २

क्रमसंख्या	उद्योग का नाम	१९५३ कारखानों की संख्या	१९५३ सदस्यों की संख्या	१९५४ कारखानों की संख्या	१९५४ सदस्यों की संख्या
१.	सीमेंट				
२.	सिगरेट	१	२,०७३	१	२,०६३
३.	विद्युत् यन्त्र एवं सामान्य इंजीनियरिंग	१४	१,९९९	४५	२,४४७
४.	लोहा और इस्पात	१३	१,१९३	१४	१,२१४
५.	कागज	३	१,०१४	३	१,४२०
६.	वस्त्र	२३	३५,६३२	२८	४५,५५९
	योग	८१	४१,९११	९१	५२,७०३

७. कर्मचारियों की बीमा योजना के अनुच्छेद ३८ के अंतर्गत नियोजक तीन सौ रुपया प्रतिमास पानेवाले सदस्यों के मूल वेतन से सवा छः प्रतिशत के हिसाब से चंदा काट लेते हैं और इस प्रकार काटी गई कुल रकम उसी के बराबर नियोजक के चंदा सहित इंपीरियल बैंक आफ इंडिया की सबसे निकटवर्ती शाखा में आगामी महीने की १५वीं तिथि तक जमा कर दी जाती है। नियोजकों को अपने तथा कर्मचारियों के चंदे के योग का ३ प्रतिशत और योजना के प्राशासनीय व्यय के लिये देना पड़ता है। छूट पाने वाले कारखानों को भी नियोजकों तथा कर्मचारियों के चंदे के योग का ३।४ प्रतिशत निरीक्षण शुल्क निरीक्षण तथा अधीक्षण के व्यय के लिये देना पड़ता है। आलोच्य वर्ष में तत्सम्बन्धी विभिन्न प्राप्तियाँ निम्न प्रकार हैं :—

तालिका ३

क्रमसंख्या	मास	चंदा	प्रशासकीय शुल्क	निरीक्षण शुल्क
१	२	३	४	५
		रु० आ० प०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
१.	जनवरी	३,७६,८३९-७-०	११,३०३-८-३	२,४६८-३-९
२.	फरवरी	६,०१,९३३-०-०	११,७९३-१०-०	२,८३२-०-०
३.	मार्च	४,८०,६३३-९-०	२२,०४१-७-३	३,७४५-३-९
४.	अप्रैल	४,१५,४२२-१४-०	१४,८५७-०-०	२,४२८-०-०
५.	मई	४,१३,३९९-४-०	९,४१४-०-६	३,०२४-१५-३
६.	जून	४,८५,१२५-११-६	१४,९०७-३-९	२,७६१-१२-९
७.	जुलाई	३,६२,०११-१०-०	१०,९४४-४-६	२,३८५-३-६
८.	अगस्त	२,९३,३६६-५-०	८,८६६-१५-९	२,३९५-१-९

१	२	३	४	५
६.	सितम्बर	५,३५,६७८-१-६	१५,६००-१०-६	२,१७२-१३-६
१०.	अक्टूबर	४,०२,३३०-७-०	११,८६७-५-०	२,२८८-१५-०
११.	नवम्बर	३,८६,६४२-६-०	११,८३३-१-६	२,२१३-२-६
१२.	दिसम्बर	२,७६,११२-६-०	८,५५०-२-६	२,३०६-६-६
	योग	५०,३३,६५-०-०	१,५१,६७६-६-०	३१,०२५-७-०

८. चंदों एवं प्रशासकीय शुल्कों के क्रमशः ४,६०,५६३ रु० ८ आ० तथा १४,७२२ रु० १४ आ० ६ पा० शेष हैं। कानपुर के बाहर के तीन बड़े सूती कारखाने सबसे बड़े दोषी हैं। उन्होंने सन् १९५२ से अब तक कोई रकम भुगतान नहीं की है। परन्तु उनसे रुपया वसूल करने के लिये सभी सम्भव कार्यवाही की गई हैं; यदि कारखाना एक महीने की गलती करता है तो नोटिस दी जाती है। यदि दो महीने की देर होती है तो कर्मचारी प्रावीडेण्ट फण्ड अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत बाकी रकम को वसूल करने की कार्यवाही की जाती है। यदि कारखाना लगातार तीन महीने तक दोषी होता है तो कर्मचारी प्रावीडेन्ट फन्ड योजना के अनुच्छेद ७६ के साथ पठित धारा १४ के अन्तर्गत अभियोग चलाया जाता है। इस समय प्रावीडेण्ट फण्ड की रकम के शेष की वसूली के लिये १० अभियोग चल रहे हैं। दोषी कारखानों पर विभिन्न जिलों में सात अभियोग चलाए गए हैं। उनमें से एक अभियोग भारतीय दण्ड विधान की धारा ४०९ के साथ पठित धारा ४०६ के अन्तर्गत अपराधपूर्ण विश्वासघात के फलस्वरूप चलाया गया है। प्रावीडेण्ट फंड की रकम जमा करने में देर होने से फंड की आय की हानि होती है और उससे सदस्यों से मिलनेवाले ब्याज की हानि होती है। इसलिये कर्मचारी प्रावीडेण्ट फण्ड संशोधन अधिनियम, १९५३ की संशोधित धारा १४ (ब) के अन्तर्गत देर से किये जानेवाले सभी भुगतानों पर अधिकतम क्षति २५ प्रतिशत तक वसूल की जाती है। प्रावीडेण्ट फण्ड के रुपये के जमा करने में देर होने से सदस्यों के दावों के भुगतान में भी रुकावट पड़ती है और उन्हें अकारण कठिनाई होती है।

९. संगृहीत चन्दे को शीघ्रता से जमा करने के लिये रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया, बम्बई के साथ आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है। संगृहीत चन्दों के ९८ प्रतिशत को सप्ताह में दो बार रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया, कानपुर से रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया, बम्बई को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह कार्यवाही इसलिये की गई है कि उससे प्रावीडेण्ट फण्ड की रकम शीघ्र जमा हो जायगी और फण्ड की आय बढ़ेगी। इससे केन्द्रीय न्यास मडल (सेण्ट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज़) फण्ड के सदस्यों को अच्छी दर से ब्याज देने के लिये सिफारिश करने में समर्थ हुआ है। निम्नलिखित तालिका से जनवरी सन् १९५४ से दिसम्बर सन् १९५४ तक रुपया जमा करने की स्थिति ज्ञात होगी :—

मास	चंदा			जमा हुई रकम		
३१-१२-५३	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
की रोकड़ बाकी	३.३६,६७५	५	६			
जनवरी	३,७६,८३६	७	०	३,१३,२७६	१५	५
फरवरी	६,०१,६३३	०	०	२,८६,३१५	१३	४
मार्च	४,८०,६३३	६	०	५,४६,३६५	६	४
अप्रैल	४,१५,४२२	१४	०	४,८६,४१४	२	४
मई	३,१३,३६६	४	०	८,७५,६५०	१५	६
जून	४,८५,१२५	११	६	४,८०,८१६	४	६
जुलाई	३,६२,०११	१०	०	३,६७,६१८	४	६
अगस्त	२,६३,३६६	५	०	२,६५,३०८	०	०
सितम्बर	५,३५,६७८	१०	६	५,३०,५२६	०	०
अक्टूबर	४,०२,३३०	७	०	४,००,२४२	०	०
नवम्बर	३,८६,६४२	६	०	३,८२,८६३	०	०
दिसम्बर	२,७६,११२	६	०	२,८८,२४७	०	०
योग	५३,६६,७७०	६	६	५२,५६,६७४	१	४

१०. प्रावीडेण्ट फण्ड के सदस्यों के फण्ड का हिसाब-किताब कार्यालय के लेखा उप-विभाग में यांत्रिक प्रणाली से रखा जाता है। उसका कर्तव्य चंदों तथा प्रशासकीय शुल्क के हिसाब की प्राप्तियों की जाँच करना, सदस्यों के प्रावीडेण्ट फण्ड का हिसाब रखना, हिसाब के वार्षिक विवरण देना तथा उनके दावों का फैसला करना होता है। तालिका २ में दिखाया गया सदस्यों का हिसाब-किताब खोल दिया गया है और उसमें अब महीने-महीने का हिसाब लिखा जाता है। ३१ मार्च सन् १६५४ को समाप्त होनेवाले वर्ष का हिसाब ३० सितम्बर को बन्द कर दिया गया, जो भारत सरकार द्वारा लेखा विवरण के प्रयोजन के लिये अंतिम निर्धारित तिथि थी। लेखे के विवरण मेसर्स जान मिल्स, आगरा के अतिरिक्त, जिन्होंने अभी तक प्रावीडेण्ट फण्ड की रकमें जमा नहीं की हैं, और सब सदस्यों के पास भेज दिये गये हैं। सदस्यों के हिसाब में जोड़े जानेवाले ब्याज की दर सन् १६५३-५४ के लिये भारत सरकार द्वारा ३ प्रतिशत घोषित की गई है।

११. त्यागपत्र, छँटनी, पदच्युति के फलस्वरूप काम छूटने पर फण्ड के सदस्यों द्वारा अथवा उनकी मृत्यु की अवस्था में उनके पूर्व निर्देशित उत्तराधिकारियों द्वारा किये गये दावों का लेखाधिकारी शीघ्रता से निर्णय कर देते हैं। यदि दावा हर प्रकार से पूरा होता है तो उसके १० दिन के भीतर तय हो जाता है और रुपया देने के लिये प्रादेशिक कार्यालय को अधिकार पत्र भेज दिया जाता है, जो भुगतान करता है। इस्तीफा या पदच्युति के मामले में दावे का भुगतान तीन महीने की प्रतीक्षा की अवधि के पश्चात् किया जाता है। सामूहिक छँटनी, अवकाश-प्राप्ति, वृद्धावस्था, की आयु, मृत्यु अथवा

किसी उद्योग में सेवा करने से स्थायी और पूर्ण आवश्यकता होने पर दावे का भुगतान तुरन्त कर दिया जाता है। कर्मचारियों की बीमा योजना में सदस्यों को अपने ही चंदे से ऋण लेकर अपने जीवन बीमा में रुपया लगाने के लिये अग्रिम धन के रूप में देने की भी व्यवस्था है। श्रमिकों के हित की रक्षा इस प्रकार की जाती है कि उन्हे नई जीवन बीमा पालिसी लेने के लिये अग्रिम धन तभी दिया जाता है जब उनके नाम से फण्ड में इतना पर्याप्त रुपया होता है कि पालिसी पूरे होने तक वे उसे चालू रखने में समर्थ हों।

१२. निम्नलिखित तालिका से निर्णीत दावों तथा उनके भुगतान की संख्या और जीवन बीमा कराने के लिये दिये गये ऋण की संख्या तथा सन् १९५४ में अग्रिम दी गई रकम का पता चलता है :—

तालिका ५

मास	अंतिम निर्णीत दावे				जीवन बीमा कराने के लिये दिये गये अग्रिम			
	दावों की संख्या	धनराशि			अग्रिमों की संख्या	धनराशि		
		रु०	आ०	पा०		रु०	आ०	पा०
जनवरी	४३	३,५१४	१४	०	१८	२,१३१	८	०
फरवरी	५८	३,७५५	१४	०	१३	१,४२३	१३	०
मार्च	६७	११,०१२	६	०	२१	१,८५९	०	०
अप्रैल	१७३	३४,२६७	५	०	९	८४०	४	०
मई	९८८	१,५०,१५१	३	०	५	४१८	१२	०
जून	७६	७,३५३	९	०	६	५३९	४	०
जुलाई	११८	१४,५८५	९	०	११	१,०८१	१२	०
अगस्त	७७	९,३४९	२	०	२३	१,६०१	४	०
सितम्बर	७४	८,१६०	१०	०	१३	१,०८४	०	०
अक्टूबर	११८	१७,८८९	१४	०	५	२५४	०	०
नवम्बर	१८३	२९,३०९	९	०	५१	३,५१४	०	०
दिसम्बर	१६२	२१,७२४	११	०	४७	२,९५६	१२	०
योग	२,१३७	३,११,०७४	१०	०	२२२	१७,७०४	५	०

१३. **प्रादेशिक समिति** :—कर्मचारियों की प्रावीडेण्ट फण्ड योजना १९५२ के अनुच्छेद ४ के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्मित प्रादेशिक समिति की पहली बैठक २० अप्रैल सन् १९५४ को उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग के सचिव श्री कुलदीपनारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई। उसमें निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया :—

(१) राज्य बोर्ड के कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तें

(२) लेखा का विकेन्द्रीकरण

(३) यांत्रिक बनाम हस्तलेखा

(४) सन् १६५४ में फण्ड के प्रशासन का विकेन्द्रीकरण
(५) कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा
(६) अधिनियम तथा योजना के महत्वपूर्ण उपबन्धों का प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन

बोर्ड ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय किये :—

(१) इस बात पर बल दिया गया कि लेखा की यांत्रिक प्रणाली को स्वीकार किया जाय। सब सदस्य इस पर सहमत हुये।

(२) समिति ने निश्चय किया कि अधिनियम तथा योजना की प्रमुख बातों का उल्लेख करते हुये सरल हिन्दी और उर्दू में लघु पुस्तिकाएँ प्रकाशित कराई जाँय।

१४. योजना के दो वर्षों के प्रशासन में कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया गया। उनको हटाने तथा कुछ त्रुटियों को ठीक करने के लिये कर्मचारी प्रावीडेण्ट फण्ड अधिनियम का सन् १६५३ में समुचित रूप से संशोधन कर दिया गया और योजना के संशोधन भी पूरे किये जा रहे हैं। आलोच्य अवधि में केन्द्रीय न्यास मंडल (सेण्ट्रल बोर्ड आफ़ ट्रस्टीज़) की दो बैठकें दिल्ली में और प्रादेशिक प्रावीडेण्ट फण्ड आयुक्तों एवं लेखाधिकारियों की एक बैठक मैसूर में हुई। केन्द्रीय प्रावीडेण्ट फण्ड आयुक्त, दिल्ली ने प्रादेशिक तथा लेखा कार्यालयों का दो बार निरीक्षण किया।

———

अध्याय ५

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा भारत में व्यापक ढंग के सामाजिक बीमा की प्रथम योजना है। योजना का उद्घाटन कानपुर में २४ फरवरी, सन् १९५२ को प्रधानमंत्री पं० नेहरू ने किया। पिछले तीन वर्षों से उसका काम संतोषजनक ढंग से चलता रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८, जिसके अन्तर्गत यह योजना बनाई गई है, औद्योगिक श्रमिकों की बीमारी, प्रसूतिका तथा काम करते समय चोट लगने की दशा में सुरक्षा का प्रबन्ध करता है। अन्ततः जब योजना का विस्तार पूरे देश में कर दिया जायगा तो उससे २५ लाख श्रमिकों को लाभ होगा, जो साल भर चालू रहनेवाले तथा उन कारखानों में काम करते हैं जहाँ शक्ति का प्रयोग किया जाता है और २० या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं :—

२. योजना के अन्तर्गत मजदूर जिन विभिन्न प्रकार के हितलाभों के पाने के अधिकारी हैं, उनका विवरण नीचे दिया जाता है :

हितलाभ का नाम	हितलाभ का विवरण
चिकित्सा सम्बन्धी हितलाभ	(१) राज्य बीमा चिकित्सालयों में बाहरी रोगियों के उपचार के रूप में चिकित्सा सेवा। (२) अस्पताल में निःशुल्क भरती तथा निःशुल्क खाने-पीने का प्रबन्ध। (३) औषधियों और मरहमपट्टी की निःशुल्क व्यवस्था। (४) बीमायुक्त श्रमिक स्त्रियों की प्रसव के पूर्व तथा प्रसव के उपरान्त सेवा। (५) श्रमिक स्त्रियों की प्रसव-काल में परिचर्या। (६) टीका और सुइयों द्वारा रोगनिरोधक उपचार। (७) बीमारी, प्रसूतिका, काम पर चोट लगने और मृत्यु के समय निःशुल्क प्रमाणपत्र देना।

	(८) बीमायुक्त मजदूर के चिकित्सालय न आ सकने पर बीमा के डाक्टरों का उसी के घर पर जाकर देखना।
बीमारी हितलाभ	(१) बीमायुक्त-व्यक्तियों की प्रमाणित बीमारी के लिए दैनिक मजदूरी के लगभग आधे की दर से सावधिक भुगतान। (२) इस प्रकार के भुगतान ३६५ दिनों की लगातार अवधि के भीतर ५६ दिनों से अधिक के लिए न होंगे।
मातृका हितलाभ	बीमायुक्त प्रसूता को १२ सप्ताह के लिए, जिसमें से प्रसव के पूर्व-अधिक से अधिक ६ सप्ताह हो सकते हैं, १२ आना प्रतिदिन अथवा उसकी दैनिक मजदूरी का आधा जो भी अधिक हो, उसके बराबर भुगतान।
काम के समय चोट लगने पर बिकलांगता हितलाभ	(क) अस्थायी विकलांगता के लिए जब तक अस्थायी विकलांगता रहती है तब तक औसत दैनिक मजदूरी के आधे के बराबर सावधिक नकद भुगतान। (ख) स्थायी विगलांगता के लिए (१) पूर्ण विकलांगता के लिए औसत दैनिक मजदूरी के आधे की दर से आजीवन पेंशन। (२) आर्थिक विकलांगता होने पर विकलांगता की मात्रा के अनुपात से आजीवन पेंशन।
आश्रित हितलाभ	(१) बीमायुक्त हुए व्यक्ति की काम पर चोट के कारण मृत्यु होने पर आश्रितों का सावधिक नकद भुगतान। (२) मृतक की बिधवा अथवा विधवाओं को आजीवन अथवा पुनर्विवाह तक पेंशन। (३) १५ वर्ष शिक्षा पाते हों तो १८ वर्ष की आयु तक बच्चों को पेंशन।

(४) विधवा अथवा विधवाओं एवं बच्चों को दी जानेवाली पेंशन की कुल रकम मृतक की औसत दैनिक मजदूरी की आधे से अधिक न होगी।

कानपुर में योजना की प्रगति

३. उपर्युक्त पाँच हितलाभों में से तीन अर्थात् चिकित्सा, विकलागता और आश्रित हितलाभ श्रमिकों की योजना के कार्यान्वित होने की तिथि से अर्थात् २४ फरवरी, सन् १६५२ से ही मिलने लगे, परन्तु बीमारी तथा मातृका हितलाभ, जिनके संबन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम के अन्तर्गत चंदे-सबन्धी कुछ शर्तें रखी गयी हैं, सर्वप्रथम २३ नवम्बर सन् १६५२ को अर्थात् योजना कार्यान्वित होने के लगभग ६ महीने के बाद से प्राप्त होने लगे।

बीमा हुए व्यक्तियों का प्रमाणीकरण

४. कानपुर में योजना के लागू होने पर प्रत्येक बीमा किए जाने योग्य श्रमिक के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सूचना-संग्रह करना आवश्यक हुआ। यह सूचना एक घोषणा-प्रपत्र मे प्रत्येक मालिक को अपने प्रत्येक मजदूर के सम्बन्ध में उससे काम कराने के पूर्व भरनी होती है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत सन् १६४५ में श्रमिकों के प्रमाणीकरण की प्रगति का पता नीचे लिखे आँकड़ों से मिलेगा :—

मास	प्रमाणीकरण		अपमार्जन (कैंसिलेशन)		कुल वृद्धि	मास के अन्त में प्रमाणीकरण का कुल योग
	सख्या	सामान्य संख्या का प्रतिशत	संख्या	सामान्य संख्या का प्रतिशत		
१	२	३	४	५	६	७
दिसम्बर						
१६५२ तक	१,१०,६१०	—	१,६६४	—	१०६,३२६	१,०६,३२६
१६५३ में	२७,२६४	३२.१०	१,६६३	१·६६	२५,५७१	१,३४,८६७
१६५४						
जनवरी	१,६६२	२.३५	४७	·०६	१,६६४	१,३६,८४३
फरवरी	१,६७०	१.६६	५३	·०७	१,६१७	१,३८,४६०
मार्च	१,६२७	१·६२	३५	·०४	१,५६२	१,४०,०५२
अप्रैल	२,४८७	२·६३	४६	·०६	२,४४१	१,४२,४६३
मई	२,८१७	३·३१	१८	·०२	२,७६६	१,४५,२६२
जून	२,७५२	३·२४	५८	·०७	२,६६४	१,४७,६८६
जूलाई	३,१००	३·६५	२०	·०२	३,०८०	१,५१,०६६
अगस्त	२,०३५	२·४०	८८	·१०	१,६४७	१,५३,०१३

१	२	३	४	५	६	७
सितम्बर	२,१५१	२·५३	२५	·०३	२,१२६	१,५५,१३६
अक्टूबर	१,५६०	१·१५	१००	·०६	१,४६०	१,५६,६२६
नवम्बर	२,०७८	१·३१	१४१	·०६	१,६३३	१,५८,५६२
दिसम्बर	२,१६०	१·३६	६८	·०५	२,०६२	१,६०,६५४
योग	२६,४१०	२८·११	७३३	·०६७	२५,७५७	१,६०,६५४

५. अभी तक कुल बीमा हुए प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या १,६४,६४४ है और कुल अपमार्जनों की संख्या ४,०६० है। इस प्रकार बीमा हुए लोगों की कुल संख्या लगभग १,६०,६५४ होती है जबकि कानपुर के जिन कारखानों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू है, उनमें काम करनेवालों की सामान्य संख्या ८५ हजार है। अस्थायी और स्थानापन्न श्रमिकों की भी गिनती की जाय तो स्थिर रूप से बीमा हुए व्यक्तियों की संख्या लगभग १ लाख २० हजार अानुमानित की जाती है। परन्तु कुछ मजदूरों के एक से अधिक बार प्रमाणित होने के अथवा काम बदलने के कारण और बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाले उद्योगों से अलग हो जानेवाले व्यक्तियों को पृथक् रखने के लिए उपर्युक्त व्यवस्था न होने के कारण बीमा हुए व्यक्तियों की कुल शुद्ध संख्या सामान्यतः काम में लगी हुई संख्या से अनुपात में अपेक्षाकृत अधिक प्रतीत होती है। दुहरे प्रमाणीकरण तथा उन व्यक्तियों को अलग रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, जो योजना के अन्तर्गत अब बीमायुक्त नहीं रहे।

राज्य बीमा चिकित्सालयों का कार्य

६. अब कानून के अंतर्गत चिकित्सा हितलाभ का प्रशासन राज्य सरकार को सौंपा गया है। उसने इस निमित्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (सामाजिक बीमा) प्रति निदेशक, उत्तर प्रदेश, की नियुक्ति की है। उनका कार्यालय कानपुर में है। कानपुर में मजदूर क्षेत्रों की सघनता के आधार पर चिकित्सा हितलाभ पहुँचानेवाले १३ चिकित्सालय इस प्रकार खोले गये हैं, जिससे नगर के विभिन्न भागों में रहनेवाले श्रमिकों के निवासस्थान के पास ही कोई न कोई चिकित्सालय हो :—

क्रमसंख्या	चिकित्सालय का नाम	स्थान	३० ६-५३ को बीमा हुये व्यक्तियों की संख्या	बीमा चिकित्सा अधिकारी	कम्पाउण्डर	अन्य कर्मचारी
१	२	३	४	५	६	७
१.	जाजमऊ	श्री काशीनाथ भल्ला का स्थान, जाजमऊ (कानपुर) श्रम हितकारी केन्द्र के समीप	३,७७२	१	२	४

१	२	३	४	५	६	७
२.	मीरपुर	२१, खपरा मोहाल, कानपुर	३,६४४	२	३	७
३.	पटकापुर	२६।१०३ बिरहाना रोड, एलगिन मिल्स एजेन्सी, कानपुर के सामने	८,१२२	२	२	४
४.	लाटूशरोड	७८।४२, लाटूशरोड, कैपिटल टाकीज कानपुर के पास	८,१६८	२	२	७
५.	रेल बाजार	३०५ए०, सरकार रोड, कानपुर	६,७८५	२	२	७
६.	डिप्टी का पड़ाव	८६/३३४, देवनगर, कानपुर	७,७६३	३	३	७
७.	जूही	८५/७१ अफीम की कोठी, कानपुर	२०,६६६	६	६	७
८.	गोविन्दनगर	ब्लाक नं० ६ में एक शेड, गोविन्दनगर	१,६४१	१	१	४
९.	दर्शनपुरवा	चाय की दूकानवाला भवन, जे० के० जूट मिल्स, दर्शनपुरवा, कानपुर के सामने	२१,७२७	६	५	७
१ .	चमनगंज	८८/३६२, नवाबगंज, कानपुर	१५,६७६	५	५	७
११.	नवाबगंज	२/२२८, नवाबगज, कानपुर	५,०६८	२	२	४
१२.	रामबाग	१०४-ए/१ रामबाग, रेलवे फाटक के पास, कानपुर	१२,७४६	३	३	७
१३.	ग्वालटोली	१४/५,ग्वालटोली, न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर के सामने	२०,४०३	६	६	७
१४.	चल-चिकित्सालय 'अ'		१,४१५	१	१	२
१५.	,, 'ब'		१,२७४	१	१	२

संक्षेप मे इस समय चिकित्सा कर्मचारियों में ४३ डाक्टर हैं, जिनमें एक महिला डाक्टर है और १० दाइयाँ तथा ४४ कम्पाउण्डर हैं। मोटे तौर पर हर २,५०० बीमा हुए व्यक्तियो के लिए एक चिकित्साधिकारी है। आगे की तालिका सन् १९५४ में कानपुर में श्रमिक बीमा चिकित्सालयों के कार्य का दिग्दर्शन कराती है :—

महीना	कुल उपस्थिति	औसत दैनिक उप-स्थिति	घर पर जाकर देखने की संख्या	दुर्घटनाओं की संख्या जिनमें परिचर्या हुई	टी० बी० रोगियों की संख्या जिनकी परिचय हुई	अस्पतालों में भेजे गये: भरती के लिए	अस्पतालों में भेजे गये: विशेष जाँच के लिये	दिए गये प्रमाण पत्रों की कुल संख्या
दिसम्बर १६५२ तक	४,४२,६८६	—	५,६०४	१,८८०	४,६७४	६६५	२,२२७	१,३६,६६६
१६५३ में	८३७,१४२	२,२६४	१०,०८५	२,६०४	६६८	१,२६६	४,८७२	२,३८,४६७
१६५४								
जनवरी	५३,५६६	१,७२६	६४०	२५४	१२५	६६	४५८	१२,८०७
फरवरी	४६,६२०	१,७७२	३२६	३१७	५७	१०६	३०७	१२,७०५
मार्च	६१,६१८	२,१६४	३८४	२६७	४४	६३	३४८	१६,२६२
अप्रैल	७०,५६३	२,७१५	३००	३५७	७४	१२५	४१८	१७,६५२
मई	७२,३६६	३,४१३	४३६	३७१	७८	६७	३४१	१८,५६१
जून	७५,०३७	२,५०१	४६५	२८६	७२	७३	३२७	१६ ४०८
जुलाई	६०,०१५	३,०००	४१३	३८३	६२	६३	६०६	२२,१६४
अगस्त	६२,६६०	३,०००	४५२	३०७	४३	१०२	६२६	२२,२८१
सितम्बर	६५,६८२	३,१६६	४५२	१६७	५५	१०५	६२२	२४,५६६
अक्टूबर	६२,६६०	२,६८६	५०६	२७०	६१	८०	६०६	२४,३१४
नवम्बर	७५,४७०	२,५१६	४११	३८८	५५	१००	६१८	१६,५००
दिसम्बर	६६,१२६	२,१३३	३६३	३४२	४५	१०७	५३१	१७,५२८
सन् १६५४ का योग	८,६६,०६८	२,४०१	५,१६६	३,७७२	८००	१,१५१	५८१७	२,२८,०६६

७. पूर्व उल्लिखित तालिका के देखने से पता चलेगा कि सन् १६५४ के जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीनों में राज्य बीमा चिकित्सालयों में रोगियों की उपस्थिति-संख्या अधिक रही और बाद में अक्टूबर १६५४ के महीने से कम होने लगी। इन परिवर्तनों से लोगों के स्वास्थ्य पर ऋतुओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

चल चिकित्सालय

८. यद्यपि कानपुर में बीमा हुये व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये १३ चिकित्सालयो का एक जाल-सा स्थापित किया गया परन्तु यह समझा गया कि कानपुर के आस-पास के क्षेत्रों में रहनेवाले मजदूर योजना-द्वारा दी गई चिकित्सा-

सुविधाओं का पूरा लाभ न उठा सकेंगे। इसलिये उन श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सन् १६५३ में दो चल-चिकित्सालय चलाए गये।

६. अब इन चिकित्सालयों से बीमा हुए वे व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं, जो कानपुर के आस-पास की बस्तियो में ग्रांड ट्रंक रोड पर चकेरी तक, कानपुर-लखनऊ सड़क पर उन्नाव डिस्टिलरी तक, ग्रांड ट्रंक रोड पर मन्धना तक, हमीरपुर सड़क पर नौबस्ता तक और कालपी रोड पर पनकी के चौराहे तक रहते है। चल-चिकित्सालय नित्य निर्धारित मार्गों पर आते तथा मार्ग पर सुविधाजनक स्थानो पर ठहरते हैं।

१०. चल-चिकित्सालय एक डाक्टर के अधीन है और आवश्यक औषधियों से पूर्ण हैं। इस बात का भी प्रबन्ध किया गया है कि बीमा हुए व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त अपने प्रमाणपत्रों तथा दावों को भी चल-चिकित्सालय में ही जमा कर सकें, जिससे उन्हें अपने स्थानीय कार्यालय में जाकर जमा करने की परेशानी न उठानी पड़े। निम्नलिखित तालिका से चल-चिकित्सालयों के सन् १६५४ के कार्य का पता चलता है :—

मास	कुल उप-स्थित	औसत दैनिक उप-स्थिति	घर पर जाकर देखने वालों की संख्या	दुर्घटनाओं की संख्या जिनमें परिचर्या हुई	टी० बी० रोगियों की संख्या	अस्पताल भेजे गये: भरती के लिये	अस्पताल भेजे गये: विशेष जाँच के लिये	दिये गये प्रमाणपत्रो की संख्या
१६५३में	६,५०४	३०	११०	४	१४	१४	१००	३,५३१
१६५४								
जनवरी	१ १२७	३७	३२	—	८	२	६	३३७
फरवरी	१,२३६	४१	१४	३	२	३	१०	२२८
मार्च	१,३८६	४६	१७	४	२	१	१४	३४८
अप्रैल	१,७३३	५८	१४	११	४	७	३५	३१५
मई	१,८७६	६३	१६	४	२	५	४२	४२४
जून	२,१६१	७३	२०	३	६	६	४५	४६७
जुलाई	२,८१३	६४	२२	३	४	२	४७	६५२
अगस्त	२,०६१	६६	२७	—	१	२	५७	४६६
सितम्बर	२,७११	६०	२२	१	१	२	६०	६२४
अक्टूबर	२,६०३	८७	२२	४	१	—	८२	६५२
नवम्बर	२,३३८	७८	२०	१	१	२	११	५५०
दिसम्बर	२,०३७	५६	१६	१	—	२	४८	४५०
योग	२४,११२	८०२	२४५	३५	३२	३४	४५७	५,५४२

नगद हितलाभ

११. चिकित्सा हितलाभ के अतिरिक्त कर्मचारी बीमा योजना अधिनियम में चार अन्य प्रकार के हितलाभों की व्यवस्था की गई है अर्थात् बीमारी, मातृका, विकलांगता तथा आश्रित हितलाभ। इनका प्रबन्ध श्रमिक राज्य बीमा निगम के द्वारा सीधे होता है।

१२. निगम ने पूरे देश के लिये पाँच प्रादेशिक कार्यालय खोल रक्खे हैं। कानपुर प्रादेशिक कार्यालय का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और विंध्य प्रदेश तक रखा गया है। बीमा हुये व्यक्तियों से निकट संपर्क बनाये रखने के लिये तथा उनके नगद हितलाभ के दावों को शीघ्र निबटाने के लिये कानपुर में ११ स्थानीय कार्यालय मजदूर क्षेत्रों के समीप खोले गये। बाद में यह संख्या कम करके निम्नांकित ८ स्थानीय कार्यालयों को रखा गया, क्योंकि शेष तीन कार्यालयों में बीमा हुये व्यक्तियों और दावों की संख्या इतनी कम हो गई कि उनका चालू रखना उचित नहीं समझा गया :—

क्रमसंख्या	स्थानीय कार्यालय का नाम	स्थिति	क्षेत्र में नियोजकों की संख्या	सम्बन्धित श्रमिकों की संख्या	दावे और उनके भुगतान के प्रयोजन के लिये बीमायुक्त व्यक्तियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१.	चमनगंज	१०५।६४७, फहीमाबाद, चमनगंज, कानपुर	२६	८,८६०	२२,८६६
२.	दर्शनपुरवा	टी स्टाल बिल्डिंग, दर्शनपुरवा, जे० के० जूट मिल के सामने, कानपुर	६३	२०,५७८	२६,४८५
३.	ग्वालटोली	१४।५, ग्वालटोली, पहली मंजिल, नियोजन उपकार्यालय के पास, कानपुर	१४	२२,०६४	२१,४५४
४.	जुही	बी० बी० आर, ८६, जुही, स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर के सामने	१२	१६,०००	२३,०३५

१	२	३	४	५	६
५.	लाटूश रोड	७८।४८ लाटूश रोड, कैपिटल टाकीज के पास	२४	१,६४५	१०,८२५
६.	मीरपुर	२१ खपड़ा मोहाल, कानपुर	४५	१४,६००	२२,२४६
७.	नवाबगंज	२।२२८, नवाबगंज, कानपुर	८	१,२७६	५,७३७
८.	रामबाग	१०४।ए।२ रामबाग कानपुर	१५	२,६६६	१२,३४०

१३. स्थानीय कार्यालय विकलांगता एवं आश्रित हितलाभों के अन्तर्गत दावों को स्वीकार करते और उनका भुगतान करते हैं, जिनके लिये कानपुर में योजना के प्रारम्भ होने से अर्थात् २४ फरवरी सन् १६५२ से चंदे देने की कोई शर्त नहीं रही है। सन् १६५४ में इन हितलाभों से सम्बन्धित स्थिति का पता नीचे लिखे आँकड़ों से लगेगा :—

मास	दुर्घटनाओं की संख्या, जिनकी सूचना मिली	दुर्घटनाओं की संख्या, जिनसे अनुपस्थिति नहीं हुई	अस्थायी विकलांगता के उन दावों की संख्या, जिनका भुगतान किया गया	स्थायी विकलांगता हितलाभ के लिये घोषित व्यक्तियों की संख्या	विकलांगता लाभ पाने के लिये स्वीकृत आश्रितों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१६५२ में	४,६८२	२,३६१	५,२६८	४०	७
१६५३ में	६,२६६	२,२६६	८,७७८	५६	११
१६५४					—
जनवरी	३६५	३६	७६५	४	—
फरवरी	४०७	५१	७६०	८	—
मार्च	४८८	३८	८४८	८	—
अप्रैल	४५५	५१	८७७	६	—
मई	४६१	४३	८०२	४	—
जून	४८४	६६	७३८	८	१
जुलाई	४५७	५३	६६६	३	—
अगस्त	४१६	३८	७२१	४	—

१	२	३	४	५	६
सितम्बर	४७१	४४	७२३	७	—
अक्टूबर	३६८	३०	६६०	५	—
नवम्बर	५५८	५२	६०६	११	—
दिसम्बर	५११	६२	६०६	४	—
योग १,६५४	५,४७७	५६५	६,४२७	७२	१

१४. बीमारी तथा मातृका हितलाभों का मिलना प्रथम हितलाभ अवधि की समाप्ति अर्थात् २३ जनवरी सन् १६५३ से प्रारम्भ हुआ। उस समय से इन हितलाभों से सम्बन्धित स्थिति नीचे लिखे आँकड़ों से प्रकट होती है :—

अवधि	बीमारी हितलाभ		मातृका हितलाभ प्राप्त व्यक्तियों की संख्या
	भुगतान की संख्या	बीमा हुये व्यक्तियों की संख्या जिन्हें हितलाभ की रकम दी गई	
सन् १६५३ में	१,०२,१६५	७२,०२८	२६
१६५४			
जनवरी	५,५३८	४,११२	४
फरवरी	५,२६०	३,८३२	२
मार्च	७,३२५	५,३७७	२
अप्रैल	७,३६४	५,६५७	१
मई	७,४६८	५,६५४	.
जून	७,५४५	५,६५४	१
जुलाई	६,४४४	७,७१८	.
अगस्त	६,४६१	७,६६८	२
सितम्बर	१०,७५४	८,५६१	१
अक्टूबर	६,५६३	७,७३६	४
नवम्बर	८,६६७	६,६५३	१
दिसम्बर	७,१०१	५,५३६	.
योग १६५४	६५,८८०	७४,७६४	१८

चिकित्सा मंडल (मेडिकल बोर्ड)

१५. बीमा हुये व्यक्तियों के काम पर चोट लगने के फलस्वरूप हुई स्थायी विकलांगता की मात्रा का निर्णय करने के लिये एक चिकित्सा मण्डल की स्थापना की गई है।

१६. चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति निदेशक हैं और उनकी सहायता के लिये कानपुर के सिविल सर्जन तथा लाला लाजपत राय अस्पताल के अधीक्षक है, जो मण्डल के सदस्य हैं।

१७. आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत कुल मिलाकर १७४ मामलो की सूचना दी गई, जिनमें १३७ व्यक्ति मण्डल के सामने आये। मण्डल ने ७२ मामलो में विभिन्न मात्रा में स्थायी विकलागता पाई और ३७ ठीक घोषित किये गये, जिनमें कोई स्थायी विकलागता नही पाई गई। शेष मामलो में स्थायी विकलागता हितलाभ कुछ समय तक और जारी रखने की आज्ञा दी गई। मण्डल को सूचित किए गए मामलो का मासिक विश्लेषण नीचे दिया जा रहा है :—

मास	भेजे गये मामलो की संख्या	चिकित्सा मण्डल द्वारा सुने गये मामलो की संख्या	उन मामलो की संख्या, जिनमें स्थायी विकलांगता पाई गई	उन मामलो की संख्या, जिन्हें ठीक घोषित किया गया	उन मामलो की संख्या जिनमें स्थायी विकलागता जारी समझी गई
१६५३ में	१४४	११५	५५	४०	२०
१६५४					
जनवरी	६	६	४	३	२
फरवरी	१२	११	८	१	२
मार्च	१८	१७	८	५	४
अप्रैल	२०	१४	६	५	३
मई	१४	१०	४	३	३
जून	१८	१६	८	४	४
जुलाई	१०	७	३	४	—
अगस्त	१८	१३	४	४	५
सितम्बर	१५	११	७	३	१
अक्टूबर	-१४	८	५	२	१
नवम्बर	१६	१४	११	१	२
दिसम्बर	१०	७	४	२	१
योग	१७४	१३७	७२	३७	२८

प्रादेशिक मण्डल

१८. योजना के प्रशासन में श्रमिको और सेवायोजको का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से कानपुर में एक प्रादेशिक मण्डल संगठित किया गया है, जिसमें मालिको और मजदूरो

में से प्रत्येक के तीन-तीन प्रतिनिधि हैं तथा उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त श्री ओंकारनाथ मिश्र आई० ए० एस० अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रादेशिक मण्डल के सदस्य हैं। सन् ६५४ में मण्डल की एक बैठक १७ नवम्बर को हुई और कानपुर में योजना के कार्य से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार हुआ।

वैधिक कार्यवाही

१६. समझाने-बुझाने की नीति के बावजूद निगम ने उन नियोजकों के विरुद्ध वैधिक कार्यवाही करना आवश्यक समझा, जो अधिनियम की व्यवस्थाओं का निरन्तर उल्लंघन करते रहे। इस प्रकार की कार्यवाही कानून की ३ धाराओं के अंतर्गत की भी जा चुकी है :—(१) धारा ८५ जो अभियोग चलाने से सम्बन्धित है। (२) धारा ७५ जो धारा ७४ के अंतर्गत श्रमिक बीमा न्यायालय तथा धारा ७२ ब के अंतर्गत बने विशेष न्यायाधिकरणों के द्वारा शेष चन्दों की वसूली से सम्बन्धित है, तथा (३) धारा ७३-द जिसके अंतर्गत नियोजकों के विशेष चन्दे को मालगुजारी के अवशेष की भाँति वसूली का अधिकार निगम को प्राप्त है।

आलोच्य वर्ष में निम्न प्रकार से नियोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई :—

अभियोग

(१) सन् १६५४ में दायर किये गये अभियोगों की संख्या	११
(२) निर्णीत अभियोगों की संख्या	११

इन सभी मामलों में मालिक दोषी पाये गये। चलाये गये कुल अभियोगों की संख्या २३ है, जिनमें १७ धारा ७५ और ६ धारा ७३-ब के अन्तर्गत है। उक्त वर्ष में चलाए गये अभियोगों की संख्या १३ है जिनमें ११ धारा ७ के अन्तर्गत और २ धारा ७३-ब के अन्तर्गत हैं।

दिसम्बर सन् १६५४ तक निर्णीत मामलों की संख्या १६ है। सब मामलो में, श्रमिक बीमा न्यायालय या न्यायाधिकरणों ने निगम के पक्ष में डिग्री दी।

धारा ७३-द के अन्तर्गत कार्यवाही

अभी तक चलाए गये कुल अभियोगों की संख्या ३६ है, जिनमें से ३४ सन् १६५४ में चलाये गये। दिसम्बर, १६५४ तक २३ मामलो में धन उगाहा जा चुका है।

योजना का विस्तार

२०. मालिकों तथा श्रमिकों दोनों के प्रतिनिधि इस बात की निरन्तर माँग करते रहे हैं कि योजना की हितकारी लाभ व्यवस्थाओं को कानपुर प्रदेश के अन्तर्गत कानपुर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाय।

२१. निगम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार योजना का विस्तार करने के

लिये बड़ा उत्सुक रहा है। योजना को आगरा, इलाहाबाद, सहारनपुर, मोदीनगर, लखनऊ और बनारस में भी लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यह आशा की जाती है कि सन् १९५५ में योजना इन क्षेत्रों में भी लागू कर दी जायगी।

२२. कुल मिलाकर मालिकों और मजदूरों दोनों ने योजना का स्वागत किया है और योजना के प्रशासन में उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है परन्तु निम्नलिखित बातों पर योजना की कुछ आलोचना भी हुई है :—

(१) **अस्पताल में भरती** :—चिकित्सा उपचार के अपर्याप्त होने के सम्बन्ध में शिकायतें की गई हैं। विशेषकर अस्पताल में भरती किये गये बीमायुक्त व्यक्तियों की परिचर्या की अपर्याप्त व्यवस्था के बारे में शिकायतें हुई हैं। इस त्रुटि को दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार १०० चारपाइयोंवाले एक ऐसे अस्पताल की स्थापना पर विचार कर रही है, जिसका उपयोग केवल योजना के अन्तर्गत बीमा हुए व्यक्तियों के लिये हो सके।

(२) **कुटुम्बियों की चिकित्सा** :—मजदूरों के प्रतिनिधियों ने इस आधार पर योजना की बड़ी आलोचना की है कि बीमा योजना में केवल बीमायुक्त व्यक्तियों के चिकित्सा हितलाभ की ही व्यवस्था की गई है। इस बात पर जोर दिया गया है कि परिवारों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसकी उपेक्षा की गई है। निगम ने आलोचना पर विचार किया है और यह निश्चय किया गया है कि प्राप्त साधनों के अन्तर्गत यथासंभव बीमा हुये व्यक्तियों के परिवारों को सीमित चिकित्सा हितलाभ पहुँचाने की व्यवस्था की जाय।

श्रमिक बीमा न्यायालय

२३. सरकारी अधिसूचना संख्या ११९४ (एलएल) १८(१०) ३३५ (एलएल) ५१ दिनांक ९ मई, १९५२ के अनुसार श्रमिक बीमा न्यायालय की स्थापना १८ मई सन् १९५२ को हुई। उत्तर प्रदेशीय श्रमिक न्यायालय नियम १९५२ के अनुच्छेद ११ के अनुसार बीमा न्यायालय उच्च न्यायालय के सीधे प्रशासकीय नियंत्रण में है। श्रमिक बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा ७९ के अनुसार बीमा न्यायालय में वादी स्वयं या किसी वकील या किसी व्यावसायिक संघ के सदस्य के द्वारा अभियोग प्रस्तुत कर सकता है। इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेशीय श्रमिक बीमा नियम, १९५२ के अनुच्छेद ४२-२ के अनुसार तत्सम्बन्धी क्षेत्राधिकार रखनेवाले दीवानी न्यायालय में वह भेजा जाता है। अभियोग सन् १९५२ के उत्तर प्रदेशीय श्रमिक बीमा नियमावली के नियम १३ के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किये जाते हैं।

२४. चिकित्सा मण्डल के निर्णयों के विरुद्ध अपील किये जाने पर अधिनियम ७३ के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण संगठित किया जाता है, जिसमें बीमा न्यायालय का न्यायपति, एक चिकित्सा विशेषज्ञ तथा प्रमाणित व्यावसायिक संघ का एक सदस्य रहता है।

२५. सन् १६५४ में न्यायालय में चलाए गये अभियोगों की कुल संख्या १६ थी, जिनमें से चिकित्सा मण्डल के निर्णयों के विरुद्ध अानियम ७४ के अन्तर्गत की गई अपीलों की संख्या ७ और श्रमिक बीमा अधिनियम सन् १६४८ की धारा ७५ के अन्तर्गत अभियोगों की सख्या ६ थी। वर्ष में निर्णीत अभियोगों की संख्या ६ है, जिनमें २ अभियोग सन् १६५३ के हैं। विवरण इस प्रकार है :—

स्खलित अभियोगों की संख्या	४
जिनमें डिग्री दी गई, उन अभियोगों की संख्या	१
स्खलित अपीलों की संख्या	३
स्वीकृत होनेवाली अपीलों की सख्या	१
योग	६

२६. न्यायालय के निर्णयों की अपील उच्च न्यायालय में होती है। अभी तक केवल दो अपीलें की गई है। उच्च न्यायालय में अभी उनका निर्णय नही हुआ है।

अध्याय ६

उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगों में समीचीनीकरण

सन् १९३७ में लोकप्रिय सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद से समीचीनीकरण (रेशनलाइज़ेशन) की समस्या वाद-विवाद का प्रमुख विषय बन गई है। प्रदेशीय सरकार ने शासन-सूत्र सँभालने के तुरन्त बाद ही श्रीयुक्त राजेन्द्रप्रसाद (अब भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति) की अध्यक्षता में एक जाँच समिति मजदूरों के जीवन और कार्य की दशाओं की जाँच करने के लिये बैठा दी। समिति ने इस बात पर जोर दिया की मजदूरी का सरूपीकरण (स्टैंडर्डाइज़ेशन) किया जाय, जो समीचीनीकरण (रेशनलाइजेशन) का ही एक अंग है। समिति ने समीचीनीकरण (रेशनलाइ.जेशन) योजना को अंगीकार करने का सुझाव दिया, जिससे मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके। इसके अतिरिक्त उसने यह मत प्रकट किया कि मिल मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों को सहयोग के साथ कार्य करना चाहिये, जिससे मिलों में समीचीनीकरण-व्यवस्था के आधार पर कार्य हो सके।

२. लोकप्रिय सरकार ने सन् १९३९ में शासन-भार त्यागा और सन् १९४६ में उसे पुनः सँभाला। सरकार ने अपनी सन् १९३७-३९ की नीति के अनुसार ही एक श्रम जाँच समिति, जो निम्बकर समिति के नाम से प्रसिद्ध है, नियुक्त की। इस समिति के समक्ष अन्य प्रश्नों के साथ-साथ सरूपीकरण (स्टैंडर्डाइ.जेशन) का प्रश्न भी था। समिति ने अपने प्रतिवेदन के चतुर्थ अध्याय में कहा है, "कानपुर सूती वस्त्र उद्योग के मालिकों एव मजदूरों की यह जोरदार माँग है कि इस उद्योग में मज़दूरी का सरूपीकरण किया जाय।" इसलिए समिति ने सूती वस्त्र उद्योग में मजदूरी तथा उपस्थिति नामावली (मस्टर) में सरूपीकरण का सुझाव दिया। चीनी उद्योग में मजदूरी तथा उपस्थिति नामावली के सरूपीकरण का प्रश्न एक उपसमिति को, जिसके अध्यक्ष श्री आर० सी० श्रीवास्तव थे, सौंपा गया। सरकार ने इस दिशा में विशेष रूप से जानकारी करने की आवश्यकता के महत्व को समझते हुये एक पंत समिति नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष श्री० एम० सी० पन्त तथा सदस्य सर्व श्री जगदीशप्रसाद व काशीनाथ पाण्डेय थे। लखनऊ चीनी त्रिदलीय सम्मेलन में, जो नवम्बर, सन् १९५२ में हुआ, इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार-विनिमय किया गया। सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि चीनी उद्योग में मजदूरी और उपस्थिति नामावली के सरूपीकरण के सम्बन्ध में कोई भी कार्य व्यवस्थित रीति से कामों के मूल्यांकन तथा उचित कार्य-भार और काम की दशाओं के निर्धारण के बाद ही किया जाय।

३. नैनीताल में सितम्बर, सन् १९५२ में हुये राज्य श्रम त्रिदलीय सम्मेलन में

सूती वस्त्र और चीनी उद्योगों में समीचीनीकरण के प्रश्न पर विचार-विनिमय हुआ। सम्मेलन ने समीचीनीकरण के महत्व को समझा तथा इस बात का अनुभव किया कि यह योजना मिल मालिकों तथा मजदूरों दोनों के लिये हितकारी है। साथ ही साथ सरकार को परामर्श दिया कि वह इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करे। सम्मेलन की इस सिफारिश के आधार पर ही श्रम विभाग ने श्रमायुक्त कार्यालय में एक कार्य-कुशलता उप विभाग की स्थापना की गई है। इस विभाग की देखरेख एक सहायक श्रमायुक्त, जो विदेशों में जाकर समीचीनीकरण योजना के सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रशिक्षण पाये हुये हैं, कर रहे हैं।

४. यह उप विभाग जनवरी सन् १९५३ से, जब से इसकी स्थापना हुई, अब तक कानपुर की न्यू विक्टोरिया मिल्स में जाँच कर चुका है तथा निम्नांकित सूती मिलों में समीचीनीकरण-सम्बन्धी अध्ययन कर चुका है :—

(१) एथर्टन वेस्ट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।
(२) जे० के० काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल मालिक कम्पनी लि०, कानपुर
(३) कानपुर टेक्स्टाइल्स लिमिटेड, कानपुर
(४) कानपुर काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर
(५) एलगिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर
(६) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर
(७) म्योर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर

५. जनवरी सन् १९५४ में निम्नलिखित महानुभावों को परीक्षण के तौर पर किये जानेवाले प्रस्तावों को उनके विचार जानने के हेतु प्रसारित किया गया :—

मिल मालिक

श्री आर० डी० आर० बेल	एलगिन मिल्स कं० लि०, कानपुर
श्री एच० हिल	बेग सदरलैंड
श्री ए० बी० बकलैंड	एथर्टन वेस्ट एण्ड कं० लि०, कानपुर
श्री सीताराम जैपुरिया	स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर
श्री हरीशंकर बागला	म्योर मिल्स कं० लि०, कानपुर
श्री एच० जैकशन	कानपुर काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर
श्री सोहन लाल सिहानिया	जे० के० काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल कं० लि०, कानपुर

श्री टी० एस० स्वामीनाथन, सचिव, उत्तरी भारत मिल मालिक संघ, कानपुर

संघ

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी	कानपुर मिल मजदूर यूनियन, कानपुर
श्री गंगा सहाय चौबे	सूती मिल मजदूर यूनियन, कानपुर
श्री विमल मेहरोत्रा	कानपुर मजदूर कांग्रेस, कानपुर
श्री सन्तोष चन्द्र कपूर	,, सभा ,,

६. उत्तरी भारत मिल मालिक संघ ने अपने सामान्य विचार तथा अन्य ६ मिलों के बारे में भी विचार भेजे, जब कि म्योर मिल्स ने अपने विचार अलग से भेजे। किसी भी व्यावसायिक संघ ने अपने विचार विस्तृत रूप से भजने की चेष्टा नही की।

७. नैनीताल में १ और २ जून सन् १९५४ को हुए त्रिदलीय सम्मेलन में इस विषय पर विचार-विनिमय हुआ। सम्मेलन में निम्नलिखित बातें स्वीकृत हुईं :—

(१) समीचीनीकरण योजना के लागू किये जाने से और अधिक बेकारी न बढ़ने दी जायगी अर्थात् छँटनी न की जायगी। ३१ मई, सन् १९५४ को, जितने मजदूर काम में लगे हुये हैं, उनमें से स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण या प्राकृतिक विपत्ति के कारण काम छोड़नेवालों के अतिरिक्त और किसी को भी निकाला नही जायगा।

(२) उत्तर प्रदेशीय श्रम जाँच समिति द्वारा मजदूरों की मजदूरी के ढाँचे को स्वीकार कर लागू करने पर विचार किया जायगा।

(३) उच्च स्तर के कार्य को पुरस्कृत करने की दृष्टि से मजदूरी में वृद्धि करने का प्रबन्ध किया जायगा।

(४) मिलों में कार्य की दशाओं पर सतर्कता बरती जायगी।

(५) एक समिति का निर्माण किया जाय, जो योजना के सम्बन्ध में सभी दृष्टियों से गम्भीरतापूर्वक विचार करे और उसके भलीभाँति कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में उपाय और साधन बताये।

(६) योजना को कार्यान्वित करने के लिये प्रत्येक मिल की अपनी एक अलग समिति बने, जो उसे कार्यान्वित करने में सहायक हो।

८. उपर्युक्त बातों को परा करने के लिये सात व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई। इस समिति का कार्य योजना के ऊपर विस्तार सहित विचार करना तथा उसे कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में उपाय तथा साधन बताना था। इस समिति में निम्नलिखित महानुभाव थे :—

(१) श्री ओंकार नाथ मिश्र, आई० ए० एस०, उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त	......
(२) श्री पदमपत सिहानिया	मालिकों के प्रतिनिधि
(३) श्री मँगतूराम जैपुरिया	,, ,, ,,
(विदेश यात्रा के समय अनुपस्थित रहने पर श्री एम० एल० बागला प्रतिनिधित्व करेंगे)	,, ,, ,,
(४) श्री एच० हिल	,, ,, ,,

(५) श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी, एम० एल० ए०—कर्मचारियों के प्रतिनिधि
(आई० एन० टी० यू० सी०)

(६) श्री गंगासहाय चौबे (सूती मिल मजदूर यूनियन कर्मचारियों के प्रतिनिधि)

(७) श्री राजाराम शास्त्री—कर्मचारियों के प्रतिनिधि
(विदेश यात्रा के समय श्री विमल मेहरोत्रा प्रतिनिधित्व करेंगे)

९. श्री विमल मेहरोत्रा ने, १४ जुलाई सन् १९५४ को, प्रजा समाजवादी दल की कार्यकारिणी समिति के इस निर्णय के अनुसार कि दल के सदस्यों को समिति से त्याग-पत्र दे देना चाहिये, अपना त्यागपत्र उत्तर प्रदेशीय सरकार के सचिव के पास भेज दिया।

१०. यह समिति बराबर कार्य करती रही और उसने कुछ मामलों में निश्चय भी किये पर कुछ व्यावसायिक संघों के नेताओं के इस निर्णय के अनुसार कि कानपुर मजदूर कांग्रेस व सूती मिल मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों यथा श्री राजाराम शास्त्री और श्री गंगासहाय चौबे को सात व्यक्तियोंवाली समिति से त्यागपत्र दे देना चाहिये, इन दोनों सदस्यों ने समिति से क्रमशः सितम्बर व अक्टूबर, सन् १९५४ में त्यागपत्र दे दिया।

११. ऐसी परिस्थिति में सरकार ने समिति को दिसम्बर सन् १९५४ में भंग करने का निश्चय किया। फलस्वरूप प्रत्येक सूती मिल में समीचीनीकरण के कार्य को एक ओर मिलमालिकों के तथा दूसरी ओर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मजदूरों के समझौता-पूर्ण समाधान के लिए छोड़ दिया गया।

१२. समीचीनीकरण की योजना के उक्त आधार पर कार्यान्वित किये जाने के साथ-साथ यह दशा भी रखी गई कि श्रमायुक्त को इस बात से पूर्ण सन्तोष हो सके कि मजदूरों से दी जानेवाली मजदूरी समुचित है तथा काम की दशाओं में कोई विशेष परि-वर्तन नहीं किया गया है।

१३. गत वर्ष के अन्त में नीचे दिये हुये कुछ चीनी कारखानों में समीचीनीकरण-सम्बन्धी अध्ययन प्रारम्भ हुआ था, जिनका कार्य लगभग समाप्ति पर है तथा प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं :—

पश्चिमी तथा केन्द्रीय उत्तर प्रदेश

(१) रज़ा शुगर कम्पनी, रामपुर।
(२) बुलन्द शुगर कम्पनी, रामपुर।
(३) सर शादीलाल शुगर एण्ड जनरल मिल्स लि०, मनसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर।
(४) सिंभौली शुगर मिल्स, मेरठ।
(५) अपर दोआब शुगर मिल्स, शामली, मुजफ्फरनगर।

(६) अपर इण्डिया शुगर मिल्स, खतौली, मुजफ्फरनगर ।

(७) अपर गैंजेज़ शुगर कम्पनी, स्योहारा, बिजनौर ।

(८) लक्ष्मी जी शुगर कम्पनी लि०, महोली, सीतापुर ।

(९) केसर शुगर वर्क्स लिमिटेड, बहेड़ी, बरेली ।

(१०) नेवली शुगर फैक्टरी, नेवली, एटा ।

(११) राम लक्ष्मण शुगर मिल्स, मोहिउद्दीनपुर, मेरठ ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश

(१२) रत्ना शुगर कम्पनी लिमिटेड, शाहगंज, जौनपुर ।

(१३) सेक्सरिया शुगर मिल्स लि०, पोस्ट आफिस बभनान, गोंडा ।

(१४) लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स, छितौनी, देवरिया ।

(१५) डायमंड शुगर मिल्स, पिपराइच, गोरखपुर ।

(१६) श्री आनन्द शुगर मिल्स, खलीलाबाद, बस्ती ।

(१७). गणेश शुगर मिल्स, आनन्दनगर, गोरखपुर ।

(१८) रामकोला शुगर मिल्स, रामकोला, देवरिया ।

(१९) देवरिया शुगर मिल्स, देवरिया ।

(२०) श्री सीताराम शुगर कम्पनी, बैतालपुर, देवरिया ।

(२१) बलरामपुर शुगर कम्पनी, बलरामपुर, गोंडा ।

(२२) पडरौना राजकृष्ण शुगर वर्क्स लिमिटेड पडरौना, देवरिया ।

अन्य

(२३) जगदीश शुगर मिल्स लिमिटेड, कठकुइयाँ, देवरिया ।

(२४) माहेश्वरी खेतान शुगर मिल्स लिमिटेड, रामकोला, देवरिया ।

(२५) ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स लिमिटेड, लक्ष्मीगज, देवरिया ।

१४. देवरिया शुगर मिल्स, देवरिया, बलरामपुर शुगर कम्पनी, बलराम अपर गैंजेज़ शुगर मिल्स, स्योहारा और सर शादीलाल शुगर और जनरल मिल्स लिमिटेड, मंसूरपुर में कार्यकुशलता उपविभाग के साथ-साथ इब्कांस लिमिटेड ने भी अध्ययन का कार्य किया । उनके अध्ययन का कार्य लगभग समाप्ति पर ही है । इब्कांस को दिये गये निर्देश-नियम ये हैं :—

(अ) उक्त मिलो में पिराई की ऋतु और विक्रय ऋतु के लिये कार्यभार और मान-बल (जिसमें पर्यवेक्षण और प्रबन्ध भी शामिल होंगे) का निर्धारण ।

(ब) उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग में सभी कार्यों के लिये नामकरण का सरूपीकरण ।

(स) कामो का वर्गीकरण और कर्त्तव्यो का निर्देशन ।

(द) कामों का मूल्यांकन।

(इ) उक्त (स) और (द) के आधार पर मजदूरों और प्रबन्धकों के लिये समीचीन मजदूरी क्रम का निर्धारण।

(फ) सुधार के तरीकों की सिफारिश।

(ग) अतिरिक्त श्रमिकों के, यदि ऐसा हो तो, खपाने और पुनर्नियोजन के तरीकों की सिफारिशें।

(ह) चीनी उद्योग में वार्षिक बोनस के प्रश्न पर विचार कर सरकार को प्रतिवेदन देना, जिसे प्रत्येक कारखाने में देय बोनस का पता लगाने और बोनस के देय होने पर उसकी दर और राशि का निर्धारण करने के उद्देश्य से आधार बनाया जा सके।

अध्याय ७

अनुसंधान, प्रचार और संख्या : श्रम-सम्बन्धी जाँचें और अन्वेषण

संख्या, प्रचार और अनुसंधान

श्रमायुक्त कार्यालय के संख्या, प्रचार और अनुसंधान विभाग के तीन पृथक् उप-विभाग हैं :–(१) संख्या, (२) प्रचार और (३) अनुसंधान। इनमें से प्रत्येक एक गज़टेड अधिकारी की देख-रेख में है। एक प्रति श्रमायुक्त इन तीन विभागों के काम के अधीक्षण तथा एकीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। संख्या उप-विभाग श्रम से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न सूत्रो से प्राप्त सांख्यिक तत्वों के संग्रह, वर्गीकरण तथा विश्लेषण का काम करता है। अनुसंधान उप-विभाग श्रम से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर भारत सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन से सम्मति के लिये भेजे गये संदर्भों से सम्बन्धित है। प्रचार उप-विभाग को इस राज्य के अंतर्गत श्रम तथा उससे सम्बन्धित प्रगति कार्यों की तथ्यपूर्ण सूचना के प्रकाशन और प्रचार का कार्य सौंपा गया है।

संख्या उप-विभाग

२. यह उप-विभाग श्रम-सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर विस्तृत सांख्यिक तथ्यों का संग्रह करता, सरकार को सावधिक प्रतिवेदन एवं विवरण संकलित करके भेजता है, विभिन्न श्रम कानूनों के प्रशासनात्मक प्रतिवेदनो पर आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक टिप्पणियाँ तैयार करता है। यह उप-विभाग श्रम-सम्बन्धी जिन विभिन्न विषयों पर आँकड़े संग्रहीत करता और रखता है, वे नीचे दिए जा रहे हैं :—

(१) औद्योगिक विवाद (हड़तालें और तालाबन्दियाँ)।
(२) औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बैठकी।
(३) कारखानों की बन्दी।
(४) छँटनी।
(५) समझौते और अभिनिर्णय-द्वारा निर्णीत औद्योगिक विवादो के मामले।
(६) मजदूरों की अनुपस्थिति।
(७) कानपुर के मजदूरो के रहन-सहन के व्यय-सूचनांक का संकलन।
(८) श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत मासिक तथा वार्षिक विवरण-पत्र।
(९) श्रम हितकारी आँकड़ों के सम्बन्ध में मासिक एवं वार्षिक विवरण-पत्र।
(१०) गैर सूती मिलों और कारखानों की बन्दी।
(११) अवैध हड़तालो के विवरण-पत्र।
(१२) कोयले की खानों के लिये मजदूरों की माँग-पूर्ति का विवरण-पत्र।
(१३) विभाग में प्राप्त और निर्णीत शिकायतें।

(१४) सामूहिक एवं आकस्मिकता निवारण योजना के अन्तर्गत भर्ती का विवरण-पत्र।

(१५) व्यय-सूचनांक में रखी गई सामग्रियों तथा कानपुर के मजदूरों के उपभोग की अन्य सामग्रियों का मूल्य-संग्रह।

(१६) लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, बरेली और आगरा में मजदूरों-द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त सामग्रियों के फुटकर मूल्यों का संग्रह।

(१७) उपर्युक्त केन्द्रों में चुने हुए उद्योगों में मजदूरी की दरों का संग्रह। ये उद्योग मुद्रण, तेल, काँच, इंजीनियरिंग और धातु के हैं।

३. लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, बरेली और आगरा के मजदूर वर्ग द्वारा सामान्यतः उपयुक्त सामग्रियों के फुटकर मूल्य-संग्रह का काम सन् १९५४ में भी होता रहा, जिससे इन महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में सामग्रियों के मूल्य तथा मजदूरी-सम्बन्धी तथ्यों का आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके और सन्दर्भ के लिए एकत्र करके रखा जा सके।

४. जिन प्रतिवेदनों का विश्लेषण होता है और जिन पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियाँ तैयार की जाती हैं, उनमें कारखाना अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, उत्तर प्रदेशीय दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम, भारतीय ब्वायलर अधिनियम और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के प्रशासन-सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सम्मिलित हैं। इसका यह उप-विभाग सरकारी अभिकर्त्ताओं द्वारा समय-समय पर माँगे जानेवाले श्रम-सम्बन्धी विषयों पर सामान्य सांख्यिक सूचना संग्रहीत करता और भेजता है। इसमें भारत सरकार के 'लेबर ब्यूरो' के निदेशक को भारतीय श्रमिक अब्दकोष तथा भारतीय लेबर गज़ट के लिये तथा उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक सूचना तथा संख्या निदेशक को संख्या तथा संख्यासार के मासिक बुलेटिनों के लिये भेजी जानेवाली सूचनाएँ शामिल हैं।

५. यह उप-विभाग अनुसंधान कार्य और अन्वेषणों के सिलसिले में सहायता और पथ-प्रदर्शन के लिये प्रायः श्रम कार्यालय आनेवाले अनुसंधानक छात्रों को सुविधाएँ भी प्रदान करता है।

६. सन् १९५४ में कुछ विशिष्ट प्रकार की आँकड़ों-सम्बन्धी सूचना भी एकत्र की गई। प्रमाणित कारखानों से उनमें काम करनेवाले परिगणित तथा पिछड़ी जातियों के श्रमिकों की तथ्य-संख्या भारत सरकार के पिछड़े वर्ग आयोग के उपयोग के लिए एकत्र की गई।

ग्राफ और चार्ट

७. संख्या उप-विभाग के कार्यों का एक महत्वपूर्ण अंग श्रम विभाग के कार्यों से सम्बन्धित सूचना को मानचित्रों ग्राफों, चार्टों और चित्रों, द्वारा दृष्टव्य रूप में जनता की

सूचना के लिए उपस्थित करना है। इन चार्टों को राज्य के भीतर तथा बाहर होनेवाली कई प्रदर्शनियो में रखा गया। इसके एक विशेष भाग द्वारा राज्य सरकार की चीनी कारखाना गृह निर्माण योजना तथा भारत सरकार की सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत निर्मित औद्योगिक बस्ती के लकड़ी के नमूने तैयार किए गये। राज्य सरकार की पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभाग के विभिन्न कार्यों के द्योतक कई मानचित्र और चार्ट भी दिखाये गये।

सन् १९५४ में कानपुर के श्रमिक वर्ग के व्यय सूचनांक की समीक्षा

८. उत्तर प्रदेश में मजदूरो के लिये केवल यही व्यय सूचनांक तैयार होता है। इसका संकलन सन् १९३९ से प्रारम्भ हुआ। यह प्रत्येक सप्ताह तैयार किया जाता है। मासिक व्यय-सूचनांक भी तैयार किया जाता है। १९३८-३९ में हुई औद्योगिक मजदूरो के परिवारिक आय-व्यय की जाँच के आधार पर यह सूचनांक तैयार किया जाता है।

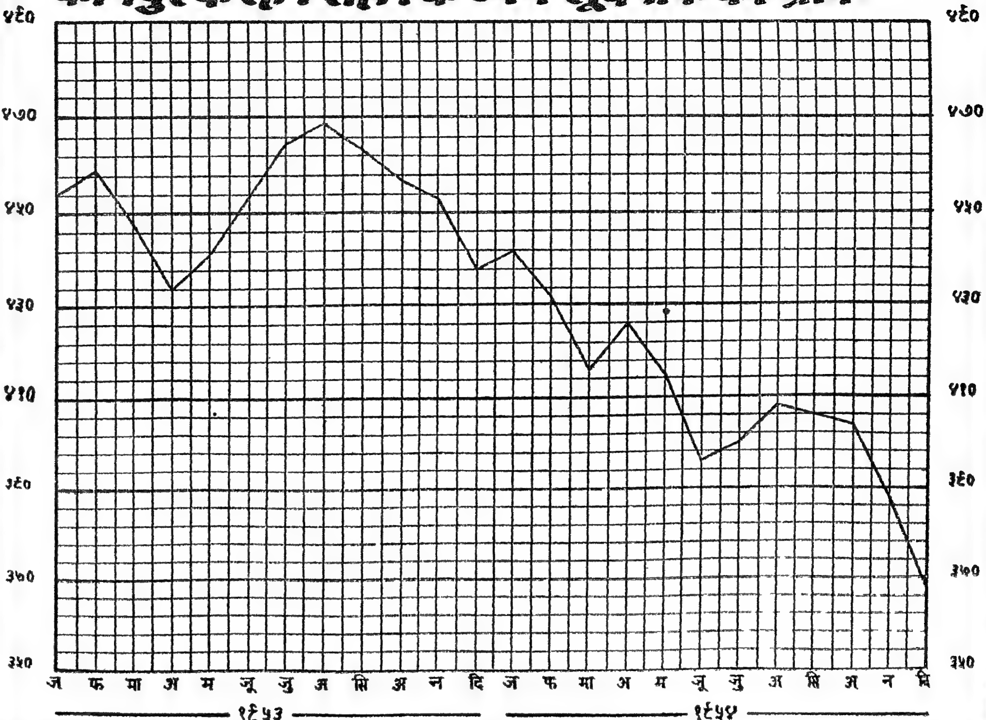
९. व्यय-सूचनांक साप्ताहिक और मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। इस सूचनांक की सन् १९५४ की संक्षिप्त समीक्षा नीचे दी जा रही है :—

१०. सन् १९५४ में सूचनांक का वार्षिक औसत ४०८ था जब कि वह पिछले वर्ष ४५३ था। इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा ९.९ प्रतिशत की कमी हुई। सन् १९५४ में सूचनांक ४४२ और ३९९ के बीच घटता-बढ़ता रहा। सन् १९५३ में वह ४३४ और ४९९ के बीच था। इसस यह विदित होता है कि सन् १९५४ में उतार-चढ़ाव अधिक दिखलाई पड़े। सूचनांक जनवरी के महीने में शिखर पर पहुँचा और दिसम्बर १९५४ में सबसे कम ३९९ रहा। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न वर्गों के पिछले व्यय-सूचनाकों की तुलना में सन् १९५४ के सूचनांकों का औसत दिखाया गया है :—

वर्ग	सन् १९५३ का औसत सूचनाक	सन् १९५४ का औसत सूचनांक	सन् १९५३ की अपेक्षा १९५४ में वृद्धि अथवा घटती का प्रतिशत
खाद्य	४९२	४१९	(−) ४.८
ईंधन और प्रकाश	३९५	३८८	(−) १.८
वस्त्र	४८९	५०९	(+) ३.५
मकान किराया	२१४	२१८	(+) १.०
विविध	४९८	४४७	(−) ४.५

खाद्य वर्ग

११. सन् १९५४ में खाद्य वर्ग का औसत व्यय-सूचनांक ४१९ रहा जबकि सन् १९५३ में वह ४९२ था। इसमें पिछले वर्ग की अपेक्षा १४.८ प्रतिशत की कमी हुई। खाद्य व्यय सूचनांक सन् १९५४ में ४९८ और ३५८ के बीच घटता-बढ़ता रहा।



१९५३-१९५४ में
कानपुर के रहन-सहन के व्यय-सूचनांक का ग्राफ
४९०
४७०
४५०
४३०
४१०
३९०
३७०
३५०
ज फ मा अ म जू जु अ सि अ न दि ज फ मा अ म जू जु अ सि अ न दि
१९५३
१९५४

सन् १९५३ में वह ४६५ और ५१२ के बीच घटता-बढ़ता रहा। इसका अर्थ यह होता है कि आलोच्य वर्ष में पिछले वर्ष की अपेक्षा घटती-बढ़ती अधिक हुई। यह बाजार में गेहूँ, बेर्रा, चना, चावल, अरहर और सरसों के तेल की कीमतों के गिरने तथा आलू और घी की दरों में मौसमी कमी के कारण हुआ। अप्रैल, जुलाई और अगस्त में खाद्य वर्ग का व्यय-सूचनांक ऊपर की ओर बढ़ा परन्तु उसके बाद गिरता गया। सर्वोच्च सूचनांक जनवरी में ४६८ और सबसे कम दिसम्बर में ३५८ रहा। मुख्यतः इस वर्ग के सूचनांक की गिरावट के कारण ही व्यय-सूचनांक सन् १९५४ के जनवरी के ४४२ से घट कर दिसम्बर सन् १९५४ में ३९९ रह गया। निम्नलिखित तालिका में सन् १९५४ के आरम्भ तथा अन्त में कुछ वस्तुओं के फुटकर मूल्य दिये गये हैं, जिनसे दरों की गिरावट की मात्रा का पता चलता है :—

वस्तु	जनवरी, १९५४ में प्रति सेर औसत मूल्य			दिसम्बर, १९५४ में प्रति सेर औसत मूल्य		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
गेहूँ	०	७	८	०	५	९
चना	०	५	१०	०	३	०
बेर्रा	०	५	८	०	२	८
चावल	०	९	८	०	६	२
अरहर की दाल	०	७	६	०	४	१०
सरसों का तेल	१	१३	१०	१	८	९

ईंधन और प्रकाश वर्ग

१२. सन् १९५४ में ईंधन और प्रकाश वर्ग का औसत व्यय-सूचनांक ३८८ रहा जबकि पिछले वर्ष वह ३९५ था। अतः पिछले वर्ष की अपेक्षा १.८ प्रतिशत की कमी प्रकट हुई। कमी केवल ईंधन के मूल्य में गिरावट के कारण हुई, क्योंकि मिट्टी के तेल के मूल्य अपरिवर्तित रहे। ईंधन का औसत मूल्य जनवरी, १९५४ के ३ रु० २ आ० २ पा० प्रति मन से मार्च के २ रु० ९ आ० ७ पा० प्रतिमन के बीच घटता-बढ़ता रहा। ये मूल्य वर्ष में क्रमशः सबसे ऊँचे और सबसे नीचे थे।

वस्त्र वर्ग

१३. वस्त्र का वर्गांक औसत सन् १९५४ में ५०६ रहा जब कि वह सन् १९५३ में ४८९ था। इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा ३·५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के प्रारम्भ से इस वर्गांक ने बढ़ना प्रारम्भ किया और मई सन् १९५४ में सबसे अधिक ५४१ तक पहुँचा। मई महीने के बाद वर्गांक अगस्त महीने को छोड़कर बराबर गिरता रहा। अगस्त में वह कुछ ऊँचा चढ़ा। सबसे कम व्यय-सूचनांक ४७४ दिसम्बर सन् १९५४ में हुआ।

मकान किराया वर्ग

१४. मकान किराया वर्गांक अक्टूबर सन् १६५४ तक २१४ पर स्थिर रहा परन्तु मकान किराया जाँच के फलस्वरूप औसत मकान किराया ४ रु० २ आना १० पाई से बढ़कर ४ रु० ६ आने २ पाई हो गया, जिससे वर्गांक में १.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह २३५ हो गया।

विविध वर्ग

१५. अन्य विभिन्न वस्तुओं का वर्गांक सन् १६५४ में ४५६ और ४४३ के बीच घटता-बढ़ता रहा। सन् १६५३ में वह ४५२ और ४७६ के बीच था। इससे प्रकट होता है कि इस वर्गांक में सन् ५४ में सन् १६५३ की अपेक्षा कम उतार-चढ़ाव हुआ। सन् १६५४ का औसत वार्षिक वर्गांक ४४७ हुआ जब कि सन् १६५३ में ४६८ था। इससे पिछले वर्ष की अपेक्षा ४.५ प्रतिशत का उतार हुआ। इसका कारण वर्ष में साबुन और सुपारी की दरों में गिरावट होना था।

१६. विभिन्न वर्ग का व्यय-सूचनांक सबसे अधिक ४५६ मार्च, सन् १६५४ में रहा और सबसे कम ४४३ जुलाई, सन् १६५४ में रहा।

प्रचार उप-विभाग

१७. सामान्य जनता को, जिसमें नियोजक तथा श्रमिक भी सम्मिलित हैं, श्रम विभाग के कार्यों से अवगत रखने के लिए श्रमायुक्त के कार्यालय में एक पृथक् प्रचार उप-विभाग की स्थापना करना वांछनीय समझा गया। इस दृष्टि से सन् १६४८ में श्रमायुक्त के कार्यालय में प्रचार उप-विभाग की स्थापना की गई। इस उप-विभाग का मुख्य कार्य श्रम विभाग के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रचार करना है। इसके अतिरिक्त श्रम-सम्बन्धी दो पत्रों—अंग्रेजी में मासिक 'लेबर बुलेटिन' तथा हिन्दी में साप्ताहिक पत्रिका 'श्रमजीवी'—का भी प्रकाशन होता है। उक्त उप-विभाग श्रम विभाग के विभिन्न भागों की कार्यवाहियों तथा राज्य के औद्योगिक न्यायाधिकरण के महत्वपूर्ण निर्णयों के सम्बन्ध में पाक्षिक तथा मासिक प्रेस विज्ञप्तियाँ प्रकाशित करता है। प्रेस विज्ञप्तियों से जनता को राज्य की पंचवर्षीय श्रम योजना के कार्यान्वित होने की प्रगति से भी अवगत रखा जाता है। उप-विभाग विभिन्न समाचार पत्रों में श्रमिकों के सम्बन्ध में प्रकाशित होनेवाले समाचारों का एक व्यवस्थित संग्रह भी रखता है। उक्त विभाग श्रम उप-विभाग के कार्यों का श्रम सम्बन्धी अन्य पत्रों में जैसे "इण्डियन लेबर गजट", "मजदूर समाचार", "यू० पी० इन्फार्मेशन" आदि में प्रकाशन का प्रबन्ध करता है। यह उप-विभाग राज्य सरकार, सूचना विभाग तथा अन्य पत्रों से अपना निकट संपर्क रखता है। उक्त उप-विभाग से श्रम-विभाग-सम्बन्धित महत्वपूर्ण श्रम समाचारों को प्रति सप्ताह प्रसरित करने के लिए आल इण्डिया रेडियो, लखनऊ के पास भेजता है।

लेबर बुलेटिन

१८. जनता को श्रम विभाग के कार्यों के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए इस पत्र का प्रकाशन जनवरी सन् १६४१ में प्रारम्भ हुआ था। इस बुलेटिन को श्रम विभाग के कार्यों तथा श्रम-सम्बन्धी आँकड़ों का एक संदर्भ पुस्तक बनाना था। द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण कागज की कमी होने से सन् १६४२ के जून से सन् १६४६ के जून तक बुलेटिन त्रैमासिक रूप में प्रकाशित होती रही। सन् १६४७ की जुलाई से बुलेटिन फिर मासिक रूप में निकल रही है। बुलेटिन राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकाशनों में एक है तथा राज्य में श्रमिकों के सम्बन्ध में एकमात्र अधिकृत सरकारी प्रकाशन है। इस पत्रिका के ग्राहक केवल भारत में ही श्रम समस्या से दिलचस्पी रखनेवाले व्यक्ति तथा संगठन नहीं हैं, किन्तु बाहर के अन्य देशों, जैसे अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, लंका, इंग्लैण्ड, जर्मनी, हिन्देशिया, जावा, पाकिस्तान, फिलस्तीन, दक्षिणी अफ्रीका आदि में भी इसके ग्राहक हैं। इस पत्रिका के महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं :—

(क) वर्तमान श्रम समस्याओं पर लेख।

(ख) राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के श्रम कानून तथा महत्वपूर्ण श्रम सूचनायें।

(ग) भारत के श्रम अपील न्यायाधिकरण, राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण और अभिनिर्णायकों के निर्णय।

(घ) वेतन, काम के घंटों, पारिवारिक बजटों, श्रमिकों की दशाओं, मकान किराया आदि के सम्बन्ध में विभाग-द्वारा की जानेवाली जाँचों के परिणामों की रिपोर्ट।

(ङ) विभिन्न अधिनियमों के प्रशासन-सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

(च) राज्य के नियोजन विभाग तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर के प्रादेशिक निदेशक कार्यालय द्वारा किए गये काम की प्रगति की मासिक रिपोर्ट।

(छ) श्रम-सम्बन्धी आँकड़े, जैसे श्रमिक वर्ग के रहन-सहन के व्यय-सूचनांक, थोक तथा फुटकर मूल्य, श्रमिकों की क्षतिपूर्ति, हितकारी आँकड़े, औद्योगिक विवाद, विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण तथा अभियोग, कारखानों तथा श्रमिक संघों का प्रमाणीकरण, हड़ताल, तालाबन्दी, छँटनी, बैठकी तथा बन्दी आदि।

१६. प्रत्येक वर्ष के अन्त में बुलेटिन की एक अनुक्रमणिका पृथक् रूप से प्रकाशित की जाती है, जिसमें वर्ष भर में प्रकाशित होने वाले विशेष लेखों तथा अन्य महत्वपूर्ण सामग्री का विवरण रहता है।

श्रमजीवी

२०. सामान्य जनता तथा विशेषतया श्रमिकवर्ग एवं उनके संगठनों को श्रम विभाग के सम्बन्ध में अधिकृत सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से 'श्रमजीवी' का, जो हिन्दी की एक साप्ताहिक पत्रिका है, प्रकाशन अगस्त, १६४८ में प्रारम्भ हुआ था। अगस्त, १६४८

से १६५० के अन्त तक यह प्रति सप्ताह दो बार प्रकाशित होती थी और इस अवधि में श्रम-सम्बन्धी समाचारो की एक बुलेटिन मात्र रही। बाद में इसमें हिन्दी में महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित करने तथा इसे और अधिक उपयोगी बनाने का निश्चय किया गया। अतएव जनवरी सन् १६५१ से 'श्रमजीवी' को १६ पृष्ठो की एक साप्ताहिक पत्रिका में परिवर्तित कर दिया गया। 'श्रमजीवी' मे श्रम सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय, श्रम विभाग के विभिन्न उप-विभागो के कार्यो के प्रतिवेदन, श्रम समस्याओ पर विशेष लेख, कानपुर के रहन-सहन के व्यय-सूचनाक-सम्बन्धी ऑकडे, राजकीय गजट की महत्वपूर्ण सूचनाएँ तथा श्रम-सम्बन्धी अन्य बाते प्रकाशित की जाती है। अभी हाल में "पाठकों की अपनी बात", "कुछ ज्ञातव्य बाते" "क्या आप जानते है", जैसे स्थायी स्तम्भ चालू किये गये है, जिससे वह अपने पाठको में और अधिक लोकप्रिय हो सके। श्रमिको की रुचि की कविताएँ और कहानियाॅ भी समय-समय पर प्रकाशित की जाती है।

प्रत्येक वर्ष के आरम्भ मे विभाग के वार्षिक श्रम हितकारी उत्सव के अवसर पर "श्रमजीवी" का एक विशेपाक निकाला जाता है, जिसमे श्रम-सम्बन्धी विषयो पर विशेष लेख, कविताएॅ, कहानियाँ, चित्र और चार्ट आदि प्रकाशित होते है।

सामान्य प्रचार

२१. श्रम विभाग की कार्यवाहियो का प्रदर्शिनियो-द्वारा प्रचार करने के लिये प्रचार उपविभाग राज्य में आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियो मे सामग्री भेजता है। इस सामग्री में श्रम-सम्बन्धी ऑकड़ो के ग्राफ एवं चार्ट, श्रम हितकारी कार्यो के चित्र तथा अन्य सामग्री रहती है। आलोच्य वर्ष में इस प्रकार की सामग्री अजमेर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अजमेर-अधिवेशन में भेजी गई। जनवरी सन् १६५५ में आवडी (मद्रास) में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की प्रदर्शनी में भी इस प्रकार की सामग्री भेजी गई।

अनुसन्धान उप विभाग

२२. अनुसंधान उप विभाग द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के कार्य को सम्पन्न किया जाता है। यह उपविभाग श्रम-सम्बन्धी विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओ पर शैक्षणिक एवं प्रशासकीय दोनो दृष्टिकोणो से विचार करता है। वह सरकार की सूचना के लिए विश्लेषणात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करता है, जो सरकार को श्रम-सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों में नीति-निर्धारण में आधारभूत सामग्री का काम देती है। इस उपविभाग-द्वारा किये गये कार्य नीचे दिये जा रहे हैं :—

(१) राज्य, केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की श्रम-सम्बन्धी समितियो और सम्मेलनो में विचारार्थ प्रस्तावित विषयो का आलोचनात्मक परीक्षण, अध्ययन एवं विश्लेषण तथा विस्तृत टीकाओ और सुझावो को प्रस्तुत करना।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ तथा उसके द्वारा नियुक्त अन्य अभिसमितियो अर्थात्

प्रादेशिक सम्मेलनों तथा औद्योगिक समितियों आदि द्वारा प्रसारित प्रतिवेदनों का आलोचनात्मक अध्ययन।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की सिफारिशों और समझौतों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति से सम्बन्धित विषयों को समीक्षा।

(४) भारत तथा विदेशों के श्रम-सम्बन्धी कानूनों का अध्ययन तथा राज्य में ऐसे कानूनों से उत्पन्न प्रशासकीय समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन, जिसमें राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य-आनियमों का प्रस्तुत करना और उनका प्रारूप बनाना भी सम्मिलित है।

(५) राज्य तथा केन्द्र के विभिन्न श्रम कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों की जाँच और उन पर टिप्पणी।

(६) श्रम-सम्बन्धी विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं (वेतन, छुट्टी, आवास, ऋणग्रस्तता आदि) के सम्बन्ध में संख्या विभाग के सहयोग से जाँच करके प्रथम कोटि के आँकड़ों तथा अन्य सूचना का संग्रह तथा विश्लेषण।

(७) श्रम-संबन्धी अनुसंधान कार्य में यह उपविभाग अनुसंधानक छात्रों की सहायता करता है और उनका पथ-प्रदर्शन करता है तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रेषित छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। सन् १९५४ में दिल्ली विश्वविद्यालय के "दिल्ली स्कूल ऑफ़ एकानामिक्स" के छात्रों का एक दल इस उपविभाग के अधीक्षण तथा पथ-प्रदर्शन में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये आया था।

(८) विभागीय पुस्तकालय का संचालन भी इस उपविभाग के अन्तर्गत है। यह पुस्तकालय श्रम से संबन्धित विषयों पर प्रमुख संदर्भ पुस्तकालयों में से एक है। यह उपविभाग पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था रखने तथा उसमें सुधार करने तथा विश्व के समस्त देशों से श्रम-संबन्धी साहित्य को एकत्रित करने और व्यवस्थित करने की प्रत्येक सावधानी रखता है। विश्व के समस्त भागों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ और उसकी विशिष्ट अभिसमितियों द्वारा प्रकाशित श्रम विषयक लगभग ८० पत्र-पत्रिकायें इस पुस्तकालय में आती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ तथा ब्रिटेन के श्रम और राष्ट्रीय सेवा मंत्रालय के सभी प्रकाशनों को विशेष रूप से मँगाया जाता है। सन् १९५४ के अन्त में पुस्तकालय में लगभग ५,२८० पुस्तकें थीं। सन् १९५४ में ३५० पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ क्रय की गईं।

(९) राज्य की पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रमिकों, श्रम हितकारी कार्यों तथा औद्योगिक आवास व्यवस्था संबन्धी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की देख-भाल तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करने का दायित्व भी अनुसंधान उपविभाग पर है।

श्रम-सम्बन्धी जाँच और अन्वेषण

२३. श्रम विभाग के संख्या तथा अनुसंधान विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य श्रमिकों के रहन-सहन तथा काम की दशाओं तथा पारिवारिक बजट, आवास-व्यवस्था, ऋणग्रस्तता, वेतन, काम के घंटे इत्यादि के सम्बन्ध में सामाजिक-आर्थिक जाँच और अन्वेषण करना है। सन् १९५४ में इस उप विभाग ने श्रमिकों के सम्बन्ध में बहुत सी जाँचे की, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दिया जा रहा है :—

(१) सन् १९५४ में कानपुर के औद्योगिक श्रमिको के घरों में आवास-सघनता की जाँच मकान किराये के उतार-चढ़ाव के सिलसिले में की गई। यह जाँच उसी प्रकार की पहले की गई जाँचों की श्रंखला में थी। इस जाँच के फलस्वरूप मकान-किराया का वर्गांक नवम्बर सन् १९५४ में २१ अक बढ़ कर २३५ हो गया।

(२) निजी तथा सार्वजनिक उद्योगों के वेतन-स्तर की जाँच यह देखने के लिये की गई कि राजकीय सार्वजनिक उद्योगों में दिये जानेवाले और निजी उद्योगों में दिये जानेवाले वेतनों में क्या अन्तर हैं।

(३) धोतियों और साड़ियो की विभिन्न किस्मों के सम्बन्ध में भी समय समय पर जाँच की गई। इस जाँच का प्रयोजन लुप्त हुई पुरानी किस्मो के स्थान पर अन्य किस्मो के चुनने का था।

अध्याय ८

व्यावसायिक संघ

व्यावसायिक संघों को मालिकों और श्रमिकों के सम्बन्धों को ठीक रखने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त संगठन सारे संसार में मान लिया गया है। भारत के योजना आयोग ने कहा है कि आयोजित अर्थ-व्यवस्था में व्यावसायिक संघों को महत्वपूर्ण कार्य करना है। द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने तथा जनप्रिय सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद देश का व्यावसायिक संघ आंदोलन पर्याप्त रूप में बढ़ा है। व्यावसायिक संघों की संख्या में द्रुत वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं—(१) व्यावसायिक संघों पर राजनैतिक दलों के प्रभाव में वृद्धि, (२) युद्धोपरांत प्रभावों के कारण जन-साधारण की आर्थिक दशा की अवनति और (३) लोकप्रिय सरकार द्वारा स्वस्थ व्यावसायिक आंदोलन के विकास के लिए प्रोत्साहन।

२. उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक संघ आंदोलन के महत्व और देश के उद्योगों के दृढ़ और निरन्तर विकास में संघों के सहयोग को सदैव दृष्टि में रखा है। सरकार द्वारा संयोजित विभिन्न प्रतिनिधित्वपूर्ण समितियों और सम्मेलनों में श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए बुलाकर व्यावसायिक संघों के विकास को प्रोत्साहन दिया गया है।

३. राज्य में व्यावसायिक संघ आंदोलन का विकास दृढ़ और स्वस्थ आधार पर करने के लिए तथा भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम, १९२६ के पालन कराने के लिए उ० प्र० सरकार ने सन् १९४७ में श्रमायुक्त के कार्यालय में एक पूर्ण विकसित व्यावसायिक संघ उपविभाग खोल दिया। सन् १९४७ के पूर्व श्रमायुक्त व्यावसायिक संघों के रजिस्ट्रार का भी कार्य करते थे। परन्तु कार्य तथा उत्तरदायित्व की वृद्धि होने पर सरकार ने एक प्रति श्रमायुक्त को व्यावसायिक संघों का पदेन रजिस्ट्रार नियुक्त किया है। प्रति श्रमायुक्त व्यावसायिक संघों के रजिस्ट्रार की हैसियत से भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम, १९२६ के प्रशासन को भी सँभालते हैं। उनकी सहायता व्यावसायिक संघों के एक सहायक रजिस्ट्रार, एक व्यावसायिक संघ निरीक्षक, दो सहायक व्यावसायिक संघ निरीक्षक तथा कार्यालय के अन्य कर्मचारी करते हैं।

४. सन् १९५४ में प्रति श्रमायुक्त श्री महेशचन्द्र पंत २ सितम्बर सन् १९५४ तक व्यावसायिक संघ के रजिस्ट्रार का कार्य करते रहे। तदुपरांत श्री उदयवीर सिंह को रजिस्ट्रार अनुसूचित किया गया।

५. व्यावसायिक संघों के सहायक रजिस्ट्रार भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम के प्रशासन से सम्बन्धित कार्य का उत्तरदायित्व सँभालते रहे। निरीक्षण तथा विभिन्न

शिकायतों और अनियमितताओं की जाँच से सम्बन्धित कार्य व्यावसायिक संघ निरीक्षकों तथा दो सहायक व्यावसायिक संघ निरीक्षकों ने किया।

६. निम्नांकित पंक्तियों से राज्य में व्यावसायिक संघ आन्दोलन की प्रगति की जानकारी होती है :—

उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक संघों की प्रगति

७. नीचे दी हुई तालिका १ इस राज्य में व्यावसायिक संघ आन्दोलन की प्रगतिपूर्ण प्रवृत्ति का एक दृष्टि में दिग्दर्शन कराती है। प्रमाणित व्यावसायिक संघों की संख्या, जो सन् १९४५–४६ के अंत में केवल ८१ थी, निरन्तर बढ़ती रही है। सन् १९५२–५३ के अंत में प्रमाणित व्यावसायिक संघों की संख्या ५८१ थी। ३१ दिसम्बर सन् १९५४ को राज्य में ६६३ प्रमाणित व्यावसायिक संघ थे, जिनमें मालिकों के भी संघ शामिल हैं। इन संघों की सूची इस समीक्षा के द्वितीय खण्ड में दी गई है।

८. नीचे दिये गये आँकड़ों से राज्य में व्यावसायिक संघों के प्रमाणीकरण तथा सन् १९४५-४६ से आगे वार्षिक विवरण भेजनेवाले प्रमाणित व्यावसायिक संघों की सदस्य-संख्या की प्रगति का पता चलता है।

आर्थिक वर्ष	वर्ष के अंत में प्रमाणित व्यावसायिक संघों की संख्या	वर्ष का विवरण भेजनेवाले व्यावसायिक संघों की संख्या	प्राप्त विवरणों के आधार पर वर्ष के अंत में सदस्य-संख्या
१९४५-४६	८१	५२	६०,०३१
१९४६-४७	२११	❀ १२१	१,३९,११५
१९४७-४८	२९५	❀ २१८	२,२७,५५३
१९४८-४९	४५८	❀ ३१४	२,३५,१५५
१९४९-५०	५३०	† ३४६	२,२३,४११
१९५०-५१	५७२	† ३८१	१,९५,६९६
१९५१-५२	५४२	† ४१८	२,०७,९२८
१९५२-५३	५८१	† ४३६	२,३१,३९८

९. सन् १९५१-५२ की अपेक्षा सन् १९५२-५३ में प्रमाणित व्यावसायिक संघों की संख्या में ३९ की वृद्धि हुई है। वार्षिक विवरण पत्र भेजनेवाले संघों की संख्या भी सन् १९५१-५२ की अपेक्षा सन् १९५२-५३ में १८ अधिक हुई है। इससे यह पता चलता है कि अधिक व्यावसायिक संघों की बरसाती बाढ़ की अस्वस्थ प्रवृत्ति को एक मात्रा तक रोका जा रहा है और बड़े पैमाने के उत्पादन के वर्तमान युग में व्यावसायिक संघों की

❀ एक महासंघ को छोड़कर

† दो महासंघों को छोड़कर

उपयोगिता को अधिकाधिक अनुभव किया जा रहा है। यह सब रजिस्ट्रार के कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा राज्य के प्रमाणित व्यावसायिक संघों के साथ नियामित सम्पर्क रखने से सम्भव हो सका है। व्यावसायिक संघों के निरीक्षक संघों को अपने लेखा तथा विवरण ठीक प्रकार से रखने में सहायता देते रहे हैं। इससे संघों के कानून को अन्तर्गत वार्षिक विवरण भेजने के अपने उत्तरदायित्व के निभाने में सुविधा रही है।

१०. सन् १९५२-५३ के अन्त में व्यावसायिक संघों की कुल सदस्य सख्या सन् १९५१-५२ की अपेक्षा अधिक रही है।

११. उपर्युक्त तालिका में १९५३-५४ से सम्बन्धित आँकड़े देना सम्भव नहीं हो सका क्योंकि उस वर्ष के विवरण की जाँच अभी हो रही है और कुछ नये लेखे अब भी प्राप्त किए जा रहे हैं।

१२. उत्तर प्रदेश में ३१ मार्च सन् १९५४ को प्रमाणित व्यावसायिक संघों की संख्या ६३६ थी। इन ६३६ संघों में से ८४ संघों के प्रमाणीकरण सन् १९५२-५३ का अपना विवरण न भेजने के कारण रद्द कर दिए गये और तीन संघों का प्रमाणपत्र इस लिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया था। २ संघों को व्यावसायिक संघ अधिनियम, १९२६ की धारा २७ (१) के अंतर्गत समाप्त किया गया और ४ संघों के प्रमाणपत्र सन् १९५३-५४ का वार्षिक विवरण पत्र न भेजने के कारण रद्द कर दिये गये। अतः सन् १९५३-५४ के विवरण पत्र ५४३ सघों से, जिनमें दो महासंघ भी सम्मिलित हैं, आने शेष हैं। सन् १९५३-५४ के विवरणपत्र ३७६ संघों से प्राप्त हो चुके हैं। उनके सदस्यों की संख्या ३१ मार्च सन् १९५४ को १,३७,३४८ थी। इनके अतिरिक्त एक महासंघ ने भी, जिससे १० व्यावसायिक संघ संबद्ध हैं, अपना १९५३-५४ का विवरणपत्र भेज दिया है। कुछ विवरणपत्रों की अब भी जाँच हो रही है।भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम, १९२६ की धारा १० (ब) के अंतर्गत १५३ संघों को नोटिसें दी गई हैं।

१३. निम्नांकित तालिका से, जो अन्य राज्यों के रजिस्ट्रारों से प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार की गई हैं, भारतीय संघ के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक संघ आंदोलन की प्रगति का आभास मिलता है :—

तालिका २

राज्य का नाम	३१ मार्च सन् १९५३ को प्रमाणित व्यावसायिक संघों और महासंघों की सख्या		
	संघ	महासघ	योग
१	२	३	४
१. पश्चिमी बंगाल	—	अप्राप्त	१,२१५
२. बम्बई	७०९	३	७१२

१	२	३	४
३. मद्रास	६७१	२	६७३
४. उत्तर प्रदेश	५७८	३	५८१
५. त्रवांकुर-कोचीन	अप्राप्त	–	५१७
६. बिहार	४११	५	४१६
७. हैदराबाद	२५८	१	२५९
८. पंजाब	१४१	६	१४७
९. मध्यप्रदेश	१२५	४	१२९
१०. दिल्ली	१२०	१	१२१
११. उड़ीसा	अप्राप्त	–	१२०
१२. आसाम	१०२	–	१०२
१३. सौराष्ट्र	६१	१	६२
१४. मध्यभारत	अप्राप्त	–	५१
१५. राजस्थान	४७	–	४७
१६. भोपाल	१४	–	१४
१७. पेप्सू	८	–	८
१८. विन्ध्य प्रदेश	५	–	५
१९. कुर्ग	३	–	३

१४. निम्नांकित तालिका से उत्तर प्रदेश के प्रमाणित व्यावसायिक संघों के औद्योगिक वर्गीकरण तथा पुरुष एव स्त्रियों की सदस्यता के आधार पर सन् १९५२–५३ के अंत में संघों के वितरण का पता चलता है। इस तालिका में संघों द्वारा भेजे गये सन् १९५२–५३ के विवरण पत्रों के आधार पर आँकड़े दिये गए हैं :—

तालिका ३

उद्योग का वर्गीकरण	१९५२ ५३ के वार्षिक विवरण पत्र प्रेषक व्यावसायिक संघों की संख्या	१९५२-५३ में सदस्य संख्या		
		पुरुष	स्त्री	योग
१	२	३	४	५
१. कृषि तथा सम्बन्धित उद्योग				
(क) बगीचे	५	६७६	३११	९८७
(ख) ओटाई तथा गाँठ बँधाई	–	–	–	–
(ग) अन्य	६	७०३	२	७०५
२. खानें	–	–	–	–

१	२	३	४	५
३. वस्तु-निर्माण				
(क) खाद्य, पेय तथा तम्बाकू	१०८	५७,२५०	१६५	५७,४१५
(ख) वस्त्र	३३	४८,८३५	५९३	४९,४२८
(ग) कपड़ा, जूता आदि	६	७,६१७	६	७,६२३
(घ) लकड़ी और काग	३	५५४	५२	६०६
(ङ) कागज और कागज की सामग्री	५	६६३	—	६६३
(च) मुद्रण, प्रकाशन तथा अन्य संबंधित व्यवसाय	२१	४,४५६	२	४,४६१
(छ) चमड़ा तथा चमड़े का सामान	४	२,११६	७	२,१२३
(ज) रबड़ से निर्मित वस्तुयें	१	१३६	—	१३६
(झ) रसायन और रासायनिक वस्तुये	१४	४,१६४	४०	४,२३४
(ञ) अधातु खनिज उत्पादन	२	७०५	—	७०५
(ट) मूल धातु उद्योग	६	२,०१८	—	२,०१८
(ठ) धातु-निर्मित वस्तुयें	६	७०४	—	७०४
(ड) यंत्र	६२	२,४६६	२	२,४६८
(ढ) परिवहन सामग्री	१	२०	—	२०
(ण) अन्य	३	८७३	३	८७६
४. निर्माण	१	२४७	—	२४७
५. बिजली, गैस, पानी तथा सफाई की सेवायें	४८	७,८६७	६१२	८,५०६
६. वाणिज्य				
(क) थोक तथा फुटकर व्यवसाय	२३	४,०५०	३	४,०५३
(ख) बैंक और बीमा	१०	३,२६५	१	३,२६६
(ग) अन्य	७	६६०	—	६६०
७. परिवहन, गोदाम तथा यातायात				
(क) रेल	१४	६१,६२२	३५	६१,६५७
(ख) ट्राम्वे	—	—	—	—
(ग) मोटर परिवहन	१२	१,६८५	२	१,६६७
(घ) नाविक	—	—	—	—
(ङ) जहाज, घाट और बन्दरगाह	—	—	—	—
(च) डाक और तार	१	२,२०८	—	२,२०८
(छ) अन्य	७	१,०३७	३	१,०४०

१	२	३	४	५
८ सेवायें	४८	८,२६२	४०६	८,७०१
९. विविध	२६	२,६०३	२	२,६०५
कुल योग	४३६	२,२६,१४८	२,२५०	२,३१,३६८

महासंघ	१९५२-५३ में संबद्ध संघों की संख्या	
३. वस्तु-निर्माण	२	२२
(क) खाद्य, पेय तथा तम्बाकू		
योग	२	२२

१५ सन् १९५२-५३ का वार्षिक विवरण पत्र भेजनेवाले व्यावसायिक संघों का वितरण सदस्यता के आधार पर नीचे तालिका में दिया गया है। इस तालिका से पता चलता है कि ५०० से कम सदस्यतावाले छोटे संघों की ही सदस्यता अधिक है। ५० से कम सदस्यता-समूहवालों का प्रतिशत सर्वाधिक अर्थात् २०.२ प्रतिशत है, जो १०० से ५०० तक सदस्यतावाले संघों का १२ प्रतिशत है। केवल ५ संघों की सदस्यता दस हजार से अधिक है।

तालिका ४

क्रम संख्या	सदस्यों की संख्या	संघों की संख्या	संघों की कुल संख्या का प्रतिशत	कुल सदस्यता	सब संघों की कुल सदस्यता का प्रतिशत
१.	५० से कम	८८	२२.२	२,७४५	१.२
२.	५० से १०० तक	६७	१५.४	४,६४६	२.०
३.	१०० से १५० तक	५५	१२.६	६,६३१	२.६
४.	१५० से २०० तक	३४	७.८	५,६७५	२.६
५.	२०० से २५० तक	३४	७.८	७,७००	३.३
६.	२५० से ३०० तक	२३	५.३	६,१०३	२.६
७.	३०० से ३५० तक	१४	३.२	४,४५२	१.६
८.	३५० से ४०० तक	११	२.५	४,०५३	१.७
९.	४०० से ४५० तक	१५	३.५	६,२५२	२.७
१०.	४५० से ५०० तक	५	१.१	२,४१६	१.०
११.	५०० से १,००० तक	५२	१२.०	३८,७६०	१६.८
१२.	१,००० से २,५०० तक	२८	६.४	३८,५४१	१६.७
१३.	२,५०० से ५,००० तक	४	.९	१२,०६६	५.२
१४.	५,००० से १०,००० तक	१	.२	६,४००	२.८
१५.	१०,००० से अधिक	५	११	८४,६२२	३६.६
	योग	❋४३६	१००.०	२,३१,३६८	१००.०

❋दो महासंघों को छोड़कर

१६. निम्न तालिका से उत्तर प्रदेश में १० वर्ष अर्थात् १६४३-४४ से १६५२-५३ तक व्यावसायिक संघों का विकास ज्ञात होता है :—

तालिका ५

वर्ष	नव प्रमाणित संघों की संख्या	वर्ष के अंत में प्रमाणित संघों की कुल संख्या	वार्षिक विवरण भेजनेवाले प्रमाणित संघों की कुल संख्या	वर्ष के अंत में विवरण भेजनेवाले संघों की सदस्य संख्या			औसत सदस्यता प्रति संघ	पिछले वर्ष की अपेक्षा सदस्य-संख्या के प्रतिशत में वृद्धि (+) या कमी (—)
				पुरुष	स्त्री	योग		
१	२	३	४	५	६	७	८	६
१६४३-४४	२३	५६	३७	३५,३३१	६६२	३६,०२३	६७४	(+) ५२.५
१६४४-४५	११	४६	४३	५५,६७८	६७०	५६,६४८	१,३१७	(+) ५७.३
१६४५-४६	३८	८१	५२	५८,६६५	१,०६६	६०,०३१	१,१५४	(+) ६.०
१६४६-४७	१४७	२११§	१२१§	१,३७,४५५	१,६६०	१,३६,११५	१,१५०	(+)१३१.७
१६४७-४८	१७२	२६५	२१८§	२,२५,६६६	१,५५७	२,२७,५५३	१,०४४	(+) ६३.६
१६४८-४६	१८०	४५८	३१४§	२,३२,५४२	२,६१३	२,३५,१५५	७५३	(+) ३.३
१६४६-५०	१४७	५८०	३४६	२,२१,३६५	२,०४६	२,२३,४११	६४६	(−) ५.०
१६५०-५१	१३२	५७२@	३८१‡	१,६३,७६६	१,८६७	१,६५,६६६	५१८†	(−) १२.४
१६५१-५२	६१	५४२	४१८‡	२,०५,८२८	२,१००	२,०७,६२८	५००*	(+) ६.२
१६५२-५३	१०८	५८१	४३६‡	२,२६,१४८	२,२५०	२,३१,३६८	५३१	(+) ११.३

टिप्पणी—@एक महासंघ को छोड़कर।

§मूलतः रामपुर व्यावसायिक संघ अधिनियम, १६४२ के अंतर्गत पूर्व प्रमाणित सात संघों को मिलाकर।

‡दो महासंघों को छोड़कर।

†सन् १६५०-५१ में प्रति संघ औसत सदस्यता का हिसाब ३७८ संघों के लिए निकाला गया है क्योंकि तीन संघों की सदस्यता ज्ञात नहीं है।

*सन् १६५१-५२ में प्रति संघ औसत सदस्यता का हिसाब ४१६ संघों पर निकाला गया है क्योंकि दो संघों की सदस्यता ज्ञात नहीं है।

१७. ऊपर दी हुई तालिका से यह प्रकट होता है कि सन् १६४५-४६ के बाद वार्षिक विवरण भेजने और व्यावसायिक संघों की सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सन् १६४६-५० और १६५०-५१ के अन्त में सदस्यता की कमी इसलिए हुई कि कुछ बड़े संघ अपने वार्षिक विवरण भेजने में असफल रहे। साथ ही कुछ संघों ने सदस्यता के आँकड़े भेजने में असमर्थता प्रकट की और वार्षिक विवरण भेजनेवाले संघों में छोटे संघों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रही।

१८. नीचे दी हुई तालिका ६ में सम्बन्धित संघों से प्राप्त वार्षिक विवरण के आधार पर राज्य के प्रमाणित व्यावसायिक संघों के १० वर्षों (सन् १६४३-४४ से १६५२-५३ तक) सामान्य कोष, नगदी और पूँजी (नगदी को छोड़कर) के योग के आँकड़े दिखाये गये हैं :—

वर्ष	सामान्य कोष	नगदी	कुल पूँजी नगदी को शामिल करते हुये
	रुपया	रुपया	रुपया
१६४३-४४	११,७८७	१४,०४६	१४,३७६
१६४४-४५	२६,४४४	१६,७०६	१८,४२८
१६४५-४६	४२,३४१*	१,०५,७६६	३०,८६३
१६४६-४७	६२,६८५*	१,२६,३४०	६८,७०६
१६४७-४८	२,१०,३३६*	१,८३,५६६	६१,१७०
१६४८-४६	२,७४,३३२	२,२७,८८६	७७,०६६
१६४६-५०	२,६४,१६१	२,२५,४२२	१,०२,५६१
१६५०-५१	३,५६,२११	२,५४,५७५	१,३०,०२२
१६५१-५२	४,०५,१२६	२,७६,३६६	१,७६,२६६
१६५२-५३	३,८३,७५६	२,६२,०४०	१,५६,७८६

१६. ऊपर की तालिका से प्रकट होता है कि इस वर्ष सामान्य कोष, नगदी और कुल पूँजी (नगदी को छोड़कर) में गत वर्ष की अपेक्षा कुछ साधारण गिरावट आई है।

२०. सन् १६५४ में व्यावसायिक संघों के निरीक्षकों ने जो निरीक्षण एवं जाँचें की, उनकी संख्या निम्न प्रकार है :—

	निरीक्षणों की संख्या	जाँचों की संख्या	योग
१. व्यावसायिक संघों के निरीक्षकों द्वारा	८४	३६	१२०
२. व्यावसायिक संघों के दो सहायक निरीक्षकों द्वारा	१५४	३६	१६३
योग	२३८	७५	३१३

*सही किये गये आँकड़े।

२१. निरीक्षकों ने नियमित निरीक्षणों के समय प्रमाणित व्यावसायिक संघों के अधिकारियों तथा अन्य सक्रिय सदस्यों को परामर्श दिया कि वे अपने पत्रजात ठीक ढंग से रखें तथा अपने कार्य को सुचारू रूप से नियमित व्यवस्था के अनुसार करें। निरीक्षकों ने निरीक्षण के समय सामान्यतया निम्न बातों को देखा कि (१) व्यावसायिक संघ के अधिकारी अपने लेखा को ठीक ढंग से रखने के लिये पर्याप्त ध्यान नहीं देते, (२) व्यय की स्वीकृति के निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जाता, (३) संघों के कोष को सुरक्षापूर्वक बैंक या डाकखानों में नहीं रखा जाता (४) संघों के प्रमाणित विधान की धाराओं का भी पालन नहीं किया जाता, (५) किन्हीं-किन्हीं मामलों में व्यावसायिक संघ कानून के नियमों का भी पालन नहीं किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये दोषों को दूर करने के लिये व्यावसायिक संघों को आवश्यक आदेश भेजे गये और इससे अधिकांश मामलों में त्रुटियों की पूर्ति कर दी गई। जाँच का सम्बन्ध अधिकांशतया कोष के दुरुपयोग, चुनाव में अनियमितता, संघों के विघटन तथा एकीकरण एवं नये प्रमाणीकरण आदि के सम्बन्ध में संघ के सदस्यों एवं पदाधिकारियों-द्वारा की गई शिकायतों से था। कई मामलों में, जिनमें चुनाव अनियमित पाये गये, कार्यालय के रजिस्ट्रार ने सम्बन्धित पदाधिकारियों को आदेश दिए कि वे प्रमाणित विधान के पूर्णतः अनुकूल ही चुनाव करायें, जिसका उन्होंने पालन भी किया।

२२. ऐसा अनुभव किया गया है कि निरीक्षण विभाग द्वारा व्यावसायिक संघों के निरीक्षण से व्यावसायिक संघों के आन्दोलन की प्रगति एवं विकास में बहुत बड़ी सहायता मिली है। नियमित समय पर किये गये निरीक्षण न केवल कागजातों को ठीक प्रकार से रखने तथा कार्यालय में लिखा-पढ़ी के अन्य कार्यों की प्रणाली सिखाने में संघों के पदाधिकारियों की सहायता करते हैं वरन संघों के कार्यकर्त्ताओं को उत्साह तथा संघों को स्फूर्ति देते हैं।

२३. इस वर्ष सरकार ने राज्य के मजदूर संघों को कानून सम्बन्धी आवश्यक परामर्श देने के लिए एक वैधिक परामर्शदाता को नियुक्त किया है। सन् १९५४ के अन्तिम दो मासों में राज्य के ११ प्रमाणित व्यावसायिक संघों ने परामर्श के लिये आवेदन पत्र भेजे। दो संघों को वैधिक परामर्शदाता ने आवश्यक परामर्श दिये।

———

अध्याय ९

औद्योगिक आवास-व्यवस्था

आवास-व्यवस्था श्रम कल्याण का एक अनिवार्य अंग है। कोई भी कल्याण-कार्य तब तक पूर्ण प्रभावशाली न होगा, जब तक कि श्रमिकों के घरों और उनके रहने के वातावरण में सुधार करने के प्रयत्न भी साथ ही साथ न किए जायँगे। औद्योगिक केन्द्रों में जिन बुरी दशाओं में अधिकांश मजदूर रहते रहे हैं, उनसे सभी लोग परिचित हैं। औद्योगिक नगरों में मजदूरों की घनी गन्दी बस्तियाँ और अहाते साधारण वस्तु हैं। उद्योगों के विकास तथा श्रमिकों की माँग के कारण, काम के स्थानों तथा उद्योगों के निकट जनसंख्या केन्द्रित होती गई है और इसके परिणामस्वरूप गन्दी तथा घनी तथा प्रकाशहीन मजदूर बस्तियों का जन्म हुआ। दुर्भाग्यवश उद्योगों के विकास के साथ-साथ औद्योगिक केन्द्रों में बढ़नेवाली श्रमिक जनसंख्या के आवास को भी बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही नही की गई। इसलिए बस्तियों का घनी होना अनिवार्य था। परन्तु इस राज्य की सरकार औद्योगिक आवास की समस्या पर कई वर्षों से सक्रिय विचार करती आयी थी और इस समस्या को प्रभावपूर्ण ढँग से हल करने के लिए उपाय कर रही थी। परन्तु समस्या की विशालता तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण सन् १९५२ तक पर्याप्त प्रगति नही हो पाई। फिर भी मजदूरों के लिए मकान बनाने की दो महत्वपूर्ण योजनाओं को राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया। सन् १९५२ को इस राज्य के औद्योगिक गृह-निर्माण के इतिहास में महत्वपूर्ण कहा जायगा। प्रथम योजना को राज्य सरकार ने राज्य के अन्तर्गत चीनी कारखानों के मजदूरों के लिए मकान बनाने के लिए प्रारम्भ किया और दूसरी योजना भारत सरकार की सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास-योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। इन दो योजनाओं के अन्तर्गत बननेवाले मकानों की प्रगति नीचे लिखे अनुच्छेदों से जानी जा सकती है :—

राज्य के चीनी के कारखानों के श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण की प्रगति

२. सरकार-द्वारा गृह-निर्माण की योजना प्रारम्भ करने के लिये सर्वप्रथम चीनी उद्योग को चुना गया। ग्राम्य क्षेत्रों में स्थित चीनी के कारखानों के लिये औद्योगिक गृह-निर्माण की आवश्यकता सर्वोपरि थी। ग्राम्य क्षेत्रों में जब कि चीनी कारखानों में गन्ना पेरने की अवधि में श्रमिकों का बड़ी संख्या में आगमन होता है, वहाँ उनके रहने के लिये कोई स्थान उपलब्ध नहीं रहता। चीनी के कारखानों के श्रमिकों के लिये मकानों के निर्माण की योजना उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग श्रम कल्याण तथा विकास कोष अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत प्रारम्भ हुई। उक्त अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत

उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग श्रम कल्याण एवं विकास कोष की स्थापना शीरे की बिक्री पर लगाये गये उपकर से की गई, जिसे चीनी के कारखानों के मालिकों ने एक ऐच्छिक समझौते-द्वारा स्वीकार कर लिया था। इस उपकर से सरकार ने इस कोष में ४१,४६,३०० रुपये जमा किये और इसमें से ४०,६३,३७४ रुपये चीनी के कारखानों के श्रमिकों के लिये मकान बनाने के लिये निर्धारित किये गये। तब से सन् १६५४ में ४,६१,३०० रु० की और रकम कोष में जमा हुई है, जिसमें से ४,८१,४७४ रुपया उपर्युक्त प्रयोजन के लिये सुरक्षित कर दिये गये हैं। शेष धन को चीनी तथा मद्यसार उद्योग में काम करनेवाले श्रमिकों के हितकारी कार्यों एवं विकास में व्यय किया जायगा।

३. अधिनियम की धारा १० के अंतर्गत सरकार ने एक आवास समिति स्थापित की, जिसका कार्य श्रमिक मकानों के निर्माण की योजना तथा उसे कार्यान्वित करना था। गृह-निर्माण योजना को समुचित रूप से चलाने में सरकार को परामर्श देने के लिये एक परामर्शदात्री समिति बनाई गई। आवास समिति द्वारा कुल मिलाकर एक तथा दो कमरेवाले १,५०० मकान सम्बन्धित चीनी मिलों के द्वारा राज्य के ६५ चीनी के कारखानों में बनवाये जाने को हैं। सरकार चीनी के कारखानों को कच्चे माल की पूर्ति, प्राविधिक पथ-प्रदर्शन तथा नक्शे तैयार करने की सुविधाएँ प्रदान करती है। आवास-समिति ने निश्चय किया है कि जिन कारखानों को कोष से ७,००० रु० या अधिक देना स्वीकार किया गया है, उन्हें मकानों का निर्माण एक संयोजित बस्ती के रूप में, न कि इधर-उधर बिखरे हुए, बनाना होगा। ऐसी बस्तियों के नक्शे उत्तर प्रदेशीय सरकार के नगर तथा ग्राम नियोजक तैयार करेंगे। एक कमरेवाले घरों का आनुमानित व्यय २,४०० रुपया तथा दो कमरेवालों का ३,८०५ रुपया है। इसमें भूमि की भी लागत सम्मिलित है।

४. सन् १६५४ में १० और कारखानों ने निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया। इस प्रकार इन कारखानों की संख्या ४४ हो गई। कारखानों में से जिन्होंने निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया, १० के पास भूमि नहीं है, ५ के सामने अन्य कठिनाइयाँ हैं और ६ योजना में भाग लेने के लिए सहमत नहीं हैं। उपर्युक्त ६ कारखानों में मकान बनाने का प्रश्न आवास-समिति के विचाराधीन है। १० कारखानों को भूमि दिलाने के लिये भूमि-अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। ३१ दिसम्बर सन् १६५४ को निर्माण-कार्य की विभिन्न दशाओं की प्रगति नीचे दी जाती है :—

वह स्थिति जहाँ तक निर्माणकार्य पहुँचा है।	मकानों की संख्या
१	२
१—सम्पूर्ण रूप से तैयार मकान	७२१
२—छतें पड़ गईं और पलस्तर आदि लगाया जा चुका	५५
३—छत तक और छतें भी पड़ गईं	४८
४—छत तक किन्तु छतें नहीं पड़ीं	७८

१	२
५—नींव की सतह तक	३२
६—नींव की सतह के नीचे	२३

५. विभिन्न चीनी के कारखानों को सन् १९५४ में ४,६१,३०८ रु० ३ आ० की रकम उनके द्वारा पहले ही से किए गये निर्माण कार्य के व्यय के आंशिक रूप में दी गई। इस प्रकार अब तक दी गई कुल रकम १३,३५,२४२ रु० ११ आ० हुई। कुछ चीनी के कारखानों में श्रमिक जाकर रहने भी लगे हैं।

भारत सरकार की सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण की प्रगति

६. भारत सरकार राज्य सरकारों द्वारा चलायी जानेवाली मकान-निर्माण की योजनाओं की वास्तविक लागत के ५० प्रतिशत तक सहायता के रूप में तथा शेष ५० प्रतिशत तक ऋण के रूप में देती है, जिसमें भूमि का मूल्य भी सम्मिलित है। ऋण २५ वर्षों चुकाया जायगा और ब्याज ४½ प्रतिशत है। सन् १९५२-५३ के वर्ष में भारत सरकार ने औद्योगिक आवास के लिए ७१६·६२५ लाख रुपये की व्यवस्था की है, जिनमें ३२४ लाख रुपये सहायता के रूप में तथा ३९२·६२५ लाख रुपये ऋण के रूप में दिए जाने के लिए सम्मिलित हैं।

७. भारत सरकार ने राज्य सरकार को सन् १९५२ में ७५ लाख रुपये स्वीकृत किए। इस धन से कानपुर में २,२१६ मकान और लखनऊ में ५६० मकान बनने थे। योजना के द्वितीय दौर में कानपुर में २,८०० मकान बनाने के लिए ७,५६,००00 रुपये की एक और रकम स्वीकृत की गई। आलोच्य वर्ष में भारत सरकार ने १,६६,८०,००० रुपये और स्वीकृत किए हैं। इस रकम से योजना के तीसरे दौर में विभिन्न औद्योगिक नगरों में ७,४०० मकान बन जाने को है। कानपुर में योजना के दूसरे दौर में ९५० मकान बनाने के लिए २५,६५,००० रुपया और स्वीकृत हुए हैं।

दूसरा दौर

कानपुर	३,४००	मकान
फीरोजाबाद	१,०००	,,
आगरा	१,२९६	,,
बनारस	५००	,,
इलाहाबाद	५०४	,,
मिर्जापुर	९६	,,
सहारनपुर	६०४	,,

८. योजना के विभिन्न दौरों के अन्तर्गत निर्माण-कार्य की वास्तविक प्रगति निम्नांकित है :—

कानपुर में २,२१६ और लखनऊ में ५६० मकानों का बनना पूरा हो गया।

९. द्वितीय एव तृतीय दौर की स्थिति निम्नांकित है :—

दौर	स्थान	बनाये जाने-वाले मकानो की संख्या	सभी प्रकार से तैयार मकानो की संख्या	मकानो की संख्या, जिनका निर्माण निम्नलिखित स्थितियो तक पहुँचा है		
				छत की सतह तक	नीव की सतह तक	नीव की सतह के नीचे
द्वितीय	कानपुर	३,७५०	१,३००	२,२२०	१८२	–
तृतीय	कानपुर	३,४००	–	१,२६६	७५०	–
	आगरा	१,२६६	–	३३०	५७६	–
	फीरोजाबाद	१,०००	–	२४६	२६४	–
	इलाहाबाद	५०४	इन स्थानो में काम प्रारम्भ होना है।			
	बनारस	५००				
	मिर्जापुर	९६				
	सहारनपुर	६०४				

१०. चतुर्थ दौर :—राज्य सरकार ने भारत सरकार से राज्य में ७,४०० और मकान बनाने के लिए दो करोड़ रुपया और देने की प्रार्थना की है। ये मकान निम्नलिखित नगरों में बनाने का विचार किया गया है :—

कानपुर	६,००० मकान
गाजियाबाद	३०० ,,
रामपुर	१०८ ,,
बरेली	१०८ ,,
मुरादाबाद	२१६ ,,
गोरखपुर	१०८ ,,
लखनऊ	५६० ,,
	७,४००

११. इन स्थानो में भूमि-अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। चतुर्थ दौर के अंतर्गत मकान बनने की योजना पूर्ण होने पर सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अंतर्गत राज्य में औद्योगिक श्रमिकों के लिए २१,३२६ मकान बन जायँगे।

१२. एक मकान का लागत मूल्य २,७०० रुपया पड़ता है, जिसमें भूमि और उसके सुधार का मूल्य भी सम्मिलित है। इन मकानो में सीवर, नल और बिजली लगाई

११

गई है। बस्तियों में पार्क, हितकारी केन्द्र, दवाखाने, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल और इन घरों में रहनेवाले मजदूरों की सुविधा के लिए बाजारों का भी प्रबन्ध कर दिया गया है। इन बस्तियों की सफाई का प्रबन्ध नगर-पालिकाओं के नियंत्रण में है।

१३. **मकानों का एलाटमेंट :** सरकार उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक आवास विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत करने का विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य इस योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकानों के प्रशासन की व्यवस्था करना है परन्तु इस प्रयोजन के लिये सम्पूर्ण व्यवस्था होने तक सरकार ने भारत सरकार की सहायता-प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित इन मकानों के एलाटमेंट, नियंत्रण और रक्षण का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त को सौंप दिया है, जिनको इस सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये एक एतदर्थ समिति का निर्माण किया गया है।

१४. आलोच्य वर्ष में कानपुर और लखनऊ के विभिन्न कारखानों के २,६६७ श्रमिकों के मकानो के एलाटमेंट से सम्बन्धित प्रार्थनापत्रों पर विचार किया गया। आलोच्य वर्ष में कानपुर में १,६०६ मकानों में और लखनऊ में ५६० मकानों में श्रमिक रहने लगे। प्रति मकान १० रुपया अग्रिम लेकर उसे एलाट किया जाता है। यह अग्रिम रकम २५ हजार रुपया हो गई है। कुछ दशाओं में श्रमिकों-द्वारा मकान खाली करने के समय उनका अग्रिम उन्हें वापस कर दिया जाता है। श्रमिकों से बिजली के किराये को छोड़कर १० रुपया महीने किराया लिया जाता है।

गन्दी और घनी बस्तियों के सुधार के लिये कानपुर के विकास बोर्ड द्वारा किये गये कार्य

१५. यह सर्वविदित है कि औद्योगिक श्रमिक कानपुर की अँधेरी और गन्दी बस्तियों में स्वास्थ्य, दक्षता और नैतिकता के लिये हानिकर शोचनीय दशाओं में रहते आये हैं। इसलिये कानपुर की गन्दी मजदूर बस्तियों में सुधार करके उन्हें रहने योग्य बनाने की समस्या का अनुभव तीव्रता से किया गया है। मजदूरों के अहातों की सफाई और रहने की हालत में सुधार करने के लिये विकास बोर्ड ने आवश्यक कार्यवाही की है। सन् १९५४ में इस दिशा में की गई कार्यवाही की प्रगति निम्नांकित पंक्तियों से विदित हो जायगी :—

१६. यह अनुभव किया गया है कि अहातों की समस्या के समाधान का एकमात्र उपाय उन्हें यथासम्भव बिल्कुल गिरा देने का है। इस दिशा में बोर्ड ने पहली कार्यवाही ७ अहातों को गिरा कर की। उन अहातों में रहनेवाले लगभग ५०० परिवारों को बोर्ड ने वहाँ से हटाकर बाबूपुरवा में बने नये मकानों में बसाया। परन्तु अहातों के खाली कराने की प्रगति में इसलिये रुकावट हुई कि अहातों में रहनेवाले श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य लोगों को बदले में मकान देने की समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि उन्हें मजदूरों के लिये बनाई गई नई बस्तियो में स्थान नहीं दिया जा सकता। अहातों में रहनेवाले ऐसे

अनौद्योगिक व्यक्तियों को मकान देने के लिये बोर्ड ने एक विस्तृत योजना तैयार करके सरकार को दी है और इस प्रयोजन के लिये ५० लाख रुपये का ऋण माँगा है। सरकार इस पर विचार कर रही है।

१७. इसी बीच यह निश्चय किया गया है कि औद्योगिक आवास योजना और अहातों की सफाई योजना को सम्बद्ध कर दिया जाय। यह अनुभव किया गया है कि इस समय जो मजदूर अपने काम के स्थान के पास मजदूर बस्तियों में रहते हैं, इन्हे उसी क्षेत्र में रहने का स्थान दिया जाय। भूमि अधिग्रहण और बस्तियों को हटाने में निहित व्यय की कठिनाई को दूर करने के लिए कई मंजिलवाले मकान बनाने का निश्चय किया गया है। सरकार ने अहातों में या उनके निकट बनाये जानेवाले प्रत्येक मकान पर १०० रुपया अतिरिक्त व्यय देना स्वीकार कर लिया है। ३५ विभिन्न अहातों का, जिनका क्षेत्रफल लगभग ७०० एकड़ है, हाता-सुधार के साथ औद्योगिक आवास योजना के लिए निरीक्षण किया गया और अन्ततः ९ स्थानों को चुन लिया गया, जिनके लिए पूरे नक्शे तैयार कर लिए गये हैं और उत्तर प्रदेश के नगर तथा ग्राम संयोजक के सहयोग से योजना तैयार कर ली गई है। इन स्थानों पर ११,५०० मकान बनाने का प्रबन्ध किया गया है, जिसमें से ६,००० मकानों का निर्माण चतुर्थ दौर में प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया है। बोर्ड ने इस वर्ष ११ अहाता सुधार योजनाओं की सूचना दी है, जिन्हें अविलम्ब कार्यान्वित करने-सम्बन्धी कदम उठाए जा रहे हैं।

अध्याय १०

मजदूरी, महँगाई और बोनस

मजदूरी, महँगाई और बोनस श्रमिको के कुल पारिश्रमिक के विभिन्न अंग हैं। वर्तमान समय में श्रमिको, नियोजको और सरकार सबके लिये मजदूरी की नीति से सम्बन्धित समस्याएँ समान रूप से अधिक विचारणीय हे। श्रमिको के लिए इसलिये कि बढ़े हुये मूल्यो के दबाव से उनके रहन-सहन के आदर्श में बाधा पड़ती है, नियोजको के लिये इसलिये कि मजदूरी और अन्य सुविधाओ की वृद्धि की माँग से मूल्य, बाजार और उत्पादन-सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और सरकारो के लिए इसलिये कि अधिकांश देशो में, विशेष कर भारत जैसे देश में, जहाँ श्रम समस्याओं के प्रति समुचित ध्यान अभी हाल ही में दिया गया है, यह उन्ही का उत्तरदायित्व है कि मजदूरी नीति की प्रधान समस्याओ का समाधान ढूँढ़ें और समाज के समस्त अगों के लिये सामाजिक न्याय सुलभ करने की व्यवस्था करें। अतएव स्पष्ट है कि राज्य को मजदूरी, महँगाई और बोनस के निर्धारण एवं नियमन के सम्बन्ध में अत्यन्त आवश्यक और क्रियात्मक भाग लेना है, विशेष कर उस समय और भी जबकि विकास योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हो। मजदूरी के नियमन में राज्य का हस्तक्षेप आधुनिक काल में अनिवार्य-सा है, क्योंकि नियोजको की स्थिति कही अधिक ऊँची होती है, जबकि श्रमिको की स्थिति असुविधाजनक रहती है। तथापि मजदूरी के नियमन के सम्बन्ध में सरकार की नीति अत्यन्त सावधानी के साथ संचालित करनी होती है, क्योकि इसी पर औद्योगिक शान्ति और साम्यता निर्भर करती है।

२. वेतन के नियमन में राज्य का हस्तक्षेप अपेक्षाकृत भारत में अभी हाल ही में प्रारम्भ हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के समय में उत्पादन की गति को बनाये रखने और उसे अधिकतम करने के लिये सरकार ने हड़ताल, काम की बन्दी आदि को रोकने के उद्देश्य से मजदूरी आदि से सम्बन्धित विवादो को भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत अभिनिर्णय के लिये भेजने की व्यवस्था की। इस अवधि में अनेक मजदूरी-विवादो के अभिनिर्णय के लिये भेजे जाने के फलस्वरूप श्रमिको के वेतन में वृद्धि स्वीकार की गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी सत्ता ग्रहण करने के बाद तुरन्त ही १६४६ में वर्तमान मजदूरी-स्तरो की जाँच करने के लिये इस दृष्टि से व्यवस्था की कि उनका औचित्य देखा जाय और विभिन्न उद्योगो के लिये समुचित मजदूरी-स्तर निर्धारित किये जायँ। इस उद्देश्य से सरकार ने समय-समय पर अनेक जाँच समितियाँ राज्य में वर्तमान मजदूरी के सम्बन्ध में पूर्ण अनुसंधान करने और आवश्यक सुझाव देने के लिये नियुक्त की। सरकार द्वारा नियुक्त ऐसी कुछ समितियो का उल्लेख यहाँ किया जाता है :—

(१) सितम्बर, १६४६ में स्थानीय संस्थाओं में नियोजित मेहतरों की काम की दशाओं और उनकी मजदूरी की जाँच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई।

(२) १६४६ में उत्तर प्रदेश ऐण्ड बिहार शुगर फैक्टरीज़ लेबर (वेज) इन्क्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसने चीनी उद्योग की मजदूरी, महँगाई और बोनस की समस्या की जाँच की।

(३) फरवरी, १६४७ में प्रिंटिंग प्रेसेज़ इन्क्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसने उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े नगरों के छापेखानों की मँहगाई और मजदूरी की समस्या की जाँच की।

(४) १६४६ में उत्तर प्रदेश लेबर इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त की गई, जिसे उत्तर प्रदेश के उद्योगों की अन्य समस्याओं के साथ-साथ मजदूरी, मँहगाई और बोनस की सामान्य समस्या सुपुर्द की गई।

(५) १६४८-४६ में स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये उत्तर प्रदेश में कमेटी बनाई गई।

(६) उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाहर की सूती मिलों के लिये एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई।

(७) १६५० में चीनी उद्योग में मजदूरी के आदर्श बनाने और स्तरों के निर्धारित करने के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करने के लिये स्टैण्डर्डाइजेशन कमेटी (शुगर) नियुक्त की गई।

(८) कृषि श्रमिकों के लिये मजदूरी प्रस्तावित करने के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत एक समिति नियुक्त की गई।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक श्रमिकों की औसत वार्षिक आय

३. इस अध्याय के एक परिशिष्ट-रूप में एक तालिका दी गई है, जिससे उत्तर प्रदेश के विभिन्न उद्योगों के औद्योगिक श्रमिकों की १६३६-१६४६ की औसत वार्षिक आय प्रकट होती है। यह तालिका वेतन भुगतान अधिनियम, १६३६ की सक्रियता की वार्षिक समीक्षाओं से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित है। इस तालिका से स्पष्ट है कि सामान्यतया एक श्रमिक की वार्षिक आय में नियमित रूप से वृद्धि होती रही है। १६४६ के बाद की औसत वार्षिक आय के तुलनात्मक अंक देना सम्भव नहीं हो सका, क्योंकि १६५० से पुरानी औद्योगिक श्रेणियों के स्थान पर उद्योगों की नई आदर्श श्रेणियाँ ग्रहण की गईं, जो वेतन भुगतान और कारखाना अधिनियमों के प्रशासन के सम्बन्ध में विवरण और अभिलेख तैयार करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई थीं। तथापि १६५०, १६५१ और १६५२ के वर्षों की औसत वार्षिक आय को स्पष्ट करने के लिये नीचे एक तुलनात्मक तालिका दी गई है, जो नई औद्योगिक श्रेणियों से सम्बन्ध रखती है :—

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों को औसत वार्षिक आय

क्रमसंख्या	उद्योग	प्रति श्रमिक औसत वार्षिक आय											
		१९५०			१९५१			१९५२			१९५३		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१		२			३			४			५		
[१]	सरकारी और स्थानीय कोष कारखाने	९७२	१३	७	८५२	१२	०	८९५	१३	१	१,०४८	६	५
[२]	अन्य समस्त कारखानें												
१.	कृषि-सम्बन्धी कार्य	४३५	६	०	४४९	८	०	४३८	१२	१	४७०	१२	९
२.	पेयों के अतिरिक्त खाद्य	७४०	१४	८	७७३	११	१०	७९०	९	८	७९४	८	३
३.	पेय	९४७	६	१	९९२	१३	५	९९२	५	१०	९६७	७	६
४.	तम्बाकू	११०	११	७	१,१०९	८	२	१,१४०	८	०	१,२०५	१४	०
५.	सूती कारखाने	९९८	५	१०	१,०६५	१०	२	१,१०२	१३	४	१,०८९	११	५
६.	जूते, अन्य पहनावे और तैयार सूती वस्तुयें	९६८	१	०	१,०५८	३	२	१,०९२	२	९	१,०६४	८	१
७.	लकड़ी के कार्य (फर्नीचर के अतिरिक्त)	८२४	१२	४	७९६	४	८	९०४	५	०	८७१	१२	४
८.	फर्नीचर और फिक्स्चर	५७०	०	७	६४४	०	९	५१८	८	११	८८७	७	३
९.	कागज और कागज की वस्तुयें	९५४	५	८	९९३	२	७	१,४१४	२	२	१,३८०	३	९
१०.	मुद्रण, प्रकाशन और सम्बन्धित उद्योग	८०३	६	७	९७५	१३	९	९,३६०		८	४८६	११	९
११.	चमड़ा और चमड़े की वस्तुयें	८४८	१४	२	७५६	४	६	७९२	१	३	८४६	२	१०
१२.	रबर और रबर की वस्तुयें	५८३	१२	१	६२६	१५	९	५५३	७	०	५९२	५	८

१	२	३	४	५
१३. रसायन और रासायनिक वस्तुयें	६५८ १ ०	६२६ ६ ४	८६६ ० ४	६०८ १२ ८
१४. पेट्रोल और कोयले की वस्तुयें	—	—	—	—
१५. अधातु खनिज वस्तुयें (पेट्रोल और कोयले को छोड़कर)	६१० १० ६	७०३ ५ १	७२५ १३ ८	७६५ ११ ६
१६. मूल धातु उद्योग	७६६ ३ ८	७२२ ४ १	८४२ १५ १	७८१ ७ ६
१७. मशीनों और आवागमन-साधनों को छोड़कर धातु की बनी वस्तुयें	७५० ११ ७	६७० ७ १	६६६ ६ ६	४५६ १० ६
१८. विद्युत् मशीनों के अतिरिक्त मशीनों का निर्माण	७०७ ४ १	७६३ १५ ६	८०७ १५ ६	८०३ ० २
१९. विद्युत् मशीन, एपरेटस एप्लायंस और सप्लाई	६४० ० ३	६८१ ३ ८		
२०. परिवहन और परिवहन-सामग्री	८८६ ७ २	८६० २ ८	८५६ ७ ६	६०१ ३ १
२१. विभिन्न उद्योग	७२२ २ ५	७३६ ३ ११	७२३ ७ ६	१,१४२ १ ७
२२. विद्युत्, गैस और वाष्प	१,२६८ ४ १०	१,३८८ ५ ३	१,२५७ २ ११	१,४२३ १० ६
२३. जल और सफाई सेवाएँ	—	३१२ २ १०	१,२८५ ७ १	७८५ ११ ८
२४. मनोरंजन सेवाएँ	—	—	—	—
२५. व्यक्तिगत सेवाएँ	—	—	—	—
२६. छापेखाने	६०४ ३ ०	७३६ १० ६	६२४ १० ५	६६० १४ ३
सभी उद्योगों का औसत	८८० ५ ७	६०२ ६ १०	६३५ ० ५	६४४ १३ ६

टिप्पणी—१६५१, १६५२ और १६५३ के अंकों में भारत सरकार के सुरक्षा मन्त्रालय के अधीनस्थ कारखानों के आँकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

नाममात्र और वास्तविक मजदूरी के आँकड़े

४.यद्यपि कुल मजदूरी में १६३६ से बराबर वृद्धि होती रही है, तथापि यह समझना ठीक न होगा कि उसी तुलना में एक औद्योगिक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी में भी तुलनात्मक वृद्धि होती गई। रहन-सहन के व्यय-सूचनांक में होनेवाले अंतरों का एक श्रमिक की वांछित वस्तुओं की क्रय-सामर्थ्य पर सीधा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह सामर्थ्य उसकी वास्तविक मजदूरी को निर्दिष्ट करती है। यह जानना रुचिकर होगा कि धन या नाममात्र मजदूरी की तुलना में वास्तविक मजदूरी कितनी परिवर्तित हुई। इस सम्बन्ध में नाममात्र मजदूरी सूचनांक और वास्तविक मजदूरी सूचनांक के अध्ययन से यह पता चल सकेगा कि रहन-सहन के व्यय-सूचनांक की वृद्धि को संतुलित रखने के लिये श्रमिकों की मजदूरी कहाँ तक बढ़ी है। इस अध्ययन का सामान्य और सुलभ ढंग यह है कि सम्बन्धित वर्ष के रहन-सहन के व्यय-सूचनांक के प्रतिशत के रूप में धन या नाममात्र मजदूरी सूचनांक को व्यक्त कर वास्तविक मजदूरी-सूचनाक की गणना की जाय। निम्नांकित तालिका से प्रकट होगा कि १६५३ में नाममात्र मजदूरी-सूचनांक ५३६.१ था जब कि वास्तविक मजदूरी-सूचनांक केवल ११६.०३ था :—

वर्ष	औसत वार्षिक आय			नाममात्र मजदूरी सूचनांक १६३६=१०० के आधार पर	कानपुर में रहन-सहन का औसत व्यय-सूचनांक	वास्तविक मजदूरी सूचनांक
	रु०	आ०	पा०			
१६३६	१७५	४	२	१००	१०५	...
१६४०	२२३	२	११	१२७.३	१११	११४.७
१६४१	२४१	१३	६	१३७.६	१२३	११२.१
१६४२	३०३	१	०	१७२.६	१८१	६५.५
१६४३	४११	६	२	२३४.७	३०६	७६.७
१६४४	४५३	४	३	२५८.६	३१४	८२.५
१६४५	४६३	१	२	२८१.३	३०८	६१.३
१६४६	५१८	१	११	२६५.६	३२६	८६.६
१६४७	५७०	१२	०	३२५.८	३७८	८६.२
१६४८	७६८	६	६	४५५.५	४७१	६६.७
१६४६	६२६	४	६	५२८.५	४७८	११०.६
१६५०	८८०	५	७	५०२.३	४३४	११५.७
१६५१	६०२	६	१०	५१४.६	४५१	११४.२
१६५२	६३५	०	५	५३३.५	४४१	१२०.६७
१६५३	६४४	१३	६	५३६.१	४५३	११६.०३

टिप्पणी—१६५१ के आँकड़ों में भारत सरकार के रक्षा-मन्त्रालय के अधीनस्थ कारखानों से सम्बन्धित आँकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

उक्त तालिका के आँकड़ों का अध्ययन करने से प्रकट होगा कि १६४३ और १६४१ में वास्तविक मजदूरी सूचनांक बढ़ा किन्तु १६४२ में इसमें कमी हुई तदनन्तर १६४८ तक १०० के नीचे हो रहा। तथापि १६४६, १६५०, १६५१ और १६५२ में यह बढ़ा तथा १६५३ में यह ११६.३ रहा।

महत्वपूर्ण उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी

५. चीनी उद्योग :—चीनी उद्योग में पहले प्रहल सरकार ने नियमित न्यूनतम मजदूरी स्थिर की। १६४६ के पूर्व इस उद्योग में प्रचलित मजदूरी बहुत कम थी। उत्तर-प्रदेश एण्ड बिहार शुगर फैक्टरीज लेबर (वेज) इन्क्वायरी कमेटी नामक एक कमेटी नियुक्त की गई और इसके सुझावों के अनुसार चीनी उद्योग के लिये न्यूनतम मजदूरी कुल ३६ रु० प्रति मास निर्धारित की गई। यह न्यूनतम मजदूरी १६४७-४८ में बढ़ाकर ४५ रु० और पुनः १६४८-४६ के पेराई मौसम में बढ़ाकर ५५ रु० प्रति मास की गई। यह न्यूनतम मजदूरी अब भी लागू है। न्यूनतम कुल मजदूरी निर्धारित करने के अतिरिक्त सरकार ने उच्चतर वेतन-समूह श्रमिकों की मजदूरी में भी निर्दिष्ट दर से वृद्धि किये जाने का आदेश दिया। ये वृद्धियाँ पिछले तीन वर्षों से सरकार-द्वारा उत्तरप्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत एक विशेष आदेश से प्रति वर्ष कार्यान्वित की जा रही है। दिसम्बर, १६५३ में भी एक ऐसा ही आदेश सरकार-द्वारा निकाला गया, जिसमें चीनी कारखानों को १६५३-५४ के पेराई-मौसम में १६४५-४६ के मजदूरी स्तर में निम्न दर से वृद्धि करने की आज्ञा दी गई है :—

१६४५-४६ के वेतन-स्तर	प्रदत्त वृद्धि
१. २२ रु० ८ आने	३२ रु० ८ आने की वृद्धि
२. २३ रु० से ३० रु० तक	,, ,,
३. ३१ रु० से ४० रु० तक	२८ रु० १४ आने की वृद्धि
४. ४१ रु० से ५० रू० तक	२६ रु० ८ आने की वृद्धि
५. ५१ रु० से १०० रु० तक	२४ रु० की वृद्धि
६. १०१ रु० से २०० रु० तक	वेतन के २४ प्रतिशत की वृद्धि
७. २०१ रु० से ३०० रु० तक	वेतन के १८ प्रतिशत की वृद्धि

६. सूती उद्योग तथा विद्युत् प्रतिष्ठान :—अन्य उद्योग, जिनमें सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की, वे सूती और विद्युत कारखाने हैं। इन उद्योगों के लिये सरकार ने ६ दिसम्बर, १६४८ के राजकीय आदेश सं० ३७५४ (एलएल) १८—८६४ (एल)—४८ द्वारा न्यूनतम मजदूरी आगे उल्लिखित ढंग से निर्दिष्ट की :—

उद्योग	न्यूनतम मूल मजदूरी	
	औद्योगिक श्रमिकों के लिये ।	लिपिकों के लिये
१. सूती और ऊनी वस्त्रोद्योग	केवल कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस नगरों के नगर-क्षेत्र में ३० रु० मासिक और अन्य स्थानों में २८ रु० प्रति मास ।	कम-से कम मैट्रिक या तत्सम प्रमाणपत्रवालों को ५५ रु० प्रति मास और उससे कम शैक्षणिक योग्यतावालों को सर्वत्र ४० रु० प्रति मास ।
२. बिजली के कारखाने	कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में ३० रु० प्रति मास तथा अन्य स्थानों में २८ रु० प्रति मास ।	कम-से-कम मैट्रिक या तत्सम प्रमाणपत्रवालों को ५५ रु० प्रति मास और उससे कम शैक्षणिक योग्यतावालों को सर्वत्र ४० रु० प्रति मास ।

मूलतः सूती वस्त्रोद्योग के लिये निर्धारित मजदूरी सारे राज्य में लागू होने वाली थी, परन्तु बाद में आदेश के लागू होने पर, जहाँ तक सूती वस्त्रोद्योग का सम्बन्ध है, वह केवल कानपुर तक ही सीमित कर दी गई ।

कानपुर के इंजीनियरिंग कारखाने

७. १९५२ में कानपुर के कुछ इंजीनियरिंग कारखानों और उनके श्रमिकों के बीच उठे एक औद्योगिक विवाद को सरकार ने अभिनिर्णयार्थ राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेजा और न्यायाधिकरण ने अपने अभिनिर्णय में कानपुर के इंजीनियरिंग कारखानों के अदक्ष श्रमिकों के लिये न्यूनतम मूल मजदूरी २६ काम दिवसवाले प्रतिमास के लिये ३० रु० या १ रु० २ आने ६ पाई प्रतिदिन निम्न वार्षिक वृद्धि के साथ निर्धारित की :—

३०-१-४० रु० जब भुगतान मासिक होता है ।

रु० १-२-६ व रु० ०-०-७½—रु० १-८-७½ जब भुगतान प्रतिदिन होता हो ।

१९५३ में अभिनिर्णयों द्वारा अन्य उद्योगों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी

८. सन् १९५४ में अभिनिर्णायकों तथा राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण ने श्रमिकों की मजदूरी की वर्तमान दरों के सम्बन्ध में चार मामलों में निर्णय दिये । इनमें से दो मामले इंजीनियरिंग, एक विद्युत और एक लखनऊ क्षेत्र के मुद्रणालयों से सम्बन्धित है । अभिनिर्णायक ने उन इंजीनियरिंग कारखानों में १ रु० १२ आ० प्रतिदिन अथवा ४५ रु० ८ आना प्रति मास मजदूरी अदक्ष श्रमिकों के लिए निर्धारित की। किन्तु मुद्रणालयों के मामले में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई और यू० पी० एले-

क्ट्रिक सप्लाई कं० लि० लखनऊ के मामले में न्यायाधिकरण ने 'हैमरमैन' का वेतन रु० ३०-१-४० के वेतन-स्तर रु० ३०-१½-४५ कर दिया।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण

९. न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित औद्योगिक नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने १९४६ में उक्त नियोजनों में प्रचलित मजदूरी की जाँच करने के लिए एक विशेषाधिकारी को नियुक्त किया। उद्देश्य यह था कि विस्तृत जाँच की जाय, जिससे आँकड़े सुलभ हो सकें और उनके आधार पर सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट की जा सके। १९५० में इन अधिकारी द्वारा अनुसूचित नियोजनों में प्रचलित मजदूरी-स्तरों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत प्रतिवेदन सरकार के पास भेजे गये और इन प्रतिवेदनों पर विचार करने के बाद सरकार ने निम्न-लिखित अनुसूचित नियोजनों में, जहाँ भुगतान मासिक होता है, २६ कार्य दिवसोंवाले प्रति मास के लिये न्यूनतम मजदूरी २६ रु० प्रति मास और जहाँ भुगतान अन्य प्रकार से होता है, वहाँ १ रु० प्रतिदिन निर्धारित की। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में (१) मूल मजदूरी, (२) रहन-सहन का मूल्य या मँहगाई और (३) जहाँ जैसा अधिकृत हो, रियायती दर पर दी गई वस्तुओं का नकद मूल्य सम्मिलित है। सभी दशाओं में निर्धारित दरें १८ वर्ष से ऊपर आयु वाले वयस्क कर्मचारियों के लिये हैं।

१०. विभिन्न औद्योगिक नियोजन, जिनमें न्यूनतम मजदूरी की दरें निश्चित की गई हैं, इस प्रकार हैं :—

(१) चावल, आटा या दाल की किसी मिल में।

(२) तम्बाकू बनाने (जिसमें बीड़ी बनाना सम्मिलित है) के किसी कारखाने में।

(३) किसी बागान में अर्थात् केवल देहरादून जिले की उस किसी इस्टेट में, जिसमें सिनकोना, रबर चाय या काफी उत्पन्न की जाती हो।

(४) तेल की किसी मिल में।

(५) सड़क या मकान बनाने के कार्य में।

(६) पत्थर तोड़ने या पीसने में।

(७) लाख बनाने के किसी कारखाने में।

(८) सार्वजनिक मोटर परिवहन में।

(९) टैनरी या चमड़े के कारखाने में।

(१०) किसी स्थानीय अधिकारी के अंतर्गत।

(११) उत्तर प्रदेश में स्थिति खानों और 'क्वैरीज़' में पत्थर तोड़ने-पीसने के नियोजन में।

सन् १६५४ में सरकार में गाँव पंचायतों में भी नियोजनों के लिए २६ रुपया प्रति मास अथवा एक रुपया प्रतिदिन की निम्नतम मजदूरी निर्धारित कर दी। अलमोड़ा और गढ़वाल जिले में ऊनी गलीचा बनाने या शाल बुनने या बगीचों में काम करने को सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से मुक्त कर दिया था। अब इन नियोजनों में भी न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

अभ्रक उद्योग के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नही की गई है, क्योंकि पूरे राज्य में इस उद्योग में काम करने वालों की संख्या एक हजार से कम है।

स्थानीय संस्थाओ के नियोजनो के लिये निम्न प्रकार की न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित की गईं। इन दरों में भी मूल वेतन, रहन-सहन का व्यय या मँहगाई और रियायतों का नगद मूल्य सम्मिलित है तथा ये १८ वर्ष से ऊपर वाले वयस्क कर्मचारियों पर लागू होती हैं :—

स्थानीय संस्थाएँ	नियोजन की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की मासिक दर
१	२	३
		रु० आ० पा०
१. नगरपालिका कानपुर	पूर्णकालीन कर्मचारी, जैसे कि वह कर्मचारी, जो प्रतिदिन २ पालियों में ६ घण्टे से अधिक कार्य करता हो परन्तु प्रति हप्ताह ४८ घण्टों के अधिक कार्य न करे।	३६ ४ ०
२. स्थानीय संस्थाये, श्रेणी प्रथम	,,	३१ ४ ०
३. ,, द्वितीय	,,	२५ ० ०
४. ,, तृतीय	,,	२२ ८ ०
५. ,, चतुर्थ	,,	२० ० ०
६. ,, पंचम	,,	१७ ८ ०
७. नागरपालिका, कानपुर	तीन-चौथाई कालीन कर्मचारी, जैसे कि वह कर्मचारी, जो ४ घण्टे से अधिक एवं ६ घण्टे से कम प्रतिदिन दोनों पालियो में कार्य करता हो परन्तु प्रति सप्ताह ३६ घण्टे से अधिक कार्य न करे।	३० ० ०

१	२	३
		रु० आ० पा०
८ स्थानीय संस्थाएँ, श्रेणी प्रथम	,,	२५ ० ०
९. ,, द्वितीय	,,	२० ० ०
१०. ,, तृतीय	,,	१७ ८ ०
११. ,, चतुर्थ	,,	१५ ० ०
१२. ,, पंचम	,,	१३ १२ ०
१३. नगरपालिका, कानपुर	अर्द्धकालीन कर्मचारी, जैसेकि वह कर्मचारी, जो एक पाली में प्रतिदिन ४ घण्टे कार्य करता हो परन्तु प्रति सप्ताह २४ घण्टे से अधिक कार्य न करे।	२२ ८ ०
१४. स्थानीय संस्थाएँ श्रेणी प्रथम	,,	१७ ८ ०
१५. ,, द्वितीय	,,	१५ ० ०
१६. ,, तृतीय	,,	१३ १२ ०
१७. ,, चतुर्थ	,,	११ ४ ०
१८ ,, पंचम	,,	१० ० ०
१९. सभी जिलाबोर्ड	वह कर्मचारी जो पूरे दिन औसत ८ घण्टे तक कार्य करता हो।	३० ० ०

कृषि में न्यूनतम मजदूरी

११. न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ के बनने के तुरन्त बाद ही भारत सरकार ने सारे भारत में कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में व्यापक रूप से जाँच करने का निर्णय किया, जिससे कृषि-क्षेत्र में प्रचलित मजदूरी की दरों आदि सम्बन्धी विस्तृत आँकड़े एकत्र हो सके। यह इसलिये आवश्यक था क्योंकि कृषि नियोजन उन निर्दिष्ट नियोजनों में से एक था, जिनमें न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित की जानेवाली थी परन्तु कृषि-क्षेत्र में कोई जाँच न होने के कारण कृषि श्रमिकों को मिलनेवाली मजदूरी की दरों आदि के सम्बन्ध में कोई भी सूचना सुलभ न थी। भारत सरकार की इस योजना में उत्तर प्रदेश के १२० गाँव "रैंडम सैंपलिंग" के आधार पर चुने गये, जिनमें कृषि श्रमिकों-सम्बन्धी जाँच की गई। यह जाँच दो वर्षों तक होती रही और इससे कृषि श्रमिकों की मजदूरी, पारिवारिक आय-व्यय आदि विभिन्न बातों के सम्बन्ध में बहुत सी उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त हुईं। इस जाँच से प्रकट हुआ कि राज्य के कुछ भागों में वियस्कों के लिये ६ आ० से १० आ० तक और बालकों के लिये ४ आ० से ६ आ० तक की मजदूरी प्रचलित है। इस जाँच के फलस्वरूप राज्य के "कम मजदूरीवाले क्षेत्रों" पर भी प्रकाश पड़ा। राज्य-सरकार ने पहले अपना ध्यान राज्य के कम मजदूरीवाले स्थलों पर केन्द्रित करने का निश्चय

किया, जिनमें राज्य के १२ जिले (बाँदा, हमीरपुर, जालौन, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर) सम्मिलित हैं। जनवरी, १६५१ में सरकार ने उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त श्री ओंकारनाथ मिश्र, आई० ए० एस० की अध्यक्षता में कृषि की मजदूर समस्या की जाँच करने और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति में दो अधिकारी सदस्य और मालिकों तथा श्रमिकों में से प्रत्येक के सात-सात प्रतिनिधि सदस्य थे। इस समिति की बैठकें लखनऊ, कानपुर, देहरादून और बनारस में हुई और इसने अपना प्रतिवेदन नवम्बर, १६५१ में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इस समिति ने यह सिफारिश की कि जहाँ तक मजदूरी निर्धारित करने का सम्बन्ध है, पुरुष और महिला श्रमिकों में कोई भेद-भाव न किया जाय।

१२. प्रारम्भ में उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित केवल १२ जिलों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई, जो केवल ५० एकड़ या उससे अधिक के कृषि फार्मों में नियोजित श्रमिकों पर लागू होती है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें इस प्रकार हैं :—

(१) वयस्कों के लिये १ रुपया प्रतिदिन या २६ रुपया प्रतिमास।

(२) बालकों के लिये १० आने प्रतिदिन या १६ रुपये प्रतिमास।

१३. सारे राज्य में २० एकड़ या उससे अधिक के कृषि फार्मों में और राज्य के उपर्युक्त १२ कम मजदूरीवाले जिलों के सभी खेतों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और दिसम्बर सन् १६५४ में सरकारी अधिसूचना संख्या २८६०१ (एल-एल) । ३६ (बी)—४३६ । (एल-एल) १६५२, दिनांक २८ दिसम्बर, १६५४ के अनुसार कम मजदूरीवाले जिलों में सर्वत्र और अलमोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में ५० एकड़ या इससे बड़े फार्मों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया। ये वेतन २८ मार्च सन् १६५५ से लागू होंगे।

मँहगाई

१४. भारत में औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी का एक महत्वपूर्ण अंग मँहगाई है। १६३६ के बाद, जब कि द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ, वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगा। मँहगाई श्रमिकों की आय का एक बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं किन्तु सारपूर्ण अंग बन चुका है। १६३६ तक श्रमिकों की मजदूरी में मँहगाई जैसा कोई अंग नही था और केवल मूल मजदूरी का भुगतान किया जाता था। तथापि १६३६ से रहन-सहन के व्यय में वृद्धि होने के कारण श्रमिकों की ओर से बार-बार माँग की गई कि रहन-सहन व्यय की वृद्धि की पूर्ति के लिये अतिरिक्त भत्ता दिया जाय। अनेक कारखानों ने वेतन-स्तरों का प्रारम्भ किया, जिनके अनुसार वे मँहगाई देने लगे। दूसरे अनेक मामलों में मँहगाई की माँग अभिनिर्णय के लिये भेजी गई और अलग-अलग कारखानों के लिये भिन्न-भिन्न स्तर निर्धारित

किये गये। एम्प्लायर्स एसोसियेशन आफ़ नार्दर्न इण्डिया, कानपुर ने कुछ आदर्श स्तर बनाये, जिनके अनुसार उनके सदस्य कारखानों ने मँहगाई का भुगतान प्रारम्भ किया। अलग-अलग उद्योगों के लिये अलग-अलग स्तर बनाये गये, परन्तु एम्प्लायर्स एसोसियेशन आफ नार्दर्न इण्डिया द्वारा बनाये गये स्तरों के अतिरिक्त मँहगाई के स्तरों में कोई साम्य नही था।

वास्तव में सारे भारत में अभी तक कोई ऐसा सिद्धान्त निश्चित नहीं हुआ है, जिसके अनुसार मँहगाई का निर्धारण एकरूपतापूर्वक हो सके। मँहगाई की दरे न केवल केन्द्र-केन्द्र और उद्योग-उद्योग में अलग-अलग हैं किन्तु एक ही उद्योग के अंग-अंग में और एक ही स्थान में विभिन्न हैं। कही तो मँहगाई मूल मजदूरी के प्रतिशत पर 'फ्लैट' दर से दी जाती है और कहीं 'स्लैब' दर से या कहो आय के अनुसार उसका क्रम है तथा कही प्रतिदिन या प्रति मास के लिये स्थिर धन के अनुसार है तो कहीं उसे रहन-सहन के व्यय-सूचनांक से सम्बद्ध रखा गया है। भारत सरकार द्वारा उचित मजदूरी के सम्बन्ध में नियुक्त समिति ने मँहगाई के प्रश्न की जाँच की और इस परिणाम पर पहुँची कि निम्न-तम श्रेणी के कर्मचारियों के लिये तो रहन-सहन में १०० प्रतिशत वृद्धि की भरपाई करने का लक्ष्य होना चाहिये किन्तु उच्चतर श्रेणियों के सम्बन्ध में भरपाई का निम्नतर स्तर लागू होना चाहिये और वह धन वेतन-स्तरों या 'स्लैब' पर आधारित होना चाहिये।

१५. उत्तर प्रदेश में पहले पहल सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत ६ दिसम्बर, १६४८ के राजकीय आदेश संख्या ३७५४ (एल-एल)। १८—८६४ (एल)--४८ द्वारा सूती वस्त्रोद्योग और बिजली के कारखानों के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की। मँहगाई की दर इस प्रकार थी :—

प्रति अंक-वृद्धि पर मँहगाई (आनों में)

व्यय-सूचनांक	सूती वस्त्रोद्योग कानपुर	कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, मेरठ और बरेली-स्थित बिजली के कारखाने	अन्य स्थानों के बिजली के कारखाने	
			व्यय-सूचनांक	प्रति अंक-वृद्धि पर मँहगाई आनों में
१०० से १२५	—	—	१०० से १२५	—
१२६ से २००	३.० आना	२ ५ आना	१२६ से ३००	२.० आना
२०१ से ३००	२.८ आना	२.४ आना	३०१ से ५००	१.६ आना
३०१ से ४००	२.७ आना	२.३ आना	५०१ से ७००	१.८ आना
४०१ से ५००	२.५ आना	२.२ आना	—	—
५०१ से ६००	२.३ आना	२.० आना	—	—
६०१ से ७००	२.० आना	१.८ आना	—	—

बोनस

१६. बोनस भी एक अतिरिक्त भुगतान है, जो श्रमिकों को दिया जाता है। पहले जब बोनस के दावों-सम्बन्धी माँगें अभिनिर्णयार्थ उपस्थित हुईं तब नियोजकों की ओर से यह कहा गया कि बोनस का देना या न देना उनके विवेक पर निर्भर करता है क्योंकि उसका भुगतान सर्वथा पुरस्कार-रूप है। तथापि यह सिद्धान्त अब कोई मूल्य नहीं रखता और बोनस की माँग एक वैध औद्योगिक माँग मानी जा चुकी है; शर्त यह है कि लाभ हुआ हो। सारे देश में औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अतिरिक्त लाभ की दशा में बोनस की माँगों को उचित ठहराया है। अभी तक बोनस की दर के सम्बन्ध में कोई सीधा-सादा नियम नहीं रखा गया है, जो सभी मामलों में लागू हो सके। अतएव बोनस की दर हर मामले में अनिवार्यतः भिन्न होती है क्योंकि वह प्रत्येक दशा में तत्सम्बन्धी अपनी स्थितियों पर निर्भर करती है। जब भारत के माननीय श्रम अपील-न्यायाधिकरण ने उद्योग के लाभ पर लगनेवाली पूर्व वसूलियों के सम्बन्ध में, जिन्हें श्रमिकों की बोनस की किसी माँग पर विचार करने से पहले ही लाभ में से निकालना आवश्यक है, कुछ सिद्धान्त निर्दिष्ट किये तब बोनस स्वीकार करते समय ध्यान देने योग्य दशाओं के सम्बन्ध में पहले पहल बहुत कुछ साम्यता प्राप्त की गई।

१७. इस सम्बन्ध में इस राज्य का चीनी उद्योग विशेषतया उल्लेखनीय है। चीनी उद्योग के श्रमिकों की बोनस-समस्या पहले पहल १९४६ में उत्तर प्रदेश की सरकार-द्वारा एक समिति के सुपुर्द की गई थी और नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच हुये एक समझौते के फलस्वरूप सरकार ने चीनी कारखानों को एक निर्दिष्ट दर से बोनस का भुगतान करने की आज्ञा दी। उस वर्ष से सरकार चीनी कारखानों के श्रमिकों के बोनस-भुगतान के सम्बन्ध में प्रति वर्ष आदेश देती रही है। चीनी कारखानों के श्रमिकों के बोनस-भुगतान सामान्यतः चीनी-उत्पादन से सम्बद्ध हैं किन्तु उन कारखानों के सम्बन्ध में, जो हानि सिद्ध कर सकते थे, अपवाद भी रखे गये हैं। चीनी कारखानों के श्रमिकों की बोनस-स्वीकृति की एक वर्षानुसार विस्तृत टिप्पणी चीनी उद्योग के अध्याय में दी गई है।

१८. अब कुछ कारखानों-द्वारा स्वतः भी बोनस घोषित किया जाता है और यदि श्रमिक बोनस की घोषित दर से सन्तुष्ट नहीं होते तो कभी-कभी मामला एक औद्योगिक विवाद के रूप में अभिनिर्णयार्थ किसी अभिनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है। १९५४ में बोनस-सम्बन्धी अनेक विवाद अभिनिर्णय के लिये भेजे गये जब कि कुछ मामलों में बोनस स्वतः भी घोषित किया गया। सन् १९५४ में भुगतान किये गए बोनस की दरें और रकमें और सम्बन्धित कारखानों के नाम इस अध्याय से संलग्न तालिका में आगे दिए गए हैं :--

अनुसूची

सन् १९५४ में बोनस भुगतान का विवरण

क्रमांक	उद्योग	कारखाने का नाम	बोनस की दर	संबंधित अवधि, जिसका बोनस दिया गया	दशायें
१	२	३	४	५	६
१.	खाद्य, पेय और तम्बाकू	हिन्दुस्तान वनस्पति मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, गाजियाबाद (मेरठ)	कुल मूल मजदूरी का $\frac{1}{3}$	१९५३	
२.	,,	हिन्दुस्तान वनस्पति मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, गाजियाबाद (मेरठ)	कुल मजदूरी का $\frac{1}{4}$ और साथ में कुल मजदूरी का $\frac{1}{12}$ अतिरिक्त भुगतान	१९५२	
३.	विविध	बरमा शेल डिपो कं०, मेरठ	श्रमिकों तथा कर्मचारियों के लिए वर्ष भर की आय का $\frac{1}{12}$	१९५३	
४.	,,	,,	३ महीने की मूल मजदूरी मँहगाई भत्ते सहित	१९५२	
५.	,,	कोआपरेटिव कं० लि०, नवाबगंज, सहारनपुर	एक महीने का वेतन	१९५३-५४	३१-३-५४ पर एक वर्ष की नौकरी होने पर तथा केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए
६.	खाद्य, पेय और तम्बाकू	उदियाबाग टी इस्टेट, देहरादून	१. एक महीने में २५ दिन काम करनेवालों के लिए ३ दिन की मजदूरी २. १८ से २४ दिन तक काम करनेवालों को २	१-१-५३ से ३१-१२-५३ तक	१. पर्याप्त लाभ की आय होने पर २. मजदूर ने कारखाने में

१	२	३	४	५	६
			दिन की मजदूरी ३.१३ से १७ दिन तक काम करनेवालों के लिए १ दिन की मजदूरी १७ दिन की मजदूरी		कम से कम ६ महीने या अधिक काम किया हो ।
७.	विविध	इंटरनेशनल रबर मिल्स, मेरठ			
८.	इंजीनियरिंग	सहारनपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, सहारनपुर	१२ महीने की नौकरी पूरा कर लेनेवाले स्थायी कर्मचारियों को २ महीने की मजदूरी और दूसरों को उसी अनुपात से उनकी नौकरी की अवधि के अनुसार	१९५२ ५३ ५३ ५४ का आर्थिक वर्ष	
९	,,	यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कं०, इलाहाबाद	३ महीने का मूल वेतन	१९५२ ५३	१९५४ के जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में दिया गया
१०	,,	बनारस एलेक्ट्रिक लाइट एण्ड पावर कं०, बनारस	३ महीने का मूल वेतन	१९५२ ५३	७ अप्रैल सन् १९५४ को भुगतान होगा ।
११	खाद्य, पेय और तम्बाकू	मे० श्री गोयनका मिल्स, शिवपुरी, बनारस	४० दिन का पूरा वेतन	१९५१ ५२	
१२	विविध	इलाहाबाद ब्लाक वर्क्स लि०, इलाहाबाद	कुल मिलाकर २६१ रु०	३० सितम्बर १९५३ को अंत होनेवाला वर्ष	(१) बोनस अवधि की अंतिम तारीख को उपस्थित सभी कर्मचारियों को

१	२	३	४	५	६
१३	वस्त्र	एलगिन मिल्स कं० लि०, कानपुर	मूल वेतन पर चार आना प्रति रुपया		जो स्थायी अस्थायी और स्थानापन्न हैं (२) श्रमिक जिन्होंने बोनस घोषित होने के दिनों में कम से कम ३२ दिनों काम नही किया हे (३) दुराचरण के लिये बर्खास्त किए गए कर्मचारी बोनस के अधिकारी न होंगे।
१४.	खनिज और धातुयें	जे० के० आयरन एण्ड स्टील क० लि०, कानपुर	,,	३० अप्रैल, १६५४ को समाप्त होनेवाला वर्ष	,,
१५.	विविध	पर्ल प्रोडक्शन कं० लि०, कानपुर	,,	३१ दिसम्बर, १६५३ को समाप्त होनेवाला वर्ष	,,
१६.	इंजीनियरिंग	बरेली एलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, बरेली	२ महीने का मूल वेतन	१६५१-५२	सभी श्रमिको को सिवाय-उनके जिन्हे सन् १६५१-५२ में दुराचरण के लिए नौकरी से पृथक् कर दिया गया हो।

१	२	३	४	५	६
१७.	वस्त्र	मे० ए० टेलरी एण्ड सन्स लि०, बनारस	डेढ़ महीने की मजदूरी	१९५१-५२	अभिनिर्णय के एक महीने के अन्दर
१८.	,,	मे० श्रोबेटी लि०, मिर्जापुर	२ महीने का वेतन	१९५२	अभिनिर्णय के ३० दिन के अंदर
१९.	खाद्य, पेय और तम्बाकू	मे० बिंदकी राइस एण्ड आयल मिल्स, फतेहपुर	१. जिन्होंने ३० से ८९ दिन तक कार्य किया, वे १ दिन का वेतन पायेंगे। २. जिन्होंने ९० से १७९ दिन तक काम किया, २ दिन का वेतन पायेंगे। ३. जिन्होंने १८० से २६९ दिन तक काम किया, ३ दिन का वेतन पायेंगे। ४. जिन्होंने २७० से अधिक दिनों तक काम किया, वे ४ दिन का वेतन पायेंगे।		
२०.	इंजीनियरिंग	मे० झाँसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, गोरखपुर	डेढ़ महीने का मूल वेतन	१९५२	
२१.	विविध	मे० स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कं० ऐण्ड मे० बर्मा शेल आयल स्टोरेज ऐण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कं०, गोरखपुर	३ महीने का मूल वेतन	१९५२	

१	२	३	४	५	६
२२.	वस्त्र	कानपुर काटन मिल्स (कूपरगंज, कानपुर)	कुल मूल मजदूरी पर ४ आ० प्रति रुपया	३१-१२-५३ को समाप्त होनेवाला वर्ष	१. बोनस अवधि की अंतिम तिथि को कंपनी की उपस्थिति पंजिका में अंकित सभी स्थायी, अस्थायी अथवा स्थानापन्न श्रमिक २. जिन्होने बोनस अवधि में कम से कम ३२ दिन काम नहीं किया है। ३. दुराचरण के दोषी श्रमिक, जिन्हें नौकरी से पृथक् कर दिया गया है, बोनस पाने के अधिकारी न होंगे।
२३.	,,	कानपुर काटन मिल्स, जूही, कानपुर	,,	,,	,,
२४.	,,	जे० के० स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०, कानपुर	,,	,,	,,
२५.	खाद्य, पेय तथा तम्बाकू	जे० के० आयल मिल्स, कानपुर	मूल वेतन के हिसाब से प्रति रुपया सवा दो आने	,,	और सब वही केवल शर्त नं० २ में दिन ३०।

१	२	३	४	५	६
२६.	इंजीनियरिंग	मोदी लैंटर्न वर्क्स, मोदीनगर, मरठ	एक वर्ष की नौकरी पूरी करनेवालों को २० दिन का वेतन और उसी अनुपात से दूसरों को।	३१-१२-५३ को समाप्त होने वाला वर्ष।	
२७.	खाद्य, पेय और तम्बाकू	अमृत वनस्पति कं० लि०, गाजियाबाद	मूल वेतन का २५ प्रतिशत	१९५३-५४	उनके लिए जिन्होंने कम से कम ६ महीने की नौकरी पूरी करली है और जुलाई, अगस्त और सितम्बर महीनों में ३ किश्तों में देने को।
२८.	खनिज और धातुएँ	तेज एनामिल एण्ड मेटल कं० लि०, सहारनपुर	२५ हजार रु० से ऊपर प्रथम ५,००० रु० के उत्पादन पर १० प्रतिशत और फिर ५,००० रु० के प्रति उत्पादन पर ५ प्रतिशत	१९५४ के मार्च से जून तक	यह उत्पादन बोनस है, जोकि २५ हजार रु० से अधिक का उत्पादन होने पर दिया जायगा।
२९.	वस्त्र	मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०, मोदीनगर (मेरठ)	अ श्रेणी ५८ रु० ब „ ६२ रु० स „ ७२ रु० ड „ ८५ रु० इ „ १०५ रु० फ „ १३५ रु० ग „ १६५ रु०	१-४-५३ से ३१-३-५४ तक	सभी श्रमिकों के लिए।

१	२	३	४	५	६
३०.	विविध	मेरठ स्ट्रा बोर्ड मिल्स	एक दिन का उत्पादन	फरवरी सन् ५४	कलेंडर के एक महीने के कुल उत्पादन में उस सामान की गिनती होगी, जो मिल के बिक्री विभाग द्वारा निर्धारित गुणो के अनुसार श्रेष्ठ उत्पादन होगा और गोदाम को भेजा जायगा और वहाँ स्वीकार किया जायगा। महीने में कम से कम ५ दिन पूरा उत्पादन तथा ३ दिन आंशिक रूप से उत्पादन अनिवार्य है। कमी अगले महीने में अवश्य पूरी की जानी चाहिए। कम उत्पादन तब तक होगा जब तक स्ट्रा बोर्ड मिल्स या उसके किसी भाग की नई मशीनें या प्लाटों से काम नही होने
			$1\frac{3}{4}$,, ,,	मार्च सन् ५४	
			१ ,, ,,	अप्रैल सन् ५४	
			१ ,, ,,	मई सन् ५४	
			१ ,, ,,	जून सन् ५४	



१	२	३	४	५	६
					लगता अथवा १-२-५४ से ६ महीने की अवधि तक, इन दोनो में से जो भी पहले हो।
३१.	खाद्य, पेय तथा तम्बाकू	मोदी वनस्पति मैन्यूफैक्चरिंग कं० मोदीनगर (मेरठ)	कुल वेतन का $\frac{1}{6}$	१-१२-५२ से ३१-१०-५३ तक	प्रत्येक कर्मचारी को किंतु इस शर्त के साथ कि उसने वर्ष में कम से कम १ महीने काम किया हो और दुराचरण के कारण नौकरी से पृथक् न किया गया हो।
३२.	,,	गंगा शुगर कारपोरेशन लि०, देवबंद (जिला सहारनपुर)	१ महीने और १५ दिन का मूल वेतन	१९५२-५३	
३३.	,,	मोदी शुगर मिल्स लि०, मोदीनगर (मेरठ)	एक महीने के वेतन के बराबर बोनस अग्रिम दिया गया	१९५३-५४ का पेराई का मौसम	यदि किसी न्यायालय के द्वारा अथवा सरकार के आदेश से घोषित किया जायगा तो इस अग्रिम बोनस का हिसाब उसमें गिन लिया जायगा।

१	२	३	४	५	६
१४ ३४.	खाद्य, पेय तथा तम्बाकू	दौराला शुगर वर्क्स, दौराला	(अ) चीनी कारखाने के कर्मचारी की मौसमी उपस्थिति के १८ दिन का वेतन (ब) केन्द्रीय समूह से पानेवालों का १८ दिन का वेतन	१९५२-५३ का पेराई का मौसम	
३५.	,,	दौराला शुगर वर्क्स डिस्टिलरी, दौराला	१९५१-५२ में पूरी उपस्थिति के लिए एक सप्ताह का वेतन	१९५१-५२	
३६.	,,	हरबंसवाला टी इस्टेट, देहरादून (देहरादून टी० कं० लि०, देहरादून)	१५ दिन का वेतन	दिसम्बर, १९५३ को समाप्त होनेवाला वर्ष	६० दिन से ९० दिन तक नौकरी करनेवालों को ३¾ दिन का वेतन, ९१ से १२० दिन तक नौकरीवालों को ७½ दिन का वेतन, १२१ से १८० दिन तक वालों को ११¼ दिन का वेतन, १८० दिन से अधिक काम करनेवालों को १५ दिन का वेतन।

१	२	३	४	५	६
३७.	विविध	एलाइड सर्जिकल एम्पोरियम, लाल-बाग, लखनऊ	सन् १९५३-५४ में पूरी नौकरी करनेवालो को १५ दिन का वेतन या उसी अनुपात से जितने दिनो तक काम किया हो।	१९५३-५४	उक्त वर्ष में दुराचरण के लिए नौकरी से पृथक् किए गये कर्मचारी बोनस न पायँगे।
३८.	,,	जगदीश एण्ड क०, लखनऊ	१९५२-५३ के वर्ष में प्रत्येक कर्मचारी को ५ दिन का वेतन उसके काम करने के दिनो के अनुपात से।	१९५२-५३	
३९.	इंजीनियरिंग	जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स, लखनऊ	एक वर्ष की नौकरी पूरी करनेवालो को ६ दिन का कुल वेतन। अन्य कर्मचारी, जिन्होने १२ महीने से कम किन्तु एक महीने से अधिक काम किया है, उसी अनुपात से बोनस पायँगे।	१९५२-५३	दुराचरण के लिए पृथक् किये गये अथवा एक महीने से कम काम करनेवालो को बोनस नही मिलेगा।
४०	,,	फैरेडे ट्यूबवेल कांस्ट्रक्शन कं०, लखनऊ	१,००० रु०	१९५२-५३	१९५२-५३ में अर्जित मूल मजदूरी के अनुपात से बोनस दिया जायगा। ऐसे

१	२	३	४	५	६
					दुराचार के कारण जिससे, कम्पनी को आर्थिक क्षति हुई हो, नौकरी से पृथक् किये गये कर्मचारी को बोनस नही मिलेगा।
४१	खाद्य, पेय तथा तम्बाकू	कानपुर शुगर वर्क्स लि० डिस्टिलरी, कानपुर	मूल वेतन के प्रति रुपये पर ४ आ० की दर से	३१ अक्टूबर, १९५३ को समाप्त होने-वाले वर्ष के लिए	कर्मचारी, जिन्होंने कम से कम उन ३० दिनों तक काम नहीं किया है, जिनके बीच बोनस की घोषणा की गई।
४२	विविध	१—मेसर्स काल्टेक्स (इंडिया) लि०, २—मेसर्स स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कं०, ३—मेसर्स बर्मा शेल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कं० आफ इंडिया लि०, उत्तर प्रदेश	तीन महीने का मूल वेतन	सन् १९५२ के लिए	अग्रिम दिया गया रु० घोषित रकम से घटा लिया जायगा। बोनस सभी कर्म-चारियों को, जिन्होंने सन् १९५२ में पूरे दिनों या कम दिनों काम किया है, दिया जायगा किन्तु केवल उनको छोड़कर, जो कम्पनी को क्षति पहुँचानेवाले दुराचरण के कारण नौकरी से पृथक् कर दिये गये हों। उनके बोनस में क्षति की रकम काट ली जायगी।

१	२	३	४	५	६
४३.	इंजीनियरिंग	मार्टिन बर्न्स लि० के बरेली, मुरादाबाद और मेरठ-स्थित बिजली के कारखाने			दुराचरण के कारण नौकरी से पृथक् किए गये कर्मचारियोंको बोनस न मिलेगा।
४४.	,,	माडर्न ट्रेडिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं०, लखनऊ	दो महीने का मूल वेतन ६०० रु०	१९५२-५३ के लिए ३१ दिसम्बर १९५२ तथा ३१, दिसम्बर १९५३ को समाप्त होनेवाला वर्ष	,,
४५.	विविध	आर० एन० सान्याल एण्ड सन्स, लखनऊ	१५ दिन का वेतन	१९५२-५३	
४६.	इंजीनियरिंग	प्रकाश इंजीनियरिंग कं०, लखनऊ	२५० रु०	१९५२-५३	
४७.	खाद्य, पेय तथा तम्बाकू	अमृतसर शुगर मिल्स कं० लि०, रोहनाकलाँ	१९५२-५३ के पेराई मौसम में अर्जित कुल वेतन के हिसाब से एक रुपये में ४ आ० $3\frac{1}{2}$ पा०	१९५२-५३	१९५२-५३ के मौसम में काम करनेवाले श्रमिकों को उस अवधि में अर्जित मजदूरी के अनुसार
४८.	विविध	हापुड़ बोन मिल्स, हापुड़	स्थायी कर्मचारियों को एक सप्ताह का वेतन	१-९-५३ से ३१-८-५४ तक	
४९.	खाद्य, पेय तथा तम्बाकू	सर शादीलाल शुगर एण्ड जनरल मिल्स लि०, मंसूरपुर	५ आना प्रतिमन	१९५२-५३	

१	२	३	४	५	६
५०.	खाद्य, पेय तथा तम्बाकू	जसवंत शुगर मिल्स लि०, मेरठ	१९५३-५४ में पूरे मौसम में काम करनेवालों को एक महीने की कुल मजदूरी बोनस के रूप में दी जायगी और दूसरों को मूल वेतन की पूर्व दर पर।	१९५३-५४	
५१.	विविध	मेरठ स्ट्रा बोर्ड, मेरठ	स्ट्रा बोर्ड मिल्स में पूरे वर्ष काम करनेवालों को एक महीने का कुल वेतन। इससे कम किंतु ३० दिन से अधिक काम करनेवालों को पूर्व दर पर।	१९५३-५४	
५२.	खनिज और धातुएँ	ब्रासशीट मिल्स, मुरादाबाद	१९५२-५३ की कुल अर्जित मजदूरी का १/१२	१९५२-५३	कारखाने में जिन्होंने कम-से-कम लगातार ३० दिन काम किया है।
५३.	इंजीनियरिंग	बैलेंस वर्क्स लि०, बनारस	एक महीने का वेतन। केमिकल बैलेंस माडल नं० २ को ठीक करने के लिये अमानी पर काम करनेवाले कर्मचारियों को मँहगाई मिलाकर ६ आने की दर से।	१९५४	कंपनी की स्वेच्छा से।

१	२	३	४	५	६
५४.	कागज और मुद्रण	भार्गव प्रेस, इलाहाबाद	१९५३-५४ के लिए एक सप्ताह का वेतन		
५५.	,,	स्टैण्डर्ड प्रेस, इलाहाबाद	२१ दिन का पूरा वेतन		जिन्होंने कम-से-कम ३० दिन काम किया है और जिनका नाम १९ जुलाई १९५३ को पंजी में था।
५६.	इंजीनियरिंग	साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कं० लि०, इलाहाबाद	१½ महीने का मूल वेतन	१९५२–५३	ग्लास ब्लो विभाग में १९५२-५३ में कम-से-कम ३० दिन काम करनेवाले सभी कर्मचारियों को।
५७.	खाद्य, पेय तथा तम्बाकू	स्वदेशी बीड़ी वर्क्स, इलाहाबाद	१२० कर्मचारियों में से प्रत्येक को २० रु०	१९५३–५४	१२० कर्मचारियों को।
५८.	खनिज और धातुएँ	मेसर्स जे० के० आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, कानपुर	अर्जित वेतन के प्रति रुपये पर ४ आ०	३० अप्रैल, १९५४ को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिये	
५९.	इंजीनियरिंग	इंपीरियल सर्जिकल कं०, लखनऊ	सन् १९५१-५२ की कुल अर्जित मजदूरी का १/१२	१९५१–५२	दुराचरण के कारण पृथक् किये गए कोई भी कर्मचारी बोनस नहीं पायेंगे।

१	२	३	४	५	६
६०.	विविध	नावेल्टी सिनेमा, लखनऊ	सन् ५२-५३ के मूल वेतन का $\frac{1}{12}$ अथवा एक महीने का वेतन	१९५२–५३	
६१.	,,	जयहिन्द सिनेमा, लखनऊ	२ महीने का वेतन या सन् ५२-५३ की मूल आय का $\frac{1}{6}$	१९५२–५३	
६२.	,,	मेफेयर सिनेमा, लखनऊ	वार्षिक मूल वेतन का $\frac{1}{12}$ अथवा एक महीने का वेतन	१९५२–५३	
६३.	,,	बसंत सिनेमा, लखनऊ	,,	१९५२–५३	
६४.	,,	प्रभात सिनेमा, लखनऊ	२ महीने का वेतन अथवा १९५१-५२ की वार्षिक मूल आय का $\frac{1}{6}$	१९५१-५२	
६५.	,,	लक्ष्मी सिनेमा, लखनऊ	एक महीने का वेतन अथवा १९५१-५२ के वार्षिक मूल आय का $\frac{1}{12}$	१९५१-५२	
६६.	,,	निशात सिनेमा, लखनऊ	सन् १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के आर्थिक वर्ष की मूल आय का $\frac{1}{12}$ अथवा १ महीने का वेतन	१९५१-५२ तथा १९५२-५३	

१	२	३	४	५	६
६७.	विविध	प्रिंस सिनेमा, लखनऊ	२ महीने का वेतन अथवा वार्षिक मूल आय का 1/6	१९५२-५३	
६८.	,,	स्टैण्डर्ड रिफाईनरी एण्ड डिस्टिलरी लि०, उन्नाव	एक महीने का मूल वेतन किंतु ३० रु० से कम नहीं	१९५२	(१) कर्मचारी, जिन्होंने कम-से-कम १ महीने की नौकरी की है किन्तु वर्ष पूरा नहीं किया है, सन् १९५२ में अपनी नौकरी की अवधि के अनुपात से बोनस पायेंगे। (२) ३१-१२-५३ को प्राप्य मूल वेतन बोनस के भुगतान के लिए मूल वेतन माना जायगा।
६९.	इंजीनियरिंग	गर्ग इंजीनियरिंग कं०, लखनऊ	१,००५ रु०	१९५०-५१ १९५१-५२ तथा १९५२-५३	
७०.	,,	मिर्जापुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, मिर्जापुर	२० दिन का मूल वेतन	१९५३	वर्ष में ४ महीने या अधिक काम करनेवाले को।

१	२	३	४	५	६
७१.	मुद्रणालय	मेसर्स इंडियन प्रेस लि०, इलाहाबाद	एक महीने का मूल वेतन	१९५३-५४	२७-७-५४ को उपस्थित और कम-से-कम ३० दिन लगातार काम करने वालों को अपनी अपनी अर्जित आय के अनुपात से जिन्होंने वर्ष में काम किया है।
७२.	,,	मेसर्स लक्ष्मी फोटो इन्ग्रेविंग कं०, इलाहाबाद	२२ दिन का मूल वेतन	१९५३	
७३.	खाद्य, पेय तथा तम्बाकू	मेसर्स रत्ना शुगर मिल्स कं० लि०, शाहगंज, जिला जौनपुर	वर्ष में उत्पादित चीनी पर प्रतिमन ४ आ० के हिसाब से	१९५२-५३	
७४.	इंजीनियरिंग	मेसर्स मेटल गुड्स मैन्यूफैक्चरिंग, बनारस	वर्ष में कुल अर्जित वेतन का $\frac{1}{12}$	१९५३-५४	
७५.	खाद्य, पेय तथा तम्बाकू	मेसर्स प्राग डिस्टिल्ड वाटर एण्ड आइस फैक्टरी, बनारस	१५ दिन का वेतन	१९५३	
७६.	,,	उत्तर प्रदेश के सभी चीनी के कारखाने	२ लाख मन तक २ आ० ६ पा० प्रतिमन उत्पादित चीनी पर	१९५२-५३	सन् १९५२-५३ के पेराई के मौसम में उपस्थिति-पंजिका में लिखित सभी कर्मचारियों को।
			$3\frac{1}{2}$ लाख मन तक ५ आ० प्रतिमन		प्रत्येक कर्मचारी के उत्पादन के अनुपात से यदि कोई कर्मचारी, जो
			५ लाख मन तक $7\frac{1}{2}$ आ०		

१	२	३	४	५	६
			प्रतिमन उत्पादित चीनी पर		१९५२-५३ में कारखाने में काम करता था, मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को।
			५ लाख से ऊपर प्रतिमन उत्पादित चीनी पर १० आ० प्रतिमन		जो रकम बोनस के तौर पर पहले दे दी गई होगी, यदि इस आदेश के अन्दर दी जाने-वाली रकम से अधिक है तो उसे वापस नहीं लिया जायगा।
७७.	लकड़ी, पत्थर और काँच	गंगा ग्लास वर्क्स लि०, बलावली	एक महीने का कुल वेतन	१९४९-५०	केवल क्रेट मेकिंग विभाग के कर्मचारियों को।
७८.	रसायन और रंग	रामपुर डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स, रामपुर	वर्ष की अर्जित मजदूरी का $\frac{१}{२४}$	१९५२	
७९.	लकड़ी, पत्थर और काँच	इंडियन वुड प्रोडक्ट्स लि०, बरेली	$३\frac{1}{2}$ महीने का वेतन	१९५३	
८०.	विविध	वेस्टर्न इंडिया मैच कं० लि०, क्लटर-बकगंज	$४\frac{1}{2}$ महीने का वेतन	१९५३	

अध्याय ११

श्रम-हितकारी कार्य

उत्तर प्रदेश में श्रम हितकारी कार्य सन् १९३७ में लोकप्रिय सरकार के पदारूढ़ होने के समय से प्रारम्भ हुआ। हितकारी कार्य करने के लिये कानपुर में ४ हितकारी केन्द्र १० हजार रुपये की छोटी पूँजी से खोले गये। इन केन्द्रो में निःशुल्क डाक्टरी सहायता, पुस्तकालय एवं वाचनालय तथा कमरे के भीतर व बाहर के खेलों की सुविधाएँ श्रमिकों को प्रदान की गयी।

२. ये चार केन्द्र बहुत लोकप्रिय हुये और बडी संख्या में श्रमिक वर्ग के लोग उनसे लाभ उठाने लगे। इससे उत्साहित होकर राज्य सरकार ने सन १९३८-३९ में श्रम हितकारी कार्य के लिये अनुदान दुगना कर दिया और इसके फलस्वरूप दो नये केन्द्र कानपुर व लखनऊ में खोले गये। इसके अतिरिक्त श्रमिक वर्ग के मनोरंजन के लिये एक ३५ मिलीमीटर टाकी सिनेमा मशीन भी इस वर्ष खरीदी गयी, जिससे श्रमिक बस्तियों में श्रमिको को मुफ्त सिनेमा दिखाया जा सके।

३. सन् १९३९-४० में श्रमिक कल्याण सम्बन्धी यह अनुदान ३० हजार रुपये हो गया और केन्द्रो में वृद्धि के साथ ही साथ उनमें दी जानेवाली सुविधाओ में भी वृद्धि की गयी। अब इनके कार्यक्रमो में संगीत, कवि सम्मेलन, बतकही, कीर्तन, केन्द्रो तथा मिलों की टीमो मे खेलकूद, रोगियो, गर्भवती एवं बच्चों को दूध पिलानेवाली माताओं को, क्षीण एवं अर्द्धपोषित बच्चो को निःशुल्क दूध बाँटना भी है। प्रत्येक केन्द्र में मिडवाइफें तथा परिचारिकाये भी नियुक्त की गई है, जो स्त्रियों की गर्भावस्था में, प्रसव के समय तथा प्रसवोपरान्त निःशुल्क सेवा करती हैं।

४. केन्द्रो में श्रम हितकारी कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती गई। सन् १९५४ में ३ नये केन्द्र खोले गये। इन ३ केन्द्रो को मिलाकर अब तक कुल ४४ केन्द्र खोले गये। राजकीय अनुदान की रकम भी ८,१८,६०० रुपये तक पहुँच गई। 'ए' श्रेणी के केन्द्र का औसत व्यय २१,४०० रुपये, 'ब' श्रेणी के २१,००० रुपये तथा 'स' श्रेणी के १,५०० रुपये आँका गया है। ३ नये केन्द्रो में से २ कानपुर की नयी श्रमिक बस्तियो में तथा एक ऐशबाग लखनऊ स्थित मजदूर बस्ती में खोला गया है।

५. केन्द्रो की कार्यवाहियो को दृष्टि में रखते हुये उनका तीन श्रेणियो 'अ' 'ब' 'स' में वर्गीकरण किया गया है। प्रत्येक 'अ' श्रेणी के श्रम हितकारी केन्द्र में एलोपैथिक दवाखाना, स्त्रियो व बच्चों का हितकारी विभाग, सिलाई विभाग, कमरे के अन्दर व बाहर के खेल, अखाड़े व खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा वाचनालय, रेडियो,

हारमोनियम, तबला और ढोलक के साधन उपलब्ध किये जाते हैं। प्रत्येक 'ब' श्रेणी के केन्द्र में प्रायः वही सुविधायें हैं, जो 'अ' में हैं परन्तु इनमें एलोपैथिक के स्थान पर होमियोपैथिक दवाखाने हैं। 'स' श्रेणी के केन्द्र, जो कुछ काल पहले तक केवल श्रमिकों को मनोविनोद, खेलकूद, वाचनालय तथा पुस्तकालय आदि की सुविधायें देते थे, अब उनमें आयुर्वेदिक या यूनानी औषधालय खोल दिये गये हैं। राज्य के विभिन्न औद्योगिक नगरों में खोले जानेवाले राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र इस प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	नगरों के नाम	केन्द्रों की संख्या	श्रेणी 'अ' केन्द्र	श्रेणी 'ब' केन्द्र	श्रेणी 'स' केन्द्र
१.	कानपुर	१५	६	५	४
२.	आगरा	१	१	—	—
३.	मुरादाबाद	१	१	—	—
४.	बनारस	१	१	—	—
५.	मिर्जापुर	१	—	१	—
६.	इलाहाबाद	१	१	—	—
७.	गाजियाबाद	१	—	१	—
८.	रुड़की	१	—	—	१
९.	रामपुर	१	१	—	—
१०.	झाँसी	१	—	१	—
११.	देहरादून (हरबंशवाला टी इस्टेट)	१	१	—	—
१२.	देहरादून (हर्बर्टपुर)	१	१	—	—
१३.	लखनऊ	४	१	३	—
१४.	फिरोजाबाद	२	—	१	१
१५.	बरेली	२	—	१	१
१६.	सहारनपुर	२	१	—	१
१७.	अलीगढ़	२	—	१	१
१८.	हाथरस	२	—	१	१
	योग	४०	१५	१५	१०

८. ऊपर दिये हुये केन्द्रों में देहरादून चाय बागानों के २ केन्द्र भी शामिल हैं। इन केन्द्रों में एक पुस्तकालय एवं वाचनालय, खेलकूद तथा मनोविनोद के साधन तथा स्त्रियों के लिये सिलाई विभाग है।

७. इन केन्द्रों के अतिरिक्त रामकोला (जिला देवरिया), बलरामपुर (गोंडा), राजा का सहसपुर (मुरादाबाद) तथा खतौली (मुजफ्फरनगर) में ४ मौसमी केन्द्र नवम्बर से मार्च तक प्रतिवर्ष पिराई के मौसम में खोले जाते हैं। इन केन्द्रों में कमरे के अन्दर व बाहर के खेलों, वाचनालय तथा पुस्तकालय तथा मनोविनोद के साधनों, जैसे रेडियो, हारमोनियम, तबला की सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

राजयक्ष्मा चिकित्सालय

८. श्रम हितकारी केन्द्रों के अतिरिक्त कानपुर में श्रमिकों के हितार्थ एक राजकीय श्रम हितकारी राजयक्ष्मा चिकित्सालय खोला गया है। इस चिकित्सालय में १०० रुपये तक वेतन पानेवाले श्रमिकों तथा उनके परिवारवालों की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था है। एक्सरे तथा स्क्रीनिंग के लिये थोड़ा-बहुत शुल्क उन श्रमिकों से लिया जाता है, जिनका वेतन १०० रुपये से अधिक है। इस चिकित्सालय में आधुनिक ढंग से उपचार-हेतु प्रत्येक वस्तु उपलब्ध है जैसे १३० एम० ए० एक्सरे मशीन, स्क्रीनिंग, ए० पी०, पी० पी०, आदि का उचित प्रबन्ध है। दो अनुभवी चिकित्सक तथा अन्य उचित कर्मचारी इस क्लीनिक में हैं। इस क्लीनिक में तात्कालिक आवश्यकता-हेतु कमरे के अन्दर की दो चारपाइयों की व्यवस्था है। इस राजयक्ष्मा चिकित्सालय में सन् १९५४ में किये गये उपचार आदि का विवरण इस प्रकार है :—

(१) एक्सरे	१,०४६
(२) स्क्रीनिंग	६,२६४
(३) रोगियों की संख्या	२,४१६
(४) स्वास्थ्य बीमा योजना निगम, कानपुर द्वारा प्रेषित रोगी	१,५०७
(५) पैथोलाजिकल जाँचों की संख्या	७,२५२

केन्द्रों की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिये उनके विभिन्न विभागों का कार्य तथा आँकड़े जानना आवश्यक है। नीचे विभिन्न विभागों की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दिया गया है :—

चिकित्सा-सहायता

९. प्रत्येक एलोपैथिक या होमियोपैथिक चिकित्सालय में एक चिकित्सक तथा ४ कम्पाउंडर हैं। कुछ 'स' श्रेणी के केन्द्रों में एक आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सक तथा एक कम्पाउंडर है। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों की संख्या इस प्रकार है :—

(१) एलोपैथिक	११
(२) होमियोपैथिक	१६
(३) आयुर्वेदिक	५
(४) यूनानी	१
	३३

१०. सन् १९५४ में कुल १४,२२,७२६ रोगियों का उपचार इन चिकित्सालयों में किया गया। इस वर्ष चिकित्सालयों में चीर-फाड़ तथा मरहम-पट्टी करानेवाले लोगों की संख्या क्रमशः ३,३०६ तथा ३,३१,८०५ रही। केन्द्रों के चिकित्सकों ने १,७२८ रोगियों को उनके घरों पर जाकर देखा।

स्त्रियों तथा बच्चों का विभाग

११. यह विभाग श्रम हितकारी केन्द्रों का एक आवश्यक अंग है। प्रत्येक 'अ' श्रेणी के केन्द्र में दो मिडवाइफें तथा एक परिचारिका नियुक्त हे और प्रत्येक 'ब' श्रेणी के केन्द्र में एक मिडवाइफ तथा एक परिचारिका नियुक्त है। केन्द्र में आनेवाली स्त्रियों व बच्चों की देखभाल व सहायता करना इनका प्रमुख कार्य है। ये रोगी स्त्रियों की जाँच तथा उपचार की समुचित व्यवस्था करती हैं तथा बच्चों को तेल मालिश कराकर साबुन से स्नान करवाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रातः रोगियों, गर्भवती स्त्रियों तथा बच्चों को दूध भी बाँटती हैं। सन् १९५४ में जिन रोगियों, गर्भवती स्त्रियों तथा बच्चों को दूध बाँटा गया, उनकी संख्या क्रमशः १,०९९, १,१३४ तथा ८,४९९ रही। कुल दूध की मात्रा, जो उक्त स्त्रियों व बच्चों तथा अन्य रोगियों को बाँटा गया, उसकी मात्रा ६९,५८५ सेर या लगभग १,७४० मन है।

१२. सायंकाल मिडवाइफें केन्द्रों में खेलकूद व प्रबन्ध करती हैं और श्रमिक बस्तियों में प्रचार-कार्य करने जाती हैं। वे गर्भवती स्त्रियों तथा प्रसूतिकाओं को देखती हैं और रहन-सहन, खान-पान इत्यादि के सम्बन्ध में परामर्श देती हैं। वे श्रमिक बस्तियों में जाकर निःशुल्क प्रसव भी कराती हैं और इसके लिये आवश्यक सामान केन्द्र के चिकित्सालयों से दिया जाता है। सन् १९५४ में मिडवाइफों द्वारा किये गये कार्यों का विवरण इस प्रकार है :—

(१)	गर्भवती स्त्रियों की संख्या, जिन्हें मिडवाइफों ने देखा	३,११९
(२)	मिडवाइफों के द्वारा कराये गए प्रसवों की संख्या	२,५९५
(३)	मिडवाइफों के द्वारा प्रसव के बाद देखे हुये मामलों की संख्या	२,६०५
(४)	स्त्रियों की संख्या, जिन्हें उनके घरों में परामर्श दिया गया	६६,०९७
(५)	स्त्रियों की संख्या, जो केन्द्रों में परामर्श लेने अथवा जाँच कराने आईं	२,११,२१५

सिलाई, कढ़ाई तथा बुनाई विभाग

१३. श्रमिक वर्ग की स्त्रियों तथा लड़कियों को सिलाई, बुनाई तथा कढ़ाई सिखाने के लिये प्रत्येक 'अ' श्रेणी के केन्द्र में सिलाई-शिक्षिकायें नियुक्त हैं। दो-दो सिलाई की मशीनों के अतिरिक्त इन विभागों के लिये सरकार की ओर से कपड़ा, डोरा, ऊन आदि दिया जाता है। इन विभागों में सिलाई, बुनाई, इत्यादि सीखने के अतिरिक्त स्त्रियों और लड़कियों को अपने घरेलू कपड़े काटने-सीने की भी सुविधा प्रदान की जाती है। जो स्त्रियाँ अपना कपड़ा नहीं लातीं, उन्हें सरकारी सामान से कपड़े तैयार करने की

सुविधा दी जाती है। ये कपड़े लागत मूल्य पर या तो उन्हीं सीने व तैयार करनेवाली स्त्रियों के हाथ या अन्य श्रमिकों के हाथ बेंच दिये जाते हैं। सिलाई, बुनाई आदि करने के लिये स्त्रियों को पारिश्रमिक भी दिया जाता है, जो तैयार कपड़ों के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार इन सिलाई विभागों से स्त्रियों के खाली समय का न केवल सदुपयोग होता है वरन् वे उनकी पारिवारिक आय बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। सन् १६५४ में सिलाई विभागों में किये गये कार्य का विवरण इस प्रकार है :—

(१) उपस्थिति पूंजी में शिक्षणार्थिनियों की संख्या	५,०६६
(२) औसत उपस्थिति	३,४२८
(३) आकस्मिक शिक्षणार्थिनियों की संख्या	१०,५५६
(४) तैयार कपड़ों की संख्या	२५,६५६
(५) सिलाई विभागों में किये गये कार्य का आनुमानित मूल्य	६,३२२ रुपये

मनोविनोद

१४. श्रमिकों तथा उनकी स्त्रियों एवं बच्चों के मनोविनोद के लिये श्रम हितकारी केन्द्रों में नाना प्रकार की सुविधाएँ तथा साधन उपलब्ध किये जाते हैं। इनमें चलचित्र-प्रदर्शन, रेडियो, गाना-बजाना, कीर्तन, लोकगीत और नृत्य के कार्यक्रम तथा नाटक-अभिनय विशेष हैं।

१५. चलचित्रों को देखने के लिये श्रमिकों में विशेष अभिरुचि है। इस कार्य के लिये विभाग के पास एक ३५ मिलीमीटर तथा एक १६ मिलीमीटर की टाकी सिनेमा मशीनें हैं। इन मशीनों की सहायता से विभाग श्रमिकों के मनोविनोद-सम्बन्धी सामाजिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक फिल्मों के अतिरिक्त सूचना-सम्बन्धी तथा शिक्षाप्रद फिल्में भी दिखाता है।

रेडियो

१६. केन्द्रों में मनोरंजन तथा मनोविनोद का रेडियो एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण साधन है। प्रत्येक केन्द्र में एक-एक रेडियो सेट है जहाँ श्रमिक सुबह और शाम दोनों समय रेडियो पर संगीत तथा समाचार सुनते हैं। आल इंडिया रेडियो, लखनऊ प्रतिदिन सायंकाल श्रमिकों के लिये एक विशेष कार्यक्रम तथा प्रति सोमवार को श्रमहितकारी केन्द्रों से सम्बन्धित समाचार प्रसारित करता है। साथ ही प्रत्येक मास के अंतिम रविवार को कानपुर के श्रमिकों द्वारा आल इंडिया रेडियो, लखनऊ से एक विशेष संगीत का कार्यक्रम व समाचार प्रसारित किये जाते हैं। इस कार्यक्रम में एकांकी नाटक, संगीत, बतकही, प्रहसन तथा अभिनय आदि सम्मिलित रहते हैं।

१७. प्रत्येक केन्द्र में प्रत्येक मास पर्याप्त संख्या में संगीत-कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये विभाग की ओर से पूर्णकालीन तथा अंशकालीन संगीतज्ञ नियुक्त हैं।

१८. हितकारी विभाग की ओर से नाटक-अभिनय के लिये रंग-मंच तथा वस्त्राभूषणों आदि का पर्याप्त प्रबन्ध किया जाता है। इन नाटक-अभिनयों द्वारा जहाँ श्रमिकों का मनोविनोद होता है वहाँ दूसरी ओर उन्हें अपने खाली समय में अपनी अभिनय कला प्रस्फुटित करने का अवसर भी मिलता है।

शारीरिक व्यायाम तथा कमरे के अन्दर एवं बाहर के खेल

१९. श्रमिकों के शारीरिक विकास के लिये केन्द्रों में कमरे के अन्दर खेले जानेवाले खेलों जैसे कैरम, लूडो, पचीसी, चौपड़, शतरंज आदि और मैदान के खेलों जैसे हाकी, फुटबाल, क्रिकेट, वालीबाल आदि तथा अखाड़ों आदि की व्यवस्था की जाती है। कानपुर के १५ केन्द्रों में इन खेलों को खेलाने के लिये एक खेल-निरीक्षक नियुक्त है। कानपुर के बाहर के केन्द्रों में यह कार्य अधीक्षकों तथा संगठकों के द्वारा किया जाता है। सन् १९५४ में कमरे के भीतर व बाहर मैदान में खेले जानेवाले खेलों के आँकड़े इस प्रकार हैं :—

(१) कमरे के अन्दर व बाहर के खेल	१०,२४,५२०
(२) अखाड़ों की उपस्थिति	२,४६,४५७

शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ

२०. प्रत्येक केन्द्र में श्रमिकों के शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए एक पुस्तकालय एवं वाचनालय है। प्रत्येक पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की जैसे कविता, नाटक, जीवन-चरित्र, कहानियो तथा उपन्यास आदि की लगभग ३,००० पुस्तकें हैं। पुस्तकें श्रमिकों को, जो पुस्तकालय के सदस्य हैं, दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र के वाचनालय के लिए दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र-पत्रिकायें आती हैं। अपढ़ श्रमिकों को केन्द्रों के कर्मचारियों द्वारा समाचारपत्र पढ़कर सुनाये जाते हैं। सन् १९५४ में केन्द्रों के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों के आँकड़े इस प्रकार हैं :—

(१)	पुस्तकालयों की सदस्यता	२७,०३७
(२)	पुस्तको की संख्या, जो सदस्यों को पढ़ने को दी गई	३६,७४५
(३)	पुस्तकों की संख्या, जो केन्द्रों में पढ़ने को दी गई	२१,५००
(४)	वाचनालयों में उपस्थिति	६,००,५३७

स्काउटिंग

२१. केन्द्रों का एक विशेष कार्य श्रमिक वर्ग में स्काउटिंग की ओर आकर्षण उत्पन्न करके स्काउट तथा रोवर तैयार करना है। कानपुर, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, लखनऊ, इलाहाबाद, देहरादून तथा गाजियाबाद के केन्द्रों में स्काउटिंग की शिक्षा देने का समुचित प्रबन्ध है। सन् १९५४ में स्काउटों की संख्या १,४२६ थी, जबकि सन् १९५३ में उनकी संख्या ६५३ थी। सन् १९५४ में कानपुर के केन्द्रों में गर्ल-गाइड्स की शिक्षा देने का कार्य भी प्रारंभ हुआ। इस वर्ष गर्ल-गाइडों की कुल संख्या २८० रही। मेलों आदि के अवसर पर श्रमिक स्काउट दल सेवा-शिविरों के आयोजन-द्वारा जनता की सेवा

करते हैं। कानपुर में एक स्काउट बैंड हैं, जो मिलों में होने वाले आयोजनों तथा श्रम-विभाग के हितकारी केन्द्रों की रैलियों तथा जल्सों में बजाया जाता है।

श्रमहितकारी परामर्शदात्री समितियाँ

२२. राज्य सरकार ने श्रम-हितकारी कार्य के सम्बन्ध में सरकार को समय-समय पर उचित राय देने के लिये एक राज्य श्रम हितकारी परामर्शदात्री समिति तथा १४ जिला श्रम हितकारी परामर्श दात्री समितियाँ बनाई हैं। इन समितियों में श्रमिकों तथा मिल मालिकों के प्रतिनिधियों को भी लिया गया है। इन समितियों की बैठकें समय-समय पर होती रहती हैं, जिनमें श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिये विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श होता है।

श्रम हितकारी केन्द्र की इमारतें

२३. आजकल मकानों की कमी के कारण श्रम-हितकारी केन्द्रों के लिये उचित मकानों का प्रबन्ध करना भी एक कठिन समस्या ही है। अब तक श्रम हितकारी केन्द्र दर्शनपुरवा (कानपुर), रायपुरवा (कानपुर), हाथरस (ब) और श्रम-हितकारी राजयक्ष्मा क्लीनिक (कानपुर) के लिये सरकारी भवन निर्माण किये जा चुके हैं। सन् १९५४ में आर्थिक संकट के कारण किसी नये सरकारी भवन का निर्माण नहीं हो सका।

टी० बी० सैनीटोरियम

२४. सरकार अब इस सुझाव पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है कि कानपुर के बाहर किसी बस्ती में श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिये एक टी० बी० सैनीटोरियम खोला जाय।

श्रम-हितकारी केन्द्रों में मधु-मक्खी-पालन-योजना

२५. मधु-मक्खी-पालन की जो योजना सन् १९५२ में प्रारम्भ की गई थी, उसमें इस वर्ष सन् १९५४ में भी प्रगति हुई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों को तथा उनके परिवारवालों को खाली समय में, साधारण लागत पर काम को करने के लिये प्रोत्साहन देना मात्र ही है।

स्थानीय निकायों द्वारा हितकारी कार्यों के लिये प्राप्त सहायता

२६. गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी स्थानीय निकायों द्वारा, जो आर्थिक सहायता श्रम हितकारी कार्यों को संगठित करने के लिये प्राप्त हुई, उसका विवरण इस प्रकार है :—

नाम	धनराशि
१. नगरपालिका, आगरा	१०० रुपये
२. नगरपालिका, अलीगढ़	२५० ,,
३. नगरपालिका, बनारस	५०० ,,
४. नगरपालिका, मुरादाबाद	१०० ,,

५. जिला नियोजन समिति, लखनऊ	१५०	रुपये
६. जिला नियोजन समिति, बनारस	१००	,,
७. जिला नियोजन समित, मेरठ	१५०	,,
८. जिला नियोजन समिति, मिर्जापुर	१५०	,,
६. जिला नियोजन समिति, बरेली	१५०	,,
१०. जिला नियोजन समिति, गोंडा	१००	,,

श्रम हितकारी कार्य करने वाली संस्थाओं को दी गई सहायता

२७. इस वर्ष श्रम-विभाग द्वारा कुछ ऐसी संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी गई, जो श्रम हितकारी कार्य करती हैं। नीचे की तालिका में उन संस्थाओं के नाम तथा स्वीकृत धन का विवरण दिया गया है :—

संस्था का नाम	धन राशि	
१. रामलीला समिति, कानपुर	१५०	रुपये
२. ग्राम-सेवा-समाज, कानपुर	१२५	,,
३. महेश विद्या मन्दिर, कानपुर	१२५	,,
४. भारत स्काउट और गाइड, कानपुर	१००	,,
५, मजदूर पुस्तकालय, झाँसी	१००	,,
६. कोली राजपूत जूनियर हाई स्कूल, कानपुर	१२५	,,
७. राष्ट्रीय व्यायाम शाला, कानपुर	१२५	,,
८. बाल समाज, कानपुर	१५०	,,
योग	१,०००	,,

वार्षिक खेल-कूद तथा उत्सव

२८. प्रत्येक वर्ष सितम्बर से फरवरी तक कानपुर में श्रम हितकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में कबड्डी, रस्साकशी, वालीबल, फुटबाल, ३ मील की दौड़, १ मील की दौड़, ४४० गज की दौड़, तकिया-युद्ध, लम्बी कुदान, ऊँची कुदान, शटिल रेले रेस, बोरे की दौड़ आदि खेल-कूद सम्मिलित हैं। सन् १६५४ में इन प्रतियोगिताओं में लगभग ७०० श्रमिकों एवं उनके बच्चों ने भाग लिया। इस वर्ष कानपुर के बाहर के विभिन्न केन्द्रों में भी प्रतियोगितायें हुईं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न केन्द्रों में विशेष कार्यक्रमों के आयोजन भी किये गये।

२९. राज्य में राजकीय श्रम हितकारी विभाग की विभिन्न कार्यवाहियों के सन् १९४९ से सन् १९५४ तक के आँकड़े :—

कार्यवाही	१९४९	१९५०	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४
१	२	३	४	५	६	७
स्वास्थ्य-उपचार-सुविधा						
नये रोगी	३,०४,४६६	३,५९,५४८	३,९४,६६०	४,२०,३३०	८,८४,३५२	४,५७,५८७
पुराने रोगी	६,०९,९२३	६,९४,०३०	७,२७,५३२	७,८२,९६७	९,१५,१८७	९,६५,१३९
कुल संख्या	९,१४,३८९	१०,५३,५७८	११,२२,१९२	१२,०३,२९७	१३,९९,५३९	१४,२२,७२६
आपरेशन	३,५५७	४,०१५	४,३०४	३,५८२	३,४८५	३,३०९
मरहम-पट्टी आदि	२,१४,९९८	२,१७,९६७	२,१४,३७०	२,२२,७९६	२,५०,४०४	३,३१,८०५
कुल उपस्थिति	११,३२,९४४	१२,७५,५६०	१३,४०,८६६	१४,२९,६७५	१६,५३,४२८	१७,५७,८४०
विज़िट्स	१,४६८	२,१३५	१,३५६	१,२७०	१,४३७	१,७२८
दुग्ध-वितरण						
रोगियों का संख्या	९३४	१,२६२	८५७	७७२	१,५२१	१,६९९
प्रसूताएँ और संभावित मातायें	५७४	६६४	५७०	५९८	१,०६१	१,१३४
बच्चे	५,३६०	६,३७८	४,४२४	४,७७३	७,३१६	८,४९९
कुल संख्या	६,८६८	७,७८८	५,८५१	६,१४३	९,८९८	११,३३२
अन्य दूसरे	१,४६५	१,२२९	२,६७३	२,६६२	३,५२९	४,९५३
दुग्ध वितरण की मात्रा (सेरों में)	६३,३३५	६८,९५०	५०,७७०	५२,०७०	६१,०६३	६६,५८५
शारीरिक व्यायाम						
मैदान के खेल	३,७६,८१४	२,९३,४१९	२,८१,२९४	३,४६,३५८	४,०९,१६९	३,९७,०७७
व्यायाम	१,४१,२१७	१,०६,२१७	९८,५५५	१,२१,५७४	१,७२,४७४	२,४९,४५७

१	२	३	४	५	६	७
वाचनालय						
सदस्यता	२२,५८४	२४,४६१	२५,२६६	२५,५३४	२७,२४८	२७,०३७
वितरित पुस्तकें	३२,८१८	३३,४५६	२५,६४३	२६,२६१	३६,५१४	३६,७४५
केन्द्र में पठित	२८,८६५	३०,६७६	२२,२६३	२५,६८४	२८,७८२	२१,५००
उपस्थिति	५,३५,८१३	५,५६,७५३	५,०३,७८५	५,२१,२१८	६,२६,०५३	६,००,५३७
श्रोता	१,३०,०६६	१,२३,५३६	८७,२७६	७६,७०५	१,०५,५८७	६२,६६८
प्रौढ़ कक्षाएँ						
प्रतिदिन की औसत नामावली	४,५२३	४,१५२	२,८६०	२,७३७	२,६०४	१,६७०
प्रतिदिन की औसत उपस्थिति	२,८०३	३,११२	१,७२६	१,५५६	१,८६०	१,०८४
मनोविनोद						
कमरे के अन्दर के खेल	५,६३,२२४	५,३८,५८२	५,४०,६५१	८,६६,६२२	६,६६,०७०	६,२७,४४३
संगीत कार्यक्रम	१,३१,३४६	६८,७२४	७१,०६१	७३,०७३	१,३५,५६३	१,०२,५७०
विशेष रेडियो कार्यक्रम	५,०७,७६२	५,०२,६०४	५,७६,१३०	६,५१,१५७	८,१८,६०३	८,५६,२६६
कार्यक्रमों की संख्या	७,७७२	७४२	७६४	८६४	७८५	५६१
आँकड़े	१,६८,६४२	२,२१,१०५	१,५७,६१८	२,१७,४८८	२,६६,२३६	१,७३,४४५
बच्चों का कल्याण						
स्नान और मालिश	१,३०,४५८	१,४५,०८५	१४४,३३१	१,५४,८२४	२,०४,२३३	२,२५,८०४
कमरे के अन्दर के खेलों में	१,६६,७८५	१,६५,८६६	१,६०,१२३	१,६२,४२८	२,५२,४०६	२,६७,१६७
मैदान के खेलों में	१,१५,३५८	१,३५,२६४	१,४५,०४६	१,४७,५५१	२,०३,३८८	२,२८,४३०

१	२	३	४	५	६	७
मातृका कल्याण						
प्रसव के पूर्व के मामले	२,७९७	६,६३४	३,१९३	३,१९३	३,३४६	३,११९
प्रसव के मामले	१,७०५	२,०७७	१,९४६	१,८२०	२,४८२	२,५९५
प्रसव के बाद के मामले	२,१७३	१,९८५	१,९४९	१,८२३	२,५१९	२,६०५
घरों पर परामर्श	४७,७६५	६८,०३१	५८,०९०	६०,५०४	६१,५३०	९९,०९७
घर जाकर देखने की संख्या	—	—	१८,३००	१८,९०८	२५,०११	२३,८४०
केन्द्रों में परामर्श के लिये आने वाली स्त्रियाँ	१,२६,४९७	१,४४,५१२	१,४५,२५४	१,६२,२२९	१,८७,४०२	२,११,२१५
सिलाई की कक्षाएँ						
पंजियों में लिखे नाम	४,०६५	३,९१७	३,८७५	४,९८१	४,६९५	५,०९९
औसत उपस्थिति	२,७१६	५००	२,५०८	६,१४७	३,१२०	३,४२८
आकस्मिक शिक्षार्थिनियाँ	१,५५८	७६२	३,६१७	४,७२३	८,८७८	१०,५५९
तैयार वस्तुएँ	१७,७४६	१७,२८८	२०,०२८	२१,७३७	२४,६६६	२५,९५६
किये गये कार्य का मूल्य	७,७९६ रु० ७ आ०	६,३३१ रु०	७,६९४ रु० २ आ० ९ पा०	८,२५५ रु० १ आ०	९,१६० रु०	९,३२१ रु० १४ आ०

अध्याय १२

चीनी उद्योग

भारतवर्ष में चीनी उद्योग के महत्व को जब केवल उत्पादन की ही दृष्टि से नहीं वरन् लोगों को काम देने की दृष्टि से आँका जाता है तो सूती वस्त्र उद्योग के बाद उसी का स्थान आता है। देश की ग्राम्य अर्थ व्यवस्था पर इसका पर्याप्त सीमा तक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गन्ने की खेती करनेवालों के लिये इससे अतिरिक्त आय की व्यवस्था होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की अर्थ व्यवस्था चीनी उद्योग के विकास से विशेषतया जुड़ी हुई है, क्योंकि इन राज्यों में चीनी के बहुत से कारखाने हैं तथा समस्त देश में उत्पादित चीनी का ७५ प्रतिशत भाग यहीं उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश भारत में चीनी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है, देश में गन्ने की खेती के क्षेत्र का ६० प्रतिशत से भी अधिक भाग इस राज्य के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में इस उद्योग का खेती से घनिष्ट सम्बन्ध है, क्योंकि गन्ना उपजाने वाले अधिक संख्या में किसानों का जीवन-यापन चीनी उद्योग की समृद्धि पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की महत्वपूर्ण स्थिति होने के कारण राज्य सरकार ने इस उद्योग की श्रम-सम्बन्धी समस्याओं पर उचित ध्यान दिया है। तथा इस उद्योग के श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये समय-समय पर अनेक उपाय किये हैं। इस सम्बन्ध में सरकार-द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण नीचे की पंक्तियों में दिया जा रहा है :—

मजदूरी में वृद्धि

२. सन् १९४६ के पहले चीनी उद्योग के श्रमिकों को जो मजदूरी मिलती थी, वह बहुत ही कम थी। सरकार ने सन् १९४६ में उस समय की प्रचलित मजदूरी की जाँच तथा उचित सिफारिशें करने के लिये, उत्तर प्रदेश तथा बिहार चीनी कारखाना श्रम (मजदूरी) जाँच समिति नियुक्त की। इस समिति की सिफारिशों पर न्यूनतम कुल मजदूरी ३६ रुपये प्रति मास नियत की गई। सन् १९४७-४८ तथा १९४८-४९ में न्यूनतम कुल मजदूरी में पुनः वृद्धि हुई और वह क्रमशः ४५ तथा ५५ रुपये प्रति मास कर दी गई। न्यूनतम कुल मजदूरी का निर्धारण करने के साथ-साथ सरकार ने उच्चतर वेतन-स्तर के कर्मचारियों के लिये भी निर्धारित दर पर वृद्धि स्वीकृत की। मजदूरी में वृद्धि-सम्बन्धी ये आदेश उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३ के अन्तर्गत सरकार द्वारा लागू किये गये। ये आदेश प्रतिवर्ष नये सिरे से लागू किये जाते हैं। पिराई के प्रत्येक मौसम में चीनी के कारखानों को निर्धारित दर पर मजदूरी में वृद्धि करने का निर्देश किया जाता है कि वे सन् १९४५-४६ के मजदूरी के स्तर के आधार पर ही वृद्धि

करे। सरकार ने नवम्बर सन् १६५४ में इसी प्रकार का आदेश निकाला। चीनी के कारखानो में सन् १६५४-५५ के पिराई के मौसम में मजदूरी में दी जाने वाली वृद्धि तब से लागू समझी जायगी जब से पिराई का वास्तविक कार्य प्रारम्भ होगा।

१६४५-४६ का मजदूरी का स्तर	मजदूरी में की गई वृद्धि
१. २२ रुपये ८ आने	३२ रुपये ८ आने की वृद्धि
२. २३ रुपये से ३० रुपये तक	३२ रुपये ८ आने की वृद्धि
३. ३१ रुपये से ४० रुपये तक	२८ रुपये १४ आने की वृद्धि
४. ४१ रुपये से ५० रुपये तक	२६ रुपये ८ आने की वृद्धि
५. ५१ रुपये से १०० रुपये तक	२४ रुपये की वृद्धि
६. १०१ रुपये से २०० रुपये तक	वेतन के २४ प्रतिशत की वृद्धि
७. २०१ रुपये से ३०० रुपये तक	वेतन के १८ प्रतिशत की वृद्धि

बोनस

३. चीनी उद्योग में बोनस देने की प्रथा ने न्यूनाधिक रूप में एक नियमित वार्षिक भुगतान का रूप धारण कर लिया है। सरकार प्रत्येक वर्ष चीनी के कारखानो के लिये आदेश जारी करती है, जिसके अनुसार उनको प्रत्येक मौसम के लिये निर्धारित माप में बोनस देना पड़ता है। बोनस के प्रश्न की जाँच करने तथा सिफारिशे करने के लिये सर्वप्रथम सन् १६४६-४७ में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति की सिफारिशो के आधार पर तथा चीनी उद्योग के नियोजको तथा श्रमिको के उत्तर प्रदेश-बिहार चीनी कारखाना कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुये समझौते के परिणामस्वरूप सरकार ने उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ के अन्तर्गत चीनी के कारखानो को निम्नलिखित दर परबोनस देने के लिये आदेश दिया :—

सन् १६४६-४७ के मौसम में पेरे गये गन्ने की मात्रा	बोनस की दर
(अ) १० लाख मन से कम	करों के भुगतान के बाद लाभ का २५ प्रतिशत, यदि कर निकालने के बाद कोई लाभ न रहे तो कोई बोनस न दिया जायगा।
(ब) १० लाख से १८ लाख मन तक	२ आना प्रति मन उत्पादित चीनी पर।
(स) १८ लाख मन से अधिक परन्तु २० लाख मन से कम	३ आना प्रति मन उत्पादित चीनी पर।
(द) २० लाख मन से अधिक	४ आना प्रति मन उत्पादित चीनी पर।

४. सन् १९४७-४८ के मौसम में सरकार ने चीनी के कारखानों को निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ २ में निर्दिष्ट दर पर बोनस भुगतान करने के लिये पुनः आदेश जारी किया। इस दर पर पहले आधा बोनस दिया गया परन्तु बाद में बोनस की दर में संशोधन किया गया और अवशेष बोनस निम्नलिखित तालिका में दिर्दिष्ट दर पर दिया गया :—

	पेरे गये गन्ने की मात्रा	सन् १९४७-४८ में उत्पादित चीनी के प्रति मन के हिसाब से बोनस की दर					
		नवम्बर के आदेश के अनुसार			संशोधित दर		
		रुपया	आना	पाई	रुपया	आना	पाई
१.	१० लाख मन से कम	०	४	०	०	३	०
२.	१० से १८ लाख मन तक	०	६	०	०	५	०
३.	१८ से २० लाख मन तक	०	८	०	०	७	०
४.	२० से ३० लाख मन तक	०	१०	०	०	९	०
५.	३० लाख मन से अधिक	०	११	०	०	१०	०

५. सरकार ने सन् १९४८-४९ के बोनस का प्रश्न इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री विंध्यवासिनी प्रसाद जी की अध्यक्षता में निर्मित एक जाँच न्यायालय को सौंपा। इस जाँच न्यायालय की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित दर पर बोनस देने का आदेश जारी किया :—

	पेरे गये गन्ने की मात्रा, मनों में	उत्पादित चीनी के प्रति मन पर बोनस की दर		
		रुपया	आना	पाई
१.	१३ लाख तक	०	२	०
२.	१३ से १८ लाख तक	०	२	६
३.	१८ से २० लाख तक	०	३	०
४.	२५ से ३५ लाख तक	०	४	०
५.	३५ से ५० लाख तक	०	५	०
६.	५० लाख से ऊपर	०	६	०

६. सन् १९४९-५० के बोनस का प्रश्न राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश को अभिनिर्णय के लिये सौंपा गया। न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित दरों पर बोनस देने का आदेश दिया :—

उत्पादित चीनी की मात्रा, मनों में	बोनस की दर
१ लाख तक	—
१ लाख से ऊपर और २ लाख तक	२ आना प्रतिमन
२ लाख से ऊपर और ३½ लाख तक	४ ,, ,,
३½ लाख से ऊपर और ५ लाख तक	६ ,, ,,
५ लाख के ऊपर	८ ,, ,,

७. सन् १९५०-५१ के मौसम के लिये सरकार ने उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अंतर्गत एक आदेश फिर जारी किया, जिसमें चीनी कारखानों को आज्ञा दी गई कि वे उसी दर पर बोनस वितरित करें, जिसके लिये राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण ने सन् १९४९-५० के मौसम के लिये सिफारिश की थी।

जहाँ तक सन् १९५१-५२ के मौसम के बोनस का प्रश्न है, सरकार ने उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें श्रमिकों तथा नियोजकों के तीन-तीन प्रतिनिधि थे, सन् १९५१-५२ के मौसम के बोनस के प्रश्न की जाँच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिये नियुक्त की। इस समिति का प्रतिवेदन पाने पर सरकार ने उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के समस्त वैकुअम पैन चीनी कारखानों को, जिनमें समग्र मौसम में गन्ने से चीनी की उत्पत्ति ९.२ प्रतिशत थी, सन् १९५१-५२ के पिराई के मौसम में निम्नलिखित दर पर बोनस देने का आदेश दिया :—

	सन् १९५१-५२ में गन्ने से उत्पादित चीनी की मात्रा मनों में	बोनस की दर
१	१ लाख तक	—
२	१ लाख से ऊपर तथा २ लाख तक	२ आना प्रतिमन
३	२ लाख से ऊपर तथा ३½ लाख तक	४ ,, ,,
४	३½ लाख से ऊपर तथा ५ लाख तक	६ ,, ,,
५	५ लाख तक	८ ,, ,,

९. सरकार ने उन चीनी के कारखानों को, जिनमें गन्ने से चीनी की उत्पत्ति ८.५ प्रतिशत से कम थी, इस आदेश के पालन से मुक्त कर दिया।

१०. सन् १९५२-५३ के बोनस के प्रश्नों की जाँच करने तथा सरकार को प्रतिवेदन देने के लिए सरकार द्वारा अक्टूबर, १९५३ में श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई, जिसमें चीनी उद्योग में संलग्न नियोजकों तथा श्रमिकों में से प्रत्येक के चार-चार प्रतिनिधि थे। इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने २३ दिसम्बर सन् १९५३ को एक आदेश जारी किया, जिसमें चीनी के समस्त

१७

कारखानों को (सरकारी आदेश में निर्दिष्ट चीनी के १६ कारखानों को छोड़कर) सन् १६५२-५३ के मौसम के लिये निम्नलिखित दर पर बोनस देने की आज्ञा दी गई :—

सन् १६५२-५३ के मौसम में गन्ने से उत्पादित चीनी की मात्रा-मनों में	बोनस की दर
१ लाख तक	—
१ लाख से ऊपर तथा २ लाख तक	२ आना ६ पाई प्रतिमन
२ लाख से ऊपर तथा ३½ लाख तक	५ आना प्रतिमन
३½ लाख से ऊपर तथा ५ लाख तक	७ आना ६ पाई प्रतिमन
५ लाख से ऊपर	१० आना प्रतिमन

११. सरकारी आदेश में उल्लिखित १६ कारखानों के सम्बन्ध में उनके मामले की जाँच करने तथा सन् १६५२-५३ के उपरिनिर्दिष्ट बोनस के भुगतान में यदि कोई छूट सम्भव हो तो उसे निर्धारित करने के लिये एक उपसमिति नियुक्त की गई। उपसमिति ने सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। जाँच समिति की सिफारिशों के आधार पर ही सन् १६५२-५३ के पिराई के मौसम में उक्त १६ चीनी के कारखानों में से ६ कारखानों को कर्मचारियों को बोनस देने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। नीचे की तालिका में उनकारखानों के नाम, जिन्हें बोनस देने का आदेश दिया गया, दिये गए हैं :—

कारखाने का नाम	देय बोनस
१	२
१. रामचन्द एण्ड सन्स शुगर मिल्स, बाराबंकी	२३ दिसम्बर, १६५३ के राजकीय आदेश संख्या ११३५७ (एस टी) ३६ ए ५३६ (एस टी), ५३ के अनुच्छेद १ (अ) में निर्धारित दर के आधार पर।
२. रायबहादुर लक्ष्मणदास शुगर एण्ड जनरल मिल्स, जरवल रोड, जिला बहराइच	”
३. धामपुर शुगर मिल्स, धामपुर, जिला बिजनौर	”
४. जसवन्त शुगर मिल्स, जिला मेरठ	”

१	२
५. श्री आनन्द शुगर मिल्स, खलीलाबाद, जिला बस्ती	,,
६. एल० एच० शुगर फैक्टरी एण्ड आयल मिल्स, काशीपुर, जिला नैनीताल	,, ,,
७. रत्ना शुगर मिल्स, शाहगंज, जिला जौनपुर	उत्पादित चीनी पर ४ आना प्रति मन की दर से
८. दीवान शुगर एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड, सखोती-टाँडा, जिला मेरठ	उत्पादित चीनी पर १ आना ६ पाई प्रतिमन की दर से
९. केसर शुगर वर्क्स, बहेड़ी, जिला बरेली	कुल ८० हजार रुपये
१० एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली	कुल ५१ हजार रुपये

१२. राज्य सरकार ने जून सन् १९५४ में फिर एक समिति नियुक्त की। इस समिति में उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त अध्यक्ष तथा नियोजकों एवं श्रमिकों के चार-चार प्रतिनिधि थे। समिति का कार्य सन् १९५३-५४ के बोनस के प्रश्नों पर जाँच करने तथा सरकार को प्रतिवेदन देने का था। समिति ने बोनस-निर्धारण तथा तत्सम्बन्धी अन्य विभिन्न मसलों पर विस्तृत रूप से विचार-विनिमय किया और अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष उपस्थित किया। सरकार ने १० जनवरी, १९५५ को प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये आदेश दिया कि समस्त चीनी के कारखाने (सरकारी आदेश में निर्दिष्ट चीनी के १६ कारखानों को छोड़कर) सन् १९५३-५४ के मौसम के लिये निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को बोनस दें :—

(अ) सन् १९५३-५४ के पिराई के मौसम में काम करनेवाले उन सभी कर्मचारियों को, जो पहले से ही काम करते रहे हों और उन कर्मचारियों को, जो इस मौसम में ही काम पर लगाये गये हों।

(ब) सन् १९५३-५४ के मौसम में काम करनेवाले उन सभी कर्मचारियो को, जो पहले से काम कर रहे हों और उन कर्मचारियो को, जिन्होने उक्त मौसम में काम किया हो, पर इस समय कारखाने में काम न करते हों। विभिन्न कारखानों में दिये जानेवाले बोनस के निर्धारण का माप इस प्रकार है :—

(१) चीनी के उन कारखानों को, जिन्हें गन्ना-उत्पादको को गन्ने का कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं देना पड़ता या उन कारखानों को, जिन्हें भारत सरकार की इस योजना के अन्तर्गत कि गन्ने व चीनी के भावों में साम्य बना रहे, प्रतिमन ६ पाई से अधिक अतिरिक्त मूल्य न देना पड़ता हो, निम्नलिखित दर पर बोनस देना होगा :—

सन् १६५३-५४ के मौसम में गन्ने से उत्पादित चीनी मनों में	उत्पादित चीनी के प्रति मन पर बोनस की दर
१ लाख तक	—
१ लाख से ऊपर तथा २ लाख तक	२ आना ६ पाई
२ लाख से ऊपर तथा ३।। लाख तक	५ आना
३।। लाख से ऊपर तथा ५ लाख तक	७ आ० ६ पाई
५ लाख से ऊपर	१० आना

(२) चीनी के उन कारखानों को, जिन्हें भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत गन्ना-उत्पादकों को ६ पाई से लेकर एक आना प्रतिमन के हिसाब से गन्ने का अधिक मूल्य देना पड़ता हो, नीचे दी हुई दर पर बोनस देना होगा :—

सन् १६५३-५४ में गन्ने से उत्पादित चीनी की मात्रा मनों में	उत्पादित चीनी के प्रतिमन पर बोनस की दर
१ लाख तक	—
१ लाख से अधिक तथा २ लाख तक	२ आना ३ पाई
२ लाख से अधिक तथा ३।। लाख तक	४ आना ६ पाई
३।। लाख से अधिक तथा ५ लाख तक	६ आना
५ लाख से ऊपर	६ आना

(३) चीनी के उन कारखानों को, जिन्हें भारत सरकार की योजनानुसार गन्ना-उत्पादकों को प्रति मन एक आना से अधिक देना पड़ता हो, नीचे दी हुई दर से बोनस देना होगा :—

सन् १६५३-५४ में गन्ने से उत्पादित चीनी की मात्रा-मनों में	उत्पादित चीनी के प्रति मन पर बोनस की दर
१ लाख तक	—
१ लाख से अधिक तथा २ लाख तक	२ आना
२ लाख से अधिक तथा ३।। लाख तक	४ आना
३।। लाख से अधिक तथा ५ लाख तक	६ आना
५ लाख से अधिक	८ आना

१३. सरकार ने उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त की अध्यक्षता में एक उपसमिति, जिसमें श्रमिकों तथा नियोजकों के एक-एक प्रतिनिधि थे, सरकारी-आदेश में निर्दिष्ट उन १६ चीनी के कारखानों के बोनस-सम्बन्धी मामलों के बारे में जाँच करने व यदि कोई

आवश्यक सुझाव बोनस की दर के सम्बन्ध में हो तो उसे देने तथा दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, मेरठ में कारखाने को विशेष परिस्थितियों के कारण कर्मचारियों को उत्पादित चीनी पर प्रतिमन ६ आना की निर्धारित दर से भी अधिक जो बोनस दिया जाता है, उस पर विचार करने के लिये नियुक्त की।

१४. सन् १९५३-५४ के मौसम में बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में सरकारी आदेश की कुछ मुख्य बातें निम्नांकित हैं :—

(१) कारखाने में पिराई के पूरे मौसम भर काम करनेवाले सभी कर्मचारी, चाहे उन्हें वेतन मिलता हो या मजदूरी, बोनस पाने के अधिकारी हैं।

(२) पिराई के मौसम में काम करनेवाले कर्मचारियों को उनकी आय के अनुसार ही बोनस दिया जायगा।

(३) कारखाने का कोई कर्मचारी, जो १९५३-५४ के पिराई के मौसम में काम करता रहा हो, मर गया हो तो, उसका बोनस उसके उत्तराधिकारियों को दिया जायगा।

(४) यदि किसी कारखाने में सरकारी आदेश के अनुसार निश्चित बोनस से अधिक धन बोनस के रूप में कर्मचारियों को दे दिया गया होगा, तो कर्मचारियों से उस रकम को वापिस न लिया जा सकेगा।

रिटेनिंग भत्ता

यह भत्ता निष्क्रिय मौसम में जब चीनी के कारखाने नहीं चलते, स्वेच्छिक बेकारी के समय के लिए एक प्रकार की क्षतिपूर्ति है। सामान्यतया कारखाने प्रति वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक नहीं चलते। रिटेनिंग भत्ते का प्रश्न सर्वप्रथम सन् १९४६-४७ में उत्तर प्रदेश तथा बिहार चीनी कारखाना श्रम (मजदूरी) जाँच समिति को सौंपा गया। यद्यपि कुछ चीनी के कारखाने इसके पूर्व भी यह भत्ता दिया करते थे पर जिस दर से यह दिया जाता था तथा कर्मचारियों की श्रेणियों में, जिन्हें यह मिलता था, एकरूपता न थी। इस समिति ने यह सिफारिश की कि निष्क्रिय मौसम के लिये दक्ष, अर्द्ध-दक्ष तथा अदक्ष कर्मचारियों को कुल मासिक वेतन के ५० प्रतिशत, २५ प्रतिशत तथा १० प्रतिशत की दर से क्रमशः रिटेनिंग भत्ता दिया जाय। उत्तर प्रदेश श्रम जाँच समिति ने सभी श्रेणियों के मौसमी कर्मचारियों के लिए मूल मजदूरी का २५ प्रतिशत रिटेनिंग भत्ता देने की सिफारिश की। इन सिफारिशों को वैधिक रूप से अक्षरशः लागू नहीं किया जा सका। सर्वप्रथम सन् १९४८ में सरकार ने एक आदेश द्वारा चीनी के कारखानों की निम्नलिखित श्रेणियों के श्रमिकों को उनके वेतन का ५० प्रतिशत रिटेनिंग भत्ता देने की आज्ञा दी :—

केमिस्ट, पैनमेन, इवैपरेटरमेन, ड्रिपलमेन, मेट्स, इंजीनियरिंग विभाग, फ़िटर्स तथा इंजिन ड्राइवर।

बाद में यह प्रश्न सन् १९५० में सरकार-द्वारा नियुक्त जाँच न्यायालय

(चीनी) को सौंपा गया। इस जाँच न्यायालय ने सिफारिश की कि अदक्ष श्रमिकों को रिटेनिंग भत्ता न दिया जाय तथा उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त, जिन्हें पहले से ही यह भत्ता मिलता है, निम्नलिखित श्रेणी के और कर्मचारियों को, उनकी कुल मजदूरी के ५० प्रतिशत की दर से भत्ता दिया जाय। उक्त श्रेणी में आनेवाले कर्मचारियों की नामावली इस प्रकार है :—

ब्वायलर इंचार्ज या ब्वायलर फ़ोरमैन या ब्वालयर एटेण्डेण्ट, फ़िटर इंचार्ज (फ़ोरमैन), मिल हाउस इंचार्ज और ब्वायलिंग हाउस इंचार्ज, इलेक्ट्रीशियन असिस्टेण्ट इंजीनियर, जूस फ़ोरमैन, पी० एच० कण्ट्रोलर, अनालिस्ट, वेल्डर, बढ़ई, टर्नर फ़ायरमैन, बेल्टमैन, स्विचबोर्ड एटेण्डेण्ट, सभी मेट और केनकैरियर मुन्शी।

जून १६५४ में राज्य त्रिदलीय श्रम सम्मेलन (चीनी) में भी इस प्रश्न पर विचार किया गया। इसकी सिफारिशों के अनुसार सरकार ने जुलाई सन् १६५४ में निम्न प्रश्नों पर विचारार्थ एक समिति नियुक्त की।

(१) सन् १६५३-५४ के निष्क्रिय मौसम तथा भविष्य में, चीनी के कारखानों में दिये जानेवाला रिटेनिंग भत्ता किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों को दिया जाय तथा उसकी दर क्या रखी जाय।

(२) राज्य के चीनी के कारखानों में काम करनेवाले किन-किन श्रेणी के कर्मचारियों को प्रावीडेंट फण्ड दिया जाय। इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जाँच करने व प्रतिवेदन देने को कहा गया। इस समिति ने अभी तक सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन उपस्थित नहीं किया है।

छुट्टी तथा अवकाश

१६. सन् १६४६ तक राज्य के किसी भी उद्योग के लिये कानूनी तौर पर कोई भी अवकाश निश्चित नहीं था पर सर्वप्रथम सन् १६५० में सरकार ने उत्तर प्रदेश के चीनी के कारखानों को त्यौहार पर होनेवाले अवकाशों को सवेतन छुट्टी के रूप में देने का आदेश दिया। चीनी के कारखानों द्वारा इन अवकाशों के पालन के लिये जो आदेश दिया गया, वह सन् १६४७ के उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत था। इस आदेश के अन्तर्गत चीनी के कारखानों को आदेश दिया गया कि वे १७ त्योहारों पर सवेतन छुट्टी दें। बाद में जनवरी सन् १६५३ में अवकाशो की संख्या १७ से १८ कर दी गई। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ के अन्तर्गत सरकार ने सन् १६५४ में एक आदेश जारी किया। इस आदेश के अन्तर्गत पहली धारा यह है कि यदि कोई कारखाना सन् १६४७ में इस आदेश में निर्दिष्ट संख्या से अधिक अवकाश देता रहा है तो उस संख्या में कमी न की जायगी परन्तु सरकारी आदेश में निर्धारित अवकाशों के

अतिरिक्त दिए जानेवाले अवकाशों के दिन वर्ष के आरम्भ होते ही कारखाना उक्त क्षेत्र के प्रादेशिक संराधन अधिकारी के परामर्श तथा स्वीकृति से निर्धारित कर लेगा तथा दूसरी धारा के अन्तर्गत समस्त वैकुअम पैन चीनी के कारखानों में काम करनेवाले केवल मुस्लिम कर्मचारियों को यदि पिराई मौसम में मोहर्रम व ईद पड़े तो अवकाश देना अनिवार्य होगा।

स्थायी कर्मचारियों को अनिवार्य छुट्टी

१७. चीनी के कारखानों में स्थायी रूप से काम करनेवाले कर्मचारियों को पिराई के मौसम के बाद के खाली समय में अनिवार्य छुट्टी देने की बात कभी-कभी उठा करती है। इसका कारण यह है कि चीनी के कुछ कारखानो को कभी-कभी गन्ने के कम प्राप्त होने की दशा में तथा अन्य आवश्यक कारणवश समय से पूर्व ही बन्द करना पड़ जाता है। ऐसी दशा में कारखानों के समक्ष एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या समस्त स्थायी कर्मचारियों को खाली समय में बनाये रखने की उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि एक तो कारखाने के कम समय तक चलने से मुनाफा वैसे ही कम होगा तथा समस्त स्थायी कर्मचारियों को खाली समय का वेतन देने की अवस्था में कारखाने का व्यय भी अधिक होगा। चीनी के कुछ कारखानों में अनिवार्य छुट्टी के औचित्य पर विचार करने की एक समस्या उठ खड़ी हुई। सर्वप्रथम सन् १९४७ में इस समस्या पर चीनी उद्योग संराधन मण्डल की बैठक में विचार हुआ। मण्डल के सतत प्रयत्नों से नियोजकों व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच जो समझौता हुआ, उसके अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों के उपस्थित होने पर स्थायी कर्मचारियों को अनिवार्य छुट्टी देने के औचित्य को आवश्यक तथा न्यायसंगत ठहराया गया, जैसे पिराई के मौसम में कारखाना ९० दिन से कम चला हो तो उस दशा में कर्मचारियों को २ महीने से अधिक की अनिवार्य छुट्टी नहीं दी जायगी। समझौते की शर्तें इस प्रकार हैं :—

(१) जिन कर्मचारियों को अनिवार्य छुट्टी दी जायगी, उनसे उनके मकानों को खाली नहीं कराया जायगा तथा कारखाने-द्वारा निजी उपयोग के लिये दिये गये सामान को वापस न लिया जायगा। यदि वे छुट्टी के समय अपने मकानों में रहना चाहें, तो उन्हें रहने दिया जायगा। इसके अतिरिक्त उन कर्मचारियों को, जिन्हें मकान के बदले मकान का किराया मिलता है, उन्हें अनिवार्य छुट्टी के समय का किराया दिया जायगा।

(२) जिन कर्मचारियों को अनिवार्य छुट्टी दी जायगी, उनको एक सप्ताह-पूर्व ही एक नोटिस दी जायगी, जिसमें उनकी छुट्टी किस दिन से प्रारम्भ होगी तथा कब समाप्त होगी, इसका स्पष्ट रूप से संकेत रहेगा।

(३) कारखाने में सबसे बाद में नियुक्त या नये कर्मचारियों को ही, कार्यकुशलता की दृष्टि से, सबसे पहले छुट्टी दी जायगी।

(४) समस्त कर्मचारियों को दी गई नोटिस में यह स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा कि यदि वे अनिवार्य छुट्‌टी की अवधि समाप्त होने पर काम पर वापस आयेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से काम पर लगाया जायगा।

(५) यदि कोई कर्मचारी अनिवार्य छुट्टी की समाप्ति के बाद किसी कारण-विशेष से काम पर न आ सकेगा और इसकी सूचना कारखाने को भेज देगा तो उस दशा में उस पर कोई कार्यवाही न की जायगी और उसे पुनः काम पर ले लिया जायगा।

(६) अनिवार्य छुट्टी पर गये कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिये पूरे एक सप्ताह का समय दिया जायगा। इस अवधि के पूर्व ही किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार कारखाने को न होगा।

(७) समस्त कर्मचारी अनिवार्य छुट्टी की अवधि की ५० प्रतिशत मजदूरी के पाने के अधिकारी होंगे।

(८) इसके अतिरिक्त कारखाने से १० मील से अधिक की दूरी पर रहनेवाले कर्मचारियों को, जो रेल से आते-जाते हैं, आने-जाने का किराया कारखाने की ओर से दिया जायगा।

१८. सन् १९५४ में सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत एक आवश्यक आदेश राज्य के सभी चीनी कारखानो को दिया, जिसके अनुसार उन्हें यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे यदि आवश्यक समझें तो सन् १९५३-५४ के पिराई के निष्क्रिय मौसम में, यदि कारखाना ९० दिन से अधिक न चला हो तो, स्थायी कर्मचारियों को अधिक-से-अधिक दो मास की अनिवार्य छुट्टी दे सकते हैं।

सन् १९४७ में चीनी कारखानों के नियोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुये समझौते की धाराओं के समान ही सरकारी आदेश की मिलती-जुलती महत्वपूर्ण धारायें इस प्रकार हैं:—

(१) चीनी के कारखानों में कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे मशीनों की टूट-फूट, गन्ने में कीड़ा लगने, गन्ने के पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होने से असाधारण संक्षिप्त मौसम आदि-आदि की दशाओं में, अनिवार्य छुट्टी की अवधि अधिकाधिक ६ मास तक बढ़ाई जा सकेगी, पर इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त की लिखित अनुमति ले लेना आवश्यक होगा।

(२) अनिवार्य छुट्टी की अवधि में कर्मचारियों से मकान खाली न कराया जायगा और न कारखाने-द्वारा निजी उपयोग के लिये दिये गये सामान को वापस लिया जायगा। यदि मकान के बदले में मकान का किराया दिया जाता रहा है तो वह बराबर मिलता रहेगा।

(३) अनिवार्य छुट्टी की अवधि में कर्मचारियों को उनके वेतन का ५० प्रतिशत भाग मिलेगा। इसके अतिरिक्त कारखाने से १० मील से अधिक की दूरी पर रहनेवाले सभी

कर्मचारियों को आने-जाने का किराया दिया जायगा। किराये की दर कारखाना अधिनियम के, अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार ही होगी।

स्पष्टीकरण

(१) इस सरकारी आदेश के अन्तर्गत स्थायी कर्मचारी वे ही माने जायँगे, जो चीनी के कारखानों के सम्बन्ध में १ अक्टूबर, १९५१ के राजकीय आदेश संख्या २१२४ (एस टी) (४) १८ द्वारा लागू किये गये स्थायी आदेश में निर्दिष्ट हैं।

उस पिराई के मौसम को "अति अल्पकालीन मौसम" की गणना में लिया जायगा, जिसमें उत्तर प्रदेश व बिहार चीनी नियन्त्रण मण्डल द्वारा पिराई के लिये निर्धारित निश्चत दिनों की संख्या से ८० प्रतिशत से भी कम दिनों काम हुआ होगा, क्योंकि इसी के आधार पर ही सम्बन्धित मौसम की चीनी का मूल्य निर्धारित किया जाता है।

यह आदेश अभी एक वर्ष के लिये है, यदि आवश्यक हुआ तो, इसकी अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रहेगी।

मौसमी श्रमिकों के नियोजन के आनियम

१६. चीनी के कारखानों में काम करने वाले बहुत से श्रमिक मौसमी होते हैं। पहले इन मौसमी श्रमिकों के नियंत्रण के लिये कोई कानूनी आदेश न थे और उन व्यक्तियों के, जिन्होंने पहले के मौसमों में काम किया था, बाद के मौसम में भी काम पाने के दावों के कारण, उनके झगड़े चला ही करते थे। यद्यपि अधिकतर चीनी के कारखानों में यही प्रथा थी कि जिन मौसमी श्रमिकों ने पहले के मौसमों में काम किया हो, उन्हें ही बाद के मौसम में काम में लगाया जाता था। इस सम्बन्ध में होनेवाले विवादों का अन्त करने के लिये सरकार ने ऐसे श्रमिकों के नियोजन को भी नियंत्रित कर देना नितांत आवश्यक समझा। अब प्रत्येक पिराई के मौसम में सरकार उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत एक आदेश जारी कर प्रत्येक मौसम के श्रमिको के नियोजन को नियंत्रित करती है। इस सम्बन्ध में सन् १९५४-५५ के मौसम के लिये भी सरकार ने नवम्बर, १९५४ में एक आदेश जारी किया है, जिसकी मुख्य धारायें इस प्रकार हैं:—

१. जिस श्रमिक ने किसी कारखाने में विगत पिराई के मौसम में काम किया हो, या बीमारी या अन्य अनिवार्य कारणों के न होने पर, उस मौसम के पूरे उत्तरार्द्ध भर में काम किया होता, उसे कारखाने में इस मौसम में नियुक्त किया जायगा।

स्पष्टीकरण:—उक्त अवधि में उन श्रमिकों की, जो स्थायी आदेशों के अन्तर्गत वैधानिक रूप से बर्खास्त नहीं किये जा सकते और उनकी, जो नियोजकों द्वारा फिर काम पर रख लिये गये हो, अनधिकृत अनुपस्थिति को प्रबन्धकों-द्वारा क्षमा किया गया समझा जायगा।

(२) सभी मौसमी श्रमिकों को, जिन्होंने विगत मौसम में काम किया हो, चाहे वे "आर" पाली में रहे हों चाहे साधारण पाली में, उनके पुराने काम पर ही लगाया

जायगा। यदि कोई कारखाना विशेष मामलों में किन्हीं श्रमिकों को एक पाली से हटाकर दूसरी पाली में, जिसमें "आर" पाली भी शामिल है, स्थानान्तरित करना आवश्यक समझे, तो वह समस्त श्रमिकों की संख्या के अधिक-से-अधिक ५ प्रतिशत श्रमिकों के सम्बन्ध में, उनके वेतन या पद को किसी भी प्रकार प्रभावित न करते हुये, ऐसा कर सकता है।

(३) वे स्थान, जो त्यागपत्र, मृत्यु या नौकरी से हटाये जाने के कारण रिक्त हुये हों, उसी कारखाने के पुराने श्रमिकों-द्वारा, यदि योग्य श्रमिक मिल सकें, भरे जायेंगे।

(४) जब व्यावसायिक कारणों से अथवा एक वास्तविक बैठकी के लिये आवश्यक कारणों (नागरिक अशांति आदि) से किसी कारखाने की वास्तविक बन्दी के पूर्व ही किसी श्रमिक को नौकरी से पृथक् करना आवश्यक हो जाय तो वह कारखाना उसको उतनी क्षतिपूर्ति देकर जितनी उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त या उनके निर्देशानुसार प्रति-श्रमायुक्त निर्धारित करें, श्रमायुक्त या प्रति-श्रमायुक्त से जैसा मामला हो, स्वीकृति लेकर ही नौकरी से पृथक किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :—उपर्युक्त धारा में व्यावसायिक कारणों का वही अर्थ होगा, जो १ अक्टूबर, १६५१ के राजकीय आदेश संख्या २१२४ (एस टी) (४) १८ द्वारा लागू किये गये स्थायी आदेशों की वाक्यखंड "ज" में दिया हुआ है।

(५) प्रत्येक चीनी का कारखाना वास्तविक पिराई के मौसम के प्रारम्भ होने की तारीख की लिखित सूचना समस्त प्रमाणित श्रमिक संघों को भेजेगा तथा सभी स्थानीय समाचारपत्रों में भी प्रकाशित करायेगा।

चीनी उद्योग के श्रमिकों के लिये आवास-व्यवस्था

२०. चीनी उद्योग ऐसा प्रथम उद्योग है, जिसमें श्रमिकों के लिये मकान-निर्माण की एक व्यापक योजना इस राज्य में सरकार-द्वारा अपने हाथ में ली गई। यह योजना सन् १६५२ में उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग श्रमकल्याण तथा विकास कोष अधिनियम सन् १६५१ के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। राज्य के ६५ चीनी के कारखानों में बनाये जानेवाले मकानों की कुल संख्या १,५०० है। इन मकानों के निर्माण-कार्य-सम्बन्धी प्रगति की सन् १६५४ के अन्त तक की स्थिति इस प्रकार रही :—

२१. सन् १६५४ में १० चीनी के कारखानों ने मकान निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। इस प्रकार मकान-निर्माण-कार्य में लगे हुये चीनी के कारखानों की कुल संख्या ४४ तक पहुँच गई है, जिनमें ६५७ मकानों के निर्माण का कार्य हो रहा है। ३१ दिसम्बर, १६५४ तक मकान निर्माण-सम्बन्धी कार्य की प्रगति इस प्रकार रही :—

मकान तैयार	७२१
नींव के नीचे	२३
नींव तक	३२
छतों की सतह तक पर छतें नहीं पड़ी	७८
छतों की सतह तक तथा छतें पड़ गईं	४८
छतें पड़ गईं तथा प्लास्टर आदि लग चुका	५५
योग	९५७

२२. सन् १९५४ में चीनी के कारखानों में मकानों के निर्माण-सम्बन्धी कार्यों पर व्यय के रूप में, जो सरकार द्वारा आंशिक भुगतान हुआ, वह ४,६१,३०८ रुपये ३ आने था। इस प्रकार सन् १९५४ के अन्त तक कुल भुगतान मकान निर्माण-व्यय की मद में १५,३५,२४२ रुपये ११ आने हुआ।

स्थायी आदेश

२३. राज्य सरकार ने चीनी के कारखानों को औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ के प्रभाव से मुक्त कर दिया है। पर सन् १९५१ में राज्य सरकार ने चीनी के समस्त कारखानों के लिये कुछ स्थायी आदेश जारी किये। यह आदेश १ अक्टूबर, १९५१ के राजकीय आदेश संख्या २१२४ (एस टी) (४)/१८ के अन्तर्गत थे। ये स्थायी आदेश अब भी लागू हैं। हाल में उक्त आदेश की अवधि-वृद्धि १५ सितम्बर, १९५४ के राजकीय आदेश संख्या ५४३० (एस टी)/३६-ए- २०२ (एस टी)- ५४ के अनुसार हुई है।

२४. सन् १९५४ में नैनीताल में उत्तर प्रदेशीय चीनी उद्योग श्रम सम्मेलन श्रम मन्त्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द (अब उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री) की अध्यक्षता में हुआ। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के चीनी के कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों के नियोजन की दशाओं के सम्बन्ध में लागू किये गये स्थायी आदेशों पर विचार हुआ तथा सरकार से सिफारिश की गई कि वह एक जाँच समिति नियुक्ति करे। समिति का कार्य यह होगा कि वह १ अक्टूबर, १९५१ के सरकारी आदेश के अन्तर्गत राज्य के वैकुअमपैन चीनी के कारखानों में लागू स्थायी आदेशों में, जिनकी अवधि समय-समय पर आगे बढ़ाई गई, यदि आवश्यक हो तो परिवर्तन करे और उनकी विस्तृत रूपरेखा भी तैयार करे। सम्मेलन की इस सिफारिश के आधार पर सरकार ने एक समिति श्रमायुक्त की अध्यक्षता में नियुक्त की, जिसमें नियोजकों तथा श्रमिकों की ओर से प्रत्येक के तीन-तीन प्रतिनिधि थे। समिति की ६ बैठकें हुईं। समिति ने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की कि सरकार स्थायी आदेशों में संशोधन करे। सरकार अभी सिफारिशों पर विचार कर रही है।

२५. बाद में इस समिति को सरकार द्वारा यह आदेश दिया गया कि वह राज्य के चीनी के कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों के अवकाश-ग्रहण करने

की आयु के प्रश्न की जाँच करे तथा सुझाव दे कि क्या ऐसे नियम राज्य के चीनी कारखानों के श्रमिकों पर लागू किए जा सकते हैं। इस आदेश के प्राप्त होने के पूर्व ही समिति अपने प्रतिवेदन की कार्यवाही पूर्ण कर चुकी थी। फिर भी इस प्रश्न पर उसकी अन्तिम बैठक में विचार किया गया और सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि उत्तर प्रदेश के चीनी कारखानों के लिये लागू स्थायी आदेशों में, जो श्रमिकों के नियोजन के सम्बन्ध में हैं, अवकाश ग्रहण करने सम्बन्धी आयु के बारे में कोई नवीन धारा न जोड़ी जाय।

चीनी-उद्योग त्रिदलीय श्रम सम्मेलन

२६. सरकार ने राज्य के उद्योगों पर प्रभाव डालनेवाली सभी महत्वपूर्ण श्रम समस्याओं पर त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने तथा उसमें विचार-विमर्श करने के महत्व का सदैव अनुभव किया है और इसीलिये त्रिदलीय श्रम-सम्मेलनों का प्रायः आयोजन होता ही रहता है। जहाँ तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है, यह प्रथम उद्योग था, जिसमें सरकार ने एक त्रिदलीय सगठन "चीनी उद्योग समझौता मंडल" की स्थापना की। मंडल के अध्यक्ष एक जिला न्यायाधीश थे तथा श्रमिकों एवं नियोजकों का उसमें एक-एक प्रतिनिधि था। बाद में एक अन्य सम्मेलन, जो चीनी उद्योग त्रिदलीय सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध है, सरकार द्वारा नवम्बर, १९५२ में बुलाया गया। इस सम्मेलन में चीनी उद्योग से सम्बन्धित नीचे दिये हुये महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार हुआ :—

(१) १९५१-५२ के मौसम के लिये बोनस।
(२) चीनी उद्योग में त्योहारों की छुट्टियाँ।
(३) श्रमिकों द्वारा न लिये गये अवकाश की मजदूरी का प्रश्न।
(४) सरूपीकरण समिति (चीनी) के प्रतिवेदन पर विचार।

२७. इस सम्मेलन में रिटेनिंग भत्ता, बैठकी के समय के लिये क्षतिपूर्ति आदि से सम्बन्धित कुछ प्रश्नों पर भी विचार किया गया। १६ अक्टूबर, १९५३ को सरकार ने इस सम्मेलन की एक और बैठक बुलाई, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार हुआ :—

(१) मजदूरी में वृद्धि,
(२) समीचीनीकरण,
(३) चीनी कारखानों में प्रावीडेण्ट फण्ड की योजना,
(४) १९५२-५३ के मौसम के लिये बोनस।

२८. राज्य त्रिदलीय श्रम सम्मेलन (चीनी) जून १९५४ में हुआ, जिसमें निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया :—

(१) चीनी के कारखानों के श्रमिकों को १९५३-५४ वर्ष के बोनस का भुगतान।
(२) सन् १९५० के निष्क्रिय मौसम तथा रिटेनिंग भत्ते का भुगतान।

(३) राज्य के उन चीनी कारखानों के, जिन्होंने १९४७-४८ वर्ष तथा उसके बाद के वर्षों का बोनस नहीं दिया था, बोनस का भुगतान।

(४) चीनी के कारखानों के स्थायी आदेशों में संशोधन।

(५) चीनी के कारखानों में श्रमिकों को अवकाश।

(६) चीनी के कारखानों में प्रावीडेण्ट फंड योजना लागू करना।

चीनी उद्योग में समीचीनीकरण

२९. वर्तमान परिस्थितियों में समीचीनीकरण की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में इस समस्या को हल करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने ठोस कार्यवाही की है और इसी हेतु श्रमायुक्त के कार्यालय में एक कार्य कुशलता विभाग खोला गया है, जो सूती वस्त्र तथा चीनी उद्योगों में समीचीनीकरण की विभिन्न योजनाओं की जाँच कर रहा है। इस विभाग ने २५ चीनी के कारखानों में समीचीनीकरण योजना का अध्ययन प्रारम्भ किया, जो इस वर्ष भी जारी रहा। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है :—

(१) चीनी के कारखानों में पिराई के मौसम तथा निष्क्रिय मौसम के लिये कार्यभार और मानबल (जिसमें पर्यवेक्षण और प्रबन्ध भी शामिल होंगे) का निर्धारण।

(२) उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग में सभी कामों के लिये नामकरण का सरूपीकरण।

(३) कामों का वर्गीकरण तथा कर्त्तव्यों का निर्देशन।

(४) कामों का मूल्यांकन।

(५) उक्त (३) और (४) के आधार पर मजदूरों और प्रबन्धकों के लिये समीचीन मजदूरी क्रम का निर्धारण।

(६) सुधार के तरीकों की सिफारिशें।

(७) अतिरिक्त श्रमिकों के, यदि ऐसा हो तो, खपाने तथा पुनर्नियोजन के तरीकों की सिफारिशें।

(८) चीनी उद्योग में वार्षिक बोनस के प्रश्न पर विचार कर सरकार को प्रतिवेदन देना, जिसे प्रति वर्ष प्रत्येक कारखानों में देय बोनस का पता लगाने और बोनस के देय होने पर उसकी दर और राशि का निर्धारण करने के उद्देश्य से आधार बनाया जा सके।

चीनी उद्योग की जनोपयोगी सेवा के रूप में घोषणा

३०. सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, सन् १९४७ के अन्तर्गत चीनी उद्योग को जनोपयोगी सेवा घोषित किया। प्रारम्भ में जारी किये गये आदेश की अवधि में समय-समय पर वृद्धि की गई और यह उद्योग सन् १९५४ के समूचे वर्ष भर एक जनोपयोगी सेवा बना रहा।

अध्याय १३

त्रिदलीय विचार-विनिमय

श्रम-क्षेत्र में त्रिदलीय विचार-विनिमय के महत्व को अब सर्वत्र स्वीकार किया जाने लगा है। त्रिदलीय विचार-विनिमय में श्रम-नीति के निश्चय करने, औद्योगिक क्षेत्र में नियोजकों एवं श्रमिकों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने तथा श्रम हितकारी कार्यों के स्तर निर्धारित करने सम्बन्धी बातों से इनका इतना अधिक महत्व बढ़ गया है। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन का सम्पूर्ण ढाँचा ही त्रिदलीय विचार-विनिमय के आधार पर आधारित है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के प्रारम्भिक एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन ने, जो सन् १९४७ में दिल्ली में हुआ था, यह निश्चय किया कि सरकारें अपने-अपने देश में विशेष समस्याओं पर विचार करनेवाली समितियों के साथ साथ ऐसे त्रिदलीय संगठन स्थापित करने पर विचार करें, जिनमें सरकार, नियोजक तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि रहें। यह भी सिफारिश की गई कि सरकारें अपनी श्रम एवं अर्थ-सम्बन्धी नीति तथा उसके विषय में कानून बनायें, और उन्हें कार्यान्वित करने के मामले में वे अपने-अपने यहाँ के त्रिदलीय संगठनों से परामर्श करें।

२. भारत में त्रिदलीय विचार-विनिमय के सिद्धान्त को प्रारम्भिक एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन के होने के बहुत पहले से ही स्वीकार किया जा चुका था। द्वितीय महायुद्ध के समय त्रिदलीय विचार-विनिमय की आवश्यकता, जिसमें श्रमिकों, नियोजकों तथा सरकार के प्रतिनिधि मिलकर अपनी समस्यायें सुलझा सकें, भारत में तीव्रता के साथ अनुभव की गई। क्योंकि सरकार की श्रम नीति के प्रति तथा युद्ध-प्रयास के लिये श्रमिकों और नियोजकों का हार्दिक सहयोग नितांत आवश्यक था। प्रथम त्रिदलीय सम्मेलन अर्थात् चतुर्थ श्रम-सम्मेलन नवम्बर सन् १९५२ में हुआ। इसके पूर्व तीन श्रम सम्मेलन हो चुके थे, पर वे त्रिदलीय ढंग के न थे। इस सम्मेलन का नाम बाद में बदल कर भारतीय श्रम सम्मेलन कर दिया गया था और अब इस सगठन ने स्थायी और निश्चित रूप धारण कर लिया है। भारत के विभिन्न उद्योगों की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिये पृथक्-पृथक् समितियाँ भी हैं।

इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय स्तर पर त्रिदलीय ढंग से श्रम-समस्याओं पर विचार करने के लिए एक संस्था, अर्थात् केन्द्रीय स्थायी श्रम समिति भी है। इस समिति का चौदहवाँ अधिवेशन अगस्त, १९५४ में हुआ। इस अधिवेशन में, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में स्वीकृत महत्वपूर्ण समझौतों, कारखाना अधिनियम १९४८, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ तथा श्रम हितकारी कोष सम्बन्धी मामलों पर विचार हुआ।

३. यह बात स्पष्ट है कि उपर्युक्त त्रिदलीय सम्मेलन तथा समितियाँ अखिल भारतीय संस्थायें हैं और वे मुख्यतः अखिल भारतीय ढँग की समस्याओं पर विचार करती हैं। अखिल भारतीय समस्याओं के अतिरिक्त राज्य सरकारों के सामने अपने-अपने राज्य की पृथक्-पृथक् समस्यायें भी रहती हैं। उत्तर प्रदेशीय सरकार ने इस बात को बहुत पहले ही अनुभव कर लिया था और सन् १९४७ की दूसरी तिमाही में सर्वप्रथम एक त्रिदलीय श्रम-सम्मेलन कानपुर में हुआ। इस सम्मेलन की कार्यवाही का अच्छा फल निकला और इसी प्रकार का एक दूसरा सम्मेलन अर्थात् उत्तर प्रदेशीय त्रिदलीय श्रम-सम्मेलन मई सन् १९४८ में बुलाया गया। इसके विचार-क्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण राज्य भर के लिये था। उत्तर प्रदेश के सभी त्रिदलीय सम्मेलनों तथा समितियों की सूची इस प्रकार है :—

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संगठित

(१) राज्य त्रिदलीय श्रम-सम्मेलन

(२) कानपुर त्रिदलीय श्रम-सम्मेलन

(३) उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग श्रम-कल्याण और विकास कोष अधिनियम के अन्तर्गत संगठित आवास मण्डल

(४) उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग श्रम कल्याण तथा विकास कोष अधिनियम के अन्तर्गत संगठित परामर्शदात्री समिति।

(५) विभिन्न औद्योगिक त्रिदलीय-समितियाँ जैसे चीनी, सूती वस्त्र तथा चमड़ा उद्योग आदि के लिये।

(६) राज्य श्रम हितकारी परामर्शदात्री समिति।

(७) विभिन्न जिला श्रम-हितकारी परामर्शदाता समिति।

(८) उत्तर प्रदेशीय न्यूनतम मजदूरी परामर्शदाता मण्डल।

(९) उत्तर प्रदेशीय चीनी उद्योग स्थायी आदेश समिति।

(१०) बोनस समिति

(११) रिटेनिग भत्ता समिति

(१२) औद्योगिक सग्रहालय समिति

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये सङ्गठित

(१३) उत्तर प्रदेश की प्रावीडेंट-फण्ड योजना की प्रादेशिक समिति

(१४) उत्तर प्रदेश की कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रादेशिक मण्डल

(१५) प्रादेशिक नियोजन परामर्शदात्री समिति, उत्तर प्रदेश

(१६) उप प्रादेशिक नियोजन परामर्शदात्री समिति

४. उत्तर प्रदेश में कार्य करनेवाली इन त्रिदलीय संस्थाओ के संगठन, प्रचार और कार्यों के विवरण इस प्रकार हैं :—

(१) उत्तर प्रदेश श्रम त्रिदलीय सम्मेलन :—जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह सम्मेलन सर्वप्रथम मई, १९४८ में हुआ। सम्मेलन अब एक

स्थायी संगठन है तथा उसमें उत्तर प्रदेश की सभी श्रम-सम्बन्धित समस्याओं पर विचार-विनिमय किया जाने लगा है। इस सम्मेलन में नियोजकों, श्रमिकों तथा सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं तथा सदस्यता अस्थायी आधार पर एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन तक रहती है। विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित लगभग सभी विशेष समस्याओं पर दूसरी त्रिदलीय संस्थाओं में सन् १९३९ में विचार-विनिमय हो चुका था। इसलिये सन् १९५३ में इस सम्मेलन को बुलाने की कोई आवश्यकता नही समझी गई। जून, सन् १९५४ में इस सम्मेलन की एक बैठक हुई, जिसमें प्रमुखतया दो प्रश्नों, भारत सरकार की सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास-योजना के अन्तर्गत बनने वाले मकानों तथा संराधन-प्रशामन-सम्बन्धी राजकीय आदेश में संशोधन, पर विचार किया गया।

(२) **कानपुर त्रिदलीय श्रम-सम्मेल** :—इस सम्मेलन का भी कार्यक्षेत्र, ढंग, संगठन और कार्य राज्य श्रम त्रिदलीय सम्मेलन के समान हैं परन्तु इसका क्षेत्र कानपुर तक ही सीमित है। सम्मेलन की पिछली बैठक अगस्त, १९५१ में हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में त्योहार अवकाशों के सरूपीकरण पर विचार किया गया।

(३) **उत्तर प्रदेश चीनी तथा मद्यसार श्रम-कल्याण विकास-कोष अधिनियम के अन्तर्गत संगठित गृह-निर्माण मंडल** :—उत्तर प्रदेश चीनी एवं मद्यसार औद्योगिक श्रम-कल्याण एवं विकास-कोष अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत गृह-निर्माण योजना को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए यह गृह-निर्माण मण्डल अधिनियम के अन्तर्गत अक्टूबर, १९५१ में स्थापित किया गया। इस मण्डल में सरकार, नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि हैं एवं उत्तर प्रदेश के श्रम कल्याण आयुक्त इसके अध्यक्ष हैं। इस मण्डल की एक बैठक ३० जनवरी, १९५४ को हुई, जिसमें औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत गृह-निर्माण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया।

(४) **उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग श्रम-कल्याण तथा विकास कोष अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत संगठित परामर्शदात्री समिति** :—इस परामर्शदात्री समिति का संगठन सरकार ने उत्तर प्रदेश चीनी एवं मद्यसार उद्योग श्रम कल्याण तथा विकास कोष अधिनियम, सन् १९५१ के अनुसार किया है। इस परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष राज्य के श्रम मंत्री हैं तथा सदस्यों में नियोजक, श्रमिक तथा सरकार के प्रतिनिधि हैं। इस परामर्शदात्री समिति ने अधिनियम के अन्तर्गत गृह-निर्माण योजना के सम्बन्ध में सरकार को आवश्यक परामर्श दिये। समिति की दो बैठकें, २४ मार्च १९५४, तथा २४ जून, १९५४ को रानीखेत में हुयी।

५. चीनी सूती वस्त्र और चमड़ा आदि के लिये विभिन्न औद्योगिक त्रिदलीय समितियाँ :—राज्य भर में उद्योगों पर प्रभाव डालनेवाली सामान्य समस्याओं के अतिरिक्त, जिन पर राज्य त्रिदलीय सम्मेलन में विचार-विनिमय होता है, कभी कभी विशेष

उद्योगों की अपनी-अपनी पृथक् समस्यायें रहती हैं। जब कभी किसी विशेष उद्योग से सम्बन्धित समस्यायें होती हैं और औद्योगिक समितियों की बैठकें सरकार द्वारा बुलाई जाती हैं, जिनमें सदस्यता अस्थायी तौर पर रहती है। इन बैठकों में समस्याओं मे सम्बन्धित दलों से विचार विनिमय किया जाता है तथा उनका मत जानने का प्रयत्न किया जाता है। उत्तर प्रदेशीय सूती वस्त्र-उद्योग-समिति तथा उत्तर प्रदेशीय चीनी उद्योग समिति की बैठकें पहले बुलाई जा चुकी हैं। जून, १९५४ में उत्तर प्रदेशीय चीनी त्रिदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें निम्न विषयों पर विचार किया गया :—

(१) चीनी के कारखानों में सन् १९५३-५४ में कर्मचारियों को दिये जाने वाला बोनस,

(२) चीनी के कारखानों में सन् १९५० तथा उसके बाद के निष्क्रिय मौसम का रिटेनिंग भत्ता दिये जाने का प्रश्न,

(३) राज्य के उन चीनी के कारखानों के सम्बन्ध में विचार, जिन्होंने सन् १९४७-४८ तथा उसके बाद के वर्षों का बोनस भुगतान नहीं किया,

(४) चीनी के कारखानों के स्थायी आदेशों में संशोधन सम्बन्धी मामले,

(५) चीनी के कारखानों में श्रमिकों की छुट्टी का प्रश्न, तथा

(६) चीनी के कारखानों में प्रावीडेण्ट फण्ड योजना को लागू करने का प्रश्न,

उत्तर प्रदेशीय सूती वस्त्र उद्योग समिति की एक बैठक जून, १९५४ में हुई, जिसमें सूती वस्त्र के कारखानों में समीचीनी तथा छुट्टियों के सम्बन्ध में सरूपीकरण करने के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार-विनिमय हुआ।

(६) राज्य-श्रम हितकारी परामर्श दात्री समिति :— इस समिति के अध्यक्ष राज्य के श्रम मन्त्री तथा सचिव श्रमायुक्त हैं। सदस्यों में नियोजकों, श्रमिकों तथा सरकार के प्रतिनिधि हैं। इस समिति का कार्य उत्तर प्रदेशीय सरकार के श्रम-हितकारी कार्यों के सम्बन्ध में आवश्यक परामर्श देना है। इस समिति की एक बैठक जून, १९५४ में हुई, जिसमें अन्य प्रश्नों पर विचार करने के अतिरिक्त राज्य के श्रम-हितकारी केन्द्रों के पुनर्गठन-सम्बन्धी प्रश्नों के सम्बन्ध में नियुक्त उप-समिति के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।

(७) विभिन्न जिला श्रम-हितकारी परामर्श दात्री समितियाँ :— उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में, जिनमें श्रम-हितकारी केन्द्र हैं, जिला श्रम-हितकारी परामर्श दात्री समितियाँ हैं। कानपुर की जिला समिति के अध्यक्ष श्रमायुक्त हैं तथा उत्तर प्रदेश की श्रम-हितकारी अधिकारी उसकी सचिव हैं। अन्य जिला समितियों में अध्यक्ष जिले के जिलाधीश तथा सचिव स्थानीय श्रम-हितकारी केन्द्र के संगठक होते हैं। इन समितियों के सदस्यों में नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं।

(८) उत्तर प्रदेशीय न्यूनतम-मजदूरी परामर्श दाता मंडल :— इस मण्डल की स्थापना मार्च, १९५३ में हुई। इसका कार्य विभिन्न समितियों तथा उप-समितियों के कार्यों को समन्वित करने तथा न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण एवं संशोधन के

प्रश्न पर सरकार को आवश्यक परामर्श देने का है। अब तक इस मंडल की कोई भी बैठक नहीं हो सकी है।

(६) **उत्तर प्रदेशीय चीनी उद्योग स्थायी आदेश समिति :**—इस समिति की स्थापना, २६ जून, १९५४ को हुई। समिति के अध्यक्ष श्रमायुक्त हैं। समिति का काय उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत सन् १९५१ में चीनी उद्योग में लागू किए गए स्थायी आदेशों पर विचार करना तथा उनमें आवश्यक परिवर्तन करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट देना था। सन् १९५४ में समिति की ६ बैठकें हुई तथा अन्तिम रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी गयी।

५ उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा संगठित उपर्युक्त समितियों तथा सम्मेलनों के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में कुछ और त्रिदलीय आधार पर कार्य करने वाली संस्थायें हैं, जो राज्य की श्रम-समस्याओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करती हैं, परन्तु इनका संगठन राज्य सरकार ने नहीं, वरन् भारत सरकार ने किया है। इन समितियों का कार्य श्रम-सम्बन्धी उन विशिष्ट पहलुओं पर विचार करना है, जिनका प्रशासकीय दायित्व, भारत सरकार के ऊपर या भारत सरकार के अधीन एक निगम पर है। ऐसी समस्त त्रिदलीय संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है :—

(१) **कर्मचारी प्रावीडेंट फण्ड योजना, उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक समिति :**—इस समिति में दो व्यक्ति भारत सरकार द्वारा मनोनीत हैं तथा नियोजकों एवं श्रमिकों के तीन-तीन प्रतिनिधि हैं। उत्तर प्रदेश के श्रम सचिव उसके अध्यक्ष तथा प्रादेशिक प्रावीडेंट फण्ड आयुक्त सचिव हैं। यह प्रादेशिक समिति केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के प्रावीडेंट फण्ड के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों पर परामर्श देती है।

(२) **कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर का प्रादेशिक मंडल :**—इस प्रादेशिक मंडल को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य कर्मचारी बीमा योजना अधिनियम, १९४८ की धारा २५ के अन्तर्गत बनाया है। मंडल के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त श्री ओंकारनाथ मिश्र, आई० ए० एस०, तथा सचिव कानपुर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रादेशिक निदेशक हैं। प्रादेशिक मंडल के सदस्यों में उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक का एक प्रतिनिधि तथा नियोजकों एवं श्रमिकों की ओर से तीन-तीन प्रतिनिधि हैं। प्रादेशिक मंडल का इस समय का कार्य उत्तर प्रदेश में योजना के प्रसाशन एवं कार्य विधि के सम्बन्ध में निगम को परामर्श देना है। प्रादेशिक मंडल की एक बैठक १७-११-१९५४ को कानपुर में हुई, जिसमें कानपुर प्रदेश में योजना के विस्तार करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया।

(३) **उत्तर प्रदेशीय प्रदेशिक नयोजिन परामर्श दात्री समिति:**—इस समिति का निर्माण भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के नियोजन एवं पुनर्वास के प्रादेशिक निदेशक को

नियोजन संस्थाओं की कार्यविधि तथा प्रशिक्षण योजनाओं के बारे में परामर्श देने के लिए किया है। इसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पुनर्वास एवं नियोजन के प्रादेशिक निदेशक हैं। सदस्यों में उत्तर प्रदेशीय सरकार, नियोजकों, श्रमिकों तथा अन्य हितों के प्रतिनिधि हैं।

(४) उत्तर प्रदेश में जहाँ-जहाँ नियोन कार्यालय हैं, उन सब केन्द्रों के लिये उप-प्रादेशिक नियोजन परामर्शदात्री समितियाँ :—भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न नियोजन कार्यालयों को आवश्यक परामर्श देने के लिये उप-प्रादेशिक परामर्श दात्री समितियों का निर्माण किया है। जिस जिले में नियोजन कार्यालय हैं, वहाँ के जिलाधीश उपसमिति के अध्यक्ष तथा सम्बन्धित नियोजन कार्यालय के नियोजन अधिकारी सचिव होते हैं। नियोजन कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले अन्य जिलों के जिलाधीश, नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि इन समितियों के सदस्य होते हैं। कानपुर प्रदेश से सम्बन्धित इस समिति की एक बैठक कानपुर में ३१ अगस्त, १९५४ को हुई।

अध्याय १४

श्रम-विधान

श्रम-विधान वास्तव में एक सामाजिक-आर्थिक विधान है। जिसका उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की मानव-समस्याओं से एक गहरा सम्बन्ध है। औद्योगीकरण से सम्बन्धित समस्याओं को मोटे तौर पर निम्न शीर्षकों में विभक्त किया जा सकता है :—

(१) काम की दशाएँ-औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा तथा काम के स्थान में कल्याण-कार्य

(२) मजदूरी,

(३) औद्योगिक सम्बन्ध,

(४) व्यावसायिक संघ आन्दोलन,

(५) सामाजिक सुरक्षता,

(६) नियोजन के स्थान के बाहर हितकारी-कार्य,

(७) नियोजन तथा बेकारी, तथा

(८) विविध विषय,

२. यह स्पष्ट है कि उक्त समस्यायें एक सर्वथा नये प्रकार के सम्बन्ध-समूह के अन्तर्गत आती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप ऐसी नवीन सामाजिक समस्याओं का जन्म होता हैं, जिनका औद्योगीकरण के प्रारम्भ से पूर्व अस्तित्व भी न था। अतएव सामान्य नागारिक कानून इन समस्याओं के समाधान के लिये पर्याप्त नहीं हैं और इसी कारण उनके लिये एक विशेष विधान, एक विशेष व्यवस्था, एक विशेष रीति, एवं एक नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस तथ्य को अब संसार के समस्त प्रगतिशील औद्योगिक देशों में स्वीकार कर लिया गया है। श्रम-कानून सामाजिक न्याय और समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण के अत्यन्त उदार विचारों पर आधारित है, जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संहिता (समझौते और सिफारिशें) में दिया गया है। अब प्रायः समस्त प्रगतिशील देशों में श्रम-विधान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संहिता में निहित व्यवस्थाओं एवं सिद्धान्तों पर आधारित है।

३. अन्य प्रगतिशील देशों की भाँति भारत ने भी श्रम विधान का निर्माण करते समय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ के समझौतों और सिफारिशों से प्रेरणा ली है। भारत ने १ मार्च सन् १९५४ तक २० अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-समझौतों पर स्वीकृति दी है, जिनमें से दो को बाद में अस्वीकृत कर दिया गया हैं। भारत द्वारा स्वीकृत शेष १८ समझौते इस प्रकार है :—

समझौतों की संख्या	विषय
१.	काम के घण्टे (उद्योग)
४.	रात में काम (महिलाएँ)
६.	युवा पुरुषों का रात में काम (उद्योग)
११.	संगठन का अधिकार (कृषि)
१४.	साप्ताहिक विश्राम (उद्योग)
१५.	न्यूनतम मजदूरी (ट्रिमर्स और स्टाकर्स)
१६.	युवा पुरुषों की औपचारिक परीक्षा (समुद्र)
१८.	श्रमिकों की क्षतिपूर्ति (व्यवसाय सम्बन्धी बीमारियाँ)
१६.	व्यवहार की समानता (दुर्घटना की क्षतिपूर्ति)
२१.	प्रवासी श्रमिकों का निरीक्षण
२२.	नाविकों के समझौते के अनुच्छेद
२७.	तौल (जल-पोत द्वारा भेजे गये पुलिन्दों) का अंकन
३२	दुर्घटनाओं से बचाव (डाकर्स), संशोधित
४५.	भूगर्भ का काम (महिलाएँ) अन्तिम अनुच्छेदो का संशोधन
८१.	श्रम-निरीक्षण
८६.	रात में काम (महिलाएँ) संशोधित
६०.	युवा पुरुषों का रात में काम (उद्योग) संशोधित

४. उपर्युक्त समझौतों के अतिरिक्त जिनपर भारत द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है, देश में लागू श्रम-कानूनों में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय श्रम समझौतों की अनेक मुख्य विशेषतायें भी निहित हैं, यद्यपि कुछ विशिष्ट कारणों से उन समझौतों पर अभी पूर्णतया स्वीकृति देना संभव नहीं हो सका है।

५. भारत के संविधान में भी, जो २६ जनवरी, १६५० से लागू हुआ, सन् १६३५ के भारत सरकार कानून के अन्तर्गत संघ तथा राज्यों के अधिकारों का पुराना विभाजन पूर्ववत् बना हुआ है। संक्षेप में, खानों तथा तेल-क्षेत्रों में श्रमिकों का नियंत्रण तथा सुरक्षा, भारत सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित औद्योगिक विवाद तथा अन्तर्राज्य प्रवजन केन्द्रीय विषय हैं। कारखाने, श्रम-कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी, व्यावसायिक संघ, औद्योगिक और श्रम-विवाद आदि संघ तथा राज्य दोनों के सह-विधानात्मक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषय हैं। संयुक्त अधिकार-क्षेत्र के इन किन्हीं भी विषयों के सम्बन्ध में भारतीय संसद तथा राज्य विधान सभा दोनों को कानून बनाने का समान अधिकार है।

६. यद्यपि राज्य सरकारों को संयुक्त अधिकार-क्षेत्र के किसी भी विषय पर अपना पृथक् कानून बनाने का अधिकार है तथापि पृथक् राज्य-विधान का निर्माण केवल उन मामलों

में किया गया है, जिनमें राज्य की पृथक् आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक पृथक् राज्य विधान की भी आवश्यकता रही है।

७. श्रम-नीति तथा उससे सम्बन्धित विधानात्मक कार्यक्रम के निर्धारण में केन्द्रीय तथा राज्य, दोनों ही सरकारें, अब त्रिदलीय परामर्श करती हैं। यह प्रणाली श्रम-विधान से प्रभावित होनेवाले दोनो पक्षों अर्थात् नियोजकों तथा श्रमिकों का दृष्टिकोण जानने में सहायक होती हैं।

८. उत्तर प्रदेश में लागू श्रम-विधान को उसके अन्तर्गत आनेवाली समस्याओं के अनुसार मोटे तौर पर निम्नलिखित ६ भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

[१] काम की दशाएँ—औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य के स्थान पर हितकारी कार्य।

केन्द्रीय अधिनियम

(१) कारखाना अधिनियम, १९४८

(२) बाल-नियोजन अधिनियम, १९३८

(३) बागान-श्रम अधिनियम, १९५१

राज्य अधिनियम

(४) उत्तर प्रदेशीय दूकान एवं वाणिज्य-प्रतिष्ठान-अधिनियम, १९४७

[२] औद्योगिक सम्बन्ध

केन्द्रीय अधिनियम

(५) औद्योगिक-विवाद अधिनियम, १९४७

(६) औद्योगिक विवाद (अपील न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५०

(७) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६

राज्य अधिनियम

(८) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७

[३] मजदूरी

केन्द्रीय अधिनियम

(९) वेतन भुगतान अधिनियम, १९३६

(१०) न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८

[४] व्यावसायिक संघ

केन्द्रीय अधिनियम

(११) भारतीय व्यावसायिक संघ, अधिनियम, १९२६

[५] सामाजिक सुरक्षा

केन्द्रीय अधिनियम

(१२) श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, १६२३
(१३) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १६४८
(१४) कर्मचारी प्रावीडेंट फंड अधिनियम, १६५२

राज्य अधिनियम

(१५) उत्तर प्रदेशीय मातृका हितलाभ अधिनियम, १६३८

[६] काम के स्थान के बाहर श्रम-कल्याण

राज्य अधिनियम

(१६) उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग श्रम-कल्याण तथा विकास-कोष अधिनियम, १६५१।

६. इन श्रम-कानूनों के प्रशासन के लिये सरकार ने उपयुक्त नियम बनाये हैं और उन्हें भली-भाँति पालन कराने के लिये व्यवस्था भी की है।

१०. उक्त कानूनों के अतिरिक्त, कुछ ऐसे कानून हैं, जो यद्यपि श्रम-सम्बन्धी विषयों से सीधे सम्बन्ध नहीं रखते और जिनका श्रम विभाग द्वारा प्रशासन नहीं होता, फिर भी उनका श्रम-समस्याओं के प्रति एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसे कानून निम्नांकित हैं :—

(१) उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम, १६५१, जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार कुछ अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों का नियमन व विकास करती है।

(२) संख्या-संग्रह-अधिनियम, जो सरकार द्वारा सूचित संख्या अधिकारी को श्रम-सम्बन्धी तथा अन्य मामलों में संख्या-संकलन का अधिकार प्रदान करता है।

(३) उत्तर प्रदेशीय चीनी कारखाना नियंत्रण अधिनियम, १६३८

११. बागानों में काम की दशाओं तथा नियोजन का नियमन करने के लिये तथा उनके श्रमिकों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सरकार ने बागान-श्रम अधिनियम, १६५१ पारित किया। उक्त अधिनियम १ अप्रैल, १६५४ से लागू कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों के मार्ग-प्रदर्शन के लिये कुछ आदर्श नियम बनाये हैं, जिससे वे अपने अधिकार-क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रशासन के लिये उपयुक्त नियम बना सकें।

१२. उत्तर प्रदेशीय सरकार ने एक विधेयक का प्रस्तावित प्रारूप, जिसका नाम उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक आवास अधिनियम, १९५४ है, प्रकाशित किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता-प्राप्त औद्योगिक-आवास-योजना के अन्तर्गत बननेवाले मकानों के निर्माण, एलाटमेंट, नियन्त्रण, देखभाल, किराया-वसूली तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में सुदृढ़ प्रशासन की व्यवस्था रहेगी।

१३. श्रमिकों को उनके काम के स्थानों पर रुपया उगाहनेवाले तगादगीरों की धमकियों व परेशान करनेवाली हरकतों से बचाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एक अधिनियम बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है।

अध्याय १५

औद्योगिक सम्बन्ध

उद्योग में मालिक और मजदूर के सम्बन्ध की आधुनिक धारणा इस नये सिद्धांत पर आधारित है कि उद्योगपति तथा श्रमिक दोनों ही औद्योगिक उत्पादन में समान साझीदार हैं। मालिक और नौकर जैसे पुराने सम्बन्ध में परिवर्तन से सम्बन्धित पक्षों तथा पूरे समाज के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आवश्यक हुआ। इस दृष्टि से औद्योगिक अशांति केवल एक आकस्मिक आपत्ति प्रतीत नहीं होती, वरन् वह तो एक सामाजिक समस्या है, जो एक वर्ग-विशेष के पुरानी स्थापित सामाजिक प्रणाली के प्रति दृष्टि-कोण में परिवर्तन का परिणाम है। औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या के प्रति सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण श्रमिक के मानवीय आत्मसम्मान को अनुभव करना तथा इस तथ्य को स्वीकार करना है कि श्रमिक एक व्यापार-सामग्री नहीं है और वह प्रथमतः तथा अंततः एक मानव है।

२. औद्योगिक सम्बन्ध की समस्या बड़े उद्योगों के विस्तार के साथ-साथ चली है, क्योंकि जहाँ उद्योग हैं, वहीं औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या भी है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सम्बन्धों और उनसे उत्पन्न समस्याओं की उत्पत्ति का तथा उनके समाधान के लिये सरकार द्वारा किए गये प्रयत्नों का विवरण दिया गया है :—

३. भारत के औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित सर्वप्रथम अधिनियम मालिक एवं मजदूर विवाद अधिनियम, १८६० था, जिसमें समझौते का तोड़ना अपराध माना गया था और मजिस्ट्रेटों द्वारा रेलों, नहरों और अन्य सार्वजनिक कार्यों में नियुक्त श्रमिकों के मजदूरी-सम्बन्धी सभी विवादों के तुरन्त और संक्षिप्त रूप से निर्णीत किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसे बाद में सन् १९२२ में रद्द कर दिया गया। सन् १९२९ में व्यावसायिक विवाद अधिनियम पहले पाँच वर्षों की अवधि के लिए स्वीकार किया गया और विवादों की जाँच करने या निर्णय करने के लिए जाँच अदालतें और संराधन मण्डल स्थापित किये जाने की व्यवस्था की गई। सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं में अचानक हड़तालों और तालाबंदियों को रोकने के लिए इस कानून-द्वारा उक्त सेवाओं में हड़तालों और तालाबंदियों को अपराध घोषित किया गया, जब तक कि संबंधित पक्ष उस सम्बन्ध में २४ दिन की नोटिस न दे। सन् १९३८ में व्यावसायिक विवादों में मध्यस्थता करने या सम-झौता कराने के लिए संराधन अधिकारियों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से कानून में संशोधन किया गया।

४. सन् १९२९ का व्यावसायिक विवाद अधिनियम इस राज्य में व्यवहारतः

उपयोग में नहीं आया, क्योंकि विवादों को रोकने अथवा निपटाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। सर्वप्रथम इस राज्य में सन् १९३७ में लोकप्रिय सरकार के आगमन से पूरे दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या महत्वपूर्ण बनी। परिणामतः एक छोटा-सा श्रम-कार्यालय स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य मालिकों और श्रमिकों के बीच सहमतिपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों को बनाये रखना और औद्योगिक विवादों का शान्तिपूर्ण समझौता कराना था।

५. व्यावसायिक अधिनियम, १९२९ की अक्षमता द्वितीय विश्व-युद्ध से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के समय स्पष्ट हो उठी तथा युद्ध-प्रयत्नों में लगे कारखानों को किसी भी दशा में चलते रहने के लिए औद्योगिक विवादों को रोकने एवं उनके तत्काल समझौते की दिशा में प्रभाव-पूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता अनुभव हुई। इस प्रकार भारत रक्षा नियम ८१ ए का उपयोग किया गया, जिससे सरकार को किसी भी औद्योगिक विवाद को अभिनिर्णयार्थ भेजने और लागू करने तथा तालाबन्दी और हड़तालों को निषिद्ध करने का अधिकार मिला। युद्धकाल में भारत सुरक्षा कानून की सुविधा इस राज्य में भी उठाई गई और श्रम-सम्बन्धी विवादों को निपटाने के लिए एक अभिनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति की गई। विवादों को अभिनिर्णायक-द्वारा निर्णीत करने के इस सरकारी तरीके के अतिरिक्त एक समझौता एक ओर से सरकार और दूसरी ओर से कानपुर के लगभग सभी बड़े मालिकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले उत्तरी भारत मिल मालिक संघ और राज्य के बीच हुआ, जो अवैधिक आधार पर सरकारी संराधन अधिकारियों के समक्ष संराधन कार्यवाहियों के बीच औद्योगिक झगड़ों को तय करने की व्यवस्था करता था। औद्योगिक विवादों को रोकने और उनके निपटाने की यह प्रणाली द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि में सन् १९४५-४६ तक चलती रही।

६. भारत सुरक्षा नियम, जो केवल एक युद्धकालीन कानून था, अप्रैल, १९४६ में समाप्त हो गया। इस स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने पहले उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अध्यादेश, १९४७ को एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में निकाला, जिसके स्थान पर बाद में औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ बनाया गया। अधिनियम को १ फरवरी सन् १९४८ से लागू किया गया। इसी बीच भारत सरकार ने भी एक और कानून औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ बनाया, जो व्यावसायिक विवाद अधिनियम, १९२९ के स्थान पर था। उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ सरकार को अधिकार देता है कि वह हड़तालों और तालाबन्दियों को रोक दे, नियोजकों एवं कर्मचारियों से कहे कि वे नियोजन की विशिष्ट शर्तों का पालन करें; संराधन और अभिनिर्णय के लिए औद्योगिक झगड़ों को भेजे; औद्योगिक न्यायालयों की नियुक्ति करे; किसी भी जनोपयोगी सेवा अथवा किसी सहायक कारखाने को अपने अधिकार में ले ले और उसे चलाये तथा उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक आकस्मिक अथवा सम्बन्धित मामलों पर कोई आदेश जारी करे।

७. इसके बाद सरकार ने औद्योगिक विवादों को रोकने और उनके समझौते की व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने की दिशा में कार्यवाही की। १९४६ के पूर्व समूचे राज्य में केवल एक संराधन अधिकारी था किन्तु १९४६ में संराधन अधिकारियों की संख्या बढ़कर ५ हो गई। राज्य में औद्योगिक सम्बन्धों के बढ़ते हुए महत्व और राज्य की व्यवस्था के लिए बढ़ते काम के फलस्वरूप संराधन अधिकारियों की संख्या बढ़ती रही और इस समय राज्य में २२ संराधन अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश की प्रशासकीय अधीनता में कुछ अन्य अधिकारियों को भी उत्तर प्रदेश एवं केन्द्रीय कानूनो के अन्तर्गत संराधन अधिकारियों के रूप में कार्य करने को निर्दिष्ट किया गया है।

८. १९४८ में सरकार ने औद्योगिक विवादों को रोकने और समझौता करानेवाली व्यवस्था का पूर्ण रूप से पुनस्संगठन किया। पुनस्संगठन व्यवस्था में (अ) सभी वैकुअम पैन चीनी के कारखानों तथा अन्य कारखानों में, जिनमें २०० से अधिक कर्मचारी काम करते थे, कई समितियाँ, (ब) सूती वस्त्र, चीनी, चमड़ा, काँच, बिजली और इंजीनियरिंग उद्योगों में प्रांतीय एवं प्रादेशिक संराधन मंडलों द्वारा तथा (स) प्रान्तीय एवं प्रादेशिक संराधन में सुने गये मामलों में अपीलें सुनने के अधिकार से संपन्न औद्योगिक न्यायालय सम्मिलित थे।

९. बाद में यह अनुभव हुआ कि कर्म समितियाँ ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं। इसलिए कर्म समितियों को समाप्त कर दिया गया और औद्योगिक विवादों को रोकने एवं तय करने की व्यवस्था कर सन् १९५१ में पुनः संगठन किया गया। व्यवस्था के पुनर्गठन का एक कारण भारत सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद (अपील न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० का बनाया जाना तथा उसके अनुसार सारे देश के लिए अपील न्यायाधिकरण का स्थापित करना था।

१०. अतः इस राज्य की सरकार ने औद्योगिक विवादों के निपटाने के लिए एक नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत १५ मार्च १९५० को एक आदेश निकाल कर की। इस आदेश-द्वारा प्रादेशिक संराधन मण्डल और औद्योगिक न्यायालय समाप्त कर दिए गये और संराधन मंडल तथा समूचे राज्य के लिए एक राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। इस नये आदेश के जारी करने के बाद जो नये परिवर्तन हुए, वे नीचे दिए जा रहे हैं:—

(१) पहले महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे सूती वस्त्र, होजरी, चीनी, चमड़ा, काँच, बिजली और इंजीनियरिंग के लिये बहुत से संराधन मण्डल स्थापित किए गए थे। नये आदेश के अन्तर्गत प्रादेशिक संराधन मण्डल समाप्त कर दिए गए और यह व्यवस्था की गई कि औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित शिकायत आने पर क्षेत्र के सम्बन्धित संराधन अधिकारी एक संराधन मण्डल की स्थापना करेंगे, जिसमें नियोजकों और कर्मचारियों-द्वारा मनोनीत उनका एक एक प्रतिनिधि होगा, किन्तु नये आदेश के अन्तर्गत बिना किसी अपवाद के सभी उद्योगों के लिये संराधन मण्डल बनाने की व्यवस्था है।

(२) इस आदेश के पूर्व बहुत से मामलों को अनौपचारिक संराधन कार्यवाहियों में, जिनका कोई विधिक अधिकार नहीं था, लेने की प्रथा थी। किन्तु नई कार्य-पद्धति के फलस्वरूप औद्योगिक संराधन कार्यवाहियों द्वारा औद्योगिक विवादों को तय करने की व्यवस्था सीमित कर दी गई, क्योंकि नई व्यवस्था के अंतर्गत सभी मामलों को संराधन मण्डल में लिया जाता है।

(३) पुराने राजकीय आदेश और १६५१ में जारी किये गये नये राजकीय आदेश के अंतर्गत संराधन मण्डल के निर्माण और अधिकार में विशेष अंतर है। पुराने आदेश के अंतर्गत प्रादेशिक संराधन मण्डल एक न्यायिक संस्था थी, जिसे पक्षों के बीच समझौता कराने के अपने प्रयत्नों के असफल होने पर मामले की विस्तृत जाँच करने और निर्णय देने का अधिकार था। अब निर्मित संराधन मण्डलों का काम विवाद में समझौता कराने और पक्षों के बीच समझौता होने की संभावनाओं को खोजना है। वे स्वयं अपना निर्णय नहीं दे सकतीं बल्कि उन्हें केवल श्रमायुक्त तथा सरकार के पास अथवा आगे अन्य उचित कार्यवाही करने, यथा मामले को अभिनिर्णय के लिये भेजने के लिये प्रतिवेदन भेजना पड़ता है।

(४) पुराने और नये संराधन मंडल के बीच एक अन्य अन्तर मंडल के लिये पक्षों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिये अपनाई जानेवाली कार्यपद्धति से सम्बन्धित है। पहले ये प्रतिनिधि सरकार-द्वारा मनोनीत एक सूची से चुने जाते थे और यह काम मण्डल के अध्यक्ष-द्वारा उसकी इच्छानुसार किया जाता था किन्तु अब मण्डल के सदस्य स्वयं सम्बन्धित पक्षों-द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तीनों सदस्यों की उपस्थिति के बिना संराधन मंडल की बैठक करना संभव नहीं था, किन्तु अब इस प्रतिबन्ध को सन् १६५१ के एक आदेश-द्वारा हटा दिया गया है।

(५) १६४८ में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायालय स्थापित किये गये थे, जिन्हें प्रादेशिक संराधन मंडलों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार था। किन्तु नई व्यवस्था के अंतर्गत अपील के इस अधिकार को औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण अधिनियम, १६५० के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्थापित श्रम अपील न्यायाधिकरण की स्थापना के फलस्वरूप समाप्त कर दिया गया है। उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट मामलों पर औद्योगिक न्यायाधिकरणों और अभिनिर्णायकों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई अब यही न्यायाधिकरण करता है।

(६) नई व्यवस्था का एक अन्य महत्वपूर्ण रूप समूचे राज्य के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण का स्थापित किया जाना है, जिसके अध्यक्ष एक आई० ए० एस० अधिकारी तथा दो अवकाशप्राप्त जिला न्यायाधीश सदस्य हैं। न्यायाधिकरण को सभी औद्योगिक विवादों की सीधी सुनवाई करने का अधिकार है।

११. फरवरी, सन् १६५३ में १५ मार्च, सन् १६५१ के आदेश में पुनः संशोधन किया गया, क्योंकि अनुभव से यह पाया गया कि ४० दिन का समय, जिसके अन्तर्गत

अभिनिर्णायकों और राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरणों को अपना निर्णय देना था, अपेक्षाकृत कम था। इसलिए निर्णय देने की अवधि मूल आदेश के ४० दिन से बढ़ाकर अभियोग चलाने की तिथि से १८० दिन तक कर दी गई।

१२. १५ मार्च, सन् १९५१ का सरकारी आदेश सन् १९५४ में पुनः आदेश संख्या यू-४६४ (एल एल) ३६-बी-२५७ (एल-एल)। १९५४, तारीख १४ जुलाई सन १९५४ के द्वारा संशोधित किया गया। संराधन व्यवस्था में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो १५ मार्च १९५१ के आदेश में नहीं थे, हुए :—

(अ) संराधन अधिकारी को अब यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी ऐसे प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर सकता है, जो प्रार्थनापत्र देने की तिथि से ६ महीने से अधिक पुराने विवाद से सम्बंधित हो अथवा जो पहले किसी अधिकारी के सामने कार्यवाही के लिए जा चुका हो। इस प्रकार की अस्वीकृति के कारण लेखबद्ध किये जायँगे और प्रार्थी को उनकी सूचना दी जायगी। पुरानी व्यवस्था में यह अधिकार नहीं था और सभी प्रार्थनापत्रों को, वे चाहे जितने विलंबित हों, अनिवार्य रूप से संराधन मंडल के पास भेजना आवश्यक होता था।

(ब) परन्तु प्रार्थी को यह अधिकार है कि वह संराधन अधिकारी द्वारा प्रार्थनापत्र की अस्वीकृति के एक महीने के अन्तर्गत श्रमायुक्त के पास अपना मामला भेज सकता है और श्रमायुक्त का निर्णय अन्तिम माना जायगा।

(स) न्यायाधिकरण अथवा अभिनिर्णायक का निर्णय एक साल के लिए अथवा उससे कम उस अवधि के लिए, जो न्यायाधिकरण या अभिनिर्णायक निश्चय करें, लागू होगा। राज्य सरकार उस अवधि की समाप्ति के पूर्व उसे ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह ठीक समझे, किन्तु जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न हो, इस प्रकार बढ़ा सकती है कि किसी भी निर्णय के पालन की अवधि निर्णय की तिथि से तीन वर्ष से अधिक न होगी।

(द) अभिनिर्णायकों को लिखने की तथा गणित-सम्बन्धी भूलों को शुद्ध करने का भी अधिकार दिया गया है।

विद्यमान व्यवस्था का विवरण

१३. सरकार द्वारा १४ जुलाई, १९५४ के आदेश-द्वारा स्थापित औद्योगिक विवादों के समझौते की व्यवस्था में (अ) संराधन मंडल, (ब) राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण और (स) समय-समय पर नियुक्त किए गये अभिनिर्णायक शामिल हैं। इनके कर्त्तव्य तथा कार्यविधि निम्न प्रकार हैं :—

संराधन मण्डल

१४. १४ जुलाई, सन् १९५४ के सरकारी आदेश संख्या यू-४६४ (एलएल) ३६-बी-२५७ (एलएल)—१९५४ से संराधन अधिकारी को संराधन मण्डल बनाने का

अधिकार दिया गया है, जो किसी औद्योगिक विवाद के बारे में प्रार्थनापत्र आने पर विवाद को समझौते से तय करने के लिए प्रयत्न करेगा। मण्डल में निम्नलिखित होंगे :—

(१) संराधन अधिकारी, जो मंडल का अध्यक्ष होगा।

(२) दो सदस्य—विवाद के प्रत्येक पक्ष का एक-एक प्रतिनिधि, जिन्हें संराधन अधिकारी सम्बन्धित पक्षों की सिफारिश पर नियुक्त करेगा।

१५. यदि कोई पक्ष संराधन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के अन्दर अपनी ओर से सिफारिश नही भेजता है अथवा किसी पक्ष का प्रतिनिधि मंडल द्वारा बुलाई गई बैठक अथवा उसकी कार्यवाही में उपस्थित रहने में असफल रहता है, तो अध्यक्ष उस सदस्य की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए सक्षम होगा। और भी, यदि विवाद का प्रभाव उद्योग अथवा उसके घटकों में राज्य के एक से अधिक क्षेत्रों से सम्बन्ध रखता है तो श्रमायुक्त को यह निर्णय देने का अधिकार होगा कि क्षेत्र का कौन सा संराधन मण्डल उस विवाद को हाथ में ले।

१६. संराधन मंडल की कार्यवाही की विधि सामान्यतः यह होती है कि वह एक निर्धारित प्रपत्र में दिए गये उस प्रार्थनापत्र को लेता है, जो किसी श्रमिक, नियोजक, प्रमाणित सघ, नियोजको के व्यावसायिक संघ, श्रमिकों के प्रमाणित व्यावसायिक संघ या इस प्रकार के व्यावसायिक संघों के महासंघों द्वारा दिया जाता है अथवा जहाँ श्रमिकों के प्रमाणित संघ नहीं हैं, वहाँ पर किसी उद्योग अथवा कारखाने में काम में लगे अधिकांश श्रमिकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियमित रूप से प्रतिनिधियों-द्वारा, जिनकी संख्या ५ से अधिक न होगी, प्रार्थनापत्र दिया जाता है। पिछले अनुभव से प्रकट हुआ कि श्रमिकों की ओर से बहुत से ऊटपटाँग और परेशान करनेवाली शिकायतें पेश की गईं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक प्रपत्र निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें शिकायत करनेवालों का अपने मामले का पूरा विवरण तथा उसके अथवा उसके संघ द्वारा दूसरे पक्ष से शिकायत दूर करने के प्रयासों का उल्लेख रहता है। संराधन अधिकारियों को १४ जुलाई सन् १९५४ के सरकारी आदेश के अनुसार किसी प्रार्थनापत्र को विवाद के ६ महीने से पूर्व होने अथवा किसी अधिकारी के समक्ष उसके सम्बन्ध में कार्यवाही होने पर भी स्वीकार करने का अधिकार दिया गया है।

१७. राज्य सरकार अपनी इच्छा से अथवा उससे प्रार्थना किए जाने पर किसी भी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित मामले को लिखित आज्ञा द्वारा एक संराधन मण्डल से दूसरे क्षेत्र के संराधन मण्डल को भेज सकती है।

१८. संराधन मंडल अपने पास भेजे गये विवादों में समझौता कराने की दृष्टि से कार्यवाही प्रारम्भ करता है। यदि दोनों पक्षों में समझौता कराने में संराधन मण्डल सफल होता है तो वह एक स्मृतिपत्र तैयार करता है, जिसमें समझौते की शर्तें दी रहती हैं और जिस पर दोनों पक्षों तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं। यह स्मृतिपत्र

३० दिनों के अंतर्गत (छुट्टी के दिनों को छोड़कर, परन्तु उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालयों की वार्षिक छुट्टी नहीं) तैयार किया जाता है और उसे सरकार तथा सम्बन्धित पक्षों के पास भेजा जाता है।

१६. जब कोई समझौता नहीं हो पाता तब मण्डल का अध्यक्ष कार्यवाही की समाप्ति के ७ दिनों के अंतर्गत (छुट्टी के दिनों को छोड़कर परन्तु उच्च न्यायालय के अधीन वार्षिक छुट्टी नहीं) सरकार के पास तथा श्रमायुक्त के पास एक प्रतिवेदन आगे कार्यवाही के लिए भेजता है, जिसमें विवाद के तथ्यों और परिस्थितियों के जानने तथा उनके समाधान करने के लिए किये गये उपायों का उल्लेख रहता है।

२०. विवादों को अभिनिर्णय के लिए भेजने के सम्बन्ध में जो स्थिति सरकार के १५ मार्च, सन् १६५१ के आदेश के अंतर्गत थी, वह १४ जुलाई, १६५४ के आदेश से अपरिवर्तित रही। स्थिति यह है कि संराधन मण्डल के किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में, जिसमें संराधन की कार्यवाहियों-द्वारा कोई समझौता नहीं हो सका, प्रतिवेदन पाने पर सरकार यदि ठीक समझे और वैसा करना उपयुक्त समझे तो मामले को किसी अभिनिर्णायक या इलाहाबाद के राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास अभिनिर्णयार्थ भेज सकती है। सरकार औद्योगिक विवादों को स्वतः भी अभिनिर्णय के लिए भेज सकती है, चाहे वे पहले संराधन मंडल के सामने समझौते की कार्यवाही के लिए न आए हों। सामान्यतः महत्वपूर्ण औद्योगिक विवाद या सारे राज्य के उद्योगों पर प्रभाव डालनेवाले विवाद इलाहाबाद के राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण को और अन्य विभिन्न अभिनिर्णायकों के पास भेजे जाते हैं। राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि वह किसी कारखाने या कारखानों को अभिनिर्णय की कार्यवाही के लिए शामिल कर लें जहाँ वह स्वतः अथवा इस संबंध में प्राप्त किसी प्रार्थनापत्र से यह समझती है कि विवाद इस प्रकार का है कि उसी प्रकार के प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की उस विवाद में दिलचस्पी है या उन पर उस विवाद का प्रभाव पड़ सकता है। सरकारी आदेश राज्य सरकार को यह भी अधिकार देता है कि वह न्यायाधिकरण अथवा अभिनिर्णायक के यहाँ, जहाँ विवाद चल रहा है और भी अतिरिक्त बातों को निर्णयार्थ भेज सके। राज्य सरकार, चाहे वह विवाद में कोई पक्ष हो या न हो, न्यायाधिकरण अथवा अभिनिर्णायक के सामने चलनेवाली कार्यवाही में उपस्थित हो सकती है और उसे अपनी बात कहने का उसी प्रकार अधिकार होगा मानो वह इन कार्यवाहियों से संबधित एक पक्ष है। राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि वह संराधन मंडल, न्यायाधिकरण अथवा अभिनिर्णायक के पास भेजे गये विवाद को लिखित कारण देकर एक आदेश से वापस ले ले।

२१. इलाहाबाद का राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण एक स्थायी संस्था है और उसमें एक अध्यक्ष है, जो एक ज्येष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी है और दो सदस्य हैं, जो अवकाश-प्राप्त जिला एवं सेशंस न्यायाधीश हैं। अभिनिर्णायक एक एक सदस्यवाले न्यायाधिकरण हैं। सामान्यतः उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत

संराधन अधिकारी और अन्य अधिकारी, जो औद्योगिक विवादों में अभिनिर्णय देने या समझौता कराने का दो वर्ष से अधिक का व्यावहारिक अनुभव रखते हैं या जो दो वर्ष से अधिक की अवधि तक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट रहे हैं या हैं, अभिनिर्णायक नियुक्त किये जाते हैं। अभिनिर्णायक अपने पास भेजे गये मामले के अभिनिर्णयार्थ कानून के अन्तर्गत एक अधिकारी हैं। राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण या अभिनिर्णायक को किसी भी मामले पर अपना निर्णय उसके भेजे जाने की तारीख के १८० दिन के भीतर देना होता है और यह अवधि सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अभिनिर्णायक या राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय पक्षों पर नियमतः लागू होते हैं, इस शर्त के साथ कि उन्हें केवल उन मामलों में, जो औद्योगिक विवाद (अपील न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० में निर्दिष्ट हैं, भारत के श्रम अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का अधिकार रहता है।

भारत का श्रम अपील न्यायाधिकरण

२२. औद्योगिक न्यायाधिकरणों, अभिनिर्णायकों, न्यायालयों, मंडलों या औद्योगिक विवाद अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित किसी भी अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के लिये औद्योगिक विवाद अपील न्यायाधिकरण अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित श्रम अपील न्यायाधिकरण अधिकारनिष्ठ है। इसमें एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, जिनमें से सभी व्यक्ति ऐसे होने चाहिये, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों या किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण के कम से कम दो वर्ष तक सदस्य रहे हों। भारत के श्रम अपील न्यायाधिकरण की चार 'बेंचें'—कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ और मद्रास में हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ 'बेंच' के अधिकार-क्षेत्र में है। केवल निम्नलिखित मामलों में ही औद्योगिक न्यायाधिकरणों, अभिनिर्णायकों आदि के निर्णय के विरुद्ध श्रम अपील न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है :—

(१) जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न विवादग्रस्त हो।
(२) मजदूरी।
(३) बोनस या यात्रा-भत्ता।
(४) पेंशन, फण्ड या प्राविडेण्ट फण्ड में नियोजकों के देय धन।
(५) नियोजन की प्रकृति के कारण विशेष व्ययों के लिये श्रमिकों को दिये गये या देय भत्ते।
(६) कार्यमुक्ति के समय देय आनुतोषिक।
(७) श्रेणियों के अनुसार वर्गीकरण।
(८) श्रमिकों की छँटनी।
(९) कोई अन्य मामला, जो निर्दिष्ट किया जाय।

२३. पक्षों की स्वीकृति से दिये गये औद्योगिक न्यायाधिकरण या अभिनिर्णायकों के निर्णयों या पक्षों के बीच किये गये समझौते के विरुद्ध कोई अपील श्रम अपील न्यायाधिकरण

में नहीं ली जाती। उन मामलों के अतिरिक्त, जिनमें अपील न्यायाधिकरण को यह संतोष हो जाय कि अपीलकर्त्ता पर्याप्त कारण से समय के भीतर अपील करने में असमर्थ रहा, निम्न अधिकारी के निर्णय देने के ३० दिन के भीतर श्रम अपील न्यायाधिकरण में अपील ली जाती है।

विवाद चलते समय श्रमिकों की सुरक्षा

२४. संराधन मण्डल, अभिनिर्णायक, राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण और भारतीय श्रम अपील न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही होते समय हड़ताल या तालाबन्दी करना निषिद्ध है। इसके सिवा नियोजक के लिये सम्बन्धित प्रदेश के प्रादेशिक संराधन अधिकारी से, यदि मामला किसी संराधन मण्डल, अभिनिर्णायक या राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष है या श्रम अपील न्यायाधिकरण से, यदि मामला उसके सामने प्रस्तुत है, अनुमति लिये बिना सम्बन्धित श्रमिकों की नौकरी की शर्तों को बदलना या ऐसे विवाद से सम्बन्धित श्रमिक को कार्यच्युत, कार्यमुक्त या दण्डित करना निषिद्ध है।

अभिनिर्णय के लिए भेजे जानेवाले मामलों में अधिकार-प्रदान

२५. संराधन अधिकारी द्वारा जिन औद्योगिक विवादों का हस्तक्षेप योग्य माना गया हो, उन्हें शीघ्रता से निपटाने के लिए राज्यपाल ने दिनांक २४ सितम्बर, १९५२ की अधिसूचना संख्या यू-६६४ (एल एल) / १८ (एल बी) को रद्द करके २१ अक्टूबर, सन् १९५४ के सरकारी आदेश संख्या २२२८/ (एल एल) ३६ (बी) के अनुसार उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के उत्तर प्रदेशीय अधिनियम संख्या २८) की धारा ३ अथवा इस समय लागू किसी अन्य कानून के निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त श्री ओंकारनाथ मिश्र, आई० ए० एस० और प्रति श्रमायुक्त श्री उदयवीर सिंह को श्रम विभाग में उत्तर प्रदेश की सरकार का क्रमशः पदेन संयुक्त सचिव तथा प्रति सचिव नियुक्त किया, जिनके प्रधान कार्यालय कानपुर में ही ही हैं :—

(१) औद्योगिक विवादों को अभिनिर्णय के लिए भेजना।

(२) संराधन समितियों के निर्णय, प्रतिवेदन या उसके द्वारा कराये जानेवाले समझौतों की अवधि में वृद्धि।

(३) अभिनिर्णय के लिए भेजे जाने वाले मामलों की वापसी।

(४) उक्त (१) तथा (२) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित कोई अन्य मामले।

प्रशासकीय व्यवस्था

२६. प्रशासकीय सुविधा के लिए पूरे राज्य को औद्योगिक संबन्धों के प्रशासन तथा विवादों को निपटाने के लिए सात प्रदेशों में बाँट दिया गया है, जो निम्न प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	प्रदेश	अधिकार, क्षेत्र
१.	प्रादेशिक संराधन कार्यालय, कानपुर जिसमें ११ पूर्णकालिक संराधन अधिकारी और ४ अन्य अधिकारी हैं, जो अपने अन्य सामान्य कार्य के अतिरिक्त अभिनिर्णायकों का कार्य भी करते हैं।	कानपुर प्रदेश जिसमें कानपुर नगर, झाँसी लाइन पर झाँसी तक, परन्तु झाँसी शहर को छोड़कर, पड़नेवाले सभी स्टेशनों का ग्राम्य क्षेत्र तथा जालौन, हमीरपुर और फरुखाबाद के जिले सम्मिलित हैं।
२.	प्रादेशिक संराधन कार्यालय, इलाहाबाद (दो संराधन अधिकारियों के साथ)	इलाहाबाद प्रदेश, जिसमें इलाहाबाद, बाँदा, बनारस, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजियाबाद, बलिया और फतेहपुर के जिले सम्मिलित हैं।
३.	प्रादेशिक संराधन कार्यालय, गोरखपुर (दो संराधन अधिकारियों के साथ)	गोरखपुर प्रदेश जिसमें बहराइच, गोंडा, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया के जिले सम्मिलित हैं।
४.	प्रादेशिक संराधन कार्यालय, लखनऊ (दो संराधन अधिकारियों के साथ)	लखनऊ प्रदेश जिसमें लखनऊ, सीतापुर, खेरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और फैजाबाद जिले के सम्मिलित हैं।
५.	प्रादेशिक संराधन कार्यालय, आगरा (दो संराधन अधिकारियों के साथ)	आगरा प्रदेश, जिसमें आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, झाँसी नगर तथा मथुरा सम्मिलित हैं।
६.	प्रादेशिक संराधन कार्यालय, बरेली (दो संराधन अधिकारी, जिनमें एक बरेली और दूसरे रामपुर में नियुक्त हैं)	बरेली प्रदेश, जिसमें बरेली, शाहजहाँपुर, नैनीताल, गढ़वाल, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूँ, पीलीभीत, बिजनौर, अलमोड़ा और टेहरी-गढ़वाल के जिले सम्मिलित हैं।
७.	प्रादेशिक संराधन कार्यालय, मेरठ (दो संराधन अधिकारियों के साथ)	मेरठ प्रदेश, जिसमें देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बुलन्दशहर के जिले सम्मिलित हैं।

२७. **श्रमिकों तथा नियोजकों से प्राप्त शिकायतें**—सन् १६५४ में ५,१२४ शिकायतें आईं, जिनमें से ४,७८५ श्रमिकों की तथा ३३६ नियोजकों की थीं। इन शिकायतों का विवरण आगे की तालिका में दिया गया है :—

क्रमांक	प्रदेश	सामान्य शिकायतें			हड़ताल की सूचना के रूप में श्रमिकों की शिकायतें		जाँच और निर्णय के लिए सरकार या श्रमायुक्त जैसे अन्य साधनों से प्राप्त शिकायतें	शिकायतों की कुल संख्या
		श्रमिकों से		नियोजकों की शिकायतें				
		सीधे श्रमिकों से	संघों द्वारा		सीधे श्रमिकों से	संघों द्वारा		
१.	इलाहाबाद	१२८	३६५	३४	४	११	४	५४६
२.	आगरा	११०	३५६	२	—	—	५	४७६
३.	गोरखपुर	१८२	१६६	८	२	६	१७	४१७
४.	कानपुर	२३२	१,६२७	१८३	—	२	—	२,०४४
५.	लखनऊ	८६	४१७	३६	—	५	३५	५८२
६.	बरेली	२६६	२६०	२०	१	८	७	५६२
७.	मेरठ	१४६	२४८	५६	—	२	१४	४६७
	योग १६५४	१,१८६	३४७३	३३६	७	३७	८२	५,१२४
	योग १६५३	१,१८७	४७७५	६०३	३	३३	८८	६,६८६
	योग १६५२	१,३६१	३०१६	४६४	२	११	३७	४,६२१

२८. सन् १९५३ में कुल ६,६८६ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से ६,०८६ श्रमिकों से और ६०३ नियोजकों से प्राप्त हुईं।

२९. निम्नलिखित तालिका में उद्योग तथा प्रदेशवार शिकायतों का विवरण दिया गया है :—

सन् १९५४ में की गई शिकायतों का उद्योग तथा प्रदेशवार विवरण

क्रम संख्या	प्रदेश	सूती वस्त्र	चीनी	विद्युत्	इंजीनियरिंग	चमड़ा	काँच	तेल	विविध कारखाने	कारखानों के अतिरिक्त प्रतिष्ठान	योग
१.	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१.	इलाहाबाद	३७	५	२७	५२	१	१५	५१	२६६	८६	५४६
२.	आगरा	३७	१६	१६	२१	१२	१०६	४०	२०३	१६	४७६
३.	बरेली	६१	२६५	२८	३३	—	११	७	१०६	८१	५९२
४.	गोरखपुर	३	३२०	९	१	१	—	—	६६	१४	४१७
५.	कानपुर	९४३	१	१६	२७७	२४१	—	१७४	३१८	७१	२,०४४
३.	लखनऊ	४	६४	२६	१६२	—	—	२०	१४६	१२७	५८२
७.	मेरठ	७२	१६८	४	६६	—	—	४६	१४३	१४	४६७
	योग १९५४	१,१०७	८७२	१३३	६१२	२५५	१३५	३४१	१,२५७	४१२	५,१२४
	योग १९५३	२,०४६	९३३	१०६	८६२	३६७	२१७	३७५	१,४८८	२६२	६,६८६
	योग १९५२	१,७२४	८८१	१२८	४६८	२६१	१०५	२६४	८६६	१३४	४,९२१

३०. १९५४ में प्राप्त शिकायतों का माँगों के अनुसार वर्गीकरण नीचे की तालिका में दिया जा रहा है :—

१९५४ में प्राप्त शिकायतों का माँगों के अनुसार वर्गीकरण

क्रमांक	प्रदेश	मजदूरी	महँगाई का भत्ता	बोनस	छुट्टी और अवकाश	पुनर्नियुक्ति एवं पदच्युति	काम के घंटे	चेतावनी और कार्यच्युति	अन्य सुविधाएँ	संघों को मान्यता	आनुतोषिक एवं प्रावीडेण्ट फंड	राज्यादेशों के पालन के संबंध में	निर्णयों का पालन	विविध	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१.	इलाहाबाद	१०९	८	२६	१२	२९०	८	२१	१६	—	५	१२	२	३७	५४६
२.	आगरा	५१	—	४५	१३	३१४	१	२	३	—	४	४	२	३७	४७६
३.	बरेली	१६०	६	२०	१४	१७८	५	१०	६	—	४	१	४	१८४	५९२
४.	गोरखपुर	२२२	—	१०	४	८८	—	—	३०	—	—	३	१	५९	४१७
५.	कानपुर	४६७	५९	५८	४९	४९६	२५	५०९	२२	—	—	—	—	३५९	२,०४४
६.	लखनऊ	१४३	१	५७	७	२५१	—	१३	—	१	—	८	—	१०१	५८२
७.	मेरठ	७४	—	४६	२२	१४१	२	२४	३३	—	८	—	३	११४	४६७
	योग : १९५४	१,२२६	७४	२६२	१२१	१,७५८	४१	५७९	११०	१	२१	२८	१२	८६१	५,१२४
	योग : १९५३	१,४८७	३१	५१३	११५	२,३१५	४०	५३२	७९	—	५३	४५	१२४	१,३५५	६,६८९
	योग : १९५२	७००	३८	२८९	७५	२,२६४	२४	२२९	५८	१	२०	२६	४४	१,१५३	४,६२१

३१. पिछली तालिका से स्पष्ट है कि पदच्युति और पुनर्नियुक्ति से सम्बन्धित माँग के कारण सबसे अधिक शिकायतें आई अर्थात् १,७५८, जो कुल योग की ३४·३ प्रतिशत है। महत्व के अनुसार दूसरे क्रम पर- मजदूरी, चेतावनी और कार्यच्युति तथा बोनस सम्बन्धी माँगें हैं, जिनका योग २,०६७ है अर्थात् वे योग की ४०·३ प्रतिशत हैं।

३२. निम्नलिखित तालिका में सन् १९५४ में संराधन मंडलों द्वारा प्राप्त तथा उनके द्वारा निपटाये गये विवादों की संख्या दी गई है :—

सन् १६५४ में संराधन प्रदेश को भेजे एवं निर्णीत मामले

प्रदेश	पिछले वर्ष से आये	वर्ष में प्रेषित	निर्णयार्थ कुल संख्या	निपटाये गये मामले	वर्ष के अन्त में शेष मामले
१. कानपुर	३१	१,६२६	१,६६०	१५००	१६०
२. बरेली	२१	२१६	२३७	२१७	२०
३. गोरखपुर	१५	२६७	२८२	२६६	१६
४. मेरठ	३५	३३६	३७१	३२१	५०
५. लखनऊ	३१	४१५	४४६	४०६	४०
६. आगरा	५५	३६१	४१६	३६२	२४
७. इलाहाबाद	५१	४१०	४६१	४४६	१२
योग : १६५४	२३६	३,६३४	३,८७३	३,५५१	३२२
योग : १६५३	३४८	५,३०७	५,६५५	५,४१६	२३६

३३. उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होगा कि सन् १९५४ में संराधन के लिए भेजे गये मामलों की संख्या ३,६३४ थी जब कि पिछले वर्ष सन् १६५३ में वह ५,३०७ थी। सन् १६५४ में निपटाये गये मामलों की संख्या ३,५५१ थी जब कि सन् १९५३ में ५,४१६ थी। मामलों की संख्या में कमी का पहला कारण श्रम विभाग के अधिकारियों-द्वारा स्थिति का सफलतापूर्वक सम्हालना था क्योंकि बहुत से विवाद समय पर हस्तक्षेप से रुक जाते हैं और दूसरा कारण प्रार्थना-पत्र के नये प्रपत्र का निर्धारित करना है, जिससे जटिल या महत्वहीन मामलों की संख्या कम हो गई।

३४. संराधन समितियों द्वारा लिये गये ३,८७३ मामलों में से १,००८ मामलों में समझौते हो गये। सन् १६५४ में संराधन मंडलों में हुये समझौतों की संख्या का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है :—

क्रम-संख्या	प्रदेश का नाम	संराधन समितियों में भेजे गये मामलों की संख्या	समझौतों की संख्या
१	२	३	४
१.	कानपुर	१,६६०	५२८
२.	बरेली	२३७	५१

१	२	३	४
३.	गोरखपुर	२८२	४६
४.	मेरठ	३७१	१०६
५.	लखनऊ	४४६	८२
६.	आगरा	४१६	४८
७.	इलाहाबाद	४६१	१४४
	योग	३,८७३	१,००८

३५. निम्नलिखित तालिका में दिखलाया गया है कि संराधन मण्डलों ने एक मामले के निपटाने में औसत कितना समय लिया :—

क्रम संख्या	प्रदेश	विवाद की प्रस्तुत करने की तिथि से प्रथम सुनवाई के बीच के दिनों की औसत संख्या	विवादों के निपटाने में लगाये दिनों की औसत संख्या	
			विवाद को प्रस्तुत करने की तिथि से	विवाद की प्रथम सुनवाई की तिथि से
१.	आगरा	१७	३५	१८
२.	इलाहाबाद	१०	२८	१८
३.	बरेली	१४	४०	२६
४.	गोरखपुर	११	१७	६
५.	लखनऊ	१३	२४	११
६.	मेरठ	२७	३३	६
७.	कानपुर	१५	४०	२५

३६. कुल औसत समय जो (१) किसी मामले के प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम सुनवाई के प्रारम्भ होने में और (अ) प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तथा (ब) प्रथम सुनवाई की तिथि से (२) उसे अंतिम रूप से निपटाने में लगा, उसका औसत पूरे राज्य में क्रमशः १५, ३१ और १६ दिन आता है। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर और कानपुर प्रदेशों में मामलों के निपटाये जाने के औसत दिनो में काफी कमी हुई है।

अभिनिर्णय

३७. सरकार ने औद्योगिक विवाद अभिनिर्णय के लिये राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद और औद्योगिक विवादों को उठने से रोकने व उनके समाधान में लगे विभिन्न पूर्णकालीन सराधन अधिकारियों तथा श्रमायुक्त के प्रशासकीय नियन्त्रण के अन्तर्गत कई अन्य अधिकारियों के पास भेजा, जिन्होंने अपने सरकारी कार्य के अतिरिक्त अभिनिर्णायकों की भाँति भी काम किया।

निम्न तालिका में अभिनिर्णायकों और राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के द्वारा अभिनिर्णयार्थ लिये गये मामलों का विवरण दिया गया है :—

सन् १९५४ में अभिनिर्णायकों तथा राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेजे गए तथा निर्णीत मामलों की संख्या

क्षेत्र	पिछले वर्ष के बचे मामले	सन् १६५४ में आये मामले	योग	सन् १६५४ में निपटाये गये	सन् १६५४ के अंत में शेष
१. कानपुर	१२३	२४६	३६६	२७८	६१
२. बरेली	६	४२	५१	४१	१०
३. गोरखपुर	७	४१	५६	४७	६
४. मेरठ	२२	५८	८०	५६	२१
५. लखनऊ	२५	७०	६५	६१	३४
६. आगरा	२७	८३	११०	८८	२२
७. इलाहाबाद	१५	८३	६८	८०	१८
योग १६५४	२२८	६३१	८५६	६५४	२०५
योग १६५३	१२६	६८३	१,११२	८८४	२२८
राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण इलाहाबाद १६५४	३७	७७	११४	७८	३६
राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण इलाहाबाद १६५३	२४*	१२१*	१४१	१०८	३७*

*अंक जो बाद में सही किये गये

३८. इससे यह प्रकट होगा कि सन् १६५४ में अभिनिर्णय के मामलों की कुल संख्या ६७३ थी, जिसमें से ७३१ को निपटाया गया। सन् १६५३ में निफ्टाये जानेवाले मामलों की कुल संख्या १,२५३ और निपटाये गये मामलों की संख्या ६६२ थी।

३६. **राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण**—१६५४ के वर्ष भर में राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के सामने आनेवाले मामलों की कुल संख्या ११४ थी जब कि पिछले साल वह १४१ थी। निपटाये गये कुल मामलों की संख्या वर्ष में ७८ थी जब कि सन् १६५३ में वह १०८ थी।

४०. राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना के साथ ही, जो औद्योगिक

नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम १६४६ के अन्तर्गत अपील सुनने के लिये भी अधिकार-निष्ठ है। सरकार ने यह आवश्यक समझा कि न्यायाधिकरण के सामने प्रस्तुत सभी मामलों में उसका प्रतिनिधित्व उसके किसी एक अधिकारी के द्वारा होना चाहिये, जिससे पहले तो वह न्यायाधिकरण के सामने सरकार का दृष्टिकोण उपस्थित कर सके, दूसरे मामले की कार्यवाही के समय वह सम्बन्धित सूचना न्यायाधिकरण को दे सके। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष प्रादेशिक संराधन अधिकारी, इलाहाबाद करते हैं।

श्रम अपील न्यायाधिकरण

४१. निम्नलिखित तालिका में सन् १६५४ में श्रम अपील न्यायाधिकरण (लखनऊ बेंच) के समक्ष प्रस्तुत उत्तर प्रदेश की अपीलों के विवरण दिये गये हैं :—

सन् १६५४ के प्रारम्भ में विचारार्थ अपीलें	सन् १६५४ में प्रस्तुत अपीलें	अपीलों की कुल संख्या	सन् १६५४ में निर्णीत अपीलों की संख्या	सन् १६५४ के अंत में अवशेष अपीलें
४३०	२५४	६८४	२४१	४४३

निर्णयों का प्रतिपालन

४२. औद्योगिक विवादों को सुलझाने में राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य अभिनिर्णायकों और राज्य औद्योगिक न्यायालय के निर्णयों का कार्यान्वित कराना है। श्रमिक का वास्तविक कष्ट-निवारण तभी होता है, जब निर्णय को क्रियान्वित किया जाता है। सामान्यतः ऐसे मामलों में, जहाँ निर्णय नियोजक के पक्ष में घोषित किया जाता है, उसे कार्यान्वित कराने का प्रश्न नहीं उठता। वह प्रतिष्ठान मामले के और उसके प्रबन्ध का संचालनकर्ता होने के नाते सदैव ही इस स्थिति में रहता है कि निर्णय को कार्य-परिणत करले। परन्तु निर्णय को लागू करने की समस्या उन मामलों में पैदा होती है, जिनमें निर्णय नियोजकों के विरुद्ध और श्रमिकों के पक्ष में होता है। यह संतोष की बात है कि बहुत से मामलों में नियोजकों-द्वारा निर्णय को लागू कर दिया जाता है। परन्तु जहाँ निर्णय के पालन में विलम्ब होता है या नियोजकों-द्वारा टाल-मटूल की जाती है वहाँ सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और उसे पालन कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ती है। इस उद्देश्य से एक सहायक श्रमायुक्त की नियुक्ति सन् १६५१ में की गई थी। प्रादेशिक संराधन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने प्रदेश में इस कार्य को सम्पन्न करावें। परन्तु प्रधान कार्यालय से नियमित रूप से समय समय पर पूछ-ताछ होती रहती है कि निर्णयों का पालन कहाँ तक हुआ और प्रत्येक मामले की छानबीन अन्तिम परिणाम तक की जाती है। यदि नियोजक निर्णयों का प्रतिपालन नहीं करते और समझाने-बुझाने के सभी प्रयत्न भी असफल हो जाते हैं, तो कभी-कभी उन पर कानून के उल्लंघन के अभियोग भी चलाये जाते हैं।

४३. सन् १९५४ में निर्णयो का प्रतिपालन कराने के लिये और भी प्रयत्न किये गये। इस वर्ष में घोषित निर्णयो में से कुल ४७९ का प्रतिपालन कराना था। इनमें से ३१६ निर्णयो का प्रतिपालन कराया गया। जिन निर्णयो का प्रतिपालन अपील न्यायाधिकरण या दीवानी न्यायालयो द्वारा रोक दिया गया, उनकी संख्या ४७ थी और वर्षांत में ११६ निर्णय अप्रतिपालित रहे। इनके प्रतिपालित न होने का कारण यह था कि अधिकाश वर्षात में घोषित हुए थे और निर्णय में निर्दिष्ट कानूनी अवधि, जिसके बाद निर्णय लागू होते है, पूरी नही हुई थी। जिन प्रकरणों में मालिको की लापरवाही से निर्णयो का प्रतिपालन नही हुआ, उन पर निर्णय के अन्तर्गत देय रकम को शेष मालगुजारी की भाँति वसूल करने के लिये अभियोग चलाये गये या अपील न्यायाधिकरण अधिनियम, १९५० की धारा २० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

निर्णयो के अन्तर्गत वसूल किये जानेवाले रुपये को शेष राजस्व की भाँति वसूल करने के लिये प्रशासकीय कार्यवाही

४४. औद्योगिक विवाद (अपील न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० की धारा २० मे यह व्यवस्था है कि अभिनिर्णायक अथवा औद्योगिक न्यायालय द्वारा दिलाये गये रुपये को नियोजको से, यदि वे भुगतान न करें तो, शेष मालगुजारी के रूप मे वसूल कर लिया जाय। निम्नलिखित तालिका में उन मामलो का विवरण दिया गया है, जिनमें सन् १९५४ में औद्योगिक विवाद (अपील न्यायाधिकरण अधिनियम) की धारा २० के अन्तर्गत निर्णयों के अनुसार देय धन को वसूल करने के लिए कार्यवाही करनी पड़ी :—

उन मामलों का विवरण, जिनमें औद्योगिक विवाद अपील न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा २० के अन्तर्गत सन् १९५४ के वर्ष में औद्योगिक निर्णयों द्वारा दिलाये गये धन को वसूल किया गया :—

प्रदेश	उन मामलो की संख्या, जिनमें औद्योगिक विवाद (अपील न्यायाधिकरण) की धारा २० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई और निर्णयों के अनुसार देय धन शेष राजस्व की भाँति वसूल किया गया	उन मामलों में वसूल किया गया कुल धन	निर्णयो के अन्तर्गत हित-लाभो को पाने के अधिकारी श्रमिको की संख्या, जिनको वसूल हुआ अधिक धन दिया गया	बिशेष
१	२	३	४	५
		रु० आ० पा०	३	—
१ आगरा	६	१,१२६ ६ ६		

१	२	३	४	५
२. इलाहाबाद	६	६,४१४ ८ ५	७६	६,४१४ रु० ८ आ० ५ पा० में से ८७५ रु० १ आ० ६ पा० वस्तुतः वसूल हुआ और १६ श्रमिकों को दिया गया।
३. बरेली	—	—	—	—
४. लखनऊ	५	२,३१३ १३ ६	१५	यह रकम अभी वसूल की जानी है।
५. मेरठ	२	२६,६०३ ३ १	१८	रकम में से केवल २८,६६८ रु० १३ आ० ६ पा० वसूल हुआ किन्तु वितरित नहीं किया गया।
६. गोरखपुर	—	—	—	—
७. कानपुर	४	१२,६४१ ५ ११	७२	यह रकम अभी वसूल की जानी है।
योग	२६	५२,०६६-५-५	१८७	—

४५. यह पहले ही बताया जा चुका है कि अधिकांश मामलों में निर्णयों के अनुसार श्रमिकों को सुविधा दिलाने के लिये निर्णय को पालन कराने का काम समझा-बुझाकर औद्योगिक विवाद (अपील न्यायाधिकरण) अधिनियम, १६५० की धारा २० के अन्तर्गत कार्यवाही करके किया जाता है परन्तु कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनमें ये दोनों तरीके उद्देश्य प्राप्त करने में असफल होते हैं और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है।

४६. निम्नलिखित तालिका में ऐसे मामलों का विवरण दिया गया है, जिनमें उल्लंघनकर्ता नियोजकों के विरुद्ध अभियोग चलाए गये :—

उन मामलों का विवरण, जिनमें सन् १९५४ में निर्णयों को लागू न करने के कारण नियोजकों के विरुद्ध अभियोग चलाए गये :—

प्रदेश	निर्णयों का पालन न करने के फलस्वरूप चलाए गए उन अभियोगों की संख्या, जो गत वर्ष से इस वर्ष के प्रारम्भ में विचाराधीन पड़े हैं	निर्णयों को कार्यान्वित न करने के फलस्वरूप उन मामलों की संख्या, जिनमें सन् १९५४ में अभियोग चलाए गये।	१९५४ में कुल अभियोगों की संख्या	वर्ष में निर्णीत अभियोगों की संख्या	वर्ष के अंत में विचाराधीन अभियोग
१. कानपुर	३	७	१०	३	७
२. आगरा	७	५	१२	५	७
३. लखनऊ	४	९	१३	९	४
४. बरेली	—	—	—	—	—
५. मेरठ	२	२	४	—	४
६. गोरखपुर	२	२	४	१	३
७. इलाहाबाद	३	४	७	६	१
योग	२१	२९	५०	२४	२६

सन् १९५४ में उत्तर प्रदेश में श्रम-स्थिति

४७. सन् १९५४ का प्रारम्भ राज्य के कई चीनी और सूती उद्योगों में हड़तालों से हुआ। वर्ष में निरन्तर मन्दी और कई मामलों में माल की कमी, स्टाक का संग्रह तथा वित्त-सम्बन्धी कठिनाइयाँ भी विशेष रूप से सामने आईं, जिनके कारण कामबन्दी और मिलबन्दी के रूप में बेकारी की स्थिति में वृद्धि हुई। परन्तु सरकार की संराधन तथा अभिनिर्णय-प्रणाली ने भरसक यह प्रयत्न किया कि इन बातों के कारण औद्योगिक शान्ति विघ्नग्रस्त न हो।

४८. निम्नलिखित तालिका में उत्तर प्रदेश में सन् १९४६ से आगे हड़तालों से प्रभावित श्रमिकों तथा हानि हुए काम के दिनों की संख्या दी गई है :—

वर्ष	हड़ताल और तालाबंदी की संख्या	हानि हुये काम के दिनों की संख्या	श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या	१००० श्रमिकों के पीछे हानि हुये काम के दिनों की संख्या
१	२	३	४	५
१९४७	१२५	१०,६०,५६५	२,४०,३९६	४,४१२
१९४८	१००	३,१२,५८४	२,४२,०८३	१,२९१
१९४९	५४	४,०३,८८८	२,३३,८३७	१,७२७

१	२	३	४	५
१९५०	६०	२,२६,१४६	२,३२,६६५	६८५
१९५१	१०५	३,०५,७६२	२,०२,५१४	१,५१०
१९५२	१२०	१,६६,७०६	२,०६,८३२	८०६
१९५३	६३	१,४६,६३१	२'०६,७८०	७११
१९५४	७१†	१,६१,३४६†	—	७४०*

*सन् १९५४ में हजार पीछे हानि हुये काम के दिनों की संख्या सन् १९५३ के नियोजन के आधार पर सम्मिलित की गई है क्योंकि सन् १९५४ के नियोजन के आँकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं।

†अंक अस्थायी हैं और कुछ विचाराधीन मामलों की सूचना प्राप्त होने पर ये बदले जा सकते हैं।

४९. सन् १९५३ की तुलना में सन् १९५४ में काम के दिनों की हानि की संख्या में थोड़ी-सी वृद्धि हुई। यह वृद्धि इन कारणों से हुई (१) बैंक निर्णय में भारत सरकार द्वारा कृत परिवर्तन के विरोध में आल इण्डिया बैंक एम्प्लाईज़ यूनियन द्वारा देशव्यापी आम हड़ताल के निर्णय के अनुसार राज्य के सभी बैंकों में प्रतीक हड़ताल, (२) भाटिया सेफ वर्क्स, कानपुर में दीर्घायित हड़ताल, जिससे ११,३७९ काम के दिनों की हानि हुई, तथा (३) फिरोजाबाद के अनेक काँच के कारखानों में होनेवाली प्रायः हड़तालों के कारण ६२,८५० काम के दिनों की हानि हुई। इन हड़तालों को छोड़कर राज्य की समूची हड़ताल की स्थिति में सुधार हुआ क्योंकि काँच के कारखानों तथा भाटिया सेफ वर्क्स की हड़तालों को छोड़ देने से आलोच्य वर्ष में १९५३ की अपेक्षा काम के दिनों की हानि की संख्या बहुत कम है।

५०. उत्तर प्रदेश में प्रति हजार श्रमिकों के पीछे हानि के काम के दिनो की संख्या का अन्य राज्यों की वैसी ही संख्या से, जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है, तुलना करने से ज्ञात होता है कि सामान्यतः उत्तर प्रदेश में हानि हुये काम के दिनों की संख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश सरकार की अभिनिर्णय तथा संराधन व्यवस्था और उसके कार्य की सफलता का यह एक और प्रमाण है :—

उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बम्बई और मद्रास में १९४७ से १९५३ तक होनेवाले औद्योगिक विवादों का विवरण

वर्ष	उत्तर प्रदेश			पश्चिमी बंगाल			बम्बई			मद्रास		
	हड़ताल और तालाबंदी की संख्या	काम के दिनों की हानि	हजार श्रमिकों पीछे काम के दिनों की हानि	हड़ताल और तालाबंदी की संख्या	काम के दिनों की हानि	हजार श्रमिकों पीछे काम के दिनों की हानि	हड़ताल और तालाबंदी की संख्या	काम के दिनों की हानि	हजार श्रमिकों पीछे काम के दिनों की हानि	हड़ताल और तालाबंदी की संख्या	काम के दिनों की हानि	हजार श्रमिकों के पीछे काम के दिनों की हानि
१९४७	१२५	१०,६०,५६५	४,४१२	३७६	५८,८३,७६२	८,८१३	६५०	४१,४९,४६८	५,९०७	२९०	३२,३०,८८७	११,६८१
१९४८	१००	३,१२,५८४	१,२९१	१९७	२३,१९,७८२	३,३७३	५३६	१८,१०,७९३	२,४५५	१६१	२३,६६,१२१	८,१६५
१९४९	५४	४,०३,८८८	१,७२७	१७३	२६,८१,४११	४,०३२	३७६	१६,४१,६५२	२,०८०	११४	४,३६,६४२	१,३४८
१९५०	६०	२,२९,१४९	९८५	१३८	११,५३,४१९	१,७९७	२७१	१,०२,४९,५५०	१३,९७६	१०५	३,५७,६२७	१,९१४
१९५१	१०५	३,०५,७९२	१,५१०	२७९	८,१२,७७४	१,२४१	३९७	११,२९,९९६	१,४७२	२२३	४,२७,२७८	१,०२३
१९५२	१२०	१,६६,७०९	८०६	२१९	१३,३५,९१५	२,१६६	३०१	१३,४९,३१५	१,९०२	२११	४,४९,०६२	१,२१३
१९५३	९३	१,४६,९३१	७११	२०९	१७,१६,५०७	२,८७५	१७२	६,०८,३२१	८७२	१०८	२,५१,०२४	८४२

५१. निम्नलिखित तालिका में सन् १९५४ में उत्तर प्रदेश में होनेवाली हड़तालों और तालाबंदियों का विवरण उद्योगो के अनुसार दिया गया है :—

तालिका
१९५४ की हड़तालों और तालाबंदियों का विवरण
(उद्योगो के अनुसार)

क्रमांक	उद्योग का नाम	हड़तालो की संख्या	प्रभावित श्रमिकों की संख्या	काम के दिनो की हानि	विशेष
१	कारखानों में निर्मित धातु	१	१२६	११,३७६	एक हड़ताल
	वस्तुएँ (मशीनरी और				पिछले वर्ष से
	परिवहन सामग्री को छोड़कर)				जारी रही
२	सूती वस्त्र उद्योग	१६	१६,२६३	३८,६०१	
३	जूते, पहनने के कपडे और		४६८	४६८	
	तैयार सूती वस्तुएँ	१			
४	पेयों को छोड़कर खाद्य		२,६४०	२२,२०६	
५	अधातु खनिज वस्तुएँ	८	११,७१९	६३,५०१	
६	बिजली, गैस और वाष्प	८	५०	५००	
७	सरकारी और स्थानीय	१	२,११५	७,६४५	
	कोष कारखाने	४			
८	मुद्रण, प्रकाशन तथा		१९२	२३९	
	संबंधित उद्योग	७			
९	इंजीनियरिंग		७०	९७	
१०	रसायन और रासायनिक	२	१,४५०	२,०८०	
	वस्तुएँ	२			
११	मूल धातु उद्योग		६१०	६,०६०	
१२	तम्बाकू	२	१८२	२,५७४	
१३	परिवहन और परिवहन-	४	५०१	१,१३४	
	सामग्री	६			
१४	विविध	९	४,५९१*	४,८५९*	
	योग	७१	४०,९८०	१,६१,३४६	

*टिप्पणी—(१) २३-९-५४ की बैंक हड़ताल के पूरे आँकड़े प्राप्त नही हैं।

(२) ये अंक अस्थायी हैं, जो जाँच से प्राप्त सूचनाओं के प्राप्त होने पर बदले जा सकते हैं।

(३) उपर्युक्त तालिका में १० श्रमिको से कम की हड़ताल और १०० से काम के दिनों की हानि सम्मिलित नहीं की गई है।

५२. उपर्युक्त तालिका की क्रमसंख्या ५ (अधातु खनिज वस्तुएँ) में कुल ५ हड़तालें सम्मिलित हैं, जो अनेक काँच के कारखानों में समान कारण होने से एक समय में साथ ही साथ प्रारम्भ हुईं। पहली हड़ताल २० कारखानों में और फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवी हड़ताल क्रमशः ६, ४, १७ और ४२ कारखानों में हुई। इन कारखानों में हड़ताल का कारण व समय एक ही था। इसलिये उनको पृथक्-पृथक् न मानकर एक हड़ताल के अन्तर्गत ही समझा गया। विभिन्न बैंकों की हड़तालों को भी कारण एवं समय एक ही होने के कारण एक ही हड़ताल के अन्तर्गत माना गया है। तालिका की क्रमसंख्या १ के अन्तर्गत जो हड़तालें दिखाई गई हैं, उनमें स्थानापन्न श्रमिकों के काम के दिनों की संख्या, जो हड़ताल के बाद भी काम करते रहे, खोये हुये काम के दिनों की संख्या में से घटा दी गई है।

सन् १९५४ में श्रम विभाग के हस्तक्षेप के फलस्वरूप हड़तालों के रुकने या वापस लेने के मामलों का विवरण

५३. विभिन्न स्थितियों में औद्योगिक विवादों को रोकने तथा उनके समाधान से सम्बन्धित व्यवस्था की विभिन्न कार्यवाहियों का विवरण पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में पहले ही दिया जा चुका है। ये कार्यवाहियाँ अधिकांशतः विवाद के प्रारम्भ हो चुकने के बाद ही की गईं। किन्तु यहाँ पर इस बात पर जोर देना अनुपयुक्त न होगा कि यह व्यवस्था केवल उसी समय काम नहीं करती जबकि विवाद प्रारम्भ हो जाता है, बल्कि उस समय भी जब वह प्रारम्भ होने को होता है। पर इस बात के पूर्ण रूप से प्रारम्भ से ही प्रयत्न किये जाते हैं कि शांति-पूर्वक समझौते द्वारा संकट को टाल दिया जाय। नीचे दिये हुये विवरण में सन् १९५४ के उन मामलों को दिखाया गया है, जिनमें अवैधिक रूप से समझाने के उपायों-द्वारा हड़तालों को रोका गया या वापस लिया गया।

सन् १९५४ में श्रम विभाग के हस्तक्षेप के फलस्वरूप हड़तालों के रोकने व वापस लिए जानेवाले मामलों का विवरण :—

क्रमसंख्या	प्रदेश	हड़तालों की संख्या	संभावित हड़तालों की संख्या	योग
१	आगरा	७	३	१०
२	इलाहाबाद	६	२२	२८
३	बरेली	६	८	१४
४	गोरखपुर	३	५	८
५	लखनऊ	१	४	५
६	मेरठ	६	४	१०
७	कानपुर	५	२	७
	योग १९५४	३४	४८	८२
	योग १९५३	४५	२४	६९

५४. हड़तालों तथा तालाबन्दियाँ ऐसी विषमताएँ हैं, जिनका प्रभाव, श्रमिको नियोजन तथा मजदूरी और औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ता है तथा वे औद्योगिक अशान्ति से उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बातें ऐसी भी हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध औद्योगिक अशान्ति से नहीं है, वरन् उनका सम्बन्ध सामान्य व्यावसायिक दशाओं से रहता है और इनका भी प्रभाव श्रमिकों के नियोजन व मजदूरी तथा औद्योगिक उत्पादन पर भी पर्याप्त रूप से पड़ता है। ये हैं बैठकी, कारखानों की बन्दी, श्रमिकों की छँटनी, जो व्यापारिक कारणों तथा अन्य ऐसे कारणों से होती हैं, जिनका सम्बन्ध औद्योगिक अशान्ति से नहीं रहता। गत कुछ वर्षों में इस प्रकार की घटनाएँ सामान्य रूप से व्यापारिक मन्दी के कारण हुयीं और बहुत से मामलों में उनके कारण औद्योगिक विवाद भी हुये। इनका भी प्रभाव औद्योगिक सम्बन्धों पर पड़ता है। इसलिये यह औद्योगिक सम्बन्धो को सुधारने के लिये प्रयत्नशील सरकार के लिये नितान्त आवश्क हो जाता है कि विवाद पैदा करनेवाली ऐसी घटनाओं पर कड़ी दृष्टि रखे जैसे बैठकी, तालाबन्दी के अतिरिक्त अन्य कारणों से कारखानों की बन्दी, श्रमिकों की छँटनी आदि। सन् १९५४ में बैठकी, बन्दी और छँटनी से सम्बन्धित विवरण की तीन तालिकाएँ इस प्रकार हैं :—

सन् १९५४ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न उद्योगों में बैठकियों का विवरण

क्रम संख्या	उद्योग	बैठकी की संख्या	प्रभावित श्रमिक	हानि हुये काम के दिन
१.	सूती वस्त्र उद्योग	५९६	४१,७६०	६५,७७,४०.५
२.	इंजीनियरिंग	८३	२,११०	२,२०,४८.५
३.	खनिज एवं धातुएँ	७५	१,१८४	५,१२०.५
४.	खाद्य, पेय एवं तम्बाकू	१८२	१०,६२०	६२,७,७६.५
५.	लकड़ी, पत्थर और काँच	११७	११,६५८	२,१७,१८७
६.	खाल और चमड़ा	८१	४१२	३,१७२
७.	रसायन और रंग	१०	२४३	१,५४६
८.	कागज और मुद्रण	५०	१२,८०६	१२,६६०
९.	विविध	३६	७६४	३,३२०
	योग १९५४	१,२३०	८१,८६०	१०,१५,६०१
	योग १९५३	१,६१७	८७,०६७	५,३९,३७४
	योग १९५२	१,७२१	७५,२२१	५,७९,८२६
	योग १९५१	७२१	१,३७,४५५	८,४३,४६७

सन् १९५४ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न उद्योगों में छँटनी एवं उससे प्रभावित श्रमिकों का विवरण:—

क्रमसंख्या	उद्योग का नाम	छँटनी किये गये श्रमिकों की संख्या
१	सरकारी एवं स्थानीय कोष कारखाने	३४
२	सूती वस्त्र उद्योग	१५१
३	इंजीनियरिंग	१५४
४	खनिज एवं धातुएँ	१२२
५	खाद्य, पेय और तम्बाकू	७११
६	रसायन एवं रंग	८७
७	कागज तथा मुद्रण	६५
८	लकड़ी, पत्थर और काँच	३६१
९	खाल तथा चमड़ा	७६
१०	विविध	४५७
	योग—१९५४	२,२४८
	योग—१९५३	१,७७९
	योग—१९५२	३,८४०
	योग—१९५१	२,५७३

व्यापारिक कारणों आदि से कारखानों की बन्दी से बेकार हुए श्रमिकों की संख्या उक्त तालिका में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये श्रमिक सामान्य रूप से उस समय नौकरी पर पुनः ले लिये जाते हैं, जबकि वे खुलते हैं।

निम्न तालिका में कारखानों की बन्दियों तथा उनसे प्रभावित श्रमिकों की संख्या दी गई है :—

सन् १९५४ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न कारखानों में बन्दियों एवं उनसे प्रभावित श्रमिकों की सख्या का विवरण :—

क्रम-संख्या	उद्योग का नाम	बन्दी के मामलों की संख्या	प्रभावित श्रमिकों की संख्या
१	२	३	४
१.	सरकारी और स्थानीय कोष कारखाने		
२.	सूती वस्त्र उद्योग	९	२,७२८
३.	इंजीनियरिंग	६	२६२

१	२	३	४
४.	खनिज एवं धातुएँ	४	१०७
५.	खाद्य, पेय तथा तम्बाकू (चीनी को मिलाकर)	३६	११,७७१
६.	रसायन और रंग	४	११०
७.	कागज और मुद्रण	३	२६६
८.	लकड़ी, पत्थर और काँच	२३	२,०३८
९.	खाल तथा चमड़ा	१	७७
१०.	विविध	३७	६४३
	योग १९५४	१२६	१८,००२
	योग १९५३	१०२	१०,३४३
	योग १९५२	५९	५,३७३
	योग १९५१	८१	८,५४९

५५. सन् १९५४ में व्यापारिक कारणों से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बन्दियों की संख्या में वृद्धि हुई। साथ ही उनसे प्रभावित होनेवाले श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि हुई। यहाँ यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि युद्धोत्तर व्यापारिक मन्दी के समय कारखानों में बन्दियों की वृद्धि (प्रत्येक मामले में भिन्न-भिन्न अवधि के लिए) कोई विशेष महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में इस प्रकार की घटनाएँ साधारणतः हुआ ही करती हैं। सूती-वस्त्र उद्योग में होजरी के बड़े-बड़े कारखानों को गम्भीर व्यापारिक मन्दी का सामना करना पड़ा और अब उनका स्थान गृह-उद्योग के आधार पर छोटे पैमाने पर खुलनेवाले छोटे कारखाने ले रहे हैं। ऐसे छोटे कारखाने केवल उत्तर प्रदेश में ही नही वरन सम्पूर्ण भारत में खुले। यहाँ तक कि भारत के सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में भी सन् १९५४ में व्यापारिक मन्दी के कारण सूती उद्योग को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। इसी प्रकार की स्थिति का सामना अधिकांश दूसरे उद्योगों जैसे चीनी, डिस्टिलरी तथा काँच आदि को भी करना पड़ा।

श्रम विभाग के प्रयत्नों से सन् १९५४ में मिलों और कारखानों के टले सङ्कट

५६. उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत संराधन समितियों तथा अभिनिर्णय में औद्योगिक विवादों को समाधानार्थ भेजने के लिये सरकार द्वारा एक निश्चित व्यवस्था कर दी गई है। फिर भी ऐसे बहुत से मामले हैं, जिनमें विवाद उठते ही उसे श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा तय कर दिया जाता है। इसके लिये वे दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ मामले पर विचार-विनिमय करते हैं तथा समझौते का हल निकालते हैं। सन् १९५४ में श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा

बहुत से मामलों में सामयिक समझौते कराये गये। इस प्रकार विवादों में समझौता होने से दोनों पक्षों, नियोजकों एवं श्रमिकों, के बीच अपेक्षाकृत अधिक अच्छे और सामंजस्य पूर्ण सम्बन्धों का सृजन होता है। सन् १९५४ में इस प्रकार तय किये गये कुछ महत्वपूर्ण विवाद इस प्रकार हैं :—

(१) प्रादेशिक संराधन अधिकारी, गोरखपुर के हस्तक्षेप से आनन्द शुगर मिल्स, खलीलाबाद में होनेवाली हड़ताल वापस ले ली गई।

(२) प्रादेशिक संराधन अधिकारी, मेरठ के हस्तक्षेप से लार्ड कृष्ण शुगर मिल्स, सहारनपुर में होनेवाली हड़ताल वापस ले ली गई।

(३) अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, लखनऊ तथा फैजाबाद के प्रत्यायुक्त के हस्तक्षेप से कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स, मसोधा, फैजाबाद में होनेवाली हड़ताल वापस ले ली गई।

(४) प्रादेशिक संराधन अधिकारी, लखनऊ के हस्तक्षेप से शुगर फैक्टरी, बिसवाँ, सीतापुर में होनेवाली हड़ताल नियोजकों एवं श्रमिकों के बीच समझौता हो जाने के कारण वापस ले ली गई। इस कारखाने के श्रमिकों ने माँग न पूरी होने पर ७ फरवरी सन् १९५४ से हड़ताल करने का निश्चय किया था। उनकी माँग थी कि उनको उत्पादित चीनी पर ५ आने प्रतिमन के हिसाब से बोनस दिया जाय। समझौता हो जाने के कारण मामला शांति से सुलझ गया और हड़ताल न हो सकी।

(५) अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, रामपुर के हस्तक्षेप से ४ धातु के कारखानों राधे रोलिंग मिल्स, रमेश मेटल वर्क्स, पाल मेटल वर्क्स में होनेवाली हड़तालें वापस ले ली गयीं।

(६) प्रादेशिक संराधन अधिकारी, गोरखपुर के हस्तक्षेप से पडरौना एलेक्ट्रिक सप्लाई, देवरिया में सन् १९५१-५२ का बोनस न दिये जाने के कारण १-७-१९५४ से हड़ताल होनेवाली थी, पर आवश्यक समझौता हो जाने से हड़ताल वापस ले ली गई।

(७) अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, रामपुर के हस्तक्षेप से अयोध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर, मुरादाबाद में होनेवाली हड़ताल वापस ले ली गई।

(८) स्थानीय श्रम निरीक्षक, बनारस के हस्तक्षेप से चित्रा सिनेमा, बनारस में होने वाली हड़ताल समझौता हो जाने से वापस ले ली गई। कर्मचारियों की माँग थी कि उनको अक्टूबर व नवम्बर, १९५४ का वेतन दिया जाय अन्यथा वे हड़ताल करेंगे। पर समझौता हो जाने के कारण हड़ताल टल गई।

राज्य औद्योगिक न्यायालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में नियोजकों-द्वारा विवादों को निपटाने के लिए भेजे गये निषेधार्थ आवेदन पत्र

५७. भारत संविधान के अन्तर्गत अब नियोजकों ने उच्च न्यायालय में औद्योगिक विवादों को अभिनिर्णयार्थ भेजे जाने, सरकारी आदेशों अथवा सरकारी कार्यों

की उपयुक्तता को चुनौती देने के सम्बन्ध में निषेधार्थ आवेदन-पत्र भेजने प्रारम्भ किये हैं। निम्न तालिका में सन् १९५४ के अंत में उच्च न्यायालय में औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में भेजे गये निषेधार्थ आवेदन पत्रों की वह संख्या, जिसमें कुछ मामलों में निर्णय दिये गये और जो विचारार्थ रह गये, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

१९५४ के प्रारम्भ में विचार के लिये आवेदन-पत्रों की संख्या	सन् १९५४ में जो नये आवेदन-पत्र विचारार्थ आये, उनकी संख्या	सन् १९५४ में न्यायालय-द्वारा जिन आवेदन-पत्रों पर निर्णय दिया गया, उनकी संख्या	सन् १९५४ के अन्त में न्यायालय में विचारार्थ आवेदन-पत्रों की, जिन पर विचार होना विशेष है, संख्या
९६	३०	३८	८८

५८. सन् १९५४ में जो ३० नये निषेधार्थ आवेदन-पत्र विचारार्थ आये, उनमें कानूनी दृष्टि से निम्न बातों पर विशेष रूप से विचार करने को कहा गया था :—

	निषेधार्थ आवेदन-पत्रों का विषय	न्यायालय में आये निषेधार्थ आवेदन-पत्रों की संख्या
१	२	३
१.	अभिनिर्णयों के अन्तर्गत देय रकम के विरुद्ध।	१
२.	अभिनिर्णायकों-द्वारा दिये गये निर्णयों के विरुद्ध।	३
३.	अभियोगों के सम्बन्ध में निम्न न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध	३
४.	विवादों को अभिनिर्णयार्थ न प्रेषित करने के आदेशों के विरुद्ध	२
५.	समझौतों को लागू करने सम्बन्धी आदेशों के विरुद्ध	२
६.	श्रम अपील न्यायाधिकरण के निर्णय के संशोधक सरकारी आदेश के विरुद्ध	१
७.	अन्य न्यायालयों द्वारा किये गये आदेशों के विरुद्ध	४
८.	अपील न्यायाधिकरण-द्वारा दिये गये निर्णयों के विरुद्ध	२

१	२	३
६.	एकाकी न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णयों के विरुद्ध	१
१०.	राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण में प्रेषण-सम्बन्धी आदेशों के विरुद्ध	४
११.	कारखाना-विघटन के विरुद्ध	१
१२.	अभिनिर्णायक-द्वारा मामले में कार्यवाही न किए जाने के विरुद्ध	१
१३.	अन्य वैधिक बातों के विरुद्ध	५
	योग	३०

अध्याय १६

नियोजन संस्थाएँ तथा श्रमिकों की भरती

नियोजन आयोग ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा है कि उद्योग तथा श्रमजीवियों दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये जनशक्ति का प्रभावपूर्ण उपयोग एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। उत्पादन का कार्य उसी दशा में सुचारु रूप से चलता रह सकता है, जबकि आवश्यकतानुसार लगातार दक्ष-श्रमिक उपलब्ध होते रहें। इसके लिये जनशक्ति के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने एवं प्रसारित करने, सक्षम नियोजन संस्था के संगठन, विभिन्न प्रकार की आवश्यक दक्षता का ठीक-ठीक मूल्यांकन तथा दक्षता बढ़ाने एवं विशिष्ट टेक्निकल सेवाओं में लगे हुये व्यक्तियों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने की नितांत आवश्यकता है। योजना आयोग के कथनानुसार राष्ट्रीय-नियोजन सेवा संगठन को वास्तव में इन समस्त ध्येयों की पूर्ति के लिये एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता एवं महत्व उस समय अधिक बढ़ जाता है, जब देश में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग बेकार हों। बेकारी की समस्या का एक सन्तोषप्रद हल ढूँढ़ निकालने एवं बेकारों को काम दिलाने की एक गम्भीर समस्या आज देश के समक्ष उपस्थित हो गई है। देश में स्थापित नियोजन संस्थाओं ने बेकार लोगों को काम दिलाने की दशा में सच्ची लगन से योग दिया है पर अभी उन्हें इस दिशा में जहाँ एक ओर उद्योगों में टेक्निकल एवं विशेष रूप से प्रशिक्षण पाये हुये सुयोग्य व्यक्तियों की एक भारी कमी को पूरा करना है वहाँ देश में दिनों-दिन बढ़ती हुई बेकारी की विकराल समस्या को सुलझाने का काम भी एक बहुत ही प्रभावोत्पादक ढंग से करना है।

२. सन् १९५४ की महत्वपूर्ण घटना, जो इस देश की नियोजन संस्थाओं के भविष्य को प्रभावित करेगी, भारत सरकार द्वारा उच्चाधिकार-सम्पन्न समिति की नियोजन सेवा संगठन की कार्य-पद्धति की जाँच तथा ठोस आधार पर उसके पुनर्गठन के लिये आवश्यक सिफारिशें करने के लिये स्थापना है। प्रशिक्षण एवं नियोजन सेवा संगठन समिति की स्थापना भारत सरकार के योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई। उसके अध्यक्ष श्री० बी०शिवराव, संसद्-सदस्य के नाम पर उसे शिवराव समिति के नाम से अभिहित किया जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

३. भारत में सन् १९२९-३० में श्रम-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये रायल कमीशन तथा उत्तर प्रदेश, बिहार और बम्बई में नियुक्त श्रम-जाँच समितियों ने देश में बढ़ती हुई बेकारी की समस्या को हल करने के लिये सार्वजनिक नियोजन

संस्थाओं की स्थापना पर जोर दिया। सन् १६४३-४४ में प्रथम बार देश में ६ नियोजन-संस्थाओं की स्थापना की गई, जिनका प्रमुख उद्देश्य युद्ध-कालीन उद्योगों के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षण पाये हुए टेक्निकल व्यक्तियों का जुटाना था। ये नियोजन संस्थायें राष्ट्रीय सेवा श्रम-न्यायाधिकरण के नियन्त्रण व देख-रेख में रहीं। इन संस्थाओं ने इस अवधि के भीतर कोई ठोस काम नहीं किया। इनका कार्यक्षेत्र सीमित ही रहा।

४. सन् १६४५ में द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात् सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या युद्ध से लौटे हुए सैनिकों तथा युद्धोद्योग में रत श्रमिकों को काम से लगाने की थी। इस प्रकार राष्ट्रीय नियोजन सेवा के कार्य-क्षेत्र का विस्तार हुआ और नियोजन संस्थाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई।

५. सरकार ने युद्ध से लौटे हुये सैनिकों के पुनर्वास एवं नियोजन की सरकारी नीति को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिये पुनर्वास एवं नियोजन के प्रधान निदेशक के कार्यालय की स्थापना की। इसके अतिरिक्त पुनर्वास एवं नियोजन के प्रादेशिक निदेशकों के भी कई कार्यालय खोले गए। प्रशासन की सुविधा के दृष्टि से देश को ६ प्रदेशों — उत्तर प्रदेश, मद्रास, बम्बई, बिहार और उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, दिल्ली और अजमेर-मेरवाड़ा, पंजाब और आसाम में विभक्त किया गया। प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रादेशिक नियोजन संस्था और कई उप-नियोजन संस्थाएँ तथा कुछ जिला नियोजन संस्थाएँ भी खोली गयीं। उत्तर प्रदेश में नियोजन के प्रादेशिक निदेशक का कार्यालय लखनऊ में है। कानपुर में प्रादेशिक नियोजन संस्था का कार्यालय है। इसके अतिरिक्त आगरा, अलमोड़ा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झाँसी, लैंसडाउन, लखनऊ, मेरठ तथा बरेली में उप-प्रादेशिक नियोजन संस्थाएँ हैं। इसके अतिरिक्त अलीगढ़, बलिया, बनारस, देहरादून, फैजाबाद, गोंडा, मुरादाबाद, नैनीताल, रामपुर, सहारनपुर और शाहजहाँपुर में जिला नियोजन संस्थाएँ खोली गई हैं।

सन् १९५४ में उत्तर प्रदेश की नियोजन संस्थाओं की कार्य-पद्धति

६. उत्तर प्रदेश में इस वर्ष के प्रारम्भ में कुल २१ नियोजन संस्थायें थीं। इस आलोच्य वर्ष में नियोजन के क्षेत्र में नौकरी के अवसर कम प्राप्त होने के फलस्वरूप नियोजन संस्थाओं की कार्यविधि में भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा तथा नियोजकों (विशेषकर निजी नियोजकों) की संख्या में, जो नियोजन संस्थाओं से सहायता लिया करते थे, कमी हुई। नियोजन संस्थाओं में प्रतिमास औसतन ४,१३८ रिक्त स्थान विज्ञापित किये गये जब कि गत वर्ष इनकी संख्या ५,१२० थी। इस वर्ष नौकरी चाहनेवालों की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिमास औसतन ३.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त इस वर्ष जिन लोगों को काम दिलाया गया। उनकी संख्या प्रतिमास औसतन २,६५६ रही जब कि गत वर्ष यही संख्या ३,८१६ थी वाणिज्य एवं व्यापार में मन्दी के झोंके आने से विभिन्न औद्योगिक योजनाओं में श्रमिक अशांति रही, सूती वस्त्र के कारखानों एवं तेल-मिलों में लम्बी अवधि की बैठकी तथा धीरे-धीरे खाद्यान्नों व सूती वस्त्र पर से नियन्त्रण

हटाये जाने से समूचे राज्य में बेकारों की संख्या में वृद्धि हुई। सरकार के मितव्यय आंदोलन के अन्तर्गत केन्द्रीय एवं प्रदेशीय राज्य सरकारों के विभागों में काम के अवसर कुछ सीमित हो गये। जहाँ कहीं कुछ अवसर रहे भी, उनमें सरकारी नौकरी से बर्खास्त किये गये व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई। इससे नये नाम लिखानेवाले लोगों की भर्ती अवरुद्ध हो गई। शिक्षित वर्ग के लोगों की बेकारी बढ़ती जा रही है। इसका एक कारण यह भी है कि वह सामान्यतया बाबूगिरी के काम ही चाहते हैं।

७. **नियोजन के आँकड़े**:—राज्य में नियोजन संस्थाओं द्वारा लोगों को नौकरी दिलाने की संख्या में इस वर्ष पर्याप्त मात्रा में कमी आई। इस वर्ष ३५,४६७ लोगों को काम दिलाने में सहायता की गई जब कि गत वर्ष यह संख्या ४५,८२६ थी। राज्य की विभिन्न नियोजन संस्थाओं में नौकरी के लिए नाम लिखानेवाले लोगों की संख्या ३,१६,२३० रही, जब कि गत वर्ष यही संख्या ३,०६,८२२ थी। इस आलोच्य वर्ष में सूचित रिक्त स्थानों की संख्या ४६,६५१ रही, जब कि गत वर्ष यह संख्या ६१,४३६ थी। उपर्युक्त संख्या में से २१,१२० रिक्त स्थान निजी नियोजकों ने १४,६८४ केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों ने तथा १३,५४७ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा प्रतिष्ठानों ने विज्ञापित किये। इस वर्ष औसत ८३०.५ नियोजकों ने प्रतिमास नियोजन संस्थाओं से सहायता ली।

दिसम्बर सन् १९५४ के अन्त में विभिन्न नियोजन संस्थाओं की चालू पंजिकाओं में प्रार्थियों की संख्या १,०६,६३४ थी, जब कि गत वर्ष दिसम्बर महीने के अन्त में यही संख्या ९४,४१७ थी। सन् १९५४ के अन्त में नियोजन संस्थाओं के अन्तर्गत चलते-फिरते विभाग को शिवराम समिति की सिफारिशों के आधार पर बन्द कर दिया गया। उस चलते-फिरते काम दिलाऊ विभाग के समाप्त किये जाने के समय उसकी चालू पंजिका में नौकरी चाहने वाले लोगों की संख्या ८,३४५ थी तथा १,०८६ व्यक्तियों को काम दिलाया गया।

८. **नौकरी चाहने वाले विशेष प्रकार के लोगों को नियोजन स्थिति :—**

(१) **विस्थापित**—इस आलोच्य वर्ष में विभिन्न नियोजन संस्थाओं में ६,५३८ विस्थापितों ने नौकरी पाने के लिये अपने नाम लिखाये, तथा ८३५ लोगों को काम दिलाने में सहायता की गई, जबकि गत वर्ष क्रमशः यही संख्यायें ७,३८६ तथा ९०७ रहीं। वर्ष के अन्त से नियोजन कार्यालयों की चालू पंजिकाओं में २,३८६ विस्थापितों के नाम थे, जब कि सन् १९५३ के अन्त में यही संख्या २,६५६ थी।

(२) **अवकाश प्राप्त सैनिक**—इस वर्ष १२,८७७ अवकाश प्राप्त सैनिकों ने नौकरी पाने के लिये अपने नाम लिखवाये, जबकि गत वर्ष यही संख्या १२,२९५ थी। २,११७ व्यक्तियों को काम दिलाया गया, जब कि गत वर्ष यही संख्या २,१३५ थी। वर्ष के अन्त

में नियोजन कार्यालयों की चालू पंजिकाओं में अवकाश-प्राप्त सैनिकों की संख्या ४३७८ थी, जब कि १९५३ के अन्त में यही संख्या ३,९८४ थी।

(३) **अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार**—सन् १९५४ में विभिन्न नियोजन संस्थाओं में अनुसूचित जाति के ३५,२९२ उम्मीदवारों ने नाम लिखवाये और ६,२२६, उम्मीदवारों को काम दिलाने में सहायता दी गई, जब कि गत वर्ष क्रमशः यही संख्यायें ३२,७७१ तथा ७,१७४ रहीं। वर्ष के अन्त में नियोजन संस्थाओं की चालू पत्रिकाओं में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या ११,३०५ थी।

(४) **काम से अधिक तथा बर्खास्त सरकारी कर्मचारी**—राज्य सरकार के खाद्य एवं पूर्ति विभाग में छँटनी किये जाने के फलस्वरूप बहुत से व्यक्ति बेकार हो गये। ऐसे समस्त लोगों की, जिन्होंने नियोजन संस्थाओं में नौकरी पाने के लिये नाम लिखवाये, संख्या इस वर्ष ३,२६० रही, जब कि सन् १९५३ में यही संख्या १,९९३ थी। बर्खास्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या, जिन्हें इस वर्ष काम दिलाया गया, १,०५६ थी, जब कि सन् १९५३ की संख्या ३२७ थी। इस वर्ष के पूर्वार्द्ध तक खाद्य-एवं पूर्ति विभाग से हटाये गये व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में प्राथमिकता दी गई।

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों से हटाये गये कर्मचारियों की संख्या, जिन्होने नियोजन संस्थाओं में नौकरी पाने के लिये नाम लिखाये, इस वर्ष २,५२४ रही, जबकि गतवर्ष यही संख्या २,३२५ थी। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों से हटाये गये ऐसे कर्मचारियों की संख्या, जिन्हें इस वर्ष काम दिलाने में सहायता दी गई, १,०६६ रही, जबकि गतवर्ष यही संख्या ७१७ थी।

(५) **महिलायें**:—इस वर्ष नियोजन संस्थाओं में ५,५२५ महिलाओं ने नौकरी पाने के लिये नाम लिखाये जबकि गतवर्ष यही संख्या ४,०५१ थी। सन् १९५४ में ८३० महिलाओं को काम दिलाने में सहायता की गई, जबकि गत वर्ष यही संख्या ९०५ थी। वर्ष के अन्त में नियोजन संस्थाओं की चालू पंजिकाओं में महिला-उम्मीदवारों की संख्या १,४१८ थी।

(६) **शिक्षित उम्मीदवार**:—शिक्षित समुदाय की बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के लिये योजना आयोग ने राज्य की शिक्षा प्रणाली को पुर्नगठित करने तथा उसके अन्तर्गत कुछ नये स्कूल खोलने का सतत् प्रयत्न किया, जिससे ४,६०० व्यक्तियों को काम से लगाया जा सके। पर इस आलोच्य वर्ष में योग्यता-प्राप्त शिक्षित उम्मीदवारों की इस दिशा में कोई ठोस सहायता नहीं पहुँचाई जा सकी।

९. **नियोजन-कार्य का तुलनात्मक अध्ययन**:—अखिल भारतीय आँकड़ों की पृष्ठभूमि के साथ उत्तर प्रदेशीय नियोजन संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन आगे के विवरण में दिया गया है:—

	उत्तर प्रदेश			सम्पूर्ण भारत		
वर्ष	रजिस्ट्रेशन	सूचितरिक्त स्थान	काम दिलाया गया	रजिस्ट्रेशन	सूचित रिक्त स्थान	काम दिलाया गया
१९५३	३,०६,८२२	६१,४३६	४५,८२६	१४,०८,८००	२,५६,७०३	१,८५,४४३
१९५४	३,१६,२२६	४६,६५१	३५,४६०	१३,३०,४९६*	२,१८,७९९*	१,४८,२८७

* ये आँकड़े केवल जनवरी से नवम्बर सन् १९५४ तक के हैं।

१०. **कानपुर में श्रमिकों का आकस्मिकता-निवारण**:—सन् १९४८ में, लखनऊ में हुये एक त्रिदलीय सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि नियोजन संस्थाओं का उपयोग सूती वस्त्र तथा चमड़े के कारखानों के श्रमिक समूह से आकस्मिक श्रमिकों की भर्ती करने के लिये किया जाय। सन् १९५० में इस निर्णय को कार्यान्वित किया गया तथा कानपुर में चार उप-कार्यालय कालपीरोड, ग्वालटोली, जुही और कोपरगंज में नियोजन संस्थाओं के अन्तर्गत खोले गये। राज्य सरकार ने सन् १९५४ के प्रारम्भ में यह निश्चय किया कि सूती वस्त्र उद्योग में समीचीनीकरण योजना के लागू किये जाने की संभावना को दृष्टि में रख कर कानपुर की समूह तथा आकस्मिकता निवारण योजना को समाप्त कर दिया जाय। थोड़े से परिवर्तित ढंग पर यह योजना अभी चल रही है, क्योंकि आर्थिक वर्ष के अन्त में उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में और विस्तृत जाँच करने का विचार किया गया होगा।

प्रशिक्षण योजना

११. देश की औद्योगिक जन-शक्ति की माँग पूरी करने की दृष्टि से भारत सरकार के नियोजन के पुनर्वास एवं प्रधान निदेशक के कार्यालय ने १९५० में उन पढ़े-लिखे युवकों के लिये, जो उद्योगों में नौकरी करना चाहते थे, प्रौढ़ नागरिक प्रशिक्षण योजना बनाई। इस योजना का पुनर्संगठन शिल्प-कला प्रशिक्षण योजना के नाम से हुआ। इस पुनर्संगठित योजना के अन्तर्गत शिक्षण का पाठ्य-क्रम पहले से कुछ ऊँचा कर दिया गया। १६ से २५ वर्ष तक के युवकों को, जो कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हों, शिक्षण संस्थाओं में शिल्पी का काम सीखने के लिये भेज दिया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण पाने की अवधि दो वर्ष रखी गई है, जिसमें डेढ़ वर्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केन्द्रों में लगता है तथा ६ महीने किसी प्रसिद्ध अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान में काम सीखने में लगता है। व्यावसायिक शिक्षण के लिये प्रशिक्षण संस्था केन्द्रों में प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है।

१२. प्रशिक्षण के पश्चात् भारत सरकार द्वारा नियुक्त औद्योगिक विशेषज्ञों द्वारा परीक्षा ली जाती है तथा सफल शिक्षार्थियों को दक्षता का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस आलोच्य वर्ष में शिल्प-व्यवसाय में प्रशिक्षण लेनेवाले ४९६, औद्योगिक प्रशिक्षण लेनेवाले ११७५ तथा इसके अतिरिक्त २०० लड़कियाँ व महिलाएँ भी उत्तीर्ण घोषित की गयीं।

विविध व्यवसायों की सूची

१. लोहारगिरी
२. बढ़ईगिरी
३. ड्राफ्ट्समैन (सिविल)
४. ड्राफ्ट्समैन (मशीन)
५. बिजली मिस्त्री
६. एलेक्ट्रोप्लेटर
७. वाष्प इंजन ड्राइवर
८. लाइनमैन तथा वायरमैन
९. मशीनमैन
१०. मेकेनिक आई० सी० ई०
११. मेकेनिक जनरल (फिटर)
१२. औजार मेकेनिक
१३. मेकेनिक (घरेलू रिफ्रीजेरेटर)
१४. ट्रैक्टर मेकेनिक
१५. मोल्डर
१६. मोटर मेकेनिक
१७. ओवरसियर
१८. पेण्टर तथा डिकोरेटर
१९. पेटर्न मेकर (नमूना बनानेवाले)
२०. प्लम्बर
२१. रेडियो सर्विसिंग तथा मरम्मत
२२. शीट मेटल वर्क्स
२३. औजार बनानेवाला
२४. टर्नर
२५. वेल्डर (बिजली एवं गैस)
२६. वायरलेस आपरेटर

१३. उपर्युक्त प्राविधिक व्यवसायों के अतिरिक्त नीचे दिये हुये व्यावसायिक कामों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है :—

(१) रँगाई तथा छींट की छपाई
(२) फैंसी कपड़ों की हाथ से बुनाई
(३) ऊनी कपड़ों की हाथ से बुनाई
(४) हाथ एवं मशीन से बुनाई

(५) खेल के सामान का निर्माण (लकड़ी व धातु)
(६) खेल के सामान का निर्माण (विविध)
(७) जूतों का निर्माण
(८) सूटकेसों का निर्माण।
(९) शीघ्रलिपि टंकण
(१०) जिल्दसाजी।
(११) हाथ से कम्पोजिंग।
(१२) छापे की मशीन चलाने का काम।
(१३) कपड़े की कटाई एवं सिलाई।
(१४) फलों व सब्जियों का संरक्षण।
(१५) कढ़ाई एवं सुई का काम।
(१६) घरेलू वर्तनों के बनाने का काम।

प्रशिक्षण संस्थाएँ केन्द्र

१४. उत्तर प्रदेश में ८ प्रशिक्षण संस्था केन्द्र हैं, जिनमें से एक देहरादून में केवल महिलाओं के लिये है। ऐसी समस्त प्रशिक्षण संस्था केन्द्रों की सूची निम्न प्रकार है :—

(१) औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्था, आलमबाग, लखनऊ,
(२) औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्था, अलीगढ़,
(३) औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्था, अलमोड़ा,
(४) औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्था, मेरठ,
(५) औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्था, रामपुर,
(६) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, इंजीनियरिंग कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस
(७) औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्था, इलाहाबाद, तथा
(८) औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्था (केवल महिलाओं के लिये), देहरादून,

शिक्षण संस्था केन्द्रों में शिक्षणार्थिनियों की भर्ती की संख्या एवं सुरक्षित स्थान

१५. सरकार ने विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में शिक्षणार्थिनियों की भर्ती की संख्या २,१३४ स्वीकृत की है, जिनमें ३५० स्थान विस्थापितों के लिये सुरक्षित कर दिये गये हैं। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये कुल शिक्षणार्थिनियों की संख्या के साढ़े बारह प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं।

१६. विस्थापितों का शिशिक्षु-प्रशिक्षण—भारत सरकार ने शिल्पकला प्रशिक्षण योजना के अतिरिक्त ४०० स्थान विस्थापितों को काम सिखाने के लिये सुरक्षित

कर दिये हैं। इस योजना के अन्तर्गत विस्थापित युवकों को काम सीखने के लिए ऐसे उद्योगों में भेज दिया जाता है, जहाँ काम सीखने के बाद उनको काम मिलने के निश्चित लक्षण रहते हैं। इस वर्ष उत्तर प्रदेश के बहुत से औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से काम सीखने की योजना के अन्तर्गत लगभग ३०० युवकों ने विभिन्न सूती वस्त्र तथा इंजीनियरिंग प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण किया। युवकों को काम सिखाने की यह योजना बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई।

प्रशिक्षणार्थियों को सुविधाएँ। प्रौढ़ नागरिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण—

१७. भारत सरकार की ओर से विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिये स्वीकृत कुल शिक्षार्थियों में से ३३⅓ शिक्षार्थियों को, २५ रुपये प्रति मास की दर से शिक्षण-वृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त समस्त विस्थापितों तथा विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को भी तीस रुपये प्रतिमास की शिक्षण-वृत्ति मिलती है।

उपर्युक्त शिक्षार्थियों के अतिरिक्त भारत सरकार के रक्षा विभाग की ओर से अवकाश-प्राप्त सैनिकों को प्रति मास २५ रुपये की वृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हरिजनों, राजनैतिक पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को २५ रुपये प्रतिमास की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है।

बापू वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देहरादून

१८. बापू वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देहरादून सन् १६५० में स्थापित किया गया। यह इंस्टीट्यूट पश्चिमी पाकिस्तान से आई हुई विस्थापित लड़कियों व महिलाओं के लिये खोला गया। इसमें शिक्षणार्थिनियों के लिये कुल २०० स्थान हैं। इस इंस्टीट्यूट में निम्नलिखित व्यावसायिक कामों में प्रशिक्षण दिया जाता है—कटाई और सिलाई, खेल की सामग्री का निर्माण, स्टेनोग्राफी (हिन्दी व अंग्रेजी), रंगाई और छपाई, फल व सब्जियों का संरक्षण। इस इंस्टीट्यूट में शिक्षणार्थिनियों के चुनाव व प्रवेश पाने व परीक्षा सम्बन्धी सब नियम वही हैं, जो श्रम मन्त्रालय के अन्तर्गत अन्य सब प्रशिक्षण संस्थाओं के हैं।

रेज़ीडेंशियल इण्डस्ट्रियल होम, चुनार जिला, मिर्जापुर

१६. यह संस्था पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री तथा भारत सरकार के सहायता एवं पुनर्वास विभाग के मन्त्री की प्रेरणा से सन् १६५१ में स्थापित की गई थी। इसका कार्य पूर्वी पाकिस्तान से आई हुई १,२०० निराश्रित महिलाओ एवं उनके आश्रितों को प्रशिक्षण देना है। समस्त प्रौढ़ महिलाओं ने अपने प्रशिक्षण के कार्य को समाप्त कर लिया है और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। इनमें से २०० से अधिक प्रशिक्षणार्थिनियाँ पश्चिमी बंगाल जा चुकी हैं। इनमें कुछ को सरकारी सहायता तथा कुछ को कोई भी सहायता नहीं दी जाती तथा बाकी लोगों को उत्तर प्रदेश में बसाने की व्यवस्था की जा रही है।

विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत किये गये कार्यों की समीक्षा :—

२०. सन् १६४५ से लेकर अब तक कुल मिलाकर १२,२१२ युवकों को विभिन्न व्यवसायों एवं कार्यों की शिक्षा दी गई। उनका विवरण इस प्रकार है :—

(१) अवकाश-प्राप्त सैनिक	३,२३८
(२) भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत विस्थापित	३,६४१
(३) प्रौढ़ नागरिकों को प्रशिक्षण	३,८१५
(४) राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत विस्थापित महिलाओं को प्रशिक्षण	
(अ) बापू वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देहरादून	६०७
(ब) रेज़ीडेंशियल इण्डस्ट्रियल होम, चुनार	३२०
योग	१२,२२१

उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का भविष्य

२१. पुनर्वास एवं नियोजन कार्यालय अपने भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों से निकट सम्पर्क बनाये रहता है एवं उनकी व्यावसायिक उन्नति के लिये निःशुल्क परामर्श देता है तथा नौकरी चाहनेवाले लोगों को भी सहायता देता है। इसके अतिरिक्त जो लोग व्यक्तिगत रूप से या सहकारी रूप से व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हें ऋण के रूप में रुपया दिलाने की व्यवस्था तथा किसी विषय में और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता देता है।

२२. प्रदान की जानेवाली सुविधायें इस प्रकार हैं :—

(१) जो लोग अपना व्यवसाय स्वयं करना चाहते हैं, उनको उत्तर प्रदेश कुटीर उद्योगों के निदेशक द्वारा ऋण दिलाने की व्यवस्था की जाती है।

(२) हरिजन प्रशिक्षणार्थियों को, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपना व्यवसाय स्वयं करना चाहते हैं, ऋण के रूप में हरिजन कल्याण विभाग के निदेशक-द्वारा रुपया दिलाने का प्रयत्न किया जाता है।

(३) नियोजन कार्यालयों द्वारा नौकरी दिलाने में सहायता दी जाती है।

(४) प्रशिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध उत्पादन-केन्द्रों में नौकरी दिलाने की व्यवस्था करना, क्योंकि इन उत्पादन केन्द्रों में पूर्व में प्रशिक्षणार्थियों को केन्द्रों में, बाहर से आये हुये काम को करने के लिये, रख लिया जाता है तथा उनको किये हुये काम के आधार पर ही मजदूरी दी जाती है।

(५) अनाथ महिलाओं को पुनर्वास-सम्बन्धी सहायता।

(क) सहकारी कारखानों में काम दिलाकर पुनर्वास। इस प्रकार के तीन सहकारी-उत्पादन केन्द्र इलाहाबाद, लखनऊ और मिर्जापुर में प्रदेशीय सरकार द्वारा स्थापित किये गये हैं। इन उत्पादन-केन्द्रों में इस समय

१३७ परिवार हैं। ५० लड़कियाँ और महिलाएँ उत्तर प्रदेशीय सरकार के प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग में इस समय नौकरी कर रही हैं।

(ख) विवाह-योग्य लड़कियों एवं विधवाओं के विवाह की व्यवस्था करना। इस प्रकार अब तक ३ लड़कियों एवं विधवाओं का विवाह करके पुनर्वास की व्यवस्था की गई।

(ग) परिचर्या (नर्सिङ्ग) करने का प्रशिक्षण—१६ महिलाओं और लड़कियों को नर्स की तथा १२ को मिडवाइफ की शिक्षा दी गई।

(घ) उनको आर्थिक सहायता दी गई, जो अपने दूर के सम्बन्धियों के साथ रहना चाहती हों। अब तक १२६ लड़कियों एवं महिलाओं को पुनर्वास-सम्बन्धी आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

गोरखपुर श्रम संगठन

२३. गोरखपुर श्रम संगठन का कार्य भारत सरकार के श्रम-मन्त्रालय के अन्तर्गत प्रादेशिक पुनर्वास एवं नियोजन के निदेशक के तत्वावधान में होता है। इस संगठन की देख-रेख अतिरिक्त प्रति निदेशक (श्रम) करते हैं और इनका प्रधान कार्यालय गोरखपुर में ही है। इस संगठन के अन्तर्गत–(१) श्रमिकों की भर्ती के डिपो, (२) श्रमिकों को एकत्र करने के केन्द्र (बिछिया) (३) श्रमिकों के लिए अस्पताल, (४) अभिलेख कार्यालय, (५) कल्याण विभाग तथा (६) राज्य श्रम समूह हैं।

उद्देश्य और लक्ष्य

२६. इस संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य इस प्रकार हैं :—(१) सरकारी देखरेख में श्रमिकों की भर्ती होने से भर्ती के समय होनेवाली अनियमितताओं को दूर करने का प्रयत्न।

(२) राष्ट्रीय महत्व के कार्यों को लगातार सुचारुरूप से संगठित करना।

(३) श्रम-हितकारी कार्यों के प्रशासन की समुचित व्यवस्था करना, सरकारी नीति के अनुसार श्रमिकों को औपचारिक, एवं सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध करना।

(४) श्रमिकों सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए समुचित शिक्षा एवं प्रोत्साहन देना।

(५) उन श्रम क्षेत्रों में, जहाँ श्रमिकों की संख्या माँग से अधिक है और उनमें बेकारी के कारण असन्तोष फैला हुआ है, उसे दूर करने के लिए उपाय करना तथा

(६) कार्य को भलीभाँति शीघ्रता से पूर्ण करने के लिये अनुशासित एवं सुसंगठित

श्रमिकों को बराबर तैयार रखना और उनके साथ नियोजकों-द्वारा किये जानेवाले व्यवहार, मजदूरी तथा अन्य सुविधाओं को दिलाने का पूर्ण प्रयत्न करना।

सन् १६५४ में सङ्गठन के कार्य की प्रगति

२५. सन् १६५४ में इस श्रम संगठन ने बिहार, पूर्वी बंगाल, हैदराबाद, मध्य प्रदेश की विभिन्न कोयले की खानों में काम करने के लिये २०,४८० श्रमिकों को भेजा। इसके अतिरिक्त लोहे की खानों तथा चूने की खदानों को भी श्रमिक भेजे गये। उत्तर प्रदेशीय सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत काम करने के लिये २,५२० श्रमिक भेजे गये।

आय

२६. कोयले की खानों में काम करनेवाले श्रमिकों को कोयला खान निर्णय के अन्तर्गत अस्थायी मजदूरी का औसत ५० रुपये से ६० रुपये प्रतिमास तक होता है। इसके अतिरिक्त उपस्थिति के आधार पर मिलनेवाली बोनस की रकम भी औसत ६ रुपये प्रतिमास हो जाती है। उनको नौ आना प्रति बार के भोजन का भी देना पड़ता है। किसी-किसी मामले में, वैयक्तिक मासिक आय १०० रुपये से भी अधिक होती है। रिकार्ड आफिस गोरखपुर में वर्ष भर में श्रमिकों का कुल २८,६७,४७१ रुपये ६ आना १० पाई जमा हुआ और रिकार्ड आफिस से वर्ष भर में जो भुगतान किये गये, इस प्रकार हैं :—

	रु०	आ०	पा०
स्थानान्तरित श्रमिकों के अन्तिम हिसाब के रूप में नगद भुगतान	२,२७,६०,७६७	७	१०
परिवारों का भुगतान	१,२८,७५५	०	५
क्षति-पूर्ति का भुगतान	१५,८००	०	०

गोरखपुर के श्रमिकों द्वारा इस वर्ष कुल कोयला, जो खानों से निकाला गया, वह ३२,०१,०२१ टन था, जो भारत भर की कोयले की खानों से कोयला निकालने का १०वाँ भाग है। अक्टूबर सन् १६५४ तक कुल कोयला जो खानों से निकाला गया, ६७,१११ टन व चूना, ६५,४२२ टन था।

सामान्य

२७. आलोच्य वर्ष का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार द्वारा गोरखपुर के श्रमिकों के सम्बन्ध में एक त्रिदलीय समिति की स्थापना करना था। समिति के सदस्यों ने गोरखपुर, सिंगरेनी, आसनसोल तथा धनबाद का दौरा किया तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियो से विचार-विनिमय किया और कोयले की खानों में एवं गोरखपुर श्रमशिविरों

का भी निरीक्षण किया। समिति ने गोरखपुर श्रम संघ की कार्य-पद्धति तथा उसके कार्य को देखा और सराहना की। समिति के समक्ष किसी प्रकार की कोई विशेष शिकायत नही आई। समिति ने इस संगठन को भंग करने की बात पर विचार ही नहीं किया, क्योंकि इससे श्रमिकों का बहुत बड़ा हित होता है। इसके न होने पर श्रमिकों को ठेकेदारों या अन्य मध्यस्थ लोगों या अनियमित अभिसमितियों के चक्कर में पड़ना पड़ेगा औरउनकी कठिनाइयाँ एवं परेशानियाँ बढ़ेंगी। समिति की अन्य सिफारिशों में श्रमिकों की सामान्य स्थिति सुधारने तथा व्यावसायिक संघ के अधिकारों एवं सुविधाओं को पूर्ण रूप से दिये जाने की बात कही गई है। समिति की समस्त सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिये समुचित कार्यवाही की जा रही है।

भाग २

परिशिष्ट अ

उत्तर प्रदेश के उन प्रमाणित कारखानों की सूची, जिनमें १०० से अधिक श्रमिक काम करते हैं

क्रमांक	जिलों के नाम	कारखानों के नाम	प्रतिदिन नियोजित श्रमिकों की संख्या
१	२	३	४
१	अलीगढ़	यू० पी० गवर्नमेंट सेण्ट्रल डेरी फार्म	१६३
२	,,	गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया फार्म प्रेस, सिविल लाइन्स	१,०५५
३	,,	गवर्नमेंट स्टीम पावर स्टेशन, काशीपुर	१६६
४	,,	टीकाराम एण्ड सन्स, आयल मिल्स, अलीगढ़	१०३
५	,,	मटरूमल दन्नामल आयल मिल्स, आइरन एण्ड ब्रास फाउण्ड्री, सस्नीगेट, हाथरस	१५६
६	,,	बसन्तलाल हीरालाल आयल एण्ड दाल मिल्स, सदाबाद गेट, हाथरस	१४२
७	,,	बिजली काटन मिल्स, मेण्डू रोड, हाथरस	१२५३
८	,,	भारत प्रिंटिंग प्रेस, बिष्णुपुरी (गंगासरन एण्ड सन्स लिमिटेड)	१४१
९	,,	खण्डेलवाल ग्लास वर्क्स, मेण्डू, हाथरस पो० आ० सस्नी	३५६
१०	,,	दि इण्डियन इम्लीमेण्टस्, अकराबाद रोड	१६५
११	आगरा	वाटर वर्क्स, आगरा	१७२
१२	,,	बन्सीधर प्रेमसुखदास आयल मिल्स, मैथान	४५५
१३	,,	महालक्ष्मी आयल मिल्स, जेवनी मन्डी	२२८
१४	,,	इन्द्रा स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	३७८
१५	,	जान्स कारोनेशन स्पिनिंग मिल्स नं० ३०	३२०
१६	,,	जान्स प्रिन्स आफ वेल्स स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, जेवनी मण्डी नं० ४	६६५
१७	,,	श्यामलाल चिमनलाल टेण्ट फैक्टरी, चिमनलाल रोड	१२६
१८	,,	आगरा यूनिवर्सिटी प्रेस, आगरा	११७
१९	,,	दि जैन ग्लास वर्क्स, हरनगऊ, फिरोजाबाद	३६३
२०	,,	विमल ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद	१६८
२१	,,	प्रकाश इञ्जीनियरिंग कम्पनी रोलिंग मिल्स, फ्रीगंज	१८६

१	२	३	४
२२	आगरा	आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० जेनरेटिंग स्टेशन	२३१
२३	,,	ईस्ट इंडिया कार्पेट कम्पनी, बेलनगंज	१३६
२४	,,	माडेल इण्डस्ट्रीज़ दयालबाग	१२१
२५	,,	चितरमल रामदयाल आयल मिल्स, ६ हीवट पार्क रोड	१६०
२६	,,	गौरीशंकर रामगोपाल ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोज़ाबाद	१३६
२७	,,	दि मिर्जा ग्लास वर्क्स, चौक गेट, फिरोज़ाबाद	१,१३३
२८	,,	श्री नानक ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड	१६१
२९	,,	श्री सावित्री ग्लास वर्क्स, फिरोज़ाबाद	१४८
३०	,,	मदनलाल रामस्वरूप ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोज़ाबाद	१४०
३१	,,	भारत ग्लास वर्क्स, फिरोज़ाबाद	१४०
३२	,,	श्री दुर्गा ग्लास वर्क्स, कटरा सोनाराम, फिरोज़ाबाद	१४४
३३	,,	श्री गोविन्द ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोज़ाबाद	१३४
३४	,,	मुन्शीलाल बेनीराम जैन ग्लास वर्क्स मैनपुरी गेट, फिरोज़ाबाद	१५३
३५	,,	हिमालय ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोज़ाबाद	१४५
३६	,,	रामा ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोज़ाबाद	१५०
३७	,,	आदर्श ग्लास वर्क्स, फिरोज़ाबाद	१४९
३८	,,	पारसनाथ ग्लास वर्क्स, झमैय्या टोला, फिरोज़ाबाद	११९
३९	,,	भूरे खाँ बैंगल कटिंग फैक्टरी, फिरोज़ाबाद	१०३
४०	,,	मदीना ग्लास वर्क्स, फिरोज़ाबाद	११५
४१	,,	श्री गंगा ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोज़ाबाद	१४९
४२	,,	दि वैश्य ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोज़ाबाद	११०
४३	,,	रामलाल हरप्रसाद चौबे ग्लास वर्क्स, नई बस्ती, फिरोजाबाद	१४९
४४	,,	श्री राधा ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद	१२७
४५	,,	श्री सन्त ग्लास वर्क्स, फिरोज़ाबाद	१२७
४६	,,	जनता ग्लास वर्क्स, आगरा दरवाजा, फिरोजाबाद	१२४
४७	,,	कमर्शियल ग्लास वर्क्स, नं० १, हाजीपुरा, फिरोजाबाद	१३४
४८	,,	कृष्णा ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद	१६०
४९	,,	गोपाल ग्लास वर्क्स, नं० २, फिरोजाबाद	१४३
५०	,,	श्री प्रेम ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद	१४७
५१	इलाहाबाद	भारत ग्लास वर्क्स, नैनी	१५३
५२	,,	दि नैनी ग्लास वर्क्स, १३७ बहादुरगंज, नैनी	१५८

१	२	३	४
५३	इलाहाबाद	गवर्नमेंन्ट सेन्ट्रल प्रेस, १२ सरोजनी नायडू मार्ग	१,२६६
५४	,,	एन० आर० इञ्जीनियरिंग वर्कशाप	१११
५५	,,	सिविल ऐविएशन ट्रेनिंग सेन्टर, बमरौली	२५४
५६	,,	उमाशंकर आयल मिल्स, ६०३, मुट्ठीगंज	१३६
५७	,,	लिप्टंस लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद	१०५
५८	,,	इलाहाबाद ग्लास वर्क्स, नैनी	२७८
५९	,,	दि ग्रेट ईस्टर्न इलेक्ट्रोप्लेटिंग क०, २८ साउथ रोड, इलाहाबाद	११०
६०	,,	दि यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, १।ए सिटी रोड	१६६
६१	,,	इण्डियन प्रेस लि०, ३६ पन्नालाल रोड	१७२
६२	,,	लीडर प्रेस, लीडर रोड,	१९९
६३	,,	अमृतबाजार पत्रिका प्रेस, १५ एलगिन रोड,	१९३
६४	बरेली	गवर्नमेंन्ट सेन्ट्रल वुड वर्किंग इन्स्टीट्यूट, सिविल लाइन्स	१५५
६५	,,	गवर्नमेंन्ट सेन्ट्रल ट्रैक्टर इम्प्लीमेन्ट वर्कशाप	२३०
६६	,,	एन० आर० रेलवे लोकोमोटिव कैरिज एण्ड वैगन वर्कशाप, इज्जतनगर	१,३५३
६७	,,	यू० पी० गवर्नमेंन्ट रोडवेज़, ५३४ सिविल लाइन्स, बरेली रीजन	१०२
६८	,,	दि केशर शुगर वर्क्स लि०, बहेरी	१,६७५
६९	,,	एच० आर० शुगर फैक्टरी लि०, नेकपुर	४८६
७०	,,	दि इण्डियन बाबिन फैक्टरी पो० आ० क्लटरबकगंज	३९५
७१	,,	दि इण्डियन टर्पेन्टाइन रोज़िन फैक्टरी ,,	२९९
७२	,,	वेस्टर्न इण्डिया मैच कं० ,,	१,५००
७३	,,	दि इण्डियन वुड प्रोडक्ट्स, इज्जतनगर	२२२
७४	,,	बरेली इलेक्ट्रिक सप्लाई कं०, ३ सिविल लाइन्स	१०३
७५	बनारस	एन० आर० इन्जीनियरिंग प्लान्ट डिपो, मुगलसराय	५६०
७६	,,	बनारस काटन सिल्क मिल्स कं० लि०, चौकाघाट	१,३४४
७७	,,	मेहरा सिल्क मिल्स, ५१५।१६ घन्साबाद, बनारस	१०५
७८	,,	ओबीटी लि०, ओबीटीगंज, गोपीगंज, गोपपुर	१०९
७९	,,	ज्ञानमण्डल यन्त्रणालय लि०, कबीरचौरा	११७
८०	,,	विभूति ग्लास वर्क्स, पो० आ० रामनगर	४५६
८१	,,	बेंको इञ्जीनियरिंग वर्क्स आफ बनारस कालेज हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस	१३६

१	२	३	४
८२	बनारस	दि मेटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, विद्यापीठ रोड	२०८
८३	,,	बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एण्ड पावर कं० लि०, भेलूपुरा	२०६
८४	,,	नन्दूराम खेदनलाल पो० आ० नं० १०, चेतगंज	१३१
८५	,,	अटुलेरी एण्ड सन्स लि०, भदोही	१७८
८६	बाँदा	अन्नपूर्णा राइस एण्ड आयल मिल्स, अतर्रा	१०१
८७	बदायूँ	प्रेम स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स, उझानी	४२७
८८	बहराइच	आर० बी० लछमनदास शुगर ऐण्ड जेनरल मिल्स, पो० आ० जरवल रोड ओ० टी० आर०	४८२
८९	बाराबंकी	रामचन्द्र एण्ड सन्स शुगर फैक्टरी	५४६
९०	,,	बुढ़वल शुगर मिल्स लि०, पो० आ० रामनगर, बाराबंकी	५७५
९१	बिजनौर	अपर गैंजेज़ शुगर मिल्स, शिवहारा (सेल्स कारपोरेशन लि०)	६४४
९२	,,	दि धामपुर शुगर मिल्स लि०, धामपुर	४४२
९३	,,	शिवप्रसाद बनारसीदास शुगर मिल्स	१,१३१
९४	,,	गंगा ग्लास वर्क्स लि०, बालावली	५६७
९५	बस्ती	बस्ती शुगर मिल्स लि०, बस्ती	६४४
९६	,,	दि माधो कन्हैया महेश गौरी शुगर मिल्स लि०, पो० आ० मुण्डेरवा	४५४
९७	,,	बस्ती शुगर मिल्स कं० लि०, वाल्टरगंज	५४०
९८	,,	श्री आनन्द शुगर मिल्स लि०, खलीलाबाद	३००
९९	देहरादून	सेलीलोज़ एण्ड पेपर ग्योडेटिक पेपर ब्रांच फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट न्यू, फारेस्ट	३०२
१००	,,	लेटर प्रिण्टिंग एण्ड लीथो प्रेस वर्कशाप, ग्योडेटिक ब्रांच, सर्वे आफ इण्डिया	१०४
१०१	,,	हाथी बरकला लीथो आफ़िस सर्वे आफ इण्डिया (मैप पब्लिकेशन), हाथी बरकला	२६२
१०२	,,	फोटो ज़िंक आफिस सर्वे आफ़ इंण्डिया मैप पब्लिकेशन आफ़िस	११६
१०३	,,	यू० पी० गवर्नमेण्ट रोडवेज़ वर्कशाप, मेरठ रीजन	१३३
१०४	,,	जानकी शुगर मिल्स लि०, दोइवाला, ई० आई० आर०	४२६
१०५	,,	ईस्ट होप टाउन इस्टेट, पो० बा० नं० ६	१२५
१०६	,,	हर बन्सवाला टी इस्टेट, ,, ,, नं० ७	१२५
१०७	,,	आर्केडिया टी इस्टेट, ,, ,, नं० १५	१६३
१०८	,,	गुड रिच टी इस्टेट्र, चोहारपुर	१६५

१	२	३	४
१०९	देहरादून	कौवल गढ़ टीइस्टेट, पो० बा० नं० १२	११३
११०	देवरिया	दि पडरौना राजकृष्ण शुगर वर्क्स, पो० आ० पडरौना	५१५
१११	,,	दि प्रतापपुर शुगर फैक्टरी, मैरवा	८६१
११२	,,	यू० पी० शुगर फैक्टरी, शिवराही	१,०७५
११३	,,	ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स लि०, पो० आ० लक्ष्मीगंज	६५६
११४	,,	कानपुर शुगर वर्क्स (गौरी फैक्टरी), पो० आ० गौरी बाजार	५०२
११५	,,	महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स लि०, रामकोला	४९९
११६	,,	दि रामकोला शुगर मिल्स लि०, रामकोला	६०५
११७	,,	विष्णुप्रताप शुगर मिल्स क० लि०, राजा बाजार, खड्डा, देवरिया।	५०८
११८	,,	जगदीश शुगर मिल्स-लि०, कठकुइयाँ, पडरौना	७९१
११९	,,	दि शङ्कर शुगर मिल्स लि०, कैप्टनगंज	८११
१२०	,,	लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लि० छितौनी	७७८
१२१	,,	देवरिया शुगर मिल्स लि०,	५१४
१२२	,,	श्री सीताराम शुगर कं० लि०, बैतालपुर	४४६
१२३	,,	शङ्कर डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स, पो० आ० कैप्टनगंज	२०६
१२४	एटा	दि नेवली शुगर फैक्टरी पो० आ० नेवली	५२८
१२५	फैजाबाद	कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स, पो० आ० मोतीनगर, मसौधा रेलवे स्टेशन	३४४
१२६	गोरखपुर	एन० ई० रेलवे प्रिंटिंग प्रेस	२४५
१२७	,,	गवर्नमेन्ट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, जाटपुर	१४७
१२८	,,	सरैय्या शुगर फैक्टरी पो० आ० सरदारनगर	१,२४८
१२९	,,	दि पञ्जाब शुगर मिल्स लि०, पो० आ० घुघली	५३७
१३०	,,	दि गनेश शुगर मिल्स क० लि०, पो० आ० आनन्दनगर	६०६
१३१	,,	डायमण्ड शुगर मिल्स कं० लि०, पिपरायच	१,०३३
१३२	,,	महावीर शुगर मिल्स लि०, पो० आ० सिसवा बाजार	५१९
१३३	,,	सरैय्या डिस्टिलरी, पो० आ० सरदारनागर	१२५
१३४	,,	महावीर जूट मिल्स लि० एण्ड दि महावीर आयल मिल्स, पो० आ० सहजनवा	१,३००
१३५	,,	गीता प्रेस	३३२
१३६	,,	एन० ई० आर० कैरिज एण्ड वैगन्स वर्कशाप	६,०६२
१३७	गाजीपुर	गवर्नमेण्ट ओपियम फैक्टरी	६५४

१	२	३	४
१३८	गोंडा	दि सक्सेरिया शुगर मिल्स लि०, बभनान	४२५
१३९	,,	दि नवाबगंज शुगर मिल्स लि०, नवाबगंज	७१३
१४०	,,	दि बलराम शुगर मिल्स लि०, बलरामपुर	४६३
१४१	,,	दि बलराम शुगर मिल्स लि०, तुलसीपुर	३७२
१४२	,,	दि नारग इन्डस्ट्रीज़ लि० स्टार्च प्लांट, पो० आ० शुगर फैक्टरी नवाबगंज	२२८
१४३	हरदोई	लक्ष्मी शुगर एएड आयल मिल्स, हरदोई	६६१
१४४	झाँसी	सेन्ट्रल रेलवे मेकेनिकल कैरिज एएड वगन वर्कशाप	२६६१
१४५	जौनपुर	रत्ना शुगर मिल्स लि०, शाहगंज	६६८
१४६	कानपुर	यू० पी० रोडवेज़ सेन्ट्रल वर्कशाप	७६०
१४७	,,	कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, मालरोड	१४४
१४८	,,	रिवर साइड पावर हाउस सिविल, लाइन्स	७०९
१४९	,,	वाटर वर्क्स, कानपुर	१७४
१५०	,,	गैजेज़ फ्लावर एन्ड आयल मिल्स एन्ड गैजेज़ टिन वर्क्स	१४८
१५१	,,	श्रीराम महादेवप्रसाद राइस मिल्स रोलर फ्लोवर मिल्स एन्ड आयल मिल्स हरीशगंज	२५७
१५२	,,	न्यू कानपुर फ्लोवर मिल्स, कूपरगंज, कानपुर	
१५३	,,	हेल्थ वेज़ फूड प्राडक्टस केयर आफ़	१२८
		शक्कर बिस्कुट कम्पनी, फैक्टरी एरिया, फजलगंज	१११
१५४	,,	जे० के० आयल मिल्स एन्ड कमला आइस फैक्टरी, कमला स्ट्रीट, कूपरगंज	२४१
१५५	,,	गंगा आयल मिल्स, कूपरगंज	१०१
१५६	,,	नार्दर्न इण्डिया आयल इन्डस्ट्रीज़ रायपुरवा	३५९
१५७	,,	मातादीन भगवानदास आयल मिल्स एन्ड आइरन ब्रास फाउन्ड्री, बाँसमन्डी	१३८
१५८	,,	राजेन्द्रप्रसाद आयल मिल्स, जूही	२७७
१५९	,,	दुल्लीचन्द उमरावलाल आयल मिल्स, फजलगंज	१३७
१६०	,,	निहालचन्द किशोरीलाल आयल मिल्स, बाँसमन्डी	२१९
१६१	,,	कमलापत मोतीलाल आयल मिल,स गुटैया	१५९
१६२	,,	गनेश फ्लावर मिल्स कं० लि०, पो० बा० नं० ३२	४३७
१६३	,,	कानपुर शुगर वर्क्स लि० एन्ड डिस्टिलरी, कूपरगंज	१३५
१६४	,,	म्योर मिल्स कं० लि०, पो० बा० नं० ३३	७,०८५

१	२	३	४
१६५	कानपुर	दि न्यू विक्टोरिया मिल्स कं० लि०, पो० बा० ४६	४,७०७
१६६	,,	एल्गिन मिल्स कं० लि०	५,८२२
१६७	,,	कानपुर काटन मिल्स, कूपरगंज	४,०६१
१६८	,,	स्वदेशी काटन मिल्स कं०, जूही	६,६५२
१६६	,,	जे० के० स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स कं० लि०	३,१४६
१७०	,,	कानपुर काटन मिल्स, काकोमी	१,०६८
१७१	,,	कानपुर टेक्सटाइल्स लि०, चुंगीघर, पो० बा० नं० ६८	२,१०८
१७२	,,	लक्ष्मीरतन काटन मिल्स कं० लि०	२,०७४
१७३	,,	जे० के० काटन मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, दर्शनपुरवा	८६६
१७४	,,	एथर्टन वेस्ट कम्पनी अनवरगंज	२,६८५
१७५	,,	जे० के० जूट मिल्स कं० लि०, कालपी रोड	३,८५८
१७६	,,	दि महेश्वरी देवी जूट मिल्स कं० लि०, हरीशगज	१,३५०
१७७	,,	जे० के० ऊलेन मैन्यूफैक्चरिंग लेसेसज़ बी० बी० ऊलेन मिल्स, अनवरगंज	१७१
१७८	,,	मिश्रा होज़री मिल्स, फैक्टरी एरिया	१७४
१७६	,,	सुप्रीम बेक वियर, ८४।३४ कालपी रोड	१६२
१८०	,,	इन्डिया आर्मी एन्ड पुलिस इक्विपमेंट फैक्टरी, परेड	२०८
१८१	,,	कूपर एलेन एन्ड कं०, ब्रांच आफ ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन, सिविल लाइन्स	२,६७६
१८२	,,	रूबी इन्डस्ट्रीज़, १७।८६ नवाबुद्दौला कम्पाउन्ड	११७
१८३	,,	स्टार प्रेस, दि माल,	१२०
१८४	,,	कानपुर टैनरी, कालपी रोड, मन्नानापुरवा	७२२
१८५	,,	इंडियन नेशनल टैनरी, जाजमऊ	२५२
१८६	,,	यू० पी० टैनरी कं० लि०, जाजमऊ	४१६
१८७	,,	नार्थ वेस्ट टैनरी, सिविल लाइन्स	१०८
१८८	,,	हिन्दुस्तान टैनरीज़, जाजमऊ	१७२
१८६	,,	दि यूनियन माडल टैनरी, जाजमऊ	१३४
१६०	,,	कानपुर केमिकल वर्क्स कं०, अनवरगंज	३६७
१६१	,,	हिन्द केमिकल्स लि०, एम ३३६ रेल बाजार	१२१
१६२	,,	नागरथ पेन्ट्स वर्क्स, फजलगंज	१०८
१६३	,,	कानपुर ऊलेन मिल्स, पो० बा० नं० ५	२,२०७
१६४	,,	कानपुर रोलिंग मिल्स, हरीशगंज	१५४

१	२	३	४
१६५	कानपुर	जे० के० आइरन एन्ड स्टील कं० लि०, फैक्टरी एरिया, कालपी रोड	५५१
१६६	,,	कानपुर प्लेट मिल्स, रेलवे रोड, हरीशगंज रेल बाजार	१४१
१६७	,,	भाटिया सेफ़ वर्क्स, ४७ फैक्टरी एरिया	१४२
१६८	,,	सिंह इन्जीनियरिंग वर्क्स, जी० टी० रोड, अनवरगंज	२६७
१६६	,,	स्टैन्डर्ड एन्ड कं०, जूही रोड	१४१
२००	,,	दि कानपुर ओम्नीबस सर्विस लि०, कर्नलगंज	१११
२०१	,,	कोहली इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, २० फैक्टरी एरिया, फजलगंज	१४२
२०२	,,	इन्डिया रिकान्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०, प्लाट नं० ५३ फैक्टरी एरिया	११३
२०३	,,	गवर्नमेन्ट क्रिमनल ट्राइब्स सेटेलमेन्ट कल्याण पुर पो० बा० नं० २७३	२००
२०४	,,	एल्गिन मिल्स टेन्ट एन्ड दरी फैक्टरी	१५१
२०५	खीरी	गोविन्द शुगर मिल्स लि०, पो० आ० एरा स्टेट	१६४
२०६	,,	हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोला गोकरननाथ	१,३४७
२०७	लखनऊ	गवर्नमेन्ट प्रेस, ऐश बाग	५५०
२०८	,,	गवर्नमेन्ट टेक्निकल स्कूल, नियर रेलवे स्टेशन	३०६
२०६	,,	एन० आर० लोको मोटिव वर्कशाप, चारबाग	४,०८७
२१०	,,	एन० आर० कैरिज एन्ड वैगन वर्कशाप, आलमबाग	३,७७३
२११	,,	गवर्नमेन्ट प्रेसिज़ इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी	२००
२१२	,,	एन० रेलवे स्टोर्स डिपो, आलमबाग	४५६
२१३	,,	नार्दर्न रेलवे, सेन्ट्रल पावर हाउस, मुनवर बाग	१०८
२१४	,,	भगवान इन्डस्ट्रीज़, ऐश बाग रोड	१२८
२१५	,,	मीकिन ब्रैवरीज़ लि०, लखनऊ डिस्टलरी साह जी का बाग, हुसेनगंज	२४२
२१६	,,	श्री विक्रम काटन मिल्स ताल कटोरा रोड	१,२५६
२१७	,,	अपर इन्डियन कापर पेपर मिल्स लि०	४२३
२१८	,,	नेशनल हेल्राड प्रेस लि०	३०६
२१६	,,	दि पायनियर प्रेस लि०, एल्बर्ट रोड	२२०
२२०	,,	राजा रामकमल प्रेस नवलकिशोर रोड, हजरतगंज	१५१
२२१	,,	इन्डियन मेडिकल सप्लाई लैबोरेटरीज़ लि०, अमौसी	१२०
२२२	,,	रिलाएबल वाटर सप्लाई सर्विस आफ़इन्डिया लि० आलमबाग	२८७
२२३	,,	जेनरल इन्जीनियरिंग वर्क्स, ऐश बाग रोड	११५

१	२	३	४
२२४	लखनऊ	नार्दर्न इन्डिया आइरन प्रेस वर्क्स, इन्डस्ट्रियल एरिया, ऐश बाग	१६०
२२५	,,	इम्पीरियल सर्जिकल कं०, सन्तराम रोड	१८२
२२६	,,	यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कं०, ऐश बाग रोड	१६८
२२७	,,	अहमद हुसेन दिलदार हुसेन लि० अब्दुल अजीज रोड,	१०३
२२८	मेरठ	यू० पी० गवर्नमेन्ट रोडवेज़ वर्कशाप	१५५
२२९	,,	मोदी बिस्कुट फैक्टरी, बेगमाबाद	२१५
२३०	,,	जसवंत शुगर फैक्टरी लि०, मलयाना, पो० आ० बक्सर	६५३
२३१	,,	सम्भोली शुगर मि० कं० लि०, सम्भोली	५६७
२३२	,,	श्री दीवान शुगर एन्ड जेनरल मिल्स, पो० आ० सखौती टांड़ा	५७५
२३३	,,	रामलक्ष्मन शुगर मि० लि०, मोहिउद्दीन पुर	८२२
२३४	,,	दौराला शुगर वर्क्स, दौराला	१००७
२३५	,,	दि मोदी शुगर मिल्स लि०, मोदीनगर बेगमाबाद	६७६
२३६	,,	मवाना शुगर वर्क्स, मवाना	४६८
२३७	,,	दि मोदी आयल मिल्स, मोदीनगर, पो० आ० बेगमाबाद	४७४
२३८	,,	मोदी वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कं०, बेगमाबाद	३४६
२३९	,,	अमृत वनस्पति लि० (अमृत पफ्यूमर), गाजियाबाद	२२१
२४०	,,	हिन्दुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	१८३
२४१	,,	मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, मोदीनगर	२,८८६
२४२	,,	दि वीविंग एण्ड बेल्टिंग फैक्टरी, जी० टी० रोड, गाजियाबाद	३३६
२४३	,,	मेरठ स्ट्रा बोर्ड मिल्स लि०	४११
२४४	,,	दि इंटरनेशनल रबर मिल्स, गनपत रोड पो० बा० नं० ५६,	१५६
२४५	,,	मोदी सोप वर्क्स, मोदीनगर	१५३
२४६	,,	दि देहली ग्लास वर्क्स लि०, नखानपुर, गाजियाबाद	१८६
२४७	,,	देहली आइरन एण्ड स्टील कं० लि०, जी० टी० रोड गाजियाबाद	१६०
२४८	,,	दि मोदी हरीकेन लैन्टर्न फैक्टरी, मोदीनगर	३३१
२४९	,,	पंजाब आयल एक्सपेलर कं०, मेरठ रोड, गाजियाबाद	१२१
२५०	,,	नादिर अली एण्ड कं०, १०७ कोठी एरिया, मेरठ सिटी	१७५

१	२	३	४
२५१	मथुरा	मुख संचारक कं० लि०	११४
२५२	,,	दी मिडलैंड फ्रूट्स एण्ड वेजीटेबल प्रोडक्ट्स	११७
२५३	मुरादाबाद	गवर्नमेंट स्टीम पावर स्टेशन, चंदौसी	२१३
२५४	,,	कुंदन शुगर मिल्स, अमरोहा	६५६
२५५	,,	दि अयोध्या शुगर मिल्स, पो० आ० राजा का सहसपुर	५६५
२५६	,,	यू० पी० ग्लास वर्क्स लि०, बहजोई	४४१
२५७	मुजफ्फरनगर	अपर दुआब शुगर मिल्स, शामली	७४२
२५८	,,	श्री शादीलाल शुगर एण्ड जनरल मिल्स, मंसूरपुर	१,२७८
२५९	,,	अपर इंडिया शुगर मिल्स लि०, खतौली	८२८
२६०	,,	अमृतसर शुगर मि० कं० लि०, रोहनकलां	८३२
२६१	मैनपुरी	वंशीधर राधावल्लभ, शिकोहाबाद	१५७
२६२	,,	पालीवाल ग्लास वर्क्स, शिकोहाबाद	३३२
२६३	,,	दि महावीर ग्लास वर्क्स, माखनपुर, शिकोहाबाद	२३८
२६४	,,	हिन्द लैम्प्स वर्क्स एण्ड आलसो इलेक्ट्रिक लैम्पस	४६३
२६५	मिर्जापुर	ई० सेफ्टन एण्ड कं० लि०, जबलपुर रोड	२३८
२६६	,,	ई० हिल एण्ड कं०, खेनराइच	४३३
२६७	नैनीताल	एल० एच० शुगर फैक्टरी एण्ड आयल मिल्स, काशीपुर	५५५
२६८	पीलीभीत	एल० एस० शुगर फैक्टरी एण्ड आयल मिल्स	१,८७६
२६९	रामपुर	ज्वाला फैब्रिक्स लि०, ज्वालानगर	११६
२७०	,,	रज़ा शुगर कं० लि०, राही रज़ा	८६८
२७१	,,	दि बुलंद शुगर कं लि०, राही रज़ा	५६७
२७२	,,	रामपुर डिस्टिलरी एण्ड केमिकल कं० लि०	१५०
२७३	,,	रजा टैक्स्टाइल, पो० आ० ज्वालानगर	२,११६
२७४	सहारनपुर	यू० पी० गवर्नमेंट वर्क्सशाप, रुड़की	२१५
२७५	,,	गंगा शुगर कारपोरेशन लि०, देववंध	६७६
२७६	,,	दि स्ट्रा बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, गुड्डा मिल्स, अम्बाला रोड	२०१
२७७	,,	लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स कं० लि०, नौकंर रोड	१,१७४
२७८	,,	दि इम्पीरियल टुबैको इण्डिया लि०	२,१०६
२७९	,,	दि लार्ड कृष्ण टेक्स्टाइल्स मिल्स	५२०
२८०	,,	स्टार पेपर मिल्स कं० लि०	८४५
२८१	,,	एस० स्लिाइट रेलवे शाप, सहारनपुर	१०६

१	२	३	४
२८२	शाहजहाँपुर	रोज़ा शुगर फैक्टरी एण्ड डिस्टिलरी रोज ,	७७८
२८३	सीतापुर	अवध शुगर मिल्स कं० लि०, हरगाँव आयल प्रोडक्ट्स,	१,२११
२८४	,,	सेकसरिया बिस्वाँ शुगर फैक्टरी लि० पो० आ० बिस्वाँ	४८८
२८५	,,	लक्ष्मी शुगर मिल्स कं० लि०, महोली	७७६
२८६	,,	प्लाईवुड प्रोडक्ट्स, सीतापुर	२७६
२८७	,,	श्री श्यामनाथ मिल्स, सीतापुर	१७१
२८८	उन्नाव	मेसर्स रैली इंडिया लि०, मगरवारा, बोन मिल्स मगरवारा	३३०

परिशिष्ट (अ) २

उत्तर प्रदेश में सन् १९५२ व १९५३ में प्रत्येक उद्योग में नियोजन (पुरुष, महिला, तरुण एवं बाल श्रमिक) की संख्या तथा चालू कारखाने

क्रमांक	उद्योग	नियोजित श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या								योग	
		पुरुष		महिलायें		तरुण		बालक			
		१९५२	१९५३	१९५२	१९५३	१९५२	१९५३	१९५२	१९५३	१९५२	१९५३
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
[१]	सरकारी और स्थानीय कोष कारखाने	२७,१३९	२६,७५७	१०	१४९	१६२	२२४	१	—	२७,३४५।१०५	३०,१३०।११५
[२]	अन्य समस्त कारखाने										
१.	कृषि सम्बन्धी कार्य	६२८	६०२	५६	५७	—	—	—	—	६८४।१५	६५९।१०
२.	पेयों के अतिरिक्त खाद्य	५६,७०१	५६,०५८	१,२०४	१,१०५	—	४५	५	३	६०,९१०।३४५	६०,२११।३७३
३.	पेय	१,६१२	१,५२०	—	४	—	—	—	—	१,६१२।१५	१,५२४।१५
४.	तम्बाकू	२,४७३	२,४५२	७०	६६	३६	३१	—	—	२,५७९।९	२,५४९।१६
५.	सूती कारखाने	६६,३३८	६५,६२१	६५६	६३९	६८	६०	१८	१८	६७,०८०।८८	६६,३३८।९३
६.	जूते, अन्य पहनावे और सूती वस्तुयें	३,४४९	३,६३३	—	—	३	४	८	३	३,४६०।१७	३,६४०।२४
७.	लकड़ी के कार्य (फर्नीचर के अतिरिक्त)	१,१५८	१,०५४	—	—	—	—	—	—	१,१५८।१८	१,०९४।२०
८.	फर्नीचर और फिक्स्चर	९५	४३	१	—	—	१	—	—	९६।२	४४।३
९.	कागज और कागज की वस्तुयें	१,९३०	१,६५९	—	—	२	२	—	—	१,९३२।६	१,६६१।७
१०.	मुद्रण प्रकाशन और सम्बन्धित उद्योग	५,१९६	५,०२९	—	—	२४	११	३२	५	५,२५२।१५३	५,०४५।१६३
११.	चमड़ा और चमड़े की वस्तुयें	२,४४६	२,५३२	१२	१२	—	—	—	—	२,४५८।२५	२,५४४।२६

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१२.	रबर और रबर की वस्तुयें	१३८	१४५	—	—	२६	१४	—	—	१६४।१	१५६।१
१३.	रसायन और रासायनिक वस्तुयें	३,७०३	३,६३३	१४८	२१२	—	—	—	—	३,८८५।५१	४,१४५।५४
१४.	पेट्रोल और कोयले की वस्तुयें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
१५.	अधातु खनिज वस्तुयें (पेट्रोल कोयले,को छोड़कर)	१०,६८४	६,७४६	३८८	३७८	५४	६४	२४	—	११,४४५।१४६	१०,१८८।१४२
१६.	मूल धातु उद्योग	३,६०२	३,२४३	२२	१६	१७	१५	—	—	३,६४१।६१	३,२७७।६४
१७.	मशीनों और आवागमन साधनों को छोड़कर धातु की बनी वस्तुयें	१,६१२	२,२३१	२	४	७	११	२७	६	१,६४८।६२	२,२५२।६४
१८.	विद्युत् मशीनों के अतिरिक्त मशीनों का निर्माण	४,५६४	४,१२०	४	२	११	६	१५	३	४,५६४।१३६	४,१३४।१३१
१९.	विद्युत् मशीन, एपरेटस एप्लायंस और सप्लाई	७६	—	—	—	—	—	—	—	७६।२	।१
२०.	परिवहन और परिवहन सामग्री	१,३२६	१,४०३	—	—	१८	२१	२	१	१,३४६।५३	१,४२५।५३
२१.	विभिन्न उद्योग	३,४३६	३,६७६	१२२	१३५	१	२	—	—	३,६०६।१२०	३,८१३।११५
२२.	विद्युत् , गैस और वाष्प	१,५५८	१,५५६	१४	१२	१	—	—	—	१,५७३।२३	१,५६८।२४
२३.	जल और सफाई सेवायें	१७	२४	१	१	—	—	—	—	१८।१	२५।१
२४.	मनोरंजन सेवायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
२५.	व्यक्तिगत सेवायें	—	१५	—	—	—	—	—	—	—	१५।१
	योग	२,०३,५३१	२,०२,३६२	२,७०७	२,७६५	४६२	५१४	१३२	३६	२,०६,८३२।१४८४	२,०६,७४०।१५३७

परिशिष्ट अ (३)

प्रत्येक जिले में चालू कारखानों की संख्या तथा उनमें नियोजित श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या

क्रमांक	जिला	चालू कारखानों की संख्या			नियोजित श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या		
		१९५१	१९५२	१९५३	१९५१	१९५२	१९५३
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	आगरा	२०६	२२४	२३३	११,४६६(५५)	१२,०८८(५४)	१२,०६४(५२)
२.	अलीगढ़	५०	५४	६०	६,७८८(१३६)	५,७६४(१०७)	४,७८४(८०)
३.	इलाहाबाद	८३	८१	९०	५,६८१।६८	४,७५९।९९	५,०५०।५६
४.	अलमोड़ा	३	२	२	५७।१९	२६।१३	—
५.	आजमगढ़	५	५	४	४१।८	४६।९	५६।१४
६.	बहराइच	१८	१९	२०	१,०१२।५६	१,०८६।५७	१,०७२।५४
७.	बलिया	—	१	—	–	८।८	–
८.	बांदा	३	४	५	२६।९	४२।११	११४।२३
९.	बाराबंकी	६	५	४	१,१३७।१९०	१,२०९।२४२	१,१५१।२८८
१०.	बरेली	४५	४४	५०	६,२६३।१३९	६,४५६।१४७	७,०८८।१४२
११.	बस्ती	५	४	५	१,५४४।३०९	१,६२४।४०६	१,९३८।३८८
१२.	बनारस	१०९	१०७	१०६	५,९२७।५४	६,२३५।५८	५,९८९।५७
१३.	बिजनौर	११	१५	१६	२,७४३।२४९	३,०५८।२०४	२,९८५।१८७
१४.	बदाऊँ	५	४	४	४४१।८८	५०१।१२५	४८०।१२०
१५.	बुलन्दशहर	११	११	१३	३८२।३५	३३८।३१	२४४।२६
१६.	देहरादून	४३	३९	३६	२३,४६।५५	२,२७६।५८	२,३५३।६५
१७.	देवरिया	१८	१७	१७	७,९०२।४३९	७,९०९।४६५	८,८०९।५१८
१८.	एटा	२	१	३	५५१।२७५	५८१।५८१	५७२।१९१
१९.	इटावा	१३	१४	१३	४४३।३४	१९३।१४	२५६।२०
२०.	फरुखाबाद	१२	१२	१४	४४८।३७	५१६।५३	५५१।३९
२१.	फतेहपुर	४	२	३	९१।२३	११७।५९	११०।३७
२२.	फैजाबाद	२१	१६	१५	८२१।३९	७६३।४९	५६९।३८
२३.	गढ़वाल	—	—	—	–	–	।–
२४.	गाजीपुर	२	१	१	७०७।३५४	६२९।६२९	६५४।६५४
२५.	गोंडा	२०	२०	२०	२,२३०।११२	२,४०९।१२०	२,६०५।१३०

१	२	३	४	५	६	७	८
२६.	गोरखपुर	३२	३६	३५	११,२२८।३५१	११,४२०।३६३	१२,६०२।३६०
२७.	हमीरपुर	—	—	—	–	–	–
२८.	हरदोई	४	३	३	७५५।१८६	७६०।२५३	७०५।२३५
२६.	जालौन	२	१	२	८।४	८।८	८।४
३०.	जौनपुर	६	६	६	१,०८३।१८१	५६४।६४	७८४।१३१
३१.	झांसी	२१	२५	२४	३,१६६।१५१	३,२६६।१३१	३,१८०।१३३
३२.	खेरी	६	६	६	१,६२५।१८१	१,४३६।१६०	१,६६१।१८५
३३.	कानपुर	२६४	२३७	२७१	६८,५४०।२६०	६८,५६६।२५७	६८,६१६।२५३
३४.	लखनऊ	१००	१०१	११४	१५,२६६।१५३	१५,३२४।१५२	१५,७६१।१३६
३५.	मैनपुरी	१०	११	१०	१,१७६।१३१	१,१४२।१०४	१,३७२।१३७
३६.	मेरठ	११०	११७	१२६	१४,१३१।१३२	१५,२०२।१३०	१४,६७७।११६
३७.	मिर्जापुर	११	२७	२२	१,०६७।१००	१,३८१।५१	१,३५३।६२
३८.	मुरादाबाद	४६	३८	५०	२,८१७।५७	३,२१८।८५	३,४८८।७०
३६.	मथुरा	२१	२१	२३	८१८।३६	८४७।४०	६२२।२७
४०.	मुजफ्फरनगर	१६	१८	१६	३,६५५।१६२	४,२३३।२३५	३,६२६।२४६
४१.	नैनीताल	१०	६	१५	१,६८६।१६६	१,६२७।१८१	७८२।५२
४२.	प्रतापगढ़	–	–	१	–	–	६।६
४३.	पीलीभीत	४	२	४	३३।८	२,०७६।३८	१,६२८।४८२
४४.	रायबरेली	१	२	२	१५।१५	११।६	२४।१२
४५.	रामपुर	१५	१७	१३	४,२५८।२८४	४,८८१।२८७	४,००४।३०८
४६.	सहारनपुर	४५	३६	३६	७,१८८।१६०	७,२८८।२०२	७,०२७।१८०
४७.	शाहजहाँपुर	१२	१२	१५	६२६।७७	१,०२३।८५	६८०।६५
४८.	सीतापुर	१२	११	१०	३,३७६।२८२	३,३४४।३०४	३,०७७।३०८
४६.	सुल्तानपुर	२	२	२	२८।१४	१२।६	१६।८
५०.	टेहरी गढ़वाल	–	–	–	–	–	–
५१.	उन्नाव	५	४	५	५५३।१११	५४०।१३५	५०८।१०२
		१,४६१,	१,४८०	१५५७	२,०२,५१४	२,०६,८३२	२,०६,७४०

टिप्पणी :—कोष्ठ दी हुई संख्यायें उस वर्ष में प्रति कारखाना श्रमिकों की संख्या बतलाती हैं।

परिशिष्ट अ (४)

१९५३ में घातक तथा साधारण दुर्घटनाओं की संख्या, साधारण दुर्घटना के पश्चात् कार्य पर लौटनेवाले श्रमिकों की संख्या तथा साधारण दुर्घटनाओं के कारण हुई कार्य-दिवसों की हानि :—

उद्योग	घातक दुर्घटना	साधारण दुर्घटना संख्या	उन श्रमिकों की संख्या जो काम पर लौटे	कार्य दिवसों की हानि
१	२	३	४	५
[१] सरकारी और स्थानीय कोष कारखाने	—	—	—	—
[२] अन्य समस्त कारखाने	—			
१. कृषि-सम्बन्धी कार्य	—	३	१	४
२. पेयों के अतिरिक्त खाद्य	११	१,४००	१,३७५	१,७८३३
३. पेय	—	२०	२०	४०४
४. तम्बाकू	—	५६	५५	६६१
५. सूती कारखाने	४	२,३६०	२,२३८	१६,६६६
६. जूते, अन्य पहनावे और तैयार सूती वस्तुयें	—	१४१	११४	१,२२०
७. लकड़ी के कार्य (फर्नीचर के अतिरिक्त)	—	३६	३८	६०५
८. फर्नीचर और फिक्स्चर	—	३	२	१२
९. कागज और कागज की वस्तुयें	—	४४	४३	७८४
१०. मुद्रण, प्रकाशन और संबंधित उद्योग	—	३६	२४	६२७
११. चमड़ा और चमड़े की वस्तुयें	—	२१	२१	३०६
१२. रबर और रबर की वस्तुयें	—	—	—	—
१३. रसायन और रासायनिक वस्तुयें	—	२३५	१६८	१,८६७
१४. पेट्रोल और कोयले की वस्तुयें	—	—	—	—
१५. अधातु खनिज वस्तुयें (पेट्रोल और कोयले को छोड़कर)	—	२६	१८	१६६
१६. मूल धातु उद्योग	—	४४	४४	५२०
१७. मशीनों और आवागमन साधनों को छोड़कर धातु की बनी वस्तुयें	—	२६	२६	४१५

१		२	३	४	५
१८.	विद्युत् मशीनों के अतिरिक्त मशीनों का निर्माण	१	१०३	१०२	१,२०४
१९.	विद्युत् मशीन, एपरेटस एप्लायंस और सप्लाई	—	—	—	—
२०.	परिवहन और परिवहन सामग्री	४	१,७६३	१,५७७	७४,३९२
२१.	विभिन्न उद्योग	५	१,१०१	१२८	९१९
२२.	विद्युत्, गैस और वाष्प	—	९७	८६	६७३
२३.	जल और सफाई सेवायें	—	१८	१६	९७
२४.	मनोरंजन सेवायें	—	—	—	—
२५.	व्यक्तिगत सेवायें	—	—	—	—
	योग	२५	७,५३९	६,२२९	१,२०,०६९

परिशिष्ट अ [५]

प्रत्येक उद्योग में कार्य-दिवसों की तालिका

क्रमांक	उद्योग	१९५२	१९५३
१	२	३	४
[१]	सरकारी और स्थानीय कोष कारखानें	६७,०२,७१५	८५,९४,४७४
[२]	अन्य समस्त कारखाने		
१.	कृषि, सम्बन्धी कार्य	१,१४,८३२	१,१०,७४१
२.	पेयों के अतिरिक्त खाद्य	१,६४,३१,३६१	१,५९,४९,३९६
३.	पेय	४,८२,८३८	४,४३,८६९
४.	तम्बाकू	५,८८,२३२	६,३४,६४६
५.	सूती कारखाने	१,९७,७५,९५८	१,९४,९९,६०२
६.	जूते, अन्य पहनावे और तैयार सूती वस्तुयें	१०,१५,७३६	१०,६२,६७३
७.	लकड़ी के कार्य (फर्नीचर के अतिरिक्त)	३,४२,७३७	३,११,२४८
८.	फर्नीचर और फिक्स्चर	२९,२८१	१३,४४५
९.	कागज़ और कागज़ की वस्तुये	६,५८,७२१	६,७१,६३६
१०.	मुद्रण, प्रकाशन और सम्बन्धित उद्योग	१६,९९,६२३	१५,३२,२४३
११.	चमड़ा और चमडे की वस्तुयें	७,०१,२०७	७,२४,११२
१२.	रबर और रबर की वस्तुये	५१,००४	४९,४४९
१३.	रसायन और रासायनिक वस्तुये	१२,४९,४४२	११,९१,०४५
१४.	पेट्रोल और कोयले की वस्तुये	—	—
१५.	अधातु खनिज वस्तुयें (पेट्रोल और कोयले की छोड़कर)	२७,४१,१७७	२५,२०,६९५
१६.	मूल धातु उद्योग	१०,३१,२८६	९,५४,८९९
१७.	मशीनो और आवागमन साधनो को छोड़कर धातु की बनी वस्तुये	५,४०,८१९	५,७४,१५९
१८.	विद्युत् मशीनों के अतिरिक्त मशीनो का निर्माण	१३,३१,२८७	१२,१४,५१३
१९.	विद्युत् मशीन, एपरेटस, एप्लायंस और सप्लाईज़	३,६४८	—

१	२	३	४
२०.	परिवहन और परिवहन सामग्री	३,८६,२७८	४,०६,४५७
२१.	विभिन्न उद्योग	१०,५४,८५३	१०,३२,६०७
२२.	विद्युत्, गैस और वाष्प	४,७१,८३२	५,४०,४८०
२३.	जल और सफाई सेवायें	६,५७०	६,१२५
२४.	मनोरंजन सेवायें	—	—
२५.	व्यक्तिगत सेवाये	—	४,५७५
	कुल	५,७४,०६,१५७	५,८०,७६,३६४

परिशिष्ट अ (६)

१९५३ में श्रमिकों की संख्या के अनुसार कारखानों का विभाजन

क्रमांक	उद्योग	इतने श्रमिकों के बीच में नियोजन करनेवाले कारखाने							योग
		१० से १९	२० से ४९	५० से ९९	१००से ४९९	५००से ९९९	१००० से ४९९९	५००० से अधिक	
	१	२	३	४	५	६	७	८	९
[१]	सरकारी और राजकीय कोष कारखाने								
[२]	अन्य समस्त कारखाने								
१.	कृषि-सम्बन्धी कार्य	—	६	७	—	—	—	—	१३
२.	पेयों के अतिरिक्त खाद्य	११०	९४	३४	५३	३८	११	—	३४०
३.	पेय	१	१	८	५	—	—	—	१५
४.	तम्बाकू	—	३	१	२	—	१	—	७
५.	सूती कारखाने	१७	२५	८	१५	३	१६	३	८७
६.	जूते, अन्य पहनावे और तैयार सूती वस्तुयें	५	९	४	३	—	१	—	२२
७.	लकड़ी के कार्य (फर्नीचर के अतिरिक्त)	५	६	३	३	—	—	—	१७
८.	फर्नीचर और फिक्स्चर	३	—	—	—	—	—	—	३
९.	कागज और कागज की वस्तुयें	१	३	—	३	१	—	—	८
१०.	मुद्रण, प्रकाशन और सम्बन्धित उद्योग	५९	५२	१०	१६	१	२	—	१४०
११.	चमड़ा और चमड़े की वस्तुयें	४	८	५	५	१	—	—	२३
१२.	रबर और रबर की वस्तुयें	—	—	—	१	—	—	—	१
१३.	रसायन और रासायनिक वस्तुयें	९	२१	१०	६	१	१	—	४८
१४.	पेट्रोल और कोयले की वस्तुयें	—	—	—	—	—	—	—	—
१५.	अधातु खनिज वस्तुयें (पेट्रोल और कोयले को छोड़कर)	४९	१९	२२	३७	१	—	—	१२८

	१	२	३	४	५	६	७	८	६
१६.	मूल धातु उद्योग	४२	२७	६	४	१	—	—	८३
१७.	मशीनों और आवागमन साधनों को छोड़कर धातु की बनी वस्तुयें	२५	२२	८	४	—	—	—	५६
१८.	विद्युत् मशीनों के अतिरिक्त मशीनों का निर्माण	४६	४८	१६	१२	—	—	—	१२५
१६.	विद्युत् मशीन, एपरेटस, एप्लायंस और सप्लाई	—	—	—	—	—	—	—	—
२०.	परिवहन और परिवहन सामग्री	२०	२३	७	८	२	४	१	६५
२१.	विभिन्न उद्योग	४८	३७	१२	६	—	—	—	१०६
२२.	विद्युत्, गैस और वाष्प	७	१७	६	६	१	—	—	४०
२३.	जल और सफाई सेवायें	१	४	३	२	—	—	—	१०
२४.	मनोरंजन सेवायें	—	—	—	—	—	—	—	—
२५.	व्यक्तिगत सेवायें	१	—	—	—	—	—	—	१
	कुल	४५६	४२५	१७३	१६७	५०	३६	४	१,३४१

परिशिष्ट अ (७)

उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की संख्या तथा महिला श्रमिकों का यौगिक संख्या में प्रतिशत

वर्ष	प्रदेश में श्रमिकों की संख्या					कुल श्रमिकों की संख्या में महिलाओं का प्रतिशत
	पुरुष	महिलायें	ऋण	बाल	कुल	
१६४०	१,७४,३०२	४,२७६	१,१७०	८८६	१,८०,६३४	१.४
१६४१	२,१७,०८७	४,६५०	१,०८६	१,१६३	२,२४,३१६	२.२
१६४२	२,२५,३३६	४,७००	१,११७	१,३६८	२,३२,५२४	२.०
१६४३	३,४७,५८६	४,४५४	६३२	१,८६७	२,५२,६६०	१.८
१६४४	२,७०,६३१	४,६६७	२,०३१	६०६	२,७८,२३८	१.७
१६४५	२,७०,१०८	४,१४६	१,२००	१,०११	२,७६,४६८	१.५
१६४६	२,५१,६२७	३,१६४	१,१८२	८६७	२,५७,१४०	१.२
१६४७	२,३५,८७४	२,६८६	६७७	८५६	२,४०,३६६	१.१
१६४८	२,३८,०४६	२,३८६	८३४	५१४	२,४२,०८३	१.१
१६४६	२,३०,२६८	२,३६४	७८६	३५६	२,३३,८३७	१.०
१६५०	२,२६,३६२	२,३६७	६५५	२८१	२,३२,६६५	१.०
१६५१	१,६६,३८१	२,४०६	५०३	२२४	२,०२,५१४	१.२
१६५२	२,०३,५३१	२,७०७	४६२	१३२	२,०६,८३२	१-३
१६५३	२,०३,३६२	२,७६५	५१४	३६	२,०६,७४०	१.४

परिशिष्ट ब (१)

३१ दिसम्बर, १९५४ तक उत्तर प्रदेश में भारतीय व्यावसायिक सङ्घ अधिनियम, १९२६ के अन्तर्गत प्रमाणित व्यावसायिक सङ्घों की सूची

क्रम संख्या	सघ का नाम व पता	वर्ग	प्रमाणित होने की तिथि		
१	२	३	४		
१	कानपुर मजदूर सभा, ग्वालटोली, कानपुर।	उत्पादन (वस्त्र)	४	१२	४८
२	कपड़ा कर्मचारी मण्डल, कानपुर, ५५।१० काहूकोठी, कानपुर।	कामर्स (थोक और फुटकर)	७	१२	३४
३	कानपुर सराफा कर्मचारी मण्डल, द्वारा श्यामलाल चंद्रिकाप्रसाद सर्राफ, नयागंज, कानपुर।	,,	७	२	३८
४	सिगरेट वर्कर्स यूनियन, सहारनपुर।	उत्पादन फूड (वीवरेज और तम्बाकू)	३	२	३९
५	कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन, जहीर मैंशन, तलाक मोहाल, कानपुर।	बिजली	२७	२	३९
६	कठकुइयाँ चीनी मिल मजदूर संघ, कठकुइयाँ, डा० पडरौना, गोरखपुर।	उत्पादन चीनी	७	१०	३९
७	सेण्ट्रल क्लर्क्स एण्ड जनरल स्टाफ़ एसोसियेशन, १३।५७, गैंजेज़ व्यू, परमट, कानपुर।	विविध	३	११	३९
८	ई० आई० आर० गार्ड्स एसोसियेशन, फजल मंजिल, लाटूश रोड, चारबाग, लखनऊ।	सेवायें (रेलवे)	१९	४	४०
९	चपड़ा मजदूर सभा, वेलेज़लीगंज, मिर्जापुर।	,,	२४	१	४१
१०	ओ० टी० रेलवेमेन्स यूनियन, गोरखपुर, मोहल्ला गोलघर, गोरखपुर।	,,	२०	८	४१
११	ओ० टी० रेलवे मैन्स यूनियन गोरखपुर।	,,	१०	८	४२

१	२	३		४	
१२	आर्डनेन्स आर्मी क्लोदिंग फैक्टरी वर्कर्स यूनियन, शाहजहाँपुर।	उत्पादन (क्लोदिंग और फुटवियर)	१२	१०	४४
१३	कुमायूँ मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स यूनियन, काठगोदाम, जिला नैनीताल।	सेवायें (मोटर)	४	१०	४५
१४	कांग्रेस मजदूर संघ, मुरसन गेट, हाथरस, अलीगढ़।	उत्पादन वस्त्र (थोक तथा फुटकर व्यापार)	२१	१२	४५
१५	कानपुर बाजार कर्मचारी संघ, ४६।१, चौराहा, जनरल बजाजा, कानपुर।	कामर्स	३०	१	४५
१६	हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लाईज़ यूनियन, यू० पी० मुरादाबाद, एम० ई० एस० पावर हाउस, रुड़की रोड, मेरठ।	बिजली	२४	५	४६
१७	इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वर्कर्स यूनियन, १७ ए, जांस्टनगंज, इलाहाबाद।	सेवाएँ	२६	५	४६
१८	खेतान चीनी मिल्स मजदूर संघ, रामकोला, पो० आ० रामकोला, जिला गोरखपुर।	उत्पादन (खाद्य)	१६	७	४६
१६	चीनी मिल मजदूर संघ, खड्डा, डा० रजा बाजार, जिला देवरिया।	,,	१६	७	४६
२०	मजदूर संघ हरगाँव, कमल कुटीर, लोहार बाग, हरगाँव, जिला सीतापुर।	,,	१६	७	४६
२१	पडरौना चीनी मिल मजदूर संघ, पडरौना कांग्रेस आफिस, डा० पडरौना, गोरखपुर।	,,	१६	७	४६
२२	पंजाब शुगर मिल्स लेबर एसोसियेशन, डा० रामकोला, जि० गोरखपुर।	,,	१६	७	४६
२३	कानपुर होज़री वर्कर्स यूनियन, कांग्रेस लेबर सेण्टर, दर्शनपुरवा, कानपुर।	उत्पादन (क्लोदिंग)	१७	७	४६
२४	चीनी मिल मजदूर संघ, डा० लक्ष्मीगंज, जि० देवरिया।	उत्पादन (खाद्य)	१७	७	४६
२५	बैतालपुर चीनी मिल मजदूर संघ, बैतालपुर, जि० देवरिया।	,,	१८	७	४६
२६	हरगाँव अवध शुगर मिल्स लेबर वेलफेयर यूनियन, हरगाँव, जि० सीतापुर।	,,	२०	७	४६
२७	यू० पी० पी० डब्लू० डी० ट्यूब वेल टेक्निकल एम्प्लाईज़ एसोसियेशन, उझानी, बदायूँ।	बिजली तथा जल-सेवाएँ	३०	७	४६

१	२	३	४
२८	मजदूर संघ महोली, लक्ष्मी शुगर मिल्स, महोली जि० सीतापुर।	उत्पादन (खाद्य)	३० ७ ४६
२९	हार्नेस एण्ड सेडलरी फैक्टरी एम्प्लाईज़ यूनियन, १५।२६८, सिविल लाइंस, कानपुर।	उत्पादन (क्लोदिंग और फुटवियर इत्यादि)	३० ७ ४६
३०	सी० ओ० एस० एम्प्लाईज़ यूनियन, कैलाश बिल्डिंग, कलक्टरगंज, कानपुर।	परिवहन (मोटर)	२८ ८ ४६
३१	यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन, ग्राण्ड होटल बिल्डिंग, ग्विनरोड, अमीनाबाद, लखनऊ।	बिजली	७ ९ ४६
३२	हिन्दुस्तान शुगर मिल लेबर यूनियन, गोला गोकरननाथ, खेरी।	उत्पादन (खाद्य)	२६ ९ ४६
३३	अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल मजदूर संघ, झण्डावाला पार्क, निशातगंज, लखनऊ।	उत्पादन (कागज तथा कागज की वस्तुएँ)	७ १० ४६
३४	घुघली चीनी मिल मजदूर यूनियन, घुघली, जि० गोरखपुर।	उत्पादन (खाद्य)	७ १० ४६
३५	डायमण्ड शुगर मिल मजदूर यूनियन पिपराइच केयर आफ भगेलूराम गुप्ता, डा० पिपराइच, जि० गोरखपुर।	,,	११ १० ४६
३६	लखनऊ प्रेस वर्कर्स यूनियन, सफदर बाग, लखनऊ।	उत्पादन (प्रकाशन तथा अन्य व्यवसाय)	४ ११ ४६
३७	वाल्टरगंज शुगर मिल मजदूर यूनियन, बस्ती, वाल्टरगंज, बस्ती।	उत्पादन (खाद्य)	२० ११ ४६
३८	मुण्डेरवा शुगर मिल मजदूर यूनियन, केयरआफ रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आफिस, बस्ती।	,,	२० ११ ४६
३९	सेण्ट्रल डेरी फार्म वर्कर्स यूनियन, मंजूरगढ़ी, पो० आ० डेरी फार्म, अलीगढ़।	,,	१७ १२ ४६
४०	चीनी मिल मजदूर संघ, गौरी बाजार, गोरखपुर।	,,	११ १ ४७
४१	कानपुर इनफ़ीरियर ग्रेड एम्प्लाईज एसोसियेशन, हालसी रोड, २०।८४ पटकापुर, कानपुर।	सेवाएँ	१७ १ ४७

१	२	३	४		
४२	सूती मिल मजदूर यूनियन, तिलक हाल, कानपुर।	उत्पादन (वस्त्र)	३	२	४७
४३	शुगर मिल मजदूर यूनियन, मोहल्ला सरावगी, बाराबंकी।	उत्पादन (खाद्य)	३	२	४७
४४	चीनी मिल मजदूर संघ, सिसवा बाजार, डा० सिसवा बाजार, गोरखपुर।	,,	१७	२	४७
४५	मजदूर सभा गंगा शुगर मिल्स, देवबन्द (सहारनपुर), देवबन्द, जिला सहारनपुर।	,,	२७	२	४७
४६	ग्लास वर्क्स मजदूर संघ, ससनी, जि० अलीगढ़।	उत्पादन (केमिकल और केमिकल से बनी वस्तुएँ)	१७	२	४७
४७	लेबर एसोसियेशन नवाबगंज (गोंडा), पञ्चायती धर्मशाला, डी० ए० वी० स्कूल, नवाबगंज, गोंडा।	उत्पादन (खाद्य)	२०	२	४७
४८	नान इण्डस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन, गवर्नमेण्ट आफ़ इण्डिया फ़ार्म्स प्रेस, सिविल लाइन्स, अलीगढ़।	(छपाई तथा तत्सम्बन्धी व्यवसाय)	३	३	४७
४९	झाँसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी मजदूर यूनियन केयर आफ जगदीश पाठक का घर, अँधियारी बाग, गोरखपुर।	बिजली	३	३	४७
५०	आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन, काजीपुरा, आगरा।	,,	३	३	४७
५१	मजदूर सभा दीवान शुगर मिल्स, सखोटी टाण्डा, जिला मेरठ।	उत्पादन (खाद्य)	१७	३	४७
५२	चीनी मिल मजदूर संघ, जरवल रोड, बहराइच।	,,	२४	३	४७
५३	झाँसी इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन, मानिक चौक, झाँसी।	बिजली	२४	३	४७
५४	एल० एच० शुगर फैक्टरीज़ मजदूर यूनियन, पीलीभीत।	,,	८	४	४७
५५	ओरियण्टल गवर्नमेण्ट सिक्योरिटी लाइफ़ ऐश्योरेन्स कं० लि०, लखनऊ ब्रांच एम्प्लाईज़ यूनियन, लखनऊ, मुनीर मंजिल, दरबारीलाल कंपाउण्ड, लालबाग, लखनऊ।	कामर्स (बीमा)	८	४	४७

१	२	३	४		
५६	चीनी मिल मजदूर संघ, छितौनी, देवरिया ।	उत्पादन (खाद्य)	८	४	४७
५७	चीनी मिल मजदूर संघ, परताबपुर, डिस्ट्रिक्ट देवरिया ।	,,	६	४	४७
५८	देवरिया चीनी मिल मजदूर यूनियन, मोहल्ला भरौली बाजार, देवरिया ।	,,	१७	४	४७
५६	फरेंदा शुगर मिल मजदूर यूनियन, केयर आफ जनार्दनलाल, ग्राम रुद्रपुर, डाकखाना फरेंदा, जिला गोरखपुर ।	,,	३०	४	४७
६०	मसोधा चीनी मिल श्रमिक संघ, डाकखाना मोतीनगर, जिला फैजाबाद ।	,,	१५	५	४७
६१	साइंटिफ़िक वर्कर्स एसोसियेशन (इण्डियन आर्डनेन्स, सर्विस), १०१ हार्डिंज रोड, कानपुर ।	उत्पादन (केमिकल तथा उससे बनी वस्तुयें)	१५	५	४७
६२	बनारस बिजलीघर मजदूर संघ, मेलूपुरा, बनारस ।	बिजली	१५	५	४७
६३	आयरन एण्ड स्टील मजदूर यूनियन, अजगर सिंह बिल्डिङ्ग, जरीब की चौकी, कानपुर ।	उत्पादन (बेसिक मेटल इण्डस्ट्रीज़)	२२	५	४७
६४	बभनान शुगर मिल मजदूर यूनियन, बभनान, जिला गोंडा ।	उत्पादन (खाद्य)	२६	५	४७
६५	आटा मिल लेबर यूनियन, बाराबंकी, मोहल्ला सरावगी, बाराबंकी ।	कामर्स (दूसरे)	२६	५	४७
६६	खलीलाबाद शुगर मिल मजदूर यूनियन, केयर आफ जय हिन्द पुस्तकालय, खलीलाबाद, जिला बस्ती ।	उत्पादन (खाद्य)	५	६	४७
६७	शुगर मिल मजदूर यूनियन, बस्ती शुगर मिल, बस्ती ।	,,	५	६	४७
६८	मजदूर सभा, मोदी शुगर मिल्स, मोदीनगर, शेरावाली कोठी, देहली रोड, जिला मेरठ ।	,,	८	६	४७
६६	आजाद चीनी मिल मजदूर दल, छितौनी, देवरिया ।	,,	१०	६	४७

१	२	३	४		
७०	अपर गैंजेज शुगर मिल वर्कर्स यूनियन, शिवहारा, बिजनौर ।	उत्पादन (खाद्य)	२३	६	४७
७१	अपर गैंजेज इलेक्ट्रिक एम्प्लाईज यूनियन, गंज स्ट्रीट, मुरादाबाद ।	बिजली	२३	६	४७
७२	लखनऊ मोटर वर्कर्स यूनियन, बिरहाना, लखनऊ ।	परिवहन (मोटर)	२३	६	४७
७३	होजरी वर्कर्स यूनियन, बिरहाना, लखनऊ ।	उत्पादन (क्लोदिंग फुटवियर इत्यादि)	२३	६	४७
७४	लेबर यूनियन, बहेड़ी, बरेली ।	उत्पादन (खाद्य)	२३	६	४७
७५	आटा मिल मजदूर यूनियन, लखनऊ, बिरहाना, लखनऊ ।	वाणिज्य (दूसरे)	२३	६	४७
७६	विक्टोरिया मिल्स क्लर्क्स यूनियन, १२।६३ शाकिरअली बिल्डिंग, ग्वाल-टोली, कानपुर ।	उत्पादन (सेवायें)	२३	६	४७
७७	क्लर्क्स यूनियन गवर्नमेंट आफ इण्डिया फार्म्स प्रेस, अलीगढ़, सिविल लाइन्स, अलीगढ़ ।	उत्पादन (छपाई तथा तत्सम्बन्धी व्यवसाय)	२३	६	४७
७८	अपर इण्डिया चीनी मिल मजदूर यूनियन, खतौली, मुजफ्फरनगर ।	उत्पादन (खाद्य)	२३	६	४७
७९	चीनी मिल मजदूर यूनियन, दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, मेरठ ।	,,	२३	६	४७
८०	एल० एच० शुगर फैक्टरी लेबर यूनियन, काशीपुर, एल० एच० शुगर फैक्टरी एण्ड आयल मिल्स, काशीपुर, नैनीताल ।	,,	९	७	४७
८१	एलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन, बिहारीपुर बरेली ।	बिजली	१५	७	४७
८२	वाटर वर्क्स मजदूर सभा, आगरा, जेवनी मण्डी, आगरा ।	जल तथा सैनिटरी	१६	७	४७
८३	इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन, मथुरा, केयर आफ श्री रामदास गुप्ता बुक्सेलर, मथुरा ।	बिजली	१७	७	४७
८४	पाइप मिल मजदूर यूनियन, बिरहाना, लखनऊ ।	उत्पादन (बेसिक मेटल उद्योग)	२७	७	४७

१	२	३		४	
८५	कानपुर लोहा मिल्स कर्मचारी यूनियन, कांग्रेस लेबर सेण्टर, दर्शनपुरवा, कानपुर।	उत्पादन (बेसिक मेटल उद्योग)	२६	७	४७
८६	बलरामपुर चीनी मिल मजदूर यूनियन, बलरामपुर, जिला गोंडा (अवध)।	उत्पादन (खाद्य)	३०	७	४७
८७	शुगर मिल मजदूर यूनियन, दोईवाला, देहरादून।	,,	३०	७	४७
८८	मनसूरपुर एग्रीकल्चरल फार्म्स यूनियन, वासीपुरा ब्लाक, जिला मुजफ्फरनगर।	उत्पादन कृषि (दूसरे)	८	८	४७
८९	स्पिनिंग मिल्स स्टाफ व मिस्त्री यूनियन, इन्द्रभवन, धुलियागंज, आगरा।	उत्पादन (वस्त्र)	६	८	४७
९०	इण्डियन आक्सीजन एण्ड एसीटिलीन वर्कर्स यूनियन, १०६।१०६ गाँधी चौक, कानपुर।	बिजली (गैस)	२८	८	४७
९१	अयोध्या शुगर मिल वर्कर्स यूनियन, राजा का साहसपुर (मुरादाबाद)।	उत्पादन (खाद्य)	६	६	४७
९२	लाल इमली इण्डियन स्टाफ़ यूनियन, १०४।२७३ रामबाग, कानपुर।	उत्पादन (वस्त्र)	६	६	४७
९३	रामलक्ष्मण चीनी मिल कर्मचारी यूनियन, मोहिउद्दीनपुर, मार्फत सेवाराम, मोदीनगर, मेरठ।	उत्पादन (खाद्य)	६	६	४७
९४	बलरामपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन, बलरामपुर, जिला गोंडा।	बिजली	१२	६	४७
९५	शुगर मिल वर्कर्स यूनियन, तुलसीपुर, गोंडा।	उत्पादन (खाद्य)	२४	६	४७
९६	फार्म मजदूर संघ, स्योराही, जिला देवरिया।	कृषि	३०	६	४७
९७	रतना शुगर मिल मजदूर यूनियन, शाहगंज, जिला जौनपुर।	उत्पादन (खाद्य)	१	१०	४७
९८	उत्तर प्रदेश पी० डब्लू० डी० वर्कर्स यूनियन, १२ हीवट रोड, लखनऊ।	निर्माण	२८	१०	४७
९९	जूट मिल मजदूर सभा, शहजनवा, गोरखपुर।	उत्पादन (वस्त्र)	२८	१०	४७

१	२	३		४	
१००	धामपुर चीनी मिल मजदूर संघ, धामपुर, जैत्रा, डाकखाना धामपुर, जि० बिजनौर।	उत्पादन (खाद्य)	२६	१०	४७
१०१	कैरूज मजदूर यूनियन, रोजा, शाहजहाँपुर।	,,	१६	११	४७
१०२	आर्डनेन्स फैक्टरी एम्प्लाईज़ यूनियन, कानपुर, सोमनगर डा० अर्मापुर, कालपी रोड, कानपुर।	उत्पादन (क्लोदिंग फुटवियर (इत्यादि)	१६	११	४७
१०३	लक्सर शुगर फैक्टरी लेबर यूनियन, लक्सर जि० सहारनपुर।	उत्पादन (खाद्य)	२१	११	४७
१०४	सेठ रामगोपाल एण्ड पार्टनर्स (इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स) एम्पलाईज यूनियन, एटा, यू० पी०।	बिजली	२१	११	४७
१०५	ओरियण्टल गवर्नमेण्ट सिक्योरिटी लाइफ ऐश्योरेंस कं० लि० (आगरा ब्रांच), एम्प्लाईज यूनियन, आगरा, परमपुरा, गोकुलपुरा, आगरा।	वाणिज्य (बीमा)	२७	११	४७
१०६	कुन्दन शुगर मिल लेबर यूनियन, अमरोहा, मुरादाबाद।	उत्पादन (खाद्य)	२६	११	४७
१०७	गोरखपुर रोडवेज वर्कर्स यूनियन, गोरखपुर, ५ काजी बिल्डिंग, गोरखपुर	परिवहन (मोटर)	६	१२	४७
१०८	फैजाबाद जिला मेहतर यूनियन, खिड़की अलीबेग, रकाबगंज, फैजाबाद।	सैनिटरी (सेवाएं)	६	१२	४७
१०९	बलरामपुर राज्य इरीगेशन वर्कर्स यूनियन, मु० बरनियाँ तालाब, बलरामपुर।	जल सेवायें	१८	१२	४७
११०	तेल मिल मजदूर यूनियन, लखनऊ मजदूर कार्यालय, बिरहाना, लखनऊ।	उत्पादन (खाद्य)	२२	१२	४७
१११	रसायन कर्मचारी संघ मजदूर कार्यालय, बिरहाना, लखनऊ।	उत्पादन (रसायन)	२२	१२	४७
११२	जनरल इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन मजदूर कार्यालय, बिरहाना, लखनऊ।	उत्पादन (मशीनरी)	२३	१२	४७
११३	लार्ड कृष्ण शुगर मिल वर्कर्स यूनियन, रेगमाल फैक्टरी के पास, अम्बाला रोड, सहारनपुर।	उत्पादन (खाद्य)	७	१	४८
११४	आगरा जिला बुनकर संघ, बाग मुजफ्फर-खाँ, आगरा।	उत्पादन (वस्त्र)	२०	१	४८

१	२	३	४		
११५	अयोध्या डिस्टिलरी मजदूर यूनियन, राजा का साहसपुर, जि० मुरादाबाद।	उत्पादन (पेय)	२२	१	४८
११६	जिला चीनी मिल मजदूर फेडेरेशन, गोरखपुर, पडरौना, जिला देवरिया।	उत्पादन (खाद्य)	२६	१	४८
११७	नागरथ आयल (पेण्ट) मिल मजदूर यूनियन, मन्नूलाल केदारनाथ का हाता, क्वार्टर नं० ८, नसीमाबाद, कानपुर।	रसायन (वस्तुएँ)	२८	१	४८
११८	चीनी मिल मजदूर यूनियन, शामली, जि० मुजफ्फरनगर (मिल एरिया)।	उत्पादन (खाद्य)	२८	१	४८
११९	एन० ई० रेलवे स्टाफ वेलफेयर यूनियन, गोरखपुर, काजी बिल्डिंग, गोरखपुर।	परिवहन (रेलवे)	२१	२	४८
१२०	ओरियण्टल लाइफ आफिस एम्प्लाईज यूनियन, इलाहाबाद, ब्रांच इलाहाबाद, ८।१, नवाब यूसुफ रोड, इलाहाबाद।	वाणिज्य (बीमा)	२१	२	४८
१२१	शिवपुर मिल मजदूर संघ, शिवपुर, बनारस।	उत्पादन (वस्त्र)	२४	२	४८
१२२	राष्ट्रीय केसर मजदूर संघ बहेडी, केसर शुगर वर्क्स बहेडी, बरेली।	उत्पादन (खाद्य)	२८	२	४८
१२३	सहारनपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन, पठानपुर स्ट्रीट, सहारनपुर।	बिजली	१२	३	४८
१२४	कानपुर म्यूनिसिपल टेक्निकल कर्मचारी संघ, १०६-६२ नेहरूनगर, कानपुर।	सेवायें	१५	३	४८
१२५	कानपुर मेकेनिकल एण्ड टेक्निकल वर्कर्स यूनियन, खलासी लाइन, कानपुर।	उत्पादन (इंजीनियरिंग)	१८	३	४८
१२६	एस० एस० मिल लेबर यूनियन, सिंभौली, डा० बक्सर, जि० मेरठ।	उत्पादन (खाद्य)	१६	३	४८
१२७	सिंभौली डिस्टिलरी मजदूर यूनियन, सिंभौली इण्डस्ट्री, डा० बक्सर, मेरठ।	उत्पादन (पेय)	१	४	४८
१२८	बाजार कर्मचारी यूनियन, गोरखपुर, मार्फत सोशलिस्ट पार्टी आफिस, गोरखपुर।	वाणिज्य (थोक तथा फुटकर व्यापार)	१	४	४८
१२९	स्टार पेपर मिल वर्कर्स यूनियन, मार्फत सोशलिस्ट पार्टी, नखरा बाजार, सहारनपुर।	उत्पादन (कागज की वस्तुएँ)	८	४	४८

१	२	३	४		
१३०	बाजार कर्मचारी मण्डल, किराना बाजार, फर्रुखाबाद ।	वाणिज्य (थोक तथा फुटकर व्यापार)	१२	४	४८
१३१	शक्कर मिल मजदूर यूनियन, हरदोई, आलू थोक, हरदोई ।	उत्पादन (खाद्य)	१४	४	४८
१३२	बिजली कर्मचारी संघ, आगरा, ४६१ अग्रवाल विद्यालय भवन, धुलियागंज, आगरा ।	बिजली	१६	४	४८
१३३	आइस फैक्टरी वर्कर्स यूनियन, हैविट पार्क रोड, आगरा ।	उत्पादन (दूसरे)	२०	४	४८
१३४	मिनिस्टीरियल स्टाफ़ एसोसियेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट, ४२१ फेथफुलगंज, कानपुर ।	सेवायें	२१	४	४८
१३५	तेल मिल वर्कर्स यूनियन, मोतीलाल नेहरू रोड, आगरा ।	उत्पादन (खाद्य)	२४	४	४८
१३६	राष्ट्रीय इक्का ताँगा ड्राइवर्स यूनियन, आगरा, मोतीलाल नेहरू रोड आगरा	परिवहन (दूसरे)	२४	४	४८
१३७	राष्ट्रीय गाड़ी ठेला ड्राइवर्स यूनियन, पं० मोतीलाल नेहरू रोड, आगरा ।	,,	२४	४	४८
१३८	इलाहाबाद वाटर वर्क्स लेबर यूनियन खुसरू बाग, इलाहाबाद ।	पानी तथा सैनिटरी	२६	४	४८
१३९	तमकुही चीनी मिल मजदूर कॉंग्रेस पो० सिराही, जिला देवरिया ।	उत्पादन (खाद्य)	२६	४	४८
१४०	राष्ट्रीय चीनी मिल मजदूर संघ, कठकुइयाँ, डा० पडरौना, जिला देवरिया ।	,,	२६	४	४८
१४१	राष्ट्रीय चीनी मिल मजदूर संघ, पडरौना, डा० पडरौना, जिला देवरिया ।	,,	२६	४	४८
१४२	मिल मजदूर यूनियन, लक्ष्मीगंज, (देवरिया)	,,	८	५	४८
१४३	बस्ती डिस्ट्रिक्ट मेहतर यूनियन, पक्का बाजार, बस्ती, जि० बस्ती ।	सैनिटरी सेवायें	१३	५	४८
१४४	एस० एस० रेलवे यूनियन, शामली, जि० मुजफ्फरनगर ।	परिवहन (रेलवे)	२०	५	४८
१४५	स्वीपर्स यूनियन, शाहजहाँपुर, कटिया टोला, शाहजहाँपुर ।	सैनिटरी (सेवायें)	२०	५	४८

१	२	३	४		
१४६	यू० पी० सिनेमा वर्कर्स यूनियन, १४७-६ गोपीनाथ रोड, बारूदखाना, लखनऊ।	विविध	२	५	४८
१४७	हिन्दुस्तान इंश्योरेन्स एम्प्लाईज़ एसोसियेशन, लखनऊ ब्रांच, मुन्नेलाल कागजी बिल्डिंग, पी० एम० जी० दफ्तर के सामने, लखनऊ।	वाणिज्य (बीमा)	१	६	४८
१४८	एम्प्लाईज़ यूनियन आर्डनेंस फैक्टरी देहरादून, ८६-१५ आर०, आर्डनेंस फैक्टरी स्टेट, देहरादून।	उत्पादन (क्लोदिंग फुटवियर इत्यादि)	५	६	४८
१४६	सूती मिल मजदूर संघ, मजदूर कार्यालय, बिरहाना, लखनऊ।	उत्पादन (वस्त्र)	५	६	४८
१५०	इण्डस्ट्रियल एम्प्लाईज़ यूनियन, उ० प्र०, कानपुर, १०६-२०६, गांधीनगर कानपुर।	”	२१	६	४८
१५१	मंसूरपुर मज़दूर यूनियन कांग्रेस, सर शादीलाल शुगर एण्ड जनरल मिल्स लि०, मंसूरपुर, जि० मुजफ्फरनगर।	उत्पादन (खाद्य)	२५	६	४८
१५२	राष्ट्रीय चीनी मिल मजदूर संघ, डा० खड्डा, जि० देवरिया।	”	२८	६	४८
१५३	प्रेस वर्कर्स यूनियन, आगरा, चंद्रमहल होटल के पास, राजा की मण्डी, आगरा।	उत्पादन (छपाई)	२६	६	४८
१५४	आगरा यूनिवर्सिटी नान-टीचिंग स्टाफ़ यूनियन, आगरा	सेवायें	२६	६	४८
१५५	बिजलीघर एण्ड आइस फैक्टरी मजदूर यूनियन, पीलीभीत।	बिजली	१७	७	४८
१५६	उ० प्र० बैंक एम्प्लाईज़ यूनियन, माई थान, आगरा।	वाणिज्य (बीमा)	१६	७	४८
१५७	मुण्डेरवा शुगर मिल एम्प्लाईज़ यूनियन, एम० के० एम० जी० शुगर मिल, डा० मुण्डेरवा, ज़िला बस्ती	उत्पादन (खाद्य)	६	८	४८
१५८	कानपुर बर्तन कर्मचारी मण्डल, राजा का फाटक, कानपुर।	उत्पादन (धातु वस्तुएँ)	११	८	४८

१	२	३	४		
१५६	मेरठ रोडवेज़ वर्कर्स यूनियन, ११ दून होटल, गांधी रोड, देहरादून।	परिवहन (मोटर)	२०	८	४८
१६०	राष्ट्रीय केमिकल मजदूर कांग्रेस, कानपुर ७० कौशलपुरी कानपुर।	उत्पादन (रसायन)	२०	८	४८
१६१	उ० प्र० रेमिङ्गटन एम्प्लाईज एसोसियेशन, ६५ सी, केनाल रेंज, कानपुर।	उत्पादन (दूसरे)	२३	८	४८
१६२	श्री गीता प्रेस राष्ट्रीय कर्मचारी संघ, गीता प्रेस रोड, गोरखपुर।	उत्पादन (छपाई)	२६	८	४८
१६३	शाहजहाँपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि० मज़दूर यूनियन, मार्फत रायबहादुर पं० शिवनारायण लाल, मोती चौक शाहपुर।	बिजली	२६	८	४८
१६४	मंसूरी म्यूनिसिपल एम्प्लाईज़ एसोसियेशन, सिटी बोर्ड आफिस, मंसूरी।	सेवाएँ	६	६	४८
१६५	कानपुर मन्दिर कर्मचारी संघ, ८।५३ मन्दिर लाला हजारीलाल ट्रस्ट, लाठी-मोहाल, कानपुर।	विविध	१५	६	४८
१६६	मुस्लिम यूनीवर्सिटी एम्प्लाइज़ यूनियन, ६२ प्रेस क्वार्टर सोसाइटी गार्डेन, कलेक्टरेट रोड, सिविल लाइन, अलीगढ़।	सेवाये	२८	६	४८
१६७	बरफखाना मजदूर संघ, मजदूर कार्यालय, बिरहाना, लखनऊ।	उत्पादन (दूसरे)	२८	६	४८
१६८	गांधी मेमोरियल एण्ड एसोशियेटेड हास्पिटल कर्मचारी संघ, ३२ लाटूश रोड, लखनऊ।	सेवायें	२६	६	४८
१६९	बिजली मजदूर संघ, इलाहाबाद, १२ बी० हेस्टिंग्स रोड, इलाहाबाद।	बिजली	५	१०	४८
१७०	उ० प्र० एश्योरेन्स एम्प्लाइज एसोसियेशन मार्फत हिन्दुस्तान लाइफ आफिस, मुन्नालाल कागजी बिल्डिंग, पी० एम० जी० आफिस के सामने, हजरतगंज, लखनऊ।	वाणिज्य (बीमा)	२३	१०	४८
१७१	हाकर्स क्लाथ यूनियन, जेनरलगंज, कानपुर।	वाणिज्य (व्यापार)	३०	१०	४८

१	२	३		४	
१७२	ए० आई० आर आर्टिस्ट एसोसियेशन, लखनऊ, विश्वेश्वरनाथ रोड, लखनऊ।	सेवायें	२३	१०	४८
१७३	राष्ट्रीय चीनी मिल्स मजदूर संघ, डा० सरदारनगर, जि० गोरखपुर।	उत्पादन (खाद्य)	८	११	४८
१७४	जी० जी० इण्डस्ट्रीज़ मजदूर यूनियन, आगरा, इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आगरा ब्रांच, मोतीलाल नेहरू रोड, आगरा।	धातु (वस्तुएँ)	१०	११	४८
१७५	स्टील ट्रंक वर्कर्स यूनियन, इलाहाबाद, एस० टी० डब्लू० यू०, मोहल्ला अटाला, इलाहाबाद।	उत्पादन (धातु वस्तुएँ)	१६	११	४८
१७६	रोडवेज़ सेण्ट्रल वर्कशाप एम्प्लाईज़ यूनियन कानपुर, ११।३०६ अमरज्योति कार्यालय सूटरगंज, कानपुर।	उत्पादन (परिवहन सामान)	१६	११	४८
१७७	रेलवे कुली यूनियन, कानपुर, ६६।१५६ दानाखोरी, कानपुर।	परिवहन (रेलवे)	११	१२	४८
१७८	आयरन फाउन्ड्री वर्कर्स यूनियन, आगरा, ज्योतिमण्डी, मोतीलाल नेहरू रोड, आगरा।	उत्पादन (बेसिक धातु उद्योग)	१४	१२	४८
१७९	चीनी मिल्स मजदूर संघ मेरठ, किशनपुर, मेरठ सिटी।	उत्पादन (खाद्य)	२३	१२	४८
१८०	जनरल इंजीनियरिंग कारखाना कर्मचारी संघ लखनऊ, मवैया कांग्रेस कमेटी, लखनऊ।	उत्पादन (मशीनरी)	३०	१२	४८
१८१	तेल मिल्स कर्मचारी संघ लखनऊ, मवैया कांग्रेस कमेटी, लखनऊ।	उत्पादन (खाद्य)	३१	१२	४८
१८२	भगवान इण्डस्ट्रीज़ लि० कर्मचारी संघ, लखनऊ, मवैया कांग्रेस कमेटी, लखनऊ।	उत्पादन (वस्त्र)	१०	१	४६
१८३	सूती मिल मजदूर यूनियन, आगरा, मोतीलाल नेहरू रोड, आगरा।	,,	१७	१	४६
१८४	बाजार कर्मचारी संघ हाथरस, पसरट्टा बाज़ार, हाथरस।	वाणिज्य (व्यापार)	१७	१	४६
१८५	हरबंस वाला टी स्टेट मजदूर यूनियन देहरादून हरबंस वाला टी स्टेट, देहरादून,	कृषि (बगीचा)	२०	१	४६

१	२	३	४		
१८६	लखनऊ शाप असिस्टेण्ट यूनियन, ६१५ डिप्टी मेवारामगंज, नरही, लखनऊ	वाणिज्य थोक फुटकर व्यापार	२१	२	४६
१८७	राजकीय ट्रैक्टर कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश लखनऊ, मजदूर कार्यालय, बिरहाना, लखनऊ।	कृषि (दूसरे)	२६	२	४६
१८८	ओ० टी० रेलवे कोयला मजदूर यूनियन, गोरखपुर, बक्सीपुर, गोरखपुर	परिवहन (रेलवे)	२७	२	४६
१८९	बिजली मजदूर यूनियन, सीतापुर पावर हाउस, सीतापुर।	बिजली	२८	२	४६
१९०	राजकीय रोडवेज़ कार्यालय श्रमिक संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मजदूर कार्यालय, बिरहाना, लखनऊ।	परिवहन	२८	२	४६
१९१	गवर्नमेन्ट प्रेस एम्प्लाईज़ एसोसियेशन, इलाहाबाद, १२ बी हेस्टिंग्स रोड इलाहाबाद।	उत्पादन (छपाई)	२८	२	४६
१९२	जिला भंगी यूनियन, गोरखपुर, मार्फत सोशलिस्ट पार्टी, बक्सीपुर, गोरखपुर।	सैनिटर (सेवायें)	२८	२	४६
१९३	जनरल रेफरीजरेशन वर्कर्स यूनियन लखनऊ, कांग्रेस मजदूर कार्यालय, चित्ताखीरा, लखनऊ।	उत्पादन (विविध)	२५	८	४६
१९४	गट्टामिल मजदूर संघ, मेरठ मार्फत डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर्स क्वार्टर, साबुन गोदाम, मेरठ-सिटी।	उत्पादन (वस्त्र)	८	४	४६
१९५	हाथरस मजदूर पंचायत, हाथरस, मुरसान दरवाजा, पन्तनगर, मंडुजरी के पास, हाथरस।	वस्त्र	१४	४	४६
१९६	टिन फैक्टरी वर्कर्स यूनियन, आगरा, सूरजभान का फाटक, बेलनगंज, आगरा।	उत्पादन (धातु-वस्तुएँ)	१४	४	४६
१९७	मेहतर हरिजन संघ, इटावा, कटरा साहब खाँ, न्यू सिटी, इटावा।	सैनिटरी सेवाएँ	२१	४	४६
१९८	भंगी यूनियन गाजीपुर, लाल दरवाजा, गाजीपुर।	,,	२७	४	४६

१	२	३	४		
१६६	म्यूनिसिपल एम्प्लाईज़ एसोसियेशन, इलाहाबाद।	सेवाएँ	५	५	४६
२००	राष्ट्रीय चीनी मिल मजदूर यूनियन, बिसवाँ, सीतापुर।	उत्पादन (खाद्य)	१२	५	४६
२०१	छापाखाना मजदूर संघ, लखनऊ, मजदूर कार्यालय, बिरहाना, लखनऊ।	उत्पादन (छपाई)	३१	५	४६
२०२	पीतल ताँबा कारीगर कमेटी, मदार दरवाजा, चौहट्टा, फर्रुखाबाद।	उत्पादन (धातु वस्तुएँ)	२	६	४६
२०३	भारतीय मिल मजदूर यूनियन, शामली डा० शामली, जि० मुजफरनगर।	उत्पादन (खाद्य)	४	६	४६
२०४	राजकीय दुग्धशाला श्रमजीवी संघ, लखनऊ मजदूर कार्यालय, बिरहाना, लखनऊ।	,,	११	६	४६
२०५	आर्डनेन्स फैक्टरी कर्मचारी यूनियन, मुराद-नगर, मेरठ।	सेवा	२४	६	४६
२०६	अमृतबाजार पत्रिका प्रेस एम्प्लाईज़ यूनियन, इलाहाबाद, ३ अलबर्ट रोड, इलाहाबाद।	उत्पादन (छपाई)	२४	६	४६
२०७	चीनी मिल कर्मचारी संघ, घुघली, पंजाब शुगर मिल्स कं० लि०, घुघली, जि० गोरखपुर।	उत्पादन (खाद्य)	२५	६	४६
२०८	गत्ता मिल वर्कर्स यूनियन, सहारनपुर।	उत्पादन (कागज)	२८	६	४६
२०६	पडरौना एलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन पडरौना, डा० पडरौना, जि० देवरिया।	बिजली	२८	६	४६
२१०	श्री ललित हरी आयुर्वेदिक कालेज फार्मेसी वर्कर्स यूनियन, पीलीभीत।	रसायन (वस्तुएँ)	३	७	४६
२११	बुढ़वल शुगर मिल मजदूर यूनियन, बाराबंकी, डा० रामनगर, जि० बाराबंकी।	उत्पादन (खाद्य)	१६	७	४६
२१२	उ० प्र० एम० ई० एस० वर्कर्स यूनियन, आगरा, ८३ बी० मोहनलाल की प्याऊ, सुल्तानपुरा, आगरा कैंट।	इंजीनियरिंग	१८	७	४६

१	२	३		४	
२१३	सर्वे आफ़ इण्डिया कर्मचारी क्लास फ़ोर्थ यूनियन, देहरादून, १४, न्यू कैंट रोड, देहरादून।	सेवाएँ	२०	७	४६
२१४	सूती मिल मजदूर यूनियन, बनारस, चौका घाट, बनारस।	उत्पादन (वस्त्र)	२६	७	४६
२१५	कागज मिल मजदूर यूनियन, सहारनपुर, स्टार पेपर मिल कम्पाउण्ड, सहारनपुर।	उत्पादन (कागज वस्तुएँ)	२०	८	४६
२१६	छेवकी डिपो लेबर यूनियन, इलाहाबाद, ३५४ (के०एल०) कीटगंज, इलाहाबाद।	सेवाएँ	२०	८	४६
२१७	नार्दर्न रेलवे गार्ड कांग्रेस, मुरादाबाद, कृष्णा आश्रम बिल्डिंग, अमरोहा मोटर स्टैण्ड के पास, मुरादाबाद।	सेवाएँ (रेलवे)	२०	८	४६
२१८	लखनऊ राष्ट्रीय प्रेस व बुकडिपो वर्कर्स यूनियन, लखनऊ, हाउस नं० ११३, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ।	उत्पादन (छपाई)	२२	८	४६
२१६	कानपुर ट्रान्सपोर्ट यूनियन, कानपुर, ४०।१२६, अस्पताल रोड, परेड, कानपुर।	सेवाएँ (मोटर)	२५	८	४६
२२०	बगीचा कर्मचारी यूनियन, आगरा, मोतीलाल नेहरू रोड, आगरा।	कृषि बगीचा	२६	८	४६
२२१	तमकोही चीनी मिल मजदूर पंचायत, देवरिया तमकोही रोड, डा० स्योराही, देवरिया, जि० देवरिया।	उत्पादन (खाद्य)	२६	८	४९
२२२	खेतान चीनी मिल मजदूर पंचायत रामकोला देवरिया, रामकोला, जि० देवरिया।	”	१	६	४६
२२३	डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरी वर्कर्सय ूनियन, लखनऊ, कांग्रेस मजदूर कार्यालय, चित्ता खेरा, मिल एरिया, लखनऊ।	उत्पादन (पेय)	७	६	४६
२२४	व्यापार मण्डल गोरखपुर, चौक, हिन्दी बाज़ार, गोरखपुर।	वाणिज्य	१२	६	४६
२२५	राष्ट्रीय प्रेस वर्कर्स यूनियन, आगरा, सैनिक प्रेस, आगरा।	उत्पादन (छपाई)	१३	६	४६

१	२	३	४		
२२६	गवर्नमेन्ट रोडवेज़ एम्प्लाईज़ यूनियन, बरेली।	परिवहन (मोटर)	२३	६	४६
२२७	म्यूनिसिपल कर्मचारी संघ, लखनऊ, कांग्रेस मजदूर कार्यालय, चित्ताखेरा मिल एरिया, लखनऊ।	सेवाएँ	२७	६	४६
२२८	क्षत्रिय कांसकार पीतल मजदूर पंचायत, हाथरस, सासनी दरवाजा, फूलचन्द के मन्दिर के पास, हाथरस।	धातु वस्तुएँ	१२	१०	४६
२२९	स्वदेशी बीमा कं० कर्मचारी संघ, आगरा, स्वदेशी बीमानगर, आगरा।	वाणिज्य (बीमा)	२५	१०	४६
२३०	स्माल आर्म्स फैक्टरी एम्प्लाईज़ यूनियन, कानपुर, अर्मापुर स्टेट, कालपी रोड, कानपुर।	सेवाएँ	२६	१०	४६
२३१	सी० ओ० डी० मजदूर पंचायत, ११३ इलियट रोड, कानपुर।	सेवायें	१५	११	४६
२३२	टीचर्स यूनियन चंदौसी (मुरादाबाद), म्युनिसिपल मार्केट, चंदौसी (मुरादाबाद)।	सेवाएँ	२३	११	४६
२३३	चीनी मिल मजदूर संघ, बरेली, नेकपुर, बरेली।	उत्पादन (खाद्य)	६	१२	४६
२३४	टेहरी गढ़वाल मजदूर संघ, ऋषिकेश, देहरादून, मुनी की रेती, ऋषिकेश (उ० प्र०)।	परिवहन (मोटर)	३	१	५०
२३५	अर्मापुर शापकीपर्स एसोसियेशन, कानपुर, अर्मापुर स्टेट बाजार, १८ एस, आर्डनेंस फैक्टरी, कानपुर।	वाणिज्य (व्यापार)	४	१	५०
२३६	ओ० टी० रेलवे पोर्टर्स यूनियन, काठगोदाम, जि० नैनीताल।	परिवहन (रेलवे)	४	१	५०
२३७	लेबर यूनियन टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट, कानपुर, टी० डी० ई० एस०, पो० बा० नं० १२७, कानपुर।	सेवाएँ	४	१	५०
२३८	लक्ष्मी इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन, उ० प्र०, अहाता पं० अमरनाथ दीक्षित, ह्वाइटगंज, हरदोई।	बिजली	१७	१	५०

१	२	३	४		
२३९	राष्ट्रीय चीनी मिल मजदूर संघ, गोकुल-नगर, नैनीताल, गोकुलनगर, जिला नैनीताल।	उत्पादन (खाद्य)	१७	१	५०
२४०	अस्पताल कर्मचारी यूनियन, गोरखपुर, मार्फत सोशलिस्ट पार्टी आफिस, गोरखपुर।	सेवाएँ (अस्पताल)	१८	१	५०
२४१	एल० एच० चीनी मिल मजदूर सभा, पीलीभीत मार्फत सोशलिस्ट पार्टी आफिस, पीलीभीत।	उत्पादन (खाद्य)	१६	२	५०
२४२	रीडर्स एसोसियेशन, सिंचाई-विभाग उ० प्र०, अलीगढ़ मार्फत नरोड़ा डिवीजन, एल० जी० सी०, अलीगढ़।	सेवाएँ	१६	२	५०
२४३	कैण्टूनमेंट बोर्ड वर्कर्स यूनियन आगरा, परताबपुरा, आगरा।	,,	१६	२	५०
२४४	हैण्ड पेण्टर्स यूनियन, कानपुर, कर्नलगंज, कानपुर।	विविध	२७	२	५०
२४५	मजदूर यूनियन नवाबगंज, गोंडा, डा० शुगर फैक्टरी नवाबगंज, जिला गोंडा।	उत्पादन (खाद्य)	२	३	५०
२४६	हलवाई पान कर्मचारी संघ आगरा, ५९०५ किनारी बाजार, आगरा।	वाणिज्य (व्यापार)	१३	३	५०
२४७	कम्पाउण्डर्स यूनियन, सहारनपुर, नवाब-गंज, सहारनपुर।	सेवाएँ	१३	३	५०
२४८	म्यूनिसिपल शिक्षा विभाग कर्मचारी यूनियन, मुरादाबाद, गंज बाजार स्ट्रीट, मुरादाबाद (उ० प्र०)।	,,	१३	३	५०
२४९	इलाहाबाद सिनेमा कर्मचारी संघ, २२ ऊँचा मण्डी, इलाहाबाद।	विविध	२०	३	५०
२५०	जौनपुर इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन, जौनपुर, मो० उर्दू, जौनपुर	बिजली	२१	३	५०
२५१	कर्मचारी संघ गुरुकुल काँगड़ी फार्मेसी, हरद्वार, डा० गुरुकुल काँगड़ी, सहारनपुर।	रसायन वस्तुएँ	२७	३	५०

१	२	३	४		
२५२	बाराबंकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, मजदूर यूनियन, मुहल्ला रसूलपुर, बाराबंकी।	बिजली	५	४	५०
२५३	आल इण्डिया पोस्टल एण्ड आर० एम० एस० यूनियन (यू० पी० टी० आर० आई०) यू० पी० ब्रांच, आगरा, शीतला गली, आगरा।	परिवहन (यातायात पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ)	२६	४	५०
२५४	तेज एनामेल एण्ड मेटल फैक्टरी वर्कर्स यूनियन, सहारनपुर, नखासा बाजार, सहारनपुर।	उत्पादन (धातु वस्तुएँ)	२६	४	५०
२५५	मेहतर भिश्ती यूनियन लखनऊ, २७ गुइन रोड, लखनऊ।	सैनिटरी (सेवाएँ)	२६	४	५०
२५६	दि पैराशूट फैक्टरी यूनियन, वतन लाइब्रेरी, नई सड़क, कानपुर।	उत्पादन (क्लोदिंग, फुटवियर इत्यादि)	६	५	५०
२५७	अवध तिरहुत रेलवे एम्प्लाईज़ एसोसियेशन, बसारतपुर, गोरखपुर, जयकृष्ण निवास, डा० बसारतपुर, गोरखपुर।	परिवहन (रेलवे)	२३	५	५०
२५८	केसर पावर अल्कोहल मजदूर संघ, बहेड़ी (ओ० टी० आर०), बरेली।	उत्पादन (खाद्य व पेय)	४	६	५०
२५९	राजकीय प्रेस कर्मचारी संघ, लखनऊ, रीडिंग रूम एण्ड लाइब्रेरी, न्यू गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग, ऐशबाग, लखनऊ।	उत्पादन (छपाई)	१६	६	५०
२६०	नेशनल चैम्बर आफ इंडस्ट्रीज़ एण्ड कामर्स (उ० प्र०), बेलनगंज, आगरा।	विविध	२०	६	५०
२६१	गणेश फ्लोर मिल वर्कर्स यूनियन कानपुर, हाता ठाकुर ब्रह्मसिंह, गणेश फ्लोर मिल के सामने, कानपुर।	वाणिज्य (दूसरे)	२३	६	५०
२६२	मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कर्मचारी यूनियन, मोदीनगर, मेरठ।	उत्पादन (वस्त्र)	३	७	५०
२६३	डायमण्ड एम्प्लाईज़ यूनियन, डायमण्ड शुगर मिल्स लि०, पिपराइच, जि० गोरखपुर।	उत्पादन (खाद्य)	२०	७	५०

१	२	३	४		
२६४	म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, बिजनौर म्युनिसिपल स्कूल, बिजनौर।	सेवाएँ	१६	८	५०
२६५	म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, पीलीभीत जूनियर हाई स्कूल. म्युनिसिपल बोर्ड, पीलीभीत।	सेवाएँ	१६	८	५०
२६६	गोरखपुर फ्रूट एसोसियेशन, गोरखपुर मेवा मण्डी, धर्मशाला, गोरखपुर।	वाणिज्य	१६	८	५०
२६७	म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन धामपुर, फ्री स्कूल, धामपुर, जि० बिजनौर।	सेवाएँ	२२	८	५०
२६८	म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, खुर्जा म्युनिसिपल प्राइमरी बेसिक स्कूल, नं० ११ खुर्जा, जि० बुलन्दशहर।	सेवाएँ	२२	८	५०
२६९	म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, सिकन्दराबाद (बुलंदशहर), प्राइमरी स्कूल नं० ३, सिकन्दराबाद, जि० बुलदशहर।	सेवाएँ	२८	८	५०
२७०	म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, चाँदपुर बाजार, प्राइमरी स्कूल, म्युनिसिपल बोर्ड, चाँदपुर, बिजनौर।	सेवाएँ	२८	८	५०
२७१	म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, सुल्तानपुर, सुभाष पाठशाला, म्युनिसिपल बोर्ड, सुल्तानपुर।	सेवाएँ	२८	८	५०
२७२	म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन मुरादाबाद, बेसिक प्राइमरी स्कूल, पीर गेट, मुरादाबाद।	सेवाएँ	६	९	५०
२७३	लेबर यूनियन हल्द्वानी, जि० नैनीताल।	विविध	७	९	५०
२७४	सिनेमा स्टाफ़ यूनियन बनारस ५०/२० ए० काजीपुरा, कलाँ, बनारस।	,,	७	९	५०
२७५	तेल मिल कर्मचारी संघ आगरा, सूरज भान का फाटक, बेलनगंज, आगरा।	उत्पादन (खाद्य)	३०	९	५०
२७६	स्वीपर्स यूनियन, शाहजहाँपुर, ग्वालटोली, शाहजहाँपुर।	सैनिटरी सेवाएँ	२१	१०	५०

१	२	३	४		
२७७	उत्तर प्रदेश वर्किंङ्ग जर्नलिस्ट यूनियन, लखनऊ, ४ ए पार्क रोड, लखनऊ।	विविध	२७	१०	५०
२७८	मथुरा सादाबाद मानिकपुर एटा मोटर यूनियन, मथुरा, जि० मथुरा।	परिवहन (मोटर)	६	११	५०
२७९	कानपुर बिजली मजदूर सभा, कानपुर, १०८।१, जरीब की चौकी, कानपुर।	बिजली	६	१२	५०
२८०	बलिया बाजार कर्मचारी संघ मार्फत सीताराम श्यामसुन्दरप्रसाद सर्राफ, बलिया।	वाणिज्य (थोक फुटकर व्यापार)	१७	१२	५०
२८१	म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, मऊ, रानीपुर (झाँसी), शिवगंज प्राइमरी स्कूल, मऊ रानीपुर, झाँसी।	सेवाएँ	२८	१२	५०
२८२	म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, बाराबंकी कटरा प्राइमरी स्कूल, बराबंकी।	,,	२	१	५१
२८३	मेरठ बागपत छपरौली मोटर यूनियन, मेरठ, मोटर स्टैण्ड, देलही रोड, मेरठ।	परिवहन (मोटर)	१३	१	५१
२८४	यज्ञोपवीत डीलर कमेटी, कानपुर, ३२।२ शाह जी का मन्दिर, चौक, कानपुर।	वाणिज्य (व्यापार)	२२	१	५१
२८५	रिक्शा कर्मचारी यूनियन, आगरा, मोतीलाल नेहरू रोड, आगरा।	परिवहन (दूसरे)	२२	१	५१
२८६	म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, फर्रुखाबाद, म्युनिसिपल बेसिक प्राइमरी स्कूल, सूत हट्टी, फर्रुखाबाद।	सेवाएँ	२२	१	५१
२८७	लेडी लायल अपील कर्मचारी यूनियन, आगरा, वाल्मीकि बगीचा, लोहामण्डी, आगरा।	सेवाएँ	२२	१	५१
२८८	ईस्ट इण्डिया रेलवे इंजीनियरिंग इंस्पेक्टर्स एसोसियेशन, डा० कंट, जि० मुरादाबाद।	परिवहन (रेलवे)	३	२	५१

१	२	३	४		
२८६	नेवली शुगर मिल मजदूर यूनियन, नेवली, डा० नेवली, एटा (उ० प्र०)।	उत्पादन (खाद्य)	६	२	५१
२९०	केवलागढ़ टी गार्डन मजदूर यूनियन, देहरादून, ३८ घोसीगली, पल्टन बाजार, देहरादून।	कृषि (बागान)	७	२	५१
२९१	खंडेलवाल ग्लास कर्मचारी संघ, सासनी, डा० खंडेलवाल ग्लास वर्क्स, अलीगढ़।	उत्पादन (रसायन वस्तुएँ)	७	२	५१
२९२	नान इण्डस्ट्रियल एम्प्लाईज़ एसोसियेशन, सी० ओ० डी० आगरा, गुड़ की मण्डी, फुलयाती बाजार, आगरा।	सेवाएँ	१४	२	५१
२९३	डिस्ट्रिक्ट बार्बर्स यूनियन कल्हेरी (बिजनोर), ग्राम कल्हेरी, डा० जलाला-बाद, जि० बिजनौर।	विविध	३	३	५१
२९४	श्रमिक संघ, फैजाबाद, डा० मोतीनगर, जि० फैजाबाद।	,,	१६	३	५१
२९५	केन सोसाइटी सीज़नल स्टाफ यूनियन, धामपुर, जि० बिजनौर।	कृषि (दूसरे)	२७	३	५१
२९६	गंगा ग्लास वर्कर्स यूनियन, बालावली, जि० बिजनौर।	रसायन (रसायन वस्तुएँ)	२७	३	५१
२९७	विभूति ग्लास वर्कर्स मजदूर यूनियन रामनगर, मार्फत विभूति ग्लास वर्क्स, रामनगर, बनारस स्टेट।	रसायन (रसायन वस्तुएँ)	२९	३	५१
२९८	नोटीफ़ाइड एरिया कर्मचारी संघ, शाहगंज, जि० जौनपुर।	सेवाएँ	२९	३	५१
२९९	रजा चीनी मिल एम्प्लाईज़ यूनियन रामपुर, मार्फत ३४ राजा शुगर कं० लि०, रामपुर सिटी।	उत्पादन (खाद्य)	३०	३	५१
३००	कत्था फैक्टरी वर्कर्स यूनियन, बरेली, क्वार्टर नं० ५५, इण्डियन उड प्राडक्ट्स, आईज़टनगर, बरेली।	उत्पादन वाणिज्य (दूसरे)	२	४	५१
३०१	वेबिंग एण्ड बोल्टिंग फैक्टरी लि०, मजदूर यूनियन, गाजियाबाद, क्वार्टर नं० १५, वेबिंग एण्ड बोल्डिंग फैक्टरी, गाजियाबाद, जि० मेरठ।	उत्पादन (वस्त्र)	४	४	५१

१	२	३	४		
३०२	इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन रामपुर, मार्फत मुहम्मद शाह खाँ, मुहल्ला कुन्दा, कब्रिस्तान मठवाला के पास।	बिजली	६	४	५१
३०३	ट्रेड लेबर यूनियन, बुलन्द शुगर कं० लि०, रामपुर हजूर तहसील के पास, सफदरगंज, रामपुर।	उत्पादन (खाद्य)	६	४	५१
३०४	राष्ट्रीय चीनी मिल्स मजदूर संघ, दोईवाला, मार्फत जानकी शुगर मिल्स, क्वार्टर नं० १, ब्लाक ए० दोईवाला, जि० देहरादून।	,,	१४	४	५१
३०५	चीनी मिल मजदूर संघ देवरिया, मार्फत ठाकुर मुन्नीलाल सिंधी मिल्स, देवरिया सदर।	,,	१६	४	५१
३०६	मेहतर मजदूर संघ, मिर्जापुर, रानीबाग, मिर्जापुर।	सैनिटरी सेवाएँ	२०	४	५१
३०७	सी० ओ० डी० राष्ट्रीय मजदूर यूनियन आगरा, २२७ नम्बर, आगरा।	सेवाएँ	३०	४	५१
३०८	रजा शुगर कं० वर्कर्स यूनियन, रामपुर, सिविल लाइन्स, रामपुर।	उत्पादन (खाद्य)	१	५	५१
३०९	उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी वर्कर्स फेडेरेशन, रामपुर, शहंशाह मंजिल, गोपालगंज लखनऊ।	उत्पादन (पेय)	६	५	५१
३१०	इण्डियन प्रेस मजदूर यूनियन, इलाहाबाद, १२ बी हेस्टिंग्स रोड, इलाहाबाद।	उत्पादन (छपाई)	८	५	५१
३११	कानपुर टैनरी एम्प्लाईज़ यूनियन, कानपुर, १०५।७१४, आनंदबाग कानपुर।	उत्पादन (चमड़ा)	६	५	५१
३१२	वर्कर्स यूनियन, रामपुर डिस्टिलरी एण्ड केमिकल कं० लि०, रामपुर उ० प्र०, मोटर गैरेज बिल्डिंग, रामपुर डिस्टिलरी एण्ड केमिकल कं० लि०, रामपुर।	उत्पादन (शपेयब)	११	५	५१
३१३	दूकान कर्मचारी यूनियन देहरादून, ३५ घोसी गली, पल्टन बाजार, देहरादून।	वाणिज्य व्यापार	२	६	५१
३१४	चाय बागान मजदूर यूनियन, देहरादून, पल्टन बाजार, देहरादून।	कृषि (बगीचा)	२	६	५१

१	२	३	४		
३१५	आटोमोबाइल वर्कर्स यूनियन, देहरादून, ३५ घोसी गली, पल्टन बाजार, देहरादून।	वाणिज्य (व्यापार)	८	६	५१
३१६	बनारस इंजीनियरिंग मेटल्स मजदूर संघ, बनारस, काशी विद्यापीठ, बनारस।	उत्पादन (मशीनरी)	२२	६	५१
३१७	रजा टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन, रामपुर, रजा टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन आफिस, हमीद हाई स्कूल के सामने, रामपुर।	उत्पादन (वस्त्र)	५	७	५१
३१८	म्युनिसिपल कर्मचारी यूनियन, कानपुर, २४।१६३ रामनारायन बाजार, कानपुर।	सेवाए	१३	७	५१
३१९	प्रेस कर्मचारी यूनियन देहरादून, ३५ घोसी गली, पल्टन बाजार, देहरादून।	छपाई	१६	७	५१
३२०	महाबीर चीनी मिल मजदूर संघ, सिसवा बाजार, डा० सिसवा बाजार, जि० गोरखपुर।	उत्पादन खाद्य	१९	७	५१
३२१	चायबागान मजदूर पंचायत, देहरादून, ३५ घोसी गली, पल्टन बाजार, देहरादून।	कृषि (बगीचा)	३१	७	५१
३२२	ईस्ट होप टाउन टी गार्डेन मजदूर यूनियन देहरादून, ३५ घोसीगली, पल्टन बाजार, देहरादून।	,,	३१	७	५१
३२३	मवाना शुगर वर्क्स, कर्मचारी संघ, मवाना, मवाना वर्क्स, मवाना, डा० मवाना, जिला मेरठ।	उत्पादन (खाद्य)	६	८	५१
३२४	उ० प्र० रोडवेज़ एम्प्लाईज़ यूनियन, सिटी काग्रेस मजदूर कार्यालय, अमीनाबाद, लखनऊ।	परिवहन (मोटर)	१९	८	५१
३२५	म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन गोरखपुर, जूनियर हाई स्कूल, रावत पाठशाला, गोरखपुर।	सेवाएँ	२०	८	५१
३२६	कानपुर मिल मिस्त्री यूनियन, कानपुर, ११।३६५, सूटरगंज, कानपुर।	सेवाएँ	१२	९	५१
३२७	ओबीटी लि० कार्पेट मजदूर कांग्रेस बनारस, गोपपुर, गोपीगंज, बनारस।	उत्पादन वस्त्र	१२	९	५१

१	२	३	४		
३२८	चार्टर्ड बैंक आफ इण्डिया आस्ट्रेलिया एण्ड चाइना एम्प्लाईज़ यूनियन कानपुर, मार्फत चार्टर्ड बैंक, माल, कानपुर।	वणिज्य (बैंक)	१२	६	५१
३२९	इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन, इटावा न्यू सिटी, इटावा।	बिजली	१७	६	५१
३३०	मजदूर संघ, मसूरी, मसूरी।	विविध	२४	६	५१
३३१	जे० के० जूट मिल मजदूर यूनियन, कानपुर, दर्शनपुरवा, मन्ना काछी का हाता कानपुर।	उत्पादन (वस्त्र)	२६	६	५१
३३२	कानपुर टैनरी एण्ड लेदर वर्कर्स यूनियन कानपुर, मजदूर सभा बिल्डिंग, ग्वालटोली, कानपुर।	उत्पादन (चमड़ा वस्तुएँ)	२६	१०	५१
३३३	टोबैको फ्रेण्ड्स यूनियन, सहारनपुर, मार्फत चीफ मेडिकल स्टोर्स, बाजार नखासा, सहारनपुर।	उत्पादन (तम्बाकू)	१५	११	५१
३३४	अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स लि० मजदूर सभा, लखनऊ, ओल्ड हैदराबाद, मकान नं० ११३, लखनऊ।	उत्पादन (कागज व कागज वस्तुएँ)	१७	११	५१
३३५	ए टेलरी एण्ड सन्स लि० वर्कर्स यूनियन, भदोही, बनारस, पीरखानपुर, भदोही, जिला बनारस।	वाणिज्य थोक व फुटकर	२६	११	५१
३३६	बाजार कर्मचारी संघ, कायमगंज, जि० फर्रुखाबाद, रेलवे रोड, कायमगंज फर्रुखाबाद।	वाणिज्य थोक व्यापार	२७	११	५१
३३७	उत्तर प्रदेश ग्लास वर्कर्स मजदूर संघ, फीरोजाबाद, गली बोहरान, फीरोजाबाद।	उत्पादन (रसायन वस्तुएँ)	३०	११	५१
३३८	आयल एण्ड केमिकल मजदूर यूनियन, कानपुर १०८।१, अजगर सिंह का हाता, जरीब की चौकी, कानपुर।	उत्पादन (रसायन वस्तुएँ)	१	१२	५१
३३९	बनारस प्रेस मजदूर सभा बनारस, सी० २६।२, मालदिहा, बनारस कैंट।	उत्पादन (छपाई)	१	१२	५१
३४०	सिनेमा एम्प्लाईज़ एसोसियेशन, देहरादून, ३५ घोसी गली, पल्टन बाजार, देहरादून।	विविध	५	१२	५१

१	२	३	४		
३४१	जिला चमड़ा कारीगर सभा, गोरखपुर, मार्फत सोशलिस्ट पार्टी आफिस, गोरखपुर ।	उत्पादन (चमड़ा)	२०	१२	५१
३४२	विमको कर्मचारी यूनियन क्लटरबकगंज, बरेली, ६७ पंजाबीपुरा, कुँवर राधाचरण के पास, बरेली ।	उत्पादन (नान मेट लिक मिनरल प्रोडक्टस)	२६	१२	५१
३४३	ब्रास शीट मिल मजदूर यूनियन, मुरादा बाद, गंज बाजार स्ट्रीट, मुरादाबाद ।	उत्पादन (बेसिक धातु उद्योग)	८	१	५२
३४४	दि फ़ाइन ब्रास वेयर मोल्डर्स एसोसियेशन, मुरादाबाद, सम्भली गेट, मुरादाबाद ।	,,	८	१	५२
३४५	टेक्स्टाइल वर्कर्स यूनियन, लखनऊ, ३२ लाटूश रोड, लखनऊ ।	उत्पादन (वस्त्र)	८	२	५२
३४६	लक्ष्मी शुगर मिल्स मजदूर यूनियन, रेलवे गंज, हरदोई ।	उत्पादन (खाद्य)	१२	२	५२
३४७	इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन वृन्दावन, गोविन्द घेरा, वृन्दाबन, जि० मथुरा ।	बिजली	१८	२	५२
३४८	सरोजनी नायडू अस्पताल कर्मचारी यूनियन आगरा, वाल्मीकि बगीची, लोहा मण्डी, आगरा ।	सेवाएँ	१६	२	५२
३४९	आरकेडिया टी इस्टेट मजदूर संघ, देहरादून, पोस्ट बाक्स नं० १५, देहरादून ।	कृषि (बगीचा)	२७	२	५२
३५०	जिला करघा यूनियन मगहर (बस्ती) मगहर, जि० बस्ती ।	उत्पादन (वस्त्र)	१	३	५२
३५१	डी० ए० वी० कालेज एण्ड होस्टल कर्म चारी यूनियन, कानपुर, डी० ए० वी० कालेज, कानपुर ।	सेवाएँ	३	३	५२
३५२	स्माल आर्म्स फैक्टरी कर्मचारी संघ, कान-पुर, कैलाशनगर, आर्मापुर इस्टेट, कानपुर ।	आर्डनेन्स सेवाएँ	१८	३	५२
३५३	इलाहाबाद मिल्क सप्लाई वर्कर्स यूनियन, इलाहाबाद, २४१ ए, मधवापुर, इलाहा-बाद ।	वाणिज्य थोक व फुटकर व्यापार	१६	३	५२

१	२	३	४		
३५४	कानपुर ठेला कर्मचारी यूनियन, कानपुर, ६१।१६३ हूलागंज, कानपुर।	परिवहन (दूसरे)	२०	३	५२
३५५	स्टाफ़ एसोसियेशन आफ दि अलीगढ़ एलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, अलीगढ़,	बिजली	२६	३	५२
३५६	गन्ना कर्मचारी संघ सहारनपुर, मार्फत आर० के० मित्तल, कुबूल बिल्डिंग कोर्ट रोड, सहारनपुर।	कृषि और दूसरे	२६	३	५२
३५७	बनारस एम्प्लाइज़ एसोसियेशन, बनारस, २१।८५ इंग्लिशिया लाइंस, बनारस कैण्ट।	विविध	२८	३	५२
३५८	आगरा टेलरिंग एसोसियेशन, भार्गव टेलर्स, भगतसिंह रोड, आगरा।	उत्पादन (क्लोदिंग)	६	४	५२
३५९	राशन शाप एम्प्लाईज़ यूनियन, मार्फत विजय रसायनशाला, स्वामीघाट, मथुरा।	वाणिज्य (दूसरे)	७	४	५२
३६०	स्टील ट्रंक वर्कर्स यूनियन, ९२।९, हाता तजामुल हुसेन, पेचबाग, कानपुर।	उत्पादन (धातु वस्तुएँ)	२८	४	५२
३६१	किला मजदूर यूनियन, कानपुर,	उत्पादन फुटवेयर क्लोदिंग आदि	२८	४	५२
३६२	ई० एम० ई० वर्कर्स यूनियन, 'ओल्ड लश्कर लाइन, बैरहना, इलाहाबाद।	उत्पादन (मशीनरी)	२९	४	५२
३६३	एल० एच० चीनी मिल मजदूर यूनियन, मोहल्ला बाँसफोरान, काशीपुर, नैनीताल।	उत्पादन (खाद्य)	२९	४	५२
३६४	श्री उत्तर प्रदेशीय ग्लास वर्कर्स यूनियन, फीरोजाबाद, जहाँगीर मंजिल, फीरोजाबाद, तिलकहाल, आगरा।	उत्पादन (रसायन वस्तुएँ)	१४	५	५२
३६५	लखनऊ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन, ३२ लाटूश रोड, लखनऊ।	परिवहन	१४	५	५२
३६६	श्री श्यामनाथ आयल मिल्स व दाल मिल्स मजदूर सभा, सीतापुर, ओल्ड हैदराबाद, मकान नं० ११३, लखनऊ।	उत्पादन (खाद्य)	१४	५	५२
३६७	सोशलिस्ट मजदूर सभा, एस १०।७६ चौकाघाट, बनारस कैण्ट।	विविध	१५	५	५२

१	२	३	४		
३६८	दि बनारस काटन एण्ड रोलिंग मिल्स मजदूर संघ, एस ११।७५, चौकाघाट, बनारस कैण्ट।	उत्पादन (वस्त्र)	१६	५	५२
३६६	ग्लास मैन्यूफैक्चरर्स यूनियन, मार्फत ग्लास इण्डस्ट्रियल सिण्डीकेट, फीरोजाबाद, जि० आगरा।	उत्पादन रसायन वस्तुएँ	२०	५	५२
३७०	कालेज एण्ड स्कूल कर्मचारी यूनियन, १४ न्यू कैण्ट रोड, देहरादून।	सेवाएँ	६	६	५२
३७१	जिला तेल मिल्स मजदूर यूनियन, १०।५३ चन्दवा, हाबीपुरा, बनारस।	उत्पादन (खाद्य)	७	६	५२
३७२	बुनकर ट्रेड यूनियन, टाँडा, फ़ैजाबाद।	उत्पादन (वस्त्र)	१४	६	५२
३७३	डी० एण्ड सी०, ब्रास मोल्डर्स एण्ड टर्नर्स यूनियन, रुड़की, ३३ सिविल लाइन्स, रुड़की, सहारनपुर।	उत्पादन (धातु वस्तुएँ)	२३	६	५२
३७४	वल्मीकि हरिजन यूनियन, रानीखेत, अलमोड़ा।	सैनिटरी (सेवाएँ)	२३	६	५४
३७५	इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन, ३२, लाटूश रोड, लखनऊ।	उत्पादन (मशीनरी)	२४	६	५४
३७६	मजदूर यूनियन, शिकोहाबाद, जि० मैनपुरी मिश्राना, पो० आ० शिकोहाबाद, जि० मैनपुरी।	उत्पादन	१०	७	५२
३७७	मजदूर सभा मोदी वनस्पति एण्ड टिन फैक्टरी, मार्फत मजदूर सभा मोदी शुगर मिल्स, मोदीनगर, मेरठ।	विविध	१२	७	५२
३७८	मोदी लालटेन वर्कस मज़दूर यूनियन, मोदीनगर मदनपुरा, क्वार्टर नं० ६३ डी, पो० आ० मोदीनगर, जि० मेरठ।	उत्पादन (दूसरे)	६	८	५२
३७६	परेड बाजार कमेटी, ३३।२४०, मेस्टन रोड, कानपुर।	वाणिज्य (थोक व फुटकर व्यापार)	६	३	५२
३८०	टेक्स्टाइल मिल मजदूर यूनियन, नारघाट, मिर्जापुर।	उत्पादन (वस्त्र)	२१	८	५२
३८१	प्लाइवुड कर्मचारी यूनियन, प्लाईवुड कालोनी, हुसेनगंज, सीतापुर।	उत्पादन (लकड़ी व कार्क)	२६	८	५२

१	२	३	४		
३८२	बिजलीघर मजदूर सभा, आर० पी० दुबे, का घर, मार्फत डा० कुँवर माधोसिंह, कटरा बाजीराय, मिर्जापुर।	बिजली	७	६	५२
३८३	शाप्स एण्ड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेन्ट एम्प्लाईज़ यूनियन, १४७।६ गोपीनाथ रोड, बारूदखाना, लखनऊ।	वाणिज्य (थोक व फुटकर व्यापार)	८	६	५२
३८४	प्लाइवुड मजदूर यूनियन, हुसेनगंज, सीतापुर।	उत्पादन (लकड़ी व कार्क)	६	६	५२
३८५	साइण्टिफिक इन्स्ट्रूमेंट कर्मचारी संघ, १२, हेस्टिंग्स रोड, इलाहाबाद।	विविध	६	६	५२
३८६	चीनी मिल श्रमजीवी संघ, पो० आ० छितौनी, जि० देवरिया।	उत्पादन (खाद्य)	१२	६	५२
३८७	आल इण्डिया पेट्रोलियम एम्प्लाईज़ यूनियन ११, मालरोड, हजरतगंज, लखनऊ।	वाणिज्य (थोक व फुटकर व्यापार)	१२	६	५२
३८८	नगरपालिका अध्यापक संघ, शहर कांग्रेस मजदूर कार्यालय, अमीनाबाद, लखनऊ।	सेवाएँ (शिक्षा)	१५	६	५२
३८९	आई० सी० आई० कानपुर (डिवीज़न) स्टाफ़ यूनियन, मार्फत सोशलिस्ट पार्टी आफिस, ४३।२२६, मेस्टन रोड, कानपुर।	सेवाएँ	१५	६	५२
३९०	हिन्दुस्तान इन्श्योरेन्स एम्प्लाईज़ एसोसियेशन, कानपुर ब्रांच, २६।५० बिरहाना रोड कानपुर।	वाणिज्य (बीमा)	२५	६	५२
३९१	मजदूर सभा, मोदी ग्लिसरीन कास्मेटिक सोप वर्क्स, मोदीनगर मार्फत श्री सेवाराम पथिक, मोदी शुगर मिल्स मोदीनगर, मेरठ।	उत्पादन (रसायन वस्तुएँ)	२६	६	५२
३९२	बांसगांव तहसील हैण्डलूम वर्कर्स यूनियन, गोरखपुर, मोहल्ला लालगंज, बदीउज्ज़मा का घर, बरहलगंज, गोरखपुर।	उत्पादन (वस्त्र)	३	१०	५२
३९३	राष्ट्रीय मजतूर सभा मोदी तेल पेण्ट फैक्टरी, मोदीनगर (मेरठ) मोदी शुगर मिल्स, मोदीनगर, मेरठ।	उत्पादन (खाद्य)	२१	१०	५२
३९४	हिन्दुस्तान डिस्टिलरी मजदूर सभा गोला गोकरननाथ (खेरी) शुगर मिल गोला गोकरननाथ, खेरी।	उत्पादन (खाद्य पेय तथा तम्बाकू)	२७	१०	५२

१	२	३		४	
३६५	लखनऊ एलेक्ट्रिक व सैनिटरी मजदूर सभा लखनऊ ओल्ड हैदराबाद, मकान नं० ११३, लखनऊ।	बिजली	२७	१०	५२
३६६	लखनऊ नेशनल प्रेस बुकडिपो व कार्टन फैक्टरी वर्कर्स यूनियन, लखनऊ नवल-किशोर रोड मार्फत टी० के० प्रेस लखनऊ।	उत्पादन छपाई व प्रकाशन	२७	१०	५२
३६७	चमड़ा मजदूर पंचायत कानपुर, १०६। २२१, जवाहरनगर, कानपुर।	उत्पदन फुटवियर चमड़ा वस्तुएँ	२८	१०	५२
३६८	रेलवे कुली यूनियन, अलीगढ़, अलीगढ़ जंक्शन, अलीगढ़।	परिवहन (रेलवे)	२८	१०	५२
३६९	अपर यमुना इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन, मेरठ, २६५ स्वामीपारा स्ट्रीट मेरठ सिटी।	बिजली	५	११	५२
४००	इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन, कानपुर, कानपुर।	उत्पादन (मशीनरी)	७	११	५२
४०१	वर्कर्स यूनियन स्टैण्डर्ड रिफाइनरी एण्ड डिस्टिलरी लि०, उन्नाव, कमला मैदान उन्नाव।	उत्पादन (पेय)	११	११	५२
४०२	राष्ट्रीय मजदूर यूनियन, मोदी शुगर मिल्स, मोदीनगर, मेरठ डी।२०, मदनपुरा पो० आ० मोदीनगर, जि० मेरठ।	चीनी उत्पादन (खाद्य)	१७	१२	५२
४०३	सफाई मजदूर यूनियन, झाँसी, मानिक चौक, झाँसी।	सैनिटरी सेवाएँ	२१	११	५२
४०४	इलाहाबाद डिस्टिलरी कर्मचारी संघ, १२ बी, हेस्टिंग्स रोड, इलाहाबाद।	उत्पादन (पेय)	२६	११	५२
४०५	दि एसोशियेटेड जर्नल्स एम्प्लाईज यूनियन लखनऊ, नेशनल हेराल्ड, कैसरबाग, लखनऊ।	उत्पादन (छपाई)	१	१२	५२
४०६	हरिजन यूनियन, फैक्टरी मे० बनारसीशाह चरन सिंह, रुड़की, सहारनपुर	विविध	२	१२	५२

१	२	३	४		
४०७	नेशनल प्रेस मज़दूर यूनियन, इलाहाबाद १४६-ए, साउथ मलाका, इलाहाबाद।	उत्पादन (छपाई)	८	१२	५२
४०८	माया प्रेस मजदूर संघ, इलाहाबाद, १४६ ए, साउथ मलाका, इलाहाबाद।	,,	८	१२	५२
४०९	इलाहाबाद ला जर्नल प्रेस कर्मचारी संघ इलाहाबाद, १४६-ए, साउथ मलाका, इलाहाबाद।	,,	८	१२	५२
४१०	बीड़ी मज़दूर यूनियन, जि० इलाहाबाद, १६४-ए, साउथ मलाका, इलाहाबाद।	उत्पादन (तम्बाकू)	८	१२	५२
४११	क्लाथ मिल कर्मचारी संघ, १३२, माडेल टाउन बी, गाजियाबाद, जि० मेरठ।	उत्पादन (वस्त्र)	२२	१२	५२
४१२	हिल कार्पेट मजदूर सभा, मिर्जापुर, बेलेज़लीगंज, मिर्जापुर।	,,	२२	१२	५२
४१३	लार्ड कृष्णा टेक्स्टाइल मिल्स वर्कर्स यूनियन सहारनपुर, नखासा बाजार, सहारनपुर।	,,	२२	१२	५२
४१४	कैण्टूनमेन्ट मेहतर यूनियन, बरेली, गुरुद्वारा, सदर बाजार, बरेली।	सैनिटरी (सेवाएँ)	२६	१२	५२
४१५	श्री गिरराज मोटर आपरेटर्स यूनियन, मथुरा, दाग दरवाज़ा, मथुरा।	परिवाहन (मोटर)	६	१	५३
४१६	म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, बीसलपुर, जि० पीलीभीत, बख्तावरलाल प्राइमरी स्कूल, बीसलपुर।	सेवाएँ	६	१	५३
४१७	जनरल ग्लास वर्कर्स यूनियन बिजनौर, बसीकीरतपुर, बिजनौर।	उत्पादन (रसायन वस्तुएँ)	१३	१	५३
४१८	ढलाई यूनियन राज इंजीनियरिंग वर्क्स ज़ि०, सीतापुर तलैया के तीर, लोहार बाग, सीतापुर।	उत्पादन (बेसिक धातु उद्योग)	१५	१	५३
४१९	पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन उत्तर प्रदेश, कानपुर, १०५।५२८ आनन्दबाग, कानपुर	वाणिज्य (थोक व फुटकर व्यापार)	१६	१	५३
४२०	स्वदेशी काटन मिल क्लर्क्स एण्ड जनरल स्टाफ़ यूनियन कानपुर, जे० एच० आर०, ३६जूही कलां, हमीरपुर रोड, कानपुर।	उत्पादन (वस्त्र)	१६	१	५३

१	२	३	४		
४२१	रबड़ मिल मज़दूर यूनियन डि० मेरठ, बागपत रोड, साबुन गोदाम, शेरा मन्दिर के पास, मेरठ।	उत्पादन (रबड़)	२४	१	५३
४२२	गाज़ियाबाद आइरन एण्ड स्टील वर्कर्स एसोसिएशन, गाजियाबाद, मकान नं०३११ आर्यनगर, गाजियाबाद, मेरठ।	उत्पादन (धातु उद्योग)	२४	१	५३
४२३	पीपल आइरन स्टील मज़दूर यूनियन, कानपुर, ५६ रामनगर (दर्शनपुरवा), कानपुर।	,,	३	२	५३
४२४	कर्मचारी यूनियन सक्सेरिया शुगर मिल, बभनान, जिला गोंडा।	उत्पादन (खाद्य)	४	२	५३
४२५	विमको वर्कर्स यूनियन, बिहारी पुरा, आर्य-समाज गर्ल्स स्कूल के पास, बरेली।	उत्पादन (नान मेटल मिनरल प्रोडक्ट)	६	२	५३
४२६	भारत कला केन्द्र लि० मजदूर यूनियन, गोविन्द पुरी, मोदीनगर, मकान नं० २३३, गोविन्द पुरी, मोदीनगर, जिला मेरठ।	उत्पादन (वस्त्र)	१०	२	५३
४२७	दि इलाहाबाद बीड़ी मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, इलाहाबाद, ५० एस० सी० बसु रोड, चक, इलाहाबाद।	उत्पादन (तम्बाकू)	२०	२	५३
४२८	रिक्शा मजदूर यूनियन, तिलक हाल, ए. वी. रोड, कानपुर।	परिवहन (अन्य)	२१	२	५३
४२९	श्री मेहतर यूनियन, हापुड़, मेरठ गेट के पास, हापुड़, जि० मेरठ।	सैनिटरी (सेवाएँ)	२३	२	५३
४३०	यू० पी० सहकारी बैङ्क कर्मचारी संघ, लखनऊ, मार्फत रामरतन वाजपेयी रोड, नरही, लखनऊ।	वाणिज्य (बैंकिंग)	२६	२	५३
४३१	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मज़दूर संघ, बनारस, काशी हिन्दू यूनिवर्सिटी मार्फत श्री नेत सिंह, बनारस।	सेवाएँ (शिक्षा)	५	३	५३
४३२	प्रेस कर्मचारी यूनियन, मथुरा, लक्ष्मी होटल बिल्डिंग, मथुरा।	उत्पादन (छपाई)	१९	३	५३
४३३	रमेश मेटल वर्कर्स मज़दूर यूनियन, मुहल्ला असालतपुरा, हाजी का कुआँ के पास, मुरादाबाद।	उत्पादन (धातु वस्तुयें)	१९	३	५३

१	२	३	४		
४३४	पाल मेटल वर्क्स मज़दूर यूनियन, मु० असालतपुरा हाजी का कुआँ के पास, मुरादाबाद ।	उत्पादन (धातु वस्तुएँ)	१६	३	५३
४३५	बीड़ी मजदूर परिषद्, रायबरेली, कल्बे अब्बास मंज़िल, रायबरेली,	उत्पादन (तम्बाकू)	३०	३	५३
४३६	टेकनिकल प्रेस कर्मचारी संघ इलाहाबाद, १४६-ए, साउथ मलाका, इलाहाबाद ।	उत्पादन (छपाई)	३१	३	५३
४३७	लक्ष्मणदास बरफखाना कर्मचारी यूनियन, शहामतगंज, बरेली मार्फत आई० एन० टी० यू० सी० रीजनल आफिस, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बरेली ।	विविध	४	४	५३
४३८	श्रमजीवी हितकारी संघ, अपर जमना वैली इलेक्ट्रिक वर्क्स, मेरठ धरमशाला, बुढ़ाना गेट, मेरठ शहर ।	बिजली	४	४	५३
४३९	गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन, कोटद्वारा, गढ़वाल ।	परिवहन (मोटर)	११	४	५३
४४०	आटा चक्की कारबारी संघ, बनारस, फतेहराम का बगीचा, बरियार सिंह, सी ६।५८, चेतगंज, बनारस ।	वाणिज्य (अन्य)	१७	४	५३
४४१	सिनेमा एम्प्लाईज़ यूनियन, मेरठ, गली सेठान सरायलाल दास, मेरठ ।	विविध	१८	४	५३
४४२	काँच कर्मचारी संघ नैनी, इलाहाबाद, २५५ शाहगंज, इलाहाबाद ।	उत्पादन (रसायन वस्तुएँ)	२०	४	५३
४४३	इलाहाबाद प्रेस वर्कर्स यूनियन, इलाहाबाद ४१, सब्जी मण्डी, इलाहाबाद ।	उत्पादन (छपाई)	२१	४	५३
४४४	बीड़ी मजदूर यूनियन, भदोही, जिला बनारस ।	उत्पादन (तम्बाकू)	२४	४	५३
४४५	आजाद हिन्द मज़दूर यूनियन, फीरोजाबाद (आगरा), शिकोहाबाद, मुहम्मदगंज, फीरोजाबाद, आगरा ।	उत्पादन (रसायन वस्तुएँ)	२८	४	५३
४४६	कानपुर चमड़ा मिल्स कर्मचारी यूनियन, कानपुर, ८७।५, हीरागंज, जरीब की चौकी, कानपुर ।	उत्पादन (चमड़ा वस्तुएँ)	१४	५	५३

१	२	३	४		
४४७	जलकल कर्मचारी संघ, देहरादून, ३२ रायपुर रोड, देहरादून।	जल	१४	५	५३
४४८	श्री सीताराम शुगर मिल मज़दूर यूनियन, बैतालपुर (देवरिया), पो० बैतालपुर, जिला देवरिया।	उत्पादन (खाद्य)	२०	५	५३
४४६	वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ, वृन्दावन (मथुरा), पूनावाली धर्मशाला, वृन्दावन, मथुरा।	जल	२०	५	५३
४५०	राष्ट्रीय पल्लेदार संघ, कानपुर, महात्मा-गांधी विद्यालय, ७० कौशलपुरी, कानपुर।	परिवाहन (अन्य)	२०	५	५३
४५१	सिनेमा एम्प्लाईज़ यूनियन, लखनऊ मार्फत ई० एस० बेग, दूकान नं० ४२, हजरतगंज, लखनऊ।	विविध	२०	५	५३
४५२	बीड़ी वर्कर्स यूनियन, रामपुर बाजार, सफदर गंज, रामपुर।	उत्पादन (तम्बाकू)	२०	५	५३
४५३	गन्ना समिति कर्मचारी संघ फैजाबाद, हंसू कटरा, फैजाबाद।	कृषि एवं अन्य सम्बन्धित कार्यवाहियाँ (अन्य)	२३	५	५३
४५४	वानगार्ड प्रेस कर्मचारी संघ इलाहाबाद, १ लीडर रोड, इलाहाबाद।	उत्पादन (छपाई)	२५	५	५३
४५५	कानपुर किराना कर्मचारी समिति, कानपुर, ४६।७६, साथी कार्यालय, नौघड़ा कानपुर।	वाणिज्य	२५	५	५३
४५६	थाली छिलाई मज़दूर (यूनियन) मुरादाबाद, मुहल्ला बबयान, मुरादाबाद।	उत्पादन (धातु वस्तुयें)	२६	५	५३
४५७	भाटिया सेफ वर्क्स मजदूर यूनियन कानपुर मार्फत आर० एस० पी० आफिस, आर० एन० ५६, दर्शनपुरवा, कानपुर।	उत्पादन (बेसिक धातु उद्योग)	३०	५	५३
४५८	भारत होम्यो फार्मेसी कर्मचारी संघ, लखनऊ, पो० बाक्स नं० ८८, नज़रबाग लखनऊ।	उत्पादन (रसायन)	३०	५	५३
४५६	गल्ला तिलहन किराना दलाल सभा, प्रयाग (यू० पी०) ११२।३५, आर्यनगर, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद।	विविध	१	६	५३

१	२	३	४		
४६०	मजदूर सभा आगरा, पो० आ० के पास, जेवनी मण्डी, आगरा।	उत्पादन	१	६	५३
४६१	जीवनमल एण्ड कं० मजदूर यूनियन, कानपुर,मार्फत आर० एस० पी० आफिस, आर० एन०।५६ दर्शनपुरवा, कानपुर।	विविध	२	६	५३
४६२	इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन, हल्द्वानी, तिकोनिया रोड, जिला नैनिताल।	बिजली	६	६	५३
४६३	ढलाई तथा सैनिटरी कर्मचारी संघ, आगरा, २२७ नामनेर, आगरा।	उत्पादन (बेसिक धातु उद्योग)	८	६	५३
४६४	मोदी आयल एण्ड पेण्ट मिल्स मजदूर यूनियन, मोदीनगर, डिस्ट्रिक्ट मेरठ।	उत्पादन (रसायन वस्तुएँ)	११	६	५३
४६५	बोन मिल मजदूर यूनियन मगरवारा, पो० मगरवारा (उन्नाव)।	विविध	२४	६	५३
४६६	मजदूर सभा फीरोजाबाद, स्टेशन रोड, फीरोजाबाद, जि० आगरा।	उत्पादन (रसायन वस्तुएँ)	४	७	५३
४६७	लक्ष्मीरतन काटन मिल वर्कर्स यूनियन कानपुर, १०६।२५४ रामकृष्णनगर, कानपुर।	उत्पादन (वस्त्र)	४	७	५३
४६८	काटन मिल मजदूर यूनियन, लखनऊ, पो० मवइया, ग्राम चित्ताखेरी, लखनऊ।	,,	४	७	५३
४६९	रेलवे पोर्टर्स एण्ड कुलीज़ यूनियन, देहरादून, १६ स्टैण्डर्ड होटल, गाँधी रोड, देहरादून।	परिवहन (रेलवे)	६	७	५३
४७०	मजदूर सभा मोदी बिस्कुट एण्ड कन्फेक्शनरी फैक्टरी, मोदीनगर (मेरठ), मोदीनगर (मेरठ)।	उत्पादन (खाद्य)	७	७	५३
४७१	मोटरचालक संघ, बनारस, काशी नगरी, बनारस शहर।	परिवहन (मोटर)	७	७	५३
४७२	चमड़ा मजदूर यूनियन, कानपुर, ११।३६५, सूटरगंज, कानपुर।	उत्पादन (चमड़ा)	८	७	५३
४७३	स्पिनिंग मिल्स वर्कर्स यूनियन, आगरा, जान्स मिल्स आफिस, जठी का बाग, आगरा।	उत्पादन (वस्त्र)	१७	७	५३

१	२	३	४		
४७४	यू० पी० मोटर कर्मचारी मण्डल, कानपुर, २८।१०६ फीलखाना, कानपुर।	परिवहन (मोटर)	२५	७	५३
४७५	शक्कर मजदूर यूनियन, (गोला) जिला खेरी, एच० एस० मिल्स, गोला गोकरननाथ, जिला खेरी।	उत्पादन (खाद्य)	२५	७	५३
४७६	लोअर गैञ्जेज जमुना एलक्ट्रिक कर्मचारी संघ, हाथरस, दिल्लीवाला मोहल्ला, हाथरस, जि० अलीगढ़।	बिजली	२५	७	५३
४७७	सिनेमा कर्मचारी संघ, अलीगढ़, पक्की सराय, अलीगढ़।	विविध	२५	७	५३
४७८	प्रेस कर्मचारी संघ, आगरा, सूरजभान का गेट, बेलनगंज, आगरा।	उत्पादन (छपाई)	२५	७	५३
४७९	भारतीय ग्रामीण मजदूर संघ, लखनऊ, शाहंशाह मंजिल, बारूदखाना, गोलागंज, लखनऊ।	कृषि (अन्य)	२६	७	५३
४८०	सहारनपुर इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन, सहारनपुर, नखास बाजार, सहारनपुर।	उत्पादन (मशीनरी)	३	८	५३
४८१	लखनऊ मोटर ड्राइवर्स यूनियन, लखनऊ, चारबाग, लखनऊ।	परिवहन (मोटर)	१३	८	५३
४८२	चद्दर करावट श्रमिक संघ, मिर्जापुर, बुन्देलखण्डी, मिर्जापुर।	उत्पादन (धातु वस्तुएँ)	२६	८	५३
४८३	जय हिन्द मजदूर सभा, बनारस, चौकाघाट, बनारस।	उत्पादन (वस्त्र)	२८	८	५३
४८४	तहसील चन्दौली तथा मुगलसराय व रामनगर इक्का, ताँगा व रिक्शा कांग्रेस यूनियन, बनारस, दुल्हीपुर, मुगलसराय, बनारस।	परिवहन (अन्य)	२६	८	५३
४८५	सम्मेलन कर्मचारी संघ, प्रयाग, (इलाहाबाद), सम्मेलन मार्ग, प्रयाग।	विविध	१४	९	५३
४८६	ओरियण्टल गवर्नमेंट सक्योरिटी लाइफ़ एश्योरेन्स कम्पनी लि० (कानपुर आफिस), एम्प्लाईज यूनियन, १०४ ए।३३, रामबाग, कानपुर।	वाणिज्य (बीमा)	१४	९	५३

१	२	३	४		
४८७	बिविनेसमैन यूनियन, दयालबाग रोड, दयालबाग, आगरा, अशोक रेस्टोरेएट, दयालबाग, आगरा।	वाणिज्य (थोक व फुटकर व्यापार)	१८	६	५३,
४८८	कामगर यूनियन, ऐरा (लखीमपुर) कयर आफ गोविन्द शुगर मिल, ऐरा, लखीमपुर खीरी।	उत्पादन (खाद्य)	२३	६	५३
४८९	इण्डस्ट्रियल आयल मिल वर्कर्स यूनियन, एतमादपुर (आगरा), एतमादपुर, आगरा।	उत्पादन (खाद्य)	२६	६	५३
४९०	राष्ट्रीय लोहा मजदूर कांग्रेस, कानपुर, ८७।५, हीरागंज, कानपुर।	उत्पादन (बेसिक धातु उद्योग)	३०	६	५३
४९१	मुरादाबाद इण्डस्ट्रियल फैक्टरीज़ एसोसिएशन, मुरादाबाद, ठठेरी स्ट्रीट, मुरादाबाद।	विविध	६	१०	५३
४९२	कानपुर बाजार कर्मचारी समिति, कानपुर, ४६।७६, नौघडा, कानपुर।	वाणिज्य (थोक व फुटकर व्यापार)	६	१०	५३
४९३	प्राविन्शियल आउट स्टेशन चीनी मिल मजदूर यूनियन, भटनी।	उत्पादन (खाद्य)	१०	१०	५३
४९४	म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियशन, नगीना (जिला बिजनौर), म्युनिसिपल स्कूल, बारहदरी, नगीना, जिला बिजनौर।	सेवाएँ	३१	१०	५३
४९५	टुबैको डीलर्स एसोसिएशन, मुरादाबाद, पुजारीगली, मुरादाबाद।	वाणिज्य (थोक व फुटकर व्यापार)	२	११	५३
४९६	यू० पी० टुबैको एम्प्लाईज़ एसोसिएशन, कानपुर, मालरोड, वेस्ट काट बिल्डिंग के सामने, कानपुर।	उत्पादन (तम्बाकू)	११	११	५३
४९७	आदर्श न्योली मिल कर्मचारी यूनियन, न्योली (एटा) मार्फत न्योली शुगर फैक्टरी कालोनी, डाकघर न्योली, जिला एटा।	उत्पादन (खाद्य)	११	११	५३
४९८	मेरठ बुलन्दशहर मोटर एसोसिएशन, मेरठ मोटर स्टैण्ड, सोहराबगेट, हापुड़ रोड, मेरठ।	परिवहन (मोटर)	११	११	५३

१	२	३	४		
४६६	मोटर ड्राइवर्स कन्डक्टर यूनियन, मुजफ्फरनगर, शामली रोड, चुंगी नं० ३ के सामने, मुजफ्फरनगर।	परिवहन (मोटर)	१३	११	५३
५००	प्लास्टिक मजदूर यूनियन, कानपुर, ६५।४७, हाता पं० प्रेमनारायण शुक्ल, फजलगंज चौराहा, कानपुर।	उत्पादन (अन्य)	१३	११	५३
५०१	तार जाली मजदूर यूनियन, बनारस, डी० ५०।२०, काजीपुरा कलाँ, बनारस।	उत्पादन (बेसिक धातु उद्योग)	१७	११	५३
५०२	एग्रीकल्चर इन्स्टीच्यूट एम्प्लाईज़ यूनियन, इलाहाबाद, ७ सब्जीमण्डी, इलाहाबाद।	कृषि	१७	११	५३
५०३	स्टील बाक्स वर्कर्स यूनियन, बनारस, रिजवी कुआँ चौक, बनारस।	उत्पादन (धातु वस्तुएँ)	१७	११	५३
५०४	दि बनारस सिल्क मिल्स मजदूर यूनियन, बनारस, एस० ११।१५, चौकाघाट बनारस।	उत्पादन (वस्त्र)	१७	११	५३
५०५	राष्ट्रीय जूट मिल मजदूर संघ कानपुर, महात्मा गांधी विद्यालय, ७०, कौशलपुरी, कानपुर।	,,	१८	११	५३
५०६	कालेज एवं स्कूल कर्मचारी संघ, लखनऊ, कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ।	सेवाएँ	१६	११	५३
५०७	बाल्मीकि संघ, अलमोड़ा, बाल्मीकि ब ती, अलमोड़ा।	सैनिटरी	५	१२	५३
५०८	जिला तेल मिल मजदूर संघ भरथना, इटावा, स्टेशन रोड, भरथना, इटावा।	उत्पादन (खाद्य)	७	१२	५३
५०९	मिर्जापुर कार्पेट मजदूर सभा मिर्जापुर, वेलेजली गंज, मिर्जापुर।	उत्पादन (वस्त्र)	६	१२	५३
५१०	मेरठ सरधना पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मेरठ मार्फत मोटर स्टैंड, चिरधुर, मेरठ।	परिवहन (मोटर)	१४	१२	५३
५११	ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन शाहजहाँपुर, खिरनी बाग, शाहजहाँपुर।	परिवहन (अन्य)	१५	१२	५३
५१२	मेहतर मजदूर सभा कानपुर, १२।४७३ ग्वालटोली, कानपुर।	सैनिटरी	१७	१२	५३

१	२	३	४		
५१३	रिक्शा मजदूर यूनियन सहारनपुर, रेलवे रोड, सहारनपुर।	परिवहन (अन्य)	२१	१२	५३
५१४	कानपुर लोहा कारीगर यूनियन, कानपुर, ७६।५७१, कुली बाजार, कानपुर।	उत्पादन (बेसिक धातु उद्योग)	२१	१२	५३
५१५	भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश, कानपुर, ११०।१२६ रामकृष्णनगर, कानपुर।	विविध	२२	१२	५३
५१६	शाप एन्ड कामर्शियल वर्कर्स यूनियन कानपुर, ८७।५, हीरागंज, कानपुर।	वाणिज्य (व्यापार)	५	१	५४
५१७	उत्तर प्रदेशीय स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ, बनारस, ४६५।४० कबीरचौरा बनारस।	विविध	६	१	५४
५१८	बनारस इंजीनियरिंग मजदूर सभा, १०।६, नकुलगंज, बनारस।	उत्पादन (मशीनरी)	६	१	५४
५१९	राष्ट्रीय टेक्सटाइल मजदूर यूनियन, कानपुर, ११।३६५ सूटरगंज, कानपुर।	उत्पादन (वस्त्र)	६	१	५४
५२०	टर्पेंएटाइन रोज़िन एन्ड बाबिन फैक्टरीज़ लेबर यूनियन, बरेली, बिहारीपुर, आर्यसमाज गर्ल्स स्कूल, बरेली के पास।	उत्पादन (रसायन वस्तुएँ)	६	१	५४
५२१	राष्ट्रीय मेहतर मजदूर यूनियन, कानपुर, तिलकहाल, कानपुर।	सैनिटरी (सेवायें)	३०	१	५४
५२२	लाल इमली मिस्त्री यूनियन, कानपुर १०६।२२१, जवाहरनगर, कानपुर।	उत्पादन (वस्त्र)	३०	१	५४
५२३	गन्ना मजदूर सभा (बिजनौर) बालावली, जिला बिजनौर।	उत्पादन (खाद्य)	२	२	५४
५२४	उत्तर प्रदेश मजदूर यूनियन, कानपुर, १०५।२६३ गांधी चौक, कानपुर।	विविध	४	२	५४
५२५	राज मजदूर यूनियन, कानपुर, १०३।२७१ कर्नलगंज, कानपुर।	निर्माण	५	२	५४
५२६	अथर्टन वेस्ट मिल्स क्लर्क एण्ड जेनरल स्टाफ़ यूनियन, कानपुर, १०६।२२१, जवाहरनगर, कानपुर।	उत्पादन (वस्त्र)	१३	२	५४
५२७	श्री राधे रोलिंग मिल्स मजदूर यूनियन, मुरादाबाद मोहल्ला असलतपुरा, हाजी के कुँआ के पास, मुरादाबाद।	उत्पादन (बेसिक धातु वस्तुएँ)	१५	२	५४

१	२	३		४	
५२८	बिजनौर शुगर मिल वर्कर्स यूनियन, बिजनौर, केयर आफ एस० बी० शुगर मिल्स, बिजनौर।	उत्पादन (खाद्य)	१६	२	५४
५२९	बरफखाना मजदूर यूनियन, बनारस, गी।६ ।५८ चंदुआ हबीबपुरा, बनारस।	वाणिज्य (अन्य)	२०	२	५४
५३०	रेलवे कुली यूनियन, बनारस, १६।५८ चंदुआ हबीबपुरा, विद्यापीठ रोड, बनारस।	परिवहन (रेलवे)	२३	२	५४
५३१	सिसवा बाजार बीड़ी मजदूर यूनियन, गोरखपुर, सिसवा बाजार, गोरखपुर।	उत्पादन (तम्बाकू)	२४	२	५४
५३२	इंटरनेशनल रबर मिल एम्प्लाईज यूनियन, मेरठ, १२५ बेगमाबाद, मंदिर के निकट, मेरठ सिटी।	उत्पादन (रबर)	२५	२	५४
५३३	दून मोटर कर्मचारी संघ, देहरादून, ७२ गांधीरोड, देहरादून।	परिवहन (मोटर)	५	३	५४
५३४	कानपुर माली संघ, २२।१२४ फीलखाना, कानपुर।	कृषि तथा सम्बंधित कार्य (अन्य)	५	३	५४
५३५	फारवर्ड बिजिनेस एम्प्लाईज़ एसोसियेशन आफ नार्दर्न इंडिया कानपुर, ६५।१२३, मोती मोहाल, कानपुर।	विविध	१०	३	५४
५३६	नार्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन, गोरखपुर, ३३३ अलीनगर, गोरखपुर।	परिवहन (रेलवे)	६	३	५४
५३७	राष्ट्रीय रिक्शा श्रमिक यूनियन, कानपुर, ४४८, फेथफुलगंज, कानपुर।	परिवहन (अन्य)	१०	३	५४
५३८	ब्रास शीट मिल वर्कमेन्स ट्रेड यूनियन, मुरादाबाद अपर स्टोरी, ब्रिएटन पुस्तकालय भवन, अमरोहा गेट, मुरादाबाद।	उत्पादन (बेसिक धातु वस्तुएँ)	१६	३	५४
५३९	फारेस्ट मजदूर यूनियन, कोटद्वारा, गढ़वाल, कोटद्वारा, जिला गढ़वाल।	ईंधन तथा कार्क	२२	३	५४
५४०	रेलवे कुली मजदूर सभा, बनारस, १०।६ नकुलगंज, बनारस।	परिवहन (रेलवे)	२४	३	५४
५४१	औषधालय वर्कर्स यूनियन, मथुरा, घियामंडी, मथुरा।	उत्पादन (रसायन और रसायन वस्तुएँ)	२४	३	५४
५४२	सहारनपुर मुजफ्फरनगर मोटर वर्कर्स यूनियन, सहारनपुर।	परिवहन (मोटर)	८	४	५४

१	२	३	४		
५४३	आर्डनेन्स क्लर्क एसोसियेशन, कानपुर १०६।७० ए गांधीनगर, कानपुर।	सेवायें	१२	४	५४
५४४	डब्लू० ए० बरी एन्ड कं० लि० स्टाफ़ यूनियन (कानपुर ब्राँच) कानपुर, ८।१०३ आर्यनगर कानपुर।	सेवायें	१२	४	५४
५४५	रजा टेक्सटाइल जेनरल आफिस, एम्प्लाईज़ यूनियन, रामपुर, सराय पुख्ता के पीछे, रामपुर।	उत्पादन (वस्त्र)	१४	४	५४
५४६	दि एम्प्लाईज़ एसोसियेशन म्युनिसिपल बोर्ड, सहारनपुर, थाना मंडी, अब्दुल सलाम रोड, सहारनपुर।	सेवायें	१७	४	५४
५४७	सी० ओ० डी० कर्मचारी यूनियन, कानपुर १, रानीहाल, बिरहाना रोड, कानपुर।	सेवायें	२०	४	५४
५४८	आडनेन्स फैक्टरी कर्मचारी यूनियन, कानपुर, १०३।एच अर्मापुर, कानपुर।	उत्पादन (वस्त्र) और जूते इत्यादि)	२०	४	५४
५४९	नान इंडस्ट्रियल एम्प्लाईज़ एसोसियेशन, आर्डनेन्स पैराशूट फैक्ट्री, कानपुर, १०, खपड़ा मोहाल, कानपुर।	,,	२२	४	५४
५५०	मोटर ड्राइवर सभा मिर्जापुर, सैयद यूसुफ इमाम का बंगला, बेलेज़लीगंज, मिर्जापुर।	परिवहन (मोटर)	२२	४	५४
५५१	राष्ट्रीय मजदूर यूनियन, अयोध्या शुगर मिल, राजा का सहसपुर (मुरादाबाद) मिल क्वार्टर अयोध्या शुगर मिल, राजा का सहसपुर, मुरादाबाद।	उत्पादन (खाद्य)	२३	४	५४
५५२	इन्सपेक्ट्रेट एम्प्लाईज़ यूनियन, कानपुर १५।२५ सिविल लाइन, कानपुर।	सेवाएँ	२३	४	५४
५५३	यू० पी० तेल मिल मजदूर पंचायत, कानपुर १०५।२३४, चमनगंज, कानपुर।	उत्पादन (खाद्य)	२७	४	५४
५५४	टोल टैक्स कर्मचारी यूनियन, गाजियाबाद (मेरठ) २२३ एफ ६ मुकन्दनगर, हापड़ रोड, गाजियाबाद (मेरठ)।	विविध	२६	४	५४

१	२	३	४		
५५५	म्यूनिसिपल एम्प्लाईज़ यूनियन, हलद्वानी, तिकोनिया चुंगी हलद्वानी के पास, जिला नैनीताल।	सेवाएँ	५	५	५४
५५६	मेरठ डेरीज़ एसोसियेशन मेरठ, २७७।१ दुर्गा-भवन, बेगम बाग, मेरठ।	उत्पादन (खाद्य)	५	५	५४
५५७	आदर्श मजदूर यूनियन रत्ना शुगर मिल, शाहगंज (जिला जौनपुर) केयर आफ रतना शुगर मिल्स लि०, शाहगंज, जि० जौनपुर।	,, ,,	८	५	५४
५५८	मिल कर्मचारी संघ आगरा, सूरजभान का फाटक, बेलनगंज, आगरा।	,, ,,	८	५	५४
५५६	कामर्शियल एम्प्लाईज़ यूनियन आगरा, सूरजभान का फाटक, बेलनगंज, आगरा।	वाणिज्य (व्यापार)	१०	५	५४
५६०	सुपरवाइज़री स्टाफ़ एसोसियेशन आर्डनेन्स फेक्टरी और इन्स्पेक्टरेट, अर्मापुर स्टेट, कानपुर।	सेवाएँ	१८	५	५४
५६१	भारतीय मजदूर यूनियन महोली, सीतापुर, क्वार्टर नं० ५, जी० पी० गुप्ता शुगर मिल, महोली, जि० सीतापुर।	उत्पादन (खाद्य)	१८	५	५४
५६२	शराब व शक्कर मिल मजदूर संघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी दफ्तर, सदर बाजार, उन्नाव।	उत्पादन (पेय)	२२	५	५४
५६३	सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन मास्टर्स ग्रुप यूनियन, झाँसी डिवीजन आगरा, पीपलमंडी, आगरा।	परिवहन (रेलवे)	२२	५	५४
५६४	धोबी यूनियन कानपुर, १२।४७३, ग्वाल-टोली, कानपुर।	विविध	२५	५	५४
५६५	कपड़ा मिल कर्मचारी संघ, लखनऊ सिटी कांग्रेस मजदूर कार्यालय अमीनाबाद, लखनऊ।	उत्पादन (वस्त्र)	२५	५	५४
५६६	यू० जी० बिजली कर्मचारी संघ मुरादाबाद, २६ रदरफोर्ड, सिविल लाइन रोड, मुरादाबाद।	बिजली	२६	५	५४

१	२	३	४		
५६७	लखनऊ एरिया एम० ई० एस० वर्कर्स यूनियन, अम्बिकाप्रसाद धर्मशाला फेथफुलगंज, कानपुर ।	सेवाएँ	२६	५	५४
५६८	संयुक्त मजदूर यूनियन कानपुर (दूसरा मंजिल), आर० एन० ५६ दर्शनपुरवा, कानपुर ।	विविध	१८	६	५४
५६६	रेलवे कुली यूनियन जौनपुर, १६।५१ चंदुवा हबीबपुरा, बनारस ।	परिवहन (रेलवे)	१६	६	५४
५७०	ओपियम फैक्टरी लेबर यूनियन, गाजीपुर, लाल दरवाजा, गाजीपुर ।	उत्पादन (रसायन वस्तुएँ)	१६	६	५४
५७१	बहेरी नोटीफाइड एरिया मजदूर यूनियन, बहेरी, बरेली, बहेरी, जिला बरेली ।	सैनिटरी (सेवाएँ)	१६	६	५४
५७२	पी० डब्लू० डी० वर्कर्स यूनियन, सहारनपुर मार्फत अब्दुल मजीद खाँ, आलमपुरा, सहारनपुर ।	निर्माण	१६	६	५४
५७३	बाल्मीक मजदूर यूनियन देहरादून, १६ स्टैण्डर्ड होटल, गाँधी रोड, देहरादून ।	सैनिटरी सेवाएँ	२६	६	५४
५७४	डिस्टिलरी वर्कर्स यूनियन सहारनपुर मार्फत एहजाज अहमद, फोर्ट नवाबन, सहारनपुर ।	उत्पादन (पेय)	२६	६	५४
५७५	आल इण्डिया एसोसियेशन आफ़० दि० नान गज़टेड आफिसर्स आफ़ दी आर्डनैन्स एण्ड क्लोदिंग फैक्टरीज एण्ड इन्स्पेक्टर इ० आई०।टी।१० आर्मापुर स्टेट, कानपुर ।	उत्पादन (क्लोदिंग और फुटवियर इत्यादि)	२६	६	५४
५७६	इण्डस्ट्रियल मजदूर यूनियन कानपुर, १०५।२६३ गांधीचौक, कानपुर ।	विविध	१	७	५४
५७७	डिस्टिलरी मजदूर यूनियन शामली, जिला मुजफ्फरनगर ।	उत्पादन (खाद्य और पेय)	६	७	५४
५७८	यूनियन कारीगरान लोहा धामपुर, बिजनौर ।	उत्पादन (बेसिक धातु उद्योग)	६	७	५४
५७६	ॠषिकेष म्युनिसिपल कर्मचारी संघ, ऋषिकेश, देहरादून ।	सेवाएँ	१५	७	५४

१	२	३	४		
५८०	यूनियन कमेटी जारदोजान, बनारस, ७।२२७ हरहरबाग, बनारस।	विविध	१५	७	५४
५८१	प्राविंशियल केन डेवलपमेंट कामदार्स एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी ग्राम और पो० आ० ब्रायल, जिला बाराबंकी।	कृषि	१५	७	५४
५८२	जल कल मजदूर सभा कानपुर, १२।१ ग्वालटोली, कानपुर।	जल	१५	७	५४
५८३	जिला मोटर ड्राइवर व कर्मचारी यूनियन हरदोई, हरदोई रोडवेज स्टैण्ड, हरदोई।	परिवहन (मोटर)	१५	७	५४
५८४	सिविलियन एम्प्लाईज़ यूनियन इण्डियन एअरफोर्स, चकेरी, कानपुर, ११०।१४१ रामकृष्ण नगर, कानपुर।	सेवाएँ	१५	७	५४
५८५	जिला दाल मिल मजदूर यूनियन, बनारस, सी १६।५८ चँदुआ हबीबपुरा, बनारस।	उत्पादन (खाद्य)	१६	७	५४
५८६	आर्डनेन्स फैक्टरी मजदूर यूनियन, कानपुर क्वार्टर नं० १६५।आर० ए० अर्मापुर स्टेट, कानपुर।	उत्पादन (क्लोदिग फुटवियर)	१७	७	५४
५८७	राष्ट्रीय तेल मिल मजदूर संघ, हाथरस, सासनी दरवाजा, हाथरस, अलीगढ़।	उत्पादन (खाद्य)	१७	७	५४
५८८	यूनिवर्सिटी कर्मचारी यूनियन लखनऊ, ३२ लाटूश रोड, लखनऊ।	सेवाएँ	१७	७	५४
५८९	उत्तर प्रदेश अस्पताल स्टाफ यूनियन, आगरा, बारा हीरालाल बाग, मुजफ्फर खां, आगरा।	"	१७	७	५४
५९०	जिला मिल मजदूर सभा धामपुर, बिजनौर।	विविध	२४	७	५४
५९१	वेस्टर्न रेलवे लाइसेस पोर्टर्स यूनियन आगरा, टीला काजीपारा, बस स्टैड के सामने।	परिवहन (रेलवे)	२४	७	५४
५९२	टीकाराम आयल मिल वर्कर्स यूनियन अलीगढ़, सोशलिस्ट पार्टी, सुभाष रोड अलीगढ़।	उत्पादन (खाद्य)	२७	७	५४
५९३	बैलेन्स वर्कर्स मजदूर यूनियन, बनारस, के ६५।४० कबीरा चौरा, बनारस।	उत्पादन (धातु वस्तुएँ)	२८	७	५४

१	२	३	४		
५६४	साइकिल रिक्शा यूनियन, नैनीताल।	परिवहन (अन्य)	३०	७	५४
५६५	मुजफ्फरनगर मोटर मालिकान यूनियन, शामली रोड, मुजफ्फरनगर, मोटर स्टैण्ड, मुजफ्फरनगर।	परिवहन (मोटर)	२	८	५४
५६६	आर्डनेन्स वर्कर्स यूनियन मथुरा, सेठ बारा होलीगेट के बाहर मथुरा।	उत्पादन (क्लोदिंग फुटवेयर)	२	८	५४
५६७	जे० के० आर्गेनाइजेशन कानपुर, कमला टावर, कानपुर।	विविध	३	८	५४
५६८	तेल बर्फखाना कर्मचारी संघ, कानपुर, ८७।१७१ जी टी रोड, हीरागंज, कानपुर	विविध	४	८	५४
५६९	बनारस स्कूल एन्ड कालेज कर्मचारी संघ, बनारस, १०।६ हुकुलगंज, बनारस।	सेवाएँ	४	८	५४
६००	एसोशियेटेड ब्यूबवेल लिमिटेड एम्प्लाईज़ यूनियन फ्लैट एफ कान्तीकुंज, ब्लन्ट स्क्वायर, कानपुर रोड, लखनऊ।	विविध	८	८	५४
६०१	दि न्यूज़पेपर्स लि० इम्प्लाईज़ यूनियन इलाहाबाद, लीडर रोड, लीडर भवन, इलाहाबाद।	उत्पादन (छपाई और प्रकाशन)	१२	८	५४
६०२	यू० पी० गवर्नमेण्ट रोडवेज़ वर्कर्स यूनियन, कानपुर, १०५।५२८ आनन्दबाग, कानपुर।	परिवाहन (मोटर)	१६	८	५४
६०३	म्युनिसिपल एम्प्लाईज़ यूनियन, रामपुर, राजद्वार रोड, रामपुर।	सेवाएँ	१८	८	५४
६०४	आई० वी० आर० आई० एम्प्लाईज यूनियन, इज्जत नगर, बरेली।	विविध	२३	८	५४
६०५	महेश्वरी देवी जूट मिल मजदूर यूनियन कानपुर, ७१।१०४ शुतरखाना, कानपुर	उत्पादन (वस्त्र)	२४	८	५४
६०६	पीलीभीत नगरपालिका कर्मचारी संघ पीलीभीत, मार्फत कम्यूनिस्ट पार्टी, ड्रमंडगंज, पीलीभीत।	सेवाएँ	३०	८	५४
६०७	स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ एण्ड कामर्शियल एम्प्लायर्स एसोसियेशन यू० पी०, कोठी केवलसहाय, बेलनगंज, आगरा।	विविध	१	९	५४

१	२	३		४	
६०८	टीकाराम मोटी मिल वर्कर्स यूनियन, अलीगढ़, सोशलिस्ट पार्टी आफिस, सुभाष रोड, अलीगढ़	उत्पादन (अधातु खनिज वस्तुएँ)	२	६	५४
६०६	रेलवे कुली यूनियन, प्रतापगढ़, १६।५८ चंदुआ हबीबपुरा, विद्यापीठ रोड, बनारस।	परिवहन (रेलवे)	१०	६	५४
६१०	बीड़ी मजदूर सभा, मिर्जापुर, चेतगंज, मिर्जापुर	उत्पादन (तम्बाकू)	१३	६	५४
६११	सूती मिल मजदूर सभा कानपुर, ग्वालटोली, कानपुर	उत्पादन (वस्त्र)	१४	६	५४
६१२	केमिकल वर्कर्स लेबर यूनियन, अमरोहा (मुरादाबाद) दरबारा कलां, मुरादाबाद	उत्पादन रसायन	१४	६	५४
६१३	सेन्ट्रल बैंक एम्प्लाईज़ एसोसियेशन, ७२ हजरतगंज, लखनऊ	वाणिज्य (बैंकिंग)	१५	६	५४
६१४	जे० के० होज़री फैक्टरी वर्कमैन यूनियन के०एन० ३४ बम्बारोड, कानपुर	उत्पादन (क्लोदिंग और फुटवेयर इत्यादि	१५	६	५४
६१५	आल इंडिया सेन्ट्रल एक्साइज़ सुपरवाइज़र्स एसोसिएशन, कानपुर, ७० कौशलपुरी, महात्मागांधी विद्यालय, कानपुर	सेवाएँ	१६	६	५४
६१६	यू० पी० प्रेस करेस्पांडेंट्स यूनियन, मुरादाबाद १६, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद	उत्पादन (प्रकाशन तथा सम्बन्धित व्यापार)	१६	६	५४
६१७	पानीकल श्रमिक संघ, बनारस, बी० २०।४७ ए भेलूपुरा, बनारस	जल और सेवाएँ	१६	६	५४
६१८	शुगर मिल मजदूर यूनियन, बलरामपुर (गोंडा), ग्राम भगवतीगंज, पो० आ० बलरामपुर, जिला गोंडा	उत्पादन (खाद्य)	१६	६	५४
६१६	राज मजदूर यूनियन, आगरा, जमुनादास का मकान, राजामंडी, (आगरा)	निर्माण	१८	६	५४
६२०	मजदूर दल फिरोजाबाद (आगरा), स्टेशन रोड, फिरोजाबाद, आगरा	उत्पादन (रसायन वस्तुएँ)	२१	६	५४
६२१	दूकान कर्मचारी मंडल, आगरा, सूरजभान का फाटक, बेलनगंज, आगरा	वाणिज्य (थोक व फुटकर व्यापार)	२१	६	५४

१	२	३	४		
६२२	आर्मी वर्कशाप वर्कर्स यूनियन, मेरठ कंकरखेरा बाजार, मेरठ	उत्पादन (मशीनरी)	२३	६	५४
६२३	टीवरी मजदूर यूनियन, पो० आ० ज्वालापुर, हरद्वार, (सहारनपुर,) जिला सहारनपुर	खदानें (अन्य)	२४	६	५४
६२४	यू० पी० तहवीलदार यूनियन पीलीभीत, साहूकारा, पीलीभीत	सेवाएँ	२६	६	५४
६२५	रज़ा टेक्सटाइल्स मजदूर संघ, रामपुर जी०।२३ ज्वालानगर, रामपुर	उत्पादन (वस्त्र)	१	१०	५४
६२६	व्यापार कर्मचारी मंडल, हरदोई, श्री कैलाशनाथ मिश्रा का मकान, हाइटगंज, हरदोई ।	वाणिज्य	११	१०	५४
६२७	इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टिच्यूट मिनिस्टीरियल स्टाफ यूनियन, इलाहाबाद इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद	सेवाएँ	१६	१०	५४
६२८	विश्वकर्मा शिल्पकारणी सभा, आगरा नीलकंठ मंदिर, सिटी स्टेशन, आगरा	निर्माण	१६	१०	५४
६२९	एम्प्लाईज़ एसोसियेशन आफ गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, गोरखपुर ८३ बक्शीपुर, गोरखपुर ।	सेवाएँ	२१	१०	५४
६३०	टेक्सटाइल मजदूर कांग्रेस, रामपुर के।१६ ज्वालानगर कालोनी, रामपुर ।	उत्पादन (वस्त्र)	२२	१०	५४
६३१	एकाउन्टेंट जेनरल उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन, इलाहाबाद । ७, एलबर्ट रोड, इलाहाबाद ।	सेवाएँ	२३	१०	५४
६३२	उत्तर प्रदेश ब्रिक्स मैनुयूफैक्चरर्स यूनियन, कानपुर ७।१२५ स्वरूप नगर कानपुर	उत्पादन (अधातु वस्तुएँ)	१	११	५४
६३३	मिलिट्री फार्म कर्मचारी यूनियन, आगरा १० ए महात्मा गाँधी रोड, आगरा कैन्ट।	कृषि	१	११	५४
६३४	ट्रान्सपोर्ट एन्ड जेनरल वर्कर्स यूनियन, कानपुर ६६।२ ए चुन्नी गंज, कानपुर ।	परिवहन	८	११	५४

१	२	३		४	
६३५	शंकर मजदूर संघ कैप्टन गज, जिला देवरिया, पो० आ० कैप्टनगंज, देवरिया।	उत्पादन (खाद्य)	११	११	५४
६३६	गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस वर्कर्स यूनियन, सिविल लाइन, अलीगढ़।	उत्पादन (छपाई)	१२	११	५४
६३७	राष्ट्रीय डिस्टिलरी मिल मजदूर यूनियन, ७० कौशलपुरी, कानपुर।	उत्पादन (पेय)	१३	११	५४
६३८	तेल मिल मजदूर सभा, आगरा घाटिया छीली ईंट, आगरा।	उत्पादन (तेल)	१६	११	५४
६३९	लिप्टन कर्मचारी संघ नैनी, इलाहाबाद मजदूर सभा कार्यालय, १ लीडर रोड, इलाहाबाद।	उत्पादन (रैपिंग पैकिंग और फाइलिंग	१८	११	५४
६४०	यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज़ वर्कर्स, यूनियन आगरा रीजन, छीपी टोला रोड बस स्टैंड के पीछे, आगरा।	परिवहन (मोटर)	१६	११	५४
६४१	स्टेशनरी डिपो इम्प्लाईज़ यूनियन कानपुर, मकान नं० १८ भन्नापुर पो० आ० जाजमऊ, कानपुर	सेवाएँ	२०	११	५४
६४२	सीसामऊ बाजार कमेटी, कानपुर १०५।५७८ श्रीनगर, कानपुर।	वाणिज्य (थोक व फुटकर व्यापार)	२२	११	५४
६४३	राष्ट्रीय कर्मचारी यूनियन मोदी शुगर मिल्स लि० सेंट्रल आफिस मोदीनगर, कर्मचारी गेट, मेरठ।	उत्पान (खाद्य)	२२	११	५४
६४४	रोहाना शुगर मिल वर्कर्स यूनियन, रोहाना कलाँ दी अमृत शुगर मिल क्वार्टर पो० आ० रोहाना, जिला मुजफ्फर नगर	उत्पादन (खाद्य)	२२	११	५४
६४५	रिक्शा टाँगा ड्राइवर यूनियन पीलीभीत मार्फत कम्यूनिस्ट पार्टी आफिस बाजार ड्रमडंगज, पीलीभीत।	परिवहन	२३	११	५४
६४६	आलू फल, सब्जी व्यावसायिक संघ ८१।६० सब्जीमन्डी, कानपुर।	खाद्य	२५	११	५४
६४७	कानपुर स्टेशन कुलीज़ यूनियन, कानपुर, ५२।४१ कलक्टरगंज कानपुर।	परिवहन (रेलवे)	२६	११	५४

१	२	३	४		
६४८	मजदूर यूनियन शुगर फैक्ट्री बिसवाँ, जिला सीतापुर।	उत्पादन (खाद्य)	२६	११	५४
६४६	लखनऊ पेपर मिल मजदूर यूनियन, ३२ लाटूश रोड, लखनऊ।	उत्पोदन (कागज)	२६	११	५४
६५०	सिनेमा कर्मचारी संघ गोरखपुर, मार्फत प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आफिस, गोरखपुर।	विविध	६	१२	५४
६५१	कोहिनूर श्रमिक संघ बनारस, मार्फत बलिहारी त्रिपाठी पण्डित लाजभोगा वीर लंका, बनारस ५।	उत्पादन (मशीनरी)	६	१२	५४
६५२	मान इंडस्ट्रीयल इम्प्लाईज़ एसोसियेशन गवर्नमेंट हार्नेस एन्ड सेडिलरी फैक्ट्री, कानपुर १५।३० सिविल लाइन, कानपुर।	सेवाएँ	११	१२	५४
६५३	बिजली कर्मचारी यूनियन (नगर पालिका मुजफ्फर नगर) बाड़ा बाजार हकीम महमुदुल हसन के पास, मुजफ्फरनगर।	बिजली	११	१२	५४
६५४	होटल एण्ड रेस्ट्राँ वर्कर्स यूनियन सुभान नगर, गंगा प्रसाद रोड, लखनऊ।	विविध	१३	१२	५४
६५५	सी० ओ० डी० चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन, २२७ नमनेर, आगरा।	सेवाएँ	१५	१२	५४
६५६	बीड़ी मजदूर यूनियन, गोरखपुर, ५ काजी बिल्डिंग, स्टेशन रोड, गोरखपुर।	बिजली	१६	१२	५४
६५७	उत्तर प्रदेश जल विद्युत कर्मचारी संघ, ५, काजी बिल्डिंग, गोरखपुर।	,,	१६	१२	५४
६५८	टी० डी० ईज़ आई० जी० एस० कर्मचारी यूनियन कानपुर, तिलकहाल, कानपुर।	सेवाएँ	२०	१२	५४
६५६	रोडवेज़ मजदूर यूनियन, इलाहाबाद ४१ सब्जी मन्डी, इलाहाबाद।	परिवहन	२१	१२	५४
२६०	राइस फ्लावर एण्ड आयल मिल्स मजदूर यूनियन, पीलीभीत मार्फत कम्यूनिस्ट पार्टी बाजार रंगेलाल, चौराहा, पीलीभीत।	उत्पादन (खाद्य)	२१	१२	५४

१	२	३	४		
६६१	हरिहर नाथ शास्त्री नगर, दुकानदार संघ, हरिहर नाथ शास्त्री नगर, कानपुर।	वाणिज्य	२२	१२	५४
६६२	सेक्योरिटी इंजिनियरिंग वर्कर्स यूनियन, गोविन्द पुरी, क्वाटर नं० ई० २२३ गोविन्दपुरी, मोदीनगर, जिला मेरठ।	इंजीनियरिंग	२३	१२	५४
६६३	कम्बाइंड सर्विसेज़ लि० वर्कर्स यूनियन मेरठ, सी।११६ गोविन्दपुरी, मोदी-नगर, मेरठ।	विविध	२३	१२	५४

परिशिष्ट ब (२)

३१ दिसम्बर, १९५४ तक या उसके पहिले उत्तर प्रदेश में औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ के अन्तर्गत जिनके स्थायी आदेश प्रमाणित हो चुके हैं, उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सूची

क्रम संख्या	औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम व पता	प्रमाणित होने की तिथि	प्रमाणित होने की तिथि का अन्तिम संशोधन यदि कोई हो
१	२	३	४
१	गीता प्रेस, गोरखपुर	१४ ७ ४७	२१ १२ ४९
२	प्रेम स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०, उझानी, बदायूँ ।	९ ८ ४७	४ ४ ४९ (प्रथम संशोधन)
३	टेलीफोन मैन्युफैक्चरर्स आफ़ इण्डिया लि०, टेलीफोन बिल्डिंग, देहरादून ।	२२ ८ ४७	
४	डायर मेकिन ब्रेवरीज़ लि०, रानीखेत, अल्मोड़ा ।	१ १० ४७	
५	लेदर गुड्स फैक्टरी, दयालबाग, आगरा ।	२७ १० ४७	
६	अमृत वनस्पति कं० लि०, गाजियाबाद, मेरठ ।	२८ १० ४७	
७	इण्डियन प्रेस लि०, इलाहाबाद ।	२८ १० ४७	२ ७ ४९ "
८	यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, लखनऊ ।	११ ११ ४७	१४ ७ ५१ ,,
९	यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, इलाहाबाद ।	११ ११ ४७	१४ ७ ५१ ,,
१०	आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, आगरा ।	११ ११ ४७	१४ ७ ५१ ,,
११	बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एण्ड पावर कं० लि०, बनारस ।	११ ११ ४७	१४ ७ ५१ ,,

१	२	३				४	
१२	बरेली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कं० लि०, बरेली।	११	११	४७	१४	७	४१ (प्र० सं०)
१३	अपर गैंजेज वैली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कं० लि०, मुरादाबाद।	११	११	४७	१४	७	५१ (प्र० सं०)
१४	अपर यमुना वैली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कं० लि०, मेरठ।	११	११	४७	१४	७	५१ (प्र० सं०)
१५	मथुरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, मथुरा।	११	११	४७			
१६	वाटर वर्क्स, आगरा।	१८	११	४७			
१७	इम्पीरियल टोबैको कं० आफ़ (इण्डिया) लि०, पोस्ट अफिस बाक्स नं० २५, सहारनपुर।	१८	११	४७	१८	१२	५१ (प्र० सं०)
		१६	८	५४			(द्वि० सं०)
१८	दिल्ली आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, ग्राण्ट ट्रंक रोड, गाजियाबाद,	१८	११	४७			
१९	मटरूमल धन्नालाल आयल मिल्स, सासनीगेट, हाथरस, अलीगढ़।	२७	१	४८	१५	६	५० (प्र० सं०)
२०	इलाहाबाद ऊलेन मिल्स, सूबेदारगंज, इलाहाबाद।	२१	१	४८			
२१	माडल इण्डस्ट्रीज लि०, दयालबाग, आगरा।	४	२	४८			
२२	दयालबाग होजरी मिल्स, दयालबाग, आगरा।	४	२	४८			
२३	पायनियर लि०, २० ऐबट रोड, लखनऊ।	१०	२	४८			
२४	शंकर आइस एण्ड आयल मिल्स, सासनीगेट, हाथरस, अलीगढ़।	१७	२	४८			
२५	काशी आयरन फाउण्ड्री, गुडशेड के पास बनारस कैण्ट।	३	३	४८	६	१२	५० (प्र० सं०)
२६	यू० पी० ग्लास वर्क्स, लि०, बहजोई, मुरादाबाद।	६	३	४८			
२७	खण्डेलवाल ग्लास वर्क्स सासनी, अलीगढ़।	६	३	४८			
२८	कैपिटल ग्लास वर्क्स लि०, पो० आ० मलकनगर, वाया गाजियाबाद, जि० मेरठ।	६	३	४८			

१	२	३	४
२६	गंगा ग्लास वर्क्स लि०, बालावली, जि० बिजनौर।	६ ३ ४८	
३०	जैन ग्लास वर्क्स, हिरनगऊ, पो० आ० फीरोजाबाद, आगरा।	३ ६ ४८	
३१	बलरामपुर राज इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेण्ट, बलरामपुर, गोंडा।	६ ३ ४८	
३२	सेण्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स लि०, मेरठ कैण्ट।	११ ३ ४८	
३३	वनस्पति इण्डस्ट्रीज़ लि०, ग्राण्डट्रङ्क रोड, गाजियाबाद, मेरठ।	११ ३ ४८	
३४	इम्पीरियल टोबैको कं० आफ (इंडिया) लि०, पो० आ० बाक्स नं० २५, सहारनपुर,	१७ ३ ४८ (क्लर्कल स्टाफ़ के लिये)	१८ १२ ५१ (प्र० सं०) १६ ८ ५४ (द्वितीय संशोधन)
३५	जान्स प्रिंसज़ आफ़ वेल्स स्पिनिंग मिल्स, आगरा।	१३ ३ ४८	
३६	जान्स कारोनेशन स्पिनिंग मिल्स, आगरा।	१३ ३ ४८	
३७	बंशीधर प्रेमसुखदास आयल मिल्स, आगरा।	१७ ३ ४८ (आपरेटिव्ज़ के लिये)	
३८	गंगासरन एण्ड सन्स लि०, अलीगढ़।	२२ ३ ४८	
३९	उन्नाव टैनरी, उन्नाव।	२२ ३ ४८	
४०	स्पेन्सर एण्ड कं० लि०, ग्राण्ड ट्रङ्क रोड, कानपुर	३० ३ ४८	
४१	जान्स स्पिनिंग मिल्स, आगरा।	३० ३ ४८	
४२	डायर्स मिकिन ब्रेवरीज़ लि०, लखनऊ।	३० ३ ४८	
४३	दयालबाग ताज टैनरीज़ लि०, आगरा।	३० ३ ४८	
४४	दयालबाग टैनरीज़ लि०, आगरा।	३० ३ ४८	
४५	हरिजन बूट एण्ड शू फैक्टरी, आगरा।	३० ३ ५८	
४६	श्री मोहन गिनिंग प्रेसिंग एण्ड आयल मिल्स, कायमगंज, फर्रुखाबाद।	१ ४ ४८	
४७	इण्डियन मेडिकल सप्लाई लेबोरेटरी लि०, अमौसी, लखनऊ।	२८ ४ ४८ (कर्मचारियों के लिए)	

१	२	३	४
४८	शंकर रिफाइनरीज़, अलीनगर, गोरखपुर।	३१ ३ ४८	
४६	हीरालाल प्रिंटिंग वर्क्स, बड़ा बाजार, अलीगढ़।	२४ ४ ४८	
५०	कानपुर ओम्नी बस सर्विस लि०, कानपुर।	१६ ४ ४८	
५१	स्ट्रा बोर्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं०, सहारनपुर।	१ ५ ४८	६ ११ ५०
५२	प्रयाग आइस एण्ड आयल मिल्स, अलीगढ़।	१ ५ ४८	(प्र० सं०)
५३	कोसी गिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी, कोसी कलाँ, मथुरा।	१८ ५ ४८	
५४	राधाकृष्ण आयल मिल्स, सहारनपुर।	१८ ५ ४८	
५५	छितरमल रामदयाल आयल मिल्स, आगरा।	१८ ५ ४८ (आपरेटिव्ज़ के लिये)	
५६	जैन दाल, राइस, आयल एण्ड फ्लोर मिल्स, चितबड़ा, गाँव, बलिया।	७ ४ ४८	
५७	वेस्टर्न इण्डिया मैच कं० लि०, पो० आ० क्लटरबकगंज, बरेली।	२७ ५ ४८ (श्रमिकों और क्लर्कों के लिये)	
५८	एलेनबरी एण्ड कं० लि०, लखनऊ।	२४ ५ ४८	
५६	इलाहाबाद ग्लास वर्क्स, नैनी, इलहाबाद।	२५ ५ ४८	
६०	भार्गव भूषण प्रेस, त्रिलोचन, बनारस।	२६ ५ ४८	
६१	केशव राइस मिल्स, नानपारा, बहराइच	५ ६ ४८	
६२	जोन्स रोलर फ्लोर मिल्स, आगरा।	१२ ७ ४८	
६३	अग्रवाल ब्रास फैक्टरी, फरुखाबाद।	६ ७ ४८	
६४	मगरवारा बोन मिल्स, मगरवारा जिला उन्नाव।	७ ७ ४८	
६५	अथर्टन वेस्ट एण्ड कं० लि० जी० टी० रोड, कानपुर।	३१ ५ ४८	
६६	कानपुर काटन मिल्स कं० लि० कूपर-गंज, कानपुर।	३१ ५ ४८	
६७	कानपुर काटन मिल्स कं० जुही, कानपुर।	३१ ५ ४८	

१	२	३			४
६८	एल्गिन मिल्स कं० लि०, सिविल लाइन्स, कानपुर।	३१	५	४८	
६९	कानपुर टेक्सटाइल लि०, कानपुर।	३१	५	४८	
७०	जे० के० काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कानपुर।	३१	५	४८	
७१	जे० के० काटन मैन्यूफैक्चरर्स लि०, कानपुर।	३१	५	४८	
७२	लक्ष्मीरतन काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर।	३१	५	४८	
७३	म्योर मिल्स कं० लि०, कानपुर।	३१	५	४८	
७४	न्यू विक्टोरिया मिल्स कं० लि०, कानपुर।	३१	५	४८	
७५	एच० बेविस एण्ड कं०, कानपुर।	३१	५	४८	
७६	स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर।	३१	५	४८	
७७	सचेंडी काटन मिल्स, कानपुर।	३१	५	४८	
७८	अवस्थी टेक्सटाइल्स लि०, कानपुर।	३१	५	४८	
७९	कानपुर ऊलेन मिल्स, कानपुर।	३१	५	४८	
८०	जे० के० ऊलेन मैन्यूफैक्चरर्स, कानपुर।	३१	५	४८	
८१	श्री हरिकृष्णदास विष्णुदयाल वीविंग मिल्स, कानपुर।	३१	५	४८	
८२	जे० के० जूट मिल्स कं० लि०, कानपुर	३१	५	४८	
८३	महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर	३१	५	४८	
८४	मिश्रा होजरी मिल्स, कानपुर।	३१	५	४८	
८५	जे० के० होज़री फैक्टरी, कानपुर।	३१	५	४८	
८६	टेक्सटाइल सीविंग एण्ड फिनिशिंग कं० लि०, रामनगर, कानपुर।	३१	५	४८	
८७	बाबूसिंह होज़री वर्क्स, फैक्टरी एरिया, कानपुर।	३१	५	४८	
८८	रामलाल सोमेश्वरनाथ, रामनगर, कानपुर।	३१	५	४८	
८९	पक्का होज़री मिल्स, सिविल लाइन्स, कानपुर।	३१	५	४८	
९०	कर्जन टेण्ट फैक्टरी बाँसमण्डी, कानपुर	३१	५	४८	

१	२	३	४
९१	म्योर मिल कं० लि० टेण्ट डिपार्टमेंट, कानपुर	३१ ५ ४८	
९२	एलिगन मिल लि०, टेण्ट डिपार्टमेंट, कानपुर।	३१ ५ ४८	
९३	विशेश्वरनाथ एण्ड कं०, रायपुरवा, कानपुर।	३१ ५ ४८	
९४	कानपुर डाइंग एण्ड क्लाथ प्रिंटिंग कं०, सिविल लाइन्स, कानपुर	३१ ५ ४८	
९५	इण्डियन सप्लाईज, फैक्टरी एरिया, कानपुर।	३१ ५ ४८	
९६	गर्ग काटन वेस्ट फैक्टरी, कानपुर।	३१ ५ ४८	
९७	मातादीन हरीनाथ कूपरगंज, कानपुर।	३१ ५ ४८	
९८	परमानन्द यशोदानन्द, कर्नलगंज,	३१ ५ ४८	
९९	नारायणदास गोपालदास जे० के० गिनिंग एन्ड प्रेसिंग फैक्टरी, कानपुर।	३१ ५ ४८	
१००	कृष्णा वीविंग मिल्स, जुही, कानपुर।	३१ ५ ४८	
१०१	नार्दर्न इण्डिया ट्रेडिंग कं०, कानपुर।	३१ ५ ४८	
१०२	प्लास्टिक प्रोडक्टस लि०, कानपुर।	३१ ५ ४८	
१०३	नवल किशोर प्रेस, लखनऊ	३१ ५ ४८	
१०४	अग्रवाल राइस मिल्स, बलरामपुर, गोंडा	३१ ५ ४८	
१०५	श्री सत्यनारायण ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद आगरा।	३१ ५ ४८	
१०६	श्री वेंकटेश्वर फ्लोर मिल्स, न्यू भगवान इण्डस्ट्री लि०, ऐशबाग, लखनऊ	३१ ५ ४८	११ ३ ५० (प्र० सं०)
१०७	होलमील आटा मिल्स लि०, बाराबंकी	३१ ५ ४८	
१०८	कानपुर शुगर वर्क्स लि० कूपरगंज, कानपुर।	३१ ५ ४८	
१०९	कानपुर लेस वर्क्स लि०, १४।५ सिविल लाइन्स, कानपुर	३१ ५ ४८	
११०	ग्लोब केमिकल कं०,९९।९५, बेकनगंज, कानपुर	३१ ५ ४८	

१	२	३			४
१११	टैलो प्रोडक्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग कं०, २४, फैक्टरी एरिया, कानपुर	३१	५	४८	
११२	पर्ल प्रोडक्ट्स, फैक्टरी एरिया, कानपुर।	३१	५	४८	
११३	लेस्को केमिकल वर्क्स, शिवपुरी, कानपुर।	३१	५	४८	
११४	माथुर एण्ड मंजूर लि०, जी० टी० रोड, कानपुर।	३१	५	४८	
११५	कानपुर केमिकल वर्क्स, जी० टी० रोड, कानपुर।	३१	५	४८	
११६	साइण्टिफिक आपरेटस एण्ड केमिकल वर्क्स कं०, आगरा।	३१	५	४८	
११७	इंडिया टरपेण्टाइन एण्ड रोजिन कं० लि०, क्लटरबकगंज, बरेली।	३१	५	४८	
११८	इंडियन बाबिन कं० लि० क्लटरबकगंज, बरेली।	३१	५	४८	
११९	इंडियन उड प्रोडक्ट्स एण्ड कं० आइज़ट-नगर, बरेली।	३१	५	४८	
१२०	गैंजेज़ फ्लोर मिल्स, हरीशगंज, कानपुर।	३१	५	४८	
१२१	दि ब्रशवेयर लि०, माल, कानपुर।	३१	५	४८	
१२२	आर० जी० काटन मिल्स कं० लि०, लखनऊ।	३१	५	४८	
१२३	इन्द्रा स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, आगरा।	३१	५	४८	
१२४	महावीर जूट मिल्स, सहजनवाँ, गोरखपुर।	३१	५	४८	
१२५	ई० सेफ्टन एण्ड कं० लि०, मिर्जापुर।	३१	५	४८	
१२६	मिर्जापुर टेक्टाइल्स एण्ड जनरल मिल्स लि०, नारघाट, मिर्जापुर।	३१	५	४८	
१२७	बनारस काटन एण्ड सिल्क मिल्स लि०, बनारस।	३१	५	४८	
१२८	बिजली काटन मिल्स लि० हाथरस, अलीगढ़।	३१	५	४८	

१	२	३			४
१२६	रामचन्द्र स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स, हाथरस, अलीगढ़।	३१	५	४८	
१३०	लल्लामल हरदेवदास काटन स्पिनिग मिल्स कं०, हाथरस, अलीगढ़।	३१	५	४८	
१३१	मुरादाबाद स्पिनिग एण्ड विविंग मिल्स कं० मुरादाबाद।	३१	५	४८	
१३२	इंडियन नेशनल टेनरीज़, कानपुर।	३१	५	४८	
१३३	कूपर एलेन एण्ड कं० लि०, सिविल लाइन्स, कानपुर।	३१	५	४८	
१३४	कानपुर टेनरी लि०, जी० टी० रोड, कानपुर।	३१	५	४८	
१३५	हिन्दुस्तान टेनरीज़ लि०, कर्नलगंज, कानपुर।	३१	५	४८	
१३६	नरोना माडल टेनरी, जी० टी० रोड, कानपुर।	३१	५	४८	
१३७	डब्लू० बी० शोवॉ एण्ड कं० लि०, जाजमऊ, कानपुर।	३१	५	४८	
१३८	ग्राण्ड ट्रङ्क टेनरीज़ कं० लि०, कानपुर।	३१	५	४८	
१३९	सेण्ट्रल टेनरीज़, जाजमऊ, कानपुर।	३१	५	४८	
१४०	हलीम एण्ड सन्स, हीरामन का पुरवा, कानपुर।	३१	५	४८	
१४१	प्रेम टेनरी, कानपुर।				
१४२	पायनियर टेनरीज़, लाटूश रोड, कानपुर।	३१	५	४८	
१४३	ईस्टर्न टेनरीज़ लि०, कानपुर।	३१	५	४८	
१४४	शागिर टेनरीज़ लि०, बेकनगंज, कानपुर।	३१	५	४८	
१४५	यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनरीज़ कं० लि०, हीरामन का पुरवा, कानपुर।	३१	५	४८	
१४६	बन्सतलाल हीरालाल आयल मिल्स एण्ड	३१	५	४८	
	गिनिंग एण्ड दाल फैक्टरी, मुरसान गेट, हाथरस, अलीगढ़।	३१	५	४८	
१४७	श्री श्यामनाथ मिल्स लि०, जी० टी० रोड, सीतापुर।	३१	५	४८	
१४८	गणेश फ्लोर मिल्स कं० लि०, कानपुर।	३१	५	४८	
१४९	गैस एण्ड मेटल आपरेटर्स, ८४ ११३,	३१	५	४८	
	हरीशपुर रोड, जुही ब्रिज के पास, कानपुर।	३१	५	४८	

१	२	३			४		
१५०	जे० के० आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, कानपुर।	३१	५	४८			
१५१	हरनारायण जगन्नाथ स्टील एण्ड आयरन वर्क्स, हटिया, कानपुर।	३१	५	४८	१	५	५४ (प्र० सं०)
१५२	पञ्जाब आयरन स्टोर्स, हालसी रोड, कानपुर।	३१	५	४८			
१५३	लक्ष्मी बाल्टी वर्क्स, हालसी रोड, कानपुर।	३१	५	४८			
१५४	टेक्स्टाइल इंजीनियर्स लि०, द्वारिकाधीश रोड, कानपुर।	३१	५	४८			
१५५	आत्मासिंह स्टील रोलिंग मिल्स, कानपुर।	३१	५	४८			
१५६	कानपुर प्लेट मिल्स लि०, हरीशगंज, कानपुर।	३१	५	४८			
१५७	हिन्दुस्तान टूल्स मैन्युफैक्चरिंग कं०, ३२, फैक्टरी एरिया, कानपुर।	३१	५	४८			
१५८	कानपुर आयरन एण्ड ब्रास वर्क्स एण्ड फ्लोर मिल्स, डिप्टी का पड़ाव, कानपुर।	३१	५	४८			
१५९	शारदा इंजीनियरिंग वर्क्स, फहीमाबाद, कानपुर।	३१	५	४८			
१६०	यू० पी० रोलिंग मिल्स लि०, कूपरगंज, कानपुर।	३१	५	४८			
१६१	विन्देश्वरीप्रसाद बनवारीलाल रोलिंग मिल्स, घुमनी बाजार, कानपुर।	३१	५	४८			
१६२	जगदीश रोलिंग मिल्स, ५२ जुही कलाँ, कानपुर।	३१	५	४८			
१६३	लक्ष्मी रोलिंग मिल्स, ३५६ हरीशगंज, कानपुर।	३१	५	४८			
१६४	भाटिया सेफ वर्क्स, हालसी रोड, कानपुर।	३१	५	४८			
१६५	इंडियन रोलिंग मिल्स कं० लि०, कालपी रोड, कानपुर।	३१	५	४८			
१६६	कानपुर रोलिंग मिल्स लि०, हरीशगंज, कानपुर।	३१	५	४८			

१	२	३			४
१६७	पीपुल आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज़ लि०, ३४।३५, फैक्टरी एरिया, कानपुर।	३१	५	४८	
१६८	राधेलाल स्टील रोलिंग मिल्स, जुही, कानपुर।	३१	५	४८	
१६९	महावीर रोलिंग मिल्स, फैक्टरी एरिया, कानपुर।	३१	५	४८	
१७०	डी० पी० एण्ड सन्स इंजीनियरिंग वर्क्स, तलाक मोहाल, कानपुर।	३१	५	४८	
१७१	सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स, जी० टी० रोड, कानपुर।	३१	५	४८	
१७२	सिंह प्लेट मिल्स लि०, फैक्टरी एरिया, कानपुर।	३१	५	४८	
१७३	जैन स्टील एण्ड रोलिंग मिल्स, डिप्टी का पड़ाव, कानपुर।	३१	५	४८	
१७४	मातादीन भगवानदास आयल मिल्स, बाँसमण्डी, कानपुर।	३१	५	४८	
१७५	जे० के० आयल मिल्स, बाँसमन्डी, कानपुर।	३१	५	४८	
१७६	गंगा आयल मिल्स, कूपरगंज, कानपुर।	३१	५	४८	
१७७	निहालचंद किशोरीलाल गिनिंग फैक्टरी एण्ड आयल मिल्स, बाँसमंडी, कानपुर।	३१	५	४८	
१७८	नार्दर्न इंडियन आयल इंडस्ट्रीज़ लि०, रायपुरवा, कानपुर।	३१	५	४८	
१७९	श्री गोविंद आयल मिल्स, बाँसमण्डी. कानपुर।	३१	५	४८	
१८०	नागरथ आयल मिल्स, फैक्टरी एरिया, कानपुर।	३१	५	४८	
१८१	राजेन्द्रप्रसाद आयल मिल्स, जुही, कानपुर।	३१	५	४८	
१८२	दुलीचन्द ओमरावलाल आयल मिल्स, मिल एरिया, कानपुर।	३१	५	४८	
१८३	गणेश आयल मिल्स, फैक्टरी एरिया, कानपुर।	३१	५	४८	
१८४	रती सन्स आयल इंडस्ट्रीज़, लाटूश रोड, कानपुर।	३१	५	४८	
१८५	ओम काटन गिनिंग एण्ड आयल मिल्स, अनवरगंज, कानपुर।	३१	५	४८	

१	२	३			४
१८६	श्रीकृष्ण गिनिंग प्रेसिंग एण्ड आयल मिल्स, काल्पी रोड, कानपुर।	३१	५	४८	
१८७	कमलापत मोतीलाल आयल मिल्स, कानपुर।	३१	५	४८	
१८८	न्यू अग्रवाल आयल मिल्स एंड भगवान आइस फैक्टरी, इलाहाबाद।	१५	७	४८	
१८९	श्री अन्नपूर्णा मिल्स, बनारस कैंट।	३१	७	४८	
१९०	वाटर वर्क्स, बनारस।	७	७	४८	
१९१	तुलसीराम महाराम आयल मिल्स, इटावा।	३१	८	४८	
१९२	इलाहाबाद ला जर्नल कं० लि०, इलाहाबाद	१३	९	४८	
१९३	जी० जी० इण्डस्ट्रीज़ लि०, आगरा।	११	९	४८	
१९४	दन्कौर इंजीनियरिंग कं०, पो० आ० गुरुकुल, सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर)	१९	९	४८	
१९५	नैनी ग्लास वर्क्स, इलाहाबाद।	१०	९	४८	
१९६	पालीवाल ग्लास वर्क्स, शिकोहाबाद, जि० मैनपुरी।	१०	९	४८	
१९७	रेडियो लैम्प वर्क्स, शिकोहाबाद, मैनपुरी।	१०	९	४८	प्रथम सशोधन २२ ६ ५३
१९८	महालक्ष्मी आयल मिल्स, जिवनी की मंडी, आगरा।	२७ (आपरेटिङ्ग के लिये)	९	४८	
१९९	गुलाबचंद्र छोटेलाल आयरन फाउण्ड्री, फ्रीगंज, आगरा।	२७	९	४८	
२००	अयोध्या डिस्टिलरी, राजा का सहसपुर, मुरादाबाद।	७	७	४८	३१ १२ ५२ (प्र० सं०)
२०१	मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, मिर्जापुर।	२१	१०	४८	२८ ६ ५० (प्र० सं०) २० २ ५३ (द्वितीय स०)
२०२	शाहजहाँपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, शाहजहाँपुर।	२१	१०	४८	२८ ६ ५० (प्र० सं०) २० २ ५३ (द्वितीय सं०)
२०३	लखनऊ पब्लिशिंग हाउस, हज़रतगंज, लखनऊ।	२७	१०	४८	

१	२	३			४		
२०४	गाजियाबाद इंजीनियरिंग कं० लि०, गाजियाबाद, मेरठ।	२७	१०	४८			
२०५	गुडरिच स्टेट, पो० आ० छोहरपुर, देहरादून।	२७	१०	४८			
२०६	मोती दाल एण्ड आयल मिल्स, हापुड़, मेरठ।	३०	१०	४८			
२०७	वाटर वर्क्स, कानपुर।	३०	१०	४८	१३	४	५२ (प्र० सं०)
२०८	झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, झांसी।	२७	१०	४८			
२०६	झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, गोरखपुर।	२७	१०	४८			
२१०	हिमालय कार्यालय, हिमालयनगर, स्टेशन रोड, मुरादाबाद।	१८	१२	४८			
१११	ईस्ट होप टाउन टी इस्टेट कं० लि०, पो० बा० नं० ६, देहरादून।	३१	१२	४८			
२१२	आर्केडिया टी इस्टेट, देहरादून।	३१	१२	४८			
२१३	हरबंश वाला टी इस्टेट, देहरादून।	३१	१२	४८			
२१४	एनाफील्ड टी इस्टेट, पो० आ० छोहरपुर, देहरादून।	३१	१२	४८			
२१५	कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन, कानपुर।	७	१	४६			
२१६	बनारस प्रोड्यूस कं०, शिवपुर, बनारस।	७	१	४६			
२१७	स्वदेशी वीविंग मिल्स, बख्शीपुर, गोरखपुर।	७	१	४६			
२१८	नादिर अली एण्ड कं०, मेरठ सिटी, मेरठ।	५	२	४६			
२१६	अमृतबाजार पत्रिका लि०, इलाहाबाद।	१३	२	४६			
२२०	पीलीभीत इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, पीलीभीत।	२१	२	४६	२६	१२	५१ (प्र० सं०)
२२१	किशोर इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन, बदायूँ।	१	३	४६			
२२२	फर्रुखाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)।	८	४	४६			
२२३	हापुड़ बोन मिल्स, हापुड़, मेरठ।	१	४	४६			
२२४	जसवन्त स्ट्रा बोर्ड मिल्स, मेरठ।	२०	४	४६			
२२५	सूल कोप० कं० (इण्डिया), कानपुर।	३	८	४६			

१	२	३			४
२२६	कानपुर इंजीनियरिंग कं०, वाटर वर्क्स के सामने, पो० आ० नवाबगंज, कानपुर।	३	८	४६	
२२७	प्लाईउड प्रोडक्ट्स, सीतापुर।	३	८	४६	
२२८	वृजविहारीलाल त्रिलोकीनाथ आइरन फाउन्ड्री, ८४।७, फैक्टरी एरिया, कानपुर	३	८	४६	
२२९	चौधरी सोप मिल्स लि०, जुही, कानपुर।	३	८	४६	
२३०	यूनाइटेड मैन्यूफैक्चरर्स आइरन फाउण्ड्री, बेलनगंज, आगरा।	३	८	४६	
२३१	मटरूमल धन्नालाल आयल मिल्स, नं० २, चमड़ा गेट, हाथरस।	३	८	४६	
२३२	जॉब प्रेस, माल, कानपुर।	३	८	४६	
२३३	नेशनल फ्रण्ट जर्नल्स लि०, रामनगर, (कानपुर)	३	८	४६	
२३४	चौधरी आयल मिल्स, मछोदरी पार्क, बनारस।	३	८	४६	
२३५	स्टैण्डर्ड रिफाइनरी एण्ड डिस्टिलरी लि०, उन्नाव।	३	८	४६	
२३६	कानपुर फ्लोर मिल्स, ८३।२, कूपरगंज, कानपुर।	३	८	४६	
२३७	मोदी सोप वर्क्स, मोदीनगर, मेरठ।	३	८	४६	
२३८	कृष्णा आयल मिल्स, हिम्मतगंज इलाहाबाद।	३	८	४६	
२३९	अपर इण्डिया कपूर पेपर मिल्स कं०, लखनऊ।	३	८	४६	
२४०	महालक्ष्मी आयल मिल्स, सब्जीमण्डी. आगरा।	३	८	४६	(क्लर्क एण्ड वाच एण्ड वार्ड स्टाफ के लिये)
२४१	वेस्टर्न इण्डिया मैच फैक्टरी, क्लटरबकगंज, बरेली।	३	८	४८	(वाच एण्ड वार्ड स्टाफ के लिये)
२४२	स्टार पेपर मिल्स लि०, बजरिया प्लेस, सहारनपुर।	३	८	४६	
२४३	हरगाँव आयल प्रोडक्ट्स, हरगाँव।	३	८	४६	
२४४	बलरामपुर दाल मिल्स लि०, बलरामपुर, गोंडा।	३	८	४६	

१	२	३			४
२४५	रिलायबूल वाटर सप्लाई सर्विस ग्राफ इण्डिया लि०, लखनऊ।	३	८	४६	
२४६	कमला ग्राइस फैक्टरी, बाँसमण्डी, कानपुर।	३	८	४६	
२४७	बिन्दकी राइस एण्ड ग्रायल मिल्स, फतेहपुर।	३	८	४६	
२४८	छोटेलाल जगन्नाथप्रसाद ग्रायल मिल्स, भरथना, इटावा।	३	८	४६	
२४९	इंडियन डिस्टिलरी, ग्रनवरगंज, कानपुर।	३	८	४६	
२५०	कपूर ग्राइस फैक्टरी, जी० टी० रोड, कानपुर।	३	८	४६	
२५१	मोदी वनस्पति मैन्यूफैक्चरिंग कं०, मोदी नगर, मेरठ।	३	८	४६	
२५२	मदनलाल श्रीकृष्णलाल ग्रायल मिल्स, हेवेट पार्क, ग्रागरा।	३	८	४६	
२५३	जार्डिन मैंज़ी एण्ड कं०, १८।१७१ सिविल लाइन्स, कानपुर।	३	८	४६	
२५४	लीला इंजीनियरिंग वर्क्स, फैक्टरी एरिया, कानपुर।	३	८	४६	
२५५	मोदी ग्रायल मिल्स, मोदीनगर, मेरठ।	३	८	४६	
२५६	छितरमल रामदयाल ग्रायल मिल्स, हेवेट पार्क रोड, ग्रागरा।	३	८	४६	(क्लर्क्स एण्ड वाच एण्ड वार्ड स्टाफ के लिये)
२५७	वंशीधर प्रेमसुखदास ग्रायल मिल्स, मैथान, ग्रागरा।	३	८	४६	,, ,, ,,
२५८	इम्पीरियल सोप वर्क्स, लोहाई, फर्रुखाबाद।	३	८	४६	
२५९	भार्गव ग्राइस फैक्टरी, सिविल लाइन्स, कानपुर	३	८	४६	
२६०	कानपुर ग्राटो सर्विस गेरेज, कानपुर	३	८	४६	
२६१	बनवारीलाल गुप्ता ग्रायरन एण्ड टूल्स फैक्टरी, हालसी रोड, कानपुर।	३	८	४६	
२६२	स्टार प्रेस, माल, कानपुर।	३	८	४६	

१	२	३	४
२६३	श्रीराम महादेवप्रसाद फ्लोर मिल्स, हरीश-गंज, कानपुर।	३ ८ ४६	
२६४	राज इंजीनियरिंग ब्रास वर्क्स, सीतापुर।	३ ८ ४६	
२६५	यूनाइटेड मेटल वर्क्स ब्रास एण्ड स्टील, जाजमऊ, कानपुर।	३ ८ ४६	
२६६	निहालचन्द किशोरीलाल आयल मिल्स, इटावा।	१० ६ ४६	
२६७	रामेश्वर आयल मिल्स, यमुना ब्रिज, इलाहाबाद।	१० ६ ४६	
२६८	हिन्दुस्तान आयल इण्डस्ट्रीज़, नैनी, इलाहाबाद।	१० ६ ४९	
२६९	बसन्तलाल हीरालाल आयल एण्ड दाल मिल्स, अलीगढ़।	१० ६ ४६	
२७०	रतन आयल मिल्स, मुरसान गेट, हाथरस।	१० ६ ४६	
२७१	चतुर्भुज जगदीशचन्द आयल मिल्स, गाजियाबाद, मेरठ।	१० ६ ४६	
२७२	अपर इण्डिया आयल इंडस्ट्रीज़, मुरसान-गेट, हाथरस, अलीगढ़।	१० ६ ४६	
२७३	गोयनका आयल मिल्स, खुर्जा, बुलन्दशहर।	१० ६ ४६	
२७४	चन्दौसी आयल इण्डस्ट्रीज़, चन्दौसी, मुरादाबाद।	१० ६ ४६	
२७५	सेवाराम आयल मिल्स, ३८, सिविल लाइन्स, झाँसी।	१० ६ ४६	
२७६	मदनमोहन धन्नामल आयल मिल्स, फीरो-जाबाद, आगरा।	१० ६ ४६	
२७७	कुँवर ज्योतिस्वरूप एण्ड ब्रादर्स आयल मिल्स, पीलीभीत।	१० ६ ४६	
२७८	सरस्वती सोप एण्ड आयल मिल्स लि०, हरदोई।	१० ६ ४६	
२७९	तारा आयल एण्ड गिनिंग मिल्स लि०, हापुड़, मेरठ।	१० ६ ४६	
२८०	शिव राइस एण्ड आयल मिल्स, बहराइच।	१० ६ ४६	
२८१	यूनाइटेड प्राविंसेज़ आयल इण्डस्ट्रीज़ लि०, ऐशबाग, लखनऊ।	१० ६ ४६	

१	२	३			४
२८२	विशम्भर आयल मिल्स, चन्दौसी, मुरादाबाद ।	१०	९	४९	
२८३	श्रीचन्द विपिनचन्द आयल मिल्स, चन्दौसी, मुरादाबाद ।	१०	९	४९	
२८४	आनन्द कृष्ण आयल मिल्स, पो० आ० दिवियापुर, फफूँद, इटावा ।	१०	९	४९	
२८५	गणेश टेक्सटाइल एण्ड आयल मिल्स लि०, हाथरस, अलीगढ़ ।	१०	९	४९	
२८६	गोविन्दराम सेवाराम आयल मिल्स, चन्दौसी, मुरादाबाद ।	१०	९	४९	
२८७	जैपुरिया आयल मिल्स, बनारस ।	१०	९	४९	
२८८	टीकाराम एण्ड सन्स लि०, अलीगढ़ ।	१०	९	४९	
२८९	हीरालाल राधाकृष्ण आयल मिल्स, हाथरस, अलीगढ़ ।	१०	९	४९	
२९०	बजोरिया हलवासिया एण्ड कं०, लखनऊ ।	१८	८	४९	
२९१	मुरादाबाद वाटर वर्क्स, मुरादाबाद ।	२४	८	४९	
१९२	अलीगढ़ वाटर वर्क्स, अलीगढ़ ।	२४	८	४९	
२९३	वेस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक पावर एण्ड सप्लाई कं०, इटावा ।	१९	८	४९	
२९४	वेस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक पावर एण्ड सप्लाई कं०, शिकोहाबाद, मैनपुरी ।	१९	८	४९	
२९५	वेस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक पावर एण्ड सप्लाई कं०, सिरसागंज, मैनपुरी ।	१९	८	४९	
२९६	वेस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक पावर एण्ड सप्लाई कं० लि०, जसवन्तनगर, इटावा ।	१९	८	४९	
२९७	वेस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक पावर एण्ड सप्लाई कं० लि०, फीरोजाबाद ।	१९	८	४९	
२९८	सुख सञ्चारक कं० लि०, मथुरा ।	१०	९	४९	
२९९	एस० पी० इंजीनियरिंग कारपोरेशन, ३९ फजलगंज, कानपुर ।	१३	९	४९	
३००	हनुमान राइस मिल्स, पो० आ० नानपारा, जिला बहराइच ।	१३	९	४९	
३०१	सीतापुर पावर हाउस, सीतापुर ।	१९	९	४९	

१	२	३	४
३०२	इरिडयन मेडिकल सप्लाई लैबोरेटरी, अमौसी, ई० आई० आर०।	१२ १० ४६	
३०३	प्रकाश इंजीनियरिंग एण्ड रोलिंग मिल्स, फ्रीगंज, आगरा।	८ १० ४६	
३०४	हनुमान आयल मिल्स, आइस एण्ड ब्रास फाउण्ड्री, पो० आ० बरहज, जिला देवरिया।	१० ६ ४६	
३०५	जुगुलकिशोर मुकटलाल काटन एण्ड आयल मिल्स, खुर्जा, बुलन्दशहर।	१० ६ ४६	
३०६	बंशीधर राधावल्लभ काटन, गिनिंग, राइस, आइस, दाल एण्ड आयल मिल्स एण्ड शिकोहाबाद सोप एण्ड केमिकल वर्क्स, शिकोहाबाद, (मैनपुरी)।	२७ १० ४६	
३०७	सादाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कं०, सादाबाद, जि० मथुरा।	६ १० ४६	
३०८	हल्द्वानी सा मिल्स, हल्द्वानी (नैनीताल)।	१० ११ ४६	
३०९	कन्नौज डाइंग एण्ड वीविंग मिल्स, कन्नौज, फतेहगढ़।	६ १० ४६	
३१०	मसूरी देहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एण्ड वाटर सप्लाई अण्डरटेकिंग, सिटी बोर्ड मसूरी. देहरादून।	८ १० ४६	
३११	एसोशियेटेड जर्नल्स लि०, कैसरबाग, लखनऊ।	१० १२ ४६	
३१२	मेटल प्रेस वर्कर्स लि०, फ्रीगंज रोड, आगरा।	६ १ ५०	
३१३	पुरुषोत्तमदास चुन्नीलाल इण्डस्ट्रीज़ आयल मिल्स, हाथरस, अलीगढ़।	२३ ३ ५०	
३१४	इंडियन आक्सीजन एण्ड एसीटिलीन कं० लि०, पो० बा० नं० ३४, कानपुर।	८ ५ ५०	
३१५	हर्बर्टपुर टी इस्टेट, पो० आ० हर्बर्टपुर, देहरादून।	१५ ४ ५०	
३१६	उदियाबाग टी इस्टेट (जैक्सन डिवीजन), पो० आ० छोहरपुर, देहरादून।	१५ ४ ५०	

१	२	३			४		
३१७	उदियाबाग टी इस्टेट (रेनर डिवीज़न), पो० आ० छोहरपुर, देहरादून ।	१५	४	५०			
३१८	वाटर वर्क्स, देहरादून ।	८	५	५०			
३१६	मोहन आयल मिल्स, ललितपुर, झाँसी ।	१२	४	५०			
३२०	आगरा रोलर फ्लोर मिल्स, बेलनगंज, आगरा ।	१३	७	५०			
३२१	सेठ रामगोपाल एण्ड पार्टनर इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, एटा ।	१४	८	५०			
३२२	सेठ रामगोपाल एण्ड पार्टनर्स इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, टूण्डला, आगरा ।	१४	८	५०			
३२३	सेठ रामगोपाल एण्ड पार्टनर्स इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, इतमादपुर (आगरा) ।	१४	८	५०			
३२४	सेठ रामगोपाल एण्ड पार्टनर्स इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, बिसौली (बदायूँ) ।	१४	८	५०			
३२५	सेठ रामगोपाल एण्ड पार्टनर्स इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, उझानी (बदायूँ) ।	१४	८	५०			
३२६	सेठ रामगोपाल एण्ड पार्टनर्स इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, बिलसी (बदायूँ) ।	१४	८	५०			
३२७	सेठ रामगोपाल एण्ड पार्टनर्स इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, इस्लामनगर (बदायूँ)	१४	८	५०			
३२८	सेठ रामगोपाल एण्ड पार्टनर्स इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, सोरों (एटा) ।	१४	८	५०			
३२६	सेठ रामगोपाल एण्ड पार्टनर्स इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, मरेहरा (एटा) ।	१४	८	५०			
३३०	सेठ रामगोपाल एण्ड पार्टनर्स इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, आँवला (बरेली) ।	१४	८	५०			
३३१	हाजी मौलाबक्स एण्ड सन्स कं० बूट फैक्टरी, पो० बा० नं० ६८, कानपुर ।	१६	८	५०			
३३२	दौराला कन्फेक्शनरी वर्क्स, दौराला ।	१५	६	५०			
३३३	अग्रवाल आयरन वर्क्स, मोतीलाल नेहरू रोड, आगरा ।	२२	६	५०	२५	३	५४ (प्रि० सं०)
३३४	गिरधर आइस फैक्टरी, फैक्टरी एरिया, कानपुर ।	१५	६	५०			

१	२	३			४
३३५	मुरलीधर गजानन मेटल मर्चेण्ट एण्ड बैंकर्स, १४।७७, सिविल लाइन्स, कानपुर।	१५	६	५०	
३३६	ओबीटी लि०, मिर्जापुर।	१५	६	५०	
३३७	दीवान कृपाराम राधाकृष्ण रोलर फ्लोर मिल्स, सहारनपुर।	१५	६	५०	
३३८	रामस्वरूप झब्बरमल, दिल्ली रोड, मेरठ सिटी।	१५	६	५०	
३३९	झाँसी आयरन एण्ड स्टील रोलिंग मिल्स, सिविल लाइन्स, झाँसी।	१५	६	५०	
३४०	मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०, मोदीनगर, मेरठ।	१५	६	५०	
३४१	इण्डियन ब्रश फैक्टरी, पो० बा० नं० २६ बाँसमण्डी, कानपुर।	१५	६	५०	
३४२	विक्टर आइस एण्ड फ्लोर मिल्स, ऐशबाग, लखनऊ।	१५	६	५०	
३४३	जे० के० एल्वाय लि०, कूपरगंज, कानपुर।	१५	६	५०	
३४४	मेटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कं०, बनारस।	१५	६	५०	
३४५	हिन्द केमिकल्स लि०, सरकार रोड, कैण्ट, कानपुर।	१५	६	५०	
३४६	अम्बिका सिलीकेट वर्क्स, ८४।७६, जी० टी० रोड, कानपुर।	१५	६	५०	
३४७	जुही सोप फैक्टरी, ११०।१००, जवाहरनगर, कानपुर।	१५	६	५०	
३४८	गौरी आयल मिल्स, डिबई, बुलन्दशहर।	१५	६	५०	
३४९	सिनको इण्डस्ट्रीज, हीरागञ्ज, कानपुर।	१५	६	५०	
३५०	यूनाइटेड टिम्बर कं०, ८५।३६ कूपरगञ्ज, कानपुर।	१५	६	५०	
३५१	अश्फाक टेनरी, जाजमऊ रोड, कानपुर।	१५	६	५०	
३५२	मटरूमल धन्नालाल आयल मिल्स, आयरन एण्ड ब्रास फाउण्ड्री एण्ड इञ्जीनियरिंग वर्क्स, मिल नं० १, सासनी गेट, हाथरस (अलीगढ़)।	१५	६	५०	
३५३	मोदी सप्लाईज़ कारपोरेशन लि०, मोदीनगर, मेरठ।	१५	६	५०	

१	२	३			४
३५४	नौलागढ़ टी इस्टेट, देहरादून।	५	६	५०	
३५५	फैजाबाद इलेक्ट्रिक लाइसेन्स १६३३, फैजाबाद।	२१	१०	५०	
३५६	जौनपुर इलेक्ट्रिक लाइसेन्स १६३४, जौनपुर।	२१	१०	५०	
३५७	इण्डिया रिकान्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०, इण्डस्ट्रियल एरिया, पो० बा० नं० २५४, कानपुर।	४	११	५०	
३५८	न्यूजपेपर्स लि०, लीडर रोड, इलाहाबाद।	६	११	५०	
३५६	गाजियाबाद पावर स्टेशन आफ ईस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, गाजियाबाद।	६	११	५०	
३६०	जितेन्द्र आयल मिल्स, फर्रुखाबाद।	७	११	५०	
३६१	हरदुआगञ्ज पावर स्टेशन, पो० आ० कासिमपुर, अलीगढ़।	७	११	५०	
३६२	फाफामऊ आयल सोप एण्ड सिलीकेट मिल्स, २८ म्योर रोड, इलाहाबाद।	७	११	५०	
३६३	गैंजेज़ आयल मिल्स, कानपुर।	७	११	५०	
३६४	मदनलाल कृष्णकुमार आयल मिल्स, हाथरस।	७	११	५०	
३६५	शुगर एजेण्ट्स लि०, आयल मिल्स, शिवहरा, बिजनौर।	७	११	५०	
३६६	विक्टोरिया आयल इण्डस्ट्रीज़, बरेली।	७	११	५०	
३६७	सिम्भौली इंडस्ट्रीज़, पो० आ० बक्सर, मेरठ।	२४	१०	५०	
३६८	वाटर वर्क्स, जौनपुर।	४	११	५०	
३६६	सिलवर ग्लास वर्क्स, पो० आ० लहर-तारा, बनारस।	७	११	५०	
३७०	वाटर वर्क्स, लखनऊ।	७	११	५०	
३७१	इंडियन इम्प्लीमेंट्स मैन्यू० कं०, अलीगढ़।	२०	११	५०	
३७२	वाटर वर्क्स, गाजीपुर।	७	११	५०	
३७३	श्रीकृष्ण जिनिंग एण्ड आयल मिल्स, कायमगञ्ज, फर्रुखाबाद।	६	१२	५०	

१	२	३			४
३७४	विशम्भर आयल मिल्स, ललितपुर, झाँसी।	२३	११	५०	
३७५	सरैया आयल वर्क्स, सरदारनगर, गोरखपुर।	२४	४	५१	
३७६	वाटर वर्क्स, उरई।	१३	७	५१	
३७७	हलद्वानी वाटर वर्क्स, हलद्वानी, जिला नैनीताल।	२५	८	५१	
३७८	वाटर वर्क्स, मेरठ।	६	६	५१	
३७९	बेनको वर्कशाप एण्ड इंजीनियरिंग, बी० एच० यू०, बनारस।	२६	६	५१	
३८०	वाटर वर्क्स, फैजाबाद।	५	११	५१	
३८१	अहबाब ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३८२	अन्सार ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३८३	भारत ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३८४	विमल ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३८५	गिरधर ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३८६	हाजी सादुल्ला साहबुद्दीन ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३८७	लक्ष्मी ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३८८	मदीना ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३८९	महादेव पाइप फैक्टरी, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३९०	नादिरबक्स एण्ड कं० ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३९१	नासिरी ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३९२	राजा ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३९३	इकबाल ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद, (एलियास रियाजुद्दीन सबाबुद्दीन)	१२	१२	५१	
३९४	शारदा ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३९५	शिव ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३९६	मुस्लिम ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३९७	मुन्शी लाल बेनीराम जैन ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३९८	पारसनाथ ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
३९९	ओरियण्टल ,, ,, ,,।	१२	१२	५१	

१	२	३			४
४००	एडवांस ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४०१	राधा ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४०२	माथुर ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४०३	न्यूअग्रवाल ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४०४	वैश्य ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४०५	गंगा ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४०६	हिमालय ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४०७	सावित्री ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४०८	गोपाल ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४०९	दुर्गा ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४१०	आदर्श ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४११	मनोहरलाल ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४१२	गिरधारीलाल मनोहरलाल ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४१३	हनुमान ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४१४	गौरीशंकर रामगोपाल ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४१५	मदन लाल रामस्वरूप ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४१६	जगदम्बा ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४१७	रामलाल हरप्रसाद ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४१८	विश्वनाथ ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४१९	सेण्ट्रल सावरी ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४२०	शंकर ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४२१	कमला ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४२२	हैली ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४२३	हाजी ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४२४	महाबीर ,, ,, ,,	१२	१२	५१	
४२५	कामर्शियल ग्लास वर्क्स, नं० १ फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४२६	कामर्शियल ग्लास वर्क्स, नं० २ फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	

१	२	३			४
४२७	गोपाल ग्लास वर्क्स, नं० २ फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४२८	गोविन्द ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४२९	कृष्णा ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४३०	मिर्जा खैराती बेग शम्भूदयाल ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४३१	नानक ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४३२	मिर्जा ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४३३	सिकन्दर बक्स नादिर बक्स ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४३४	प्रेम ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४३५	कादरी ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४३६	रुस्तम ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४३७	माधव ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४३८	भूरे खाँ ग्लास वर्क्स बैंगिल फैक्टरी ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४३९	इरफान ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४४०	नारायण ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४४१	रामहरिहर ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद	१२	१२	५१	
४४२	राम ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४४३	विजय ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४४४	गुलाम अहमद मुश्ताक अहमद ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४४५	वेलकम ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४४६	बी० एम० ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद।	१२	१२	५१	
४४७	जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स, ऐशबाग, लखनऊ।	२६	१२	५१	
४४८	बंगाल केमिकल एण्ड फार्मेसिटिकल वर्क्स, फजलगंज, कानपुर।	२६	१२	५१	
४४९	अहमदहुसेन दिलदार हुसेन. अब्दुल अजीज रोड, लखनऊ।	२६	१२	५१	
४५०	गणेशदीस रामगोपाल एण्ड संस, हजरतगंज, लखनऊ।	२६	१२	५१	
४५१	एवरी कं० लि०, ६३।१, महात्मा गांधी रोड, कानपुर।	२६	१२	५१	

१	२	३			४
४५२	क्रिप्स मशीन टूल्स (इण्डिया) लि०, कानपुर।	२६	१२	५१	
४५३	वेबिंग एण्ड बेल्टिंग फैक्टरी, गाजियाबाद, मेरठ।	२६	१२	५१	
४५४	माडर्न ट्रेडिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं०, हजरतगंज, लखनऊ।	२६	१२	५१	
४५५	कानपुर हाइड कं०, पुरवा हीरामन, कानपुर	२६	१२	५१	
४५६	पायनियर मोटर्स लि०, शाहनजफ रोड, लखनऊ।	२६	१२	५१	
४५७	ओरियण्टल मोटरकार कं०, हजरतगंज, लखनऊ।	२६	१२	५१	
४५८	इंडियन आर्मी एण्ड पुलिस इक्विपमेंट फैक्टरी, कानपुर।	२६	१२	५१	
४५६	स्टैण्डर्ड एण्ड कं०, रायपुरवा, कानपुर।	२६	१२	४१	
४६०	शंकर डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स लि०, पोस्ट आफिस, कैप्टेनगंज, देवरिया।	२६	१२	५१	
४६१	बाराबंकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, बाराबंकी।	२६	१२	५१	
४६२	आगरा टिन मैन्यूफैक्चरिंग कं०, बेलनगंज, आगरा।	२६	१२	५१	
४६३	रजा टेक्सटाइल्स लि०, ज्वालानगर, रामपुर।	२६	१२	५१	
४६४	रामपुर टिम्बर एण्ड टर्नरी क० लि०, ज्वालानगर, रामपुर।	२६	१२	५१	
४६५	ए० टेलरी एण्ड सन्स लि०, भदोही, बनारस।	२६	१२	५१	
४६६	रामपुर डिस्टिलरी एण्ड केमिकल कं० लि०, दि माल रोड, रामपुर।	२६	१२	५१	
४६७	गिरधारीलाल जिनिंग राइस एण्ड आयल रबर मिल्स लि०, पुखरायाँ, जि० कानपुर।	२६	१२	५१	

१	२	३			४
४६८	सहारनपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, पत्तनपुरा स्ट्रीट, सहारनपुर ।	२६	१२	५१	५ ६ ५४ (प्रथम संशोधन)
४६९	हाइड्रो इलेक्ट्रिक एण्ड वाटर वर्क्स अण्डरटेकिंग, नैनीताल ।	४	१	५२	
४७०	विभूति ग्लास वर्क्स, रामनगर, बनारस ।	४	१	५२	
४७१	ई० हिल एण्ड कं० लि०, खमरिया, मिर्जापुर ।	४	१	५२	
४७२	दि मलिक इंजीनियरिंग वर्क्स, मलदहिया, बनारस ।	४	१	५२	
४७३	श्रीकृष्ण राइस एण्ड आयल मिल्स, पो० आ० मतीरा, जिला बहराइच ।	८	३	५२	
४७४	बर्मा शेल पेट्रोल डिपो, कालपी रोड, कानपुर ।	१६	३	५२	
४७५	कोसी आयल एण्ड जनरल मिल्स लि०, कोसी कलाँ, जि० मथुरा ।	१६	३	५२	
४७६	हरद्वार वाटर वर्क्स एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग, हरद्वार ।	७	५	५२	
४७७	लक्ष्मी इलेक्ट्रिक सप्लाई कं०, हरदोई ।	१३	६	५२	
४७८	महालक्ष्मी ग्लास वर्क्स, आगरा ।	२७	६	५२	
४७९	रामनरायण गोपालप्रसाद आयल गिनिंग एण्ड दाल मिल्स, हाथरस (अलीगढ़) ।	२१	६	५२	
४८०	ज्वाला फैब्रिक्स ब्रांच आफ रजा टेक्स्टाइल्स लि०, रामपुर ।	१४	१०	५२	
४८१	वाटर वर्क्स, गोला गोकरननाथ ।	२५	१२	५२	
४८२	दि बटनी कारपोरेशन, पोस्ट बाक्स नं० ४५, चकराता रोड, सहारनपुर ।	२६	१२	५२	
४८३	छीतर रामदयाल टिन फैक्टरी, मेण्डू गली, हाथरस (अलीगढ़) ।	२६	१२	५२	
४८४	रघुनाथ इनामेल्स लि०, बिहारी निवास, कानपुर ।	२६	१२	५२	
४८५	बनारसी शाह चरन सिंह, रेलवे रोड, रुड़की, सहारनपुर ।	२६	१२	५२	

१	२	३			४
४८६	यू० पी० कामर्शियल कारपोरेशन, १० अशोक मार्ग, लखनऊ।	२६	१२	५२	
४८७	बर्मा शेल पेट्रोल डिपो, ऐशबाग, लखनऊ।	३०	१२	५२	
४८८	सेण्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़।	२६	१२	५२	
४८९	देहली ग्लास वर्क्स लि०, मलकनगर, गाजियाबाद।	३१	१२	५२	
४९०	वाटर वर्क्स एण्ड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेण्ट आफ म्युनिसिपल बोर्ड, अल्मोड़ा।	३१	१२	५२	
४९१	दि ईस्ट इण्डिया कार्पेट कं० लि०, आगरा।	३१	१२	५२	
४९२	तेज इनामेल एण्ड मेटल कं० लि०, गणेश रोड, सहारनपुर।	३१	१२	५२	
४९३	ओबीटी लि०, ओबीटीगंज, गोपेपुर, पो० आ० गोपीगंज, बनारस।	३१	१२	५२	
४९४	दि शिव राइस मिल्स सेक्शन्स ए, बी एण्ड सी, बहराइच।	३१	१२	५२	
४९५	भारत होमियो फार्मेसी एण्ड अरोरा लेबोरेटरीज, लखनऊ।	३०	१२	५२	
४९६	दि अलीगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाइ कं० लि०, उदयसिंह जैन रोड, अलीगढ़।	३०	१२	५२	
४९७	बंगाल बीड़ी फैक्टरी, गणेशगंज, मिर्जापुर।	३१	१२	५२	
४९८	महाबीर ग्लास वर्क्स, मक्खनपुर, जि० मैनपुरी।	२	१	५३	
४९९	जनरल इञ्जीनियरिंग कं०, वृन्दावन।	६	१	५३	
५००	म्युनिसिपल वाटर वर्क्स, बाँदा।	१३	३	५३	
५०१	दि हिन्दुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, गाजियाबाद।	२५	३	५३	
५०२	इण्डियन लीफ टुबैको डेवलपमेण्ट कं० लि०, नकूर।	४	३	५३	
५०३	इण्डियन लीफ टुबैको डेवलपमेण्ट कं० लि०, गंगोह।	४	३	५३	

१	२	३			४
५०४	इण्डियन इंजीनियरिंग वर्क्स, ऐशबाग रोड, पो० बा० नं० १४८, लखनऊ।	११	४	५३	
५०५	बाटर वर्क्स, इलाहाबाद ।	२६	५	५३	
५०६	स्वदेशी ग्लास वर्क्स, फीरोज़ाबाद।	२७	६	५३	
५०७	अमृत आयल एण्ड जनरल मिल्स, कोमी-कलाँ, मथुरा ।	६	७	५३	
५०८	हरियाना आयल मिल्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ।	६	७	५३	
५०९	इमारती आयल मिल्स एण्ड आयरन फाउण्ड्री, ऐशबाग, लखनऊ।	६	७	५३	
५१०	जैन इण्डस्ट्रीज़ आयल, राईस, दाल एण्ड फ्लावर मिल्स, इतमादपुर, जिला आगरा।	६	७	५३	
५११	फूलचन्द कन्हैयालाल दाल एण्ड आयल मिल, कौंच, जिला जालौन।	६	७	५३	
५१२	दि यू० पी० आयल एण्ड फूड प्रोडक्ट् कं० गंज दुंदवारा, एटा।	१६	८	५३	
५१३	दि० यू० पी० गवर्नमेंट वर्कशाप, रुड़की।	१६	७	५३	
५१४	इम्पीरियल सर्जिकल कं०, ताल कटोरा रोड, लखनऊ।	३०	७	५३	
५१५	नानपारा इलेक्ट्रिक सप्लाई, नानपारा।	११	८	५३	
५१६	मोदी लालटेन वर्क्स, मोदीनगर जिला मेरठ।	१	९	५३	
५१७	पञ्जाब पेण्ट कलर एण्ड वार्निश वर्क्स, ४३ फजलगंज, कानपुर।	२	९	५३	
५१८	जीवनमल एण्ड कं०, ७८ फैक्टरी एरिया, फजलगंज, कानपुर।	२	९	५३	
५१९	दि मधुसूदन आयल मिल्स, हेवेट पार्क रोड, आगरा।	२	९	५३	
५२०	प्रह्लाद राम आयल मिल्स, जुही, कानपुर।	२	९	५३	
५२१	इण्टरनेशनल रबड़ मिल्स, बागपत रोड, मेरठ।	१४	८	५३	
५२२	रायपुर टी इस्टेट, बद्रीपुर, पो० आ० देहरादून।	३०	९	५३	

१	२	३			४
५२३	दि इंडियन ह्यूम पाइप कं० लि० इंडस्ट्रियल एरिया, ऐशबाग, लखनऊ।	३०	६	५३	
५२४	दि लोवर गैंजेज, यमुना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग कं० (इन लिक्वीडेशन), हाथरस।	२५	१०	५३	
५२५	,, ,, ,, ,, बुलन्दशहर।	५	१०	५३	
५२६	,, ,, ,, ,, जहाँगीराबाद।	२५	१०	५३	
५२७	,, ,, ,, ,, शिकारपुर।	२५	१०	५३	
५२८	,, ,, ,, ,, सियाना।	२५	१०	५३	
५२९	,, ,, ,, ,, गुलावथी।	२५	१०	५३	
५३०	,, ,, ,, ,, सिकन्दराबाद।	२५	१०	५३	
५३१	,, ,, ,, ,, डन्कौर।	२५	१०	५३	
५३२	,, ,, ,, ,, अनूपशहर।	२५	१०	५३	
५३३	,, ,, ,, ,, दिबाई।	२५	१०	५३	
५३४	,, ,, ,, ,, अतरौली।	२५	१०	५३	
५३५	,, ,, ,, ,, हरदुआगंज।	२५	१०	५३	
५३६	,, ,, ,, ,, बैकुण्ठनगर।	२५	१०	५३	
५३७	,, ,, ,, ,, सासनी।	२५	१०	५३	
५३८	,, ,, ,, ,, सिकन्दराबाद।	२५	१०	५३	
५३९	अम्बारी टी इस्टेट, पो० आ० चोहारपुर, जिला देहरादून।	१५	१०	५३	
५४०	स्टार ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फीरोजाबाद।	२	११	५३	
५४१	दि डेली अमर उजाला एण्ड अमर उजाला प्रेस, आगरा।	२	११	५३	
५४२	वाटर वर्क्स, म्युनिसिपल बोर्ड, हाथरस।	३	११	५३	
५४३	दि लार्ड कृष्ण टेक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर	८	३	५४	
५४४	किशुन लाल कामता प्रसाद शैलाक फैक्टरी, डंकिंगंज मिर्जापुर।	१६	८	५४	
५४५	प्रभु दत्त गनेश दत्त शैलाक फैक्टरी, गनेशगंज, मिर्जापुर।	१६	८	५४	
५४६	रघुनाथ प्रसाद शम्भू नाथ शैलाक फैक्टरी डंकिंगंज, मिर्जापुर;	१६	८	५४	

१	२	३			४
५४७	लाडी राम नारायनदास शैलाक फैक्ट्री गनेशगंज, मिर्जापुर।	१६	८	५४	
५४८	बद्री प्रसाद रतन चन्द्र शेलाक फैक्ट्री नरघट, मिर्जापुर।	१६	८	५४	
५४६	मोती राम अमृत लाल शेलाक फैक्ट्री नरघट, मिर्जापुर।	१६	८	५४	
५५०	हेल्थवेज़ फूड प्राडक्ट्स (शक्खर बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कं० (इंडिया) ८६, फैक्ट्री एरिया, फैजलगंज, पो० बा० नं० ३२३, कानपुर।	३	६	५४	
५५१	म्युनिसिपल पावर हाउस एण्ड वाटर वर्क्स ड्रेनेज, उन्नाव।	५	६	५४	
५५२	लिपटन लि० नैनी, इलाहाबाद।	२२	६	५४	
५५३	हिन्द लैम्प्स लि०, शिकोहाबाद (मैनपुरी)	२८	६	५४	
५५४	नार्दर्न इंडिया आयरन प्रेस वर्क्स, ऐशबाग, लखनऊ।	२६	६	५४	
५५५	सैनिक प्रेस, केसारथ बाजार आगरा।	३	१०	५४	
५५६	यूनाइटेड केमिकल वर्क्स, २०, फैजलगंज फैक्ट्री एरिया, कानपुर।	१८	११	५४	
५५७	दौराला शुगर वर्क्स डिस्टिलरी दौराला जि० मेरठ।	१८	११	५४	
५५८	दि कैसर डिस्टिलरी, बहेड़ी जि० बरेली।	१६	११	५४	
५५६	म्युनिसिपल इलेक्ट्रिक सप्लाई रिषीकेश म्यूनिसिपल बोर्ड रिषीकेश जि० देहरादून।	२६	११	५४	
५६०	वाटर वर्क्स, मिर्जापुर।	२६	११	५४	
५६१	वाटर वर्क्स मथुरा।	१६	१२	५४	
५६२	दि यूनाइटेड प्राविंसेज टैनरी कं० लि०, जाजमऊ कानपुर।	२१	१२	५४	
५६३	दि नारंज इन्डस्ट्रीज़ (डिस्टिलरी) लि० पो० आ० शुगर फैक्ट्री, नवाबगंज गोंडा।	२२	१२	५४	

१	२	३			४
५६४	सरैया डिस्टिलरी सरदार नगर गोरखपुर।	२२	१२	५४	
५६५	कैरू एण्ड कं० लि०, (डिस्टलरी) रोज़ा, जि० शाहजहाँपुर।	२४	१२	५४	
५६६	दि मिडलैंड फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्राडक्ट्स (इंडिया), मसानी स्टेशन, मथुरा।	३०	१२	५४	

परिशिष्ट स

१. उत्तर प्रदेश में श्रम-प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारियों की सूची

१. लखनऊ-स्थित सरकार का मुख्य कार्यालय

(१) आचार्य युगल किशोर	श्रम एवं समाज कल्याण मंत्री
(२) श्री के० एन० सिंह	सचिव, श्रम विभाग
(३) श्री० एच० एस० शर्मा	अवर सचिव, श्रम विभाग
(४) श्री हारुन अहमद	सहायक सचिव, श्रम विभाग

२. कानपुर-स्थित श्रमायुक्त का संगठन

(१) श्री ओंकार नाथ मिश्र, आई० ए० एस०	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश तथा प्रादेशिक प्राविडेण्ट फन्ड कमिश्नर उत्तर प्रदेश, पदेन संयुक्त सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
(२) श्री जय नारायण तिवारी, आई० ए० एस०	प्रति श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(३) श्री महेशचन्द्र पन्त	प्रति श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश तथा श्रमिक संघ निबन्धक, पदेन प्रति-सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
(४) श्री शिवप्रसाद पांडे, यू० पी० सी० एस०	प्रति श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश,
(५) श्री उदयवीर सिंह, यू० पी० सी० एस०	सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश
(६) श्री जगदीश्वर प्रसाद	,, ,,
(७) श्री शिवप्रताप सिंह	,, ,,
(८) डा० बंसीधर	,, ,,
(९) श्री रघुबरदत्त पन्त,	संराधन अधिकारी, (अनुसंधान अधिकारी)
(१०) श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा,	संराधन अधिकारी, (संख्या अधिकारी)

(११) श्री हरिनारायण बाजपेयी	श्रम सूचना अधिकारी
(१२) डा० विद्याधर अग्निहोत्री	संराधन अधिकारी
(१३) श्री पवनबिहारी लाल,	सहायक श्रमिक संघ निबंधक
(१४) श्री अभयराम दत्त सिर्सवाल	श्रमिक संघ निरीक्षक
(१५) श्रीमती सुशीला गंजू	श्रम हितकारी अधिकारी
(१६) डा० नरेन्द्र वर्मा, पी० एम० एस० द्वितीय	चिकित्सा अधिकारी, राजयक्ष्मा चिकित्सालय, कानपुर
(१७) डा० एस० एन० मलहोत्रा, पी० एम० एस०, द्वितीय	अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी ,,
(१८) श्री प्रेमबहादुर सक्सेना	सहायक श्रम हितकारी अधिकारी
(१९) श्रीमती कुन्तला रावल	सहायक महिला हितकारी अधिकारी
(२०) श्री नन्दलाल दीक्षित	विशेषाधिकारी (कृषि-सम्बन्धी), न्यूतम वेतन शाखा।
(२१) श्री पी० डी० मालविया	सहायक लेखाधिकारी
(२२) श्रीमती कौशल्या शंकस	वस्त्र कार्य विशेषज्ञ तथा समया ध्ययन अधिकारी

ब्वायलर निरीक्षक कार्यालय

(१) श्री रामप्रसाद सिंह	मुख्य ब्वायलर निरीक्षक, उ० प्र०		
(२) श्री रामेश्वरदयाल वर्मा	ब्वायलर निरीक्षक,	उत्तर प्रदेश	
(३) श्री शिवराम भट्ट	,,	,,	,,
(४) श्री श्रीनारायण निगम	,,	,,	,,
(५) श्री भगवान सहाय जैमन	,,		,,
(६) श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	,,		,,
(७) श्री बी० एम० पांचाल	,,		,,
(८) श्री के० सी० एन० जौहरी	,,		,,

कारखाना निरीक्षक कार्यालय

(१)	श्री गुरुदत्त बिश्नोई	कारखानों के मुख्य निरीक्षक तथा उत्तर प्रदेशीय दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान मुख्य निरीक्षक
(२)	श्री मिर्ज़ा मुहम्मद हुसनैन किजलबाश	प्रति मुख्य कारखाना निरीक्षक
(३)	श्री मियाँ मुहम्मद सिद्दीक	कारखाना निरीक्षक (छुट्टी पर विदेश में)
(४)	" राम भगत गर्ग	"
(५)	" भिक्खीलाल भगत	"
(६)	" महेशचन्द्र माथुर	"
(७)	" रमेशचन्द्र निगम	"
(८)	" मदनमोहन शर्मा	"
(९)	" प्रेमचन्द्र जोशी	"
(१०)	" विश्वनाथ अग्रवाल	"
(११)	" दूरदर्शक	"
(१२)	" अमरनाथ मिश्र	"
(१३)	" नरेन्द्रप्रताप जौहरी	"
(१४)	" बनवारीलाल शुक्ल	"
(१५)	" नानक प्रसाद सिनहा	"
(१६)	" लक्ष्मण स्वरूप गोविल	"
(१७)	" मनमोहन लाल भार्गव	"
(१८)	" श्यामप्रसाद	"
(१९)	" प्रयाग नारायण साभरवाल	प्रति मुख्य निरीक्षक दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान

३. प्रादेशिक संराधन अधिकारी

(१)	श्री हरीमोहन मिश्र	प्रादेशिक संराधन अधिकारी, कानपुर
(२)	" सतीशनारायण सक्सेना	अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, कानपुर

(३) श्री रामफूल महेश्वरी	अतिरिक्त प्रा० सं० अ०, कानपुर
(४) " हरी कृष्ण कौल	"
(५) " कामेश्वरनाथ	"
(६) " श्यामनारायण सिंह	" रामपुर
(७) " आदित्यप्रसाद त्रिवेदी	" लखनऊ
(८) श्री वीरेन्द्रकुमार सिंघल	श्रम अधिकारी, कानपुर
(९) ,, प्रेमनारायण सक्सेना	अ० प्रा० सं० अ०, मेरठ
(१०) ,, जयनारायण खन्ना	प्रा० सं० अ०, गोरखपुर
(११) ,, जयनारायण श्रीवास्तव	प्रा० सं० अ०, इलाहाबाद
(१२) ,, पी० सी० कुलश्रेष्ठ	अ० प्रा० सं० अ० गोरखपुर
(१३) ,, महेश प्रसाद विद्यार्थी	प्रा० सं० अ०, लखनऊ
(१४) ,, ए० बी० कारिढाल	अ० प्रा० सं० अ०, इलाहाबाद
(१५) ,, एस० बी० हैकरवाल	प्रा० सं० अ०, बरेली
(१६ ,, जे० एन० सिंह	अ० प्रा० सं० अ०, आगरा
(१७) ,, कमला कान्त पाण्डेय	प्रा० सं० अ०, मेरठ
(१८) ,, जय बहादुर	अ० प्रा० सं० अ०, आगरा

४. माननीय लेबर एपेलेट ट्राइब्यूनल आफ (इण्डिया लखनऊ बेंच)

१ श्री मुहम्मद वलीउल्लाह, अध्यक्ष

२ ,, विन्ध्य वासिनी प्रसाद, सदस्य

५. राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

१ श्री राधामोहन, आई० ए० एस०, अध्यक्ष

२ ,, रामचरण वर्मा अवकाश-प्राप्त जिला न्यायधीश सदस्य

३ ,, विजय पाल सिंह, अवकाश-प्राप्त जिला न्यायधीश "

६. उत्तर प्रदेश में श्रम-प्रशासन सम्बन्धित अन्य अधिकारी :—

(१) श्री एस० के० वाधवान	प्रादेशिक संचालक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर।
(२) ,, एच० एन० शिवपुरी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं (सामाजिक बीमा) के प्रति संचालक

(३) श्री इकबालबहादुर सिंह	चिकित्सा निर्देशक
(४) ,, ए० एन० विदानी	डिप्टी री० डाइरेक्टर
(५) ,, एल० पी० गुप्ता	सहायक ,, ,,
(६) ,, एस० एन० मेहरोत्रा	,, ,, ,,
(७) ,, डी० डी० सेठी	प्रबन्धक
(८) ,, श्री ए० पी० अग्रवाल	न्यायाधीश, कर्मचारी बीमा न्यायालय कानपुर
(९) ,, पी० तिवारी	प्रादेशिक निर्वाह निधि निरीक्षक
(१०) ,, जे० ए० रिज़वी	प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, कानपुर।

७. पुनर्वास एवं नियोजन, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक संचालक का कार्यालय

(१) श्री राधाकांत, आई० ए० एस०	प्रादेशिक, पुनर्वास एवं नियोजन संचालक, उत्तर प्रदेश
(२) ,, जे० ए० रिज़वी	प्रति प्रादेशिक, पुनर्वास एवं नियोजन संचालक उत्तर प्रदेश
(३) ,, डी० एन० जोशी	अतिरिक्त प्रति संचालक, (कार्यवाहक, समुदाय, श्रम योजना, गोरखपुर)
(४) ,, रामनारायण स्वरूप	सहायक संचालक, नियोजन-कार्यालय
(५) ,, पी० एस० मोगल	सहायक संचालक प्रशिक्षण
(६) ,, शंकरानन्द	सहायक संचालक, नियोजन-कार्यालय प्रधान कार्यालय आगरा में
(७) ,, रतनस्वरूप,	प्रादेशिक नियोजन अधिकारी, कानपुर
(८) ,, डी० के० टिक्कू	नियोजन अधिकारी, लखनऊ
(९) ,, बी० एस० मेहता	नि० अ०, आगरा
(१०) ,, एस० एन० सिन्हा	,, ,, इलाहाबाद
(११) ,, एस० बाराथोके	,, ,, अल्मोड़ा
(१२) ,, एम० एम० खान घारसी	,, ,, बरेली

१३ ,, एस० एन० मालवीय	नियोजन अधिकारी गोरखपुर
१४ ,, सी० एल० बार्ड	,, ,, झाँसी
१५ ,, जे० सी गुप्त	,, ,, मेरठ
१६ ,, पी० एस० नेगी	,, ,, लैन्सडाउन
१७ ,, जगदीश राय	नियोजन सम्पर्क अधिकारी, कानपुर

२. श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक कार्यालयों एवं उप-कार्यालयों की सूची

अ—प्रादेशिक सराधन अधिकारियों के कार्यालय

१. प्रादेशिक संराधन कार्यालय, ३२ गार्डन रोड आगरा

२. ,, ,, ,,	३ ए, एलगिन रोड, इलाहाबाद
३. ,, ,, ,,	२४, सिविल लाइन, बरेली

३ अ. अतिरिक्त प्रादेशिक सराधन कार्यालय (बरेली) रामपुर में, कमर मंजिल, मुरादाबाद रोड, रामपुर

४. प्रादेशिक संराधन कार्यालय,	पुलिस लाइन रोड, गोरखपुर
५. ,, ,, ,,	१०, नवलकिशोर रोड, लखनऊ
६. ,, ,, ,,	२४३ ए, सर्क्यूलर रोड, मेरठ
७. ,, ,, ,,	गुटैया, जी० टी० रोड, कानपुर

ब—न्यूनतम वेतन निरीक्षकों के कार्यालय

१. वेतन निरीक्षक	३२, गार्डन रोड, आगरा
२. ,, ,,	११ वारेल गंज, सीपरी बाजार, झांसी
३. ,, ,,	४, इन्दर रोड, देहरादून
४ ,, ,,	मार्फत स्थानीय श्रम निरीक्षक, बनकटवा, गोंडा
५ ,, ,,	आलमनगर, सीतापुर
६. ,, ,,	लक्ष्मीकुण्ड, बनारस
७. ,, ,,	द्वारा पोस्ट-मास्टर, पडरौना।
८. ,, ,,	१६६ कोठी डा० राम स्वरूप, सिविल, लाइन्स, मुरादाबाद।

९. वेतन निरीक्षक	ठाकुर यदुनाथ सिंह एडवोकेट का मकान, मुहल्ला कटरा, बाँदा
१०. ,, ,,	शांति निवास अम्बाला रोड, सहारनपुर
११. ,, ,,	११३, महाजन टोली, गाजीपुर
१२. ,, ,,	१०, नवलकिशोर रोड, लखनऊ
१३. ,, ,,	रोड, नं० ३, न्यू मण्डी, मुजफ्फनगर
१४. ,, ,,	प्रादेशिक संराधन अधिकारी, कानपुर
१५. वेतन सहायक अलीगढ़	द्वारादूकानों के स्थानीय श्रम निरीक्षक, रामघाट रोड, अलीगढ़
१६ ,, ,, बरेली	द्वारा प्रादेशिक संराधन अधिकारी, ३४, सिविल लाइन, बरेली
१७. वेतन सहायक गोरखपुर	द्वारा प्रादेशिक संराधन अधिकारी, पुलिस लाइन रोड, गोरखपुर
१८. ,, ,, हाथरस	द्वारा स्थानीय श्रम निरीक्षक, बेनीराम बाग, हाथरस
१९. ,, ,, फीरोजाबाद	द्वारा स्थानीय श्रम निरीक्षक, हरीनगर, फीरोजाबाद
२०. ,, ,, आगरा	द्वारा दूकान निरीक्षक, ७६ सिविल लाइन, फिलिप्स लाज, आगरा

स—दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान निरीक्षकों के कार्यालय

१. दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान निरीक्षक,	७५ फिलिप्स रोड, सिविल लाइन आगरा
२. ,, ,, ,,	११, एलबर्ट रोड, इलाहाबाद
३. ,, ,, ,,	४ सिविल लाइन, बरेली
४. ,, ,, ,,	डी० १५१।१५८ लक्ष्मीकुण्ड बनारस
५. ,, ,, ,,	अख्तरी मंजिल, मुहम्मद हमदानी कोठरी, रीडगंज, फैजाबाद
६. ,, ,, ,,	अफ़ाक भवन, गोलघर, गोरखपुर

७. दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान निरीक्षक, ७७, चार्लगंज, झाँसी			
८. ,,	,,	,,	हजरतगंज ,प्रिंस सिनेमा के निकट लखनऊ
९. ,,	,,	,,	श्याम भवन, प्रेमपुरी, स्टेशन रोड मेरठ
१०. ,,	,,	,,	कोठी डा० रामस्वरूप सिविल लाइन, मुरादाबाद
११. ,,	,,	,,	७६, रामघाट रोड, अलीगढ़
१२. ,,	,,	,,	इस्टर्न लोहाई स्ट्रीट, फर्रुखाबाद
१३. ,,	,,	,,	मार्फत, आर० एस० रावल मार्डन टाउन, गाजियाबाद

द—स्थानीय श्रम निरीक्षकों के कार्यालय—

१. स्थानीय श्रम निरीक्षक			बेनीराम बाग, मंडी, हाथरस
२.	,,	,,	हरीनगर कोठी, फीरोजाबाद
३.	,,	,,	शांति निवास, अम्बाला रोड, सहारनपुर
४.	,,	,,	बनकटवा रोड, गोंडा
५.	,,	,,	डी ५१।१५८ लक्ष्मीकुंड, बनारस
६.	,,	,,	कमर मंजिल, मोरादाबाद रोड, रामपुर

इ उत्तर प्रदेश में राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र

वर्ग 'ए'

१.—राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र			ग्वालटोली, कानपुर
२.	,,	,,	जुही, कानपुर
३.	,,	,,	परम पुरवा, कानपुर
४	,,	,,	चमनगंज, कानपुर
५	,,	,,	गोविन्द नगर, कानपुर

६	राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र	शास्त्री नगर, कानपुर
७	,, ,,	हीवट पार्क, आगरा
८	,, ,,	फैजगंज, मुरादाबाद
९	,, ,,	ईश्वरी गंगी, बनारस
१०	,, ,,	प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरी, इलाहाबाद
११	,, ,,	लाखी गेट, सहारनपुर
१२	,, ,,	७ एफ, जी० टी० रोड, गाजियाबाद
		वर्ग 'बी'
१३	राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र	दर्शनपुरवा, कानपुर
१४	,, ,,	डिप्टी का पड़ाव, कानपुर
१५	,, ,,	पुराना कानपुर, कानपुर
१६	,, ,,	बाबूपुरवा, कानपुर
१७	,, ,,	लाल दिग्गी, मिर्जापुर
१८	,, ,,	सिविल लाइन, पो० आ० ज्वालागर, रामपुर
१९	,, ,,	नई बस्ती, मकान नं० ६०९ व ६१०, झाँसी
२०	,, ,,	हरबंसवाला टी इस्टेट, पो० आ० प्रेमनगर, देहरादून
२१	,, ,,	उदयबाग टी इस्टेट, पो० आ० चौहारपुर, देहरादून
२२	,, ,,	निशातगंज, लखनऊ
२३	,, ,,	चारबाग, लखनऊ
२४	,, ,,	गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस, लखनऊ
२५	,, ,,	रेलरोड, फीरोजाबाद
२६	,, ,,	क्लटरबकगंज, बरेली
२७	,, ,,	पीली कोठी, जयगंज, अलीगढ़
२८	,, ,,	न्यू गवर्नमेन्ट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ
		वर्ग 'सी'
२९	राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र	रामनारायण बाजार, कानपुर
३०	,, ,, ,,	कर्नलगंज, कानपुर

३१	राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र	जरीब की चौकी, कानपुर
३२	,, ,,	जाजमऊ, कानपुर
३३	,, ,,	मीरपुर, कानपुर
३४	,, ,,	माधौबारी, बरेली
३५	,, ,,	खलासी लाइन, सहारनपुर
३६	,, ,,	मदारगेट, अलीगढ़
३७	,, ,,	हाथरस
३८	,, ,,	बिजली मिल के निकट, हाथरस
३९	,, ,,	फोटो लिथो प्रेस, रुड़की
४०	,, ,,	चौबे जी का बाग, फीरोजाबाद

मौसमी केन्द्र :

४१ रामकोला शुगर फैक्टरी, रामकोला

४२ बलरामपुर शुगर मिल्स, बलरामपुर

४३ अपर इण्डिया शुगर वर्क्स, खतौली

४४ अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर (मुरादाबाद)

परिशिष्ट द

विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत १९५४ में उत्तर प्रदेशीय सरकार एवं भारत सरकार द्वारा (उत्तर प्रदेश में प्रचारित) महत्वपूर्ण गज़ट विज्ञप्तियाँ

परिशिष्ट द-१ (१)

उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत निर्मित समझौता-व्यवस्था की स्थापना-सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ

सं० ३१०२ (एल एल)। ३६ (बी)-३८६ (एल एल)—५०
८ जनवरी, १९५४

यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ (उत्तर प्रदेश का १९४७ का २८ वाँ अधिनियम) की धारा २३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने न्यायाधिकरण के निर्णयों अथवा उत्तर प्रदेश में न्यायाधिकरण के सम्मुख कार्यवाहियों में लगाये गये पत्रों की प्रति- लिपि प्रदान करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाये हैं। ये नियम १० जनवरी, १९५४ ई० से लागू होंगे :—

नियमावली

१—विवाद के किसी पक्ष को मुकदमे की किसी अवस्था मे मामले के या उसके किसी भाग से संबन्धित अभिलेखों को, जिनमें गवाही के लिए पेश किये गए तथा उसके लिए स्वीकृत प्रदर्शित सामग्री शामिल है किन्तु गोपनीय कागजात तथा कार्यालय की टिप्पणियाँ शामिल नहीं है, प्रतिलिपि पाने का अधिकार होगा।

२—विवाद से असम्बन्धित व्यक्ति प्रार्थनापत्र देने पर निर्णय के पश्चात् निर्णय की अथवा मुकदमे के विषय में लेखबद्ध कागजातों की, गोपनीय कागजातों और कार्यालय की टिप्पणियों को छोड़कर, प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है।

३—न्यायालय (ट्रायब्यूनल) के कार्यालय से दिऐ जाने के पूर्व प्रत्येक ऐसी प्रतिलिपि की जाँच कर ली जायगी और उसको ठीक होना प्रमाणित कर दिया जायगा। किसी भी ऐसी प्रतिलिपि को प्रमाणित न किया जायगा, जो ट्रायब्यूनल के कार्यालय मे ही तैयार न की गई हो।

टिप्पणी—ट्रायब्यूनल से अर्थ औद्योगिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए गए अभिनिर्णायकों से है।

४—औद्योगिक न्यायालय के निर्णय या उसके समक्ष होनेवाली कार्यवाही के लिए फाइल किए गये कागजातों की अँग्रेजी तथा हिंदी प्रतिलिपियों को तैयार करने और प्रमाणित करने की फीस निम्नलिखित होगी :—

(१) प्रतिलिपि करने की फीस—

(अ) प्रथम २०० शब्दो या उससे कम के लिए १३ आना,

(ब) इसके अतिरिक्त प्रति १०० अथवा उसके किसी अश के शब्दो के लिए ६ आना।

(२) प्रतिलिपि को प्रमाणित करने के लिए फीस एक रुपया होगी।

(३) प्रतिलिपि करने या प्रमाणित करने की फीस अग्रिम नगद दी जायगी और उसकी रसीद निर्धारित प्रपत्र पर हेडक्लर्क अथवा सम्बन्धित क्लर्क के हस्ताक्षर से जमा करनेवालो को दी जायगी।

(४) जब कोई पक्ष प्रतिलिपि को तुरन्त देने की प्रार्थना करता है तो फीस उपरोक्त उपनियम (१) मे उल्लिखित फीस से ५० प्रतिशत अधिक होगी।

उपबन्ध यह है कि ट्रायब्यूनल के निर्णय की एक एक प्रतिलिपि विवाद से सम्बन्धित पक्षो को तथा ऐसे पक्षो को, जिनके लिये राज्य सरकार सदर्भ आदेश मे अथवा अन्य प्रकार से आदेशित करे, नि शुल्क दी जायगी और किसी पक्ष, व्यक्ति अथवा अधिकारी के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रतिलिपि भी ट्राइब्यूनल की आज्ञा से नि शुल्क अथवा कागजातो की प्रतिलिपि के लिए निर्धारित मूल्य पर दी जा सकती है।

(५) निर्णय अथवा कागजातो की प्रतिलिपियो के लिए प्रार्थनापत्रो को कार्य दिवसो पर ११ बजे और तीन बजे दिन के बीच मे स्वत उपस्थित होकर अथवा अभिकर्ता द्वारा अथवा निर्धारित प्रपत्र पर डाक द्वारा प्रादेशिक सराधन अधिकारी को दिया जायगा। तात्कालिक आवश्यकता की प्रतिलिपियो के लिये काम के घटो मे किसी समय भी प्रार्थनापत्र दिया जा सकता है।

(६) प्रतिलिपियो के लिए प्रार्थनापत्र निर्धारित प्र त्र पर, जो इस नियमावली के साथ सलग्न है और जिसकी प्रतिलिपिया ट्रायब्यूनल के कार्यालय से प्राप्त हो सकती है, दिया जायगा।

(७) प्रतिलिपि के लिए प्रार्थनापत्र पाने पर हेडक्लर्क या सबन्धित क्लर्क प्रार्थी को लगनेवाली फीस की रकम की तथा यह सूचना देगा कि उसके प्रार्थनापत्र को तब तक पूरा नही समझा जायगा और प्रतिलिपि को तैयार करने का काम तब तक प्रारभ नही किया जायगा जब तक कि वह फीस की रकम जमा नही कर चुकेगा।

प्रतिलिपि करने तथा प्रमाणित करने की फीस की रसीदे '३६ विविध विभाग-अन्य प्राप्तियाँ' शीर्षकवाले हिसाब मे दी जायेगी।

(८) यदि अपर्याप्त अथवा गलत वर्णन करने के कारण जिस अभिलेख की प्रतिलिपि माँगी गई है, उसका पता नही चलता तो उस तथ्य को प्रार्थनापत्र पर अकित किया जाना

चाहिए और फिर उसे औद्योगिक न्यायालय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अथवा संबन्धित संराधन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

(९) यदि फीस की आनुमानित रकम प्रार्थी को सूचित करने के सात दिन के भीतर जमा नहीं की जाती तो प्रतिलिपि के लिए दिए गए प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर दिया जायगा।

(१०) यदि प्रार्थनापत्र को नियम ९ के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है और प्रतिलिपि फिर भी माँगी जाती है तो प्रार्थनापत्र फिर से देना होगा और निर्धारित तरीके से उस पर कार्यवाही ऐसे होना चाहिए जैसे कि प्रथम प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया है।

(११) जब आनुमानित रकम जमा कर दी जाय तो इस आशय का उल्लेख तथा जमा करने की तारीख प्रार्थनापत्र में इस प्रयोजन के लिए निश्चित स्थान पर लिख दी जायगी और प्रार्थी से उस प्रविष्ट पर हस्ताक्षर करा लिए जायेंगे। जिस तारीख को प्रतिलिपि तैयार होगी, वह भी प्रार्थनापत्र के प्रपत्र के निर्धारित स्तम्भ में लिख दी जायगी और इसी प्रकार की प्रविष्टि प्रार्थनापत्र की नकल पर भी कर दी जायगी। प्रार्थी नकल को अपने पास रखेगा और प्रतिलिपि पाने के लिए निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।

(१२) जब यह निश्चय हो जाता है कि अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता है तो प्रार्थी को उस रकम की सूचना तुरन्त दी जायगी और सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर उसे जमा करना होगा।

(१३) जब प्रार्थी नियम १२ की पूर्ति कर देता है तो प्रार्थनापत्र की नकल की पीठ पर अतिरिक्त रकम, भुगतान की तारीख और प्रतिलिपि पाने की दुबारा निर्धारित तिथि का उल्लेख हो जाना चाहिए। इस टिप्पणी पर प्रार्थी और हेडक्लर्क दोनों को हस्ताक्षर करना चाहिए।

(१४) प्रतिलिपियाँ प्राथमिकता के ठीक क्रम से तैयार की जायेंगी और जहाँ किसी विशेष कारण से इस नियम को छोड़ने का प्रस्ताव होगा वहाँ ट्रायब्यूनल के अध्यक्ष की अथवा उसके द्वारा अपने बदले में नियुक्त अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

(१५) प्रत्येक प्रतिलिपि पर प्रतिलिपि करने वाले प्रतिलिपिक के हस्ताक्षर तथा जिस तारीख को प्रतिलिपि पूरी हुई, वह लिखो होनी चाहिए। उस पर उस क्लर्क के भी हस्ताक्षर होने चाहिए, जिसने प्रतिलिपि की जाँच की और वह तारीख भी, जिस पर प्रतिलिपि की गई।

(१६) साधारण परिस्थिति में प्रतिलिपि आवश्यक शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क जमा करने के तीसरे दिन १ बजे दिन तक दे दी जानी चाहिए।

(१७) यदि प्रार्थी अपना पता तथा रजिस्ट्रेशन (ए० डी) के व्यय के लिए पर्याप्त रकम दे देता है तो प्रतिलिपि डाक द्वारा भेजी जा सकती है ।]

(१८) एक सूचना कि कौन सी प्रतिलिपियाँ दी जाने के लिए तैयार हैं प्रतिदिन काम की समाप्ति पर नोटिस बोर्ड मे लगा दी जायगी ।

(१९) यदि प्रार्थी, जिस महीने मे प्रतिलिपि दिए जाने के लिए तैयार हुई, उसके बाद के महीने की अन्तिम तारीख तक प्रतिलिपि लेने के लिए उपस्थित नही होता है अथवा नियम १२ मे निर्धारित अतिरिक्त शुल्क को जमा नही कर पाता है तो वह प्रतिलिपि नष्ट कर दी जायगी ।

(२०) प्रमाणित प्रतिलिपि पर ट्रायब्यूनल की मुहर होगी और सही प्रतिलिपि होने का उस पर उल्लेख होगा तथा उस पर ट्रायब्यूनल के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य सदस्य या अभिनिर्णायक या प्रादेशिक सराधन अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे ।

(२१) जब कोई प्रतिलिपि दी जाती है तो प्रतिलिपि की पीठ पर निम्नलिखित बातो का अधोलिखित रूप मे उल्लेख होगा :—

(१) प्रतिलिपि के लिए प्रार्थनापत्र की तारीख
(२) देय फीस की सूचना देने की तिथि
(३) फीस जमा करने की तिथि
(४) तिथि जब कि प्रतिलिपि देने के लिए तैयार हुई
(५) तिथि जब प्रार्थी को प्रतिलिपि दी गई ।

(२२) प्रतिलिपियो के लिए प्रार्थनापत्रो के सबध मे एक रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र मे (इस नियमावली के साथ सग्लन प्रपत्र ब) रखा जायगा और नित्य अध्यक्ष, ट्रायब्यूनल के सदस्य, प्रादेशिक सराधन अधिकारी या अतिरिक्त ादेशिक सराधन अधिकारी द्वारा, जैसा भी हो, देखा जायगा ।

प्रपत्र अ

प्रतिलिपि के लिए प्रार्थनापत्र

राज्य औद्योगिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । श्री . . . .
प्रादेशिक सराधन अधिकारी । अतिरिक्त सराधन अधिकारी.... .... अभिनिर्णायक ।

क्रम सख्या—

कारखाना/कारखानों, जिस/जिनका नाम .... है तथा उसके । उनके श्रमिको के बीच औद्योगिक विवाद के मुकदमा सख्या... ....

के $\frac{\text{निर्णय}}{\text{अभिलेख}}$ की $\frac{\text{साधारण}}{\text{तात्कालिक}}$ प्रतिलिपि के लिए प्रार्थनापत्र

जिस अभिलेख की प्रतिलिपि माँगी गई है, उसका विवरण	नीचे हस्ताक्षर करनेवाला उपर्युक्त मुकदमे की, जिसका ता:.................. को निर्णय दिया गया था, बायें किनारे उल्लिखित कागजातों की ट्रायब्यूनल। अभिनिर्णायक की फाइल से प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए प्रार्थना पत्र देता है।
	प्रार्थी के हस्ताक्षर...........................

कार्यालय की रिपोर्ट

प्रतिलिपि में........शीट कागज लगेंगे व्यय का अनुमान

....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

क्लर्क हेड क्लर्क

अभिलेख प्राप्त होने की तारीख..............

प्रतिलिपि तैयार होने की तारीख..............

प्रतिलिपि पूरी हुई वह तारीख...........

प्रतिलिपि दी गई वह तारीख.............

क्रम संख्या..................	
उपर्युक्त संख्या की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ आनुमानित व्यय ....रु०.........आ०.......	प्रतिलिपि पाने की तारीख .... प्रार्थी
कापी लेने के लिए उपस्थित होने की तारीख	
हेड क्लर्क	

टिप्पणी— प्रार्थनापत्र को तब तक पूरा नहीं समझा जायगा जब तक कि शुल्क का पूरा भुगतान नहीं किया जायगा, जो व्यय के अनुमान के ७ दिन के भीतर हो जाना चाहिए। सभी पूछ-ताँछ और शिकायतों के साथ यह नकल आना चाहिए। जब प्रतिलिपि दी जायगी तो इसे वापस कर देना होगा।

प्रपत्र ब

राज्य औद्योगिक न्यायालय, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद .... प्रादेशिक संराधन अधिकारी। अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी

प्रतिलिपि के प्रार्थनापत्र का रजिस्टर

क्रम संख्या	प्रार्थनापत्र पाने की तारीख	प्रार्थी का नाम	निर्णय या अभिलेख का विवरण	प्रतिलिपि की आनुमानित फीस	रसीद संख्या और फीस जमा कर देने की तारीख	प्रतिलिपि करने-वाला	मिलान करने-वाला	प्रतिलिपि तैयार (तारीख)	प्रतिलिपि दी गई (तारीख)	विशेष

परिशिष्ट द— १ (२)

संख्या १३२१ (एलएल) ३६–(बी) १८० (एलएल) ५२

१८ जून, १९५४ ई०

सरकारी विज्ञप्ति संख्या ९७० (एलएल) । ३६ (बी) १८० (एलएल) .५२ दिनांक १३ मई, १९५४ ई० के क्रम में और सरकारी आज्ञा संख्या ६१५ (एलएल) । १८-७(एलएल). ५१ दिनांक १५ मार्च, १९५१ ई० के वाक्यखंड १४ के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय श्री महेश-प्रसाद विद्यार्थी, प्रादेशिक संराधन अधिकारी, इलाहाबाद या श्री जयनारायण श्रीवास्तव को जिनकी बदली इलाहाबाद को की जारही है, इलाहाबाद में स्थित राजकीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु आए हुए समस्त औद्योगिक विवादों में आवश्यकतानुसार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिनिधि रूप में १४ जुलाई, १९५४ ई० तक भाग लेने का अधिकार देते हैं ।

परिशिष्ट द—१(३)

सं० ७८९ (एल एल) ३६ (बी) ८३ (एल एल) ५३

२३ जून, १९५४ ई०

राज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा के संरक्षण के लिये सार्वजनिक व्यवस्था स्थापित रखने के लिये तथा समाजिक जीवन तथा कारबार के लिये आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति तथा सेवाओं के बनाये रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक है :

अतएव अब यू० पी० इन्डस्ट्रियल ऐक्ट, १९४७ (१९४७ का २८वां अधिनियम) की धारा ३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर तथा १८ नवम्बर, १९५० की विज्ञप्ति संख्या २२६५ (एल एल) १८-३७(एल एल) ४८ द्वारा संशोधित विज्ञप्ति सं० ४२२(एल एल) १८-८१० एल, दिनांक १८ जून, १९४८ को अधिक्रांत कर राज्यपाल निम्नलिखित आज्ञा देते हैं और आदेश देते हैं कि उक्त ऐक्ट की धारा १९ के अनुसार इस आज्ञा की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जाय :—

१—(१) कोई व्यक्ति, जो किसी संस्थान में नौकर हो, किसी औद्योगिक झगड़े के सम्बन्ध में हड़ताल करने के पूर्व एक मास के अन्दर अपने मालिक को हड़ताल करने की कम से कम १४ दिन की नोटिस दिये बिना कोई हड़ताल न करेगा ।

(२) किसी संस्थान का कोई मालिक किसी औद्योगिक झगड़े के सम्बन्ध में अपने कर्मचारियों को द्वारावरोध (lock out)द्वारा काम पर आने से न रोके जब तक कि वह द्वारा-वरोधसे एक मास के अन्दर द्वारावरोध करने के विचार की कम से कम १४ दिन की नोटिस अपने संस्थान में किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित न कर दे । किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस दशा में जब कि संस्थान में हड़ताल चल रही हो—ऐसी नोटिस देना आवश्यक न होगा, परन्तु जिस दिन द्वारावरोध घोषित किया जाय, उसी दिन उसकी सूचना स्टेट लेबर कमिश्नर (राज्य श्रम कमिश्नर) तथा सम्बद्ध रीजनल कन्सीलिएशन आफिसर (प्रादेशिक संराधन अधिकारी) को भेज दी जायगी ।

(३) इस आज्ञा के खंड १ या २ के अधीन दी गई हड़ताल अथवा द्वारावरोध प्रत्येक नोटिस में एक तारीख निर्दिष्ट की जायगी और इस तारीख के तीन दिन के भीतर यदि नोटिस के अनुसार कोई हड़ताल या द्वारावरोध न हो तो नोटिस प्रभाव शून्य हो जायगी तथा हड़ताल या द्वारावरोध के लिये १४ दिन की नयी नोटिस देने की आवश्यकता होगी ।

(४) किसी हड़ताल या द्वारावरोध के सम्बन्ध में इस आज्ञा के खंड १ या २ के अधीन दी गई प्रत्येक नोटिस की एक प्रतिलिपि नोटिस जारी करने के दिन रजिस्ट्री द्वारा स्टेट लेबर कमिश्नर (राज्य श्रम कमिश्नर) तथा सम्बद्ध रीजनल कन्सीलियेशन आफिसर (प्रादेशिक संराधन अधिकारी) के पास भेजी जायगी ।

(५) कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को किसी हड़ताल या द्वारावरोध में, जो इस आज्ञा के आदेशों के विपरीत हैं या जो आरम्भ होने पर उनके विपरीत हो जाते हैं, भाग लेने या अन्य प्रकार से सहायता करने के लिये न तो उभाड़ेगा और न उकसायेगा ।

२—यह आज्ञा तुरन्त प्रचलित हो जायेगी तथा यदि पहले वापिस न ली गई या रद न हो जाय तो आज्ञा की तारीख से १ वर्ष तक लागू रहेगी ।

३—जो भी व्यक्ति इस आज्ञा के किसी भी आदेश का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या ऐसे उल्लंघन के प्रयास को प्रोत्साहित करेगा तो यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ (१९४७ का २८वां अधिनियम) की धारा १४ के अधीन अपराधी सिद्ध होने पर उसे कारावास का दंड दिया जा सकता है, जिसकी अवधि ३ वर्ष तक हो सकती है या अर्थदंड या दोनों दंड दिये जा सकते हैं ।

परिशिष्ट द—१ (४)

संख्या १६५७ (एल एल)/३६. (बी) १८० (एल एल)—५२

१७ जुलाई, १९५४

सरकारी अधिसूचना संख्या १३२१ (एल एल)। ३६ (बी) १८० (एल एल)। ५२ ताः २८ जून, १९५४ के सिलसिले में तथा सरकारी आदेश संख्या यू—४६४ (एल एल)। ३६ (बी) २५७ (एल एल)। ५४ ताः १४ जुलाई १९५४ के वाक्यखंड १६ के अनुसार राज्यपाल महोदय प्रादेशिक संराधन अधिकारी, इलाहाबाद श्री जे० एन श्रीवास्तव को १५ जुलाई, १९५४ से ६ महीने के लिए आगे और औद्योगिक न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष आनेवाले सभी औद्योगिक विवादों में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उपस्थित होने का अधिकार देने की कृपा करते हैं।

परिशिष्ट द—१ (५)

सं० १७९९ (अ) ३६ (बी) २५७। (एल एल) ५४

२९ जुलाई, १९५४ ई०

यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २८, १९४७) की धारा ३ तथा ८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके और १४ जुलाई १९५४ की सरकारी आज्ञा संख्या यू-४६४ (एल एल) ३६ (बी) २५७ (एल एल) ५४ के खंड २ के उपबंधों के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय औद्योगिक झगड़ों के निपटारे के प्रयोजनों के लिये कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में श्रम विभाग के कुछ अफसरों को समझौता अफसरों के पद पर नियुक्त करने-वाली १४ जुलाई की सरकारी आज्ञा सं० यू-५२३ (एल एल) ३६ (बी) २५७ (एल-एल) ५४ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं और यह निर्देश करते हैं कि इस आज्ञा की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा की जाय :

संशोधन

उक्त आज्ञा की मद संख्या (३) के बाद निम्नलिखित नई मद जोड़ दी जाय और वर्त-मान मद (४) से (१८) तक की संख्या (५) से (१९) कर दी जाय :

(४) एडिशनल रीजनल कन्सीलियेशन अफसर, इलाहाबाद ।

परिशिष्ट द—१ (६)

१७९९ (एल एल) (३)। ३६(बी) २५७ (एल एल)—५४

२४ जुलाई, १९५४

यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू०पी० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ई०)

की धारा ३ के खंड (बी) (सी) (डी) तथा (जी) तथा धारा ६ (ए) और ८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय समझौता बोर्ड, औद्योगिक न्यायपीठ तथा निर्णायकों के बनाने तथा उनके कामों के सम्बन्ध में १४ जुलाई, १९५४ ई० की सरकारी आज्ञा सं० यू—४६४ (एलएल) ३६ (बी) २५७ (एलएल) ५४ के खंड ५ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं और उक्त ऐक्ट की धारा १९ के सम्बन्ध में यह निर्देश करते हैं कि इस आज्ञा की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा दी जाय :—

संशोधन

उपरोक्त सरकारी आज्ञा के खंड ५ के उपखंड (४) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाय अर्थात्

'किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समय समय पर उक्त अवधि को बढ़ा सकती है।'

आज्ञा से
कुलदीप नारायण सिंह
सेक्रेटरी

परिशिष्ट द—१ (७)

संख्या यू—६८९ (एल-एल)/३६/ (बी)—२५७ (एल-एल)—१९५४

८ सितंबर, १९५४ ई०

चूंकि राज्य सरकार की सम्मति में समाज के लिए अनिवार्य संपूर्तियों और सेवाओं को चलाने के लिए तथा नियोजन को बनाये रखने के लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए अब उत्तर प्रदेश के राज्य पाल उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा—३ के वाक्य खंड (बी), (सी) (डी) और (जी) तथा धारा ६—ए और ८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकारी आदेश संख्या यू—४६४ (एल एल) । ३६—(बी)—२५७ (एल एल)—१९५४ ता: १४ जुलाई, १९५४ के सिलसिले में निम्नलिखित आदेश देते हैं और निर्देश करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा १९ के संदर्भ में इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जाय।

आदेश

सरकारी आदेश संख्या ६१५ (एल-एल) । १८—७ (एल-एल) । १९५१ ता० १५ मार्च १९५१ (जो इसके बाद प्रथम आदेश कहा जायगा) के सरकारी आदेश संख्या यू—४६४, (एल-एल) । ३६ (बी)—२५७ (एल-एल) । १९५४ ता: १४ जुलाई १९५४ (इसके

बाद जो द्वितीय आदेश कहलायगा) द्वारा अपवर्जित होने पर भी—

(अ) प्रथम आदेश के अंतर्गत १४ जुलाई, १९५४ के पहले का संराधन समिति, अभिनिर्णायक अथवा ट्रायब्यूनल को भेजा गया तथा उक्त तारीख को उस समिति, अभिनिर्णायक या ट्रायब्यूनल के समक्ष विचाराधीन किसी भी औद्योगिक विवाद को ऐसा समझा जायगा मानो कि वह दूसरे आदेश के आधीन तथा उसके अनुसार, संराधन समिति या अभिनिर्णायक या ट्रायब्यूनल जो अधिकार रखता हो उसके समक्ष भेजा गया अथवा भेजे जाने का आदेश दिया गया हो और उसको उस समिति, अभिनिर्णायक ट्रायब्यूनल के सामने हर प्रकार से उसी प्रकार प्रारंभ किया या जारी रक्खा जा सकता है जैसे कि मानों उसको द्वितीय आदेश के अंतर्गत भेजा गया है अथवा भेजे जाने का आदेश दिया गया है।

(ब) प्रथम आदेश के अपवर्जन का प्रभाव संराधन समिति, अभिनिर्णायक या ट्रायब्यूनल के उस आदेशक अंतर्गत दिए गये किसी निर्णय या फैसले पर न होगा और ऐसे प्रत्येक निर्णय या फैसले को उसी प्रकार कार्यान्वित या पालन करवाया जा सकता है जैसे कि वह द्वितीय आदेश के अंतर्गत निर्मित संराधन समिति, अभिनिर्णायक या ट्रायब्यूनल का निर्णय या फैसला हो।

(स) कोई भी नियुक्ति संदभ या संदभ की आज्ञा, निकाला गया आदेश या कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही या निर्णय या फैसला जो प्रथम आदेश के अंतर्गत दिया गया हो, इस आधार पर अवैध न होगा कि उस आदेश को अपवर्जित कर दिया गया है और उसके अपवर्जन तथा इस आदेश के निकालने के बीच समय का व्यवधान पड़ गया है।

परिशिष्ट द—१ (८)

सं० १०१७ (एल एल)/३६–बी–७– (एल एल) ५१

२९ सितम्बर, १९५४ ई०

सरकारी विज्ञप्ति सं० १०१७ (एल एल)/३६–बी–७ (एल एल) ५१, ता० ११जून १९५३ को अधिक्रांत करके तथा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (अपेलेट ट्रिब्यूनल) एक्ट १९५० ई० (एक्ट सं० ४८, १९५०) की धारा १३ के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय श्री महेश प्रसाद विद्यार्थी, प्रादेशिक सरांधन अधिकारी, लखनऊ, को लखनऊ में स्थित लेबर अपेलेट ट्रिब्यूनल आफ इन्डिया की तीसरी बेंच के समक्ष निर्णय के हेतु आये हुए समस्त औद्योगिक झगड़ों में आवश्यकतानुसार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिनिधि रूप में भाग लेने का अधिकार देते हैं।

परिशिष्ट द—१ (९)

सं० २२८८ (एल एल) ३६ बी–५४

२१ अक्टूबर, १९५४ ई०

दिनांक २४ सितम्बर, १९५२ की सरकारी विज्ञप्ति संख्या यू० ६६४ (एल-एल) १८ एल० बी० को अधिक्रात करके राज्यपाल उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ ई० (उत्तर प्रदेशीय ऐक्ट नं० २८, १९४७ ई०) की धारा ३ अथवा तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन श्री ओंकार नाथ मिश्र, लेबर कमिश्नर (श्रमायुक्त) उत्तर प्रदेश तथा श्री उदयवीर सिह, डिप्टी लेबर कमिश्नर (उप श्रमायुक्त) उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के कानपुर के मुख्यावास (Head quarters) मे निम्नांकित प्रयोजनों के निमित्त क्रमशः पदेन सयुक्त सचिव (ज्वाइट सेक्रेटरी) तथा उपसचिव (डिप्टी सेक्रेटरी) नियुक्त करते है ।

१. औद्योगिक झगडो को निर्णय के लिये समर्पित करना।

२. समझौता बोर्डो द्वारा पंच निर्णय तथा रिपोर्ट देने अथवा समझौता कराने के लिये अवधि की सीमा बढ़ाना।

३. निर्णय के लिये किये गये अभिदेशों (references) को वापस लेना।

४. उपरोक्त मद १ से ३ तक मे निर्दिष्ट विषयों से सम्बद्ध अथवा आनुषांगिक कोई विषय।

परिशिष्ट द—१(१०)

सं० ३२२८ (एल)/३६–(बी)–२०८–५४

१३ नवम्बर, १९५४ ई०

इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूटस ऐक्ट, १९४७ (१९४७ ई० का १४ वां ऐक्ट) की धारा ४ द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल श्री जय नारायण तिवारी, आइ० ए० एस० डिप्टी लेबर कमिश्नर (उप श्रमायुक्त) उत्तर प्रदेश को उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत संराधन अधिकारी नियुक्त करते हैं और उन्हे उत्तर प्रदेश के सभी उद्योगों के औद्योगिक झगड़ों में समझौता कराने तथा उनको सुलझाने का कार्यभार सौपते है।

२—चीनी उद्योग से सम्बन्धित आदेश

परिशिष्ट द—२(१)

संख्या ११६१४ (एस टी)/३६ए० ७१८ (एस टी)—१९५३

१० जनवरी, १९५४

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की सम्मति में समाज के जीवन के लिए के अनिवार्य सार्वजनिक सुव्यवस्था, संपूर्ति और सेवाएँ तथा नियोजन बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है :

इसलिए अब उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (सन १९४७ के उ० प्र० अधिनियम संख्या २८) की धारा ३ के अतर्गत राज्यपाल निम्नलिखित आदेश निकालने की कृपा करते हैं और उपरोक्त अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के संदर्भ में निर्देश करते हैं कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित कर के दी जायगी :—

आदेश

(१) उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वैंकुअम पैन वाला शकर का कारखाना इस आदेश की तिथि से अपने यहाँ के श्रमिकों को निम्नलिखित त्योहारों की सवेतन छुट्टियाँ, स्थायी आदेशों की किसी बात के होते हुए भी, प्रदान करेगा :

गणराज्य दिवस	१ दिन
होली	२ ,,
स्वतन्त्रता दिवस	१ ,,
नागपंचमी	१ ,,
रक्षाबंधन	१ ,,
जन्माष्टमी	१ ,,
महात्मागांधी जन्म दिवस	१ ,,
दशहरा	४ ,,
दिवाली	२ ,,
कार्तिक स्नान	१ ,,
गुरुनानक जयती	१ ,,
ईद	१ ,,
मुहर्रम	१ ,,

उपबंध यह है कि रज़ा शुगर कं० लि०, और बुलंद शुगर कं० लि०, जिला रामपुर कार्तिक स्नान और नागपंचमी के स्थान पर निम्नलिखित छुट्टियाँ अपने श्रमिकों को सवेतन देंगे :

अलविदा	१ दिन
ईदुलजुहा	१ ,,

द्वितीय उपबंध यह है कि यदि कोई कारखाना सन् १९४७ में उपरोक्त छुट्टियों के दिनों का संख्या से अधिक दिनों की छुट्टियां दे रहा था तो उन छुट्टियों की संख्या कम नहीं की

जायगी परन्तु कारखाना क्षेत्र के संराधन अन्धकारी के परामर्श तथा उसकी अनुमति से वर्ष के प्रारंम्भ में शेष का निन्देंश करेगा।

तीसरा उपबंध यह हे कि यदि मुहर्रम और ईद पेराई के मौसम के बीच पडते हैं तो वैकुअम पैन वाले सब कारखाने इन छुट्टियों को केवल मुसलमानों की वार्गिक छुट्टी मानने के अधिकारी होंगे।

व्याख्या:—इस आदेश के प्रयोजन के लिये वेतन (वेजेज) का अर्थ ओवर टाइम और बोनस को निकाल कर त्योहार की छुट्टी से तत्काल पूर्व एक दिन की पूरी मजदूरी होगी।

कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के सब या किसी उपबंध का उल्लंघन करेंगे, उल्लंघन का प्रयास करेंगे या उल्लंघन में सहायक होंगे तो वे उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधि नियम १९४७ (सन् १९४७ के उ० प्र० अधिनियम संख्या २८) की धारा १४ के अतंर्गत कारावास के साथ दंड के भागी होंगे जो कि तीन साल या जुर्माने के साथ या दोनों में हो सकता है।

यह आदेश इस अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष तक लागू रहेगा।

परिशिष्ट द–२ (२)

संख्या ५८५ (एस-टी) ३६-ए-५३६ (एस-टी) ५३

२८ जनवरी, १९५४ ई०

चूंकि सरकारी सूचना संख्या ११३५७ (एस-टी) ३६–ए ५३६ (एस-टी)-५३ दिनांक २३ दिसम्बर, १९५३ वाक्य खंड १ (ब) के अंतर्गत बनाई गई उपसमिति ने, जो कि उसी के अंतर्गत उल्लिखित १६ शक्कर के कारखानों के मामलों की जांच इस उद्देश्य से करने के लिए बनाई गई थी कि उन कारखानों को उपर्युक्त अधिसूचना के वाक्य खंड १ (अ) के निर्धारित दरों से सन १९५२–५३ के बोनस के भुतान के लिए छूट का, यदि कोई हो, निश्चय करे, सरकार को प्रतिवेदन किया है:

और चूंकि सरकार ने उपसमिति की सिफ़ारिशों को साधारणतया मान लिया है;

इसलिए, अब उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ (सं० १९४७ के उ० प्र० अधिनियम संख्या २८) की धारा से प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में तथा २३ दिसम्बर १९५३ की सरकारी अधिसूचना संख्या ११३५७ (एस टी) ३६-ए-५३६ (एस टी) ५३ को जारी रखते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित आदेश देने की कृपा करते हैं और उपरोक्त अधिनियम की धारा १९ के संदर्भ में निर्देश करते हैं कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट के प्रकाशन द्वारा दी जायगी

आदेश

(१) निम्नलिखित वैकुअम पैन वाले शक्कर कारखाने सन् १९५२-५३ के पेराई के मौसम के लिये नीचे निर्धारित प्रकार से अपने कर्मचारियो को बोनस देगे :—

क्रम सख्या	कारखाने का नाम	बोनस जो देना है
१	रामचन्द्र एण्ड सन्स शुगर मिल्स, बाराबकी	सरकारी अधिसूचना सख्या ११३५७ (एस० टी०)/३६-ए-५३६ (एस० टी०)/५३ दिनाक २३ दिसम्बर १९५३ के पैराग्राफ १ (ए) मे निर्धारित दरो के अनुसार ।
२	आर० बी० लक्ष्मण दास शुगर एण्ड जनरल मिल्स, जरवल रोड जिला बहराइच	"
३	धामपुर शुगर मिल्स धामपुर जिला बिजनौर	"
४	जसवत शुगर मिल्स, जिला मेरठ	"
५.	श्री आनन्द शुगर मिल्स खलीलाबाद जिला बस्ती	"
६.	एल० एच० शुगर फैक्टरी एण्ड आयल मिल्स काशीपुर, जिला नैनीताल	"
७	रतन शुगर मिल्स, शाहगज, जिला जौनपुर	उत्पादित शक्कर के प्रतिमन पर चार आने की दर से
८	दीवान शुगर एण्ड जनरल मिल्स लि० सखौती टॉडा, जिला मेरठ	उत्पादित शक्कर के प्रतिमन पर १ आ० ९ पा० की दर से
९	केसर शुगर वर्क्स बहेरी जिला बरेली	१८ हजार रुपये की रकम
१०	एच० आर० शुगर फैक्टरी बरेली	५१ हजार रुपये की रकम

१ (बी) निम्नलिखित कारखानो को सन् १९५२-५३ के पेराई मौसम के लिए अपने कर्मचारियों को कोई बोनस देने की आवश्यकता नही है :—

(१) श्री जानकी सुगर मिल्स, दोइवाला, जिला देहरादून ।

(२) श्री पन्नी जी सुगर एन्ड जनरल मिल्स, गोकुल नगर, जिला नैनीताल ।

(३) श्री जगदीश सुगर मिल्स काठकुइया जिला देवरिया ।

(४) के० एम० शुगर मिल्स, मसोधा, मोतीनगर जिला फैजाबाद ।

(५) श्री बलरामपुर शुगर को० लि० तुलसीपुर, जिला गोंडा।

(६) बलरामपुर शुगर को० लि०, बलरामपुर।

२. ऊपर के पैराग्राफ १ (ए) में उल्लिखित कारखाने इस आदेश के ६ सप्ताह के भीतर तथा सरकारी अधिसूचना संख्या ११३५ (एस-टी)। ३६-ए-५३६ (एस-टी)। ५३ दिनांक २३ दिसम्बर, १९५३ के पैराग्राफ २ और ५ में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कर देंगे।

३. यह आदेश प्रथमतः एक वर्ष के लिए लागू होगा और अवधि, यदि आवश्यक पाया जाता है, समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है।

परिशिष्ट द—२ (३)

सं० १३५१ (एस टी)/३६ ए ४५२—(एस० टी०)—५२

४ माच १९५४ ई०

चूंकि राज्यपाल महोदय की राय में सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने तथा नियोजन कायम रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक है;

अतः अब यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ ई०) की धारा ३ के खंड (ख) और (छ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये राज्यपाल महोदय आज्ञा देते हैं कि सरकारी विज्ञप्ति संख्या १२९९ (एस टी) १८ (एल ए) ४५२ (एस टी) ५२, दिनांक १८ फरवरी, १९५३ ई० के समाप्त होने की तारीख से और एक वर्ष की अवधि के लिये लागू रहेगी। वे यह भी आज्ञा देते हैं कि उन मिलों के सम्बन्ध में, जिन्होंने न्यायालयों से स्थगन आज्ञा प्राप्त कर ली है, यह आज्ञा तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि उनकी रिट की अर्जियों पर या अपीलों पर हाईकोर्ट का या लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का जहाँ भी अपील हो, निर्णय न हो जाय।

परिशिष्ट द—२ (४)

संख्या १३५२ (एस टी)/३६-ए-६८,(एस टी)-५०

१७, मार्च १९५४ ई०

चूंकि उत्तर प्रतेश के राज्यपाल की सम्मति में सुरक्षा, सार्वजनिक सुविधा, सार्वजनिक सुव्यवस्था और संपूर्ति तथा समाज के जीवन के लिये अनिवार्य सेवाओं को चलाने के लिए यह आवश्यक हो गया है ;

इसलिए, अब उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के अधनियम संख्या २८) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय निम्नलिखित आदेश निकालने की कृपा करते हैं और उपरोक्त अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के सिलसिले में निर्देश करते हैं कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित

करके दी जायगी !

आदेश

१—उत्तर प्रदेश के वैकुअम पैन वाले प्रत्येक कारखाने को सन् १९५३-५४ के पेराई—मौसम की पेराई के वास्तविक रूप से बंद होने की तिथि से यदि पेराई का मौसम ९० दिन से कम का नही था तो अपने स्थायी कर्मचारियो को दो महीने से अधिक अनिवार्य छुट्टी दे देने का अधिकार होगा :

उपबंध यह है कि कारखाने के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों मे जैसे कि मशीनरी के टूटने, गन्ने के रोग, गन्ने की कम संपूर्त्ति के कारण असाधारण तौर पर छोटे मौसम इत्यादि मे उपरोक्त अनिवार्य छुट्टी की अवधि उत्तर प्रदेश क श्रम कमिश्नर की पहले से स्पष्ट लिखित आज्ञा से अधिक से अधिक ६ महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है :

द्वितीय उपबंध यह है कि अनिवार्य छुट्टी की अवधि मे संबधित कर्मचारियो से अपने क्वार्टरो को खाली करने अथवा कारखाने द्वारा उनके किसी उपयोग के लिए दिए गये सामान को वापस जमा करने के लिए नही कहा जायगा और यदि क्वार्टर के बदले मे किसी कर्मचारी को मकान किराये का रुपया दिया जाता है तो वह उसे पाता रहेगा ।

तृतीय उपबंध यह है कि अनिवार्य छुट्टी की अवधि मे संबंधित कर्मचारी अपनी पूरी मजदूरी का ५० प्रतिशत पाते रहेगे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी, जो कारखाने से १० मील से अधिक दूर रहता है, अनिवार्य छुट्टी पर जाने के समय कारखाने से अपने घर तक जाने और फिर काम शुरू करने के लिए कारखाना वापस आने एक का व्यक्ति का किराया पायेगा ।

व्याख्या—(१) इस आदेश के प्रयोजन के लिए 'स्थायी कर्मचारी' का अर्थ वही होगा, जो कि सरकारी आदेश सख्या २१२४ (एस टी) (४)—१८ दिनांक १ अक्टूबर, १९५१ के अंतर्गत चीनी कारखानों पर लागू स्थायी आदेशों मे दिया गया है ।

(२) मौसम को असाधारण तौर पर छोटा तब माना जायगा जब कि किसी कारखाने मे पिराई की कार्य-अवधि उत्तर प्रदेश तथा बिहार चीनी नियंत्रण समिति द्वारा संबंधित मौसम की चीनी का मूल्य निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए मान्य पेराई के दिनों की प्रामाणिक संख्या के ८० प्रतिशत दिनों से कम होगी ।

२—यह आदेश प्रथमतः एक वर्ष के लिए लागू रहेगा और यदि आवश्यक पाया गया तो, समय-समय पर इसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है ।

परिशिष्ट द--२ (५)

सं० २३०६ (एस टी) । ३६ ए २०२ (एस टी)--५१

३० मार्च, १९५४ ई०

यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्टप्यूट्स ऐक्ट, १९४८ ई० (यू० पी० ऐक्ट सं० २८, १९४७ ई०) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाकर और सरकारी आज्ञा सं० ८९०५ (एस टी) । ३६ (ए) २०२ (एस टी), ५१, दिनांक २९ सितम्बर, १९५३ ई० के क्रम में उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी के कारखानों के कार्यकरों को सेवा-नियोजन की शर्तों से सम्बन्धित स्थायी आदेशों के पालन करने के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि उपरोक्त सरकारी आज्ञा उसके समाप्त होने की तिथि से ६ मास की अवधि के लिए और लागू रहेगी।

परिशिष्ट द--२ (६)

सं० यू० १९९ (एस टी)/३६ (ए) ७१ (एस टी)--५४

२६ जून, १९५४ ई०

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस राज्य के चीनी के कारखानों के मज़दूरों के १९५३-५४ के बोनस के प्रश्न पर जांच करने तथा सरकार को रिपोर्ट देने के लिए एक समिति इस विज्ञप्ति के दिनांक से नियुक्त करते हैं। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

१.	श्री ओ० एन० मिश्र, आई० ए० एस०, श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।	चेरयमैन
२.	श्री के० के० बिरला, ८ रायल एक्सचेन्ज प्लेस, कलकत्ता।	सदस्य
३.	श्री आर० पी० नेवटिया, हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि०, गोला गोकरन नाथ, जिला लखीमपुर खीरी	"
४.	श्री डी० आर० नारंग, बस्ती शुगर मिल्स, बस्ती।	"
५.	श्री जी० एन० मोदी, मोदी शुगर मिल्स लि० मोदीनगर, जिला मेरठ।	"
६.	श्री काशीनाथ पान्डे, केयर आफ जिला चीनी मिल मज़दूर फेडरेशन, पडरौनां, जिला देवरिया।	"
७.	डाक्टर पी० के० चौधरी, केयर आफ जिला चीनी मिल मज़दूर फेडरेशन, पडरौना, जिला देवरिया।	"
८.	श्री ब्रजकिशोर शास्त्री, केयर आफ सोशलिस्ट पार्टी आफिस, (बिहार) नया टोला, पटना ४	"
९.	श्री वी० डी० शुक्ल, जनरल सेक्रेटरी, मज़दूर संघ, हरगांव, जिला सीतापुर।	"

परिशिष्ट द—२ (७)

स० यु० २०१ (एस टी)/३६–ए–७३ (एस टी)—५४

२५ जून, १९५४

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस राज्य के चीनी के कारखानो के मजदूरो की नौकरी की शर्तो को नियमित करने वाले उन स्थायी आदेशो मे जो १ अक्तूबर, १९५१ ई० की सरकारी आज्ञा स० २१२४ (एस टी) (४) । ११८ के अधीन लागू किए गए थे , सशोधन के प्रश्न पर विचार करने और उसके सम्बन्ध मे सरकार को रिपोर्ट देने के लिये इस विज्ञप्ति के दिनाक से एक समिति नियुक्त करते है ।

समिति मे निम्नलिखित सदस्य होगे .—

१.	श्री ओ० एन० मिश्र आई० ए० एस०, श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।	चेयर मेन
२.	श्री पी० ए० एफ० लग, बेग सदर लैन्ड एन्ड कम्पनी लि०, कानपुर ।	सदस्य
३.	श्री बाल मुकुन्द शाह, सहनी, राम कोला शुगर मिल्स, रामकोला, देवरिया ।	,,
४.	श्री एम० एल० बागला, स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर ।	,,
५.	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, सुभाष कालेज उन्नाव ।	,,
६.	श्री शिव सुमिरन लाल चौधरी, एम० एल० सी० १०४, इनायत गज, पीलीभीत ।	,,
७.	श्री गेदा सिह एम० एल० ए०, केयर आफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, देवरिया ।	,,

समिति से अनुरोध है कि अपनी रिपोर्ट दो माह के भीतर भेजे ।

सरकार आशा करती है कि सम्बद्ध पार्टियाँ समिति को यथा सम्भव सहायता प्रदान करेगी ।

परिशिष्ट द—२ (८)

सख्या यू २०० (एस टी) (२)/३६—ए—७२ (एस टी)—५४

१६, जुलाई १९५४ ई०

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस अधिसूचना की तिथि से निम्नलिखित सदस्यो की एक समिति नियुक्त करने की कृपा करते है —

(१)	श्री ओ० एन० मिश्र, आई० ए० एस० श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश, कानपुर ।	अध्यक्ष
(२)	श्री चरटराम, दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स, बाडा हिंदू-राव, दिल्ली ।	सदस्य
(३)	श्री डी० एन० नारग, बस्ती सुगर मिल्स , बस्ती ।	,,

(४) श्री पी० एन० नेवटिया, हिंदुस्तान शुगर मिल्स लि०, गोला गोकरननाथ, खेरी। ,,

(५) श्री आर० ए० एफ० लग, बेग सदर लैड एण्ड कं० लि०, कानपुर। ,,

(६) श्री के० एन० पांडे, द्वारा जिला चीनी मिल मजदूर फेडरेशन, पडरौना, जिला देवरिया। ,,

(७) श्री ब्रज किशोर शास्त्री, द्वारा समाजवादी दल कार्यालय, (बिहार) नया टोला, पटना। ,,

(८) श्री बिन्देश्वरी प्रसाद शास्त्री, सर्वोदयनगर, डाकखाना, हस्तिनापुर, जिला मेरठ। ,,

(९) श्री जगन्नाथ मल, एम० एल० ए० पडरौना, जिला देवरिया ,,

समिति का कार्य संदर्भ निम्नलिखित होगा :—

(१) चीनी कारखानो द्वारा १९५३-५४ के पेराई-मौसम मे काम बंद रहने के दिनों के लिए अपने कर्मचारियो को 'रिटेनिंग' भत्ता देने तथा भविष्य में इस प्रकार के भत्ते देने की दरों तथा किस प्रकार के कर्मचारी उसके पाने के अधिकारी है, इसका विशेष ध्यान रखते हुए जाँच करना और सरकार को रिपोर्ट देना।

(२) राज्य के चीनी के कारखानों मे काम करने वाले श्रमिकों के लिए प्रावीडेंट फंड की योजना प्रारभ करने के लिए विस्तृत विवरण इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए तैयार करना कि किस वर्ग के श्रमिको पर योजना लागू की जाय।

(३) श्रमिकों के अवकाश-ग्रहण की आयु के प्रश्न की जाँच करना और रिपोर्ट देना कि क्या इस प्रकार के कोई चीनी कारखानों मे काम करने वालों पर लागू किए जायें या नही।

(४) समिति से अपनी रिपोर्ट सरकार को दो महीने के अदर देने की प्रार्थना की जाती है।

(५) सरकार आशा करती है कि संबंधित पक्षों द्वारा समिति को सभी संभव सहयोग दिया जायगा।

परिशिष्ट द—२ (९)

सं० ५४३० (एस टी)/३६—ए—२०२ (एस टी)—५१—३०

१५ सितम्बर, १९५४ ई०

मार्च १९५४ ई० की सरकारी विज्ञप्ति संख्या २३०६ (एस टी)। ३६—ए—२०२

(एस टी)—५१ के अनुक्रम में तथा यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ (१९४७ का यू० पी० ऐक्ट संख्या २८) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल यह आज्ञा देते हैं कि १ अक्तूबर, १९५१ ई० की सरकारी आज्ञा संख्या २१२४ (एस टी) (४)। १८ जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में चीनी के कारखानों के मजदूरों की सेवा की दशाओं को नियमित करने के स्थायी आदेश प्रवृत्त किये गये हैं. उक्त सरकारी आज्ञा के समाप्त होने के दिनांक से ६ मास की और अवधि के लिये प्रवर्तित रहेगी।

परिशिष्ट द—२ (१०)

सं० ५३९८ (एस टी) । ३६—ए—७३ (एस टी)—५४

१५ सितम्बर, १९५४ ई०

तारीख २६ जून १९५४ ई० की उस सरकारी विज्ञप्ति संख्या यू–२०१ (एस टी)। ३६—ए—७३ (एस टी)—५४ के अनुक्रम मे तथा उसका आंशिक संशोधन करते हुए जिसके द्वारा राज्य मे चीनी के कारखानों के मजपूदूरो की सेवा की दशाओं को नियमित करने के स्थायी आदेशों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने तथा उसकी रिपोर्ट सरकार को देने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, राज्यपाल उक्त कमेटी को यह अनुमति देते हैं कि वह अपनी रिपोर्ट तारीख ३१ अक्तूबर, १९५४ तक भेजे।

परिशिष्ट द—२ (११)

सं० ६४१८ (एस टी) । ३६ ए ८३ (एस टी) —५४

२० नवम्बर, १९५४ ई०

राज्यपाल महोदय की राय में सार्वजनिक व्यवस्था तथा सामुदायिक जीवन के लिये परमावश्यक पूर्त्तियों और सेवाओं और नौकरियों को बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है;

इसलिए, अब यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट सं० २८, १९४७) की धारा ३ के वाक्यखंड बी द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाकर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित आज्ञा जारी करते हैं, अर्थात्

१. उत्तर प्रदेश में स्थित प्रत्येक वैकुअम पैन वाला शक्कर का कारखाना अपने श्रमिकों को १९४५-४६ ई० के पेराई के मौसम में प्रचलित मजदूरी पर, जिन पर शुगर फैक्टरीज लेबर वेजेज़ इन्क्वायरी कमेटी, यू० पी० तथा बिहार द्वारा की गई सिफारिश पर क्रमशः सरकारी आज्ञा सं० ७१५ (एल) १८ तथा (१०७५) (एल)/१८, ता० २४ जनवरी तथा ७ फरवरी, १९४७ ई० मे कमेटी की मुख्य तथा पूरक रिपोर्ट पर दिये गये निश्चयों के अनुसार वृद्धियाँ दी गयी थीं, आगे लिखित वृद्धियां देंगे :

१९४५–४६ ई० की मज़दूरी (प्रति माह)	दी जाने वाली वृद्धि
(१) २२ रु० ८ आना	३२ रु० ८ आना
(२) २३ रु० से ३० रु० तक	३२ रु० ८ आना
(३) ३१ रु० से ४० रु० तक	२८ रु० १४ आना
(४) ४१ रु० से ५० रु० तक	२६ रु० ८ आना
(५) ५१ रु० से १०० रु० तक	२४ रु०
(६) १०१ रु० से २०० रु० तक	मज़दूरी की २४ प्रतिशत की वृद्धि
(७) २०१ रु० से ३०० रु० तक	मज़दूरी की १८ प्रतिशत की वृद्धि

२. ऊपर दी गई वृद्धि उस तारीख से लागू होगी, जिसमें १९५४–५५ ई० के मौसम में किसी विशेष कारखाने में पेराई वास्तव में प्रारम्भ हो गयी थी या प्रारम्भ हो गई है।

३. उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वैकुअम पैन चीनी का कारखाना अपने श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि देते समय निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा :—

(१) कोई भी श्रमिक अपनी मजदूरी में ५५ रु० प्रति महीने से कम न पायेगा।

(२) १९४५–४६ ई० के मौसम से लेकर १९५३–५४ ई० के मौसम तक जो वृद्धियां किसी श्रमिक ने अर्जित की होंगी या १९ नवम्बर की उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग त्रिदल सम्मेलन में श्रम मन्त्री द्वारा की गई अपील के अनुसार वेतन में वृद्धि होगी, वे उन वृद्धियों से अतिरिक्त होंगे जो इस आज्ञा द्वारा स्वीकृत की गई है।

४. उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वैकुअम पैन चीनी का कारखाना इस आज्ञा में स्वीकृत की गई मजदूरी के अतिरिक्त अपने श्रमिकों को उन सभी सुविधाओं, भत्ता तथा रिआयतों को देता रहेगा, जो वह इस समय दे रहा है।

५. (१) इस आज्ञा में सम्मिलित सभी मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के सभी वैकुअम पैन वाले चीनी के कारखाने तथा उनके श्रमिक इस आज्ञा से बाध्य होंगे और यह आज्ञा आगामी पेराई के अर्थात् १९५५–५६ के आरम्भ तक लागू रहेगी।

(२) उक्त ऐक्ट की धारा १९ की उपधारा (१) के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय यह भी निर्देश देते हैं कि इस आदेश की सूचना सरकारी गज़ट में प्रकाशित करके दी जाय।

(३) कोई भी व्यक्ति जो इस आज्ञा या उसके किसी अंश का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने के कार्य में सहायता पहुँचाता है, उसे अपराधी सिद्ध होने पर कारावास दन्ड दिया जायगा, जो तीन वर्ष तक की अवधि तक हो सकता है या अर्थ दन्ड दिया जायगा या दोनों ही दण्ड दिये जायेंगे।

परिशिष्ट द—२ (१२)

संख्या ६१२२ (एस टी)/३६ ए ६४० (एस टी)—१९५३

१२ नवंबर, १९५४ ई०

आदेश

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की सम्मति में सार्वजनिक सुविधा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था के लिए तथा समाज के जीवन के लिए अनिवार्य संपूर्तियों एवं सेवाओं को तथा नियोजन को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक हो गया है ;

इसलिए अब उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ३ के वाक्यखंड (बी) और (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित आदेश देने की कृपा करते हैं :—

आदेश

उत्तर प्रदेश के सभी वैकुअम पैन चीनी के कारखानों में मौसमी श्रमिकों का नियोजन इस आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट मे आये नियमों से शासित होगा और आदेश में निर्देशित मामलों के संबध में उत्तर प्रदेश का 'प्रत्येक चीनी कारखाना' तथा उसके कर्मचारी इस आदेश की तिथि से प्रथमतः वर्ष भर के लिए बाध्य होंगे और यह आदेश आगे ऐसी अवधि के लिए लागू होगा, जो राज्यपाल में निहित अधिकारों से निर्धारित की जायगी जब तक कि चीनी के उस कारखाने द्वारा अथवा उसके कर्मचारियों के द्वारा या उनको इसके पश्चात् निर्धारित विधि से सूचना देकर निश्चित न किया गया हो।

इस आदेश की तिथि से दो महीने के बाद किसी भी समय आदेश अथवा उसके किसी भाग को निश्चित करने के लिए आदेश दिया जा सकता है । इस प्रकार की सूचना तब तक लागू नहीं होगी जब तक २० दिन अथवा उससे अधिक दिनों की अवधि, जो सूचना देने के समय से सूचना के अंदर निर्धारित की गई हो, व्यतीत न हो गई हो। शर्त यह है कि इस आदेश के निकलने के ४ महीने व्यतीत होने के पहले ऐसी कोई भी सूचना लागू न होगी । प्रत्येक ऐसी सूचना मे आदेश की ऐसी शर्त या शर्तें निश्चित करने का प्रभाव होगा जो वह प्रभावित होने वाले कारखाना अथवा कर्मचारियों के संबंध मे निर्धारित करे।

इस आदेश के अंतर्गत दी गई किसी सूचना की प्रतिलिपि देने के दो दिन के भीतर श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर को भेजी जायगी ।

कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश अथवा उसके किसी अंश का उल्लंघन करता है या उल्लंघन का प्रयत्न करता है या उल्लंघन में सहायता देता है, कारावास दंड का भागी होगा जो तीन वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना किया जा सकता है या दोनों ही सजाएँ दी जा सकती हैं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के उ० प्र० अधिनियम

संख्या २८) की धारा १९ के संदर्भ में राज्यपाल महोदय यह भी निर्देश देते हैं कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जायगी।

अनुसूची

(१) कोई भी कर्मचारी, जिसने पिछले वर्ष के पेराई-मौसम के पूरे मौसम में अथवा दूसरे आधे मौसम में काम किया हो अथवा बीमारी पर ऐसे ही किसी अन्य विवशतापूर्ण कारण के न होने पर करता इस मौसम मे भी इस कारखाने में काम में लगाया जायगा।

व्याख्या---उक्त अवधि में उन कर्मचारियों की अनधिकृत गैरहाजिरी, जो स्थायी आदेशों के अन्तर्गत वैध रूप से नौकरी से बर्खास्त नहीं किए जा सकते और उनकी जिन्हें कि मालिकों ने फिर काम में लगा लिया है, मालिकों द्वारा क्षमा की गई समझ ली जानी चाहिए।

(२) पिछले वर्ष के पेराई-मौसम में काम करने वाले सभी मौसमी कर्मचारियों को उनके पुराने काम पर लगाया जायगा चाहे वह 'आर' पाली में हों या साधारण पालियों में हों।

विशेष मामलों में यदि कोई कारखाना किसी कर्मचारी को एक काम से दूसरे काम में अथवा एक पाली से दूसरी पाली मे, जिसमें 'आर' पाली भी शामिल है, बदलना आवश्यक समझता है तो वह कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिक से अधिक ५ प्रतिशत तक संबंधित कर्मचारियों की मज़दूरी और पदस्थिति को बिना किसी प्रकार परिवर्तित किए हुए ऐसा कर सकता है।

(३) बर्खास्तगी, इस्तीफा या मृत्यु से खाली हुए स्थानों को उसी कारखाने के पुराने कर्मचारियों से ही, यदि उपयुक्त कर्मचारी मिलते हैं, भरा जायगा।

(४) जहाँ पर व्यापारिक कारणों अथवा उचित तालाबंदी के कारणों (नागरिक अशांति आदि) से आवश्यक हो जाता है, वहाँ पर कारखाना कर्मचारियों को कारखाना बंद होने की हमेशा की तारीख से पहले ऐसी क्षतिपूर्ति देकर बंद कर सकता है, जो उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त नियत करें अथवा यदि वे आदेश दें तो उप श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश नियत करें तथा उनकी अथवा उप श्रमायुक्त की, जैसा भी हो, आज्ञा प्राप्त कर ली गई हो।

व्याख्या---उपर्युक्त वाक्य में व्यापारिक कारणों का आशय वही होगा जो सरकारी आदेश संख्या २१२४ (एस टी) (४)। १८ ता० १ अक्टूबर १९५१ के द्वारा लागू स्थायी आदेशों के वाक्य खंड (ज) में है।

प्रत्येक चीनी का कारखाना पेराई के मौसम के प्रारम्भ की तिथि की सूचना लिखित रूप में कारखाने के सभी रजिस्टर्ड व्यावसायिक संघों को देगा तथा स्थानीय पत्रों में भी प्रकाशित करायेगा।

परिशिष्ट द--२ (१३)

स० ६९३५ (एस टी)/३६ ए ७२--(एस टी)--५४

११ दिसम्बर, १९५४ ई०

राज्यपाल यह आज्ञा देते है कि यह समिति, जो २६ जून, १९५४ ई० को सरकारी विज्ञप्ति स० यू-२०१ (एस टी)/३६ ए द्वारा इस राज्य के चीनी के कारखानो के मजदूरो की नौकरी की दशाओ को नियमित करने वाले स्थायी आदेशो मे सशोधन के प्रश्न पर विचार करने और सरकार को रिपोर्ट देने के लिये बनाई गयी थी, चीनी के कारखानो के कर्मचारियो की निवृत्ति की आयु के प्रश्न पर विचार करेगी और रिपोर्ट देगी कि ऐसे किन्ही नियमो को राज्य के चीनी के कारखानो के कर्मचारियो पर लागू करना चाहिये या नही।

राज्य पाल यह भी आज्ञा देते है कि १६ जुलाई १९५४ ई० की सरकारी विज्ञप्ति स० य० २०० (एस टी) (२)।३६--ए--७२ (एस टी)--५४ द्वारा निर्मित समिति के विषय की संख्या (३) हटा दी जाय।

परिशिष्ट द--२ (१४)

सख्या ७०९५ (एस टी)।३६-ए-७१ (एस टी)--१९५४

१० जनवरी, १९५५ ई०

चूकि ८ जून १९५४ को हुए राज्य त्रिदलीय श्रम सम्मेलन (चीनी) की सिफारिशो के आधार पर एक समिति का निर्माण, राजकीय विज्ञप्ति सख्या १९९ (एस टी)/३६-ए-७१ (एस टी)--१९५४, दिनाक २६ जून, १९५४, के अन्तर्गत हुआ और इस जॉच समिति का काम राज्य के चीनी के कारखानो मे काम करने वाले श्रमिको के १९५३-५४ के लिए बोनस-सम्बन्धी प्रश्न पर जॉच करने और तत्सम्बन्धी रिपोर्ट सरकार को देने का था ओर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हे,

और चूकि समिति ने यह शिफारिश की है कि राज्य के चीनी के कारखानो के श्रमिको को १९५३-५४ के लिए बोनस का भुगतान किया जाय, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है;

और चूकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की सम्मति मे सार्वजनिक व्यवस्था एव सामुदायिक जीवन के लिये आवश्यक सेवायो और पूर्तियो को बनाये रखने तथा नियोजन स्थिर रखने के

लिये ऐसा आदेश करना आवश्यक है;

अतः अब उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८।१९४७) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाते हुए राज्यपाल महोदय निम्न आदेश देने और उक्त अधिनियम की धारा १९ के क्रम में निर्देश करने की कृपा करते हैं कि इस आदेश की सूचना राजकीय गजट में प्रकाशित करके दी जाय :— .

आदेश

१. (क) उत्तर प्रदेश के सभी वैकुअम पैन चीनी के कारखाने (इस अनुच्छेद के उपवाक्य (ब) में उल्लिखित कारखानों के सम्बन्ध में यह शर्त रखकर कि उप-समिति द्वारा निर्णीत सुधारों को स्वीकार करते हुए वे) अपने समस्त कर्मचारियों को,

(अ) जिन्होंने १९५३–५४ के पेराई के मौसम में काम किया हो।

(ब) और उन सभी कर्मचारियों को, जो १९५३–५४ के पेराई के मौसम में काम करते हों, पर अब उस कारखाने में काम न करते हों, जिसमें वे गत वर्ष करते थे, निम्नलिखित दरों पर बोनस प्रदान करेंगे :—

(१) चीनी के उन कारखानों जिन्हें गन्ना-उत्पादकों को कोई अतिरिक्त मूल्य गन्ने का न देना पड़ता हो या उन चीनी के कारखानों को, जिन्हें भारत सरकार की चीनी व गन्ने के मूल्य को संतुलित बनाये रखने की योजना के अनुसार गन्ने पर प्रति मन ६ पाई तक अतिरिक्त मूल्य देना होता है, निम्नलिखित दरों के अनुसार बोनस देना होगा :

१९५३–५४ के मौसम में गन्ने से उत्पादित चीनी चीनी का परिमाण मनों में	प्रतिमन उत्पादित चीनी पर बोनस की दर
१ लाख तक	कुछ नहीं
१ लाख से ऊपर और २ लाख तक	उत्पादित चीनी पर २ आना ६ पाई प्रति-मन
२ लाख से ऊपर और ३ लाख तक	उत्पादित चीनी पर ५ आना प्रति मन
३ लाख से ऊपर और ५ लाख तक	उत्पादित चीनी पर ७ आना ६ पाई प्रतिमन
५ लाख से ऊपर	उत्पादित चीनी पर १० आना प्रतिमन

(२) चीनी के उन कारखानों, जिन्हें गन्ना-उत्पादकों को भारत सरकार की गन्ने के मूल्य व चीनी के मूल्य में तारतम्य बनाये रखने की योजना के अनुसार ६ पाई प्रतिमन

से अधिक व एक आना प्रतिमन तक अतिरिक्त देना पड़ता हो, उनको निम्नलिखित दरों के अनुसार बोनस देना होगा :—

१९५३–५४ के मौसम में गन्ने से उत्पादित चीनी का परिमाण मनों में	प्रतिमन उत्पादित चीनी पर बोनस की दर
१ लाख तक	कुछ नहीं
१ लाख से ऊपर और २ लाख तक	उत्पादित चीनी पर २ आना ३ पाई प्रति मन
२ लाख से ऊपर और ३ लाख तक	उत्पादित चीनी पर ४ आना ६ पाई प्रति मन
३ लाख से ऊपर और ५ लाख तक	उत्पादित चीनी पर ६ आना प्रति मन
५ लाख से ऊपर	उत्पादित चीनी पर ९ आना प्रति मन

(३) उन चीनी के कारखानों को जिन्हें भारत सरकार की गन्ने व चीनी के मूल्य में तारतम्य बनाये रखने की योजना के अनुसार गन्ने का मूल्य प्रति मन एक आने से अधिक देना पड़ता हो, निम्न लिखित दर पर बोनस देना होगा :—

सन् १९५३–५४ के मौसम में गन्ने से उत्पादित चीनी का परिमाण-मनों में	प्रतिमन उत्पादित चीनी पर बोनस की दर
१ लाख तक	कुछ नहीं
१ लाख से ऊपर और २ लाख तक	उत्पादित चीनी पर २ आना प्रतिमन
२ लाख से ऊपर और ३ लाख तक	उत्पादित चीनी पर ४ आना प्रतिमन
३ लाख से ऊपर ५ लाख तक	उत्पादित चीनी पर ६ आना प्रतिमन
५ लाख से ऊपर	उत्पादित चीनी पर ८ आना प्रति मन.

(ख) निम्नलिखित चीनी के कारखानों के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय इस विज्ञप्ति की तारीख से एक उप-समिति नियुक्त करने की कृपा करते हैं, जिसमें श्री ओ० एन० मिश्र, आई० ए० एस०, श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश, कानपुर सभापति तथा श्री डी० आर० नारंग, बस्ती शुगर मिल्स, बस्ती और श्री काशीनाथ पांडे, प्रधान मंत्री इन्डियन नेशनल शुगर मिल्स कर्मचारी संघ, पडरौना, जिला देवरिया

सदस्य रूप मे रहेंगे। यह समिति इस दृष्टि से इन कारखानों के मामलों में जाँच करेगी कि उपवाक्य (क) मे १९५३–५४ के लिये बोनस-भुगतान हेतु निर्दिष्ट दरो के सम्बन्ध में इनमे से प्रत्येक कारखाना जिस सुविधा का अधिकारी हो, वह उसके लिये निश्चित कर दी जाय :–

१. एम० के० एम० जी० शुगर मिल्स, मुन्डेरवा, बस्ती।
२. देवरिया शुगर मिल्स, देवरिया।
३. श्री सीताराम शुगर कम्पनी लिमिटेड, बैतालपुर, देवरिया।
४. महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला, देवरिया।
५. नेवली शुगर फैक्टरी, नेवली, एटा।
६. बुढवल शुगर मिल्स , बुढवल, बाराबंकी।
७. नवाबगज शुगर मिल्स, नवाबगज, गोंडा।
८. रजा शुगर कम्पनी, रामपुर।
९. बुलन्द शुगर कम्पनी, रामपुर।
१०. केसर शुगर वर्क्स, बहेडी, बरेली।
११. केर्यू एण्ड कम्पनी, रोजा, शाहजहापुर।
१२. रामकोला शुगर मिल्स, रामकोला, देवरिया।
१३. धामपुर शुगर मिल्स, धामपुर, बिजनौर।
१४. दीवान शुगर एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड, सखोती टाँडा, मेरठ।
१५. लक्ष्मी जी शुगर एण्ड आयल मिल्स, हरदोई।
१६. कुन्दन शुगर मिल्स, अमरोहा , मुरादाबाद।

यह उप-समिति दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, मेरठ के सम्बन्ध मे भी विचार करेगी कि विशेष परिस्थितियों के कारण क्या इस कारखाने मे क्या उत्पादित चीनी पर ६ आना प्रतिमन की दर से निर्धारित मूल दर से अधिक २५ प्रतिशत या उसका कोई अश उसके कर्मचारियों को अतिरिक्त बोनस रूप मे मिलना चाहिये।

इस विज्ञप्ति की तारीख से ६ सप्ताह के अन्दर ही उप-समिति समुचित आदेश के लिये अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेजेगी।

२. देय बोनस उन सभी कर्मचारियों को दिया जायगा, जिनका नाम किसी कारखाने की पंजिका में १९५३–५४ के पेराई के मौसम मे रहा है।

३. बोनस सन् १९५३–५४ के पेराई के मौसम की अवधि के प्रत्येक कर्मचारी-द्वारा अर्जित आय के अनुपात मे वितरित किया जायगा।

४. यदि कोई व्यक्ति, जो १९५३–५४ मे किसी कारखाने का कर्मचारी था, दिवगत हो गया हो तो उसके उत्तराधिकारी को वह बोनस दिया जायगा, जो उस कर्मचारी के जीवित रहने पर उसे प्राप्त होता।

५. उक्त उपवाक्यों की किसी बात से किसी कारखाने को अपने कर्मचारी से कोई भी ऐसा धन वापस लेने का अधिकार न होगा, जो उसे १९५३–५४ के लिए बोनस के रूप में दिया जा चुका हो और जो इस आदेश के अन्तर्गत देय धन से अधिक हो।

६. उपर्युक्त अनुच्छेद १ (ख) के अन्तर्गत न आनेवाले कारखानों द्वारा अपने कर्मचारियों को इस आदेश के ६ सप्ताह के भीतर, बोनस का भुगतान किया जायगा और अन्य कारखानों द्वारा उतने समय के भीतर, जो यहाँ बाद में निर्दिष्ट किया जाय।

७. यह आदेश पहले एक वर्ष तक के लिए लागू होगा और यदि आवश्यक हुआ तो इसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रहेगी।

परिशिष्ट द—२ (१५)

संख्या १५३ (एस टी) / ३६-ए-७१८ (एस टी)—१९५३

१० जनवरी, १९५४ ई०

अधिसूचना

विविध

चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार की सम्मति में सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य सम्पूर्तियों और सेवाओं तथा नियोजन की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है :

इसलिए, अब उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के उ० प्र० अधिनियम संख्या, २८) की धारा ३ के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के संदर्भ में निर्देश करते हैं कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित कर दी जाय :—

आदेश

(१) उत्तर प्रदेश का वैकुअम पैनवाला प्रत्येक चीनी का कारखाना इस आदेश की तिथि से स्थायी आदेशों में कुछ भी होते हुए अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित त्योहारों की छुट्टियाँ सवेतन देगा :—

गणराज्य दिवस	१
होली	२
स्वतंत्रता दिवस	१
नागपंचमी	१
रक्षाबंधन	१
जन्माष्टमी	१
महात्मा गांधी जन्म-दिवस	१
दशहरा	४

दिवाली	२
कार्तिक स्नान	१
गुरुनानक जयंती	१
ईद	१
मुहर्रम	१

उपबंध यह है कि रजा शुगर कंपनी लि० और बुलंद शुगर कंपनी, जिला रामपुर कार्तिक स्नान और नागपंचमी के बदले मे अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित छुट्टियाँ सवेतन दें:—

अलविदा	१
इदुलजुहा	१

द्वितीय उपबंध यह है कि यदि कोई कारखाना सन् १९४७ में उपरोक्त छुट्टियों के दिनों की संख्या से अधिक दिनों की छुट्टियाँ देता रहा होगा तो वे कम न की जायेगी परंतु शेष को कारखाना प्रतिवर्ष के प्रारंभ में उस क्षेत्र के प्रादेशिक संराधन अधिकारी के परामर्श तथा सहमति से निर्धारित कर देगा;

तीसरा उपबंध यह है कि यदि ईद और मुहर्रम की छुट्टियाँ पेराई के दिनों में पड़ती है तो कारखानों को इन छुट्टियों को केवल मुसलमान कर्मचारियों के लिए वार्षिक छुट्टियाँ मानने का अधिकार होगा।

व्याख्या—इस आज्ञा के प्रयोजन के लिए मजदूरी का अर्थ छुट्टी या छुट्टियों से ठीक पहले के पूरे एक दिन की छोड़कर अर्जित की गई कुल मजदूरी है, जिसमें कोई अतिरिक्त वेतन और बोनस शामिल न होगा।

(२) इस आज्ञा के किसी या सब उपबंधों का उल्लंघन करनेवाले, उल्लंघन का प्रयत्न करनेवाले अथवा उल्लंघन या उल्लंघन के प्रयत्न में सहायता देनेवाला कोई भी व्यक्ति उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के उ० प्र० अधिनियम संख्या २८) की धारा १४ के अंतर्गत अभियोग प्रमाणित होने पर कारावास के साथ दंड का भागी होगा, जो जुर्माने के साथ तीन साल का या दोनों हो सकता है।

३—कुछ उद्योगों को जनोपयोगी सेवाएँ घोषित करने-सम्बन्धी आदेश

परशिष्ट द—३ (१)

सं० ६०४ (एस टी)/३६(ए) ३२ (एस टी) /५२

चूंकि उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय इस बात से सन्तुष्ट हैं कि सार्वजनिक हित के लिये यह आवश्यक है;

अतः यू०पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७(यू०पी० ऐक्ट सं० २८,१९४७ ई०) की धारा २ की उपधारा (२) के वाक्यखन्ड (४) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाकर

और सरकारी विज्ञप्ति सं० ७०१५ (एस टी)/३६ (ए) ६२ (एस टी) /५२, दिनांक ३० जुलाई,१९५३ ई० के सिलसिले में गवर्नर महोदय यह घोषित करते हैं कि उपर्युक्त ऐक्ट के प्रयोजन के लिये चीनी उद्योग और प्रत्येक ऐसे कारखाने को, जिसका सम्बन्ध चीनी के उत्पादन तथा वितरण से है, १० फरवरी, १९५४ ई० से ६ माह की और अवधि के लिये सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा माना जायगा।

यू०पी० इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा १९ के सम्बन्ध मे गवर्नर महोदय यह और आदेश देते हैं कि इस विज्ञप्ति की सूचना सरकारी गजट मे प्रकाशित करके दी जायगी।

परिशिष्ट द–३(२)

सं० १०८२ (टी डी)/३६(ए) १९४ (टी डी)—४८

१८ फरवरी, १९५४ ई०

चूकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय इस बात से सन्तुष्ट है कि जनता की आकस्मिक आवश्यकता और हित के लिये यह आवश्यक है;

अतएव यू०पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू०पी० ऐक्ट सं० २८, १९४७ ई०) की धारा २ की उपधारा (२) के खंड (४) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके और सरकारो विज्ञप्ति स० ७९७४ (टी डी)/३६ (ए) १९४ (टी डी)—४८, दिनाक १३ अगस्त, १९५३ ई० के क्रम में राज्यपाल महोदय उपर्युक्त ऐक्ट के प्रयोजन हेतु होजरी उद्योग और प्रत्येक ऐसे कारखाने को, जिसका सम्बन्ध होजरी की वस्तुओ के उत्पादन तथा वितरण से है, १ मार्च १९५४ ई० से आगामी ६ मास तक के लिये जनोपयोगी सेवा घोषित करते है।

उपर्युक्त ऐक्ट की धारा १९ के अन्तर्गत निदेश करते हुए राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते है कि इस आज्ञा की सूचना सरकारी गजट मे प्रकाशित करके दी जाय।

परशिष्ट द–३(३)

सं० २८१३ (एस टी) /३६(ए)९१-(टी डी)-४९

१३ अप्रैल, १९५४ ई०

चूकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय इस बात से सन्तुष्ट है कि जनता के हित के लिये यह आवश्यक है;

अत: विज्ञप्ति सं० १०२८० (टी डी) /३६ (ए) ९१ (टी डी)-४९ दिनांक १४ अक्टूबर, १९५४ के क्रम मे तथा यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू०पी० ऐक्ट सं० २८,१९४७ ई०) की धारा २ की उपधारा (२) के वाक्यखंड (४) द्वारा दिये गये अधिकारों को काम मे लाकर राज्यपाल महोदय यह घोषित करते है कि उपर्युक्त ऐक्ट के प्रयोजन के लिये सूती उद्योग और प्रत्येक ऐसा कारखाना, जिसका सम्बन्ध सूती कपड़े के

उत्पादन तथा वितरण से है, २२ अप्रैल, १९५४ ई० से ६ माह की और अवधि के लिये सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा माना जायगा ।

यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ की धारा १९ के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय यह और आदेश देते हैं कि इस विज्ञप्ति की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जायगी ।

परिशिष्ट द—३ (४)

सं० ४२८७ (एस टी)। ३६ (ए) ३२ (एस टी)-५२

२२ जुलाई, १९५४ ई०

चूंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय इस बात से सन्तुष्ट हैं कि सार्वजनिक हित के लिये यह आवश्यक है;

अतः यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ ई०) की धारा २ की उपधारा (२) के वाक्यखंड (४) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाकर और सरकारी विज्ञप्ति संख्या ६०४(एस टी)। ३६ (ए) ३२(एस-टी)-५२ दिनांक ३० जनवरी १९५४ ई० के सिलसिले में राज्यपाल महोदय यह घोषित करते हैं कि उपर्युक्त ऐक्ट के प्रयोजन के लिये चीनी उद्योग और प्रत्येक ऐसा कारखाना, जिसका सम्बन्ध चीनी के उत्पादन तथा वितरण से है, १० अगस्त १९५४ ई० से ६ माह की और अवधि के लिये सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा माना जायगा ।

यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा १९ के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय यह और आदेश देते हैं कि इस विज्ञप्ति को सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जायगी ।

परिशिष्ट द—३ (५)

सं० ६८५० (टी डी) ३६. (ए) ५६ (टी डी)–५४.

१८ अगस्त, १९५४ ई०

चूंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय इस बात से सन्तुष्ट हैं कि जनता की आकस्मिक आवश्यकता और हित के लिये यह आवश्यक है;

अतएव यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट सं० २८ १९४७) की धारा २ की उपधारा (२) के खन्ड (४) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके और सरकारी विज्ञप्ति सं० १०८२ (टी डी) ३६ (ए) १९४ (टी० डी०) ४८ दिनांक १८ फरवरी, १९५४ ई० के क्रम में राज्यपाल महोदय उपर्युक्त ऐक्ट के प्रयोजन

हेतु होज़री उद्योग और प्रत्येक ऐसे कारखाने को, जिसका सम्बन्ध होज़री की वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण से है, १ सितम्बर, १९५४ ई० से आगामी ६ मास तक के लिये जनोपयोगी सेवा घोषित करते है।

२. उपर्युक्त ऐक्ट की धारा १९ के अन्तर्गत निर्देश करते हुए राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते है कि इस आज्ञा की सूचना सरकारी गजट मे प्रकाशित करके दे दी जाय।.

परिशिष्ट द—३ (६)

स० ८३५३ (टीडी) ३६(ए)९१- (टीडी) ४९

१२ अक्तूबर, १९५४ ई०

चूकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय इस बात से संतुष्ट है कि जनता के हित के लिये यह आवश्यक है :—

अत. विज्ञप्ति सं० २८१३ (टीडी) ३६ (ए) ९१ (टीडी) ४९ ता० १३ अप्रैल, १९५४ के क्रम मे तथा यू० पी० इडस्ट्रियल डिस्प्यट्स ऐक्ट, १९४७ ई० । (यू० पी० ऐक्ट स० २८, १९४७) की धारा २ की उपधारा (२) के वाक्यखड (४) द्वारा दिये गये अधिकारो को काम मे लाकर राज्यपाल महोदय यह घोषित करते है कि उपर्युक्त ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये सूती उद्योग और प्रत्येक ऐसा कारखाना, जिसका सम्बन्ध सूती कपड़े के उत्पादन तथा वितरण से है, २२ अक्तूबर, १९५४ ई० से ६ माह की और अवधि के लिये सार्वजनिक उपयोगी सेवा माना जायगा।

यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा १९ के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते है कि इस विज्ञप्ति की सूचना सरकारी गजट मे प्रकाशित करके दी जाय।

४—न्यूनतम-वेतन निर्धारण-सम्बन्धी आदेश

परिशिष्ट द—४ (१)

सं० ८२८ (एम) । ३६(बी)५४ (एम)-५४

२७ जुलाई, १९५४ ई०

पेमेन्ट आफ़ वेजेज़ ऐक्ट, १९३६ (ऐक्ट सं० ४, १९३६ ई०) की धारा ७ की उपधारा (२) के खंड (ड) तथा धारा ११ द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके राज्यपाल महोदय हिन्दुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड गाजियाबाद, मेरठ के मजदूरों की मजदूरी मे से उक्त कम्पनी द्वारा दी गई निम्नलिखित सुविधाओं तथा की गई सेवाओं के लिये कटौती का अधिकार देते है अर्थात् :—

हिन्दुस्तान वनस्पति मैयुन्फैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, गाज़ियाबाद, मेरट के स्पोर्ट्स क्लब का निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रयोग :—

१—ऐसे कर्मचारियों के लिये, जिनका मूल वेतन या मजदूरी १०० रु० मासिक या उससे कम हो, चन्दा ४ आना मासिक से अधिक न होगा और उन कर्मचारियों के लिये, जिनका वेतन या मजदूरी १०० रु० मासिक से अधिक हो, चन्दा ८ आना मासिक से अधिक न होगा।

२—सदस्यता पूर्णतया स्वेच्छिक होगी।

३—सम्बद्ध कर्मचारी कटौती का लिखित अधिकार दे सकते हैं तथा वे इस प्रकार की किसी भी समय निर्वातित कर सकते है।

४—कम्पनी उत्तर प्रदेश की फैक्टिरियों के चीफ इन्स्पेक्टर को उस धनराशि की वार्षिक आख्या (रिपोर्ट) दें, जो वह उक्त क्लब के सम्बन्ध में प्रत्येक पंचांगीय (कलेन्डर) वर्ष में व्यय करे।

परिशिष्ट द—४ (२)

सं० यू-३७२ (एल एल) ३६-बी-८५ (एल एल)-५४

२८ जुलाई, १९५४ ई०

जेनरल क्लाज़ेज ऐक्ट, १८९७ (ऐक्ट सं० १०, १८९७) की धारा २१ के साथ पठित पेमेन्ट आफ़ वेजेज ऐक्ट, १९३६ (ऐक्ट सं० ४, १९३६) की धारा १५ की उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिनांक २२ मार्च, १९४५ की विज्ञप्ति संख्या ८१५ (एल)/१८-९७ (एल)-४५ को पुनरावर्तित करते है, जिसके द्वारा कतिपय भूतपूर्व भारतीय रियासतो के राज्यक्षेत्र की भूमि पर, जो उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट रेलवेज़ के अधिकार में हैं, नियुक्त व्यक्तियों के वेतन के भुगतान में होनेवाली अथवा की जानेवाली कटौतियों के सम्बन्ध मे किये गये दावों की सुनवाई और निर्णय का अधिकार कुछ जिलों के सब-डिविज़नल, सिटी अथवा रेलवे मजिस्ट्रेटों को दिया गया था।

परिशिष्ट द—४ (३)

सं० १८७३ (एल-एल)/३६—बी—१५५—(एल-एल)—५२

३१ अगस्त, १९५४

मिनिमम वेजेज़स एक्ट, १९४८ (१९४८ ई० का ११ वां ऐक्ट) की धारा ७ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर राज्यपाल ने श्री श्रीपति, आई० ए० एस०, संचालक, कुटीर उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर को राजकीय विज्ञप्ति संख्या ३३४४ (एल एल)—(१)/१८—(एल

बी)—१५५—(एल एल)—५२ दिनांक १२ मार्च १९५३ द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश, मिनिमम वेजेज एडवाइजरी बोर्ड में श्री एल० एम० भाटिया, आई० ए० एस० के स्थान पर स्वतंत्र सदस्य नियुक्त किया।

परिशिष्ट द — ४(४)

सं० १५७३ (एल एल)। ३६ (बी)-४३६(एल एल)-५२

४ सितम्बर, १९५४

मिनिमम वेजेस ऐक्ट, १९४८ (१९४८ की ऐक्ट सं० ११) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारोंका प्रयोग करके राज्यपाल कृषि से सम्बन्ध रखने वाली नियुक्तियों में निम्नलिखित प्रस्तावों के अनुसार जो उक्त एक्ट की धारा ५ की उपधारा (१) के वाक्य खंड (बी) के अनुसार उन सब लोगों के सूचना के लिये जिन पर इनके प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, यहां प्रकाशित किये जाते हैं, न्यूनतम वेतन निर्धारण करना चाहते है, तथा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों पर ५ नवम्बर १९५४ ई० अथवा उसके उपरान्त विचार किया जावेगा।

उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो भी आपत्तियां तथा सुझाव उपर्युक्त तारीख तक किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, उन पर विचार किया जावेगा।

ऐसी सब आपत्तियों तथा सुझावों की भी दो प्रतियां सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम (ख) विभाग, लखनऊ के पते से भेजी जानी चाहिये।

प्रस्ताव

बलिया, आज़मगढ़, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, बाराबंकी, हमीरपुर, गाजीपुर, जौनपुर, रायबरेली, फैजाबाद, बांदा तथा जालौन जिलों के कृषि क्षेत्रों तथा कृषिनिकायों की नियुक्ति, के तथा राज्य के अलमोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल तथा टेहरी-गढ़वाल जिलों को छोड़कर शेष जिलों के ५० एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल वाले संगठित कृषिक्षेत्रों में उक्त ऐक्ट की धारा ४ की उपधारा (१) के वाक्य खंड ३ के अर्थों में सब दरों को सम्मिलित करके न्यूनतम वेतन निम्नलिखित होगा :—

वयस्क के लिये १ रू० प्रति दिन अथवा २६ रु० प्रति मास

बालक अर्थात् १८ वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति के लिये १० आने प्रति दिन अथवा १६ र० ४ आन प्रति मास

२. न्यूनतम वेतन का भुगतान द्रव्य अथवा वस्तु के रूप में अथवा अंशतः वस्तु के रूप में तथा अंशतः द्रव्य के रूप मे किया जा सकता है परन्तु वस्तु के रूप में किये गए भुगतान का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन दर से कम न होगा।

३ किसी श्रमिक को दिये जाने वाले न्यूनतम वेतन में उसे मिलने वाली किसी अतिरिक्त लाभ की भी, यदि कोई हो, गणना की जावेगी।

परिशिष्ट द—४ (५)

संख्या यू ७०८ (एल एल)/३६ (बी)–७९४ (एल)/१९४८

२० अक्तूबर, १९५४

न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ (१९४८ के अधिनियम संख्या ११) की धारा ३ के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित सुझावों के अनुसार, जो कि उक्त अधिनियम की धारा ५ की उपधारा १ के वाक्य खंड (बी) के अन्तर्गत प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते है, गाँव पंचायतों के नियोजनों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित करने का विचार करते हैं और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों पर २० दिसम्बर. १९५४ को अथवा उसके बाद विचार किया जायगा।

प्रस्ताव

गाँव पंचायतों के अधीन नियोजनों के लिए उक्त अधनियम की धारा ४ की उपधारा १ के वाक्य खड ३ के अर्थ में वेतन की न्यूनतम दरें १८ वर्ष से ऊपर आयु के प्रत्येक पूर्ण कालिक प्रौढ़ के लिए निम्नलिखित होंगी :

(अ) जहाँ वेतन मासिक आधार पर दिया जाता हैं, वहाँ काम के २६ दिनों लिए २६ रू० प्रति मास।

(ब) अन्यथा एक रूपया प्रति दिन।

परिशिष्ट द—४ (६)

संख्या २९६८ (एल एल)/३६ (बी)–७९४ (एल)/१९४८

२९ दिसम्बर, १९५४ ई०

न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ (१९४८ के अधिनियम संख्या ११) की उपधारा ३ के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त स्मृतिपत्र पर, जो कि सरकारी अधिसूचना संख्या यू ७०८ (एल एल)/३६ (बी)–७९४ (एल)/१९४८ ता० २० अक्तूबर, १९५४ के साथ प्रकाशित हुआ, विचार करने के बाद राज्यपाल महोदय गाँव पंचायतों मे नियोजनों का न्यूनतम वेतन निम्नलिखित निश्चित करने की कृपा करते हैं :—

उक्त अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) के वाक्य खंड (३) के अर्थ म न्यूनतम वेतन १८ वर्ष से ऊपर सभी पूर्णकालिक कर्मचारियों के लिए आगे लिखित होगा।

(अ) जब कि भुगतान मासिक आधार पर होता हो तो २६ काम के दिनों के लिए २६ रुपया

(ब) अन्यथा १ रुपया प्रति दिन।

परिशिष्ट द—४ (७)

संख्या २८६० (एल एल)/३६-(बी)-४३६(एल-एल)/१९५२
२८ दिसम्बर, १९५४ ई०

संख्या १५७३ (एल-एल)/३६ (बी)–४३६ (एल-एल)/५२ दिनांक ४ सितम्बर, १९५४ के अनुक्रम मे तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ (अधिनियम संख्या ११/१९४८) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल महोदय आज्ञा देने की कृपा करते हैं कि सुलतानपुर, प्रतापगढ, आजमगढ, बादा, बाराबंकी जौनपुर, रायबरेली, फैजाबाद, हमीरपुर, बलिया, गाजीपुर, जालौन, के सभी जिलों में तथा राज्य के अन्य सभी जिलों मे भी केवल अलमोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल के जिलों को छोड़कर उन सभी संगठित फार्मो में, जहाँ ५० एकड़ या उससे अधिक की खेती होती है, वहाँ के खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार दी जायगी—

वयस्क के लिये १) रुपया प्रतिदिन या २६) रुपये प्रतिमास, बालक (अर्थात १८ वर्ष से कम आयु वाले) के लिये १० आना प्रतिदिन या १६ रु० ४ आने प्रतिमास

(१) न्यूनतम मजदूरी नगद या वस्तु या कुछ नगद और कुछ वस्तु के रूप में हो सकती है, पर जो वस्तु मजदूरी के रूप में दी जायगी, उसका मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से किसी भी दशा में कम न होगा।

(२) वस्तु के रूप में दी गई मजदूरी और रियायती दरों पर दी गई सभी आवश्यक वस्तुओं के नगद मूल्य की अधिगणना करने में, जिस रियायती दर पर नियोजक ने कर्मचारी को वस्तुएँ दी हैं, उनको क्रमशः ध्यान में रखा जायगा।

परिशिष्ट द–४(८)

संख्या ३७५४ (एल एल)/१८–८९४-(एल)–४८
६ दिसम्बर, १९४८ ई०

चूंकि संयुक्तप्रांतीय गवर्नर महोदय के मत में सार्वजनिक व्यवस्था और सुविधा स्थापित रखने के लिए परमावश्यक पूर्तियों एवं सेवाओं को ये रखने के लिये, यह आज्ञा देना आवश्यक है;

अतएव अब उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम सन् १९४७ ई० (उ० प्र० अधिनियम संख्या २८) की धारा ३ की उपधारा (ख) और (छ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार एवं संयुक्त प्रांतीय श्रम जांच समिति की प्रथम रिपोर्ट पर सरकारी प्रस्ताव संख्या ३५११ (एल एल) । १८-८१४ (एल)-४८, दिनांक २० नवम्बर, सन् १९४८ ई० के सम्बन्ध मे श्रीमती गवर्नर महोदया निम्नांकित आदेश देती है और उपर्युक्त अधिनियम की धारा १९ के प्रति निर्देश करते हुए प्रेरित करती है कि इस आदेश की सूचना राजकीय गजट में प्रकाशन द्वारा दी जायगी :

आदेश

१—यह आदेश १ दिसम्बर, सन् १९४८ से लागू समझा जायगा और इस आदेश के अन्तर्गत आनेवाले नियमों से सम्बद्ध समस्त उद्योग और उसके कर्मचारी, जो इससे प्रभावित होते है, इसे मानने के लिये बाध्य होंगे।

२—जब तक यह आदेश लागू रहता है, उस अवधि तक निम्नांकित तालिका १ के कालम १ में निर्दिष्ट उन समस्त उद्योगों एवं कारखानों के कर्मचारियों को—औद्योगिक अथवा क्लर्क—वही न्यूनतम मूल वेतन दिया आयगा, जो उनके सामने कालम २ एवं ३ में निर्दिष्ट है, जैसा भी मामला होगा।

तालिका संख्या १

न्यूनतम मूल वेतन

उद्योग	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये	क्लर्कों के लिये
१	२	३
१—सूती एवं ऊनी वस्त्रों के उद्योगों में	कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद एवं बनारस शहर के केवल नागरिक क्षेत्रों में ३० रुपये, प्रति मास एवं अन्य स्थानों में २८ रुपए प्रति मास।	समस्त क्षेत्रों में मैट्रिकुलेशन पास एवं उसी के समान योग्यता प्राप्त क्लर्कों को ५५ रुपये प्रति मास, इससे कम 'योग्यता रखने वालों को ४० रुपए प्रति मास
२—बिजली के कारखानों में	कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद एवं बनारस के कारखानों में ३० रुपए प्रति मास और अन्य स्थानों में २८ रुपये प्रति मास।	समस्त क्षेत्रों में मैट्रिकुलेशन पास एवं उसी के समान योग्यता प्राप्त कलर्कों को ५५ रुपये प्रति मास और इस से न्यून योग्यता रखनेवालों को ४० रुपये प्रति मास।

३—आगे की तालिका संख्या २ में दिये गये वेतन-क्रमों के अनुसार सूती वस्त्र एवं विद्युत् कारखानों के सभी औद्योगिक कर्मचारियों एवं लिपि कर्मचारियों को मँहगाई का भत्ता दिया जायगा:

तालिका संख्या २

जीवन-निर्वाह व्ययमान के अको मे प्रति अक की वृद्धि पर मँहगाई का भत्ता आनों में			अन्य स्थानो के बिजली कारखानों में	
जीवन-निर्वाह व्ययमान के अंक	वस्त्र उद्योग के समस्त क्षेत्रों में	कानपुर, लखनऊ इलाहाबाद, बनारस, आगरा, मेरठ और बरेली के बिजली के कारखानों में	जीवन-निर्वाह व्ययमान के अंक	जीवन - निर्वाह व्ययमान के अंकों में प्रति अंक की वृद्धि पर मँहगाई का भत्ता आनों में
१०० से १२५ तक	कुछ नही	कुछ नही	१०० से १२५ तक	कुछ नहीं
१२६ से २०० तक	३ आना	२.५ आना	१२६ से ३०० तक	२ आना
२०१ से ३०० तक	२.८ आना	२.४ आना	३०१ से५०० तक	१.९ आना
३०१ से ४०० तक	२.७ आना	२.३ आना	५०१ से ७०० तक	१.८ आना
४०१ से५०० तक	२.५ आना	२.२ आना	...	...
५०१ से ६०० तक	२.३ आना	२ आना	...	...
६०१ से ७०० तक	२ आना	१.८ आना	...	...

* रा० आ० सं ४।१२ (एल-एल)।३६ (बी)—८९४ (एल)।१९४८ दिनांक १२ जनवरी, १९५४ के अनुसार संशोधित।

४—मँहगाई के भत्ते का रुपया, जो उपयुक्त दरों के अनुसार दिया जायगा, स्लैब नियम से निश्चित किया जायगा।

उदाहरण:—मान लीजिये कि जीवन-निर्वाह व्ययमान के अंक ५५० अंकों पर है, उस समय वस्त्रोद्योगों में जो मँहगाई का भत्ता दिया जायगा, वह निम्नलिखित ढंग से निश्चित किया जायगा :—

जीवन-निर्वाह व्ययमान अंकों में १०० से १२५ अंकों की वृद्धि के लिये	कुछ नहीं		कुछ नहीं	कुछ नहीं
जीवन-निर्वाह व्ययमान अंकों में १२६ से २०० अंकों की वृद्धि के लिय	$\frac{७५ \times ३}{१६} = \frac{२२५}{१६}$		१४	१
जीवन-निर्वाह व्ययमान अंकों में २०१ से ३०० अंकों की वृद्धि के लिय	$\frac{२८ \times १००}{१६} = \frac{२८०}{१६}$		१७	८

जीवन-निर्वाह व्ययमान के अंकों में ३०१ से ४०० अकों की वृद्धि के लिए	$\frac{२·७ \times १००}{१६} = \frac{२७०}{१६}$	१६	१४
जीवन-निर्वाह व्ययमान के अंकों मे ४०१ से ५०० अंकों की वृद्धि के लिये	$\frac{२·५ \times १००}{१६} = \frac{२५०}{१६}$	१५	१०
जीवन-निर्वाह व्ययमान के अकों में ५०१ से ६५० अकों की वृद्धि के लिए	$\frac{२·३ \times ५०}{१६} = \frac{११५}{१६}$	७	३
	जोड़	७१	७

५—निम्नलिखित तालिका ३ मे वर्णित किसी औद्योगिक कर्मचारी को, जो किसी औद्योगिक सूती कारखाने अथवा बिजली-व्यवसाय मे ३० नवम्बर सन् १९४८ को था, सीमान्त समायोजना (मार्जिनल एडजस्टमेट) के अधीन भुगतान किया जानेवाला मूल वेतन उक्त विवरण के अनुसार निश्चित किया जायगा।

तालिका संख्या ३

मूल वेतन	कपड़े का उद्योग एवं बिजली के कारखाने	
	कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद एवं बनारस शहरों के नागरिक क्षेत्रों मे	अन्य क्षेत्रों में
२० रु० तक	३० रु० कर दिया जाय	२८ रु० कर दिया जाय
२१ रु० से २३ रु० तक	९ रु० बढ़ा दिया जाय	७ रु० बढ़ा दिया जाय
२४ रु० से २७ रु० तक	८ रु० बढ़ा दिया जाय	६ रु० बढ़ा दिया जाय
२८ रु० से ३४ रु० तक	३५ रु० कर दिया जाय	३४ रु० कर दिया जाय

(वाक्यखंड ६ रा० आ० सं ४/१२ (एल-एल) ३६ (बी)।८९४ (एल) १९४८ दिनाक २२ जनवरी, १९५० के अनुसार निकाल दिया गया)

७—किसी औद्योगिक कारखाने के प्रत्येक कर्मचारी को जिस पर यह आदेश लागू होता है, उपर्युक्त वाक्यखाण्ड २, ३ और ५ के अनुसार वेतन और मँहगाई का भत्ता दिया जायगा।

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी कर्मचारी, जिसका ३० नवम्बर सन् १९४८ ई० को उस कारखाने अथवा व्यवसाय की वेतन--सम्बन्धी नामावली में था उसको भुगतान किये जने योग्य स्कीकृत वेतन, जो उस स्कीकृत वेतन से अधिक है, जो उक्त वाक्यखण्ड के आदेशों के अनुसार भुगतान किया जा सकता है तो उसके अन्तर को उसे निजी वेतन के रूप में दिया जायगा।

· किन्तु दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि निजी वेतन को किसी भी वेतन-वृद्धि में, जो भविष्य में मूल वतन में प्राप्त होगी, मिला दिया जायगा।

परन्तु तीसरा प्रतिबन्ध यह है यदि रहन-सहन का मूल्य ३५० अंक से घट जाय तो इसी प्रकार निजी वेतन का क्रम भी घटा दिया जायगा।

किन्तु अन्तिम प्रतिबन्ध यह है कि ३० नवम्बर १९४८ ई० को भुगतान किये जानेवाले स्कीकृत वेतन के अन्तर को निश्चित करने के प्रयोजन के लिये तथा बिजली व्यवसाय के, जिसके मेसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड मैनेजिंगएजेंट हैं, कर्मचारियों तथा मथुरा एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के कर्मचारियों को दिये जानेवाले वेतन को निश्चित प्रयोजन के लिये ३० नवम्बर, सन १९४८ ई० को दिया जानेवाला मँहगाई का भत्ता २९ फरवरी १९४८ ई० को दिये जानेवाले मूल वेतन के क्रम में लगाया जायगा

८--इस आदेश के प्रयोजन के लिये मूल वेतन से तात्पर्य उस वेतन से है, जो ३० नवम्बर, सन् १९४८ ई० को दिए जाने वाले किसी भी कर्मचारी के एकीकृत वेतन और उस दिन तक दिए जाने वाले मँहगाई के भत्ते का अन्तर हो।

९---वेतन को निश्चित करने के प्रयोजनों के लिए बराबर कार्य पर बराबर वेतन बिना किसी लिंग-भेद के माना जायगा और पुरुष तथा स्त्री बराबर कार्य पर बराबर वेतन पायेंगे। किशोरावस्था का वह कर्मचारी, जिसकी अवस्था १५ वर्ष से १८ वर्ष के भीतर हैं बालिग कर्मचारी के बराबर वेतन पाएगा। किसी नाबालिग कर्मचारी को, जिसकी अवस्था १५ साल से कम है, न्यूनतम स्कीकृत वेतन एक युवक कर्मचारी के न्यूनतम एकीकृत वेतन का २।३ भाग मिलेगा।

१०---यह आदेश गजट में प्रकाशित होने के दिन से आरम्भ में ६ मास की अवधि तक लागू रहेगा।

गवर्नर महोदया पुनः आज्ञा देती हैं कि इस आज्ञा की तिथि से दो मास तक---

(१) कोई भी कर्मचारी, जो किसी भी ऐसे उद्योग अथवा कारखाने में कार्य करता है, जिस पर यह आज्ञा लागू है, न हड़ताल कर सकता है और न हड़ताल चालू रख सकता है और कोई भी ऐसा उद्योग एवं कारखाना न तो अपने कर्मचारियों को निकाल सकेगा, न निकाले रह सकेगा।

(२) कोई भी ऐसा उद्योग एवं कारखाना बिना श्रमायुक्त की लिखित आज्ञा के न तो अपने कर्मचारियों को निकाल सकेगा, न बर्खास्त कर सकेगा और न नौकरी से अलग. कर सकेगा।

परिशिष्ट द—४ (९)

सं० २२७२ (एल एल) ३६– (बी) ८९४ (एल एल) १९४८

९ दिसम्बर, १९४५ ई०

चूंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की सम्मति में सार्वजनिक सुविधा प्राप्त करने के लिए तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था एवं समाज के लिए अनिवार्य सेवाओं एवं संपूर्तियों एवं नियोजन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक हो गया है :

इसलिए अब अधिसूचना संख्या यू १२ (एल एल) ३६—(बी)—८९४ (एल)–१९४८ ता: १२ जनवरी १९५४ को जारी रखते हुए तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७, (सन् १९४७ के उ० प्र० अधिनियम संख्या २८) की धारा ३ के वाक्यखंड (बी) और (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय अधिसूचना संख्या ३७५४ (एल एल) । १८—८९४ (एल)–१९४८ ता: ६ दिसम्बर १९४८ के पालन की अवधि कानपुर के सूती और ऊनी कारखानों तथा राज्य के बिजली कारखानों द्वारा देय बुनियादी न्यूनतम मजदूरी तथा महँगाई के संबंध में, जैसा कि समय समय पर संशोधित होता रहा, १२ जनवरी १९५४ से १ वर्ष के लिए बढ़ाने की कृपा करते हैं।

परिशिष्ट द—४ (१०)

संख्या २८४७ (एल एल) ३६ (बी)–३२२ (एल एल)। १९५४

९ दिसम्बर, १९५४ ई०

चूंकि राज्यपाल महोदय की सम्मति मे सार्वजनिक सुविधा की रक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था और समाज के जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं और संपूर्तियों को बनाये रखने के लिए आवश्यक हो गया है :

इसलिए, अब, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के उ० प्र० अधिनियम संख्या २८) की धारा ३ के वाक्यखंड (बी) और (जी) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर गवर्नर महोदय निम्नलिखित आदेश देने की कृपा करते हैं :—

आदेश

(१) अधिसूचना संख्या ३७५४ (एल एल) । १८–८९४ (एल) । १९४८ ता: ६ दिसम्बर १९४८ के सूती, ऊनी तथा बिजली कारखानों में अन्न के महँगाई भत्ते के संबंध में बने और समय समय पर संशोधित उपबंध जे० के० वूलेन मैन्यूफैक्चर्स लि० पर इस अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष तक लागू न होंगे।

६

(२) उपर्युक्त आदेश से छूट की अवधि में कारखाना अपने औद्योगिक तथा बिजली कर्मचारियों को एम्प्लायर्स एसोसियेशन आफ नादर्न इंडिया (उत्तरी भारत मिल मालिक संघ) द्वारा कानपुर के रोलिंग कारखानों के लिए निर्धारित दरों से २५ प्रतिशत अधिक की दर से महँगाई भत्ता देगा।

५—नियमों में संशोधन

परिशिष्ट—५ (१)

सं० ३६६(एल एल) (४) (३६) (बी) (एल एल) ५४ २५ फरवरी, १९५४ ई०

उत्तर प्रदेश और चीनी चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम १९५० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १६, १९५१ ई०) की धारा १४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश चीनी और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम १९५१ में निम्नलिखित संशोधन करते है जो पहले सरकारी विज्ञप्ति संख्या ३६६।(एल एल) ३६(बी) ५२ (एल एल) ५४ दिनांक १८ फरवरी १९५४ ई० द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (१) मे अपेक्षित है।

संशोधन

In Rules 3 and 6 of the said Rules for the words "The Deputy Secretary to Government, Uttar Pradesh, Labour Department" substitute "The Joint Secretary to Government, Uttar Pradesh, Industries Branch."

परिशिष्ट द–५ (२)

३० अप्रैल, १९५४ ई०

सं० १६ (एल एल) (१) ३६ (बी) २०७ (एल एल)–५३ फैक्ट्रीज ऐक्ट १९४८ (१९४८ का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ११२ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय पूर्व प्रकाशन के उपरान्त यू० पी० फैक्ट्रीज रूल्स, १९५० में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

Amendment

In the upper part of the foil and counterfoil of Form no. 5 appended to the said Rules the words commencing from "who is desirous of being employed in a factory to His/Her descriptive mark are......" shall be substituted by the following:

Who is desiruous of being employed in a factory, and that his/her date of birth (if available) is......and

the age as nearly as can be ascertained from my examination is......years, and that he/she is fit in accordance with the minimum physical standards prescribed, for employment in factory as an adult/child. His/her descriptive marks are ....
who is desirous of being employed in a factory and that his/her date of birth (if available) is..........and the age as nearly as can be ascertained from my examination is..................years and that he/she is fit in accordance with the minimum physical standards prescribed, for employment in factory as an adult/child. His/her descriptive marks are................

परिशिष्ट द–५ (३)

सं० ४१६ (एल एल)/३६ (बी) १५५ (एल एल)—५३

१९ मई, १९५४ ई०

फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ११२ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने पूर्व प्रकाशन के उपरान्त यू० पी० फैक्ट्रीज़ रूल्स, १९५० में निम्नलिखित संशोधन किया है:

After item (13) in rule 75 of the said rules insert a further item (14) as under:

(14) Glass Bangle Factories	The working hours of Jhokias and Water men shall be so arranged that only rest intervals may over lap.

परिशिष्ट द—५ (४)

सं० २५० (एल एल) (३)/३६ (बी) ४१५ (एल एल) ५३

१८ जून १९५४ ई०

एम्पालाईज़ स्टेट इन्श्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ (ऐक्ट सं० ३४, १९४८ ई०) की धारा ९६ की उपधारा (१) के खंड (ए) (बी) और (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके गवर्नर उत्तरप्रदेश कर्मचारी बीमा न्यायालय नियम, १९५२ (यू० पी० एम्पाईज़ इन्श्योरेन्स कोर्ट्स रूल्स, १९५२ ई०) में निम्न संशोधन करते हैं जो सरकारी विज्ञप्ति संख्या २५० (एल.एल)/ ३६ (बी) ४१५ (एल एल)–५३, तारीख ६ मार्च, १९५४ द्वारा उक्त उपधारा के अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।

संशोधन

उक्त नियमो के नियम १ के उपनियम २ के स्थान पर निम्नलिखित पढा जाय: 'ये सारे उत्तर प्रदेश मे प्रचलित होगे।'

परिशिष्ट द—५ (५)

स० १००८ (एम) (४)। ३६(बी) ३६४ (एम) ४७९

१० जुलाई, १९५४ ई०

यू० पी० शाप्स ऐन्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेन्ट ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० की ऐक्ट सख्या २२, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके राज्य-पाल महोदय १७ जून, १९५४ ई० की उस विज्ञप्ति सख्या १००८ (एम)। ३६ (बी) ३६४ (एम)—४९ मे निम्नलिखित सशोधन करते है, जिसमे उत्तर प्रदेश मे स्थित बैंको को उक्त ऐक्ट की कुछ धाराओ के उपबन्धो के लागू होने से मुक्त किया गया था, और यह आदेश देते है कि इन सशोधनो के सम्बन्ध मे यह समझा जायगा कि वे उक्त विज्ञप्ति के दिनाक से किये गये थे।

संशोधन

१—शब्द और अक धारा '६, ८, १०, ११ तथा १२' के स्थान पर शब्द तथा अक '६, ८, १० तथा १२' रखिये।

—शर्त सख्या ४ के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखिये, अर्थात् :—

उस दशा मे, जब कि दो दिनो मे से ऐसा कोई दिन, जिसको इस विज्ञप्ति के अन्तर्गत मुक्त किया गया है, बन्दी दिवस पर पडे तो किसी कर्मचारी से ऐसे दिन पर लिया गया समस्त कार्य अतिरिक्त समय का कार्य समझा जायगा और उस दिन का वेतन ऐसी दर से दिया जायगा, जो साधार दर की दुगनी दर से कम न होगा।

परिशिष्ट द—५ (६)

सख्या पी० एफ० ५१६ (३)

१७ दिसम्बर, १९५३ ई०

कर्मचारी प्रावीडेट फड योजना, १९५२ के पैराग्राफ ३ के अनुसार केंद्रीय सरकार आदेश देती है कि भारत सरकार के श्रम मत्रालय की अधिसूचना सख्या एस० आर० ओ० १८६१ ता० ३१ दिसम्बर, १९५२ मे निम्नलिखित सशोधन किया जायगा कि :—

उक्त अधिसूचना मे आइटम ५ के स्थान पर निम्नलिखित आइटम रक्खा जायगा कि :

५—श्री जे०डी० कपाडिया, आई० सी० एस०, सेक्रेटरी, बबई सरकार, डेवलपमेट डिपार्टमेट सेक्रेट्रियट एनैक्सी, फोर्ट, बबई—

परिशिष्ट द—५ (७)

संख्या पी० एफ०३३ (१)। ५४

नई दिल्ली, ६ मार्च १९५४ ई०

भारत सरकार के श्रम मत्रालय की अधिसूचना संख्या एस०आर० ओ० १५०९ के साथ प्रकाशित कर्मचारी प्रावीडेट फड योजना, १९५२ पैराग्राफ ३ के अनुसार भारत सरकार निर्देश करती है कि भारत सरकार के श्रम मत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८६१ दिनाक ३१ अक्तूबर, १९५२ मे निम्नलिखित संशोधन और किया जायगा अर्थात्:

उपर्युक्त द्वितीय अधिसूचना के सख्या ८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा—"८ श्री के० एन० सिंह, (आई० ए० एस०) (सेक्रेटरी) (श्रम विभाग), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ"

परिशिष्ट द—५ (८)

स० ३७०० (एम) ३६ (बी)–५८ (एम)–५१।

१ अप्रैल, १९५४ ई०

विज्ञप्ति सं० ६०१४। (एल एम) १८ (५८) (एल एम) ५१ दिनांक २७ दिसम्बर, १९५१ का आंशिक संशोधन करते हुए तथा फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ८५ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय उक्त विज्ञप्ति की मद (ब) मे निम्नलिखित सशोधन करते हैं।

In item (b) add "or brass cutting" between the words "electroplating" and "is being carried on" replacing the existing word "or" before "electroplating" by a comma.

परिशिष्ट द—५ (९)

स० १९५० (एल एल) ३६ (बी) २ (एल एल) ५४

२ नवम्बर, १९५४ ई०

फैक्टरीज् ऐक्ट, १९४८ ई० (ऐक्ट संख्या ६३, १९४८ ई०) की धारा ११२ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने श्रम (ख) विभाग की विज्ञप्ति स० १२ (एल एल) ३६ (बी) २ (एल एल) ५४, दिनांक २९ मार्च, १९५४ ई० के साथ पूर्व प्रकाशन के उपरान्त यू० पी० फैक्टरीज़ रूल्स, १९५० ई० में निम्नलिखित सशोधन किये हैं:—

सशोधन

१. कारखाना कानून के ५६ वें शीर्षक मे जो इस प्रकार है :—

"प्रेशर प्लांट की जाच व परीक्षण (धारा ३१ (२)" के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाय :—

"प्रेशर प्लांट की जांच व परीक्षण तथा अन्य तत्सम्बन्धी सुरक्षात्मक कार्य
(धारा ३१ (२)"

२. नियमावली के ५६ के बाद एक नया नियम "५६ ए" निम्न प्रकार से जोड़िए :

"५६-ए (अन्य सुरक्षात्मक कार्य)

(१) एलेक्ट्रोलिटिक तरीके से कम्प्रेशिंग के लिये तैयार की जाने वाली आक्सीजन का आयतन किसी भी दशा में किसी समय ९९ प्रतिशत से कम शुद्धता का न होना चाहिये,

(२) एलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के विद्युत-कनेक्शनों को इतनी सावधानी से जोड़ना चाहिये कि धन-विद्युत और ऋण-विद्युत के सम्बन्ध जोड़ने में गलती न हो जिससे कि "पौलैरिटी" में व्यति क्रम न हो सके ।

(३) आक्सीजन और हाइड्रोजन के पाइपों को ऐसे विशिष्ट रंगों से रंगा जाना चाहिये कि कनेक्शन जोड़ने में किसी भी प्रकार से कोई भूल की संभावना न रह जाय तथा कनेक्शनों के जोड़ने का काम प्रबन्ध द्वारा नियुक्त एक अत्यन्त कुशल एवं दक्ष व्यक्ति के द्वारा ही सही ढंगपर कराया जाना चाहिये ।

(४) आक्सीजन की शुद्धता की जांच के लिए गैस-पाइप के दोनों किनारों, गैस होल्डर एवं कम्प्रेशर के सेक्सन के किनारों को जोड़ने वाले भाग से नमूना तभी लेना चाहिये, जब गैस होल्डर को आक्सीजन की सप्लाई सेल्स से स्टाप-वाल्व द्वारा पूर्णतया रोक दी गई हो । गैस की शुद्धता की जांच उसके बाद घंटे-घंटे भर बाद की जानी चाहिये और जांच की शुद्धता को एक रजिस्टर में लिखा जाना चाहिये, जिसका कारखानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है ।

(५) प्रत्येक प्लांट में कम से कम दो गैस होल्डर होने चाहिये, जिससे दबाव पड़ने पर, जब एक से आक्सीजन पूर्णतया निकल जाय तो, सेल्स में बनी गैस दूसरे में जाकर एकत्रित हो जाय ।

(६) आक्सीजन की शुद्धता की जांच के लिये कारखाने के प्रबन्धक द्वारा एक अति निपुण एवं अपने कार्य में दक्ष व्यक्ति को ही इस कार्य के लिये नामांकित किया जायगा, जो बड़ी सावधानी से घंटे-घंटे के बाद की जाने वाली जांचों की प्रामाणिकता को सही करने के लिये रजिस्टर में अंकित करेगा था उसके सामने अपने हस्ताक्षर भी करेगा ।

६—अधिनियम एवं आनियमों की विभिन्न व्यास्थाओं से मुक्ति

(अ) कारखाना अधिनियम के अंतर्गत मुक्ति

परिशिष्ट द—६ (अ) (१)

संख्या ४३८० (एम)/३६–(बी) ७७ (एल एम)–४९

२९ दिसम्बर, १९५४ ई०

अधिसूचना संख्या ३२४६ (एम) ३६ (बी) ७७ (एल एम)—४९ ता: ११ सितम्बर, १९५३ को जारी रखते हुए तथा कारखाना कानून, १९४८ (१९४८ के अधिनियम ६३) की उपधारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश में स्थित भारत सरकार के प्रतिरक्षा, शस्त्र तथा बारूद के कारखानों को उनके पुरुष प्रौढ़ कर्मचारियों के संबंध में कारखाना कानून, १९४८ के अध्याय ६ की धारा ५१,५२,५४,५५ और ५६ की शर्तों तथा उक्त कानून की धारा ६४ के अंतर्गत बनाये गये नियमों के पालन से १ जनवरी सन् १९५४ से तीन महीने के लिए और छूट देने की कृपा करते हैं :

(१) आर्डनेंस फैक्टरी, कानपुर
(२) हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर
(३) क्लोदिग फैक्टरी, शाहजहांपुर
(४) पैराशूट फैक्टरी, कानपुर
(५) आर्डनेंस फैक्टरी, मुरादनगर
(६) आर्डनेंस फैक्टरी, देहरादून
(७) स्माल आर्म्स फैक्टरी, कानपुर
(८) टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (शस्त्र) विभाग आर्डनेंस फैक्टरी, कानपुर
(९) टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (शस्त्र) विभाग, स्माल आर्म्स फैक्टरी, कानपुर
(१०) सेंट्रल आर्डनेंस डिपो, कानपुर
(११) आर्डनेंस सब डिपो, शाहजहांपुर

परिशिष्ट द—६ (अ) (२)

सं० यू ३९८ (एम)/३६ (बी)

२०, फरवरी, १९५४ ई०

फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८(१९४८ का ६३ वां ऐक्ट)की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए राज्यपाल, गवर्नमेंट सेंट्रल प्रेस, इलाहाबाद को उसके कन्फिडेन्शियल सेक्शन के ५० वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध मे उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५२, ५४, ५६ तथा ५८ (१) के आदेशों से १६ नवम्बर, १९५३ से ३ मास के लिए निम्नलिखित प्रतिबन्धों पर मुक्त करते है :

१. किसी भी श्रमिक के प्रतिदिन के काम करने के कुल घंटों की संख्या १२ से अधिक न होगी।

२. प्रतिदिन के काम आरंभ करने से समाप्त करने तक के घंटे १३ से अधिक न होंगे।

३. अतिरिक्त समय के वेतन की दर उक्त ऐक्ट की धारा ५९ के अनुसार होगी।

४. बदले की छुट्टियाँ उक्त ऐक्ट की धारा ५३ के आदेशो के अनुसार दी जायेगी

परिशिष्ट द—६ (अ) (३)

स० १५ (एम)/३६ (बी) २ (एम)—५३

२२ फरवरी, १९५४ ई०

विज्ञप्ति स० ३९४७ (एम)/३६ (बी) (एम)–५३, दिनाक १९ नवम्बर, १९५३ के क्रम मे तथा फैक्टरीज़ ऐक्ट (१९४८ का ६३ वा ऐक्ट) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारो को प्रयोग मे लाते हुए राज्यपाल सेंट्रल आर्डनेन्स डिपो, छिवकी, इलाहाबाद को उसके २०० वयस्क पुरुष श्रमिको के सम्बन्ध मे उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५२, ५४, ५६ तथा ५८ (१) के आदेशों से १५ सितम्बर, १९५३ से ३ मास की और अवधि के लिए मुक्त करते है।

परिशिष्ट द—६ (अ) (४)

स० १५ (एम) (३)/३६–(बी)–२ (एम)–५३

२२ फरवरी, १९५४ई०

विज्ञप्ति स० १५ (एम)/३६ (बी)—२ (एम)/५३, दिनाक २० फरवरी, १९५४ के क्रम मे तथा फैक्टरीज़ ऐक्ट १९४८ (१९४८ का ६३ वा ऐक्ट) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए राज्यपाल सेंट्रल आर्डनेन्स डिपो छिवकी, इलाहाबाद को उसके २०० वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध मे उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५२, ५४, ५६, तथा ५८ (१) के आदेशों से १५ दिसम्बर, १९५३ से ३ मास की और अवधि के लिये मुक्त करते हैं।

परिशिष्ट द—६ (अ) (५)

सं० यू० ४ (एम)/३६—(बी)

२४ फरवरी, १९५४ ई०

फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ (१९४८ई० का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुये राज्यपाल गवर्नमेंट सेन्ट्रल प्रेस, इलाहाबाद को उसके ३६७ वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५४, ५५, ५६ तथा ५८ (१) के आदेशो से १० अप्रैल, १९५३ से तीन मास के लिए निम्नलिखित प्रतिबन्धो पर मुक्त करते है :—

(१) किसी भी श्रमिक के किसी दिन के कुल काम करने के घंटे ११-१/२ से अधिक न होंगे।

(२) काम आरम्भ करने से समाप्त करने तक का समय १२-१।२ घंटे से अधिक न होगा।

(३) अतिरिक्त समय का वेतन उक्त ऐक्ट की धारा ५९ के आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।

परिशिष्ट द—६ (अ) (६)

सं० यू २८ (एम) ३६ (बी)

५ मार्च, १९५४ ई०

फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुये राज्यपाल महोदय गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस, ९६ महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ तथा न्यू गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को उनके वयस्क श्रमिकों के सम्बन्ध में १५ दिसम्बर, १९५३ई० से तीन मास की अवधि के लिए उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५२, ५४, ५६ तथा ५८ (१) के आदेशों से निम्नलिखित प्रतिबन्धों पर मुक्त करते हैं।

(१) किसी भी श्रमिक के साप्ताहिक काम करने के घंटे ६६ से अधिक न होंगे।

(२) किसी भी श्रमिक के प्रति दिवस काम के घंटे ११ से अधिक न होंगे।

(३) प्रतिदिन के काम आरम्भ करने से अंत तक के घंटे १२ से अधिक न होंगे।

(४) अतिरिक्त समय का वेतन उक्त ऐक्ट की धारा ५९ के अनुसार दिया जायगा।

(५) बदले की छुट्टी उक्त ऐक्ट की धारा ५३ के अनुसार दी जायगी।

(६) उक्त ऐक्ट की धारा ५५ के अनुसार स्थायी विश्राम करने के समय दिये जायेंगे।

परिशिष्ट द—६ (अ) (७)

सं० यू (एम) (३)/३६—२४

५ मार्च १९५४ ई०

फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुये राज्यपाल महोदय गवर्नमेंट सेन्ट्रल प्रेस, इलाहाबाद को उनके वयस्क श्रमिकों के सम्बन्ध में १५ दिसम्बर, १९५३ से तीन मास की अवधि के लिये उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५२, ५४, ५६ तथा ५८ (१) के आदेशों से निम्नलिखित प्रतिबन्धों पर मुक्त करते हैं :

(१) किसी भी श्रमिक के काम करने के साप्ताहिक घंटे ७२ से अधिक न होंगे।

(२) किसी भी श्रमिक के प्रतिदिवस काम करने के घंटे १२ से अधिक न होंगे।

(३) प्रतिदिन के काम आरम्भ करने से अंत तक के घंटे १३ से अधिक न होंगे।

(४) अतिरिक्त समय का वेतन उक्त ऐक्ट की धारा ५९ के अनुसार दिया जायगा।

(५) बदले की छुट्टी उक्त ऐक्ट की धारा ५३ के अनुसार दी जायगी।

(६) उक्त ऐक्ट की धारा ५५ के अनुसार स्थायी विश्राम करने के समय दिये जायगे

परिशिष्ट द—१ (अ) (८)

सं० यू–४ (एम) ३६ (बी)

१६, मार्च १९५४ ई०

कारखाना कानून, १९४८ (१९४८ के अधिनियम ६३) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय गवर्नमेन्ट सेंट्रल प्रेस, इलाहाबाद को उसके अंतर्गत नियोजित ६३ पुरुष कर्मचारियों के सम्बन्ध मे उक्त कानून की धारा ५१, ५२, ५४, ५६ और ५८ (१) से २८–२९ सितम्बर १९५३ से कुल २८ दिन की अवधि लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन छूट देने की कृपा करते हैं :

(१) किन्ही भी कर्मचारियो द्वारा काम लिए गये प्रतिदिन के घंटों की संख्या १२ से अधिक न होगी।

(२) कारखाने मे समय की कुल उपस्थिति १३ घंटों से अधिक न होगी।

(३) अधिनियम की धारा ५९ के अनुसार अतिरिक्त समय के कार्य की मजदूरी दी जायगी।

(४) अधिनियम की धारा २३ के उपबंधों के अनुसार बदले की छुट्टियां दी जायँगी।

परिशिष्ट द—६ (अ) (९)

सं० ८७१ (एम) ३६ (बी) ७७ (एल एम) ४९

२६ मार्च, १९५४ ई०

विज्ञप्ति सं० ४३८० (एम) ३६ (बी) ७७ (एल एम), ४९, दिनांक २९ दिसम्बर १९५३ के क्रम में तथा फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग मे लाते हुए राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश में स्थित भारत सरकार के निम्नलिखित डिफेन्स, आर्म्स तथा अम्यूनिशन्स के कारखानों को उनके वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ के अध्याय ६ की धारा ५१, ५२, ५४, ५६, तथा ५८ के आदेशों से १ अप्रैल, १९५४ ई० से तीन मास की और अवधि के लिये मुक्त करते हैं :

१. आर्डनेन्स फैक्टरी, कानपुर।
२. हार्नेस एन्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर।
३. क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर।
४. पैराशूट फैक्टरी, कानपुर।
५. आर्डनेन्स फैक्टरी, मुरादनगर।
६. आर्डनेन्स फैक्टरी, देहरादून।
७. स्माल आर्म्स फैक्टरी, कानपुर।
८. टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (वेपन्स) विंग आर्डनेन्स फैक्टरी, कानपुर।
९. टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (वेपन्स) विंग, स्माल आर्म्स फैक्टरी, कानपुर।

१०. सेन्ट्रल आर्डनेन्स डिपो।

११. आर्डनेन्स सब डिपो, शाहजहांपुर।

परिशिष्ट द—६ (अ) (१०)

सं० ४२५४ (एम)/३६ (बी) ३०५ (एम)—५३

१५ मई, १९५४ ई०

फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाकर राज्यपाल यू० पी० गवर्नमेंट सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ को उसके केनिंग सेक्शन के २५ तथा कारपेन्टर सेक्शन के १० वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ के अध्याय ६ की धारा ५१, ५२, ५४ तथा ५६ तथा उक्त ऐक्ट की धारा ६४ के अंतर्गत बनाये गये नियमों से १८ मई, १९५३ से २० जून, १९५३ तक निम्नलिखित प्रतिबन्धों पर मुक्त करते हैं:—

(१) जिन श्रमिकों से प्रतिदिन ९ घंटे से अधिक अथवा प्रतिसप्ताह ४८ घंटे से अधिक काम लिया गया हो, उनको इन अतिरिक्त घंटों के लिये अतिरिक्त समय का वेतन उक्त ऐक्ट की धारा ५९ के आदेशों के अनुसार दिया जायगा।

(२) जिन श्रमिकों से साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम लिया गया हो, उनको उक्त ऐक्ट की धारा ५३ के आदेशों के अनुसार बदले की छुट्टी दी जायगी।

परिशिष्ट द—६ (अ) (११)

संख्या १५५७ (एम) / ३६ (बी)—२ (एम)—५३

२५ जन, १९५४ ई०

अधिसूचना संख्या १५ एम (३)/३६(बी)—२ (एम)—५३, दिनांक २२ फरवरी, १९५४ के क्रम में तथा फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८का ६३ वां) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुये राज्यपाल सेन्ट्रल आर्डिनेन्स डिपो, छिवकी, इलाहाबाद को उसके २०० वयस्क पुरुष श्रमिकों के संबन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५२, ५४, ५६ तथा ५८ (१) के आदेशों से १५ मार्च, १९५४ ई० से ३ मास की और अवधि के लिये मुक्त करते हैं।

परिशिष्ट द—६ (अ) (१२)

सं० यू—१०६ (एम)/३६—(बी)

२८ जून, १९५४ ई०

फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां एक्ट) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुये राज्यपाल न्यू गवर्नमेन्ट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को उसके ५० वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५४, ५६ तथा ५८ (१) के आदेशों

से शनिवार १० अप्रैल, १९५४ को समाप्त होनेवाले सप्ताह में ५ अप्रैल, १९५४ ई० को एक दिन के लिये निम्नलिखित प्रतिबन्धों पर मुक्त करते हैं :—

(१) किसी भी श्रमिक के साप्ताहिक काम करने के घंटे ५३ से अधिक न होंगे ।
(२) किसी भी श्रमिक के प्रति दिवस काम के घंटे १५ १/२ से अधिक न होंगे ।
(३) किसी भी श्रमिक के काम आरम्भ करने के अंत तक के घंटे १७ से अधिक न होंगे ।
(४) अतिरिक्त समय का वेतन उक्त ऐक्ट की धारा ५९ के अनुसार दिया जायगा ।
(५) सभी श्रमिकों के सम्बन्ध में धारा ५२ के आदेशों का पालन किया जायगा ।

परिशिष्ट द—६ (अ) (१३)

सं० १७०१ (एम)/३६ (बी)—७७ (एम)—४९

२९ जून, १९५४ ई०

विज्ञप्ति सं० ८७१ (एम)/३६ (बी)—७७ (एल एम)—४९ दिनांक २७ मार्च, १९५४ ई० के क्रम में तथा फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुये उत्तरप्रदेश के राज्यपाल उत्तर प्रदेश में स्थित भारत सरकार के निम्नलिखित डिफेन्स आर्म्स तथा अम्यूनिशन्स के कारखानों को उनके वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ के अध्याय ६ की धारा ५१, ५२, ५४ ५५ तथा ५६ के आदेशों से १ जुलाई, १९५४, से तीन मास की और अवधि के लिये मुक्त करते हैं :

(१) आर्डनेन्स फैक्टरी, कानपुर ।
(२) हार्नेस एन्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर ।
(३) क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर ।
(४) पैराशूट फैक्टरी, कानपुर ।
(५) आर्डनेन्स फैक्टरी, मुरादनगर ।
(६) आर्डनेन्स फैक्टरी, देहरादून ।
(७) स्माल आर्म्स फैक्टरी, कानपुर ।
(८) टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट वेपन्स, कानपुर विंग, काल्पीरोड, कानपुर (ए)
(९) टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट वेपन्स, कानपुर विंग, काल्पी रोड, कानपुर (बी)
(१०) सेन्ट्रल आर्डनेन्स डिपो, कानपुर ।
(११) आर्डनेन्स सब डिपो, शाहजहांपुर ।

परिशिष्ट द—६ (अ) (१४)

सं० २८१२(एम)।३६(बी)—७७(एम)–४९
४ सितम्बर, १९५४ ई०

विज्ञप्ति सं० १७०१(एम)।३६(बी)—७७(एम)–४९, दिनांक २९ जून, १९५४ के क्रम में तथा फैक्टरी ऐक्ट, १९४८ (१९४८ ई० का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उत्तर प्रदेश में स्थित भारत सरकार के निम्नलिखित डिफेन्स, आर्म्स तथा अम्यूनिशन्स के कारखानों को उनके वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ के अध्याय ६ की धारा ५१, ५२, ५४, ५५ तथा ५६ के आदेशों से १ अक्टूबर, १९५४ ई० से तीन मास की और अवधि के लिये मुक्त करते हैं :—

(१) आर्डनेन्स फैक्टरी, कानपुर।
(२) हार्नेस एन्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर।
(३) क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर।
(४) पैराशूट फैक्टरी, कानपुर।
(५) आर्डनेन्स फैक्टरी, मुरादनगर।
(६) आर्डनेन्स फैक्टरी, देहरादून।
(७) स्माल आर्म्स फैक्टरी, कानपुर।
(८) टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट, वेपन्स, कानपुर विंग, कालपी रोड, कानपुर (ए)।
(९) टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट, वैपन्स, कानपुर विंग, कालपी रोड, कानपुर (बी)।
(१०) सेन्ट्रल आर्डनेन्स डिपो, कानपुर।
(११) आर्डनेन्स सब डिपो, शाहजहांपुर।

परिशिष्ट द—६(अ)(१५)

सं० २४७२(एम)।३६–(बी)—२४८(एम)–५४
४ सितम्बर, १९५४ ई०

फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ (१९४८ ई० की ऐक्ट सं० ६३) की धारा ४७ की उपधारा (३) के खन्ड (ख) द्वारा दिये गये अधिकारों को काम में लाकर राज्यपाल महोदय टेक्निकल डेवलपमेन्ट (वेपन्स), कानपुर विंग, कालपी रोड, कानपुर को उक्त ऐक्ट की धारा ५७ के प्रतिबन्धों से मुक्त करते है।

परिशिष्ट द—६ (अ) (१६)

सं० ३०३९ (एम)।३६ (बी)—२ (एम)—५३

६ नवम्बर, १९५४ ई०

फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३वां) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय सेन्ट्रल आर्डनेन्स डिपो, छिवकी, इलाहाबाद को उसके २०० वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५२, ५४, ५६ तथा ५८ (१) के उपबन्धों से १५ सितम्बर, १९५४ ई० से ३ मास की और अवधि के लिये मुक्त करते हैं।

परिशिष्ट द—६ (अ) (१७)

सं० ३०३९ (एम)।३६ (बी)—२ (एम)—५३

६ नवम्बर, १९५४ ई०

विज्ञप्ति सं० १५५७ (एम)।३६ (बी)—२ (एम)—५३, दिनांक २५ जून, १९५४ ई० के क्रम में तथा फैक्टरीज़ ऐक्ट १९४८ (१९४८ ई० का ६३वां) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय सेंट्रल आर्डनेंस डिपो, छिवकी, इलाहाबाद को उसके २०० वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्वन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५२, ५४, ५६ तथा ५८ (१) के उपबन्धों से १५ जून, १९५४ ई० से ३ मास की और अवधि के लिये मुक्त करते हैं।

परिशिष्ट द—६ (अ) (१८)

सं० ४००४ (एम)।३६—(बी)—७७ (एम)—४९

४ जनवरी, १९५५ ई०

विज्ञप्ति सं० २८१२ (एम)।३६ (बी)—७७ (एम)—४९, दिनांक ४ सितम्बर, १९५४ ई० के क्रम में तथा फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ ई० (१९४८ ई० का ऐक्ट सं० ६३) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुये उत्तर प्रदेश में स्थित भारत सरकार के निम्नलिखित डिफेंस, आर्म्स तथा अम्यूनिशन्स कारखानों को उनके वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ ई० के अध्याय ६ की धारा ५१, ५२, ५४, ५५ तथा ५६ के आदेशों से १ जनवरी, १९५५ ई० से ३ मास की और अवधि के लिए मुक्त करते हैं—

(१) आर्डनेन्स फैक्टरी, कानपुर।
(२) हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर।
(३) क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर।
(४) पैराशूट फैक्टरी, कानपुर।
(५) आर्डनेन्स फैक्टरी, मुरादनगर।

(६) आर्डनेन्स फैक्टरी, देहरादून।

(७) स्माल आर्म्स फैक्टरी, कानपुर।

(८) टेक्निकल डेवलेपमेंट इस्टैब्लिशमेंट, वैपन्स, कानपुर विंग, कालपी रोड, कानपुर (बी)।

(९) टेक्निकल डेवलेपमेंट इस्टैब्लिशमेंट, वैपन्स, कानपुर विंग, कालपी रोड, कानपुर (बी)।

(१०) सेन्ट्रल आर्डनेन्स डिपो, कानपुर।

(११) आर्डनेन्स सब डिपो, शाहजहांपुर।

परिशिष्ट द–६ (अ) (१९)

सं० ४००४(एम)।३६(बी)—७७(एम)–४९

४ जनवरी, १९५५ ई०

फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ ई० (१९४८ ई० का ६३वां ऐक्ट) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय क्लोदिंग इंस्पेक्शन डिपो, शाहजहांपुर को उसके वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में, उक्त ऐक्ट के अध्याय ६ की धारा ५१, ५२, ५४ तथा ५६ के आदेशों से १ जनवरी, १९५५ ई० से तीन मास की अवधि के लिए मुक्त करते हैं।

परिशिष्ट द—६ (अ) (२०)

सं० ३८५८ (एम)/३६—(बी)

४ जनवरी, १९५५

फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ (१९४८ई० की ऐक्ट सं० ६३) की धारा ५ द्वारा दिए गए अधिकारों को काम में लाकर गवर्नर महोदय आदेश देते हैं कि गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ अपने २३ वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५४ तथा ५६ के उपबन्धों से निम्नलिखित शर्तों पर एक दिन के लिए अर्थात् २५ सितम्बर, १९५४ को मुक्त रहेगा :—

(१) किसी भी श्रमिक के प्रति सप्ताह काम करने के कुल घंटों की संख्या ४९-१।२ से अधिक न होगी।

(२) किसी श्रमिक के प्रतिदिन काम करने के कुल घंटों की संख्या १४-१।२ से अधिक न होगी।

(३) किसी भी श्रमिक के किसी भी दिन काम करने के प्रारम्भ से अन्त तक का समय १६ घंटों से अधिक न होगा।

(४) अतिरिक्त समय के काम करने का वेतन उक्त ऐक्ट धारा ५९ के अनुसार मजदूरी की साधारण दर से दूना दिया जायगा।

परिशिष्ट द—६ (अ) (२१)

सं० ३८५९ (एम)/३६–(बी)

४ जनवरी, १९५५

फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८ई० की ऐक्ट सं० ६३) की धारा ५ द्वारा दिये गये अधिकारों को काम में लाकर गवर्नर महोदय आदेश देते हैं कि गवर्नमेंट प्रेस ऐशबाग लखनऊ अपने २९ वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा ५४ और ५६ के आदेशों से निम्नलिखित शर्तों पर एक दिन के लिये अर्थात् १८ अक्टूबर १९५४ई० को मुक्त रहेगा।

(१) किसी भी श्रमिक के प्रतिदिन काम करने के कुल घंटों की सं० १५-१।२ से अधिक न होगी।

(२) किसी भी श्रमिक के किसी भी दिन काम के प्रारम्भ से अन्त तक का समय १७ घंटों से अधिक न होगा।

(३) अतिरिक्त समय के काम करने का वेतन उक्त ऐक्ट की धारा ५९ के अनुसार मजदूरी की साधारण दर से दूना दिया जायगा।

ब-उत्तर प्रदेश दूकान कानून के अन्तर्गत मुक्ति

परिशिस्ट द—६ (ब) (१)

सं० १०१० (एम)/३६ (बी)–४३ (एम)–५४

२० अप्रैल, १९५४ ई०

यू० पी० शाप्स ऐन्ड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ यू० पी० ऐक्ट संख्या २२, १९४७ ई० की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये गवर्नर महोदय पार्श्वलिखित मुद्रणालयों को उक्त ऐक्ट की धारा ८, १० और १२ के पालन से तारीख १५ फरवरी, १९५४ से तारीख ५ मार्च १९५४ तक के लिये मुक्त करते हैं:

१. विनोद प्रिटिंग प्रेस, बादशाही नाका, कानपुर	१. अतिरिक्त समय से कराये गये कार्य का वेतन कर्मचारियों को उनके साधारण वेतन से दूनी दर पर दिया जायगा।
२. गंगा प्रिटिंग प्रेस, कौशलपुरी, कानपुर	२. अतिरिक्त समय में कराया गया कार्य साल में १२० घंटे से ज्यादा नहीं होगा।
३. छाया प्रेस, कानपुर	३. दूकान मालिक अपने कर्मचारियों को उन साप्ताहिक छुट्टियों के स्थान पर जिन पर वे कार्य करें उतनी ही छुट्टियाँ ३१ मई, १९५४ के पहले देंगे।

४. श्याम प्रस, इटावा बाजार, कानपुर
५. महेश प्रेस, नौघड़ा, कानपुर।
६. चन्द्रा प्रेस, आनन्द बाग, कानपुर
७. सुधा प्रेस, राम मोहन का हाता, कानपुर
८. उपासना प्रेस, जनरल गंज, कानपुर।

परिशिष्ट द –६–(ब) (२)

सं० १००८ (एम)। ३६ (बी)–३६४ (एम)–४९

१७ जून, १९५४ ई०

यू० पी० शाप्स ऐण्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट संख्या २२, १९४७) की धारा ३४ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश में स्थित सभी बैंकों को उक्त ऐक्ट की धारा ६,८,१०,११ और १२ के व्यापार से प्रतिवर्ष जून में अर्ध वार्षिक और दिसम्बर में वार्षिक लेखा बन्दी के पहले दो दिनों के लिए निम्न लिखित शर्तों पर मुक्त करते हैं।

(१) कर्मचारियों से रात के १२ बजे के बाद कोई काम नहीं लिया जायगा।

(२) कर्मचारियों के अतरिक्त समय का वेतन उन साधारण काम करन के घंटों से अधिक काम के लिए जो बैंक्स एवार्ड में नियत है, ऐसे दर से दिया जायगा जो उनके साधारण वेतन की दर के दूने से कम न हो।

(३) किसी भी कर्मचारी के अतरिक्त समय का काम किसी भी साल में २०० घंटों से अधिक का नहीं होगा।

(४) बन्दी दिवस और सरकारी खजाने की छुट्टियों के दिन लिया गया कुल काम अतिरिक्त समय का माना जायगा और उस समय का वेतन उनके साधारण वेतन की दर से दूनी दर पर दिया जायगा।

परिशिष्ट द–६ (ब) (३)

सं० १९२० (एम)/३६ (बी)–८४ (एम)–५४

२९ जून, १९५४ ई०

यू० पी० शाप्स एन्ड कामर्शियल इस्टेब्लिमेंट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट संख्या २२, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय आगरा के हरीपर्वत क्षत्र में स्थित सभी आटा चक्कियों को शुक्रवार की साप्ताहिक छुट्टी के स्थान पर, जिसे जिलाधीश, आगरा के उक्त ऐक्ट की धारा १० की उपधारा (२) के अन्तर्गत १९५४ ई० के वास्ते स्वीकृत किया था, तारीख ३ अप्रैल, १९५४ से मंगलवार के दिन मनाने को अनुमति प्रदान करते हैं।

परिशिष्ट द–६ (ब) (४)

सं० १६५८ (एम)/३६ (बी)–४०९ (एम)–५२

२९ जुलाई, १९५४ ई०

अद्यावधि संशोधित यू० पी० शाप्स ऐन्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेन्ट, ऐक्ट १९४७ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २२, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर राज्य पाल बनारस म्यूसिपिल और कैन्टूनमेन्ट क्षत्रों में स्थित समस्त ऐसी दूकानों और व्यावसायिक संस्थाओं को, जिनमें रेशम की बुनाई का काम होता है, उक्त एक्ट की धारा १० और १२ के व्यापार से १९५४ ई० के लिये निम्नलिखित शर्तों पर मुक्त करते हैं :—

१. प्रत्येक ऐसी दूकान और व्यावसायिक संस्था के कर्मचारियों को १९५४ में ३३ दिनों की छुट्टी, जो संलग्न सूची में निर्दिष्ट है, दी जायगी तथा

२. संलग्न सूची में निर्दिष्ट छुट्टियों के अतिरिक्त प्रत्येक कारखानेदार अपना करघा अपनी स्वेछानुसार १९५४ ई० में उन्नीस दिन बन्द रक्खेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिस दिन ऐसी छुट्टी मनाई जावे उस दिनांक से एक सप्ताह के भीतर उसकी सूचना सम्बद्ध शाप का दे दी जायगी।

दिनों की सूची जब कि सिल्क उद्योग के बुनकर करघे बन्द करेंगे

१.	मकर संक्रान्ति	१ दिन
२.	महात्मा गांधी का मृत्यु दिवस	१ "
३.	होली	१ "
४.	शवे मिराज	१ "
५.	शवे बरात	२ "
६.	मेला गाजी मियाँ	२ "
७.	जुमातुल बिदा	१ "
८.	ईदुल फितर	३ "
९.	उर्स शाह तैय्यब	१ "
१०.	नाग पंचमी	१ "
११.	गणतंत्र दिवस	१ "
१२.	तीज	१ "
१३.	ईदुज्जुहा	३ "
१४.	महात्मा गाँधी का जन्म दिवस	१ "
१५.	दशहरा	२ "
१६.	मुहर्रम	२ "
१७.	तीज	१ "

१८.	दिवाली	१ दिन
१९.	जुमा बरना	१ "
२०.	गुरुनानक का जन्मदिवस	१ "
२१.	आखिरी बुधवार	२ "
२२.	योग वफात और मेला दुन्नवी	२ "
२३.	ग्यारवीं शरीफ	१ "

परिशिष्ट द-६ (ब) (५)

सं० २४७१ (एम)।३६-बी-३८३(ए) (एम)-५२

२२ सितम्बर, १९५४ ई०

यू० पी० शाप्स एन्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेन्ट एक्ट, १९४७ (१९४७ की एक्ट संख्या २२) की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल नैनीताल तथा मसूरी के म्युनिस्पल और कैन्टूनमेन्ट क्षेत्रों में स्थित होटलों, जलपानगृहों तथा हलवाइयों की दूकानों और बाणिज्य संस्थानों को प्रत्येक वर्ष, जून, सितम्बर तथा अक्टूबर के महीनों में उक्त ऐक्ट की धारा ८ और १२ के उपबन्धों के प्रवर्तन से निम्नलिखित शर्तो के अधीन मुक्त करते हैं :-

(१)कर्मचारियों के ओवरटाइम काम करने के घंटों की सीमा उक्त ऐक्ट की धारा ७ में निहित १२० घंटा प्रतिवर्ष के बजाय २०० घंटा प्रति वर्ष होगी।

(२)कर्मचारियों से ओवरटाइम कार्य लेने के लिये घंटों के हिसाब से औसत पारिश्रमिक दुगनी दर से भुगतान किया जायगा।

(६)कर्मचारियों को उनकी मासिक मजदूरी के अतिरिक्त न दी गई ऐसी प्रत्येक साप्ताहिक छुट्टी के लिये एक दिन की अतिरिक्त मजदूरी दी जायगी।

परिशिष्ट द-६(ब)(७)

सं०० ३५३० (एम) (३)/३६बी (२३६) (एम)-५४

४ नवम्बर, १९५४ ई०

यू० पी० शाप्स ऐंड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट, १९४७ ई० (यू०पी० ऐक्ट सं० २२, १९४७ ई०)की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय अयोध्या में स्थित जालपा नाले के पूर्व से फैजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के क्षेत्र के लकड़ी चीरने के कारखानों, आटा मिलों तथा तेल और चावल की मिलों के अतिरिक्त सभी दूकानों और व्यावसायिक संस्थाओं को उक्त ऐक्ट की धारा १०, ११ (रूल ७ के साथ पढ़ते हुए)और १२ के पालन से और फैजाबाद मे स्थित जालपानाले के पश्चिम में फैजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के क्षेत्र की सभी दुकानों व व्यावसायिक संस्थाओं को उक्त

ऐक्ट की धारा ११ (रूल ७ के साथ पढ़ते हुए) के पालन से ता० १० नवम्बर १९५४ ई० को होनेवाली साप्ताहिक बंदी और कार्तिकी पूर्णमासी के सिलसिले में होनेवाली छुट्टी से इस शर्त पर मुक्त करते हैं कि दूकान-मालिक उस छुट्टी के स्थान पर एक दूसरे दिन जो जिलाधीश निर्धारित करेंगे, बन्दी-दिवस मनायेंगें और अपने कर्मचारियों को उस दिन एक पूरे दिन की छुट्टी देगें।

परिशिष्ट द—६ (ब) (६)

सं० ३५३० (एम)/३६ बी २३६ (एम) ५४

५ नवम्बर, १५९४ ई०

यू० पी० शाप्स ऐन्ड कामर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट संख्या २२, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय कानपुर बनारस और इलाहाबाद म्युनिसिपल और कन्टून्मेन्ट क्षेत्र की तथा फर्रुखाबाद, गोरखपुर और कनौज के म्युनिपल क्षेत्र में स्थित सभी दूकानों ओर व्यावसायिक संस्थाओं को १० नवम्बर, १९५४ ई० को होने वाली कार्तिकी पूर्णमामी के लिये, उक्त ऐक्ट की धारा ११ तथा यू० पी० शाप्स ऐन्ड कामर्शियल इस्टेब्लिशमेन्ट रूल्स के नियम ७ के आदेशों के पालन से इस शर्त पर मुक्त करते हैं कि दूकान मालिक उस छुट्टी के स्थान पर एक दूसरे दिन, जो कि सम्बन्धित जिलाधीश निर्धारित करेंगे, बन्दी दिवस मनायेंगे और अपने कर्मचारियों को उस दिन एक पूरे दिन की छुट्टी देंगे।

परिशिष्ट द—६ (ब) (८)

सं० ३४७१ (एम)/३६ (बी)—२४० (एम)—५४

२४ अक्टूबर, १९५४ ई०

यू० पी० शाप्स एण्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट संख्या २२, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये गवर्नर महोदय मथुरा के म्युनिसिपल और कैन्टूनमेंट क्षेत्रों की दूकानों तथा व्यावसायिक संस्थाओं को उक्त ऐक्ट की धारा ११ के प्रयोजनों से बुधवार, २७ अक्टूबर १९५४ ई० को दिवाली परेवा के दिन इस शर्त पर मुक्त करते हैं कि दूकान मालिक अपनी दूकानों और व्यावसायिक संस्थाओं को उसके दूसरे हफ्ते में किसी दिन जो जिलाधीश, मथुरा नियत करें, बन्द करेंगे और उस दिन अपने कर्मचारियों को एक पूरे दिन की छुट्टी देंगे।

परिशिष्ट द—६ (९)

सं० ३७६९ (एम)। ३६ (बी)—२६२ (एम)—५४

२४ नवम्बर, १९५४ ई०

यू०पी० शाप्स एण्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेन्ट्स ऐक्ट, १९४७ (यू०पी० ऐक्ट सं० २२, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश के

राज्यपाल महोदय अयोध्या में स्थित (जालपा नाले के पूर्व में फैजाबाद म्युनिसिपैलिटी का क्षेत्र) आटा, तेल, चावल, दाल मिलों और लकड़ी चीरने के कारखानों के अतिरिक्त सभी दूकानों और व्यावसायिक संस्थाओं को बुधवार १ दिसम्बर, १९५४ ई० को होनेवाली साप्ताहिक बन्दी-दिवस के लिये उक्त ऐक्ट की धारा २ (१४) १० और १२ के पालन से इस शर्त पर मुक्त करते हैं कि दूकान मालिक उस छुट्टी के स्थान पर इतवार, ५ दिसम्बर, १९५४ ई० को बन्दी-दिवस मनायेंगे और अपने कर्मचारियों को उस दिन की पूरे दिन की छुट्टी देंगे।

परिशिष्ट द– ६–– (ब) (१०)

सं० ३७५१ (एम) । ३६(जी)–२५९ (एम)–५४

दिसम्बर १, १९५४ई०

यू० पी० शाप्स एन्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट सं० २२, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, बनारस के म्युनिसिपल और केन्टूनमेन्ट क्षेत्रों में स्थित सभी दूकानों तथा व्यावसायिक संस्थाओं को रविवार, तारीख ६ मार्च, १९५५ ई० को होने वाले साप्ताहिक बन्दी-दिवस के लिए उक्त ऐक्ट की धारा १० और १२ के पालन से इस शर्त पर मुक्त करते हैं कि दूकान मालिक इस छुट्टी के स्थान पर उसी हफ्ते में किसी ऐसे दूसरे दिन जो कि जिलाधीस, बनारस नियत करें, बन्दी दिवस मनायेंगे और अपने कर्मचारियों को उस दिन एक पूरे दिन की छुट्टी देंगे।

(स) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत मुक्ति

परिशिष्ट द-६ (स) (१)

संख्या ७९७ (एस एम) ३६ (ए) ४२३-५४

४ सितम्बर १९५४ ई०

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (१९४८ के अधिनियम संख्या ३४) की धारा ८८ के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना की तारीख से प्रथमतः एक वर्ष के लिए कानपुर प्लेट मिल्स लि० कानपुर के उनके क्रमशः गोरखपुर और लखनऊ शो रूमों में काम में लगे हुए कर्मचारियों को उपर्युक्त कानून के केवल अध्याय ५ ए को छोड़ कर––पालन से इस शर्त के अधीन छूट देने की कृपा करते हैं कि

(१) इस प्रकार के कर्मचारी कानपुर के बड़े कारखाने में एक वर्ष में तीन महीनें से अधिक नहीं रहेंगे।

(२) कारखाना इन कर्मचारियों के कानपुर क्षेत्र से बाहर रहनें के समय का विवरण रखेगा।

(३) इस छूट के होते हुए भी कर्मचारियों को उक्त अधनियम क अन्तर्गत वे सब हित लाभ मिलते रहेंगे जिनके लिए वे छूट के पहले चन्दा दे देने के आधार पर अधिकारी हो चुके होंगे।

परिशिष्ट द—६ (स) (२)

सं० ७७० (एस एम) । ३६-ए-४०२-५४

११ सितम्बर, १९५४ ई०

एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ (१९४८ की अधनियम सं० ३४) की धारा ८८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री डी० एम० अरोरा को इस समय उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षा विभाग से डेपुटेशन पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में डिवीजनल एकाउंटेन्ट के पद पर कार्य कर रहे हैं, इस विज्ञप्ति के दिनांक से उक्त ऐक्ट के उपबन्धों से उस समय तक के लिये मुक्त करते हैं जब तक कि वह उपरोक्त वर्कशाप में डेपुटेशन पर कार्य करते रहेंगे ।

परिशिष्ट द ६—(स) (३)

सं० ७८९ (एस एम)।३६—ए—४१३—५४

१४ सितम्बर, १९५४ ई०

एम्पलाइज़ स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ऐक्ट ३४) की धारा २८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उक्त ऐक्ट के अध्याय ५—ए को छोड. कर २६ सितम्बर, १९५४ ई० से एक वर्ष की अवधि के लिये मेसर्स ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन (कूपर एलन ब्रान्च), कानपुर नामक कारखाने के ऐसे कर्मचारियों को उक्त ऐक्ट के प्रवर्त्तन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुक्त करते हैं, जो यात्रिक प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं;

१—कानपुर के उक्त कारखानें में ये कर्मचारी किसी पंचगीय वर्ष में तीन मास से अधिक कार्य न करें।

२—उक्त कारखाना एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें इस ऐक्ट के प्रवर्त्तन से मुक्त किये गये ऐसे समस्त कर्मचारियों के नाम तथा पद लिखें होंगे और यह भी कि वे कानपुर क्षेत्र के बाहर कितने दिन रहे; और

३—इस प्रकार मुक्त किये गये कर्मचारियों को उक्त ऐक्ट के अधीन ऐसे लाभ प्राप्त होते रहेंगे, जो उनको मुक्त किये जाने के दिनांक से पूर्व भुगतान किये गये अंशदानों के आधार पर प्राप्त होते।

परिशिष्ट द—६ (स) (४)

सं० एस एस—१३७(३५) (आई)

नई दिल्ली, १८ सितम्बर, १९५४ ई०

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८(३४) १९४८ की धारा ७३(फ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के अध्याय ५ अ के अन्तर्गत अक्टूबर १९५४ ई० से एक वर्ष आगे की अवधि के लिये, नियोजक के विशेष चन्दे के भुगतान से उस प्रत्येक कारखाने को मुक्त करती है,

(अ) जो निम्न तालिका के स्तंभ १ में निर्दिष्ट एक या अधिक निर्माण–प्रक्रियाओं में हीएक मात्र लगे हों या किसी अन्य निर्माण–प्रक्रिया में जो पूर्व कथित किसी प्रक्रिया से सम्बन्धित हो, या उक्त अधिनियम की धारा २ के वाक्यखण्ड (१२) में निर्दिष्ट प्रकार के मौसमी कारखाने में चलने वाली किसी अन्य निर्माण–प्रक्रिया में लगे हो ; और

(ब) जो उक्त तालिका के स्तम्भ २ में तत्स्थानी अंकन में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में स्थित हो, इस शर्त के साथ, यदि कोई हो, जो उक्त तालिका के स्तम्भ ३ में तत्स्थानी अंकन में निर्दिष्ट है।

तालिका

निर्माण–प्रक्रिया का नाम	स्थिति–क्षेत्र	शर्तें
१—अनिर्मित पत्ती तम्बाकू को पुनः सुखाना।	जम्मू और काश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत।	
२—चावल कूटना	सम्पूर्ण भारत	
३—'कोल्ड स्टोरेज'	सम्पूर्ण भारत	
४—नमक–निर्माण	सम्पूर्ण भारत	
५—'केश्यू' निर्माण	सम्पूर्ण भारत	
६—तेल के कारखाने	सम्पूर्ण भारत	शर्त यह है कि तेल पेरने की प्रक्रिया किसी अन्य निर्माण-प्रक्रिया की अंगभूत है, जो मौसमी हैं और जब तक कि तेल पेरने में लगे कर्मचारियों की संख्या पचास से कम हो
७—बर्फ–निर्माण	पंजाब, दिल्ली, अजमेर, उत्तर प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मध्य-भारत, भोपाल, हैदराबाद, बिहार, राजस्थान और पेप्सू।	

परिशिष्ट द—६ (स) (५)

सं० ९२६ (एस एम)/३६ (अ) ४४०—५४

२५ सितम्बर, १९५४

सरकारी अधिसूचना संख्या २४६७ (एल एल) ३६ (बी)—२२० (एल एल) १९५२ ताः २६ सितम्बर १९५३ के अनुसार तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ (१९४८ के ३४) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय यह आदेश देने की कृपा करते हैं कि कुछ कारखानों को कुछ शर्तों के साथ उक्त अधिनियम के पालन से छूट देने वाले उपबन्ध २७ सितम्बर १९५४ से एक वर्ष के लिए आगे भी लागू रहेंगे।

परिशिष्ट द—६ (स) (६)

सं० १०६९ (एस एम)—३६ (ए)

३० अक्टूबर, १९५४ ई०

एम्प्लाईज़ स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १९४८ की धारा ८८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस ऐक्ट के अध्याय ५—ए को छोड़कर ३१अक्टूबर, १९५४ ई० से मेमर्स बर्मा शेल आयल स्टोरेज ऐण्ड डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, काल्पी रोड कानपुर के ऐसे कर्मचारियों को, जो कम्पनी के कारखाना के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये फिटर पेन्टर, तथा अप्रेंटिस के रूप में नियोजित हैं और उक्त कारखाना में किसी पत्री वर्ष में ३० दिन से अधिक कार्य नहीं करते, एक वर्ष की और अवधि के लिए उक्त ऐक्ट के प्रवर्तन से मुक्त करते हैं, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त कारखाना एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें इस प्रकार मुक्त किये गए समस्त कर्मचारियों के नाम तथा पद दिखाये जायेंगे और यह कि कानपुर क्षेत्र से बाहर वे कितने दिनों तक रहें।

प्रतिबन्ध यह नहीं है कि उक्त ऐक्ट के प्रवर्तन से इस प्रकार मुक्त किये जाने पर भी इन कर्मचारियों को उक्त ऐक्ट के अधीन ऐसे लाभ प्राप्त होते होंगे जो उन्हें ३१ अक्टूबर, १९५३ ई० के पूर्व भुगतान किये गए अंशदानों के आधार पर प्राप्त होते।

परिशिष्ट ६—(स) (७)

सं० १०७० (एस एस)—३६ए—४३६—५४

३० अक्टूबर, १९५४

एम्प्लाईज़ स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ऐक्ट संख्या ३४) की धारा ८८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस ऐक्ट के अध्याय ५—ए को छोडकर ३१ अक्टूबर, १९५४ ई० से मेसर्स हिन्द केमिकल्स लिमिटेड, कानपुर नामक कारखाने के ऐसे कर्मचारियों को, जो विक्रेता तथा प्रतिनिधि के रूप में नियोजित हैं,

और उक्त कारखाना में किसी पत्री वर्ष में तीन मास से अधिक कार्य नहीं करते, एक वर्ष कीऔर अवधि के लिये उक्त ऐक्ट के प्रवर्तन से मुक्त करते हैं, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मेसर्स हिन्द केमिकल्स लिमिटेड एक रिजिस्टर रखेगा जिसमें इस प्रकार मुक्त किए गए समस्त कर्मचारियों के नाम व पद दिखाये जायेंगे और यह कि कानपुर क्षेत्र के बाहर वे कितने दिनों तक रहें हैं।

प्रतिबन्ध यह भी है कि उक्त ऐक्ट के प्रवर्त्तन से इस प्रकार मुक्त किए जाने पर भी इन कर्मचारियों को उक्त ऐक्ट के अधीन ऐसे लाभ प्राप्त रहेंगे जो उन्हें ३१ अक्टूबर, १९५३ ई० के पूर्व भुगतान किये गए अंशदानों के आधार पर प्राप्त होते।

परिशिष्ट द—६ (स) (८)

सं० ११७५(एस एम)।३६–ए–४०८–५४

२९ नवम्बर, १९५४ ई०

२४ नवम्बर, १९५३ ई० की सरकारी विज्ञप्ति सं० ११४३ (एल एल)।३६–बी–९५८(एल एल)–५२ के अनुक्रम में तथा इम्प्लाईज़ स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १९४८ ई० (१९४८ का ऐक्ट सं० ३४) की धारा ८८ द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस ऐक्ट के अध्याय ५–ए को छोड़कर २४ नवम्बर, १९५४ ई० से एक वर्ष की और अविध के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन मेसर्स नागरथ पेन्ट्स लि०, कानपुर के विक्रेता सर्व श्री आर० सी० भंडारी, डी० सी० भल्ला, जी० पी० कपूर, मेघराज तथा राम अनुग्रह नारायण को उक्त ऐक्ट के प्रवर्तन से मुक्त करते हैः—

(१) यह कि वे मुख्य कारखानों में वर्ष भर में कुल तीन मास से कम कार्य करें।

(२) यह कि उक्त कारखाना एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें इस प्रकार मुक्त किए गए समस्त कर्मचारियों के नाम तथा पद दिखाये जायेंगे और यह कि कानपुर क्षेत्र के बाहर वे कितने दिनों तक रहे, और

(३) यह कि उक्त ऐक्ट के प्रवर्तन से मुक्त किए गए कर्मचारियों को इस ऐक्ट के अधीन ऐसे लाभ प्राप्त होते रहेंगे, जो उन्हें २४ नवम्बर, १९५३ ई० से पूर्व भुगतान किए गए अंशदानों के आधार पर प्राप्त होते।

७. विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत समितियों तथा / अथवा उक्त अधिकारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ

परिशिष्ट—द (७) (१)

सं० (एस एस) १२१(६१)

नई दिल्ली, १६ नवम्बर, १९५३

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८, (३४।१९४८) की धारा ४ के अनुसार केन्द्रीय सरकार यह निर्देश करती है कि भारत सरकार के श्रम–मंत्रालय की अधिसूचना संख्या

एस एस २१(२)(२), दिनांक ६ सितम्बर, १९४८ में उक्त अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) के अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा कारपोरेशन में इस अधिसूचना के राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तारीख से निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा—

अध्यक्ष

(१) केन्द्रीय सरकार के श्रम-मंत्री-पदेन।

उपाध्यक्ष

(२) केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य-मंत्री-पदेन।

सदस्य

(धारा ४ वाक्य खंड (स) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित)

(३) श्री के० एन० सुब्रमनियन, आई० सी० एस० सचिव श्रम मंत्रालय भारत सरकार।

(४) लेफ्टिनेंट कर्नल सी० के० लक्ष्मणन, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रधान निदेशक।

(५) श्री आर० नारायणस्वामी, संयुक्त सचिव, अर्थमंत्रालय (पुनर्वास एवं खाद्य विभाग), भारत सरकार।

(६) श्री एन० एस० मनकीकर, मुख्य सलाहकार, कारखाने।

(७) श्री एस० नीलकन्ठम, प्रति सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार।

(धारा ४ के वाक्य (ड) के अन्तर्गत 'अ' व 'ब' श्रेणी की राज्य सरकारों द्वारा) नामांकित

(८) श्री एस० के० मल्लिक, आई० सी० एस० सचिव, श्रमविभाग, आसाम सरकार, शिलांग।

(९) श्री आर० एस० पांडे, आई० ए० एस० सचिव श्रम विभाग बिहार, पटना।

(१०) श्री चे० डी० कपडिया, आई० सी० एस०, सचिव विकास विभाग, बम्बई सरकार बम्बई।

(११) श्री पी० के० सेन, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, नागपुर, स्थानीय।

(१२) श्री० एस० आर० मैनी, आई० ए० एस०, सचिव स्वास्थ्य एवं स्वायत्त शासन विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़।

(१३) श्री सी० जी० रेगी, श्रमायुक्त, मद्रास।

(१४) डाक्टर एच० वी० महान्ती, सचिव श्रम विभाग, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर।

(१५) श्री ओ० एन० मिश्र, आई० ए० एस० श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

(१६) श्री डी० एस० पी० मुकर्जी, संयुक्त सचिव, व्यापार, श्रम एवं उद्योग विभाग पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता।

(१७) श्री सी० आर० रेगी, श्रमायुक्त, आंध्र।

(१८) श्री सैयद अब्दुल लतीफ रजवी, आई० ए० एस० संयुक्त सचिव, श्रम-विभाग, हैदराबाद, सरकार, हैदराबाद।

(१९) श्री बी० एस० पुत्तस्वामी, श्रमायुक्त, मध्य भारत, इदौर।

(२०) श्री ए० एस० बनवालीकर, श्रमायुक्त मध्यभारत, इदौर।

(२१) श्री जी० एल० मेहता, आई० ए० एस०, सचिव, व्यापार, उद्योग एवं श्रम-विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।

(२२) श्री एम० के० देवासे, श्रमायुक्त, त्रिवेन्द्रम।

(२३) सरदार जयदेव सोंधी, आई० ए० एस० सचिव उद्योग, पूर्ति एवं श्रमविभाग, पटियाला एवं पंजाब राज्य संघ सरकार, पटियाला।

(२४) श्री डी० के० बाढेका, श्रमायुक्त सौराष्ट्र सरकार, राजकोट।

धारा ४ के वाक्य खंड (ग) के अन्तर्गत 'स' श्रेणी के राज्यों के केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित प्रतिनिधि।

(२५) श्री डाक्टर बी० आर० सेठ, निदेशक श्रम एवं उद्योग, दिल्ली।

(धारा ४ के वाक्य खंड (फ) के अन्तर्गत 'स' श्रेणी के राज्यों के केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित प्रतिनिधि।

(२७) श्री जी० डी० सोमानी, एम० पी० श्री निवास हाउस, वाडवी रोड, बम्बई १।

(२७) श्री एलेन इलियट लौखार्ट, मेसर्स ग्लैडस्टन लायल एंड कम्पनी लिमिटेड, ४ फेयरलीरलेस, कलकत्ता।

(२८) श्री मदन मोहन मंगल दास, मंगलबाग एलिस ब्रिज, अहमदाबाद।

(२९) श्री एस० सी० राय० आर्य एश्योरेंस बिल्डिंग, १५ चितरंजन ऐवेन्यू, कलकत्ता।

(३०) श्री के० एन० मोदी मार्फत मोदी स्पिनिग ऐंड वीविग मिल्स, मोदी नगर, मेरठ।

(धारा ४ के वाक्य खंड (जी) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारियों के संगठनों के परामर्श से नामांकित)।

(३१) श्री सोमनाथ पी० दवे, एम० पी० मंत्री टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, गांधी मजदूर सेवालय, भादरा, अहमदाबाद।

(३२) श्री निर्मल कुमार सेन, बाबूगंज, चिनसुरा, हुगली।

(३३) श्री काशी नाथ पांडे, प्रधान मंत्री, आई० एन० टी० यू० सी०, उत्तर प्रदेश शाखा, शाहंशाह मंजिल, बारुदखाना, गोलागंज, लखनऊ।

(३४) श्री एस० ए० डांगे, प्रधान मंत्री, ए० आई० टी० यू० सी०, आर० एल०, ट्रस्ट बिल्डिग, ५५ गिरगांव रोड, बम्बई–४।

(३५) श्री वी० बी० कार्णिक रतिलाल मैंसन, पारीख स्ट्रीट, गिरगांव, बम्बई–४।

(धारा ४ के वाक्य खंड (एच) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा चिकित्सकों के संगठनों के परामर्श से नामांकित)।

(३६) डाक्टर चमन लाल एम० मेहता, 'श्री निवास, सैंडहर्स्ट रोड, बम्बई–४।

(३७) डाक्टर वी० डी० साथया, ५०२ नारायण पेठ, पूना–२।

(धारा ४ के वाक्यखंड (१) के अन्तर्गत संसद द्वारा निर्वाचित)

(३८) श्री गोपीनाथ सिह।

(३९) श्री खांडूभाई के० देसाई।

परिशिष्ट द—७(२)

सं० पी० एफ–५१६(१०)भाग २

नई दिल्ली, २३ सितम्बर, १९५३

कर्मचारी प्रावीडेंट फंड योजना १९५२ के पैराग्राफ २२ के उपपैराग्राफ १ के अनुसार केंद्रीय सरकार श्री ओंकार नाथ मिश्र, आई० ए० एस०, श्रमायुक्त तथा प्रादेशिक प्रावीडेंट फंड कमिश्नर उत्तर प्रदेश को उक्त योजना के पैराग्राफ ४ के अन्तर्गत भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या पी० एफ० ५१६(१०) तारीख २१ नवम्बर १९५३ में उत्तर प्रदेश के लिये निर्मित प्रादेशिक समिति का सेक्रेटरी नियुक्त करती है।

परिशिष्ट द—७(३)

सं० यू० १५ (एस एम) ३६(ए)२१६–५४

९ मार्च, १९५४ ई०

विज्ञप्ति सं० २२०७(एल एल) ३६(बी)–२७५(एल एल) ५३, दिनांक १४ अक्टूबर, १९५३ ई० की अधिक्रांत करते हुए तथा इंप्लाईज प्राविडेंट फंड्स ऐक्ट, १९५२ (१९५२ की ऐक्ट संख्या १९ की धारा १४ की उपधारा (३) के अनुसार, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्रमायुक्त (लेबर कमिश्नर) उत्तर प्रदेश को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिये प्राधिकारी निर्दिष्ट करते हैं।

परिशिष्ट द—७(४)

सं० ५४४(एल एल) (३) /३६ (बी)–२५४ (एल एल)—१९५३

२४ मार्च, १९५४ ई०

अधिसूचना (विविध) उत्तर प्रदेश कर्मचारी बीमा न्यायालय नियम, १९५२ के नियम ८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय कर्मचारी राज्य बीमा कारपोरेशन के परामर्श से सरकारी अधि सूचना संख्या ११९४ (एल एल)। १८(एल बी)—संख्या ६०८ (एल एल)।१८ (एल बी)—३३५(एल एल)—१९५१ दिनांक १३ मार्च १९५३ द्वारा निर्मित कर्मचारी बीमा न्यायालय कानपुर जिसमें अध्यक्ष न्यायाधीश की हैसियत से डिप्टी कलक्टर श्री असगर अली शाह थे, २५ मार्च सन् १९५४ से समाप्त करने की कृपा करते हैं।

परिशिष्ट द—७(५)

सं० ५४४(एल एल) (६)।३६(बी)—२५४(एल एल) ।१९५३

२४ मार्च, १९५४ ई०

उत्तर प्रदेश कर्मचारी न्यायालय नियम, १९५२ के नियम ४ के साथ पठित राज्य बीमा अधिनियम १९४८ (१९४८ के अधिनियम ३२) की धारा ७५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय २५ मार्च, १९५४ से एक कर्मचारी बीमा न्यायालय बनाने की कृपा करते हैं जिसके न्यायधीश के रूप में अध्यक्ष एडीशनल सिटी मजिस्ट्रेट श्री असगर अली होंगे और अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र के लिये उक्त न्यायालय के कार्यों का निर्वाह करेंगे।

व्याख्या—कानपुर क्षेत्र से आशय कानपुर म्यूनिसिपैलिटी , कैंटोनमेंट कानपुर तथा जूही की नोटीफाइड एरिया कमेटी का अधिकार क्षेत्र तथा कानपुर तहसील के जाजमऊ (बाजीपुर), गज्जूपुरवा और मुजफ्फरपुर गांवों के क्षेत्र से है।

परिशिष्ट द—७(६)

सं० एस एस १२१ (६६)

नई दिल्ली, ६ अप्रैल, १९५४

कर्मचारी राज्यबीमा अधिनियम १९४८ (१९४८ के अधिनियम ३४) की धारा १० के अनुसार तथा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस–एस२१(४) तारीख १८ दिसम्बर १९४८ को समाप्त कर भारत सरकार अब से निम्नलिखित सदस्यों की चिकित्सा हित परिषद का संगठन करती है:—

(१) स्वास्थ्य सेवाओं के डाइरेक्टर जनरल महानिदेशक पदेन अध्यक्ष हैं।

सदस्य

(२) ले० क० टी० सी० पुरी, डिप्टी डाइरेक्टर जनरल आफ हैल्थ सर्विसेज।

(३) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के मेडिकल कमिश्नर पदेन।

धारा १० की उपधारा (१) के वाक्यखंड डी० के अन्तर्गत 'ए' तथा 'बी' श्रेणी के राज्य सरकार द्वारा मनोनीत।

(४) श्री बी० सी० दास गुप्त, डाइरेक्टर आफ हैल्थ सर्विसेज़ पश्चिमी बंगाल।

(५) डा० जे० के० सेकिया, एम०बी०, डी०टी०, एम०,ए०एम०एस०, इंस्पेक्टर जनरल आफ सिविल हास्पिटल्स, आसाम, शिलांग।

(६) ले०क० सगम लाल, एम०बी०, बी०एस०, एफ०आर०सी०एस०,(इंगलैन्ड) डी० ओ०एम०एस० (लंदन) डाइरेक्टर आफ मेडीकल सर्विसेज़, मद्रास।

(७) डा० टी० एस० साहनी, एफ०आर०सी० एस०, डी० ओ० एम–एस० डाइ–रेक्टर आफ हैल्थ सर्विसेज़, मध्यप्रदेश।

(८) ले० क० डी० पी० नाथ इंस्पेक्टर जनरल आफ सिविल हास्पिटलज़, बिहार।

(९) डा० बी० बी० दीक्षित, एम० बी० बी० एस०, (बंम्बई) एम० आर० सी० पी० (एडिनबरा), पी० एच० डी०) (एडिन), पी०जी० एच० (कलकत्ता) एफ आर० एस० (एडिन) एफ० एन० आई० बम्बई सरकार के सर्जन जनरल।

(१०) कर्नल ए० एल० चोपड़ा, डाइरेक्टर आफ मेडीकल ऐंड हैल्थ सर्विसेज़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(११) ले० क० पी० पप्तला, बी० ए० एम० बी०बी० एस० (मद्रास), एफ० आर० सी० एस० (एडिन), डी० ओ० एम० एस०, डी० एल० ओ०, डी० पी० एच०,(लंदन), डाइरेक्टर आफ हैल्थ ऐंड इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिन्सस उड़ीसा।

(१२) डा० एच० बी० एन० स्विफ्ट डाइरेक्टर आफ हैल्थ सर्विसेज, पंजाब।

(१३) डा० एल० डी० खत्री, डाइरेक्टर मेडिकल ऐंड हैल्थ सर्विसेज़, हैदराबाद सरकार।

(१४) डा० बी० आर० रामलिंग रेड्डी, एल० आर० सी० पी०, (लंदन) एम० आर० सी० बी०, (इंगलैन्ड) डी०सी०एच०, आर० सी० पी०, एस० सी० (इंगलैन्ड) डाइरेक्टर आफ मेडिकल सर्विसेज, मैसूर सरकार।

(१५) कर्नल एस० एल० गार्गया, एल० आर० सी० पी० (लंदन), एम० आर० सी० एस० (इंग०), डाइरेक्टर आफ हैल्थ सर्विसेज़ मध्य–भारत, ग्वालियर।

(१६) डा० एम० कुंज कृष्ण पिल्ले, एम० बी०, सी० एच० बी०, मेडिकल आफिसर, श्रम विभाग, ट्रावनकोर–कोचीन सरकार।

(१७) डा० एम० जी० भट्ट, एम० बी० बी० एस०, डी० टी० एम०, एम० पी० एच० (हरवर्ड), डिप्टी डाइरेक्टर आफ हेल्थ सर्विसेज़, सौराष्ट्र सरकार।

(१८) के० एस० आर० भार्या, डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज़, पटियाला।

केंद्रीय सरकार द्वारा अपने द्वारा मान्य नियोजकों के संगठनों के परामर्श से धारा १० की उपधारा (१) के वाक्य खड (ई) के अन्तर्गत नियुक्त :—

(१९) श्री श्रीराम, २२ कर्जन रोड, नई दिल्ली।

(२०) श्री जी० डी० सोमानी, श्रीनिवास हाउस, आउटम रोड, बम्बई।

(२१) श्री आर० के० लखोटिया, २ रायल एक्सचेज प्लेस, कलकत्ता।

केंद्रीय सरकार द्वारा धारा १० की उपधारा (१) के वाक्यखंड (एफ) के अन्तर्गत उक्त सरकार द्वारा मान्य कर्मचरियों के संगठनो के परामर्श से मनोनीत।

(२२) डा० एस० एल० काशीकर, आई० एन० टी० यू० सी०, मध्य प्रदेश शाखा, श्रीखानकेकर बिल्डिंग, निकट गणेश मंदिर, जमना टैंक, माडल मिल रोड, नागपुर।

(२३) श्री राम सिह भाई वर्मा, एम० एल०ए०, श्रम शिविर, स्नेहलतागंज, इंदौर।

(२४) श्री विमल मेहरोत्रा, १०९/२५१ जवाहरनगर, कानपुर।

धारा १० की उपधारा (१) के वाक्यखंड (जी) के अंतर्गत सरकार द्वारा मान्य चिकित्सकों के संगठनों के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत :—

(२५) डा० (मिसेज़) बी० थुगम्मा, शाति भवन, कमच्छा, बनारस।

(२६) डा० सी० एस० ठक्कर, शांता वज, स्टेशन रोड, बम्बई।

(२७) डा० जी० के० कुलकर्णी, काग्रेस नगर, कानपुर।

परिशिष्ट द—७(७)

सं० पी० एफ०–५१६(१०)।उ० प्र०

नई दिल्ली, १५ अप्रैल, १९५४

कर्मचारी प्रावीडेंट फंड योजना, १९५२ के पैराग्राफ ४ के अनुकूल तथा २१ नवम्बर १९५३ के भारत के गजट मे प्रकाशित भारत सरकार के श्रममंत्रालय की अधिसूचना संख्या पी० एफ०५१६(१०) भाग १ उपधारा १ को समाप्त कर भारत सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित करके एक प्रादेशिक समिति का निर्माण करती है :—

(१) श्री के० एन० सिंह, आई० ए० एस०, सेक्रेटरी, उद्योग तथा श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।	केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष।
(२) श्री एच० एस० शर्मा, पी० सी० एस०, अंडर सेक्रेटरी, श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ (३) श्री भरत नारायण आई० ए० एस० डिप्टी सेक्रेटरी वित्त विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति।
(४) श्री डी० एक्स, डी० सौजा, मेसर्स एल्गिन मिल्स कं० लि० कानपुर। (५) श्री इंदर सिंह, मेसर्स सिंह, इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर। (६) श्री एस० एस० एल० बंसल, सेक्रेटरी, सेमर्स स्टार पेपर मिल्स लि० बजोरिया पैलेस, सहारन-पुर।	राज्य के नियोजकों के संगठनों के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत नियोजकों के तीन प्रतिनिधि।
(७) श्री अर्जुन अरोड़ा, सूटरगंज, कानपुर (८) प्रो० जगदीश चन्द्र दीक्षित, सुभाष कालेज, उन्नाव (९) श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, बजरिए सोशलिस्ट पार्टी, पानदरीबा, लखनऊ।	राज्य के कर्मचारियों के संगठनों के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत कर्मचारियों के तीन प्रतिनिधि।
(१०) श्री एस० एल० बागला, स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० कानपुर।	केंद्रीय न्यास मंडल (बोर्ड आफ ट्रस्टी) के गैर सरकारी सदस्य।
(११) श्री राजा राम शास्त्री, ११/२५५ ग्वालटोली, कानपुर।	राज्य के सामान्य निवासी।

परिशिष्ट द—७ (८)

सं० ११०६(एल एल)/३६ बी—३२२ (एल एल)—५३

१० जून, १९५४ ई०

उत्तर प्रदेश शक्कर तथा चालक मद्यसार उद्योग श्रम कल्याण तथा विकास निधि अधिनियम, १९५१ (उत्तर प्रदेश की १९५१ की अधिनियम संख्या १६) की धारा २ तथा उत्तर प्रदेश शक्कर तथा चालक मद्यसार श्रम कल्याण तथा विकास निधि नियम, १९५१ के नियम ३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्य पाल महोदय श्री गेंदा सिंह, एम० एल० ए० द्वारा श्री एस० शुक्ल, प्रिंसिपल लोकमान्य एच ०एस० स्कूल, जानकीनगर, पोस्ट आफिस सिउराही, जिला देवरिया, तथा श्री बी० सी० कोहली, जेनरल मैनेजर, गंगा शुगर कार्पोरेशन

देववन्द, जिला सहारनपुर को दिनांक २५ सितम्बर, १९५३ की विज्ञप्ति संख्या २४७० (एल एल)/बी० ३२२ (एल एल) ५० द्वारा निर्मित परामर्शदात्री समिति का सदस्य, सर्वश्री नारायणदत्त तिवारी, एम० एल० ए० तथा एच० टी० साहनी के स्थान पर जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, मनोनीत करते हैं।

परिशिष्ट द—७ (९)

सं० यू–५९३ (२)/३६–बी–५२ (एल एल)—५१
९ अगस्त, १९५४ ई०

ता० २० मार्च, १९५१ की विज्ञप्ति सं० ४९४ (एल एल)/१८—५२ (एल–एल)—५१ को अधिक्रांत करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय १४ जुलाई, १९५४ ई० की विज्ञप्ति सं० यू–५२४ (एल एल)/३६–बी—२५७ (एल एल)—५४ के अधीन बनाये गए औद्योगिक न्यायपीठ को, इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर्स) ऐक्ट, १९४६ (ऐक्ट सं० २०, १९४६) के अधीन अपील सुनने वाले प्राधिकारी (Appellate Authority) के समस्त कार्यो को करने के लिये उक्त ऐक्ट की धारा २ (ए) के अन्तर्गत सारे उत्तर प्रदेश के लिए अपील सुनने वाला अधिकारी नियुक्ति करते हैं।

परिशिष्ट द—७ (१०)

सं० ४१४७/३६ (१)—जी एल (८)—४८
११ अगस्त, १९५४ ई०

विज्ञप्ति सं० ३३९/२८–जी० एल० (३)–५१ दिनांक ४ सितम्बर १९५२ के क्रम में तथा इंडस्ट्रियल स्टेटिसटिक्स ऐक्ट, १९४२ की अधिनियम सं० २९ की धारा ४ के अधिकारों का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य पाल महोदय श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश को भी उपरोक्त अधिनियम की धारा ३ (१) (बी) में उल्लिखित विषयों के आंकड़े एकत्रित करने के हेतु संख्या अधिकारी नियुक्त करते हैं।

परिशिष्ट द—७ (११)

सं० पी० एफ० ४२ (१)—५४
नई दिल्ली, ३१ मई, १९५४ ई०

कर्मचारी प्राविडेंट फंड अधिनियम १९५२ (१९५२ के अधिनियम १९) की धारा १९ के वाक्य खंड (अ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग कर भारत सरकार आदेश देती है कि उसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा १७ के अन्तर्गत प्रयोज्य अधिकारों को कर्मचारी प्रावीडेंट फंड योजना १९५२ के पैराग्राफ १९ के उप पैराग्राफ (१) के अन्तर्गत नियुक्त कमिश्नर भी प्रयुक्त कर सकेंगे।

परिशिष्ट द—७ (१२)

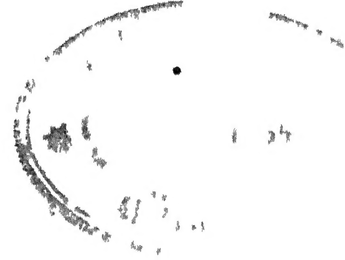
सं० पी० एफ०—५१६ (५५)/बी–१
नई दिल्ली, २१ दिसम्बर, १९५३ ई०

कर्मचारी प्रावीडेंट फंड अधिनियम १९५२ (१९५२ के १९) की धारा १९ द्वारा

प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में केंद्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम १की धारा ८के अन्तर्गत किसी भी उद्योग मे लगे कारखाने के किसी नियोजक से, जिसके लिये उचित अधिकारी केंद्रीयसरकार है, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिये कोई चन्दा अथवा उसके अंतर्गत बनाई जाने वाली किसी योजना के अनुसार प्रावीडेंट फंड के प्रशासन के व्यय के हिसाब मे ली जाने वाली रकम को शेष राजस्व कर के तौर पर वसूल करने का जो अधिकार उसका है वह निम्नलिखित अनुसूची मे निर्धारित प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा भी अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयुक्त हो सकेगा।

अनुसूची

(१) बम्बई
(२) मद्रास
(३) उत्तर प्रदेश
(४) पंजाब
(५) मध्य प्रदेश
(६) ट्रावनकोर-कोचीन
(७) मसूर
(८) सौराष्ट्र
(९) राजस्थान



परिशिष्ट ट—७ (१३)

सं० एफ० ओ० सी ५२—(१५)
नई दिल्ली, २६ मार्च, १९५४ ई०

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ की धारा '' (१) के अंतर्गत अधिकारी नियुक्त किए गये प्रत्येक अधिकारी को भारत सरकार नियुक्त करती है।

परिशिष्ट ट—७ (१४)

सं० २४२७ (एल० एल) ३६ (बी०), ३४७ (एल० एल)—५४ विज्ञप्ति सं०
५ नवम्बर, १९५४ ई०

५४४ (एल० एल) (६) (३६ (ख) २५४ (एल० एल) ५३, दिनांक २४ मार्च, १९५४ ई० का आंशिक संशोधन करते हुए, गवर्नर महोदय, कानपुर के एडिशनल सिटी मैजिस्ट्रेट के स्थान पर ता० २४ सितम्बर, १९५४ ई० के अपरान्ह से श्री महेशचन्द्र, डिप्टी कलेक्टर कानपुर को, उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर केन्द्र के लिये उक्त विज्ञप्ति द्वारा निर्मित इम्पलाइज इन्शयोरेन्श कोर्ट का जज नियुक्त करते है। वे इस कोर्ट का कार्य अपने कार्य के अतिरिक्त करेगे।